



००१३७
११९०

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

1991 की संख्या 11

संघ सरकार
(अन्य स्वायत्त निकाय)

सर्वाधिकार सुरक्षित
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
1991

पी. डी. ए. आर. 1.2 (1991 की सं. 11) (हिन्दी)

750-1991 (डी. एस. के. III)

प्रकाशन तथा सूचना निदेशालय, हिलसाईड रोड, नई दिल्ली-110012 द्वारा मुद्रित

तथा

प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा प्रकाशित



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

1991 की संख्या 11

संघ सरकार
(अन्य स्वायत्त निकाय)



कानून विद्यापीठाने प्रकाशित केलेले पुस्तक

१९

मुंबई

मुंबई येथील कानून विद्यापीठात प्रकाशित केलेले पुस्तक

१९५०

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		(V)
विहंगावलोकन		(VII)
अध्याय I		
सामान्य	1	1
अध्याय II		
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	2	4
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद		
विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन	3	51
ब्याज की हानि	4	86
निधियों का अवरोधन	5	88
कैसेट एवं टू-इन-वन सैटों की खरीद	6	90
भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद	7	91
हैदराबाद विश्वविद्यालय	8	119
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय		
माल गोदाम तथा कार्यालय खंडों का निर्माण	9	140
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान		
भूमि का अधिग्रहण तथा भवनों का निर्माण	10	142
दिल्ली विश्वविद्यालय		
अनियमित भुगतान	11	143
नवोदय विद्यालय समिति		
ठेकेदार को अग्रिम भुगतान	12	145

	पैराग्राफ	पृष्ठ
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर		
अपर्याप्त रोकड़ प्रबंध	13	146
क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालय, सिल्चर		
निष्क्रिय परिव्यय	14	147
योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली		
लेवी सीमेंट की गैर-अधिप्राप्ति के कारण हानि	15	147
(संस्कृति विभाग)		
एशियाई समिति	16	149
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय		
अस्थायी नाट्यशाला की कार्यशाला का निर्माण	17	163
ललित कला अकादमी		
निधियों का परिहार्य अवरोधन	18	166
साहित्य अकादमी		
निधियों का अवरोधन	19	167
बाल भवन समिति, नई दिल्ली		
निधियों का अग्रिम जमा कराया जाना	20	168
ठेकेदार को अनभिप्रेत लाभ	21	169
(महिला एवं बाल विकास विभाग)		
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान		
विद्युत प्रभारों पर अतिरिक्त व्यय	22	171
भूतल परिवहन मंत्रालय		
(पत्तन शाखा)		
विशाखापट्टनम पत्तन न्यास	23	171
बम्बई पत्तन न्यास		
दो गोदी कर्षनावों का चालू न किया जाना	24	196
निरर्थक निवेश	25	198

	पैराग्राफ	पृष्ठ
कलकत्ता पत्तन न्यास		
निकर्षण पर निष्फल व्यय	26	200
पूरी मरम्मत पर परिहार्य व्यय	27	201
चूककर्ता ठेकेदारों से प्राप्यों की गैर वसूली	28	202
कोचीन पत्तन न्यास		
परिहार्य अतिरिक्त व्यय	29	204
जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, बम्बई		
पत्तन शुल्कों की गैर वसूली	30	205
एक ठेकेदार को अदेय लाभ	31	206
नया मंगलौर पत्तन न्यास		
घाट शुल्क दरों का कम उद्ग्रहण	32	208
वाणिज्य मंत्रालय		
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	33	209
रबर बोर्ड कोर्टाद्यम		
निष्फल व्यय	34	229
मसाला बोर्ड, कोची		
भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान		
काम्पलैक्स का निर्माण	35	230
जल संसाधन मंत्रालय		
ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गोहाटी	36	231
समाज कल्याण मंत्रालय		
अस्थि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, कलकत्ता	37	246
श्रम मंत्रालय		
कर्मचारी राज्य बीमा निगम		
अस्पताल भवन का निर्माण	38	255
अस्पताल को चालू करने में विलम्ब	39	258

	पैराग्राफ	पृष्ठ
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद		
भवन का निर्माण	40	259
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान		
लिथोट्रिप्टर मशीन की खरीद	41	261
मानव संसाधन विकास मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
चिकित्सा शास्त्र विश्वविद्यालय कॉलेज		
चलते फिरते वाहनों का उपयोग न किया जाना	42	262
गृह मंत्रालय		
उत्तरी-पूर्वी परिषद		
सौर तापीय जल प्रणाली चालू करने में विलम्ब	43	263
कपड़ा मंत्रालय		
जूट निर्माण विकास परिषद कलकत्ता		
सीमेंट फैक्ट्रियों को दिया गया अनभिप्रेत लाभ	44	264
परिशिष्ट		
बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र		267


प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

31 मार्च 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तों) के अधिनियम, 1971 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (1991 की प्रतिवेदन सं. 2 में शामिल किए गए वैज्ञानिक विभागों को छोड़कर) की नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्ष इस प्रतिवेदन में उल्लिखित हैं।

2. इस प्रतिवेदन में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित पर पुनरीक्षण सम्मिलित है:

- (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
- (ख) विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन,
- (ग) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली,
- (घ) हैदराबाद विश्वविद्यालय,
- (ङ) एशियाई समिति, कलकत्ता,
- (च) विशाखापट्टनम पत्तन न्यास,
- (छ) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली,
- (ज) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गोहाटी, तथा
- (झ) अस्थि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, कलकत्ता

3. लेखापरीक्षा किए गए संगठन स्वायत्त निकाय हैं, जो कि स्वरूप तथा अनुशासन में भिन्न हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित स्वायत्त निकायों से संबंधित मामले उन में से हैं जो वर्ष 1989-90 के दौरान लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये इसके साथ-साथ वे भी जो पूर्व वर्षों में देखने में आये थे, परन्तु पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका; जहां आवश्यक समझा गया, 1989-90 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी शामिल किए गए हैं।



विहंगावलोकन

31 मार्च 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में नौ पुनरीक्षण सहित 44 पैराग्राफ सम्मिलित हैं। प्रतिवेदन में विशेष रूप से उल्लिखित मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है:-

I. सामान्य

स्वायत्त निकाय, जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, के लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किये जाते हैं।

1989-90 के दौरान, भारत सरकार ने विभिन्न स्वायत्त निकायों को 1456.03 करोड़ रु. अनुदान के रूप में तथा 487.84 करोड़ रु. कर्जों के रूप में दिये। इसके अतिरिक्त, 10 विश्वविद्यालयों ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्रीय सरकार से अनुदान के रूप में 184.95 करोड़ रु. प्राप्त किये। 84 निकायों (वैज्ञानिक विभागों के अन्तर्गत आने वाले निकायों को छोड़कर) में से 31 के वार्षिक लेखे, जिनके लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार व सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14(1) तथा 14(2) के अन्तर्गत की जानी थी, प्राप्त नहीं हुए थे। आगे, वर्ष 1988-89 के लिए, 177 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों

में से, जिनके लेखों के साथ-साथ उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित थे, 92 निकायों के लेखे तीन महीनों की निर्धारित समयावधि के बाद, छः महीनों तथा अधिक की अवधियों के विलम्ब से प्राप्त हुए थे तथा सात निकायों के लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।

1976-77 से 1986-87 के दौरान, विभिन्न निकायों को जारी किये गये अनुदानों के सम्बन्ध में मार्च 1990 में 1140.42 करोड़ रु. की राशि के 17067 उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थे। इससे यह इंगित हुआ कि अनुदानों को जारी करने वाले प्राधिकारियों ने उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति पर समुचित नियंत्रण नहीं रखा था।

(पैराग्राफ I.)

II. मानव संसाधन विकास मंत्रालय

शिक्षा विभाग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग:- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रारंभिक रूप से भारत सरकार के संकल्प के अन्तर्गत दिसम्बर 1953 में स्थापित किया गया था तथा बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार सामूहिक निकाय के रूप में नवम्बर 1956 में पुनर्गठित किया गया था। वि.अ.आ. के मुख्य

उद्देश्य, विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास एवं समन्वयन, विश्वविद्यालयों में शिक्षा एवं अनुसंधान के स्तरों को सुनिश्चित करना तथा बनाये रखन है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1985-86 से 1989-90 के दौरान योजनागत तथा योजनेत्तर के अधीन 1491.66 करोड़ रु. का व्यय किया था। वि.अ.आ. ने योजनागत और योजनेत्तर गतिविधियों हेतु मुख्य कार्यक्रमवार या योजनावार बजट अनुमान तैयार नहीं किये थे। इसके द्वारा निधिपोषित अधिकतर योजनाओं के लिये प्रत्यक्ष लक्ष्य भी नियत नहीं किये गये थे। छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के संबंध में चालू करने का वर्ष तथा योजना परिव्यय की राशि के बारे में सूचना भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।

विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को संस्वीकृति उपरान्त अनुदानों की अदायगी जारी करने में भारी विलम्ब देखे गये थे। संस्वीकृतियों की राशियां, जिनके लिये बिल प्राप्त नहीं हुए थे तथा प्राप्त हुए बिलों की राशियां, जिनके लिये अदायगियां नहीं की गई थीं, दोनों में वर्षों के दौरान वृद्धि हो गई थीं। नमूना जांच किये गये 554 मामलों में, बिलों की प्राप्ति से अदायगी को जारी करने में लिया गया समय 15 से 180 दिनों के बीच था।

सरलीकृत प्रक्रिया को अपनाने के बावजूद भी 829.74 करोड़ रु. के लिये कुछ मामलों में

1958-59 से उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी नहीं किये गये थे (अक्तूबर 1990)। वि.अ.आ. ने लेखों के बकाया लेखापरीक्षित विवरण, जो संवितरित अनुदानों हेतु विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से प्राप्त नहीं हुए थे, के वर्षवार विश्लेषण तैयार नहीं किये।

वि.अ.आ. ने आयोग के अधिनियम में निर्दिष्ट अनुसार वित्तीय आवश्यकताओं या शिक्षण स्तर का पता लगाने के उद्देश्य हेतु मार्च 1989 तक स्थापित 144 विश्वविद्यालयों में से एक का भी निरीक्षण नहीं किया था। 1980-89 के दौरान स्थापित किये गये 36 नये विश्वविद्यालयों में से 12 वि.अ.आ. के परामर्श के बिना स्थापित किये थे तथा दो वि.अ.आ. की सलाह के विरुद्ध स्थापित किये थे। वि.अ.आ. की प्रबोधन और मूल्यांकन प्रणाली अपर्याप्त थी। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों के योजनावार विवरण तैयार नहीं किये गये थे। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यचालन की जांच पड़ताल करने हेतु नियुक्त की गई समितियों ने अपना कार्य पूरा नहीं किया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावों के प्रतिपादन के लिये कोई पर्यवेक्षी समितियां नियुक्त नहीं की गई थीं।

वि.अ.आ. ने 1985-86 से 1988-89 के दौरान समूह संचार तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर 8.58 करोड़ रु. का व्यय किया था। योजना के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों को स्थापित करने के लिये लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। शैक्षिक माध्यम से अनुसंधान केन्द्रों तथा श्रव्य दृश्य

अनुसंधान केन्द्रों द्वारा कार्यक्रमों का निर्माण अपेक्षा से नीचे रहा था। श्रव्य दृश्य केन्द्र, श्रीनगर जिसे अप्रैल 1987 में 21 लाख रु. अदा किये गये थे, ने अभी तक एक भी कार्यक्रम तैयार नहीं किया था। श्रव्य/दृश्य कैसेटों के रूप में 15 विषयों में मॉडल पाठ्यक्रम सामग्री के कार्यक्रम तैयार नहीं किये गये थे। यद्यपि स्कूल पूर्व बाल टेलीविजन परियोजना हेतु संस्वीकृत 30 लाख रु. के प्रति 45 लाख रु. व्यय किये गये थे, एक भी एपिसोड दूरप्रसारित नहीं किया गया था।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अवस्थापना के सुदृढीकरण हेतु 1983-84 में प्रारंभ हुई एक योजना के अंतर्गत, वि.अ.आ. ने 1989-90 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को 50.11 करोड़ रु. जारी किये थे। 1988-89 तक जारी की गई सहायता के प्रति 33.32 करोड़ रु. के लिये उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थे (सितम्बर 1989)। वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के संकाय सदस्यों को, विज्ञान, मानविकी तथा समाज विज्ञान तथा इंजिनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में स्पष्ट रूप से परिभाषित मुख्य अनुसंधान परियोजना प्रारंभ करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिये, वित्तीय सहायता की एक योजना के अन्तर्गत मार्च 1990 तक 32.86 करोड़ रु. जारी किये गये थे। वि.अ.आ. द्वारा इन परियोजनाओं की वार्षिक रिपोर्टों की प्राप्ति का प्रबोधन नहीं किया गया था। नमूना जांच की गई

169 परियोजनाओं में से 37 के संबंध में एक भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

वि.अ.आ. ने 1985-89 के दौरान मानव शक्ति प्रशिक्षण के लिये संगणक सुविधाओं तथा संगणक शिक्षा के विकास हेतु क्रमशः 12.32 करोड़ रु. और 5.51 करोड़ रु. मुहैया कराये थे। 28 विश्वविद्यालयों, जिन्हें 1985-86 से आगे संगणक पाठ्यक्रम चलाने के लिये 92.05 लाख रु. अदा किये गये थे,ने कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया था।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में नई या अतिरिक्त व्यायाम सुविधाएँ प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों में तथा कालेज स्तर आदि पर पर्याप्त शिक्षण की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय खेलकूद संगठन कार्यक्रम के अन्तर्गत मंत्रालय से उनके द्वारा प्राप्त की गई केन्द्रीय सहायता में से, वि.अ.आ. के पास 5.44 करोड़ रु. की राशि अनुपयुक्त पड़ी थी। निर्मित की गई व्यायामशालाएँ तथा वास्तव में विकसित किये गये खेल मैदानों जिनके लिये विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को मार्च 1989 तक 2.36 करोड़ रु. जारी किये गये थे, की संख्या वि.अ.आ. द्वारा सूचित नहीं की गई थी। पांच विश्वविद्यालयों में से एक तथा छः महाविद्यालयों में से केवल दो जिन्हें शारीरिक शिक्षा में तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम हेतु अनुदानें दी गई थी, मार्च 1989 तक पाठ्यक्रम शुरू कर सके थे।

1987-88 तथा 1988-89 के दौरान

कालेजों को स्वायत्त स्तर प्रदान करने के संबंध में नियत किये गये लक्ष्य केवल 32 और 15 प्रतिशत की सीमा तक ही प्राप्त किये गये थे। 35 राज्य विश्वविद्यालयों में से 9 तथा 6912 महाविद्यालयों में से केवल 136 ने पुनर्संरचित पाठ्यक्रम प्रारंभ किये थे जिनके लिये वि.अ.आ. ने मार्च 1990 तक 4.69 करोड़ रु. मुहैया कराये थे।

वि.अ.आ. ने "भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की तैयारी" योजना के अन्तर्गत मार्च 1989 तक 1.11 करोड़ रु. जारी किये थे। वि.अ.आ. द्वारा निधिपोषित 1035 परियोजनाओं में से मार्च 1989 तक केवल 350 ही पूरी की गई थी; 2 से 17 वर्षों के विलम्ब के बाद अधिक से अधिक 257 पुस्तकें पूरी हुई थीं, तथा केवल 185 पुस्तकें वास्तव में प्रकाशित की गई थीं।

(पैराग्राफ-2)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन:-
विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन (वि.क.सा.त.अ.) मुहैया कराने हेतु परियोजना जो कि 1984-85 में 250 विद्यालयों तक सीमित एक मार्गदर्शी परियोजना के रूप में प्रारम्भ की गई थी, बजट में वार्षिक आबंटन के आधार पर जारी रही थी। यद्यपि 1989-90 तक वहन किया गया 31.48 करोड़ रु. का व्यय मंत्रालय की वित्तीय शक्तियों से बाहर था, परियोजना पर मंत्रीमंडल का

कार्योत्तर अनुमोदन केवल मई 1990 में प्राप्त किया गया था। मंत्रालय ने स्वीकार किया था कि विद्यालयों के चयन, हार्डवेयर की प्रतिस्थापना, कम्प्यूटर प्रणाली का कार्य न करना, इत्यादि जैसे परियोजना के कार्यान्वयन में कई कमियां इस तथ्य पर कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नियमित आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका था आरोप्य थीं।

मार्च 1990 तक मंत्रालय द्वारा वहन किए गए 3148.25 लाख रु. के कुल व्यय में से 973.42 लाख रु., राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.), कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम (क.अ.नि.) तथा अर्ध संचालन परिसर लिमिटेड (अ.सं.लि.) के पास अप्रयुक्त पड़े रहे। मार्च 1989 तक 24 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अदा किए गए 119.31 लाख रु. में से 47.16 लाख रु. उनके पास असंवितरित पड़े रहे जो अदा की गई राशि का 40 से 70 प्रतिशत अथवा अधिक बनते थे। मंत्रालय द्वारा राज्यों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किये गए थे। कई मामलों में राज्य सरकारों द्वारा विद्यालयों को जो परियोजना को कार्यान्वित नहीं करते थे अथवा जिन में कम्प्यूटरों की संस्थापना नहीं की गई थी या ऐसे विद्यालय थे जो कक्षाएं आयोजित नहीं कर रहे थे, निधियां जारी की गई थी। विद्यालयों द्वारा निधियों के दुरुपयोग के मामले भी लेखापरीक्षा में देखे गए थे।

रा.शै.अ.प्र.प. के पास, जिसने मार्च 1990 तक संसाधन केन्द्रों को 164.96 लाख रु. अदा किए थे, संसाधन केन्द्रों द्वारा वास्तव में वहन किए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं थी। लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच ने यह दर्शाया कि 30 संसाधन केन्द्रों को जारी किए गए 65.88 लाख रु. में से 20.87 लाख रु. (32 प्रतिशत) बिना खर्च किए पड़े रहे; 33.03 लाख रु. के लेखों की लेखापरीक्षित विवरणियां नमूना जांच किए गए 13 संसाधन केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थीं।

विद्यालयों की सूची को प्रतिवर्ष विलम्ब से अन्तिम रूप दिया गया था जिससे चयनित विद्यालयों में कम्प्यूटरों की अधिप्राप्ति तथा संस्थापना में देरी हुई। परिणामतः, मार्च 1989 तक चयन किए गए 2327 विद्यालयों के प्रति भी मार्च 1990 तक, केवल 1694 विद्यालयों में कम्प्यूटर संस्थापित किए गए थे। 5.47 लाख विद्यार्थियों की संख्या के प्रति जिन्हें कि प्रशिक्षित किया जा सकता था, वास्तव में केवल 74387 (13 प्रतिशत) ही नामांकित हुए थे।

हार्डवेयर की अधिप्राप्ति आवश्यकता से कम पड़ गई थी तथा कम्प्यूटर का अप्रतिष्ठापन 37 प्रतिशत तक उच्च था। संसाधन केन्द्रों में कम्प्यूटरों की प्राप्ति तथा उनके विद्यालयों को प्रेषण करने के बीच अन्तराल 2 से 12 मास के बीच था तथा विद्यालयों में कम्प्यूटरों की प्राप्ति तथा क.अ.नि.द्वारा उनकी प्रतिष्ठापना के बीच यह 2

से 27 मास के बीच था। नमूना जांच किए गए 228 में से 52 विद्यालयों ने हार्डवेयर में त्रुटियां सूचित की थीं जिनके कारण सिस्टम एक वर्ष में 30 दिन अथवा इससे अधिक तक निष्क्रिय रहा था। आठ विद्यालयों में कम्प्यूटर इनकी प्रतिष्ठापना के दिन से कार्य नहीं कर रहे थे, जबकि अन्य विद्यालयों में कम्प्यूटर, एक से 39 महीनों के बीच की अवधि तक निष्क्रिय रहे थे।

रा.शै.अ.प्र.प. ने सॉफ्टवेयर पैकेज अधिकतर एकल निविदा आधार पर खरीदे थे। 12.93 लाख रु. हेतु खरीदे गये सॉफ्टवेयर पैकेज अप्रयुक्त पड़े रहे। त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयरों की खरीद जो कि उपयोग में नहीं लाए जा सके थे की परिणति 9.93 लाख रु. के निष्फल व्यय के रूप में हुई। सॉफ्टवेयर की खरीद में 11.15 लाख रु. के परिहार्य अतिरिक्त व्यय के मामले भी ध्यान में आए थे। सॉफ्टवेयर की कई मद्दे, प्रशिक्षण के अभाव, प्रशिक्षित अध्यापकों के स्थानान्तरण, नए कार्यक्रम के अभाव, प्रतिष्ठापना में विलम्ब तथा त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयरों के कारण अप्रयुक्त पड़ी रहीं थी। वि.क.सा.त.अ. कार्यक्रम के क्षेत्र से बाहर "अन्यों" के 97 कम्प्यूटर प्रणालियां तथा 938 सॉफ्टवेयर पैकेज आपूर्त किये गये थे।

एक संसाधन केन्द्र से संलग्न विद्यालयों की औसत संख्या 1984-85 में 6 से 1989-90 में 42 तक बढ़ गयी थी जो कि 20 से 25 विद्यालयों के मानक से कहीं बहुत अधिक थी। यह

आवश्यकता कि विद्यालय एक संसाधन केन्द्र से लगभग 100 किलोमीटर के अन्दर स्थित होना चाहिए, भी पूरी नहीं की गई थी। इस प्रकार संसाधन केन्द्र अत्यधिक दूर-दूर फैले हुए थे। अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी भी ध्यान में आई थी क्योंकि संसाधन केन्द्रों की बहुत बड़ी संख्या कार्य नहीं करती थी तथा जो कार्यरत थे वे अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित नहीं करते थे। मार्च 1989 तक चयनित विद्यालयों हेतु प्रशिक्षित किए जाने वाले 6981 अध्यापकों के प्रति मार्च 1990 तक केवल 5108 अध्यापक प्रशिक्षित किए जा सके थे। कुछ को छोड़ कर संसाधन व्यक्ति सम्पर्क के उद्देश्य तथा सहायता प्रदान करने हेतु विद्यालयों में नहीं गए थे। कुछ संसाधन केन्द्रों में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु परियोजना शिक्षावृत्तिभोगी नियुक्त नहीं किए गए थे अथवा रिक्तियां नहीं भरी गई थीं।

विद्यालयों में परियोजना का कार्यान्वयन मानकों से कम पड़ गया था क्योंकि अधिकतर विद्यालय परियोजना में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे; कम्प्यूटर कक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी; नामांकित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बारे में निर्धारित पाठ्यक्रम, आयोजित की जाने वाली कक्षाएं इत्यादि का अनुसरण नहीं किया गया था। नामांकित किए गए विद्यार्थियों की संख्या 3 से 450 के बीच थीं। कुछ विद्यालयों में आन्ध्र प्रदेश में 18 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल में 20 से 75

प्रतिशत के बीच, छोड़ कर जाने वाले मामले भी थे।

परियोजना के प्रबोधन में रा.शै.अ.प्र.प. का आवेष्टन अल्पतम दिखाई देता था तथा निधियों के आबंटन तक सीमित था।

(पैराग्राफ-3)

ब्याज की हानि:- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) ने सामान्य भविष्य निधि के संचयन तथा पाठ्य पुस्तकों तथा प्रकाशनों की बिक्री की आय से प्राप्त हुए 417.50 लाख रुपए के रोकड़ आधिक्य को मार्च 1982 से जून 1989 के दौरान विभिन्न तिथियों को सरकारी प्रतिभूतियों तथा लघु अवधि जमा राशियों में निवेशित किया। देय तिथियों पर ब्याज को वसूल करने और/या राशि को विवेकपूर्ण तरीके से पुनर्निवेशन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 24.17 लाख रुपए के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ-4)

निधियों का अवरोधन:- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) ने, विस्तृत अनुमानों तथा विवरणों के निपटान के बिना शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा शिक्षण सहायता विभाग दोनों के लिए अपने परिसर के अन्दर एक भवन के निर्माण के लिए सितम्बर 1976 तथा सितम्बर 1977 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) के पास क्रमशः 10 लाख रु. तथा 15 लाख रु. जमा किये। तथापि, निर्माण कार्य

प्रारम्भ नहीं किया जा सका। रा.शै.अ.प्र.प. ने उसी भवन के निर्माण के लिए बिना किसी अनुमान के अप्रैल 1983 में आकाशवाणी (आ.वा.)के पास 30 लाख रु. की अन्य राशि जमा की। क्योंकि आ.वा. के पास बाह्य निर्माण कार्यों को प्रारम्भ करने की क्षमता नहीं थी, अन्ततः भवन का निर्माण अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से करवाया गया तथा अगस्त 1989 में अधिग्रहीत किया गया।

(पैराग्राफ-5)

कैसेट एवं टू-इन-वन सैटों की खरीद:- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) का केन्द्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान (के.शै.प्रौ.सं.) जो कि रेडियो प्रसारणों के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर, प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण पर एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा था ने, रेडियो योजना को ऑडियो कैसेट प्रणाली में परिवर्तित करने का निर्णय लिया तथा नवम्बर 1986 में 7.56 लाख रुपए की कुल लागत से आडियो कैसेटों पर 77 कार्यक्रमों की अनुलिपि (प्रत्येक कार्यक्रम की 500 प्रतियां अर्थात् 38,500 कैसेट) के आदेश दिये। यद्यपि 35000 कैसेटों की आपूर्ति मार्च 1987 से पहले तथा 3500 कैसेटों की जून 1987 से पहले की जानी थी, के.शै.प्रौ.सं. ने फर्म को सामग्री (कार्यक्रम) की आपूर्ति में अक्टूबर 1987 तक विलम्ब किया परिणामतः फर्म आपूर्ति केवल जून 1988 तक पूरी कर सकी। के.शै.प्रौ.सं. ने नवम्बर 1986 में 30

नवम्बर 1986 से पहले आपूरित करने के लिए 550 टू-इन-वन सैटों (लागत 4.08 लाख रुपए) हेतु आदेश दिया। फर्म ने फरवरी 1987 में टू-इन-वन सैटों की आपूर्ति की। 417 विद्यालयों में के.शै.प्रौ.सं. द्वारा फरवरी 1990 में किये गए मूल्यांकन अध्ययन ने दर्शाया कि 48 प्रतिशत टू-इन-वन सैट काम करने की स्थिति में नहीं थे और अन्य 10 प्रतिशत विद्यालयों में त्रुटिपूर्ण विद्युत आपूर्ति के कारण सैट कार्य नहीं कर रहे थे। इस प्रकार कैसेटों की विलम्ब से आपूर्ति, टू-इन-वन सैटों की विफलता तथा त्रुटिपूर्ण विद्युत आपूर्ति के कारण ओडियो कैसेटों के माध्यम से हिन्दी शिक्षण में के.शै.प्रौ.सं. के उद्यम को हानि उठानी पड़ी।

(पैराग्राफ-6)

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, एक पंजीकृत समिति, समाज विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को प्रायोजित करने, व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अनुदानों की व्यवस्था करने इत्यादि के उद्देश्य के साथ अगस्त 1969 में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्वीकृत की जाने वाली 650 अनुसंधान परियोजनाओं के लक्ष्य के प्रति, परिषद ने केवल 457 परियोजनाएं संस्वीकृत की थी। 50 से 71 प्रतिशत प्रस्ताव किसी न किसी कारण से परिषद के विचाराधीन पड़े रहे। 1984-85 तथा 1989-90 के बीच विचाराधीन

प्रस्तावों की संख्या 37 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। 1987-88 तक संस्वीकृत 388 परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्टें जो कि मार्च 1990 के अन्त तक देय थी, प्राप्त नहीं हुई थी। 332 परियोजनाओं के सम्बन्ध में 77.53 लाख रु. राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित थे; इन में से 54 लाख रु. की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र 5 से 20 वर्षों तक लम्बित थे।

परिषद ने 30 सितम्बर 1990 को देय आठ में से केवल दो की राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति रिपोर्टें प्राप्त की थीं। परिषद ने 1976-77 से आगे वरिष्ठ शिक्षावृत्ति तथा सामान्य शिक्षावृत्ति के 45 मामलों के सम्बन्ध में 21.92 लाख रु. के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए थे। लघु अवधि डाक्टरीय शिक्षावृत्ति हेतु तथा आकस्मिक अनुदान के रूप में अदा किए गए 23.01 लाख रु. के उपयोगिता प्रमाणपत्र भी प्रतीक्षित थे।

परिषद ने अनुसंधान सर्वेक्षण के समापन के लिए कोई समय अनुसूची निर्धारित नहीं की थी, 1981 में प्रारम्भ किए गए सर्वेक्षण अभी तक सम्पन्न नहीं किए गए थे। भंडार में 158 डाटा सैटों में से, 1985-90 के दौरान केवल तीन डाटा सैट प्रयोग में लाए गए थे।

58 चल रही परियोजनाओं को चल रही परियोजनाओं के रूप में नहीं दिखाया गया था तथा संस्थान की वार्षिक रिपोर्टों से अलग कर दी गयी थीं। परिषद ने 1985-90 के दौरान छः क्षेत्रीय

केन्द्रों को 123.19 लाख रु. की सहायता मुहैया कराई थी। इन केन्द्रों के स्तर के सम्बन्ध में मामले को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

66.48 लाख रु. बिक्री मूल्य के प्रकाशनों का भारी भंडार एकत्र हो गया था; अनबिके प्रकाशनों का 55 प्रतिशत 1972-80 से सम्बन्धित था।

परिषद ने अपने भवन के निर्माण में कई अनियमितताएं की थीं। परिषद का उस भूमि पर हक नहीं था जिस पर भवन का निर्माण प्रारम्भ किया गया था तथा जिसके लिए इसने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) को अक्टूबर 1990 तक 303.19 लाख रु. का भुगतान किया था। मंत्रालय की सलाह के विरुद्ध निर्माण कार्य एक निजी वास्तुविद् तथा रा.भ.नि.नि. को सौंपा गया था। परिषद ने रा.भ.नि.नि. को अनावश्यक तथा अतिरिक्त वित्तीय सहायता अनुमत की थी और वास्तुविद् फीस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 3 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की उच्चतर दर पर अदा की थी। निर्माण कार्य जो अक्टूबर 1988 तक समाप्त कर दिया जाना अपेक्षित था, अभी तक प्रगति में था। निर्माण कार्य में विलम्ब के परिणामस्वरूप, परिषद ने 3.96 लाख रु. प्रति वर्ष की दर से भवन के किराए पर व्यय, करना जारी रखा।

(पैराग्राफ-7)

हैदराबाद विश्वविद्यालय

1989-90 में एम.फिल. पाठ्यक्रम हेतु 219

विद्यार्थियों की अन्तर्ग्रहण क्षमता के प्रति 23 प्रतिशत की कमी दशति हुए वास्तविक नामांकन 168 विद्यार्थी का था। 1987-88 में पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में 9 प्रतिशत की कमी 1989-90 में 20 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। अनुशसित 1:10 के अनुपात के प्रति, 1985-86 से 1989-90 के दौरान शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:7 से 1:8 के बीच रही। जुलाई 1980 में 15.64 लाख रु. की लागत पर अधिप्राप्त एक लिक्विड होलियम संयंत्र जनवरी 1989 में प्रारम्भ किया गया था। 1976 से 1978 के दौरान 24.16 लाख रु. की लागत पर आयातित तथा 1979-80 में प्रतिष्ठापित सहायक पुर्जों सहित एक मास स्पेक्ट्रोमीटर का कोई लाभकारी प्रयोग नहीं किया गया था। 65 लाख रु. की लागत से स्थापित कम्प्यूटर केन्द्र पर 1989-90 में औसत उपयोग समय 76 प्रतिशत था।

विश्वविद्यालय ने 1986-90 के दौरान ऊर्जा संयंत्र प्रदर्शन कार्यक्रम हेतु गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग से 33.98 लाख रु. का अनुदान प्राप्त किया था, परन्तु तिथि जब से योजना परिणाम देना प्रारम्भ करेगी, अनिश्चित थी। पांच योजनाओं पर, अन्य अनुदानों के अव्ययित शेषों से वहन किया गया 10.32 लाख रु. का व्यय चार वर्षों से अधिक समय तक अनाच्छादित पड़ा रहा।

(पैराग्राफ-8)

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

मालगोदाम तथा कार्यालय खंडों का निर्माण:-

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) को अपने कैम्पस की स्थापना के लिए सितम्बर 1985 तथा दिसम्बर 1987 में भूमि आबंटित की गई थी। दिसम्बर 1985 में व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) के निर्णय के अनुसार, कैम्पस के सभी निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) के माध्यम से निष्पादित किये जाने थे। परन्तु विश्वविद्यालय ने निर्माण कार्य दिल्ली प्रशासन के लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) को सौंप दिया तथा सितम्बर 1987 में इसके पास 72 लाख रु. जमा किये। मई 1988 में, विश्वविद्यालय ने, 189.23 लाख रु. की अनुमानित लागत से अस्थायी ढांचे (छः कार्यालय खंड) तथा माल गोदाम (तीन खंड) के निर्माण का कार्य फरवरी 1989 तक समाप्त होने के लिए, हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड (हि.प्रि.लि.) को सौंप दिया। लो.नि.वि. ने, लो.नि.वि. द्वारा निर्मित किये जाने वाले अहाता दीवार के निर्माण से सम्बन्धित 1.45 लाख रु. सहित विभागीय प्रभारों के लिए 5.89 लाख रु. की कटौती करने के बाद मई 1988 में 66.11 लाख रु. वापिस कर दिये। इस प्रकार से 66.11 लाख रु. की राशि की निधियां लो.नि.वि. के पास छः महीनों से अधिक अवरोधित रहीं तथा किसी निर्माण कार्य के निष्पादन के बिना विभागीय प्रभारों के लिए नि.वि.

द्वारा रखे गये 4.44 लाख रु. का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

विश्वविद्यालय ने हि.प्रि.लि.को कार्य पूरा किये जाने की अनुसूचित तिथि अर्थात् फरवरी 1989 तक 66.23 लाख रु. का तथा जून 1990 तक 178.69 लाख रु. का कुल भुगतान किया था। निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था (जून 1990)। निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण, विश्वविद्यालय ने मार्च 1990 तक अपने कार्यालयों के लिए किराये पर 39.21 लाख रु. का व्यय किया तथा इस पर अभी भी आगे प्रति माह 0.86 लाख रु. का व्यय कर रहा था।

(पैराग्राफ-9)

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

भूमि का अधिग्रहण तथा भवनों का निर्माण:-
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने कार्यालय भवन के निर्माण के लिए, मार्च 1986 में जयपुर में 7.27 एकड़ भूमि की लागत हेतु 15.48 लाख रुपए का भुगतान किया। तथापि, संगठन ने भूखण्ड का कब्जा केवल फरवरी 1990 में लिया। इस प्रकार निर्माण में देरी करने तथा मार्च 1986 में भूमि की लागत के लिए भुगतान की गई 15.48 लाख रुपए के समय पूर्व उपयोग से राशि अवरुद्ध रही। इसके अतिरिक्त संगठन जयपुर में अपने कार्यालय भवन के किराये पर प्रतिवर्ष 1.82 लाख रुपए का व्यय भी वहन कर रहा था।

संगठन ने अक्टूबर 1986 तथा मार्च 1988 के बीच केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित करने हेतु भूमि के आबंटन के लिए कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण कलकत्ता (क.म.वि.प्रा.) को 27.08 लाख रुपए का भुगतान किया। क.म.वि.प्रा. ने संस्थान को जनवरी 1988 में 1.79 एकड़ भूमि आबंटित की। क्योंकि कलकत्ता में विद्यापीठ की स्थापना के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई 1988 में अस्वीकार कर दिया गया था इसलिए संस्थान ने अभी तक (जून 1990) भूमि का कब्जा नहीं लिया था। इसके परिणामस्वरूप जून 1990 तक 6.99 लाख रुपए के परिणामी व्याज की हानि सहित 27.08 लाख रुपए की संस्थान की निधियां अवरुद्ध रहीं।

(पैराग्राफ-10)

दिल्ली विश्वविद्यालय

अनियमित भुगतान:- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अप्रैल 1985 में, जनवरी 1973 से प्रभावित, दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमानों के संशोधन का अनुमोदन किया। यद्यपि वेतनमान का संशोधन इस शर्त पर किया गया था कि इसके लिए कोई बकाया नहीं दिये जायेंगे तथा यह अभिकल्पित संशोधन माना जायेगा, विश्वविद्यालय ने, तिस पर भी, कर्मचारियों को अप्रैल 1985 तक के बकायों के भुगतान का आदेश दिया।

(पैराग्राफ-11)

संस्कृति विभाग

एशियाई समिति:- वर्ष 1784 में स्थापित एशियाई समिति, संसद के एक अधिनियम के माध्यम से जनवरी 1984 में राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया में मानविकी तथा विज्ञान में अनुसंधान को आयोजित तथा प्रोत्साहित करना तथा नये अनुसंधान संस्थान, वाचनालय, अजायबघर इत्यादि की स्थापना करना है।

समिति ने 1985-90 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों पर 2.25 करोड़ रु. का व्यय किया। सातवीं योजना अवधि के पहले वर्ष के दौरान प्रारम्भ किये गये आठ संस्थाओं/ केन्द्रों तथा चार अनुसंधान परियोजनाओं में से सात संस्थाओं तथा सभी चार अनुसंधान परियोजनाओं ने 20.18 लाख रु. का व्यय करने के बाद 1988 में कार्य बीच में बन्द कर दिया। 1985-86 से 1987-88 के दौरान शिक्षण केन्द्रों तथा अनुसंधान योजनाओं के लिए नियुक्त 33 विद्वानों में से बारह ने अपनी अवधि पूरी होने से पहले ही समिति छोड़ दी। उनको प्रदत्त 2.70 लाख रु. की राशि वसूल नहीं की जा सकी।

अगस्त 1985 में समिति द्वारा स्थापित उच्चतर संस्कृत शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान न तो समिति के योजना बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया गया था, न ही सातवीं पंचवर्षीय योजना के संशोधित प्रारूप में शामिल किया गया था। संस्थान

पर व्यय किये गये 4.60 लाख रु. में से 3.95 लाख रु. अप्राधिकृत निधियों के विपथन द्वारा पूरे किये गये थे। संस्थान को अंततः बंद करना पड़ा था।

मार्च 1986 में समिति द्वारा हाथ में लिये गये पुराने भवन के पुनरुद्धार तथा मरम्मत कार्य पूरे नहीं किये जा सके, यद्यपि 1988-89 तक ठेकेदार को 26.10 लाख रु. की राशि दी गई थी, इसमें व्यर्थ मजदूरी के लिए 2.13 लाख रु. भी शामिल हैं। समिति ने, प्रोफेसर, रजिस्ट्रार तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति करने में भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेश तथा अपने स्वयं के नियमों का भी उल्लंघन किया।

(पैराग्राफ -16)

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

अस्थायी नाट्यशाला कार्यशाला का निर्माण:- राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (रा.ना.वि.) ने मार्च 1979 में एक अस्थायी नाट्यशाला के निर्माण की योजना बनाई। नाट्यशाला की मांग खण्डशः नियोजित की गई थी तथा संकल्पना, जिसका 4 लाख रु. की अनुमानित लागत में अस्थायी नाट्यशाला के रूप में प्रारंभ हुआ था पूर्णतया वातानुकूलित नाट्यशाला में विकसित हो गई जिसके लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) को पहले ही 72.63 लाख रु. अदा कर दिये गये थे। रा.ना.वि. ने नाट्यशाला को

वातानुकूलित करने का काम हाथ में लिया तथा 34.19 लाख रु. के अनुमोदित अनुमान के प्रति मार्च 1988 से मार्च 1990 के बीच के.लो.नि.वि. के पास 44 लाख रु. जमा किये। निर्माण कार्य, जो कि मार्च 1988 से एक वर्ष के समय में पूरा किया जाना अपेक्षित था, अभी तक पूरा नहीं हुआ था (दिसम्बर 1990)। रा.ना.वि. ने मार्च 1986 में के.लो.नि.वि. को चमकीली टाइलो इत्यादि के लिए 6.61 लाख रु. दिये, जिसके प्रति अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया था (दिसम्बर 1990)। दिसम्बर 1989 में ध्वनि-विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत की गई ध्वनि अभिक्रिया के लिए योजना रा.ना.वि. द्वारा अभी तक अनुमोदित नहीं की गई थी (अगस्त 1990)।

(पैराग्राफ 17)

III भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन खंड)

विशाखापट्टम पत्तन न्यास:- विशाखापट्टम पत्तन न्यास, प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत फरवरी 1964 में गठित किया गया था।

पत्तन न्यास ने 1988 तक 10 मिलियन टन से अनधिक प्रक्षेपित भार के लिए लौह-अयस्क की उतराई चढ़ाई सुविधाओं के सृजन के लिए 110 करोड़ रु. के लगभग निवेश किया था। तथापि, 1987-88 तक औसत भार केवल 5.8 मिलियन टन था, पत्तन न्यास द्वारा प्रक्षेपित आरंभिक प्रत्यक्ष लक्ष्य किया गया भारी निवेश तर्कसंगत नहीं था।

लौह अयस्क संचालन के लिए प्रभार अनुमानित 6.3 मिलियन टन के भार पर निश्चित किये गये थे। पत्तन न्यास के अनुसार, 0.5 मिलियन टन भार के अन्तर के कारण हानि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रु. थी। पत्तन न्यास ने लौह अयस्क संचालन सुविधाओं के लिए प्राप्त किये गये 110.41 करोड़ रु. के कर्जे पर सरकार को 113.25 करोड़ रु. की राशि के अपने ऋण तथा ब्याज आभारों को देने में चूक की थी। पत्तन न्यास ने वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में अयस्क संचालन काम्प्लैक्स में यांत्रिकी विफलता के लिए 2.2 करोड़ रु. का विलम्ब शुल्क प्रभार वहन किया। आगे, वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान लौह अयस्क ले जा रहे रैकों के टिपलिंग में विलम्ब के कारण रेलवे को 71.38 लाख रु. की अतिरिक्त राशि भी दी गई थी।

यांत्रिकी तथा मानवीय विफलता के कारण क्षतिग्रस्त अयस्क संचालन काम्प्लैक्स की कन्वेयर बैल्ट 143.16 लाख रु. की लागत पर बदली गई थी। प्रदूषण के लिए 81.02 लाख रु. की लागत पर स्थापित धूल नियंत्रण प्रणाली का उपयोग केवल 3 प्रतिशत तक था।

1986-87 से 1988-89 के दौरान नौभार संचालन उपस्कर के अवउपयोग की प्रतिशतता 65 से 100 प्रतिशत के बीच थी।

यद्यपि, जलयानों पर पत्तन प्रभार तथा संचालन प्रभार क्रमशः जून 1988 तथा जुलाई

1988 में बढ़ाये गये थे, लौह अयस्क ले जा रहे जल यानों पर मार्च 1989 तक तथा संचालन प्रभार जून 1989 तक पुरानी दरों पर प्रभारित किये जा रहे थे। संशोधित दरों पर प्रभारों की गैर वसूली के फलस्वरूप 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान 463.05 लाख रु. के राजस्व की हानि हुई।

पत्तन न्यास ने आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड को दाण्डिक प्रभारों के रूप में 100.19 लाख रु. दिये, क्योंकि इसने जुलाई 1981 में अधिसूचित 11 के.वी.ए. से 132 के.वी.ए. में बदलने के लिए बोर्ड की मांग का अनुपालन नहीं किया।

(पैराग्राफ-23)

बम्बई पत्तन न्यास

दो गोदी कर्षनावों का चालू न किया जाना:- बम्बई पत्तन न्यास ने बम्बई बन्दरगाह में दो उच्च मुक्तिचालनीय, 10 टन वाले बोलाई पुल डीजल टगों के निर्माण कार्य, आपूर्ति एवं प्रवाहित सुपर्दगी के लिए एक फर्म को फरवरी 1984 में 205.76 लाख रुपए घटा 1.5 प्रतिशत कूट जमा कर एवं शुल्क पर कार्य सौंपा। पहले टग के लिए पूरा होने तथा सुपर्दगी अवधि 15 महीने तथा दूसरे टग के लिए 18 महीने (1984) इंगित की गई थी। प्रथम टग डी.टी. "राजीव" मार्च 1987 में सत्यापित तथा अधिप्राप्त किया गया था। स्थापन समय से टग मुश्किल से एक माह हेतु कार्य में रहा था तथा मार्च 1987 से अप्रैल 1990 तक की शेष अवधि में

निष्क्रिय रहा। ब.प.न्या. ने इन्जन की मरम्मत के पश्चात टग के पुनः चालू करने पर 12.57 लाख रुपए का व्यय वहन किया था। यद्यपि खराबियों गारन्टी अवधि में ही ध्यान में आ गई थी; जहाज निर्माता ने अनिवार्य मरम्मतों को करने से इस आधार पर इन्कार कर दिया कि ब.प.न्या. द्वारा इन्जन की नैत्यक रूप से भी जांच नहीं की गई थी। दूसरा टग जो कि जनवरी 1988 में चालू किया जाना था, जून 1989 में अधिग्रहीत किया गया था। ब.प.न्या. ने टग के रूपान्तरण पर 1.55 लाख रुपए का व्यय भी किया था।

(पैराग्राफ-24)

निष्क्रिय निवेश:- "रोल आन रोल आफ" (रो.रो.) यात्री एवं नौभार सेवा के लिए फैरी व्हार्फ, बम्बई में सम्पर्क पुल बनाने के लिए मार्च 1985 में अनुमानों की संस्वीकृति मांगते हुये, बम्बई पत्तन न्यास (ब.प.न्या.) ने भूतल परिवहन मंत्रालय (मंत्रालय) को सूचित किया कि केवल तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ते.प्रा.गै.आ.) ही सेवा का वास्तविक प्रयोक्ता था तथा वे सेवा के शीघ्रता से आरम्भ करने के लिए दबाव डाल रहे थे। सरकार द्वारा संस्वीकृति सितम्बर 1985 में दी गई तथा सम्पर्क पुल का निर्माण कार्य मार्च 1987 में 152 लाख रुपए की लागत पर पूर्ण हुआ। सेवा को ते.प्रा.गै.आ. द्वारा अक्टूबर 1987 से जनवरी 1988 तक 8.70 लाख रुपए के भुगतान पर थोड़ी सी अवधि के लिए उपयोग किया

गया था, इसके पश्चात, इसे समाप्त कर दिया गया था क्योंकि इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं समझा गया था। तब से यह सुविधा प्रयोक्ताओं के अभाव में निष्क्रिय रही। ब.प.न्या. मरम्मत, अनुरक्षण, मूल्यहास इत्यादि के लिए प्रतिवर्ष 29.39 लाख रुपए के दायित्व को वहन कर रहा था तथा अप्रैल 1987 से आगे नियुक्त किये गए निगरानी कर्मचारियों के लिए वेतन एवं भत्तों पर 8.57 लाख रुपए व्यय कर चुका था (जून 1990 तक)। 152 लाख रुपए की अवरुद्ध निधियों पर अक्टूबर 1990 तक ब.प.न्या. को 86 लाख रुपए की काल्पनिक हानि हुई थी।

(पैराग्राफ-25)

कलकत्ता पत्तन न्यास

निकर्षण पर निष्फल व्यय:- कलकत्ता पत्तन न्यास ने जिगरखाली दलदल के ऊपर से बाढ़ मार्ग को खोलने, जिससे कि हल्दिया तेल घाट (ह.ते.घा.) के परिवेश में गाद भरने की सम्भावनाएं कम हो सकती थी, के लिए भारतीय निकर्षण निगम से जनवरी से मार्च 1989 तक अच्छी मौसम अवधि के दौरान निकर्षण के लिए जनवरी 1989 में एक निकर्षक भाड़े पर लिया। निकर्षण की लागत 380.50 लाख रुपए अनुमानित की गई थी। क्षेपण के कारण ह.ते.घा. की गहराई तथा हल्दिया प्रवेश द्वार पर किसी दुःप्रभाव से बचाव करने के लिए, निकर्षण सामग्री का निपटान तैरती पाइप लाइन के माध्यम से 300/400 मीटर

दूर किया जाना था। भा.नि.नि. ने स्थल पर उपलब्ध केवल 160 मीटर पाइप से ही जनवरी 1989 में कार्य आरम्भ किया। यद्यपि बाद में 200 मीटर अतिरिक्त पाइप लाइन को संचटित किया गया था, यह नदी में बड़े ज्वार भाटे के कारण 160 मीटर पाइप के साथ जोड़ी नहीं जा सकी। कार्य 15 फरवरी 1989 से समाप्त कर दिया गया था।

72 घण्टों के लिए 0.08 मि.घ.मी.मिट्टी उठाने हेतु घण्टा दरों पर संगणित की गई 38.68 लाख रुपए की लागत पर किये गये निकर्षण ने, दलदल के ऊपर से बाढ़ मार्ग के उद्देश्य से उपलब्धि में कोई अंशदान नहीं दिया तथा व्यय निष्फल सिद्ध हुआ। पत्तन न्यास ने भा.नि.नि. को 18.68 लाख रुपए का भुगतान किया तथा 20.00 लाख रुपए की शेष राशि विवादग्रस्त रही।

(पैराग्राफ-26)

पूरी मरम्मत पर परिहार्य व्यय:- सितम्बर 1978 तथा नवम्बर 1979 में, कलकत्ता पत्तन न्यास ने 1952-54 के बीच अधिप्राप्त किये गये विदेश निर्मित 33 वाष्प इंजन बदलने का निर्णय किया क्योंकि ये किफायती मरम्मत से परे थे तथा कतिपय आवश्यक अवयव उपलब्ध नहीं थे। तथापि, उनको बदलने के लिए कोई चरणबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया गया था। क.प.न्या. ने सितम्बर 1980 से दिसम्बर 1985 तक 13.67 लाख रु. की लागत से एक वाष्प इंजन तथा चार अतिरिक्त बायलरों की पूरी मरम्मत की, परन्तु ये उपयोग में नहीं लाये

जा सके, क्योंकि अप्रैल 1986 से वाष्प इंजन पूर्णतया हटा लिये गये थे। तथापि, पूरी मरम्मत किये हुए बायलर, जो कि उपयोग में नहीं लाये जा सके थे, सितम्बर 1988 में नीलामी के माध्यम से निपटा दिये गये थे। फरवरी 1985 में वाष्प इंजन के लिए खरीदे गये 56 स्प्रिंगों (लागत: 1.66 लाख रु.) में से 1.51 लाख रु. की लागत के 51 स्प्रिंग भी, वाष्प इंजनों के हटाये जाने तक उपयोग में नहीं लाये जा सके। इंजन तथा बायलर के सम्बन्ध में पूरी मरम्मत के कार्यक्रम को, क.प.न्या. रेलवे से वाष्प इंजनों केपूरी तरह हटाने की तिथि के साथ सहसम्बन्ध करने में विफलता के परिणामस्वरूप 15.18 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ-27)

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

पत्तन शुल्कों की गैर वसूली:- जुलाई 1985 में 110 करोड़ रुपए की लागत पर एक विदेशी ठेकेदार को दिये गए जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, बम्बई के मुख्य सिविल निर्माण कार्यों के ठेके के अनुसार, निर्माण कार्य के उद्देश्यों हेतु आयातित उपस्करों को उतारने के लिए निशुल्क घाट पर उतराई सुविधायें ठेकेदार को अनुमत की गई थीं। मार्च 1989 में यथेष्ट कार्य के पूर्ण होने पर, निर्माण कार्य उद्देश्य से आयात किये गए निर्माण उपस्कर के पुनः निर्यात करने के लिए ठेकेदार ने कन्टेनर वर्थ सुविधाओं की मांग की।

ठेके नियमों की गलत व्याख्या के कारण 15 से 20 अप्रैल 1989 की अवधि के लिए ठेकेदार को बिना पत्तन प्रभारों की वसूली के, सुविधायें उपलब्ध कराने की आज्ञा दे दी गई। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार से 41.86 लाख रुपए के पत्तन बकायों की गैर वसूली हुई।

(पैराग्राफ-30)

एक ठेकेदार को अदेय लाभ:- जुलाई 1985 में 110 करोड़ रु.की करार लागत पर एक विदेशी कम्पनी को प्रदान किये गये जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास बम्बई के मुख्य सिविल निर्माण कार्यों के लिए करार की शर्तों के अनुसार; ठेकेदार को निर्माण कार्यों के लिए आयातित माल पर देय सीमा शुल्क तथा अन्य आयात शुल्क वहन करना अपेक्षित था। करार में यह प्रावधान भी था कि कुछ विशिष्ट मदों के सम्बन्ध में, बाद के विधानों से उद्भूत अतिरिक्त अथवा घटी हुई लागतों के लिए ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर करार मूल्यों का समायोजन किया जायेगा।

भारत सरकार ने अक्टूबर 1986 में सीमाशुल्क से आंशिक छूट प्रदान की तथा तदनुसार, मदों का 55 प्रतिशत यथामूल्य के सीमाशुल्क की एकरूप दर से निर्धारण किया गया था। तथापि, पत्तन न्यास ने इस संबंध में कोई समायोजन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप परियोजना की लागत में वृद्धि के साथ-साथ कम्पनी को अनभिप्रेत लाभ हुआ जो कि नमूना

जांच की गई 11 मदों पर 8.74 करोड़ रु. संगणित किया गया।

(पैराग्राफ-31)

नया मंगलौर पत्तन न्यास

घाट शुल्क दरों का कम उद्ग्रहण:- 31 मार्च 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, "भारी उत्पाकों" के अन्तर्गत निर्धारित उच्चतर घाटशुल्क दरों के लागू न करने के कारण फरवरी 1983 से दिसम्बर 1984 के दौरान नया मंगलौर पत्तन न्यास द्वारा 41.60 लाख रु. की कम वसूली का उल्लेख किया गया था। भूतल परिवहन मंत्रालय के निदेश के बावजूद, पत्तन न्यास ने कम-उद्ग्रहित राशि की वसूली नहीं की थी। पत्तन न्यास ने 1986-87 से 1989-90 (जनवरी 1990 तक) के दौरान निर्धारित दरें लागू नहीं की थी, परिणामस्वरूप पुनः 105.25 लाख रु. की कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ-32)

IV वाणिज्य मंत्रालय

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान: एक पंजीकृत समिति भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (भा.वि.व्या.सं.), वाणिज्य मंत्रालय (वा.मं.) द्वारा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य, कार्मिकों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की तकनीकों में प्रशिक्षण, विदेश व्यापार की समस्याओं

में अनुसंधान प्रारंभ करना, बाजार अनुसंधान करना, क्षेत्र तथा बाजार सर्वेक्षण, माल सर्वेक्षण, परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करना तथा अनुसंधान तथा बाजार अध्ययनों से सम्बन्धित इसके क्रिया कलापों से उद्भूत सूचना का प्रचार करना है।

विकसित 37 नियमित कार्यक्रमों में से, औसतन 11 कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किये गये थे। आठ कार्यक्रम अंततः छोड़ दिये गये थे तथा छः कार्यक्रम अपर्याप्त प्रत्युत्तर के कारण आस्थगित कर दिये गये थे। 1982-83 से 1989-90 के दौरान विकसित 12 नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किये जा सके। 1985-86 से 1989-90 के दौरान केवल दस विषय अध्ययन विकसित किये गये थे, यद्यपि प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्ययन की विषय पद्धति को अधिक महत्व दिया जाना था। स्टाफ के गैर संकाय सदस्यों से संकाय सदस्यों का अनुपात अनुशंसित 1:1 के अनुपात के प्रति 1983-84 में 1:3 से 1989-90 में थोड़ा सुधर कर 1:2.7 हो गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली में सकेन्द्रित रहे थे (सम्बद्ध वर्षों के दौरान आयोजित कुल कार्यक्रमों के 1982-83 में 64 प्रतिशत तथा 1989-90 में 85 प्रतिशत)।

1982-83 से 1989-90 के दौरान अध्ययनों तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के संबंध में दीर्घावधि कार्यवाही योजना को तैयार नहीं किया गया था तथा इस सम्बन्ध में कोई पूर्व आयोजन की कोई प्रणाली नहीं थी। भा.वि.व्या.सं. ने, 1986-87 से

मुख्यतया: वा.मं. की आवश्यकताओं को पूरा किया था तथा कार्यात्मक क्षेत्रों में इसके अपने अध्ययन प्रति वर्ष एक से तीन के बीच थे। नमूना जांच किये गये 50 अध्ययनों में से, चार मामलों में गुणवत्ता संतोषजनक नहीं थी। चार अध्ययनों ने अपने समापन में 24 से 35 महीने के लिये तथा नौ मामलों में समापन में विलम्ब की अवधि 6 से 14 महीने के बीच थी। अध्ययन/सर्वेक्षण रिपोर्टों में उल्लिखित स्वीकृत अनुसंशाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए कोई कार्यबल गठित नहीं किया गया था।

अवस्तरीय निर्माण कार्यों, ठेकेदारों को अधिक भुगतान तथा अन्य अनियमितताओं को इंगित करते हुए संस्थान के भवन काम्प्लैक्स की निरीक्षण पर मुख्य तकनीकी परीक्षक की अभ्यक्तियां बिना निपटान के पड़ी थी। 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान भूमि के लिए तथा 1979-80 से 1988-89 के दौरान भवन के निर्माण के लिए 515.75 लाख रु. के भवन अनुदानों के सम्बन्ध में प्राप्त हुए 9.24 लाख रु. के उपयोगिता प्रमाण पत्र भा.वि.व्या.सं. द्वारा नहीं भेजे गये थे।

भा.वि.व्या.सं. 1986-87 तक व्यय के अपने अंश के लिए अंशदान हेतु आंतरिक स्रोत का सृजन नहीं कर सका था, जिसके परिणामस्वरूप 58.28 लाख रु. का संचित घाटा हुआ। परिणामतः, 1987-88 से सरकार द्वारा वित्तीय सहायता का

तरीका उदारीकृत कर दिया गया था।

(पैराग्राफ-33)

रबड़ बोर्ड कोर्टायम

निष्फल व्यय:- रबड़ बोर्ड (बोर्ड) ने अपने मुख्य कार्यालय के भवन के निर्माण के लिए सितम्बर 1983 में 32.02 लाख रुपए की लागत पर 40 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। तथापि, छः वर्षों के अधिग्रहण के पश्चात् भी, बोर्ड ने निर्माणकार्य आरम्भ नहीं किया था तथा मुख्यालय किराये के भवन में बना रहा। बोर्ड ने विलम्ब को निधियों की कमी पर आरोपित किया। जनवरी 1989 में बोर्ड को यह जानकारी प्राप्त हुई कि रेलवे सीमा के 30 मीटर के भीतर में पड़ जाने से एक तरफ कोई भी स्थाई निर्माणकार्य अनुज्ञेय नहीं था। तथापि, नवम्बर 1989 में बोर्ड ने भवन, जिसका एक भाग रेलवे सीमा के 30 मीटर के भीतर होगा रेलवे के साथ एक अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात्, इस पर सहमत होते हुये कि जब भी जैसे भी रेलवे को आवश्यकता हो ढांचे को गिरा दिया जाए, के निर्माण का निर्णय किया। कार्यालय भवन के निर्माण में विलम्ब के परिणामस्वरूप सात वर्षों के लिए 32.02 लाख रुपए की पूंजी का अवरोधन तथा कार्यालय भवन के लिए मार्च 1990 तक 22.53 लाख रुपए के किराए का भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ -34)

मसाला बोर्ड, कोची

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान कम्प्लैक्स

का निर्माण:- मिलादुभपारा में भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान कम्प्लैक्स के निर्माण का निर्माण कार्य (अनुमानित लागत 36.15 लाख रुपये) मसाला बोर्ड द्वारा मार्च 1983 में एक ठेकेदार को मार्च 1984 तक पूरा करने के लिए सौंपा गया, जो 12 महीने और 21 दिन के विलम्ब के पश्चात अप्रैल 1985 में पूरा हुआ था। बोर्ड ने ठेकेदार को आठ महीने की समय वृद्धि अनुमत की थी तथा शेष विलम्ब के लिए, उसने 3.77 लाख रुपए की परिस्माप्त क्षतिपूर्तियां वसूल की। तथापि, मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार, जिसे बाद में न्यायालय द्वारा ठेकेदार के पक्ष में अन्य बातों के साथ इस आधार पर कि ठेकेदार को ठेके के अंतर्गत यथा अपेक्षित उचित नोटिस जारी नहीं किया गया था, मान लिया गया था। 0.14 लाख रुपये के ब्याज सहित राशि वापिस करनी पड़ी थी।

बोर्ड ने निर्माणकार्य में कुछ त्रुटियों के सुधार की लागत के लिए भी 0.62 लाख रुपए की अन्य राशि रोक ली थी। यह राशि भी, इस आधार पर कि बोर्ड बिना त्रुटियों को ठीक कराये पहले ही सुविधा का लाभ उठा रहा था, मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार वापिस करनी पड़ी थी। बोर्ड ने दिन प्रतिदिन के पर्यवेक्षण के लिए एक परामर्शदाता रखा था, उसे भी किसी त्रुटिपूर्ण आरेखण तथा अप्रभावी पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना था। बोर्ड परामर्शदाता से कोई भी राशि वसूल नहीं कर सका क्योंकि जब तक निर्णय जारी

हुआ, एक वर्ष की गारन्टी अवधि समाप्त हो चुकी थी।

(पैराग्राफ-35)

V जल संसाधन मंत्रालय

ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गोहाटी:- अरुणाचल प्रदेश सरकार के विरोध तथा भारत सरकार द्वारा परियोजना रिपोर्ट जो कि जुलाई 1983 में प्रस्तुत की गई थी की अस्वीकृति के बावजूद, ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने अप्रैल 1982 से मार्च 1990 के दौरान डिहांग तथा सुवंसिरी बांध की जांच पड़ताल के लिए क्रमशः 691 लाख रुपए तथा 865.48 लाख रुपए खर्च किये थे। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार से परियोजना रिपोर्ट पर स्वीकृति प्राप्त किये बगैर प्रस्तावित सुवंसिरी बिजली घर के स्थल हेतु प्रयोगात्मक सुरंग धारा के निर्माण पर 23.99 लाख रुपए खर्च किये थे। बोर्ड द्वारा जलपथ द्वार के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु किया गया 10.96 लाख रु. का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि अनुचित आरेखण तथा अपर्याप्त जांच के कारण जलपथ, निर्माण के तीन वर्षों के पश्चात बाढ़ से गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। बेली पुल स्पैन की एक इकाई 7.37 लाख रुपए मूल्य के घटकों सहित दिसम्बर 1984 से अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

43.11 लाख रुपए खर्च करने के पश्चात दुर्गम स्थल स्थितियों के कारण, प्रस्तावित डिहांग बांध परियोजना की "व्यवहार्यता रिपोर्ट की

तैयारी" पर कार्य फरवरी 1986 में समाप्त कर दिया गया था।

(पैराग्राफ-36)

VI समाज कल्याण मंत्रालय

अस्थि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, कलकत्ता

1978 में स्थापित अस्थि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कलकत्ता ने अप्रैल 1982 से कार्य करना आरम्भ किया, परन्तु इसकी शैक्षिक गतिविधियां केवल 1984-85 से ही आरम्भ हुई थी। 1984-90 के दौरान दीर्घावधि पाठ्यक्रमों के लिए 360 छात्रों की क्षमता के प्रति, संस्थान ने केवल 180 छात्रों को ही नामांकित किया। मार्च 1990 तक, केवल 20 फिजीओथेरापिस्ट, 20, आकुपेशनल थेरापिस्ट तथा 14 आरथेटिक तथा प्रास्थेटिक तकनीशियन ही पूर्णरूप से उत्तीर्ण हुये थे। मार्च 1990 तक संस्थान द्वारा किये गए 22 अनुसंधान कार्यक्रमों/योजनाओं में से, केवल 10 कार्यक्रमों/योजनाओं के अनुसंधान पत्र ही प्रस्तुत किये गए थे, जिनमें से 8 पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लिए गए 9 अनुसंधान कार्यक्रमों/परियोजनाओं में से, चार समाप्त कर दिये गये थे। संस्थान से परामर्श लेने वाले सरकारी विभागों सहित, संस्थाओं की संख्या 1986-87 में सात से घट कर 1989-90 में एक हो गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार से 1978 में अधिप्राप्त हाइड्रोथेरेपी पूल कभी भी प्रयोग में नहीं

लाया गया था तथा बेकार हो गया था। दोनों उपभोज्य तथा अनुपभोज्य प्रकार की चल परिसम्पत्तियों के स्टॉक के मूल्य को तुलनपत्र में दर्शाया नहीं गया था। उपनियमों की मांग के बावजूद भी कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली आरम्भ नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ-37)

VII श्रम मंत्रालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अस्पताल भवन का निर्माण:- कर्मचारी राज्य बीमानिगम (निगम) ने ठाकुरपुकुर में क.रा.बी.नि. के एक अस्पताल की स्थापना के लिए फरवरी 1965 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अधिप्राप्त भूमि की लागत के लिए फरवरी 1972 में, 5.62 लाख रुपए का भुगतान किया। स्थापित किये जाने वाले अस्पताल के प्रकार पर निरन्तर पुनर्विचार होने के कारण, अस्पताल तथा अन्य सम्बन्धित भवनों के निर्माण के अनुमान 5.98 करोड़ रुपए के लिए मार्च 1982 में ही अनुमोदित किये गये थे। निर्माण कार्य अप्रैल 1983 में आरम्भ किया गया था तथा अप्रैल 1987 तक पूरा किया जाना निश्चित था। तथापि, मार्च 1990 तक कार्य की वास्तविक प्रगति 58 प्रतिशत थी। इसी बीच मार्च 1982 में अनुमोदित किये गए अनुमान निगम द्वारा दिसम्बर 1989 में 12.63 करोड़ रुपए के लिए संशोधित किये गए थे। कुल वृद्धि में से, 3.50 करोड़ रुपए केवल लागत वृद्धि पर आरोपित थे। कार्य अभी

1. सामान्य

1.1 अनुदान एवं कर्जों का जारी किया जाना:-

स्वायत्त निकायों, जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। 31 मार्च 1990 को, 84 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय, (वैज्ञानिक विभागों के अंतर्गत आने वाले निकायों को छोड़कर) ऐसे थे जिनके वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा उपरोक्त अधिनियम 14(1) तथा (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी थी। 1989-90 के दौरान, संघ सरकार द्वारा 53 निकायों को क्रमशः 19757.12 लाख रुपये तथा 6.00 लाख रुपये की राशि के अनुदान तथा कर्ज दिए गए थे। 31 निकायों के संबंध में 1989-90 के वार्षिक लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।

31 मार्च 1990 को, 12 विश्वविद्यालयों सहित 181 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय थे (वैज्ञानिक विभागों के अंतर्गत आने वाले निकायों को छोड़कर), जिनके वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा

उपरोक्त अधिनियम के अनुच्छेद 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इन निकायों के एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में की जानी थी। 1989-90 के दौरान, 160 स्वायत्त निकायों को संघ सरकार द्वारा क्रमशः 125846.23 लाख रुपये तथा 48,77.96 लाख रुपये की राशियों के अनुदान तथा कर्जें दिये गये थे तथा दस विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्र सरकार से 18495.06 लाख रुपये तक के अनुदान प्राप्त किए गए थे। 11 निकायों के संबंध में 1989-90 के लिए वार्षिक लेखे प्राप्त नहीं हुए थे। प्रत्येक पृथक निकाय/संगठन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों सहित इन स्वायत्त निकायों के लेखा परीक्षित लेखे, संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवर्ष भारत सरकार को भेजे जाते हैं।

1.2 स्वायत्त निकायों द्वारा लेखों के प्रस्तुतिकरण

में विलम्ब :- "सदन के पटल पर रखे गए दस्तावेजों पर समिति" ने अपनी पहली रिपोर्ट (5 वीं लोक सभा) 1975-76 में अनुशंसा की कि लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद, प्रत्येक स्वायत्त निकाय को तीन महीनों की अवधि के भीतर अपने

लेखे पूरे कर लेने चाहिए तथा उन्हें लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराना चाहिए तथा रिपोर्टें और लेखापरीक्षित लेखे लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के अंदर संसद के समक्ष रखने चाहिए। वर्ष 1988-89 के लिए 177 स्वायत्त निकायों (वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत आने वालों के अतिरिक्त) की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, के साथ लेखा परीक्षित लेखे जो कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा के अंतर्गत थे, संसद के समक्ष रखे जाने थे। इनमें से, केवल 78 स्वायत्त निकायों के लेखे लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित तीन महीने की समय सीमा के अंदर लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये थे। 99 स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुति करण में विलम्ब हुआ था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

एक महीने तक का विलम्ब	45
1 महीने से अधिक तीन महीनों तक का विलम्ब	31
3 महीनों से अधिक 6 महीनों तक का विलम्ब	12
6 महीनों से अधिक का विलम्ब	4
लेखे / सूचना प्राप्त नहीं हुई	7
—	—
—	99
—	—

1.3 अनुदानों के बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र:-
1976 में लेखों के विभागीयकरण के परिणामस्वरूप, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए

सांविधिक निकायों, गैर सरकारी संस्थाओं इत्यादि को जारी किए गए अनुदानों के संबंध में, यह उल्लेख करते हुए कि अनुदान उन उद्देश्यों पर समुचित रूप से उपयोग में लाये गये थे, जिनके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे तथा जहां अनुदान सशर्त थे निर्धारित शर्तें पूरी कर ली गई थीं, सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा लेखा नियंत्रकों को अनुदानों के उपयोग के प्रमाण पत्र भेजे जाने अपेक्षित थे। बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति दर्शाते हुए मंत्रालय/विभाग वार विवरण परिशिष्ट में दिए गए हैं।

नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन, विदेश, वित्त (राजस्व विभाग), खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति (खाद्य विभाग को छोड़कर), मानव संसाधन विकास (शिक्षा विभाग को छोड़कर) श्रम, योजना, भूतल परिवहन इस्पात और खान तथा जल संसाधन, अंडमान व निकोबार प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन तथा दिल्ली प्रशासन के मंत्रालयों तथा विभागों ने उनको पत्र भेजने के बावजूद सूचनाएं नहीं भेजी थी (मई 1991)।

आगे, 1976-77 से 1986-87 के दौरान जारी किए गए अनुदानों के संबंध में मार्च 1990 में 1140.42 करोड़ रुपये की राशि के बड़ी संख्या में (17067 मदे) उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे। इनमें से निम्नलिखित के मामले में 1140.04 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे:-

मंत्रालय	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	राशि (करोड़ रुपयों में)
कृषि और सहकारी	503	40.39
ऊर्जा		
(विद्युत विभाग)	82	11.64
वाणिज्य	71	48.59
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	2342	283.07
मानव संसाधन विकास		
(शिक्षा विभाग)	11020	706.53
सूचना और प्रसारण	15	2.72
कपड़ा	234	3.95
शहरी विकास	171	1.75
कल्याण	2542	41.40
जोड़	16980	1140.04

इसने इंगित किया कि सांविधिक निकायों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि को अनुदान जारी करने वाले प्राधिकारियों ने उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति का समुचित प्रबोधन नहीं किया था।

अध्याय ॥

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

शिक्षा विभाग

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

2.1 प्रस्तावना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) भारत सरकार के प्रस्ताव (नवम्बर 1952) के अन्तर्गत दिसम्बर 1953 में स्थापित किया गया था तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार नवम्बर 1956 में सामूहिक निकाय के रूप में पुनर्गठित किया गया था। वि.अ.आ. के मुख्य उद्देश्य, विश्वविद्यालय शिक्षा का उन्नयन एवं समन्वयन तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षण एवं अनुसंधान के स्तर का निर्धारण और अनुरक्षण है।

2.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वि.अ.आ. के लेखों की लेखापरीक्षा, वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 19 के साथ पठनीय नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत की जाती है। वि.अ.आ. के कार्यों की पुनरीक्षा वर्ष 1975-76 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में पहले की गई थी जिसकी बाकी जांच लोक लेखा समिति द्वारा इसके तिहत्तरवें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में की गयी थी। वर्तमान पुनरीक्षण, वि.अ.आ. के अभिलेखों तथा

वि.अ.आ. द्वारा निधि प्रदत्त चयनित योजनाओं/कार्यक्रमों की नमूना जांच पर आधारित है तथा 1989-90 हेतु यथा संभव सीमा तक अद्यतन की गई 1984-85 से 1988-89 तक की अवधि को शामिल करता है। पुनरीक्षण मार्च 1989 से दिसम्बर 1990 के दौरान किया गया था।

ड्राफ्ट पुनरीक्षण की एक प्रति तथ्यों के पुष्टिकरण तथा टिप्पणियां भेजने हेतु दिसम्बर 1990 में मंत्रालय को भेजी गयी थी। ये अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (जून 1991)। वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में टिप्पणियां भेजी जिन पर पुनरीक्षण को अन्तिम रूप देते समय उचित विचार किया गया था।

2.3 संगठनात्मक ढांचा

आयोग में अधिनियम की धारा 5(i) के अन्तर्गत एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दस अन्य सदस्य होते हैं। वि.अ.आ. के सचिवालय का कार्य, एक सचिव, जिसे दो अतिरिक्त सचिवों की सहायता प्रदत्त होती है की देखरेख में होता है तथा प्रत्येक एक उप सचिव अथवा समकक्ष पद के अधिकारी के अन्तर्गत 19 प्रभागों के बीच आबंटित है। 797 की संस्वीकृत संख्या के प्रति, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च 1990 को 698 थी।

2.4 विशिष्टताएं

- वि.अ.आ. ने योजनागत तथा योजनेत्तर गतिविधियों के लिए कार्यक्रम अथवा योजनावार बजट अनुमान तैयार नहीं किया था। 1985-86 से 1989-90 के दौरान बजट अनुमानों से व्यय की अधिकता 2 से 27 प्रतिशत रही थी। बजट अनुमान तथा व्यय दोनों ही सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान परिव्यय से बढ़ गए थे।
- वि.अ.आ. ने अपने द्वारा वित्तपोषित अधिकतर योजनाओं हेतु प्रत्यक्ष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे; केवल स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना के मामले में वि.अ.आ. ने लक्ष्य निर्धारित किए थे। इन को प्राप्त नहीं किया गया था।
- सरल प्रक्रिया अपनाये जाने के बावजूद, 31 अक्टूबर 1990 को 1958-59 से 1988-89 तक 829.74 करोड़ रु. के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक जारी नहीं किये गये थे। वि.अ.आ. ने लेखे की बकाया लेखापरीक्षित विवरणियों, जो कि मार्च 1989 तक संबितरित अनुदानों के प्रति प्राप्त की जानी थीं का वर्ष-वार विश्लेषण व अनुरक्षण नहीं किया।
- स्वीकृतियों की राशि जिसके लिए

विभिन्न विश्वविद्यालयों के बिल प्राप्त नहीं हुए थे तथा प्राप्त हुए बिलों की राशि जिन का भुगतान नहीं किया गया था, वर्षों के दौरान में बढ़ गई थी। एक नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि मार्च 1989 के 554 मामलों में, भुगतान जारी करने में लिया गया समय, बिल प्राप्ति से, 15 से 181 दिनों से अधिक के बीच था।

- मार्च 1989 के अन्त तक स्थापित 144 विश्वविद्यालयों में से किसी भी विश्वविद्यालय का, आयोग के अधिनियम में निर्धारित किए गए अनुसार उनकी वित्तीय आवश्यकताओं अथवा अध्यापन के स्तर को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, वि.अ.आ. द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था। 1980-89 के दौरान स्थापित किए गए 36 नए विश्वविद्यालयों में से 12 वि.अ.आ. के परामर्श के बिना ही स्थापित किए गए थे तथा दो वि.अ.आ. की मंत्रणा के विरुद्ध स्थापित किए गए थे।
- वि.अ.आ. की प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रणाली अपर्याप्त थी। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों के योजनावार विवरण अनुरक्षित नहीं किए गए थे। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कार्य-प्रणाली की

- जाँच करने हेतु नियुक्त समितियों ने अपने कार्य पूर्ण नहीं किये थे । सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए प्रस्तावों के प्रतिपादन हेतु कोई निरीक्षण समिति नियुक्त नहीं की गई थी ।
- 1985-86 तथा 1986-87 में लगभग 10 महीनों से वि.अ.आ. के चार सदस्यों की रिक्तियाँ थीं । दो सदस्यों की रिक्तियाँ दो वर्षों से अधिक अवधि से थीं ।
 - 1985-86 से 1988-89 के दौरान जन-संचारण तथा शैक्षिक तकनीकी हेतु आवंटित बजट के उपयोग में कमी 19 से 44 प्रतिशत तक के आसपास थी ।
 - वि.अ.आ. द्वारा शिक्षा माध्यम अनुसंधान केन्द्रों (शि.मा.अ.के.) / श्रव्य दृश्य अनुसंधान केन्द्रों (श्र.दृ.अ.के.) की स्थापना हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे । पाँच शि.मा.अ. के. तथा नौ श्र.दृ.अ.के. द्वारा कार्यक्रम का निर्माण आशा से कम रहा था । श्र.दृ.अ.के. श्रीनगर जिसे अप्रैल 1987 में 21 लाख रु. अदा किए गए थे, ने एक भी कार्यक्रम का निर्माण नहीं किया था । आडियो/वीडियो कैसेट के रूप में 15 विषयों में आर्दश पाठ्यक्रम सामग्री का कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया था ।
 - यद्यपि स्कूल-पूर्व बाल दूरदर्शन परियोजना हेतु स्वीकृत किए गए 30 लाख रु. के प्रति 45 लाख रु. का व्यय किया गया था, एक भी एपीसोड का दूरदर्शन प्रसारण नहीं किया गया था ।
 - विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अवसरचनना सुदृढीकरण हेतु स्थाई समिति की योजना के अन्तर्गत 1983-84 से 1988-89 के दौरान विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जारी की गई 4210.85 लाख रु. की सहायता के प्रति, 3331.93 लाख रु. के उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे (सितम्बर 1989) । योजना के अन्तर्गत 31 मार्च 1989 तक प्रोत्साहित 98 विभागों में से, विशेषज्ञ समिति द्वारा केवल 80 विभागों का निरीक्षण किया गया था ।
 - वि.अ.आ. ने, इसके द्वारा समर्थित मुख्य अनुसंधान परियोजनाओं की, वार्षिक रिपोर्टों की प्राप्ति का प्रबोधन नहीं किया था । इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान और मानविकी में क्रमशः 53 में से 21, 76 में से 6 तथा 40 में से 10 मुख्य अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में एक भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी ।

वि.अ.आ. ने 1985-89 के दौरान मानवशक्ति के लिए कम्प्यूटर सुविधाओं तथा कम्प्यूटर शिक्षा के विकास हेतु क्रमशः 1231.68 लाख रु. तथा 550.79 लाख रु. के कुल अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा लेखों की लेखापरीक्षित विवरणियों की प्राप्ति पर निगरानी नहीं रखी थी। वि.अ.आ. ने, महाविद्यालयों हेतु कम्प्यूटरों की खरीद के लिए चरणबद्ध भुगतान की मानी गई शर्तों का उल्लंघन करते हुए 66.52 लाख रु. की कुल लागत के प्रति 50.80 लाख रु. का अग्रिम भुगतान किया था। निर्धारित तिथि अर्थात् 31 मार्च 1987 तक किसी भी कम्प्यूटर की स्थापना नहीं की गई थी।

वि.अ.आ. ने राष्ट्रीय खेल कूद संगठन कार्यक्रम हेतु मंत्रालय से प्राप्त निधियों का उपयोग पूर्णरूप से नहीं किया था।

वि.अ.आ. द्वारा 1988-89 तक जारी हुए 235.89 लाख रु. के प्रति, निर्मित की गई व्यायामशालाओं तथा वास्तव में विकसित खेल मैदानों की संख्या सूचित नहीं की गई थी। पांच विश्वविद्यालयों में से केवल एक तथा छः महाविद्यालयों में से दो ही जिन्हें शारीरिक शिक्षा में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु

अनुदान जारी किए गए थे, मार्च 1989 तक पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर सके थे।

"पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन" योजना के अन्तर्गत मार्च 1989 तक, 35 राज्य विश्वविद्यालयों में से केवल 9 तथा 6912 महाविद्यालयों में से 136 ने पुनर्गठित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया था। योजना का वाह्य मूल्यांकन नहीं किया गया था।

यद्यपि 24 "पाठ्यक्रम विकास केन्द्रों" में से 22 ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं, पाठ्यसामग्री प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई थी। किसी भी विश्वविद्यालय ने अभी तक संशोधित पाठ्यक्रम को अपनाया नहीं था।

1987-88 तथा 1988-89 के दौरान महाविद्यालयों को स्वायत्त स्थिति प्रदान करने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्रमशः केवल 32 तथा 15 प्रतिशत की सीमा तक प्राप्त किए गए थे।

"भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का आयोजन" की योजना के अन्तर्गत मार्च 1989 तक 1035 परियोजनाओं में से केवल 350 पूर्ण हुई थीं; 257 पुस्तकें 2 से 17 वर्ष के विलम्ब के पश्चात् पूर्ण हुई थीं।

केवल 185 पुस्तकें वास्तव में प्रकाशित हुई थी ।

2.5 आयोग की बैठकें

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित 12 सदस्यों की कुल संख्या के प्रति, जून 1985 से अप्रैल 1986 तक चार सदस्यों की रिक्तियाँ थीं । मई 1987 से मई 1989 तक सदस्यों की रिक्तियाँ दो वर्षों से अधिक अवधि से थीं ।

आयोग की एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें होनी आवश्यक थी । 1984-85 से 1988-89 के दौरान आयोजित की गई 40 बैठकों की कुल संख्या में से सदस्यों की संख्या जो बैठक में उपस्थित थे 5 से 11 के बीच रही ।

वि.अ.आ. की कार्य-प्रणाली के पुनरीक्षण के लिए

अगस्त 1974 में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने जनवरी 1977 में सिफारिश की कि आयोग के कार्यालय के पास (क) शैक्षिक योजना तथा नीति और (ख) प्रशासन तथा अनुदान के कार्यों के लिए दो मुख्य प्रभाग होने चाहिए । सिफारिशें अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई थीं (जनवरी 1991) ।

2.6 वित्त तथा लेखे

2.6.1 प्राप्तियाँ तथा भुगतान: वि.अ.आ. मुख्यतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदानों द्वारा वित्तपोषित होता है । योजनेत्तर तथा योजनागत व्यय पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अलग निधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं । वि.अ.आ. की 1985-86 से 1989-90 तक प्राप्तियाँ तथा भुगतान निम्नानुसार थे:-

(लाख रु. में)

वर्ष	प्राप्तियाँ			भुगतान			कमी (-) आधिक्य(+)	
	योजनेत्तर	योजनागत विशिष्ट उद्देश्य	कुल	योजनेत्तर	योजनागत विशिष्ट उद्देश्य	कुल		
1985-86	12493.73	8426.12	381.24	21301.09	12508.24	8384.21	378.35	21270.80 (+) 30.29
1986-87	14408.15	10555.39	189.20	25152.74	14361.74	10576.52	69.84	25008.10 (+) 144.64
1987-88	18044.23	15405.82	324.61	33774.66	18060.65	15389.43	162.06	33612.14 (+) 162.52
1988-89	19449.30	14523.40	357.83	34330.53	19433.01	14508.58	44.58	33986.17 (+) 344.36
1989-90	21662.92	14312.80	34.76	36010.48	21697.64	14246.13	96.58	36040.35 (-) 29.87

1985-86 से 1989-90 के वर्षों के लिए मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत योजनेत्तर, योजनागत, तथा विशिष्ट उद्देश्य मदों से संबंधित वि.अ.आ. के लेखों के अनुसार व्यय का सारांश अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

2.6.2 बजट अनुमान तथा व्यय: 1985-86 से 1989-90 वर्षों के दौरान योजनेत्तर तथा योजनागत के अन्तर्गत बजट अनुमान तथा व्यय निम्नानुसार थे:-

वर्ष	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमानों से अधिक व्यय की प्रतिशतता (लाख रु. में)
<u>योजनेत्तर</u>			
1985-86	11492.34	12508.24	8
1986-87	11956.00	14361.74	20
1987-88	14274.00	18060.65	26
1988-89	17700.00	19433.01	9
1989-90	19212.80	21697.64	13
जोड़	74635.14	86061.28	
<u>योजनागत</u>			
1985-86	8225.00	8384.21	2
1986-87	8300.00	10576.52	27
1987-88	14200.00	15389.43	8
1988-89	14100.00	14508.58	3
1989-90	13300.00	14246.13	7
जोड़	58125.00	63104.87	

बजट अनुमानों से योजनेत्तर तथा योजनागत व्यय की अधिकता 1985-86 से 1989-90 के दौरान क्रमशः 8 से 26 प्रतिशत और 2 से 27 प्रतिशत के बीच वर्गीकृत थी। वि.अ.आ. द्वारा अधिकतता के लिए कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के बीच निधियों का आबंटन साधारणतयः वि.अ.आ. पर छोड़ दिया गया था। तथापि, वि.अ.आ. ने योजनागत तथा योजनेत्तर के अन्तर्गत बजट अनुमान मुख्यशीर्ष/उप-शीर्ष/कार्यक्रमवार अथवा योजना-वार तैयार नहीं किए थे। योजनावार बजट नियंत्रण रजिस्टर भी ठीक ढंग से नहीं बनाये गये थे। लोक लेखा समिति ने अपने तिहत्तरवें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में कहा था कि आयोग को, सरकार द्वारा किये गये अंतिम आबंटनों के दृष्टिकोण में वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के बीच परस्पर प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के उत्तरदायित्व से स्वयं को मुक्त नहीं करना चाहिए। वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि एक विशेष वर्ष के लिए योजनागत परिव्यय का पता चल जाने के पश्चात आयोग ने, विभिन्न योजनाओं के बीच कुल आवश्यकता के आधार पर उनकी प्राथमिकताओं तथा बचनबद्धताओं के अनुसार व्यय पुनर्आबंटित किया। तथापि वि.अ.आ. ने छठी व सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न योजनाओं के बीच परिव्ययों के आबंटन नहीं भेजे।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81 से 1984-85) के दौरान योजना आयोग द्वारा उद्दिष्ट

280 करोड़ रु. के परिव्यय के प्रति, व्यय 258.44 करोड़ रु. का था । तथापि, सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 370 करोड़ रु. के परिव्यय के प्रति, बजट अनुमान 581.25 करोड़ रु. का था, तथा व्यय 631.05 करोड़ रु. का था । वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया, बाद में नई शिक्षा नीति 1986 (न.शि.नी.) के लागू करने के कारण निवल योजनागत आबंटन का योग 575 करोड़ रु. बनाते हुए वर्षानुवर्ष आधार पर वार्षिक आबंटन बढ़ा दिये गये ।

2.7 प्रत्यक्ष लक्ष्य

लोक लेखा समिति ने अपने उसी प्रतिवेदन में कहा कि वि.अ.आ. के पास, दृढ़ अथवा कल्पित लक्ष्यों के संदर्भ में विभिन्न योजनागत योजनाओं से संबंधित उपलब्धियों के एक आलोचनात्मक पुनरीक्षण के अभिप्राय से योजनागत योजनाओं की प्रगति के सामयिक मूल्यांकन की प्रणाली नहीं थी । अपनी की गई कार्यवाही की टिप्पणी में मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1978) कि इसके द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों तथा इसके सांविधिक उत्तरदायित्वों के पालन पर जो प्रभाव उन्होंने डाला है का विस्तृत पुनरीक्षण प्रारंभ करने के लिए वि.अ.आ. को एक निदेश जारी किया गया था । यह अवलोकित किया गया था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वायत्त महाविद्यालयों जैसी कुछ योजनाओं को छोड़ कर किसी भी योजना के अन्तर्गत कोई भी प्रत्यक्ष लक्ष्य वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित नहीं किये पाये गये थे । अनुमान समिति ने अपनी क्रियासूची रिपोर्ट (1988-89), आठवीं

लोक सभा में अवलोकित किया था कि प्रत्यक्ष लक्ष्य निर्धारित किए बिना सन्तुलित विकास तथा उपलब्ध निधियों का सर्वोत्तम उपयोग सुलभ नहीं था ।

अनुमान समिति ने यह भी दबाव डाला था कि यदि योजना से कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति की आशा की जानी थी, तो यह सुस्पष्ट था कि लक्ष्यों की सर्वप्रथम पहचान की जाए तथा निर्धारित किए जाएं अन्यथा योजना का कोई भी मतलब नहीं होगा । समिति ने मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने की आशा की थी कि वि.अ.आ., इस सुविचार पर अमल करे तथा योजना प्रक्रिया ईमानदारी से निर्धारित करे ।

तथापि, छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रारम्भ की गई विभिन्न योजनाओं के संबंध में योजना प्रारम्भ करने का वर्ष, तथा योजना परिव्यय की राशि से संबंधित कोई भी सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी । वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि परिचालित योजनाओं की कुल संख्या काफी बढ़ी थी तथा उनमें से बहुत सी स्वभाव में आवश्यक रूप से गुणात्मक थी तथा इसलिए उत्कर्ष कार्यक्रम योजनाओं की संख्या के लिए प्रारंभ में विभिन्न प्रत्यक्ष लक्ष्यों के परिकलन अप्रभावी तथा अपर्याप्त होंगे । अन्य घटक, जिससे योजना अवधि के प्रारंभ में प्रत्यक्ष लक्ष्यों के योजनावार आबंटन तथा नियतन कठिन हुआ, इसका तथ्य था कि कुल योजनागत निधियां जो वि.अ.आ. को वास्तव में उपलब्ध करायी गई थी, योजना अवधि के प्रारंभिक चरण में इंगित नहीं की गयी थी ।

2.8 अनुदानों का उपयोग

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को आवधिक प्रगति रिपोर्ट तथा व्यय की विवरणी, वि.अ.आ. को प्रस्तुत करनी आवश्यक थी। निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान द्वारा, लेखों की विवरणी तथा इसके पश्चात लेखों की लेखा परीक्षित विवरणी प्रस्तुत की जानी थी। इन विवरणियों के आधार पर वि.अ.आ. की विभिन्न शाखाएं जो अनुदान स्वीकृत करती थीं, को अपने अभिलेख पूर्ण करने होते थे तथा वि.अ.आ. की लेखा शाखा को उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करने होते थे। वि.अ.आ. ने लेखा परीक्षा की सलाह से अक्टूबर 1970 में निर्णय किया कि लेखापरीक्षित लेखों पर उपयोगिता प्रमाणपत्रों को आधारित करना आवश्यक नहीं होगा तथा अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों तथा व्यय की विवरणियों के आधार पर अस्थाई प्रमाणपत्र जारी किए जा सकते थे। लोक लेखा समिति ने अपने उसी प्रतिवेदन में खेद व्यक्त किया कि प्रक्रिया के सरलीकरण के बावजूद बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की समस्या निरंतर बनी रही तथा सिफारिश की कि बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की समाप्ति हेतु एक समाप्ति कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई थी तथा अगस्त 1981 में यह निर्णय लिया गया था कि 1958-59 से 1973-74 की अवधि से संबंधित बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की निकासी हेतु तत्काल

निकासी के लिए भ्रमणशील दलों का गठन उपयुक्त होगा। तथापि यह अवलोकित किया गया था कि 134559 मदों को समाविष्ट करते हुए 829.74 करोड़ रु. के उपयोगिता प्रमाणपत्र 31 अक्टूबर 1990 को, 1958-59 से 1988-89 हेतु जारी नहीं किये गये थे। बकाया राशि का वर्षवार विसर्जन अनुबंध ॥ में है।

वि.अ.आ. ने बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की राशि का, योजनावार विश्लेषण नहीं किया था। 31 मार्च 1989 को केवल विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा और वह भी 1985-86 तक उपलब्ध था। वि.अ.आ. को, लेखों की लेखा परीक्षित विवरणियों की वर्ष-वार संख्या तथा राशि का पता नहीं था जो कि मार्च 1989 तक जारी किए गए अनुदानों के प्रति प्राप्त की जानी थी। वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि इसने, पिछले संचय को कम करने हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्रों के शीघ्र जारी करने के लिए उपाय सुझाने हेतु जून 1989 में एक समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित थी (जनवरी 1991)।

2.9 अनुदान जारी करने में विलम्ब

वि.अ.आ. ने, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों को योजना के अनुमोदन और पहली किश्त के भुगतान की स्वीकृति निर्गम के पश्चात अनुदान जारी की है। संस्थानों को, स्वीकृति हेतु निधियां जारी करने के लिए निर्धारित फार्म में बिल प्रस्तुत करना आवश्यक था तथा इन बिलों की प्राप्ति पर संस्थानों को अनुदान की राशि प्रेषित की जाती थी।

अनुदानों की राशियाँ जिनके लिए स्वीकृतियाँ जारी की गई थी, परन्तु संस्थानों को भुगतान जारी नहीं किए गए थे, 28 फरवरी 1987 को 857.39 लाख रु. से 31 मार्च 1989 को 5955.50 लाख रु. तक बढ़ गई थीं। विलम्ब दोनों ही चरणों पर ध्यान में आए थे; स्वीकृतियों की राशि जिसके लिए विश्वविद्यालयों/संस्थानों से बिल प्राप्त नहीं हुए थे तथा प्राप्त किए गए बिलों की राशि जिसके लिए भुगतान नहीं किए गए थे, वर्षों में निम्नानुसार बढ़ गए थे:

(लाख रु. में)

को	लंबित स्वीकृतियों की राशि			लंबित बिलों की राशि			योग		
	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल योग
28 फरवरी									
1987	563.89	70.00	633.89	200.00	23.50	223.50	763.89	93.50	857.39
31 मार्च									
1988	1255.40	45.28	1300.68	3476.06	63.16	3539.22	4731.46	108.44	4839.90
31 मार्च									
1989	3251.03	193.03	3444.06	2405.88	105.56	2511.44	5656.91	298.59	5955.50

निहित मदों की संख्या सहित उपरोक्त राशियों का, विश्वविद्यालय-वार/संस्थान-वार विवरण, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। 31-45 दिनों के बीच तथा 30 मामलों में 46-60 दिनों के बीच था। 94 मामलों में चैक/बैंक ड्राफ्ट 61-75 दिनों के पश्चात, 139 मामलों में 76-90 दिनों के

मार्च 1989 से संबंधित 554 मामलों की नमूना-जाँच ने दर्शाया कि बिल की प्राप्ति की तिथि से पश्चात, 146 मामलों में 91-180 दिनों के पश्चात प्रेषित किये गये थे जबकि एक मामले में भुगतान, बिल की प्राप्ति से 181 दिनों के पश्चात किया गया था।

में लिया गया समय 72 मामलों में 15 दिनों तक, 7 वि.अ.आ.ने जनवरी 1991 में बताया कि यह स्थिति से अवगत था तथा कार्यक्रमों के विकेन्द्रीयकरण,

देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना संबद्ध विश्वविद्यालयों में महाविद्यालय विकास परिषद के माध्यम से अनुदानों के भुगतान का विकेन्द्रीकरण जैसी उपचारी कार्यवाहियों पर विचार कर रहा था ।

2.10 लेखों का फार्म

लोक लेखा समिति (छठी लोक सभा) ने अप्रैल 1978 में अपने तिहतरवें प्रतिवेदन के पैराग्राफ 10.21 में वार्षिक लेखों के फार्म के संशोधन हेतु सिफारिश की थी ताकि योजनागत व्यय के योजना/कार्यक्रमवार आंकड़े उपलब्ध कराए जा सकें । 1986-87 तथा 1987-88 के प्राप्तियों तथा भुगतान लेखों में वि.अ.आ. ने लेखाशीर्ष ठीक उसी तरह अपनाए थे जिस तरह ये मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बजट अनुमानों में दिखाए गए थे । वि.अ.आ. ने सितम्बर 1989 तथा जनवरी 1991 में बताया कि 1985-86 से प्रभावित योजनागत व्यय के कार्यक्रम/योजना-वार व्यौरों को दिखाते हुए लेखों के विवरण का संशोधित फार्म मंत्रालय की सलाह के साथ विचाराधीन था ।

2.11 विश्वविद्यालयों की स्थापना

1972 में संशोधित किये गये, आयोग के अधिनियम के अन्तर्गत इससे वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकने से पूर्व, वि.अ.आ. द्वारा एक नये विश्वविद्यालय को योग्य घोषित किया जाना अपेक्षित था ।

1947 के अन्त तक देश में केवल 20 विश्वविद्यालय थे । मार्च 1989 के अन्त में संख्या 144 विश्वविद्यालय (9 केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा 135 राज्य विश्वविद्यालय) थी, 27 माने गये विश्वविद्यालयों तथा

6912 महाविद्यालयों में से 31 मार्च 1989 तक 4005 महाविद्यालय वि.अ.आ. द्वारा सहायता के लिए योग्य समझे गये थे । 1980-89 के दौरान स्थापित 36 नये विश्वविद्यालयों में से तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा 33 राज्य विश्वविद्यालय थे जिसमें से छः कृषि विश्वविद्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परामर्श से स्थापित किये गये थे । शेष 27 राज्य विश्वविद्यालयों में से 12 विश्वविद्यालय वि.अ.आ. के परामर्श बिना स्थापित किये गये थे । पांच विश्वविद्यालयों के विषय में, राज्य सरकारों ने वि.अ.आ. को सन्दर्भ किया था परन्तु वि.अ.आ. से उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना उनकी स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाते गये । दो विश्वविद्यालय (श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय तिरुपति तथा मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कोदाईकनाल) वि.अ.आ. के परामर्श के प्रतिकूल स्थापित किये गये थे । केवल आठ विश्वविद्यालय वि.अ.आ. के पूर्व परामर्श के साथ स्थापित किये गये थे ।

प्राक्कलन समिति (1988-89) ने अपनी छियासठवीं रिपोर्ट (आठवीं लोक सभा) के पैरा 4.55 में इस बात पर जोर दिया था कि मंत्रालय/वि.अ.आ. से, शिक्षा के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद राज्य सरकारों की सलाह से देश में विश्वविद्यालयों की विषम वृद्धि की समस्या पर गम्भीर विचार प्रकट करना पसंद करेगी । यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना अत्यावश्यक था

कि नया विश्वविद्यालय तब भी खोला जाये जब इसकी वास्तव में आवश्यकता थी तथा तैयारी का काम गम्भीरता से किया गया था, ताकि विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के बाद अपेक्षित स्तर बनाये रखे ।

वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि वि.अ.आ. अधिनियम में, नये विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय, जो कि या तो संसद के अधिनियम द्वारा (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) अथवा राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा (राज्य विश्वविद्यालय) द्वारा स्थापित किये थे, की स्थापना पर नियंत्रण का प्रावधान नहीं था । वि.अ.आ. ने यह भी बताया कि जबकि केन्द्रीय सरकार नये विश्वविद्यालयों की स्थापना से पूर्व राज्य सरकारों को वि.अ.आ. से सलाह करने का परामर्श दे रही थी, नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए वि.अ.आ. से स्वीकृति आवश्यक नहीं थी ।

जैसा कि आयोग के अधिनियम की धारा 13(i) के अन्तर्गत अपेक्षित था जनवरी 1991 तक किसी भी विश्वविद्यालय का, उसकी वित्तीय आवश्यकताओं अथवा उसके शिक्षण, परीक्षा एवं अनुसंधान के स्तर को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षण नहीं किया गया था । वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि यद्यपि वि.अ.आ. की धारा 13 व्यवहारतः वि.अ.आ. पर निरीक्षण की शक्ति प्रदान करती है, वि.अ.आ. तथा विश्वविद्यालयों के बीच सम्बन्ध संरक्षक-ग्राहक सम्बन्ध के रूप में नहीं हुए थे । इसी पृष्ठभूमि के कारण वि.अ.आ. उस धारा के अन्तर्गत शक्तियों का सहारा लेने तथा आयोग के सामान्य उत्तरदायित्वों को

पूरा करने की प्रक्रिया में विश्वविद्यालयों के सांविधिक निरीक्षण का इच्छुक नहीं था ।

2.12 प्रबोधन तथा मूल्यांकन

विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने हेतु एक ठोस प्रबोधन तथा मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक है । यह अवलोकित किया गया था कि वि.अ.आ. ने इस द्वारा निधि प्रदत्त योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रबोधन तथा मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली स्थापित करने के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था । इस संबंध में सामान्य कमियां निम्न प्रकार थीं:

(i) वि.अ.आ. ने योजना-वार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र के विवरण नहीं बनाए थे ।

(ii) वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा व्यक्तियों के संबंध में, जिनको अनुदानों का भुगतान किया गया था, केवल अलग-अलग फाईलें ही बनाई थीं । उसके द्वारा निधिप्रदत्त योजनाओं की निर्धारित विवरणियों तथा प्रगति रिपोर्टों की प्राप्ति पर निगरानी रखने हेतु कोई समेकित अभिलेख नहीं रखा गया था । योजनाओं के प्रारंभ के वर्ष, परिव्यय, व्यय इत्यादि जैसे विवरण लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे । उन मामलों में जिनमें प्रगति रिपोर्टें प्राप्त की गई थी, कोई आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं किया गया था ।

(iii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्य की जांच करने हेतु जनवरी 1982 में वि.अ.आ. द्वारा नियुक्त की गई एक समिति ने सिफारिश की कि विश्वविद्यालयों के कार्य के साथ-साथ किये गये शैक्षिक तथा अनुसंधान

कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता को नियमित अन्तरालों पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए । इस समीक्षा के कार्य को ऐसे संगठित किया जाना चाहिए कि पांच वर्षों की अवधि में समस्त विश्वविद्यालयों के लिए यह संपन्न हो जाए। यह नहीं हुआ था। वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि उनकी आवश्यकताओं का निर्धारण करते समय यह सदैव एक योजनावधि में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों का पुनरीक्षण करता रहा था । तथापि यह जनवरी 1982 में अनुशसित मूल्यांकन के लिए कोई विकल्प नहीं था ।

आगे, मंत्रालय से परामर्शों पर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर, लोक लेखा समिति (सातवीं लोक सभा) की एक सौ उनासिवीं रिपोर्ट पर एक अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, वि.अ.आ. ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक तथा वित्तीय ढांचे की जांच करने हेतु मई 1983 में अन्य के साथ यह सुनिश्चित करने के लिये एक समिति नियुक्त की कि विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराई गई निधियां न केवल उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए वे संस्वीकृत की गई थी प्रभावी रूप से उपयोग की गई थीं, अपितु यह भी देखने के लिये कि प्रशासनिक कार्यविधियां सुव्यवस्थित बनाई गई थीं । इस समिति ने अपना कार्य सम्पूर्ण नहीं किया ।

वि.अ.आ. ने जनवरी 1986 में हैदराबाद विश्वविद्यालय, पूर्वोत्तर पर्वत विश्वविद्यालय (पू.प.वि.) तथा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यचालन की समीक्षा करने हेतु अन्य समिति नियुक्त की थी ।

हैदराबाद विश्वविद्यालय पर समिति की रिपोर्ट नवम्बर 1987 में स्तुत की गई थी परन्तु वि.अ.आ. द्वारा इस पर अभी तक (जनवरी 1991) कोई कार्यवाही नहीं की गई थी । वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि रिपोर्ट पर आयोग द्वारा विचार किया गया था । इसने यह इच्छा व्यक्त की कि पुनरीक्षण प्रक्रिया जिसे किया जा रहा था कम समय लेने वाली होनी चाहिये । पू.प.वि. पर रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित थी (जनवरी 1991)। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का पुनरीक्षण प्रारंभ नहीं किया गया था (जनवरी 1991)। सूचना अनुसार पुनरीक्षण समिति कार्य नहीं कर रही है (जनवरी 1991)।

(iv) आयोग जुलाई 1975 में, संग्रहण, संकलन तथा विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करने, वैश्लेषिक अध्ययनों को प्रारंभ करने तथा चल रही योजनाओं इत्यादि के प्रबोधन एवं मूल्यांकन करने जैसे विभिन्न कार्यों के साथ एक "अनुसंधान एवं योजना" इकाई स्थापित करने को तैयार हो गया था । वि.अ.आ. से मई 1989 में एकक द्वारा किए गए कार्य की सूचना देने का अनुरोध किया गया था । कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था । वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि "अनुसंधान तथा योजना एकक" में विचारा गया कार्य वि.अ.आ. के सभी एककों द्वारा एक दूसरे के साथ सहयोग से किया जा रहा था ।

(v) वि.अ.आ. के पास एक प्रबोधन एवं मूल्यांकन कक्ष था जिसको, इसके द्वारा निधि प्रदत्त चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन करना

अपेक्षित था । वि.अ.आ. ने कक्ष की रचना तथा इसके प्रारंभ होने की तिथि के विषय में सूचना प्रस्तुत नहीं की । अनुमान समिति ने, अपनी छियासठवीं रिपोर्ट (1988-89) आठवीं लोक सभा, में अवलोकित किया कि दिल्ली में समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों द्वारा कार्यान्वयन की जा रही योजनाओं का कठिनता से ही कोई गहन एवं विस्तृत मूल्यांकन तथा प्रबोधन अभी तक किया गया था । राज्य विश्वविद्यालयों के विषय में भी स्थिति संतोष से कहीं परे थी ।

(vi) निरीक्षण समितियाँ वि.अ.आ. द्वारा गठित की गई थी तथा पिछली योजनावधि के दौरान विकास की व्यापक तथा एकीकृत स्थिति को दशनि के लिए तथा विश्वविद्यालय के साथ-साथ नये विभागों व संकायों की समय रूप से आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के सम्बन्ध में भावी विकास के लिए सामान्य निदेश देने तथा परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना तक विश्वविद्यालय को भेजी गई थी । अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का ध्यान रखते हुए, निरीक्षण समितियों से, प्रगति, वर्तमान स्तर तथा मानकों के सुधार एवं समन्वय के लिए विश्वविद्यालयों की भविष्य की आवश्यकताओं के निर्धारण में कार्य करने की आवश्यकता थी, लोक लेखा समिति (छठी लोकसभा) ने अपनी उपरोक्त रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि निरीक्षण समितियों द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक उचित अवधि के लिए आवश्यक रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिये तथा रिपोर्ट समय पर उचित सोच

विचार से दी जानी चाहिये । सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावों को सूत्रबद्ध करने के लिए ऐसी कोई निरीक्षण समिति नियुक्त नहीं की गई थी । वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि केन्द्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालयों के लिए ऐसी कोई समितियाँ नियुक्त नहीं की गई थी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान वि.अ.आ. में सभी विश्वविद्यालयों के लिए व्यक्तिगत विचार विमर्श प्रणाली प्रारम्भ की गई थी ।

प्राक्कलन समिति (आठवीं लोकसभा) ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अवलोकित किया कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निरीक्षण समितियों का गठन न किये जाने से वि.अ.आ. छठी पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालयों के निष्पादन का अवलोकन करने से वंचित हो गया, जो कि भावी योजना तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक था, क्योंकि अधिकतर विश्वविद्यालयों को अव्यवस्थित ढंग से अंतिम रूप दिया गया था ।

2.13 जन संचार एवं शिक्षा प्रौद्योगिकी

2.13.1 मुख्य विशेषताएं:- अगस्त 1982 में स्थापित किये गये एक कार्यदल की सिफारिशों पर, वि.अ.आ. ने, उच्चतम शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने तथा विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को एक विस्तृत मापक्रम पर उच्चतम शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्यों से 1984 में "जन संचार एवं शिक्षा प्रौद्योगिकी" नामक योजना प्रारंभ की । योजना में, विश्वविद्यालयों में तीन स्तरों के केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना थी (i)

विश्वविद्यालयों (समस्त कार्यों) में शिक्षा माध्यम के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र, (ii) कुछ एक शिक्षा माध्यम केन्द्र (शि.मा.के.) अथवा शिक्षा माध्यम अनुसंधान केन्द्र (शि.मा.अ.के.) (आवश्यक रूप से कार्यक्रमों के संयोजन तथा उपयोग के लिए), (iii) विभिन्न दृश्य-श्रव्य केन्द्र (दृ.श्र.के.) अथवा श्रव्य-दृश्य अनुसंधान केन्द्र (श्र.दृ.अ.के.) (दिगविन्यास, उपयोग तथा इलेक्ट्रॉनिकी पत्रकारिता के लिए), ये सभी शिक्षा प्रौद्योगिकी पर वि.अ.आ. सचिवालय द्वारा केन्द्रीय रूप से समन्वित किये जाने थे।

2.13.2 सहायता का स्वरूप:- योजना के अन्तर्गत केन्द्रों को अनुदान जारी करने हेतु सहायता/दिशानिर्देशों का कोई विशिष्ट स्वरूप निर्धारित नहीं किया गया था। वि.अ.आ. ने जनवरी

1991 में बताया कि वि.अ.आ. द्वारा योजना पर नियुक्त कार्यदल ने विभिन्न शि.मा.अ.के./दृ.श्र.अ.के. के लिए हार्ड व सॉफ्टवेयर के संबंध में सहायता का व्यापक तरीका बताया था तथा अनुदान, कार्यबल द्वारा की गई अनुशंसाओं के साथ-साथ विशेषज्ञ समितियों, जिन्होंने माध्यम केन्द्रों का निरीक्षण किया, की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए अनुसंशित किये गये थे।

छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में क्रमशः 200 लाख रु. तथा 2000 लाख रु. परिव्यय के प्रति, व्यय 1981-82 से 1984-85 के दौरान 290.37 लाख रु. तथा 1985-86 से 1988-89 से चार वर्षों के दौरान केवल 858.21 लाख रु. था। 1985-86 से 1988-89 के दौरान बजट आबंटन तथा उसके प्रति व्यय निम्न प्रकार थे:

(लाख रु. में)

वर्ष	बजट आबंटन	व्यय	कमी की प्रतिशतता
1985-86	165.00	111.82	32
1986-87	228.00	185.69	19
1987-88	500.00	282.30	44
1988-89	350.00	278.40	20

1985-86 से 1988-89 के दौरान बजट आबंटन के उपयोग में कमी 19 से लेकर 44 प्रतिशत तक रही। वि.अ.आ. ने कुछ मामलों में कमियों को अवसंरचना के प्रावधान की समय लेने वाली प्रक्रिया, उपस्कर के आयात तथा कर्मचारियों की अनुपलब्धता

पर आरोपित किया (जनवरी 1991)।

वि.अ.आ. ने 1988-89 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा लेखापरीक्षित लेखा विवरणों के विषय में सूचना भी प्रस्तुत नहीं की (जनवरी 1991)।

2.13.3 प्रत्यक्ष प्रगति: 31 मार्च 1989 तक, वि.अ.आ. ने जामिया मिलिया इस्लामिया (1981) में एक जन संचार अनुसंधान केन्द्र (ज.सं.अ.के.), शि.मा.अ.के. सहित जामिया मिलिया इस्लामिया में एक वि.अ.आ.-ईनसैट परियोजना इकाई, विभिन्न विश्वविद्यालयों में तीन शि.मा.अ.के. तथा नौ श्र.दृ.अ.के. स्थापित किये थे। वि.अ.आ. द्वारा शि.मा.अ.के./श्र.दृ.अ.के. की स्थापना के लिए कोई लक्ष्य नियत नहीं किये गये थे।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा माध्यम के लिए राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित नहीं किया गया था। वि.अ.आ. ने मार्च 1990 में बताया कि मुक्त विश्वविद्यालय/सुदूर अध्ययन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में आगे बताया कि कुछ अन्य एजेंसियों के सहयोग से शि.मा.अ.के. तथा श्र.दृ.अ.के. संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने ढंग से कार्य कर रहे थे, परन्तु प्रयत्नों के लिये समन्वयन तथा सरल व कारगर होने की आवश्यकता थी ताकि पुनरावृत्ति से बचा जा सके तथा सुविधाओं के वृहत्तर समावेश की आयोजना हो सके तथा यह शैक्षिक माध्यम केन्द्रों के संघ की अपेक्षित स्थापना थी।

2.13.4 कार्यक्रमों का संयोजन:- विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थित माध्यम केन्द्रों तथा वि.अ.आ. के बीच समझौते के ज्ञापन के अनुसार, प्रत्येक

श्र.दृ.अ.के. को 3-4 कार्यक्रम तथा प्रत्येक शि.मा.अ.के. को 4-8 कार्यक्रम जहां तक संभव हो, माह में एक बार संयोजित करना अपेक्षित था।

31 मार्च 1989 तक पांच सा.स.अ.के./शि.मा.अ.के. तथा नौ श्र.दृ.अ.के. द्वारा 1164 संख्या के कुल कार्यक्रम संयोजित किये गये थे। मार्च 1989 तक चार शि.मा.अ.के. में से तीन ने एक महीने में 4 कार्यक्रमों की न्यूनतम संख्या का भी निर्माण नहीं किया था। पुनः दिसम्बर 1986 (एक) तथा जनवरी 1989 (दो) में स्थापित नौ श्र.दृ.अ.के. में से तीन ने मार्च 1989 तक एक भी कार्यक्रम का निर्माण नहीं किया था। शेष बचे छः श्र.दृ.अ.के. में से किसी ने भी कार्यक्रमों की न्यूनतम संख्या का निर्माण भी नहीं किया था। वि.अ.आ. ने निष्पादन में जो कि उम्मीद से काफी कम था के सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में स्वीकार किया कि यद्यपि विभिन्न माध्यम केन्द्रों द्वारा निर्मित कार्यक्रमों की संख्या काफी संतोषजनक स्तर पर पहुंच गई थी, कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा गम्भीरता के संदर्भ में काफी कुछ होना वांछित था। कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा प्रमात्रा, दोनों के संबंध में निष्पादन में सुधार के लिए कार्यक्रम पर आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में विशेष सुझाव दिये गये थे।

वि.अ.आ. ने दिसम्बर 1986 में श्रीनगर में एक श्र.दृ.अ.के. स्थापित करना संस्वीकृत किया तथा कश्मीर विश्वविद्यालय को अप्रैल 1987 में 21 लाख

रु. का एक अनुदान जारी किया। वि.अ.आ.ने भुगतान किए गए अनुदान के प्रति न तो उपयोगिता प्रमाणपत्र न ही लेखापरीक्षित लेखा विवरण ही प्राप्त किये। श्र.दृ.अ.के. ने अभी तक एक भी कार्यक्रम संयोजित नहीं किया था (जनवरी 1991)।

वि.अ.आ. ने, अक्टूबर 1989 में बताया, कि दृ.श्र.अ.के. कार्य नहीं कर रहा था क्योंकि उसका स्टूडियो तथा अन्य सिविल परिवर्तन सम्पूर्ण नहीं किये गये थे तथा विश्वविद्यालय से नवम्बर 1989 में अनुदान वापिस करने के लिए कहा गया था।

2.13.5 आदर्श पाठ्यक्रम सामग्री को तैयार करना:- शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986) पर कार्यवाही के कार्यक्रम में, आने वाले तीन वर्षों में आडियो/वीडियो कैसिटों के रूप में, 15 विषयों में आदर्श पाठ्यक्रम सामग्री को तैयार करने हेतु विचार हुआ। पूर्व स्नातक विद्यार्थियों के लिए आठ उत्पादन केन्द्रों में, 15 विषयों में बनाये जाने वाले आदर्श वीडियो पाठ्यक्रम की तैयारी से संबंधित मामलों पर परामर्श देने हेतु मार्च 1987 में वि.अ.आ. द्वारा एक समिति गठित की गई थी। तथापि, दिसम्बर 1990 तक एक भी कार्यक्रम अथवा आदर्श पाठ्यक्रम सामग्री तैयार नहीं की गई थी। वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि रसायन-शास्त्र, भूगोल, गृह-विज्ञान, गणित, भौतिकी, राजनीति शास्त्र इत्यादि के विषयों में रिकार्डिंग काफी अग्रवर्ती स्तर पर थी तथा अन्य विषयों के मामले में तत्परता लाई जा रही थी तथा विश्वविद्यालयों को शीघ्र कैसिटें उपलब्ध कराने के

प्रयास किये जा रहे थे।

2.13.6 कार्यक्रमों का दूरदर्शन प्रसारण: विभिन्न केन्द्रों द्वारा तैयार किये गये 1164 कार्यक्रमों के अतिरिक्त वि.अ.आ. ने 1984-87 के दौरान 8.49 लाख रु. की एक लागत पर विदेशी संस्थाओं से 167 कार्यक्रम, तथा 1986 से 1989 के दौरान 9.81 लाख रु. की एक लागतपर भारतीय उद्गमों से 41 कार्यक्रम खरीदे। वि.अ.आ. ने 1984 से 1988 के दौरान भारत तथा विदेश में विभिन्न संस्थाओं से, निःशुल्क 636 भारतीय तथा विदेशी कार्यक्रम भी प्राप्त किये।

वि.अ.आ. के अनुसार (जनवरी 1991) 1984-85 से 1988-89 के दौरान 3892 कार्यक्रम प्रसारित किए गए थे (पुनःप्रसारित कार्यक्रमों सहित) तथा सामान्यतः प्रत्येक कार्यक्रम 20 मिनट की अवधि का था।

1987 तथा 1988 के दौरान प्रसारित किये गये कार्यक्रमों के संबंध में प्राप्त हुए पुर्ननिवेशन ने दर्शाया कि जबकि दर्शकों द्वारा अधिकतर संख्या के कार्यक्रम अत्यन्त सराहे गये थे, कुछ एक कार्यक्रमों की निर्माण की घटिया गुणवत्ता तथा प्रस्तुतिकरण के लिए कड़ी आलोचना भी हुई थी। प्रसारण की अन्य आलोचनाएं, प्रसारणों के समय की अनुपयुक्तता, कार्यक्रमों को अंतिम क्षण में रद्द करने, हिन्दी में कार्यक्रमों को डब करने की आवश्यकता तथा कार्यक्रमों के अग्रिम प्रचार पर केन्द्रित रही।

2.13.7 वि.अ.आ. की स्कूल-पूर्व बाल दूरदर्शन परियोजना:- वि.अ.आ. ने, फरवरी 1987 में

वि.अ.आ. द्वारा नियुक्त किये गये अनुसंधान वैज्ञानिक के निर्देशन के अन्तर्गत हिन्दी तथा तीन क्षेत्रीय भाषाओं में 13 एपिसोडों के लिए अप्रैल 1987 में एक स्कूल-पूर्व बाल दूरदर्शन परियोजना प्रारंभ की। परियोजना लेडी ईरविन कालेज, नई दिल्ली में स्थापित की गई थी। आयोग ने सितम्बर 1987 में 30 लाख रु. के वित्तीय आबंटन के साथ परियोजना अनुमोदित की तथा महाविद्यालय को प्रशासनिक लागतों के रूप में परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अनुमत किया गया था। 13 एपिसोडों के निर्माण के लिए परियोजना की अवधि 13 माह थी। 30 लाख रु. के आबंटन के प्रति, 38 लाख रु. परियोजना को जारी किये गये थे जिसमें से 23 लाख रु. लेडी ईरविन कालेज, नई दिल्ली को, 10 लाख रु. शि.मा.अ.के. गुजरात तथा 5 लाख रु. जामिया मिलिया इस्लामियां, नई दिल्ली को अदा किये गये थे। परियोजना 31 मार्च 1990 तक बढ़ाई गई थी। लेडी ईरविन कालेज को अक्टूबर 1990 में 7 लाख रुपये के अन्य "ऑन एकाउंट" अनुदान दिया गया था। समय अनुसूची को बढ़ाने के लिए तथा आबंटित राशि 15 लाख रु. तक बढ़ाने हेतु कारण सामने नहीं आ रहे थे।

वि.अ.आ. ने दिसम्बर 1989 में बताया कि 13 एपिसोडों में से एक एपिसोड मार्च 1989 में, दो एपिसोड जुलाई 1989 में पूरे हो गये थे, तथा चार से आठ एपिसोडों की मार्च 1990 तक सम्पूर्ण होने की आशा थी। वि.अ.आ. ने एपिसोडों के विषय में नवीनतम स्थिति सूचित नहीं की थी। सम्पूर्ण किये गये

एपिसोड आयोग परामर्श समिति द्वारा अनुमत किये गये थे-एक मार्च 1989 में तथा अन्य दो अगस्त 1989 में कोई एपिसोड अभी तक प्रसारित नहीं किया गया था (जनवरी 1991), वि.अ.आ. द्वारा एपिसोडों को प्रसारित न करने के कारण प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

अधिनियम के अंतर्गत आयोग का सामान्य कर्तव्य, विश्वविद्यालय के उन्नयन एवं समन्वयन हेतु, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा एवं अनुसंधान के स्तरों को सुनिश्चित करने तथा बनाये रखने हेतु तथा भारत में उच्चतर शिक्षा के हित को आगे बढ़ाने के लिये अन्य ऐसे कार्य निष्पादित करने के लिये ऐसी कार्यवाही करना, जिसे वह उचित समझे, था। परियोजना, अधिनियम में निर्धारित इसकी गतिविधियों के कार्यक्षेत्र में नहीं आती थी क्योंकि यह उच्चतर शिक्षा से संबंध नहीं रखती थी।

वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि शिक्षा प्रक्रिया सांत्विक होने के नाते, शिक्षा के सभी स्तरों पर अभिनव परिवर्तन तथा अनुसंधान प्रासंगिकता रखते हैं। अतः परियोजना शैक्षिक प्रणाली तथा समिति के लिये कुल मिलाकर लाभदायक होगी।

2.13.8 रंगीन टी.वी. रिसीवरों की खरीद:

वि.अ.आ. ने 726 रंगीन टी.वी. सैट 6800/6830 रुपये प्रति सैट बिक्री कर तथा चुंगी कर रहित कीमत पर तथा 676 रंगीन टी.वी. सैट 6845 रुपये प्रति सैट चुंगी कर रहित कीमत पर दक्षिण तथा पश्चिम क्षेत्रों तथा उत्तर और पूर्व क्षेत्रों में महाविद्यालयों को आपूर्ति के लिए क्रमशः इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन आफ इंडिया

लिमिटेड (इ.का.इ.लि.) तथा अपट्रान इंडिया लि. (अपट्रान) को, सीमित उद्धरणों के आधार पर फरवरी 1987 में, आदेश दिये। मूल्य स्थिर थे तथा अन्तर के अधीन नहीं थे और आपूर्तियां अप्रैल 1987 तक पूरी की जानी थी। फर्मों ने कुल मिलाकर क्रमशः केवल 594 तथा 365 सैटों की ही आपूर्ति की थी। वि.अ.आ. ने इ.का.इ.लि. को 46.27 लाख रु. तथा अपट्रान को 27.10 लाख रु. दिये थे। इस द्वारा आपूर्ति 365 सैटों के लिए अपट्रान को दी जाने वाली 24.98 लाख रु. की राशि (चुंगी शुल्क को छोड़कर) के प्रति, वास्तव में दी गई राशि 27.10 लाख रु. थी; अपट्रान के लेखे का अभी तक अंतिम रूप से निपटान नहीं किया गया था। यद्यपि, दो फर्मों द्वारा निर्धारित तिथि तक एक भी सैट की आपूर्ति नहीं की गई थी, वि.अ.आ. ने फर्मों से क्रय आदेशों के लिए 2 प्रतिशत की दर से शास्ति की वसूली नहीं की थी। वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि कुछ संचालनात्मक कठिनाइयों तथा टी.वी. सैटों पर बढ़ी हुई उत्पाद शुल्क के कारण महाविद्यालयों में टी.वी. सैट संस्थापित करने में कुछ विलम्ब हुए थे। अपूर्तिकर्ता, विशेष मामले के रूप में, वि.अ.आ. को सैट के मूल मूल्य पर छूट अनुमत करने के लिए सहमत हो गया तथा क्योंकि वि.अ.आ. द्वारा वास्तविक भुगतानों में भी विलम्ब थे, कोई शास्ति वसूल नहीं की गई थी।

वि.अ.आ. ने सैटों की आपूर्ति के लिए न तो खुली निविदाएं ही आमंत्रित की, न ही फर्मों के साथ औपचारिक समझौते किये थे।

2.14 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु स्थाई समिति

2.14.1 प्रमुख विशिष्टताएं: विश्वविद्यालयों/संस्थानों में चयनित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागों, जिन्होंने पहले से ही कहीं अधिक अच्छा करने हेतु तथा विकसित देशों में, और कहीं, अपने प्रतिस्थानियों की तुलना में स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए उच्च गुणवत्ता निष्पादन पहले ही प्राप्त/प्रदर्शित कर लिये थे, को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने पर मंत्रीमंडल के लिए विज्ञान परामर्श समिति (मं.वि.प.स.) की सिफारिशों पर एक योजना 1983-84 में प्रारंभ की गई थी। योजना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु स्थाई समिति (वि.प्रौ.अ.स.) नामक एक उच्चाधिकार समिति के साथ परामर्श के साथ चलाई जा रही थी।

2.14.2 सहायता का स्वरूप: योजना के अन्तर्गत, परिष्कृत अनुसंधान उपस्कर, ऐसे उपस्कर को संचालित करने हेतु निरंतर विद्युत आपूर्ति प्रणाली, क्राईजैनिक सुविधाएं, रिप्रोग्राफिक सुविधाएं, वातानुकूलन विद्युत जनेरेटर तथा भवनों इत्यादि की खरीद हेतु पांच वर्ष की एक अवधि के लिए 50 से 60 लाख रु. की सीमा तक चयनित विभागों को सहायता प्रदान की जानी थी। वि.अ.आ. ने इस प्रावधान के अधीन कि पांच वर्षों की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के पश्चात कर्मचारियों के वेतन के लिये देयता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा उठाई जायेगी,

उपलब्ध कराये गये परिष्कृत उपस्कर के संचालन हेतु योजना के अन्तर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों/कुछ तकनीकी स्टाफ के वेतन के प्रति योगदान देना भी संस्थानों को वि.अ.आ. ने 1983-84 से 1989-90 स्वीकार किया । उपस्कर को बेहतर बनाने तथा के दौरान 5010.51 लाख रु. जारी किये जैसा कि रख-रखाव के लिए अनुदान का पांच प्रतिशत उपलब्ध नीचे विस्तार से दिया गया है:

कराया गया था ।

वर्ष	बजट प्रावधान (लाख रु. में)	विश्वविद्यालयों/ संस्थानों की संख्या		अनुदान की राशि (लाख रु. में)	
		चयनित	सहायता प्रदत्त*	संस्वीकृत	जारी
1983-84	500	12	12	452.20	452.20
1984-85	700	26	24	699.82	699.82
1985-86	300	18	14	627.79	380.34
1986-87	750	6	12	701.61	779.92
1987-88	1000	31	23	937.24	999.48
1988-89	900	5	13	887.77	899.09
1989-90	764	12	12	722.91	799.66
जोड़	4914	110	110	5029.34	5010.51

*केवल नये मामले, पूर्व वर्ष में पहले से ही सहायता प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्थाओं को छोड़कर ।

1985-86 के दौरान 300 लाख रु. के प्रावधान करने के लिए कारण, जिसके परिणामस्वरूप 327.79 के प्रति 627.79 लाख रु. की संस्वीकृतियाँ जारी लाख रु. (109 प्रतिशत) तक अधिक राशि जारी हुई,

लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे ।

1988-89 तक जारी की गई 4210.85 लाख रु. की सहायता के प्रति, 3331.93 लाख रु. के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थे (सितम्बर 1989) । वि.अ.आ. के पास बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या एवं राशियों के वर्षवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे । वि.अ.आ. ने उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर उचित निगरानी नहीं रखी थी ।

2.14.3 प्रबोधन तथा मूल्यांकन:

विश्वविद्यालयों/संस्थानों जिनको योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई थी, के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्ष में अवसंरचना के सुदृढीकरण हेतु कम से कम एक विषय विशेषज्ञ तथा एक वैज्ञानिक कर्मिक को समाविष्ट करते हुए विशेष रूप से संस्थापित की गई समिति द्वारा, सहायता के प्रावधान के एक वर्ष के पश्चात, दौरे किये जाने अपेक्षित थे । विश्वविद्यालयों का निरीक्षण सामान्यता एक से दो दिन तक था । 31 मार्च 1989 तक सहायता प्रदान किये गये विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के 98 विभागों में से चार विभागों सहित जिनका दो बार निरीक्षण हुआ था केवल 80 विभाग 31 मार्च 1990 तक विशेषज्ञ समिति द्वारा निरीक्षित किये गये थे तथा 1986-87 (एक) के दौरान सहायता प्रदान किये गए 22, 1987-88 (नौ) तथा 1988-89 (12) विभाग वि.अ.आ. द्वारा बनाई जाने वाली समिति द्वारा अभी निरीक्षित किये जाने थे ।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों को निधियों को प्राप्त करते हुए प्रत्येक छः माह पर प्रगति रिपोर्ट को भेजना

अपेक्षित था तथा यदि प्रगति असंतोषजनक थी तो आगे सहायता बन्द की जा सकती थी । वि.अ.आ. ने जनवरी 1990 में बताया कि विभाग प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत कर रहे थे । तथापि, सात मामलों की नमूना जांच ने, दर्शाया कि केवल दो मामलों में, एक एक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की गई थी । वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि विश्वविद्यालयों पर हमारी प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से भेजने पर दबाव डाला जा रहा था ।

योजना के अन्तर्गत उपस्कर अनुदान, जैसा कि योजना में विशेष रूप से वर्णन किया गया था केवल ऐसे उपस्कर की अधिप्राप्ति के लिए एक एकाकी निवेश के रूप में उपलब्ध कराई गई थी । 1983-84 से 1985-86 के दौरान अनुमोदित किये गये 56 विश्वविद्यालयों/संस्थानों को 1983-84 से 1988-89 के दौरान उपस्कर के लिए जारी किए गए 2216.48 लाख रु. के कुल अनावर्ती अनुदान के प्रति, जुलाई 1990 तक 140 लाख रु. अप्रयुक्त पड़े रहे जो कि वि.अ.आ. को वापिस नहीं किये गये थे । वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि विश्वविद्यालयों को उपस्कर के आयात से सम्बन्धित अति विशेष मामले के रूप में मार्च 1991 तक अव्ययित शेष को उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी ।

योजना का बाह्य मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया था यद्यपि पांच वर्षों के लिए 36 विभागों को सहायता प्रदान की गई थी । वि.अ.आ. ने जनवरी

1991 में बताया कि 15 विभागों ने राष्ट्रीय तथा अन्य अनुसंधान प्रयोगशालाएं/अ.वि.संगठनों से अपने निष्पादन को प्रदर्शित करने के लिए विशेषज्ञ बुलाए गए थे ।

2.15 मुख्य अनुसंधान परियोजनाएं

2.15.1 प्रमुख विशेषताएं: मुख्य अनुसंधान परियोजनाओं की योजना के अन्तर्गत, वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों को, विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्रों तथा इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी में पूर्णतः निरूपित अनुसंधान परियोजनाओं को प्रारंभ करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई । परियोजना की अवधि तीन वर्ष होनी थी जो कि अन्य दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती थी । परियोजना रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्राप्त की जानी थी तथा समयविस्तार के लिए निवेदन परियोजना के समापन के कम से कम तीन माह पूर्व किया जाना अपेक्षित था । तीन वर्षों से अधिक विस्तार के लिये केवल तभी विचार किया जाना था यदि परियोजना कार्य संतोषजनक पाया गया हो ।

विशेषज्ञों के परामर्श पर वि.अ.आ. द्वारा अनुदान संस्वीकृत किया गया था तथा कार्य की प्रगति पर निर्भर करते हुए उचित किस्तों में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को जारी की गई । परियोजना के समापन पर अप्रयुक्त पड़ा हुआ कोई भी अनुदान वि.अ.आ. को वापिस लौटाया जाना था । जांचकर्ता को विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के माध्यम से, अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट सहित व्यय की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी थी । अवधि समापन के तीन माह के भीतर जिसके लिए परियोजना अनुमोदित की गई थी, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा परियोजना पर किये गये समस्त अनुमोदित व्यय का उयोगिता प्रमाणपत्र तथा लेखों की एक लेखापरीक्षित विवरणी वि.अ.आ. को भेजना अपेक्षित था ।

2.15.2 प्रत्यक्ष तथा वित्तीय प्रगति: 1974-75 से 1989-90 के दौरान अनुदानों की राशियों सहित अनुमोदित मुख्य परियोजनाओं की संख्या तथा अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, विज्ञान तथा समाज विज्ञान और मानविकी में अनुसंधान परियोजनाओं के लिये जारी राशियां निम्न प्रकार थी:

(लाख रु. में)

वर्ष	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या			अनुमोदित अनुदान की राशि			जारी की गई राशि		
	अ.प्रौ.	वि.	स.वि.मा.	अ.प्रौ.	वि.	स.वि.मा.	अ.प्रौ.	वि.	स.वि.मा.
1974-75से									
1984-85									
के दौरान	136	2458	586	151.07	2165.65	207.05	59.89	1494.71	157.17
1985-86	4	216	99	3.55	283.81	62.95	4.40	176.05	33.78
1986-87	7	191	132	12.17	231.91	72.91	8.45	239.24	53.35
1987-88	5	162	103	8.32	181.16	56.72	10.94	283.03	52.57
1988-89	उ न	199	136	उ न	उ न	उ न	7.60	229.81	54.44
1989-90	उ न	उ न	उ न	उ न	उ न	उ न	5.80	374.59	39.88
जोड़							97.08	2797.43	391.19

अ.प्रौ.: अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी; वि: विज्ञान; स.वि.मा.: समाज विज्ञान व मानविकी

उ न : उपलब्ध नहीं

कोई प्रत्यक्ष लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे । 1986-87 के दौरान 53 मुख्य अनुसंधान 1984-85 से 1988-89 वर्षों के लिये बजट अनुमानों परियोजनाओं के लिये 63.99 लाख रु. जारी किये तथा छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के योजना जिनके प्रति 36.14 लाख रु. राशि के उपयोगिता परिव्ययों के संबंध में सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध प्रमाणपत्र अभी भी बाकी थे । केवल 13 परियोजनायें नहीं कराई गई थी । बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की पूरी हुई थीं लेकिन उनका अन्तिम मूल्यांकन नहीं किया राशि भी वि.वि.अ. आ. के पास उपलब्ध नहीं थी । गया था तथा 1980-81 से आगे संस्वीकृत हुई बाकी

2.15.3 अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी 40 परियोजनाएँ जिनके लिये 40.68 लाख रु. जारी परियोजनाएं:- वि. अ. आ. ने 1980-81 से किये थे, अपूर्ण थीं ।

21 परियोजनाओं (राशि 12.62 लाख रु.) के संबंध में एक भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी जबकि परियोजनाओं की संख्या, जिनके लिये पहली दूसरी और तीसरी वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त हुई थी वे क्रमशः आठ, नौ तथा दो थीं ।

4.78 लाख रु. अन्तर्गग्रस्त करते हुए दो मामलों में प्रधान अन्वेषक परियोजना को बिना पूरा किये सितम्बर 1983 तथा नवम्बर 1983 में विदेश चले गये थे जिसने समस्त व्यय को निष्फल बना दिया । एक मामले में, जुलाई 1982 में अनुदान की राशि जारी करने के बाद वि.अ.आ. को परियोजना की स्थिति का पता नहीं था । एक अन्य मामले में (राशि- 2.71 लाख रु.) प्रधान अन्वेषक से प्रार्थना पर सितम्बर 1985 में एक वर्ष की बढ़ौतरी प्रदान की गई थी, यद्यपि यह परियोजना के निलम्बन से कम से कम तीन महीनों की निर्धारित अवधि पूर्व प्राप्त नहीं हुई थी तथा प्रबोधक द्वारा उसकी प्रगति रिपोर्ट का मूल्यांकन भी नहीं किया गया था ।

2.15.4 विज्ञान परियोजनायें: वि.अ.आ. के अनुसार (जनवरी 1991) 1980-81 से 1988-89 के दौरान विज्ञान में 2019 मुख्य अनुसंधान परियोजनाएं प्रदान की गई थीं । वि.अ.आ. ने पूरी की गई तथा मूल्यांकित परियोजनाओं की संख्या, अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या तथा 31 मार्च 1989 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की राशि के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई ।

76 अनुसंधान परियोजनाओं जिनके लिये

1982-83 से 1986-87 के दौरान कुल 77.32 लाख रु. के अनुदान जारी किये गये थे, की नमूना जांच से प्रतीत हुआ कि केवल 46 मामलों में ही अन्तिम समेकित रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं । रिपोर्टें 27 मामलों में मूल्यांकित की गईं; कोई एक भी रिपोर्ट उत्कृष्ट श्रेणी की नहीं मानी गई थी, 9 रिपोर्टें अच्छी वर्गीकृत की गई थीं तथा 12 रिपोर्टें संतोषजनक श्रेणी में रखी गई थीं जबकि 5.18 लाख रुपये शामिल करते हुए छः रिपोर्टें असंतोषजनक थीं । 24.04 लाख रु. अन्तर्गग्रस्त करते हुए 24 मामलों में अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी तथा छः मामलों में (राशि 2.53 लाख रु.) पहली वार्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हुई थी । उन मामलों की संख्या, जिनमें पहली, दूसरी तथा तीसरी वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त हुई थी क्रमशः एक, सोलह तथा सात थीं ।

2.15.5 समाज विज्ञान तथा मानविकी परियोजनाएं: वि. अ. आ. के अनुसार (जनवरी 1991), 1980-81 से 1988-89 के दौरान समाज विज्ञान तथा मानविकी में 801 मुख्य परियोजनाएं प्रदान की गई थीं । वि.अ.आ. ने, पूर्ण की गई, मूल्यांकित परियोजनाओं की संख्या तथा वर्ष 1984-85 से 1988-89 के लिये उपयोगिता प्रमाणपत्रों की बकाया राशि के संबंध में सूचना नहीं भेजी थी ।

40 मामलों (1983, 1984, 1985 तथा 1986 प्रत्येक में 10) की नमूना जांच ने दर्शाया कि 26.47 लाख रु. के अनुदान की अनुमोदित राशि के प्रति 14.10 लाख रु. संस्वीकृत किये गये थे तथा 12.08 लाख रु. जारी किये गये थे । यद्यपि वि. अ. आ. ने

0.57 लाख रु. के लिये लेखों के लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त किये थे, 9.95 लाख रुपये के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी किये गये थे।

परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद, अनुदान की पहली किस्त संस्वीकृत करने में 13 महीने तक के विलम्ब थे; इसके अतिरिक्त वि. अ. आ. से संस्वीकृति जारी होने के बाद अनुदान की पहली किस्त जारी करने में 4 महीने तक का समय लिया। वे मामले जिनमें सभी तीन वार्षिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त हुई थी, की संख्या केवल सात थी, 10 मामलों में एक भी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी; जबकि उन मामलों जिनमें पहली व दूसरी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई थी की संख्या 5 और 17 थी।

2.15.6 परियोजनाओं का संवर्गीकरण: विज्ञान तथा इंजीनियरी प्रौद्योगिकी पर मुख्य अनुसंधान परियोजनायें, मूल/मौलिक अनुसंधान परियोजनायें, प्रायोगिक या अनुसंधान तथा विकास अभिमुख परियोजनायें तथा उपस्करों के विकास और संरचना हेतु परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत की गई थी। 1974 से 1982 के दौरान प्रदान की गई परियोजनाओं का लगभग 85 प्रतिशत मूल/मौलिक अनुसंधान परियोजनाओं में वर्गीकृत था तथा 14 प्रतिशत प्रायोगिक या अनुसंधान तथा विकास अभिमुख परियोजनाओं से संबंधित था। 1983 से आगे प्रदान की गई परियोजनाओं के संबंध में इसी प्रकार की सूचना वि. अ. आ. द्वारा, उपलब्ध/प्रस्तुत नहीं की गई थी।

2.15.7 प्रबोधन: वि. अ. आ. ने उसके द्वारा प्रदत्त विभिन्न परियोजनाओं का, एक रजिस्टर के रूप में समेकित अभिलेख तैयार नहीं किया गया। विश्वविद्यालयों में प्रगति के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान की एक निदेशिका का वि. अ. आ. तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशन भी 1974 से बंद कर दिया था।

योजना में, व्यय के विवरण, उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा प्रगति रिपोर्टें भेजने हेतु व्यवस्था थी। तथापि, वि. अ. आ. ने, इन रिपोर्टों की प्राप्ति के प्रबोधन हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की थी। प्रगति रिपोर्ट/अन्तिम समेकित रिपोर्टें प्रबोधक को मूल्यांकन के लिये संदर्भित की जानी अपेक्षित थी। वि. अ. आ. के पास, उन रिपोर्टों की संख्या जिनमें ये रिपोर्ट प्रबोधक को मूल्यांकन हेतु संदर्भित की गई थी, मूल्यांकन उपरान्त प्राप्ति की संख्या तथा बकाया रही हुई की संख्या की कोई सूचना नहीं थी। वि. अ. आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि इसने अब अनुसंधान कार्यक्रमों का अनुसंधान ब्यूरो में पुनर्गठित कर दिया था तथा प्रबोधन इत्यादि के लिए लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सुझाव के कार्यान्वयन के लिए संचालनात्मक विशिष्टताओं में साकार किये जायेंगे तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छःमाही रिपोर्टें नियमित रूपसे प्राप्त हो रही थी तथा परियोजनाएं समुचित तंत्र के माध्यम से प्रबोधित की गई थी।

2.16 अनुसंधान वैज्ञानिक

2.16.1 मुख्य विशेषताएं: वि. वि. अ. आ. ने

1983-84 में, रचनात्मक कार्य के लिये श्रेष्ठ योग्यता तथा उत्साह वाले व्यक्तियों को सुअवसर उपलब्ध कराके समाज विज्ञान सहित विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी एवं मानविकी में उच्च गुणवत्ता अनुसंधान को उन्नत करने के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान वैज्ञानिकों के एक संवर्ग बनाने के विचार से "अनुसंधान वैज्ञानिक" की एक योजना शुरू की। योजना के अधीन वि. अ. आ. ने, प्राध्यापकों, रीडरों, प्रोफेसरों के पदों के तदनु रूप क, ख, ग वर्गों में विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी (100 स्थान) एवं मानविकी और समाज विज्ञान (100 स्थान) प्रत्येक में अनुसंधान वैज्ञानिकों के 200 स्थान 60:30:10 के अनुपात में स्थापित किये। उपयुक्त वेतनमानों में वेतन के अतिरिक्त प्रदान किये जाने में 5000 रु. प्रतिवर्ष

आकस्मिक अनुदान शामिल था।

पुरस्कार, उसी या निष्पादन पर निर्भर करते हुए उच्चतर पद पर भी, नवीकरण के अधीन प्रथमतः 5 वर्षों की एक अनुबद्ध अवधि के लिये थे। वि. अ. आ. द्वारा पुरस्कार प्राप्तकर्ता के निष्पादन का 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले लगातार निर्धारण तथा प्रबोधन किया जाना था।

2.16.2 प्रत्यक्ष एवं विल्टीय निष्पादन: 1984-85

से 1989-90 के लिये कोई प्रत्यक्ष अथवा विल्टीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे।

1984-85 से 1989-90 के दौरान योजना के अधीन 246.15 लाख रु. की कुल राशि विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अदा की गई थी।

(लाख रु. में)

वर्ष	मानविकी एवं समाज विज्ञान		विज्ञान अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी		योग	
	विश्व-विद्यालय	महा-विद्यालय	विश्व-विद्यालय	महा-विद्यालय	विश्व-विद्यालय	महा-विद्यालय
1984-85	-	-	0.14	-	0.14	-
1985-86	6.11	0.79	3.89	-	10.00	0.79
1986-87	9.27	0.54	5.27	0.05	14.54	0.59
1987-88	8.88	0.93	3.28	0.86	12.16	1.79
1988-89	23.50	1.54	16.79	0.72	40.29	2.26
1989-90	62.57	3.78	94.40	2.84	156.97	6.62
	110.33	7.58	123.77	4.47	234.10	12.05

वि. अ.आ. को उस राशि का पता नहीं था जिनके लिये उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा लेखों के लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त नहीं हुए थे ।

1988-89 तक पुरस्कारों की संख्या 208 थी जिसके प्रति 132 उम्मीदवार सम्मिलित हुए । वि.अ.आ. ने यह कारण प्रस्तुत नहीं किये कि शेष 76 उम्मीदवार सम्मिलित क्यों नहीं हुए (अप्रैल 1991) । दो उम्मीदवार 1986-87 में बिना निर्धारित चयन प्रक्रिया अपनाये नियुक्त किये गये थे; अन्य दो मामलों में नियुक्तियां, उम्मीदवारों के जब भी प्राप्त हुए प्रार्थनापत्रों के आधार पर की गई थी ।

43 वृत्तिभोगी जो 1984-87 के दौरान शामिल हुए, में से, 20 बिना अपनी अवधि पूरी किये त्यागपत्र दे गये - 1984-85 में 1, 1985-86 में 3, 1986-87 में 9, 1987-88 में 3, तथा 1988-89 में 4 । इस प्रकार इन छोड़कर जाने वालों पर व्यय निष्फल था ।

अनुसंधान वैज्ञानिकों और वि. अ. आ. के बीच न तो करारनामा किया गया था और न ही अवधि पूरा करने के लिये अनुसंधान वैज्ञानिकों से किसी फार्म में बाँड या वचन लिया गया था । वि. अ. आ. ने जुलाई 1990 में सूचित किया कि मामले पर विचार किया गया था तथा यह निर्णय लिया गया था कि अनुसंधान वैज्ञानिकों तथा वि. अ. आ. के बीच कोई करारनामा या बाँड निष्पादित न किया जाये । वि. अ. आ. ने निर्णय से सम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा को नहीं भेजे ।

योजना में विचार किया गया था कि चुने गये उम्मीदवारों को उपयुक्त विश्वविद्यालय विभागों में भेजा जायेगा जहां वे विभाग के अनुसंधान प्रयासों को आगे बढ़ायेगे तथा किसी सीमा तक अध्यापन गतिविधियों में भी भाग लेंगे । वैज्ञानिकों को विभाग/विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रत्येक वर्ष प्रगति रिपोर्ट भेजनी भी अपेक्षित थी । इसके बावजूद भी, दो मामलों में वैज्ञानिक वि. अ. आ. के साथ संलग्न थे तथा उसके द्वारा सीधे ही भुगतान दिया गया था । इन वैज्ञानिकों द्वारा किये गये कार्य के बारे में, योजना पर कार्य करने वाले वि. अ. आ. के सम्बन्धित कार्यदल को भी पता नहीं था । इन मामलों में से एक में अनुसंधान वैज्ञानिक का पद जैसा कि योजना में निहित था 5 वर्ष की अवधि के लिये की बजाय उपाध्यक्ष के कार्यकाल के साथ ही साथ माना गया था । वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि अनुसंधान वैज्ञानिक पूर्व उपाध्यक्षों के साथ थे जो कि अनुसंधान कार्यों को मार्ग निर्देश देने वाले विख्यात शिक्षाविद् थे ।

2.16.3 प्रबोधन एवं मूल्यांकन: योजना के अंतर्गत अनुसंधान वैज्ञानिकों द्वारा किये गये कार्य की छः मासिक/वार्षिक प्रगति रिपोर्टें वि. अ. आ. को निर्धारित फार्म में भेजी जानी अपेक्षित थी । यह देखने के लिये कि क्या छः मासिक/वार्षिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त हुई थी कोई उचित निगरानी नहीं रखी गई थी । वि. अ. आ. ने जुलाई 1990 में बताया कि वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित फाइलों में उपलब्ध थी तथा प्राप्त प्रगति रिपोर्टों की वर्षवार संख्या दिखाने के लिये

कोई समेकित अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे । 1984-85 से 1987-88 के दौरान, 1989 के बाद के आधे वर्ष को छोड़कर नियुक्त किये गये अनुसंधान वैज्ञानिकों के निष्पादन का, कोई मध्यावधि पुनरीक्षण नहीं किया गया था । 132 में से 20 अनुसंधान वैज्ञानिकों के संबंध में 1989 में किये गये निष्पादन के पुनरीक्षण से पता चला कि 8 मामलों (व्यय 13.14 लाख रुपये) में वैज्ञानिकों का निष्पादन 'अच्छा नहीं' था तथा उनके कार्यकाल को नियत तिथि पर पूर्ण समझ लिया गया था । योजना का अभी तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था (जनवरी 1991) ।

2.17 कम्प्यूटर सुविधाओं तथा मानवशक्ति का विकास:

2.17.1 मुख्य विशेषताएँ: सांख्यिकी विश्लेषण, अनुसंधान हेतु सहायता इत्यादि के लिये मानवशक्ति विकास को बढ़ावा देने के विचार से, वि. अ. आ. ने 1975-76 से विश्वविद्यालयों/संस्थानों में कम्प्यूटर सुविधायें स्थापित करने के लिये आवर्ती तथा अनावर्ती सहायता मुहैया कराई । कम्प्यूटर आकृति, कम्प्यूटर विकास समिति (क.वि.स.) के नाम से जानी जाने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा, अनुसंधान, शिक्षा, प्रशासनिक तथा परीक्षा का कार्यभार, विश्वविद्यालय का आकार और स्टाफ इत्यादि की संख्या के संदर्भ में, निर्धारित की गई थी । कम्प्यूटर की बनावट एवं माडल, विश्वविद्यालय द्वारा निश्चित किये गये थे । हार्डवेयर की खरीद हेतु विश्वविद्यालयों को क, ख और ग स्तरों के तुल्य क्रमशः 10 लाख रु. तक, 20 लाख

रु. और 50 लाख रु. तथा 50 लाख रु. से ऊपर के बीच की अनावर्ती सहायता उपलब्ध कराई गई थी । "क" स्तर की सहायता विश्वविद्यालयों को पहली बार कम्प्यूटर सुविधा स्थापित करने के लिये उपलब्ध कराई गई थी, जिसे कम से कम 5 वर्ष की अवधि के बाद "ख" स्तर तक उन्नत किया गया था । "ग" स्तर की सहायता उन विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराई जानी थी जिन्होंने अन्य बातों के साथ साथ कम से कम 7-8 वर्षों के लिये "ख" स्तर कम्प्यूटर का उपयोग किया था ।

हार्डवेयर की खरीद हेतु अनावर्ती सहायता के अतिरिक्त, वि.अ.आ. ने, (क) चौथे वर्ष में चार वर्ष की अवधि के लिये 100 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कम होते गये स्टाफ वेतन के निमित्त (ख) संगणक तथा वातानुकूलन हेतु चार वर्षों के लिये पूंजीगत लागत का 10 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान तथा (ग) लेखन सामग्री तथा उपभोज्यों हेतु अनुदान, के लिये भी सहायता मुहैया कराई थी ।

1980-81 से, वि. अ. आ. ने इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सहयोग से, कम्प्यूटर में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा लघु कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिये सहायता उपलब्ध कराई । इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने अनावर्ती सहायता उपलब्ध कराई जबकि वि. अ. आ. ने स्टाफ के वेतन विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति, कार्यचालन व्यय इत्यादि के लिये आवर्ती व्यय की देयतायें वहन की ।

2.17.2 कार्यान्वयन: वि. अ. आ. ने, 1975-76

के दौरान पहली बार 2 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, एक मान्य विश्वविद्यालय, तथा 15 राज्य विश्वविद्यालयों को कम्प्यूटर सुविधाओं के विकास के लिये 176.69 लाख रु. की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई । 1985-86 से 1988-89 के दौरान, वि. अ. आ. ने, 81 विश्वविद्यालयों तथा 230 महाविद्यालयों को कम्प्यूटर सुविधाओं के विकास हेतु अनुदान के रूप में 1231.68 लाख रु. अदा किये ।

इसके अतिरिक्त, वि. अ. आ. ने, 1985-86 से 1988-89 के दौरान 80 विश्वविद्यालयों को मानवशक्ति प्रशिक्षण के लिये कम्प्यूटर शिक्षा हेतु, कुल 550.79 लाख रु. के अनुदान भी जारी किये ।

वि.अ.आ. ने बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों तथा लेखों के लेखापरीक्षित विवरणों के बारे में सूचना नहीं भेजी थी ।

नमूना जांच से प्रतीत हुआ कि 1977-78 से 1988-89 के दौरान आठ मामलों में अदा की गई कुल 377.09 लाख रु. अनुदान के प्रति 307.96 लाख रु. और 345.34 लाख रु. के लिये उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा लेखों के लेखापरीक्षित विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे ।

अठ्ठाइस विश्वविद्यालय, जिन्हें 1985-86 से आगे कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चलाने के लिये 92.05 लाख रु. अदा किये गये थे ने, कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चालू नहीं किया था । वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ साथ कार्यक्रम में विभिन्न रूपात्मकतायें समय लेने वाली थी

जिसके परिणामस्वरूप पाठ्यक्रमों का विलम्ब से संस्थापन हुआ तथा विश्वविद्यालयों पर, उन्हें शीघ्र करने के लिए दबाव डाला जा रहा था ।

2.17.3 महाविद्यालयों में कम्प्यूटर सुविधाएँ: मई

1986 में क.वि.स. ने, 50 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों तथा 50 अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को क्रमशः 5 लाख रु तथा एक लाख रु. की लागत सीमा तक पी.सी./एक्स.टी.संघात कम्प्यूटर उपलब्ध कराने का निर्णय किया । वि. अ. आ. ने फरवरी 1987 में, कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम लि. (क.अ.नि.) को, 100 छोटे कम्प्यूटर 50 बिना प्रिंटर के 0.55 लाख रु. की दर से तथा 50 प्रिंटर सहित 0.66 लाख रु. की दर से 50 म.वि.को 31 मार्च 1987 तक आपूर्ति हेतु आदेश दिया ।

वि. अ. आ. ने क.अ.नि. को कुल 66.52 लाख रु.की कुल लागत के प्रति फरवरी तथा मार्च 1987 में

50.80 लाख रुपये की अग्रिम अदायगी कर दी । यह अदायगी की सहमत शर्तों, अर्थात् 25 प्रतिशत आदेश जारी करते समय 50 प्रतिशत प्रेषण को भेजने पर, 20 प्रतिशत संतोषजनक संचालन के संबंध में प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर तथा 5 प्रतिशत वारन्टी की समाप्ति पर के विरुद्ध था तथा परिणामतः आपूर्तिकर्ता को 34.17 लाख रु. तक की अप्राधिकृत सहायता हुई ।

वि.अ.आ. ने 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान क्रमशः 3.30 लाख रु. तथा 9.00 लाख रु. की और राशि क.अ.नि. को अदा की । निर्धारित तिथि अर्थात् 31 मार्च 1987 तक कोई कम्प्यूटर स्थापित नहीं किया गया था । 31 मार्च 1989 तक केवल 48

महाविद्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित किये गये थे । वि.अ.आ. ने न तो निविदा आमंत्रित करने की निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया तथा न ही कम्प्यूटरों को निर्धारित तिथि तक स्थापित न करने के लिये कोई जुर्माना लगाया ।

(ख) अप्रैल 1988 में आयोग के निर्णय के अनुसार वि.अ.आ. ने 1988-89 के दौरान विक्रेताओं से सीधे लघु कम्प्यूटरों की खरीद के लिये चुने गये 481 महाविद्यालयों के प्रति 1988-89 के दौरान (सामान्यतः प्रति महाविद्यालय 1 लाख रु. की दर से) 228 महाविद्यालयों को 232 लाख रु. के राशि का अनुदान जारी किये । महाविद्यालयों को तीन माह की अवधि के भीतर कम्प्यूटर प्रणाली की खरीद हेतु आपूर्ति आदेश जारी करना तथा वि. अ. आ. को सूचित करना अपेक्षित था जिसकी विफलता पर अनुमोदन/संस्वीकृति आदेश समाप्त समझे जाने थे । वि.अ.आ. द्वारा पी.सी./एक्स.टी. कम्प्यूटरों के संस्थापन को इंगित करते हुए रजिस्टर के रूप में अथवा अन्य प्रकार से कोई समुचित अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे । वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि प्रथम जनवरी 1990 तक 177 महाविद्यालयों में कम्प्यूटर संस्थापित किये गये थे । विलम्ब प्रक्रियात्मक मामलों पर आरोपित किया गया था ।

(ग) वि.अ.आ. ने, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कम्प्यूटरों के उपयोग के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट/ विवरणी निर्धारित नहीं की थी ।

नवम्बर 1990 में, कम्प्यूटरों के वर्तमान स्तर, उपयोग तथा प्रयोग की जांच करने के लिए एक सर्वेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को एक प्रश्नावली भेजी । सूचना 31 दिसम्बर 1990 तक भेजनी अपेक्षित थी । तथापि, केवल पांच विश्वविद्यालयों ने जनवरी 1991 तक रिपोर्टें भेजी थी ।

2.18. राष्ट्रीय खेलकूद संगठन कार्यक्रम

2.18.1 मुख्य विशेषतायें: शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में वि.अ.आ. ने 1969-70 में, खेलों के मामले में सर्वव्यापकता उपलब्ध कराने तथा सर्वव्यापकता के माध्यम से चुने गये क्षेत्रों में महाविद्यालयों के छात्रों के बीच श्रेष्ठता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ एक योजना "राष्ट्रीय खेलकूद संगठन कार्यक्रम" शुरू की । योजना की मुख्य विशेषताएं विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नई या अतिरिक्त व्यायाम सुविधायें तैयार करना, विश्व विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर पर्याप्त प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना, प्रतिभा का पता लगाना तथा विभिन्न मुख्य राष्ट्रीय खेल कूद मुकाबलों में भाग लेने के लिये उन्हें समर्थ हो सकने हेतु अन्तर्विश्वविद्यालय टीमों को और गहन प्रशिक्षण देना, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर क्रीड़ा तथा खेलों को बढ़ाने में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिये विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिये प्रलोभन की व्यवस्था करना तथा खेलकूद छात्रवृत्तियों को प्रदान करना, था । शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के लिये सुविधाओं से संबंधित गतिविधियों पर वि.अ.आ. की

योजनागत निधियों से खर्च किया गया था ।

2.18.2 वित्तीय सहायता: वि.अ.आ. ने मंत्रालय से योजना को लागू करने के लिये अनुदान प्राप्त किया जिसमें सामान्य सहायता तथा समन्वय की भी व्यवस्था थी । वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्धारित वित्तीय सीमाओं तक, खेल के मैदानों के विकास हेतु और खेलों व क्रीड़ाओं के लिये खेल सामानों की खरीद, व्यायामशाला के निर्माण, खेलकूद

पैवेलियनों/ट्रकों तथा तैराकी तालाबों के स्थिते सहायता जारी की । 1987 से वि.अ.आ. ने विभिन्न उद्देश्यों हेतु वित्तीय सीमा सहित लागत के 75 प्रतिशत तक (खेलकूद उपस्करों के मामले में 100 प्रतिशत) अंशदान किया । 1984-90 के दौरान मंत्रालय से निधियों की प्राप्ति और उनके प्रति विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों इत्यादि को जारी की गई अनुदान की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

(लाख रु. में)

वर्ष अथ शेष मंत्रालय से लघुकालीन अप्रयुक्त कुल जारी किये अन्तः कुल राशि से प्राप्त की गई जमाराशियों शेष की गये अनुदान शेष अनुदान की अनुदान की पर अर्जित वापसी की राशि प्रतिशतता राशि ब्याज

1984-85	1.96	15.00	-	-	16.96	8.97	7.99	53
1985-86	7.99	23.89	-	-	31.88	21.07	10.81	66
1986-87	10.81	159.86	-	-	170.67	61.86	108.81	36
1987-88	108.81	303.00	4.37	-	416.18	130.40	285.78	31
1988-89	285.78	335.00	19.44	-	640.22	40.00	600.22	6
1989-90	600.22	29.00	0.25	-	629.47	85.48	543.99	14

वि.अ.आ. ने मंत्रालय से प्राप्त की गई निधियों का पूर्णतः उपयोग नहीं किया था । जारी किये गये अनुदान की प्रतिशतता जो कि 1985-86 में 66 थी, 1988-89 में घटकर 6 रह गई थी तथा 1989-90 में केवल 14 थी । वि.अ.आ. के पास अव्यययित बकाया 1983-84 में 1.96 लाख रुपये से 1988-89 में

600.22 लाख रु. के बीच थे ।

वि.अ.आ. ने निधियों की कम उपयोगिता को विविध कारणों पर आरोपित किया (जनवरी 1991) जैसे विश्वविद्यालयों द्वारा योजनाओं तथा परियोजनाओं के अनुमानों को तैयार करने में विलम्ब, राज्य सरकारों से समतुल्य अंशों की अनुपलब्धता तथा सहायता के

तरीके से ऊपर अन्तर्गत धन के लिए व्यवस्था करने में कठिनाईयां ।

वि.अ.आ. ने 1988-89 तक व्यायामशाला के निर्माण हेतु 151.15 लाख रु. तथा खेल के मैदानों को विकसित करने के लिये 84.74 लाख रु. जारी किये थे। वि.अ.आ. द्वारा वास्तव में निर्मित की गई व्यायामशाला तथा विकसित किये गये खेल के मैदानों की संख्या सूचित नहीं की गई थी। नवम्बर 1989 में वि.अ.आ. ने बताया कि वह कार्यक्रम युवा मामले तथा खेलकूद विभाग की ओर से निष्पादित कर रहा था, उसे मंत्रालय द्वारा उपयुक्त किस्तों में निधियां जारी की गई थी तथा उसके पास योजना के अधीन प्रत्यक्ष तथा वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में कोई सूचना नहीं थी। वि.अ.आ. को 31 मार्च 1990 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों तथा बकाया लेखों के लेखापरीक्षित विवरणों की राशि का पता नहीं था।

2.18.3 फीजिकल कन्डीशनिंग यूनिटें: फरवरी
1984 में मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों में फिजिकल कन्डीशनिंग यूनिटें स्थापित करने का सुझाव दिया। योजना के अधीन 21 विश्वविद्यालयों, जिन्हें बाद में 32 कर दिया गया को फिजिकल कन्डीशनिंग यूनिटें स्थापित करने के लिये 1 लाख रु. की दर से सहायता मुहैया कराई जानी थी। योजना को अप्रैल 1989 से

भारतीय खेलकूद प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया था।

योजनाधीन 1984-85 से 1988-89 के दौरान वि.अ.आ. ने मंत्रालय से 19 लाख रु. प्राप्त किये जिसके प्रति उसने 17.43 लाख रु. विश्वविद्यालयों को जारी किये। 31 मार्च 1989 को वि.अ.आ. के पास 1.57 लाख रु. की राशि अवितरित पड़ी थी।

32 महाविद्यालयों में से केवल 21 को योजना के अधीन सहायता दी गई थी, 31 मार्च 1989 तक पूर्ण अनुदान की 1 लाख रु. की राशि केवल चार विश्वविद्यालयों को अदा की गई थी।

वि.अ.आ. ने उन विश्वविद्यालयों जिन्होंने फीजिकल कन्डीशनिंग यूनिटें स्थापित की थी की संख्या, बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों तथा लेखों की लेखापरीक्षित विवरणों की राशि के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी।

2.18.4 वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को 1985-86 से 1989-90 के दौरान योजना के अधीन अपनी योजनागत निधियों से शिक्षा की गुणवत्ता उन्नत करने के लिये (i) खेलकूद सहित शारीरिक शिक्षा तथा (ii) खेलकूद सुविधाओं के लिये, अनुदान के रूप में निम्नलिखित राशियां जारी कीं

(लाख रु. में)

वर्ष	खेलकूद सहित शारीरिक शिक्षा			खेलकूद के लिए सुविधाएं			सकल जोड़
	विश्व-विद्यालय	महा-विद्यालय	जोड़	विश्व-विद्यालय	महा-विद्यालय	जोड़	
1985-86	-	-	-	31.91	1.25	33.16	33.16
1986-87	1.10	-	1.10	0.75	0.95	1.70	2.80
1987-88	-	-	-	2.00	2.00	4.00	4.00
1988-89	15.50	-	15.50	8.20	16.07	24.27	39.77
1989-90	34.00	-	34.00	11.50	20.51	32.01	66.01
जोड़	50.60	-	50.60	54.36	40.78	95.14	145.74

लेखापरीक्षा द्वारा पृष्ठताछ के बावजूद, वि.अ.आ. ने उस वर्ष, जिससे वि.अ.आ. ने अपनी योजनागत निधियों से उपर्युक्त शीर्षों के अधीन खर्च करना शुरू किया, छठी व सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार बजट अनुमान, प्रत्यक्ष लक्ष्य, यदि कोई नियत किये गये हों, 31 मार्च 1989 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों तथा लेखों के लेखापरीक्षित विवरणों की वर्षवार राशि की प्राधिकरण जिसके अधीन योजनागत निधियों से व्यय किया जा रहा था इत्यादि के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की थी ।

महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलकूद में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का अनुमोदन किया । आरम्भिक चरणों में पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए ट्रैक एंड फील्ड, जिमनास्टिक योग, अनुकूलन एकक इत्यादि जैसी मूल न्यूनतम सुविधाओं वाले, प्रत्येक जिले में एक महाविद्यालय का चयन किया जाना था । वि.अ.आ. को सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा उसके बाद के लिए ऐसे महाविद्यालयों की वास्तविक संख्या की गणना करनी थी । यह कार्यवाही नहीं की गई थी । प्रारंभ में आयोग ने सातवीं योजना अवधि के दौरान पहचान किये जाने वाले 100 संस्थाओं के लक्ष्य की कल्पना की थी ।

वि.अ.आ. ने मार्च 1990 में बताया कि यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि यह देखने के लिए प्रत्येक सावधानी बरती गई थी कि कोई भी संस्था पर्याप्त सुविधाओं के बिना पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं करे।

वि.अ.आ. द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इसने 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान सहायता के लिये 18 विश्वविद्यालय तथा 32 महाविद्यालय अनुमोदित किये थे जिसके प्रति मार्च 1989 तक पांच विश्वविद्यालयों तथा सात महाविद्यालयों को 24.27 लाख रु. की कुल अनुदान जारी की गई थी।

2.18.6 11 मामला फाइलों की नमूना जांच- पांच विश्वविद्यालयों तथा छः महाविद्यालयों से निम्नलिखित

प्रकट हुआ:

(i) पांच विश्वविद्यालयों तथा छः महाविद्यालयों को दी गई 23.27 लाख रु. की कुल राशि के प्रति क्रमशः 17.20 लाख रु. तथा 22.27 लाख रु. के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा लेखों के लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त नहीं हुए थे।

(ii) पांच विश्वविद्यालयों में से केवल एक तथा छः महाविद्यालयों में से दो जिन्हें अनुदान दिये गये थे, मार्च 1989 तक डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं कर सके। एक महाविद्यालय ने शरीरिक शिक्षा में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम, जैसा कि योजना में अपेक्षित था, चलाने की बजाय बरिष्ठ डिग्री पाठ्यक्रम के लिए एक ऐच्छिक विषय के रूप में शरीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेल कूद प्रारम्भ किये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जनवरी 1991 में बताया कि पाठ्यक्रम अब

निर्धारित प्रणाली पर चल रहा था।

(iii) किये गये कार्य के लिए प्रगति की निगरानी के लिए कोई विवरणी निर्धारित नहीं की गई थी।

किसी भी विश्वविद्यालय ने, जिन्हें 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान अनुदान दिये गये थे, पाठ्यक्रम में छात्रों के पंजीयन की सूचना नहीं दी थी; 6

महाविद्यालयों में से केवल 2 महाविद्यालयों ने अपने छात्रों की संख्या की सूचना स्वयं ही दी थी।

वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि योजना की प्रगति के प्रबोधन के लिए एक विवरणी प्रपत्र निर्धारित करने के लिए लेखापरीक्षा के सुझाव को नोट कर लिया गया था।

2.19 पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन

2.19.1 मुख्य विशिष्टताएं: विश्वविद्यालयों में शिक्षा का

स्तर बनाये रखने के लिए, वि.अ.आ. ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान "पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन" की योजना प्रारम्भ की। योजना, प्रथम डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों को, ग्रामीण परिवेश तथा समुदाय की विकास आवश्यकताओं से अधिक सम्बद्ध बनाने तथा सभी स्तरों पर शिक्षा को व्यावहारिक कार्य/क्षेत्रीय अनुभव से जोड़ने से अभिप्रेत थी।

2.19.2 सहायता का तरीका: योजना के अन्तर्गत,

वि.अ.आ. ने, (क) प्रारम्भिक धन (ख) अध्यापकों का दिगविन्यास तथा (ग) पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षण सहायकों इत्यादि के आयोजन के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की थी। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को प्रयोग के तौर पर कुछ पाठ्यक्रम

प्रस्तुत करने के लिए सहायता दी गई थी । योजना के अन्तर्गत किसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय को अक्टूबर 1980 से पांच वर्षों की अवधि के लिए कुल सहायता 5 लाख रु. तक सीमित थी । 1980 से पहले, योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों को आवर्ती

तथा अनावर्ती व्यय के लिए सहायता तीन वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए 1 लाख रु. प्रति वर्ष तक सीमित थी ।

1976-77 से आगे योजना के अन्तर्गत जारी किए गये अनुदानों की राशि निम्नवत् थी:

(लाख रु. में)

अवधि	परिव्यय	अनुदान की राशि		
		विश्व- विद्यालय	महा- विद्यालय	जोड़
1976-77 से				
1979-80	उपलब्ध नहीं	20.67	11.13	31.80
1980-81 से				
1984-85	500	9.42	85.41	94.83
1985-86 से				
1989-90	410	18.98	323.63	342.61
		49.07	420.17	469.24

व्यय, परिव्यय से कम रहा था । वि.अ.आ.ने इसके लिए कोई कारण नहीं बताये । वि.अ.आ. ने बजट अनुमानों में किये गये प्रावधान की भी सूचना नहीं दी थी ।

2.19.3 प्रत्यक्ष प्रगति: प्रारम्भिक रूप से, वि.अ.आ. ने पथप्रदर्शन प्रदान करने, पुनर्गठित पाठ्यक्रम प्रारम्भ

करने तथा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में गति प्रदान करने वाले के रूप में क्षेत्रीय आधार पर 18 विश्वविद्यालयों तथा 155 महाविद्यालयों की पहचान की थी । 1978-79 के दौरान, अन्य 32 महाविद्यालयों को महाविद्यालयों की उस सूची में जोड़ दिया गया था, जिसमें पुनर्गठित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने थे । तथापि कोई वर्षवार

लक्ष्य नहीं रखे गये थे । 1980-81 तक यह योजना केवल 31 महाविद्यालयों तथा एक विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी । 31 मार्च 1989 तक, कला, विज्ञान तथा वाणिज्यक संकायों में पुनर्गठित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की निम्नलिखित संख्या में प्रारम्भ किये गये थे ।

वर्ष	विश्वविद्यालयों की संख्या	महाविद्यालयों की संख्या
1985-86	8	107
1986-87	9	114
1987-88	10	134
1988-89	9	136

इस प्रकार से, 35 राज्य विश्वविद्यालयों में से 9 तथा 6912 महाविद्यालयों में से 136 ने पुनर्गठित पाठ्यक्रम प्रारंभ किये थे । प्रगति धीमी थी । वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि कुछ विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों ने योजना प्रारम्भ की थी परन्तु समग्र प्रभाव वांछित स्तर का नहीं था तथा कार्यक्रम का कार्यान्वयन बहुत धीमा था क्योंकि पाठ्यक्रम में सुधारों को लागू करने के लिए सूत्रपात विश्वविद्यालयों के पास था । किसी एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने पुनर्गठित पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं किये थे ।

2.19.4 प्रबोधन तथा मूल्यांकन : (i) वि.अ.आ. ने उन राशियों के संबंध में, जिनके लिए 31 मार्च 1989

तक उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा लेखों के लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त नहीं हुए थे, सूचना नहीं भेजी थी ।

(ii) योजना के अन्तर्गत, वि.अ.आ. को योजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर एक रिपोर्ट, सितम्बर तथा मार्च को समाप्त होने वाली प्रत्येक छमाही के अन्त में भेजी जानी थी । वि.अ.आ. ने प्राप्त प्रगति रिपोर्टों की संख्या तथा बकायों की संख्या के संबंध में सूचना नहीं भेजी थी । 8 मामलों की नमूना जांच पर ऐसी कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई नहीं पाई गई थी ।

(iii) वि.अ.आ. इस बात से अवगत नहीं था कि पांचवीं तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सातवीं योजना के दौरान भी पुनर्गठित पाठ्यक्रम चल रहा था । इस प्रकार से, सम्बद्ध विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम के जारी रहने का सुनिश्चय नहीं किया जा सका ।

(iv) योजना के अन्तर्गत, आवधिक रूप से योजना की प्रगति की समीक्षा करने तथा समय-समय पर प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालयों को कार्यान्वयन समितियां गठित करनी थी । वि.अ.आ. को उन विश्वविद्यालयों के विवरणों का भी ज्ञान नहीं था जिन्होंने मार्च 1989 तक कार्यान्वयन समितियां गठित नहीं की थी । योजना का अभी तक कोई बाह्य मूल्यांकन नहीं किया गया था ।

2.20 पाठ्यक्रम परिवर्धन केन्द्र

2.20.1 मुख्य विशिष्टताएं: देश में विभिन्न विषयों में शिक्षा का समरूप स्तर बनाये रखने के लिए आदर्श

पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु वि.अ.आ. ने 1986 में, विभिन्न संकायों में स्थापित किये जाने वाले पाठ्यक्रम परिवर्धन केन्द्रों (केन्द्र) की एक योजना प्रारम्भ की थी। ऐसे केन्द्रों का मुख्य कार्य उच्चशिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यमान पाठ्यक्रम तथा विषयों की सम्पूर्ण समीक्षा प्रारम्भ करना तथा सम्बद्ध विषय की शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर जोर देने के लिए वैकल्पिक प्रतिमान विकसित करने के अतिरिक्त उनका आधुनिकीकरण करने तथा उनका पुनर्गठन करने के लिए उपाय सुझाना था। वि.अ.आ. द्वारा केन्द्रों की स्थापना ऐसे विश्वविद्यालयों में की जानी थी, जिनकी इस द्वारा "विशेष सहायता कार्यक्रम" के अन्तर्गत पहचान की गई थी अथवा अपने विशेषज्ञता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए विख्यात थे। केन्द्रों को इस उद्देश्य के लिये निर्धारित संरचना के अनुसार समितियां गठित करनी थीं।

2.20.2 प्रत्यक्ष तथा वित्तीय प्रगति: प्रत्येक केन्द्र, संसाधन व्यक्तियों के लिए या.भ./दै.भ., सचिवीय सहायता, लेखन सामग्री मदे, पुस्तकें/शिक्षण सहायक इत्यादि जैसी मदों पर व्यय पूरा करने के लिए 6 लाख रु. (स्नातकोत्तर तथा स्नातकोत्तर शिक्षा से नीचे, प्रत्येक के लिए 3 लाख रु.) की, एक "ऑन एकाउंट" अनुदान के लिए ग्राह्य था। 31 मार्च 1989 तक, 21 विश्वविद्यालयों तथा 3 माने गये विश्वविद्यालयों में 1986-87 में (24 केन्द्र) तथा 1988-89 (3 केन्द्र), 27 केन्द्र (मानविकी तथा समाज शास्त्र में 17 और विज्ञान में 10) स्थापित किये गये थे।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध कराये गये 1.94 करोड़ रु. के परिव्यय के प्रति, 1985-86 से 1989-90 के दौरान 4 लाख रुपये प्रत्येक को पहली किस्त के रूप में अनुदानों की निम्नलिखित राशि संस्वीकृत तथा जारी की गई थी :

वर्ष	अनुमोदित		जारी की गई राशि	
	केन्द्रों की संख्या	आबंटित राशि (लाख रु. में)	केन्द्रों की संख्या	राशि (लाख रु. में)
1985-86	21	126.00	10	40.00
1986-87	3	18.00	14	56.00
1987-88	-	-	-	-
1988-89	3	18.00	2	8.00
1989-90	-	-	1	4.00

वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि संस्वीकृत राशि तथा दिये गये वास्तविक अनुदान के बीच अन्तर इस तथ्य के कारण था कि संस्वीकृतियां जो कुछ मामलों में वित्तीय वर्ष के अन्त में सम्प्रेषित की गई थी, वांछित दस्तावेजों के विलम्ब से प्राप्ति के कारण वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में दी गई थी। तथापि, वि.अ.आ. ने प्रति केन्द्र 6 लाख रु. की कुल राशि के प्रति केवल 4 लाख रु. की अनुदान की पहली किस्त ही दी थी। शेष राशि, व्यय के निर्धारित विवरण के अभाव में नहीं दी गई थी, जैसा कि नीचे उल्लिखित है।

26 केन्द्रों में से, जिन्हें 31 मार्च 1989 तक अनुदान दिये गये थे, केवल 11 केन्द्रों ने व्यय के विवरण भेजे थे, जो कि अभी भी जांच के अधीन थे। इन केन्द्रों के लेखों के लेखापरीक्षित विवरण अभी भी प्रतीक्षित थे। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की राशि के सम्बन्ध में सूचना वि.अ.आ. के पास उपलब्ध नहीं थी।

2.20.3 कार्यान्वयन: केन्द्रों को एक कलैडर वर्ष के अन्दर प्रारूप पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना अपेक्षित था, जिसे कि केन्द्र के समन्वयक के विशिष्ट अनुरोध पर कुछ महीनों तक बढ़ाया जा सकता था। 1985-86 तथा 1986-87 में अनुमोदित 24 केन्द्रों में से, 22 केन्द्रों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 9 केन्द्रों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रदर्शित किया कि किसी भी केन्द्र ने निर्धारित समय के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। वि.अ.आ. ने भी रिपोर्ट की प्राप्ति की

तारीख का अभिलेख नहीं रखा था, अपितु केवल इन रिपोर्टों को प्रैस में भेजने की तारीखें उपलब्ध करा सका। इसलिए, अभिलेखों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की मात्रा का सुनिश्चय नहीं किया जा सका।

22 रिपोर्टों में से केवल 2 रिपोर्टें -वाणिज्य तथा उर्दू आगामी अनुवर्ती कार्यवाही हेतु सुझाव भेजने के लिए 31 मार्च 1989 तक विश्वविद्यालयों को परिचालित की गई थी, ताकि अभिग्रहण तथा अनुकूलन के लिए पूरी कर ली गई रिपोर्टें, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के बीच परिचालित की जा सके। किसी भी विश्वविद्यालय ने संशोधित पाठ्यक्रम को अभी तक अभिग्रहीत/अनुकूलित नहीं किया था। जैसा की योजना के अन्तर्गत अपेक्षित था, मूल-पाठ विषयक तथा अन्य सहायक सामग्रियों, शिक्षण सहायकों के विकास तथा अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में आगामी अनुवर्ती कार्यवाही फलतः सम्भव नहीं थी। वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि 27 केन्द्रों में से 24 केन्द्रों ने पहले ही आदर्श पाठ्यक्रम भेज दिये थे, जिसे विश्वविद्यालयों में उसे अंगीकार करने के अनुरोध के साथ परिचालित कर दिया गया था। क्योंकि संबंधित अध्ययन बोर्डों तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों की अकादमिक परिषदों द्वारा दिये गये सुझावों पर निर्भर करते हुए वि.अ.आ. की सलाह स्वीकार करना विश्वविद्यालयों पर निर्भर था, प्रक्रिया समय लेने वाली थी।

2.21 स्वायत्त महाविद्यालय

2.21.1 मुख्य विशिष्टताएं: शिक्षा आयोग (1964-66) की अनुशंसाओं की अनुपालना में सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के उत्तरदायित्व का विकेन्द्रीकरण करने के लिए महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-73) में वि.अ.आ. ने स्वायत्त महाविद्यालयों की एक योजना को सूत्रबद्ध किया, ताकि चयनित महाविद्यालय पाठ्यक्रमों के अभिकल्पन, परीक्षा सुधारों, पाठ्यक्रम विकास तथा अन्य अकादमिक विकास उपायों सहित शिक्षण पद्धतियों के विकास के साथ प्रयोग कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में बताया कि यथेष्ट संख्या में स्वायत्त महाविद्यालयों को विकसित होने में तब तक काफी सहायता करनी चाहिए जब तक कि सम्बद्धता प्रणाली का महाविद्यालयों के साथ विश्वविद्यालयों का एक मुक्त तथा अधिक सृजनात्मक सहसम्बद्ध द्वारा प्रतिस्थापन न कर दिया जाये।

योजना अक्टूबर 1976 में प्रारंभ की गई, जब वि.अ.आ. ने मद्रास विश्वविद्यालय के पांच महाविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने की सहमति दी। वि.अ.आ. द्वारा 1979-80 तक 1 लाख रुपये अनुदान तथा इसके बाद पांच वर्षों की अवधि के लिए 2 लाख रुपये की अव्यपगमनीय अनुदान उपलब्ध कराई थी। सहायता की अधिकतम राशि अक्टूबर 1986 में संशोधित की गई थी तथा स्नातक पूर्व कला/विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालयों के लिए 4 से 6 लाख रुपये प्रतिवर्ष तथा

स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर स्तरीय महाविद्यालयों के लिए 7 लाख रुपये प्रति वर्ष के बीच थी।

स्वायत्ता का दर्जा प्रारंभिक रूप से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाना था। प्रथम बाह्य मूल्यांकन तीन वर्षों के बाद प्रारंभ किया जाना था तथा एक समिति जो कि स्वायत्ता के दर्जे को जारी रखने अथवा नहीं रखने का सुनिश्चय भी करेगी की सहायता से विश्वविद्यालय द्वारा पांच वर्षों के बाद दूसरा मूल्यांकन किया जाना था।

2.21.2 प्रत्यक्ष तथा वित्तीय निष्पादन: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा.शि.नी.) 1986 तथा उस पर कार्यवाही के कार्यक्रम जिसमें कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वायत्त महाविद्यालयों के रूप में लगभग 500 महाविद्यालयों को विकसित करने पर विचार किया गया था, के अभिग्रहण का पालन करते हुए, वि.अ.आ. ने, अपने लक्ष्य के रूप में 1986-87 में 50, 1987-88 में 150, 1988-89 में 200 तथा 1989-90 में 100 महाविद्यालय प्रस्तावित किए थे।

1986-87 में 50 महाविद्यालयों के लक्ष्य के प्रति किसी भी महाविद्यालय को स्वायत्ता नहीं दी गई थी। 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान वि.अ.आ. ने स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए क्रमशः 48 तथा 29 महाविद्यालयों के प्रस्तावों की अपनी सहमति दी थी। इस प्रकार से 1987-88 तथा 1988-89 के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य केवल क्रमशः 32 तथा 15 प्रतिशत की सीमा तक प्राप्त किए गए थे।

21 महाविद्यालय जिन्हें रा.शि.नी. से पूर्व स्वायत्त

दर्जा प्रदान किया गया था, को भी, वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित संशोधित मार्ग निर्देशों के आधार पर सहायता प्राप्त करनी थी । 21 पुराने स्वायत्त महाविद्यालयों में से, केवल 2 महाविद्यालय, 1987-88 तथा 1988-89 प्रत्येक में एक को संशोधित मार्ग निर्देशों के अनुसार स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया था । केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधीन किसी भी महाविद्यालय को अभी तक स्वायत्ता प्रदान नहीं की गई थी ।

वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि वांछित लक्ष्य (क) अधिकतर विश्वविद्यालयों के अधिनियमों/संविधानों में स्वायत्तता के प्रावधान का अभाव, (ख) राज्य सरकारों द्वारा संविधानों के अनुमोदन में विलम्ब तथा (ग) विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों की ओर से पहल तथा जागरूकता के अभाव इत्यादि के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका । इस प्रकार से, योजना मूल परिस्थितियों को पूरी तरह समझे बिना सूत्रबद्ध की गई थी ।

मार्च 1989 तक योजना के अन्तर्गत दिये गये 488.16 लाख रु. के कुल अनुदानों में से, 1978-79 से 1986-87 के दौरान 127.07 लाख रु. तथा 1987-88 से 1988-89 के दौरान 361.09 लाख रु. दिये गये थे । बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशियों तथा लेखों के लेखापरीक्षित विवरणों की वि.अ.आ. को जानकारी नहीं थी ।

2.21.3 मूल्यांकन: वि.अ.आ. ने यह जांचपड़ताल नहीं की थी कि उद्देश्य, जिस के लिए स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया था, 21 महाविद्यालयों के संबंध, में जिन्हें

1986 से पहले स्वायत्तता प्रदान की गई थी, पूरा हो गया था । 1987 में तमिलनाडू में 12 महाविद्यालयों, जिन्हें 1978-79 से 1982-83 के दौरान स्वायत्तता का दर्जा दिया गया था, के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली (रा.शै.यो.प्र.सं.) द्वारा किये गये एक अध्ययन ने दर्शाया कि जबकि अध्यापक अकादमी मामलों से सम्बन्धित निर्णय करने की प्रक्रिया में शामिल थे, प्रशासकीय तथा वित्तीय मामलों में निर्णय करने की प्रक्रिया सब मिलाकर प्राधिकारियों तक सीमित थी । पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को पुनरूप देने के प्रयत्न, देश में पाठ्यक्रमों के चल रहे तरीके द्वारा बहुत प्रभावित हुए थे । परन्तु यत्र-तत्र कुछ परिवर्तनों के अतिरिक्त, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम संयोजन में विविधता, अधिकतर परम्परागत तरीकों के समनुरूप थी । अधिकतर महाविद्यालयों में शिक्षण का वर्गीकरण परम्परागत रहा तथा इस प्रकार से विशिष्टता के लिए प्रयत्न वांछित स्तरों से कम रहे थे ।

2.22 भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करना:

2.22.1 मुख्य विशिष्टताएं: भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के उत्पादन में राज्य सरकारों के प्रयत्नों को पूरा करने के उद्देश्य से, वि.अ.आ. ने, 1970-71 में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के लिए उत्कर्ष पुस्तकों के लेखन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया था । योजना का उद्देश्य उत्कर्ष पुस्तक, विनिबंध तथा संदर्भ सामग्री जो

आवश्यक नहीं कि पाठ्यक्रम के किसी विशिष्ट सैट के सदृश्य हो, के लिए विशिष्ट वरिष्ठ अकादमिक तथा अनुसंधान वृत्तिज्ञानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था । पुस्तकें स्नातकोत्तर स्तर की उनसंकायों से सम्बन्ध रखने वाली होनी चाहिए, जहां अन्तर विद्यमान हो तथा भरे जाने की आवश्यकता हो । पुस्तकें दो वर्षों की अवधि में पूर्ण की जानी अपेक्षित थी, जिसे विशेष मामलों में एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता था ।

2.22.2 वित्तीय तथा प्रत्यक्ष निष्पादन: वि.अ.आ. ने 1970-71 से 1988-89 के दौरान, योजना के अन्तर्गत 111.18 लाख रु. की कुल राशि जारी की । 1035 अनुमोदित परियोजनाओं में से, 350 पूरी की गई थी, 98 निरस्त कर दी गई थी तथा 587 परियोजनाएं प्रगति में थी । 98 परियोजनाएं जो कि निरस्त कर दी गई थी, के सम्बन्ध में दी गई अनुदानों की राशि वि.अ.आ. के पास उपलब्ध नहीं थी । अभी भी प्रगति में 587 परियोजनाओं में से 112 से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रदर्शित किया कि ये परियोजनाएं 7 से 19 वर्षों के बीच की अवधियों से अपूर्ण पड़ी थी । अधिकतम उपलब्ध सीमा से बाहर समया वृद्धि केवल पांच मामलों में प्रदानन की गई थी । पूर्ण हो गई परियोजनाओं में से निर्धारित अनुसूची के अन्दर केवल 55 पूरी हुई थी तथा 257 परियोजनाएं 2 से 17 वर्षों के बीच विलम्बों के बाद पूरी हुई थी; 38 परियोजनाओं के संबंध में इसी प्रकार के विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे । पूरी हो गई 350 परियोजनाओं में से, केवल 185 पुस्तकें

प्रकाशित की गई थी, इनकी प्रतियों को भी वि.अ.आ. द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था ।

लोक लेखा समिति ने अपनी उपरोक्त रिपोर्ट में निदेश दिया था कि वि.अ.आ. को प्रत्येक प्रकाशन परियोजनाओं की प्रगति पर यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कड़ी निगरानी रखनी चाहिए कि परियोजनाएं वास्तव में फलीभूत हुई थी तथा उनके समापन में ज्यादा विलम्ब नहीं हुआ था । जैसा कि ऊपर बताये गये से देखा जा सकता है, भारी विलम्ब अब भी विद्यमान थे । ऐसे विलम्बों से योजना का यथार्थ उद्देश्य विफल हो गया ।

2.22.3 प्रबोधन: वि.अ.आ. ने परियोजनाओं के अनुमोदन, विभिन्न अवसरों पर दी गई अनुदानों की राशियां प्रत्यक्ष प्रगति हस्तलिपियों की प्राप्ति इत्यादि के संबंध में विवरण दशति हुए समेकित रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किये थे । कार्य की प्रगति के प्रबोधन की प्रणाली अप्रत्याप्त थी । बहुत से मामलों में, जहां हस्तलिपियां प्राप्त नहीं हुई थी, वि.अ.आ. ने सम्बद्ध व्यक्ति/संस्था के साथ मामला आगे नहीं बढ़ाया । लेखों के बकाया लेखापरीक्षित विवरणों तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के विवरण वि.अ.आ. के पास उपलब्ध नहीं थे ।

वि.अ.आ. ने जून 1990 में बताया कि इसकी समीक्षा प्रारम्भ किये जाने के परिणामस्वरूप जुलाई 1986 में योजना निलम्बित कर दी गई थी तथा, इसके बाद सहायता के लिये प्राप्त हुआ कोई प्रस्ताव विचारा नहीं गया था । तथापि, इसने 57 परियोजनाओं की

एक सूची अपूर्त की जिसका 18 जुलाई, 1986 के बाद यह कहते हुए अनुमोदन किया गया था कि वास्तव में प्रस्ताव अंतिम तारीख से पहले प्राप्त हुए थे । तारीखें, जिनमें प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे, वि.अ.आ. द्वारा सूचित नहीं की गई थी । इन 57 परियोजनाओं के अनुमोदन की तारीखों की जांच ने प्रकट किया कि वि.अ.आ. ने इन परियोजनाओं का अनुमोदन प्रदान करने के लिए 9 से 26 महीने लिये थे; 11 मामलों में, अनुमोदन प्रदान करने के लिए समय 24 महीने अथवा अधिक था, जो कि परियोजना को पूरा करने के लिए वृत्तिद्वारा के लिए सामान्यतः अनुमत समय था । वि.अ.आ. द्वारा योजना का कोई मूल्यांकन नहीं किया

गया था ।

वि.अ.आ. ने जनवरी 1991 में बताया कि यह गत्यावरोध से अलग था तथा जुलाई 1986 तक प्राप्त योजनाओं /परियोजनाओं का पुनरीक्षण प्रारंभ कर दिया था । वि.अ.आ. ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा, विशेषकर लेखकों, समन्वयक अभिलेखों के अनुरक्षण इत्यादि के कारण, विलम्बों को टालने के लिए, की गई अभ्युक्तियां नोट कर ली गई थी तथा उनका पुस्तकों के प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम को अंतिम रूप देते समय जो कि प्रगति में था विचार किया जायेगा ।

अनुबन्ध I

वर्ष 1985-86 से 1989-90 के लिए मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत योजनेत्तर,
योजनागत तथा विशिष्ट उद्देश्य मदों से सम्बन्धित वि.अ.आ. के व्यय का सार

(लाख रु. में)

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
--	---------	---------	---------	---------	---------

योजनेत्तर

1. वि. अ. आ.

प्रशासकीय

प्रभार

218.48 247.90 308.83 338.08 378.87

2. ब्लॉक अनुदान

(i) केन्द्रीय

विश्वविद्यालयों

को

7220.71 8414.60 10403.67 11190.60 12340.84

(ii) माने गये

विश्वविद्यालयों

को

1695.38 1954.03 2490.00 2575.24 2514.65

(iii) विशिष्ट

उद्देश्य के

लिए राज्य

विश्वविद्यालयों

को

23.12 39.58 80.05 65.56 69.14

3. (क) दिल्ली

विश्वविद्यालय 2547.18 2865.81 3986.22 4185.13 4955.07

(ख) बनारस

हिन्दू विश्व-

विद्यालय के	3.90	6.50	6.32	48.08	50.92	
संघटक तथा						
सम्बद्ध महा-						
विद्यालयों को						
अनुरक्षण						
अनुदानें						
4. ब्लॉक अनुदानों						
के अन्तर्गत आवृत						
न हुई योजनाएं						
(i) गृह निर्माण						
अग्रिम	261.95	272.50	271.50	345.25	168.37	
(ii) जापान से						
उपकरण के						
आयात के लिए						
दिल्ली विश्व-						
विद्यालय	77.00	83.00	-	-	-	
5. अध्यापक						
पुरस्कार,						
अवकाश प्राप्त						
वृत्तिछात्र तथा						
अनुसंधान वृत्ति						
छात्र	364.10	337.71	397.01	560.76	1085.84	
6. अभियांत्रिकी						
तथा प्रौद्यो-						
गिकी के अन्तर्गत						
छात्रवृत्तियां						
तथा शिक्षा						
वृत्तियां	93.34	131.29	110.28	117.24	112.49	

7. गैर-विश्व-

विद्यालय

संस्थाओं को

अनुदान 3.08 4.32 6.77 7.07 21.45

जोड़ 12508.24 14361.74 18060.65 19433.01 21697.64

योजनागत

1. विभिन्न क्षेत्रों

के बीच संयो-

जनों का

विकास 605.92 494.69 800.41 504.72 722.62

2. शिक्षा के गुण-

वत्ता सुधार के

लिये योजनाएं 4585.44 6543.50 9386.39 8834.52 7500.02

3. अनुसंधान के

गुणवत्ता सुधार

के लिए

कार्यक्रम 2439.70 2648.04 3386.81 3208.65 4095.52

4. विषमताएं कम

करने के लिये

कार्यक्रम 153.10 246.37 328.89 339.66 509.95

5. प्रबंधन के

सुधार हेतु

कार्यक्रम 48.09 75.64 160.30 312.77 200.16

6. अभियांत्रिकी

तथा प्रौद्योगिकी

का विकास 551.96 568.28 1328.63 1308.26 1217.86

जोड़ 8384.21 10576.52 15389.43 14508.58 14246.13

विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भारत सरकार

तथा अन्य स्रोतों से अनुदानों में से व्यय

1. मानव संसाधन

विकास मंत्रालय

से अनुदान

(i) राष्ट्रीय सेवा

योजना,

राष्ट्रीय खेलकूद

कार्यक्रम तथा

अपंगों के लिए

योजना 24.63 64.96 144.04 43.29 92.00

(ii) अनुशासनिक

प्रशिक्षण तथा

शिक्षण बाय-

टेक्नोलोजी को

सुदृढ़ करने के

लिए विज्ञान

तथा प्रौद्योगिकी

मंत्रालय से अनु-

दान 353.19 0.92 16.00 - 0.06

2. अन्य स्रोतों से

धर्मार्थ निधि

अनुदानों से

व्यय - 2.00 1.00 1.00 3.00

3. धर्मार्थ निधि पर

व्याज में से

व्यय 0.53 1.96 1.02 0.29 1.52

जोड़ 378.35 69.84 162.06 44.58 96.58

अनुबन्ध ॥

31 अक्टूबर 1990 को योजनागत तथा योजनेत्तर अनुदानों के लिए बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति

वर्ष जिससे उपयोगिता प्रमाणपत्र सम्बन्धित है	योजनागत		योजनेत्तर	
	मदों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	मदों की संख्या	राशि (लाख रु. में)
1958-59	13	12.95	-	कुछ नहीं
1959-60	33	15.52	-	-
1960-61	128	20.99	-	-
1961-62	228	59.48	-	-
1962-63	663	97.36	-	-
1963-64	850	145.99	-	-
1964-65	1426	135.34	-	-
1965-66	1586	181.36	-	-
1966-67	1516	209.30	-	-
1967-68	2210	291.43	-	-
1968-69	2594	292.38	-	-
1969-70	4251	207.71	-	-
1970-71	4860	630.61	-	-
1971-72	5768	724.46	-	-
1972-73	3822	751.95	4	5.65
1973-74	2941	592.71	4	3.32
1974-75	3532	330.00	3	151.01
1975-76	4530	765.69	1	4.75
1976-77	5648	1182.16	1	2.15

1977-78	7707	723.25	71	393.08
1978-79	7096	1541.45	18	124.97
1979-80	5992	885.15	1322	129.63
1980-81	3928	420.23	1808	227.69
1981-82	5419	180.70	1290	811.21
1982-83	3524	444.03	1158	597.16
1983-84	1863	1061.35	1550	1209.59
1984-85	8513	4597.41	994	294.60
1985-86	4195	2009.76	1672	2929.91
1986-87	7851	5410.80	899	2903.45
1987-88	10024	10038.89	1173	12703.36
1988-89	8503	10193.56	1377	16328.30

जोड़	121214	44153.97	13345	38819.83
योजनागत			121214	44153.97
			134559	82973.80

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

3. विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन

3.1 प्रस्तावना

मानवीय गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटर की भूमिका को ध्यान में रखते हुए जून 1984 में विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन (वि.क.सा.त.अ.) उपलब्ध कराने हेतु एक परियोजना प्रारम्भ की गई थी। परियोजना के उद्देश्य, कम्प्यूटर का प्रदर्शन करना, विद्यार्थियों को कम्प्यूटर का व्यापक ज्ञान तथा उसके उपयोग को उपलब्ध कराना, उन्हें कम्प्यूटर व्यवहारिकता की पहुंच से अवगत कराना तथा काम चलाऊ ज्ञान प्रदान कराना था। कम्प्यूटर साक्षरता कक्षाएँ पाठ्यक्रम का भाग नहीं थीं; कम्प्यूटर साक्षरता कक्षाओं के चुनने वाले छात्रों को सामाजिक उपयोग के रचनात्मक कार्यों तथा कार्य अनुभव, खेल, पुस्तकालय इत्यादि के लिए निर्धारित घंटों से छूट थी।

परियोजना के कार्यान्वयन में मुख्य कार्यों में, अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये संसाधन केन्द्रों की पहचान विद्यालयों की पहचान, तथा अध्यापकों का चयन, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का चयन एवं प्रावधान तथा विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान, अन्तर्गत थे।

3.2 संगठनात्मक ढांचा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) को परियोजना के कार्यान्वयन हेतु मुख्य एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, जिसे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मंत्रालय) तथा

इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग (विभाग) द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित किया गया था। मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सलाह से परियोजना तथा संसाधन केन्द्रों को प्रारम्भ करने के लिये विद्यालयों की पहचान हेतु उत्तरदायी था। विभाग कम्प्यूटरों की उपलब्धता की देखभाल के लिए उत्तरदायी था। 1986-87 तक विभाग ने, संसाधन केन्द्रों, विद्यालयों तथा सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए तथा हार्डवेयर खरीद के लिए कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम लिमिटेड (क.अ.नि.) तथा सेमी कन्डक्टर काम्पलैक्स लिमिटेड (से.का.लि.) को व्यय पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध कराईं। 1987-88 से, मंत्रालय विद्यालयों पर व्यय को करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों तथा अन्य एजेंसियों (केन्द्रीय विद्यालय संगठन, परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, बाल भवन समिति, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन) को, संसाधन केन्द्रों पर व्यय पूरा करने के लिए रा.शै.अ.प्र.प. को तथा हार्डवेयर की खरीद के लिए क.अ.नि. को निधियां प्रदान करता था।

परियोजना के कार्यान्वयन का रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा प्रबोधन किया जाना था जो कि आवश्यक शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिये भी उत्तरदायी थी। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जून 1984 में सचिव, इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग, मंत्रालय के सलाहकार (शिक्षा) तथा रा.शै.अ.प्र.प. के प्रतिनिधियों को समाविष्ट करते हुए एक संचालन समिति नियुक्त की गई थी।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

1984-85 से 1988-89 के लिए परियोजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित रा.शै.अ.प्र.प. के अभिलेखों एक पुनरीक्षण मई-अक्टूबर 1989 में किया गया क.अ.नि., विभाग तथा मंत्रालय द्वारा भेजी गई जा से सम्पूरित पुनरीक्षण का निष्कर्ष, नवम्बर 1989 में, विभाग तथा मंत्रालय को तथ्यों तथा आंकड़ों प्रत्यापन और अभ्युक्तियां, यदि कोई हों, के लिए भेजा गया था। मंत्रालय ने फरवरी 1991 में अपना प्रतिवेदन भेजा जो कि विभाग के साथ सलाह से तैयार किया गया बताया गया था। पुनरीक्षण उत्तर को ध्यानमें लिए संशोधित किया गया है।

विशिष्टताएं

"मुख्य परियोजना" के रूप में प्रारम्भिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजना केवल मंत्रालय के प्रशासनिक अनुमोदन से ही चलती रही थी, यद्यपि, 1989-90 तक कुल व्यय 3148.25 लाख रु. था। मंत्रीमंडल का कार्योत्तर अनुमोदन केवल मई 1990 में प्राप्त किया गया था। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि नियमित आधार पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निर्णय लेने में विफलता तथा इसके जारी रहने के बारे में परिणामी अनिश्चितता इसके कार्यान्वयन में देखी गई बहुत सी कमियों के लिए उत्तरदायी थी।

1989-90 तक भारत सरकार द्वारा

3148.25 लाख रु. के किये गये कुल व्यय में से क.अ.नि., रा.शै.अ.प्र.प. तथा से.का.लि. के पास 973.42 लाख रु. अप्रयुक्त पड़े थे।

1988-89 तक 24 राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त किये गये 119.31 लाख रु. में से, 47.16 लाख रु. असंवितरित पड़े रहे, विभिन्न राज्यों में असंवितरित राशि 40 से 70 प्रतिशत अथवा अधिक बनती थी। मंत्रालय द्वारा, राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे। बहुत से मामलों में, राज्य सरकारों द्वारा उन विद्यालयों को निधियां जारी की गई थी जिन्होंने परियोजना कार्यान्वित नहीं की अथवा जिनमें कम्प्यूटर संस्थापित नहीं किये गये थे अथवा विद्यालय कक्षाये संचालित नहीं कर रहे थे।

1988-89 तक मंत्रालय द्वारा के.वि.संगठन के लिए संस्वीकृत 36.61 लाख रु. में से केवल 6.74 लाख रु. का व्यय किया गया था तथा 269 विद्यालयों के पास 13.21 लाख रु. अव्ययित पड़े हुए थे।

संसाधन केन्द्रों द्वारा किये गये व्यय तथा प्रतिवर्ष 0.30 लाख रु. की दर से उनको जारी की गयी निधियों में से अव्ययित शेषों के बारे में रा.शै.अ.प्र.प. के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। नमूना जांच किये

- गये 30 संसाधन केन्द्रों को जारी किये गये 65.88 लाख रु. में से 20.87 लाख रु. (32 प्रतिशत) की राशि अव्ययित पड़ी रही, 33.03 लाख रु. के लेखों की लेखापरीक्षित विवरणी नमूना जांच किये गये 13 संसाधन केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी ।
- 1989-90 तक चुने गये विद्यालयों की संख्या 2598 थी। विद्यालयों की सूची प्रत्येक वर्ष देर से पूरी की गई थी जिससे चयनित विद्यालयों में कम्प्यूटरों की अधिप्राप्ति तथा संस्थापन में विलम्ब हुआ । परिणामतः, केवल 1694 विद्यालयों (65 प्रतिशत) में कम्प्यूटर संस्थापित किये गये थे । 5.47 लाख विद्यार्थियों की संख्या के प्रति, जिन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता था, केवल 74387 (13 प्रतिशत) वास्तव में नामांकित किये गये थे ।
 - हार्डवेयर की अधिप्राप्ति मांग से कम पड़ गई: 1988-89 तक चयन किये गये विद्यालयों के सम्बन्ध में अपेक्षित 8271 सिस्टमों के प्रति केवल 8197 सिस्टम की अधिप्राप्ति की गई थी । 8197 सिस्टमों में से, 1989-90 तक, केवल 5141 सिस्टम संस्थापित किये गये थे । संसाधन केन्द्रों में कम्प्यूटरों की प्राप्ति तथा उनके प्रेषण के बीच अन्तराल 2 से 12 महीनों के बीच था तथा विद्यालयों में कम्प्यूटरों की प्राप्ति तथा
 - क.अ.नि द्वारा उनके संस्थापन के बीच अन्तराल 2 से 27 महीनों के बीच था । सतानवे सिस्टम तथा 938 सॉफ्टवेयर पैकेज अन्यों अर्थात् मंत्रालय तथा विभाग को आपूर्त किये गये थे परिणामस्वरूप निधियों का विपथन हुआ ।
 - नमूना जांच किये गये 228 विद्यालयों में से लगभग बावन विद्यालयों (23 प्रतिशत) ने हार्डवेयर में कमियां सूचित की थी जिसके कारण सिस्टम वर्ष में 30 दिनों अथवा अधिक के लिए असंचालित थी । 52 विद्यालयों में से, आठ विद्यालयों में कम्प्यूटर संस्थापन की तारीख से कार्य नहीं कर रहे थे जबकि अन्यों में कम्प्यूटर एक से 39 महीनों की अवधियों के आसपास से खराब पड़े हुए थे ।
 - सॉफ्टवेयर पैकेज ज्यादातर एकल निविदा आधार पर खरीदे गये थे । रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा, सॉफ्टवेयर फर्मों को खाली डिस्कट की अनापूर्ति के कारण सॉफ्टवेयर की खरीद पर 7.79 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय किया गया । तीन फर्मों से त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर की खरीद जिसे कि प्रयुक्त नहीं किया जा सका, के परिणामस्वरूप 9.93 लाख रु. का निष्फल व्यय हुआ । रा.शै.अ.प्र.प. ने एक सॉफ्टवेयर के लिए विकास प्रभारों के रूप में 2.05 लाख रु. का

- भुगतान किया था, जो कि अत्यधिक था। - कम्प्यूटरों के संस्थापन के समय पर, संसाधन के लोगों ने, कुछ एक को छोड़कर, सम्पर्क तथा सहायता प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए विद्यालयों के दौरे नहीं किये। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए परियोजना वृत्ति छात्र नियुक्त नहीं किये गये थे अथवा कुछ संसाधन केन्द्र में रिक्तियां नहीं भरी गई थी।
- सस्ती दर पर ब्रितानिया सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के लिए एक फर्म के प्रस्ताव पर विचार करने में असफलता के परिणामस्वरूप 3.36 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ। 12.93 लाख रु. की लागत पर खरीदा गया एक सॉफ्ट वेयर पैकेज अप्रयुक्त रहा।
- विद्यालयों को पैकेजों की आपूर्ति में एकरूपता नहीं थी। प्रशिक्षण के अभाव, प्रशिक्षित अध्यापकों के स्थानान्तरण, नए कार्यक्रमों का अभाव, संस्थापन में विलम्ब तथा त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर के कारण, बहुत सी मदें अप्रयुक्त रहीं।
- विद्यालय में परियोजना का कार्यान्वयन मानदंडों से कम पड़ गया चूंकि बहुत से विद्यालय परियोजना में भाग लेने को इच्छुक नहीं थे, कम्प्यूटर कक्षाएँ नहीं चलाई गई थी, नामांकित किये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, आयोजित की जाने वाली कक्षाओं की संख्या इत्यादि के सम्बन्ध में निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुसरण नहीं किया गया था। नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 3 से 450 के बीच थी। कुछ विद्यालयों में छोड़कर चले जाने वालों का आंध्र प्रदेश में 18 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल में 20 से 75 प्रतिशत था।
- एक संसाधन केन्द्र से संलग्न विद्यालयों की औसत संख्या 42 थी, जो कि विचारी गई 20 से 25 विद्यालयों के मानदंड से काफी अधिक थी। यह अपेक्षा, कि विद्यालय संसाधन केन्द्र से लगभग 100 किलोमीटर के भीतर स्थित होने चाहिए, की भी अवहेलना गई थी।
- 1988-89 तक चयनित विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित किये जाने वाले 6981 अध्यापकों के प्रति मार्च 1990 तक केवल 5108 अध्यापक प्रशिक्षित किये गये थे, चूंकि बहुत से संसाधन केन्द्र कार्य नहीं करते थे तथा जो कार्य कर रहे थे, वे अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित नहीं करते थे।
- परियोजना के प्रबोधन में रा.शै.अ.प्र.प. का आवेष्टन न्यूनतम प्रतीत होता था तथा निधियों के वितरण तक सीमित था।
- यद्यपि मूल्यांकन में, परियोजना के कार्यान्वयनमें कमियां इंगित की गई थी, इसे और प्रभावशाली बनाने हेतु पर्याप्त कार्यवाही

नहीं की गई थी ।

3.5 परियोजना स्वीकृति

विभाग द्वारा नवम्बर 1983 में, समस्त देश में प्रस्तुत की गयी वि.क्र.सा.त.अ. परियोजना को शुरु करने के प्रस्ताव का उद्देश्य, 4 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर, लगभग 500 केन्द्रीय विद्यालयों में पायलेट परियोजना के रूप में कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ करना था। पायलेट परियोजना के माध्यम से प्राप्त अनुभव के आधार पर, 300 करोड़ रु. का निवेश अन्तर्गत करते हुए कार्यक्रम का बाद में सारे देश के सभी विद्यालयों में विस्तार किया जाना था। तथापि, संसाधन की रुकावटों के मध्यनजर, 1984-85 में "पायलेट परियोजना" 250 स्कूलों तक सीमित कर दी गई थी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्तार की सीमा का निर्णय पायलेट परियोजना के निष्कर्षों को निर्धारित करने के पश्चात किया जाना था। 250 स्कूलों में परियोजना लागू करने में निहित व्यय का अनुमान नहीं बनाया गया था, न ही इलैक्ट्रॉनिक आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (अ.अ.के.) अहमदाबाद को दिसम्बर 1984 में पायलेट परियोजना का मूल्यांकन सौंपा गया था। अ.अ.के. ने जून 1985 में अहमदाबाद में छः विद्यालयों का मूल्यांकन किया था तथा जैसा कि आगे के पैराग्राफ 3.13 में बताया गया, इसने जुलाई 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तथापि, मूल्यांकन करने तथा रिपोर्ट की प्राप्ति से भी

पहले, इलैक्ट्रॉनिक आयोग के फरवरी 1985 में 10 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 1985-86 के दौरान 1000 विद्यालयों में कार्यक्रम के विस्तार का निर्णय लिया। सीमित बजट आबंटन के कारण विस्तार का कार्यान्वयन वास्तव में 1985-86 तथा 1986-87 में दो चरणों में किया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 स्पष्ट करती थी कि कम्प्यूटर साक्षरता का कार्यक्रम स्कूल स्तर से विस्तृत पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। अगस्त 1986 में मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन हेतु, तैयार किये गये कार्यवाही कार्यक्रम में, 1991 तक सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, 1995 तक माध्यमिक स्कूलों तथा अन्त में प्राथमिक स्कूलों को शामिल करने के लिये कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रमों के विस्तार पर विचार था। आगे, जून 1987 में परियोजना पर विचार-विमर्श करने के लिए मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि साक्षरता परियोजना उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लागू की जानी चाहिए तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 13000 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को इसमें आवृत करने का उद्देश्य होना चाहिए। विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कार्यक्रम उद्देश्यों का उल्लेख करने के लिए विभाग द्वारा गठित एक कार्यकारी दल ने भी फरवरी 1988 में सिफारिश की थी कि 1990 तक परियोजना के तहत 13000 विद्यालय आवृत किए जाएं। जून 1988 में विभाग तथा मंत्रालय ने योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों हेतु,

198.58 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 13000 विद्यालयों को आवृत करने के लिए मंत्रीमंडल हेतु एक टिप्पण भेजा था। परिव्यय का प्रस्तावित आकार तथा मात्रा दोनों पर ही, योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा शंका प्रकट की गई थी, अवरोक्त ने यह निर्देश भी दिया था कि ऐसे बड़े प्रस्ताव व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।

1990 तक 13,000 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को आवृत करने के लिए परियोजना के विस्तार के लिए, जिसमें 198.58 करोड़ रु. का परिव्यय निहित था, नवम्बर 1988 में विभाग ने व्य.वि.स. को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) ने मार्च 1989 में निर्णय लिया कि परियोजना का कार्यान्वयन 1988-89 हेतु उपलब्ध 6.5 करोड़ रु. के आबंटन के भीतर ही किया जाना चाहिये। परियोजना हेतु विदेशी विनिमय मुद्रा की आवश्यकता का अनुमोदन भी नहीं हुआ था।

इसी बीच बजट आबंटन के आधार पर 1987-88 तथा 1988-89 में परियोजना का विस्तार किया गया था तथा मार्च 1989 तक परियोजना पर 25.28 करोड़ रु. का व्यय वहन किया गया था। यह वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधान की योजना के अनुसार किसी विशेष मंत्रालय अथवा विभाग की वित्तीय

शक्तियों से बाहर था तथा मंत्रीमण्डल का अनुमोदन आवश्यक था।

मंत्रालय ने अगस्त 1990 तथा फरवरी 1991 में बताया कि मंत्रीमंडलीय अनुमोदन की प्रत्याशा में 1989-90 में परियोजना हेतु 6.20 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था तथा मार्च 1990 तक सांतवी पंचवर्षीय योजना में 20 करोड़ रु. से अधिक वहन किए गए, 8.68 करोड़ रु. के व्यय हेतु मंत्रीमंडल का कार्योत्तर अनुमोदन मई 1990 में प्राप्त किया गया था। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि विद्यालयों के चयन, हार्डवेयर की संस्थापना कम्प्यूटर प्रणाली का कार्य न करना, इत्यादि (जैसे कि बाद के पैराग्राफों में व्यक्त किए गए हैं) जैसे परियोजना के कार्यान्वयन में अनेकों कमियां इस तथ्य पर कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नियमित आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका था तथा परिणामतः इसके जारी रहने के बारे में परिणामी संदिग्धता थी, पर आरोप्य थीं।

3.6 वित्तीय परिव्यय

3.6.1 बजट तथा व्यय: निम्न तालिका 1984-85 से 1989-90 के दौरान बजट प्रावधान तथा परियोजना पर व्यय को दर्शाती है:

(लाख रु. में)

वर्ष	बजट प्रावधान			व्यय		
	विभाग	मंत्रालय	योग	विभाग	मंत्रालय	योग
1984-85	280.79	-	280.79	280.79	-	280.79
1985-86	343.25	59.75	403.00	394.00	56.84	450.84
1986-87	300.00	100.00	400.00	519.86	-	519.86
1987-88	300.00	600.00	900.00	90.00	539.11	629.11
1988-89	50.00	600.00	650.00	50.00	598.20	648.20
1989-90	20.00	600.00	620.00	20.00	599.45	619.45
जोड़	1294.04	1959.75	3253.79	1354.65	1793.60	3148.25

व्यय, दिसम्बर 1984 में बर्तानिया से सहायता के तौर पर प्राप्त 900 कम्प्यूटर प्रणालियां (कीमत 152 लाख रु.) तथा सॉफ्टवेयर पैकेज (कीमत 88 लाख रु.) की 240 लाख की घोटक कीमत से अलग था। 1989-90 तक 3148.25 लाख रु. के व्यय में, हार्डवेयर की अधिप्राप्ति तथा आबंटन हेतु अदा किए गए 2507.01 लाख रु., विद्यालय में खर्चों हेतु 295.86 लाख रु. संसाधन केन्द्रों में अध्यापकों के प्रशिक्षण के खर्चों हेतु 244.82 लाख रु., सॉफ्टवेयर की खरीद हेतु 91.03 लाख रु. तथा अन्य खर्चों के प्रति 9.53 लाख रु. सम्मिलित थे। राशि, विभिन्न एजेंसियों को निम्नानुसार अदा की गई थी:

क.अ.नि. - विद्यालयों तथा संसाधन केन्द्रों को परिफरेंल की अधिप्राप्ति तथा हार्डवेयर के आबंटन हेतु 2042.70 लाख रु. थे, इस राशि के, 809 लाख रु. अप्रयुक्त पड़े रहे (सितम्बर 1990)। मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि क.अ.नि. द्वारा निधियों का अनुपयोग, विद्यालयों के साथ संसाधन केन्द्रों को संलग्न करने के लिए वांछित समय, हार्डवेयर जांच/पैकिंग की अधिप्राप्ति, दुलाई इत्यादि, उपकरण स्वीकार करने हेतु संसाधन केन्द्रों की अनिच्छा तथा कुछ विद्यालयों की ओर से अतत्परता के कारण था।
से.अ.लि. - कम्प्यूटरों की आपूर्ति हेतु 464.31 लाख रु.; मंत्रालय के अनुसार (फरवरी 1991) क.अ.नि.

को आगे वितरण हेतु आपूर्त किए गए कम्प्यूटरों की लागत समायोजित करने के पश्चात से.अ.लि. के पास मार्च 1989 के अन्त तक 9.51 लाख रु. के अव्ययित शेष थे ।

रा.शै.अ.प्र.प. - सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति, संसाधन केन्द्रों के भुगतान तथा विद्यालयों को पुस्तकों की आपूर्ति इत्यादि हेतु 456.74 लाख रु., इस राशि के 49.61 लाख रु. जो कि मार्च 1989 तक रा.शै.अ.प्र.प. को अदा किए गए थे सहित 154.91 लाख रु. अप्रयुक्त पड़े रहे (मार्च 1990) । मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि रा.शै.अ.प्र.प., देशज सॉफ्टवेयर के विकास हेतु आवश्यक समय तथा संसाधनकेन्द्रों से कम माँग के कारण निधियों का उपयोग नहीं कर सका था ।

राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र तथा अन्य एजेंसियां- विद्यालयों को आबंटन हेतु 164.47 लाख रु. ।

अनुदान मंत्रालय द्वारा वर्ष की बिल्कुल समाप्ति पर, मार्च में जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप उस वर्ष संसाधन केन्द्रों तथा विद्यालयों को अनुदान आबंटित नहीं हो सके । 1989-90 वर्ष हेतु, मंत्रालय ने मार्च 1990 में रा.शै.अ.प्र.प. को 121.18 लाख रु. का अनुदान जारी किया था; यह राशि 1989-90 की समाप्ति से पहले रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा राज्य सरकारों/ नोडल एजेंसियों को जारी नहीं की जा सकी थी । मंत्रालय ने वर्ष के ठीक अन्त पर अनुदानों का जारी किया जाना वर्षानुवर्ष तदर्थ आधार पर

परियोजनाओं को जारी रखने पर आरोपित किया (फरवरी 1991) ।

3.6.2 असंवितरित राशियां: मंत्रालय द्वारा विद्यालयों को संस्वीकृत अनुदान, रा.शै.अ.प्र.प.द्वारा राज्य सरकारों/नोडल एजेंसियों को अदा किए जाते थे, जिन्होंने विद्यालयों को राशि का संवितरण साधारणतया 4 से 12 महीने के विलम्ब से किया । आगे, राज्य शिक्षा विभाग/नोडल एजेंसियों के पास भारी राशियां असंवितरित पड़ी थीं । 1988-89 तक 24 राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्राप्त किए गए 119.31 लाख रु. में से 47.16 लाख रु. की राशि (40 प्रतिशत) असंवितरित रही । ऐसी असंवितरित राशियाँ अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में 40 से 50 प्रतिशत के बीच, दादर व नागर हवेली, गुजरात, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल में 51 से 70 प्रतिशत और आन्ध्र प्रदेश तथा पांडिचेरी में 70 प्रतिशत से अधिक थीं । दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं थी, जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, पंजाब तथा मणिपुर ने अनुदानों को पूर्णतः संवितरित दर्शाया था । मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि अधिकतर मामलों में उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकारों द्वारा नहीं भेजे जा रहे थे तथा कि उनके साथ मामला बार-बार उठाया गया था । निधियां परियोजना में चयनित स्कूलों की अनिच्छा के कारण हिस्सा न लेने, प्रत्यक्ष सुविधाओं की शर्तों को

तैयार न किये जाने, उपकरण की संस्थापना में विलम्ब तथा कुछ स्कूलों के मामले में चयन में द्विरावृत्ति के कारण असंवितरित पड़ी रहीं ।

3.6.3 विद्यालयों को अनुदानों का भुगतानः(क) कई मामलों में विद्यालयों को अनुदान अदा किए गए थे यद्यपि विद्यालय में कम्प्यूटरों की स्थापना नहीं हुई थी अथवा निम्न दशाए अनुसार विद्यालय कक्षाओं का संचालन नहीं कर रहे थे:

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहः 1987-88 में दो विद्यालयों को 0.07 लाख रु. राशि के अनुदान अदा किए गए थे जिन्होंने परियोजना कार्यान्वित नहीं की थी ।

दिल्लीः दो विद्यालयों को 1987-88 तथा 1988-89 हेतु प्रत्येक को 0.07 लाख रु. अदा किए गए थे यद्यपि एक विद्यालय में कोई कक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी तथा दूसरे में कक्षाएं केवल 1987-88 में आयोजित हुई थी ।

हिमाचल प्रदेशः दो विद्यालयों ने 0.11 लाख रु. का अनुदान प्राप्त किया था यद्यपि कम्प्यूटर स्थापित नहीं किए गए थे, जारी की गई कुल राशि से, 0.04 लाख रु. व्यय हुए दर्शाए गए थे ।

केरलः 1987-88 हेतु बीस स्कूलों को कुल 0.70 लाख रु. के अनुदान अदा किए गए थे; 19 स्कूलों में कम्प्यूटरों की स्थापना नहीं की गई थी तथा एक स्कूल में कक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी क्योंकि किसी भी शिक्षक को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था । जबकि तीन विद्यालयों ने राशि वापस कर दी, सत्रह विद्यालयों ने

कम्प्यूटरों की प्राप्ति पर अनुदान को 1988-89 में उपयोग हेतु सुरक्षित रख लिया था ।

मणिपुरः तीन विद्यालयों को 0.11 लाख रु. अदा किए गए थे हालांकि एक स्कूल में 1987-88 तथा 1988-89 और एक अन्य स्कूल में 1987-88 में कक्षाएं आयोजित नहीं की गई थीं तथा एक विद्यालय को कम्प्यूटर प्रणाली आपूर्त नहीं की गई थी ।

मिजोरमः 1986-87 में एक विद्यालय को 0.04 लाख रु. अदा किए गए थे यद्यपि कक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी ।

उड़ीसाः पाँच विद्यालयों को जुलाई 1988 से मार्च 1990 के दौरान 1985-86 से 1988-89 वर्षों हेतु 0.25 लाख रु. अनुदान के रूप में अदा किए गए थे, यद्यपि कि दो विद्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना 1989-90 में की गई थी तथा बाकी के तीन विद्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना नहीं की गई थी ।

पंजाबः दो विद्यालय जो कार्यक्रम का संचालन नहीं कर रहे थे क्योंकि अध्यापकों को प्रशिक्षित नहीं किया गया था अथवा प्रायः स्थानान्तरित हो जाते थे, को, 1988-89 में 0.07 लाख रु. का अनुदान अदा किया गया था ।

उत्तर प्रदेशः पाँच विद्यालयों को 0.24 लाख रु. अदा किए गए थे जिसमें एक विद्यालय में विद्युत नहीं थी, तीन विद्यालय परियोजना को नहीं चला रहे थे तथा पाँचवाँ विद्यालय अस्तित्व में नहीं था ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि 1989-90 से राज्य नोडल अधिकारियों को निधियां

सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों के साथ जारी की थीं कि निधियाँ केवल उन स्कूलों को उपलब्ध कराई जायें जहाँ प्रणाली वास्तव में संस्थापित की गई थी ।

(ख) बहुत से विद्यालयों ने अनुदानों को सम्पूर्ण अथवा अंशतः खर्च नहीं किया था, परन्तु बकाया राशि अपने पास सुरक्षित रख ली थी । नमूना जाँच किए गए 165 विद्यालयों को 1984-85 से 1988-89 के दौरान अदा किए गए 7.35 लाख रु. में से, 3.05 लाख रु. (40 प्रतिशत) की राशि खर्च नहीं की गई थी तथा विद्यालयों के पास पड़ी थी । (ग) मंत्रालय ने, विद्यालयों को वितरण हेतु, केन्द्रीय विद्यालयों से सम्बन्धित अनुदान, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (संगठन) को अदा किए थे । संगठन ने 1988-89 हेतु 11.37 लाख रु. का अनुदान स्वीकार नहीं किया था क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत अधिक अव्ययित शेष थे तथा इसके द्वारा 1984-85 से 1987-88 वर्षों हेतु प्राप्त 25.24 लाख रु. में से, 5.29 लाख रु. (1987-88 हेतु अनुदान) संगठन के पास असंवितरित पड़े थे । संगठन ने फरवरी 1990 में मंत्रालय को यह सूचित भी किया कि 13.21 लाख रु. की राशि 269 विद्यालयों के पास अव्ययित पड़ी थी । इस प्रकार 1988-89 तक मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 36.61 लाख रु. में से, विद्यालयों द्वारा केवल 6.74 लाख रु. का व्यय किया गया था ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि संगठन को जून 1990 तक अव्ययित राशि को उपयोग करने की अनुमति दे दी गई थी तथा इसे उपयोगिता प्रमाणपत्र

जो अभी तक प्रतीक्षित था भेजने के लिए अनुस्मरण करा दिया था ।

(घ) विद्यालय को अदा की गई प्रतिवर्ष 3500 रु. की राशि कम्प्यूटर कमरों हेतु लघु मदो की खरीद, लेखन-सामग्री की खरीद, संसाधन केन्द्र जाने वाले कर्मचारियों की या.म./दै.म. के व्यय को पूरा करने के अभिप्राय से था । कुछ विद्यालयों ने राशि, गलीचों की खरीद, विद्युत फिटिंग, फर्नीचर, वैक्यूम क्लीनर, संगमरमरीय फर्श, स्टील अलमारी इत्यादि पर खर्च किए । अस्वीकार्य मदों पर ऐसे व्यय कर्नाटक (0.15 लाख रु.), महाराष्ट्र (0.53 लाख रु.) तथा उड़ीसा (0.37 लाख रु.) में 1.05 लाख रु. राशि के थे ।

बिहार में राज्य सरकार ने 20 स्कूलों में कम्प्यूटर कमरों के निर्माण के लिए 2.40 लाख रु. संस्वीकृत किए थे । सिक्किम में एक विद्यालय में परियोजना निधियों में से कर्मचारियों को 7614 रु. राशि के अग्रिम विभिन्न उद्देश्यों हेतु दिए गए थे । हिमाचल प्रदेश में सनावर स्थित एक विद्यालय जिसमें 1985 में दो कम्प्यूटर आपूर्त किए गए थे तथा जिसने 1987 में दो कम्प्यूटर खरीदे थे, ने अप्रैल 1989 से प्रशिक्षित 750 विद्यार्थियों से प्रति विद्यार्थी 725 रु. प्रति वर्ष की दर से प्रभार वहन किया था । मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि आकस्मिक अनुदानों का अन्य उद्देश्यों हेतु विपथन उपचारी कार्यवाही के लिए राज्य/संघ शासित सरकारों के ध्यान में ला दिया गया था ।

(ड.) अधिकांश विद्यालयों ने अनुदान का अलग से नकद लेखा नहीं रखा था, बल्कि अनुदानों को विद्यालय

निधियों के साथ मिला दिया था । विद्यालयों द्वारा राज्य शिक्षा प्राधिकारियों को उपयोगिता प्रमाणपत्र नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे । राज्य ऐजेंसियों ने मंत्रालय को न तो संग्रहित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे तथा न ही विद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतिकरण पर निगाह रखी थी ।

3.6.4 संसाधन केन्द्रों को अनुदानों का भुगतान:

(क) रा.श.अ.प्र.प. ने 1984-85 से 1988-89 के दौरान 0.30 लाख रु. प्रति संसाधन केन्द्र, वार्षिक दर पर 164.96 लाख रु. प्राप्त किये तथा संसाधन केन्द्रों को अदा किये । रा.श.अ.प्र.प. के पास संसाधन केन्द्रों द्वारा किये गये व्यय तथा अप्रयुक्त शेषों के विषय में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं थी । नमूना जांच किये गये 30 संसाधन केन्द्रों में, मार्च 1989 तक प्राप्त किये गये 65.88 लाख रु. (32 प्रतिशत) में से 20.87 लाख रु., अप्रयुक्त पड़े हुए थे । व्यय में कमी को सामान्यतः प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की कम संख्या, अनियुक्त परियोजना फैलो आदि पर, आरोपित किया गया था ।

संसाधन केन्द्रों को लेखा परीक्षित लेखाविवरण भेजने अपेक्षित थे । नमूना जांच ने दर्शाया कि 13 संसाधन केन्द्रों ने 33.03 लाख रु. के लिए लेखापरीक्षित ऐसे विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे ।

रा.श.अ.प्र.प. ने अगस्त 1990 में बताया कि 10 संसाधन केन्द्रों ने 1989-90 में लेखे प्रस्तुत किये, जबकि संसाधन केन्द्रों द्वारा लेखापरीक्षित लेखों के

विवरण 30 जून तक भेजे जाने अपेक्षित थे केवल कुछ संसाधन केन्द्रों ने लेखे प्रस्तुत किये थे, तथापि, संसाधन केन्द्रों को आगे निधियां, उनसे केवल लेखापरीक्षित न किये गये लेखों के विवरणों की प्राप्ति के पश्चात ही, जारी की गई थी । मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि मामले को गम्भीरता की दृष्टि से लेते हुए, संसाधन केन्द्रों को सूचित कर दिया गया था कि जब तक पूर्ववर्षों के व्यय लेखों की लेखापरीक्षित विवरणियाँ उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं कर दी जाती तब तक और निधियां जारी नहीं की जाएंगी ।

(ख) उनके द्वारा निष्पादित कार्यों की सीमा का ध्यान न रखते हुए शिक्षकों के प्रशिक्षण के व्यय को आवृत करने वाली अनुदानें विभिन्न संसाधन केन्द्रों को भुगतान की गई थीं । हरियाणा में 1984-85 से 1988-89 के दौरान एक संसाधन केन्द्र को 1.28 लाख रु. भुगतान किये गये थे, यद्यपि, केवल 12 शिक्षक ही केन्द्र में प्रशिक्षित किये गये थे तथा कोई परियोजना वृत्तिछात्र नियुक्त नहीं किया गया था । केन्द्र ने केवल 0.20 लाख रु. व्यय किये थे । असम (सिलचर) में एक केन्द्र को 2.63 लाख रु. भुगतान किये गये, यद्यपि इसने केवल दो प्रशिक्षण कार्यक्रम (1987 तथा 1988 में) आयोजित किये थे तथा 1.75 लाख रु. का व्यय वहन किया था ।

(ग) संसाधन केन्द्र को भुगतान किए गये अनुदान में अन्य बातों के साथ-साथ, संसाधन केन्द्र के व्यक्तियों को प्रतिवर्ष 20 दिनों के लिए दैनिक भत्ता शामिल था । नीचे दिये गये पैरा 3.10 के अन्तर्गत

लेखापरीक्षा में जाँचे गये विद्यालयों द्वारा भेजी गई सूचना ने दर्शाया कि किसी भी संसाधन केन्द्र के व्यक्ति ने कम्प्यूटर की स्थापना के बाद विद्यालयों में दौरा नहीं किया था ।

(घ) नमूना जांच किये गये अधिकतर संसाधन केन्द्रों में परियोजना वृत्तिछात्र निरन्तर नियुक्त नहीं किये गये थे बल्कि एक से छः माह के लिए नियुक्त किये गये थे तथा निरन्तर परिवर्तित हो रहे थे । संसाधन केन्द्रों के अनुसार परियोजना वृत्तिछात्र को भुगतान किया गया पारिश्रमिक अपर्याप्त था तथा योग्य व्यक्ति आगे नहीं आ रहे थे ।

(ङ.) कर्नाटक में मैसूर के एक संसाधन केन्द्र में ,

वर्ष	लक्ष्य विद्यालयों की संख्या	उपलब्धियां	नामांकित किये गये विद्यार्थियों की संख्या
		चयन किये गये विद्यालयों की संख्या	
		जिनमें सिस्टम स्थापित किया गया था	

1984-85	250	248	215	2214
1985-86	500	501	383	6539
1986-87	500	500	359	13486
1987-88	700	700	247	18904
1988-89	380	378	176	21945
1989-90	271	271	314	11299
जोड़	2601	2598	1694	74387

निर्धारित दरों से ऊंची दरों पर दैनिक भत्ते के भुगतान के परिणामस्वरूप, 0.24 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ । पश्चिम बंगाल में तीन संसाधन केन्द्रों को उनके बकाया 7.20 लाख रु. के प्रति 10.01 लाख रु. का भुगतान किया गया था तथा 1984-85 से 1988-89 के दौरान उन्होंने 8.15 लाख रु. खर्च किया था ।

3.7 प्रत्यक्ष प्रगति

(i) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवृत किये जाने वाले प्रस्तावित 13000 विद्यालयों के प्रारम्भिक लक्ष्य के प्रति, 1989-90 तक वार्षिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्न प्रकार थी:

(ii) मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि 13000 विद्यालयों का लक्ष्य एक अप्रचलित कार्य बना रहा क्योंकि उतनी बड़ी आवृत्ति के लिए पर्याप्त निधियां तदर्थ वर्षानुवर्ष आबंटनों में कभी भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 हेतु विद्यालयों की सूची को क्रमशः अप्रैल 1988, अप्रैल- मई 1989 तथा अप्रैल 1990 में, वित्तीय वर्ष की समाप्ती के पश्चात देर स अन्तिम रूप दिया गया था। (iii) विद्यालयों की सूची को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण विद्यालयों में हार्डवेयर की अधिप्राप्ति तथा संस्थापना विलंबित हो गई थी। परिणामस्वरूप, यद्यपि 1988-89 तक 2327 विद्यालय चयन किये गये थे, 1988-89 तक कम्प्यूटर सिस्टम केवल 1380 विद्यालयों (60 प्रतिशत) में तथा 1989-90 तक 1694 विद्यालयों (65 प्रतिशत) में स्थापित किया गया था।

(iv) 1989-90 तक उत्पन्न की गई 5.47 लाख विद्यार्थियों की क्षमता के प्रति, वास्तविक रूप से नामांकित किये गये विद्यार्थियों की संख्या केवल 74387 (13 प्रतिशत) थी।

3.8 हार्डवेयर

3.8.1 अधिप्राप्ति: हार्डवेयर (माइक्रो कम्प्यूटरों) का चुनाव एक विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर निर्धारित किया गया था, जिसने अति उचित माइक्रो कम्प्यूटर के रूप में बी बी सी-ए सी ओ आर एस की सिफारिश की थी। सिस्टम का स्वरूप, बी बी सी-माइक्रो-32 के. आर. ए. एम., मीडियम रेजेल्यूशन

ग्राफिक कलर मानिटर, फलापी ड्राइव तथा प्रिन्टर था।

1984-85 के दौरान, 1.52 करोड़ रु. मूल्य के 900 सिस्टम (7,61,675 पौंड स्टर्लिंग) ब्रिटेन से सहायता के रूप में प्राप्त हुए थे। क.अ.नि. जो कि हार्डवेयर की अधिप्राप्ति, संवितरण, संस्थापन तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी थी, से.अ.लि. से स्वदेशी रूप से उसी स्वरूप के माइक्रो-कम्प्यूटर (यूनीकारन) खरीद रही थी, जबकि बाहरी हिस्से जैसे मानीटर, डिस्क ड्राइव तथा प्रिन्टर जापान, ब्रिटेन से आयात किये गये थे। 1988-89 तक कुल आयातों का ला.बी.कि. मूल्य 429.86 लाख रु. था।

मार्च 1989 तक हार्डवेयर की अधिप्राप्ति पर कुल व्यय में, माइक्रो की लागत (अ. क. लि. को भुगतान किए गए 464.31 लाख रु. सहित 542.27 लाख रु.), आयातित बाहरी हिस्सों की लागत (429.86 लाख रु.), स्थानीय सहायक पुर्जें (39.56 लाख रुपये), भंडार गृह तथा वितरण प्रभार (74.90 लाख रु.), संस्थापन प्रभार (13.07 लाख रु.), समाविष्ट थे।

इसके अतिरिक्त, क.अ.नि. को 1988-89 तक 159.26 लाख रु. की राशि के वार्षिक अनुरक्षण प्रभार अदा किये गये।

1989-90 के दौरान हार्डवेयर पर 439.09 लाख रु. का व्यय वहन किया गया था, अधिप्राप्ति, आपूर्ति गोदाम संस्थापना तथा रख-रखाव पर अलग से वहन किए गए व्यय के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

प्रत्येक संस्थान के तथा विद्यालय को 1986-87 तक क्रमशः सात तथा दो सिस्टम की आपूर्ति की गई थी । 1987-88 से विद्यालयों को आपूर्ति किये गये सिस्टमों की संख्या पांच तक बढ़ाई गई थी ।

संवितरण संसाधन केन्द्रों में परियोजना समन्वयकर्ता के परामर्श के साथ नामांकित विद्यालयों की सूचियां प्राप्त होने पर किया गया था । अधिप्राप्त तथा स्थापित किये गये सिस्टमों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:

क.अ.नि. द्वारा विद्यालयों को सिस्टमों का

वर्ष	विद्यालयों की संख्या (लक्ष्य)	अपेक्षित सिस्टमों की संख्या	की गई खरीद की संख्या	संस्थापनों की संख्या	क अ नि/ सं.के पास संचयी शेष		
		विद्यालयों में	संसाधन केन्द्रों में	विद्यालयों में	संसाधन केन्द्रों में		
1984-85	250	500	294	1250	430	294	526
1985-86	500	1000	56	1150	766	56	854
1986-87	500	1000	21	900	718	21	1015
1987-88	700	3500	-	1200	494	-	1721
1988-89	380	1900	-	1436	778	-	2379
1989-90	271	1355	49	2261	1570	14	3056

(क) 1988-89 तक नामांकित विद्यालयों तथा संसाधन केन्द्रों के लिए 8271 सिस्टमों की आवश्यकता के प्रति 1989-90 तक 8197 सिस्टम अधिप्राप्त हुए थे, जिनमें से केवल 5141 सिस्टम स्थापित किये गये थे ।

सिस्टम अपने - अपने संसाधन केन्द्रों को भेज दिये गये थे तथा मार्च 1990 तक केवल 456 विद्यालयों में स्थापित किये गये थे । 1988-89 के लिए चयन किये गये विद्यालयों के लिए, सितम्बर 1989 तक हार्डवेयर की अधिप्राप्त को अंतिम रूप नहीं दिया गया था ।

(ख) 1987-88 के लिए चयन किये गये 700 विद्यालयों में से, 628 विद्यालयों के लिए कम्प्यूटर

(ग) क.अ.नि., को अ. क. लि. द्वारा आपूर्ति किए गए दौ सौ अठत्तर सिस्टम, परवर्ती द्वारा अगस्त

1988 में मरम्मत हेतु वापिस कर दिए गए थे तथा वापिस प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 1991)।

(घ) सल्तानवें सिस्टम अन्वों, जैसे, मंत्रालय तथा विभाग को आपूर्त कर दिये गये थे, यद्यपि ऐसे संवितरण के लिए औचित्य स्पष्ट नहीं था, इसने निधियों के विपथन को प्रदर्शित किया। मंत्रालय के अनुसार, परियोजना से संबंधित संस्थाओं तथा प्रशासनिक मंत्रालयों को 65 कम्प्यूटर आपूर्त किए गए थे तथा 32 क.अ.नि. के चलायमान भंडार में थे।

(ड.) विद्यालयों/संसाधन केन्द्रों को आपूर्त सिस्टमों की न तो रा.श.अ.प्र.प. और न ही मंत्रालय मांग सूची अनुरक्षित कर रही थी यद्यपि ये सरकार की सम्पत्ति थीं।

3.8.2 कम्प्यूटरों की संस्थापना: कमरों के विनिर्माण अथवा विद्यालयों द्वारा कम्प्यूटरों की स्वीकृति लंबित रहते क.अ.नि. ने कम्प्यूटर संसाधन केन्द्रों को भेज दिये। संसाधन केन्द्रों में कम्प्यूटरों की प्राप्ति तथा विद्यालयों में उनकी स्थापना के बीच का अन्तराल 2 से 12 माह तक रहा। कई मामलों में विद्यालयों के कम्प्यूटरों की प्राप्ति के लिए तैयार होने से पूर्व ही, कम्प्यूटर विद्यालयों को भेज दिये गये थे जो संसाधन केन्द्रों, क.अ.नि. तथा विद्यालयों के बीच समन्वय के अभाव को इंगित करता था। परिणामस्वरूप, कम्प्यूटर, स्कूलों में बिना स्थापित हुए लम्बे समय के लिए पड़े हुए थे।

सिस्टमों की विशाल संख्या जो कि संसाधन केन्द्रों तथा विद्यालयों के पास अस्थापित पड़ी रहीं, ने

निधियों के अवरोधन को अपरिहार्य बनाया।

मार्च-मई 1990 में, संसाधन केन्द्रों तथा विद्यालयों की एक नमूना जांच ने निम्नलिखित प्रकट किया:

आंध्र प्रदेश: 1988-89 हेतु चयन किये गये 141 विद्यालयों में से 1987-88 हेतु चयनित 8 विद्यालयों तथा 1988-89 हेतु 24 विद्यालयों को कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं कराए गये थे। जून 1989 में दो विद्यालयों को आपूर्त किए गए 10 कम्प्यूटर मार्च 1990 तक प्रतिष्ठापित नहीं किये गए थे। 68 मामलों में संसाधन केन्द्रों में प्राप्ति के पश्चात कम्प्यूटरों की संस्थापना में लिया गया समय एक से तीन माह, 27 मामलों में तीन से छः माह के आसपास तक था तथा 12 मामलों में छः माह से अधिक था; विलम्ब कमरों के तैयार न होने पर आरोपित किये गये थे।

असम: 1988-89 के लिए चयनित सात विद्यालयों के सम्बन्ध में प्राप्त पैतीस कम्प्यूटर, संसाधन केन्द्र में नौ महीनों से अधिक से पड़े हुए थे। अक्टूबर 1989 में एक विद्यालय को आपूर्त किये गए पाँच कम्प्यूटर, मार्च 1990 तक संस्थापित नहीं किये गये थे।

बिहार: मार्च 1989 में एक स्कूल को आपूर्त किए गए कम्प्यूटरों की स्थापना जून 1990 तक नहीं की गई थी तथा अन्य स्कूल में फरवरी 1989 में आपूर्त कम्प्यूटर परिचालित नहीं था क्योंकि साफ्टवेयर आपूर्त नहीं किया गया था। दो संसाधन केन्द्रों में प्राप्त 197 सिस्टमों में 169 सिस्टम विद्यालयों में प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे। अधिकतर 16 सिस्टम 12 महीनों से भी अधिक समय से प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे (जून

1990) ।

दिल्ली: दिसम्बर 1986 तथा मार्च 1989 में दो विद्यालयों को आपूर्त किये गये कम्प्यूटर क्रमशः 11 माह तथा 6 माह के विलम्बों के पश्चात स्थापित किये गये थे ।

मणिपुर: एक विद्यालय में जुलाई 1986 में प्राप्त हुए कम्प्यूटर दो वर्ष तथा तीन माह के पश्चात, अक्टूबर 1988 में स्थापित किये गये थे ।

गुजरात: अहमदाबाद तथा सूरत के दो संसाधन केन्द्रों में 40 तथा 10 कम्प्यूटर क्रमशः मई 1989 तथा अप्रैल 1989 से अवितरित पड़े रहे ।

हिमाचल प्रदेश: एक विद्यालय हेतु दिसम्बर 1988 में प्राप्त पाँच कम्प्यूटर अभी तक, चंडीगढ़ में, संसाधन केन्द्र के पास थे । एक विद्यालय में अप्रैल 1987 में प्राप्त कम्प्यूटर स्थापित नहीं किया गया था (मार्च 1990) ।

कर्नाटक: गुलबर्गा तथा मैसूर में मार्च 1989 तक दो संसाधन केन्द्रों द्वारा प्राप्त 170 कम्प्यूटरों में से 17 कम्प्यूटर विद्यालयों को भेजे नहीं गये थे । 38 विद्यालयों में स्थापना के लिए लिया गया समय, 5 विद्यालयों में 12 महीनों से अधिक, 12 विद्यालयों में 9-12 महीने, 2 विद्यालयों में 6-9 महीने, 13 विद्यालयों में 3-6 महीने तथा 6 विद्यालयों में 1-3 महीने था । दो विद्यालयों में दिसम्बर 1984 तथा सितम्बर 1985 में, प्राप्त कम्प्यूटर, चार महीनों के पश्चात स्थापित किये गये थे ।

केरल: एक संसाधन केन्द्र द्वारा, थिरुवनांथापुरम

स्थित एगार्थी तथा मिलिकोय में दो विद्यालयों के लिए दिसम्बर 1988 में प्राप्त किए गये दस कम्प्यूटर अभी स्थापित किए जाने थे (जून 1990) । मट्टनचेरी में एक विद्यालय के लिए कोचीन स्थित संसाधन केन्द्र द्वारा दिसम्बर 1986 में प्राप्त किए गये कम्प्यूटर अभी प्रतिष्ठापित किए जाने थे (सितम्बर 1990) । इसके अतिरिक्त, राज्य शिक्षा संस्थान, थिरुवनांथापुरम द्वारा नौ विद्यालयों के लिए जनवरी 1989 में प्राप्त किये गये 45 कम्प्यूटरों में से 20 कम्प्यूटर मई 1990 में स्थापित किए गए थे तथा 25 कम्प्यूटर स्थापित किए जाने थे (अगस्त 1990) । थिरुवनांथापुरम स्थित संसाधनकेन्द्र से संलग्नित आठ में से चार विद्यालयों के विषय में स्थापना के लिए लिया गया समय तीन से 11 महीने के बीच रहा ।

मध्य प्रदेश: संसाधनकेन्द्रों में 1988-89 तक प्राप्त हुए 313 कम्प्यूटरों में से, केवल 188 कम्प्यूटर ही मार्च 1989 तक विद्यालयों में स्थापित किए गये थे । 1987-88 में 29 विद्यालयों तथा 1988-89 में 17 विद्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित नहीं किए गए थे (जून 1990) ।

मिजोरम: जबकि एक विद्यालय में जुलाई 1986 में प्राप्त हुए कम्प्यूटर 10 महीने के विलम्ब के बाद स्थापित किए गए थे, तीन अन्य विद्यालयों में जुलाई 1989 में प्राप्त किया गया उपस्कर स्थापित नहीं किया गया था (मार्च 1990) ।

महाराष्ट्र: 1987-88 के चार विद्यालयों के लिए जनवरी 1989 में प्राप्त किये गये बीस कम्प्यूटर

संसाधन केन्द्र के पास पड़े हुए थे (जून 1990)।

उड़ीसा: तीन संसाधन केन्द्रों में 1988-89 तक प्राप्त हुए 288 में से पैंसठ कम्प्यूटर विद्यालयों में स्थापित नहीं किये गये थे। संसाधन केन्द्रों में सिस्टम के प्राप्ति समय तथा विद्यालयों में स्थापना के बीच का अन्तर 12 महीनों से अधिक था तथा नमूना जांच किए गए चार विद्यालयों में, विद्यालय में प्राप्ति और स्थापना के बीच के समय का अन्तर पाँच महीने से दो वर्षों तक रहा। एक विद्यालय में जनवरी 1987 में प्राप्त किये गये सिस्टम स्थापित नहीं किये गये थे (मार्च 1990)।

पांडिचेरी: एक विद्यालय में सितम्बर 1986 में आपूर्त किये गये दो कम्प्यूटर नवम्बर 1987 में स्थापित किये गये थे।

राजस्थान: 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान क्रमशः अजमेर तथा जयपुर स्थित दो संसाधन केन्द्रों (प्रत्येक पाँच) में प्राप्त किये दस कम्प्यूटर विद्यालय में स्थापित नहीं किए गये थे।

उत्तर प्रदेश: वाराणसी स्थित संसाधन केन्द्र में 1988-89 तक प्राप्त 96 में से 27 सिस्टम (1986-87 में 2 तथा 1988-89 में 25) अभी तक भंडार में थे। 1988-89 तक इस केन्द्र से संलग्न 29 में से 23 विद्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित किये गये थे; दो विद्यालयों में स्थापना के लिए क.अ.नि. अभियन्ता प्रतीक्षित था; संसाधन केन्द्र द्वारा एक विद्यालय की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका था तथा तीन विद्यालयों ने अपनी तैयारी सूचित नहीं की थी। 19 विद्यालयों के संबंध में संसाधन केन्द्र द्वारा लिया गया

समय दो से 12 महीनों के बीच था। इलाहाबाद स्थित संसाधन केन्द्र में जिसके साथ 41 विद्यालय संलग्न थे, के.अ.नि. द्वारा, 22 विद्यालयों के सम्बन्ध में कम्प्यूटर आपूर्त नहीं किए गए थे। चार विद्यालयों में, कम्प्यूटर की स्थापना में उनकी प्राप्ति के पश्चात चार से 41 महीनों का विलम्ब हुआ।

पश्चिम बंगाल: एक विद्यालय में चार महीनों का विलम्ब हुआ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि मामला संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा था।

3.8.3 कम्प्यूटरों की अक्रियशीलता: संसाधन केन्द्र, क.अ.नि. के समन्वयन के साथ विद्यालयों में कम्प्यूटरों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी थे।

लेखा परीक्षा में नमूना जांच किये गये विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 228 विद्यालयों में से, 52 विद्यालयों (लगभग 23 प्रतिशत) ने हार्डवेयर में त्रुटियों की सूचना दी जिसके कारण सिस्टम एक वर्ष में 30 दिनों या अधिक के लिए अंसचालित थी।

52 मामलों के एक विश्लेषण ने दर्शाया कि 8 विद्यालयों में स्थापना के दिन से ही कम्प्यूटर कार्य नहीं कर रहे थे - दिसम्बर 1985 में चार, जनवरी 1986 से दो तथा मई 1987 और अगस्त 1989 से प्रत्येक में एक; 11 विद्यालयों में एक से चार महीने; 13 विद्यालयों में पाँच से आठ महीनों के लिए; चार विद्यालयों में 8 से 12 महीनों के लिए; आठ विद्यालयों में 12 से 24 महीने के लिए; सात विद्यालयों में 24 से

36 महीनों के लिए तथा एक विद्यालय में मार्च 1990 को 39 महीने कम्प्यूटर खराब रहे ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि नमूना जांच हुए बहुत से मामलों में विद्यालयों तथा संसाधन केन्द्रों के बीच तथा संसाधन केन्द्रों तथा क.अ.नि. बीच संचार व्यवस्था विलम्ब का कारण रहा है । मंत्रालय ने स्वीकार किया कि कुछ मामले ऐसे हो सकते थे जिनमें क.अ.नि. ने सिस्टमों पर ध्यान देने में अधिक देर लगाई । तथापि क.अ.नि. के क्षेत्र अभियंताओं को संसाधन केन्द्रों के सम्पर्क में बने रहने के तथा यह पता लगाने के कि क्या कोई असंलग्न शिकायतें लंबित थी, निर्देश भेजे गये थे ।

3.9 साफ्टवेयर

विद्यालयों को आपूर्त किये जाने वाले साफ्टवेयर पैकेजों में, (क) व्यापक अथवा बहुउद्देश्यीय पैकेज जो कि रुचि के विशेष क्षेत्रों का ध्यान किए बिना खुले शिक्षण अभ्यास के लिए प्रयोग किये जा सकते थे तथा (ख) विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा गणित में सामान्य तथा विशिष्ट दोनों, ज्ञानात्मक योग्यताएं अर्जन करने के लिए कम्प्यूटर पर आधारित शिक्षण पैकेज, समाविष्ट थे ।

3.9.1 अधिप्राप्ति: साफ्टवेयर पैकेज एक उच्च स्तरीय तकनीकी खरीद समिति (समिति) की सिफारिशों के आधार पर रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा खरीदे गये थे । समिति ने खुली निविदाएं आमंत्रित नहीं कीं बल्कि साफ्टवेयर विक्रेताओं द्वारा प्रस्तावित साफ्टवेयर मूल्यांकित किये तथा परियोजना के लिए

पैकेजों की उपयोगिता की दृष्टि से तथा समझौते के बाद अधिकतर एकल निविदा के आधार पर खरीद की सिफारिश की । विद्यालयों को वितरण हेतु हार्डवेयर सहित साफ्टवेयर, क.अ.नि. को सीधे ही आपूर्त किये गये थे । सहायता के रूप में ब्रिटेन से प्राप्त किए गये 88 लाख रु. मूल्य के साफ्टवेयर के अतिरिक्त 1989-90 तक साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति पर 91.03 लाख रु. का खर्च हुआ था ।

3.9.2 अतिरिक्त व्यय: साफ्टवेयर पैकेज के मूल्य में अन्य बातों के साथ-साथ फ्लोपी डिस्कट्स का मूल्य भी सम्मिलित था । मार्च 1986 में, समिति ने निर्णय लिया, कि खाली डिस्कट्स रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा आपूर्त की जायें तथा उसका मूल्य (जिसे 47 रु. से 61 रु. उद्धृत किया गया था) आपूर्तिकर्ताओं को अदा किए जाने वाले कुल मूल्य से कम कर दिया जाना चाहिए । मार्च 1986 से मार्च 1989 के दौरान की खरीदों के लिए रा.शै.अ.प्र.प. ने निर्धारित किया कि फर्म उसके उद्धृत किये गये डिस्कट्स फ्लोपी की लागत की राशि से पैकेज की लागत कम कर देगी यदि खाली डिस्कट्स, रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा आपूर्त किये जायें ।

तथापि रा.शै.अ.प्र.प. ने साफ्टवेयर फर्मों को आपूर्ति के लिए थोक में खाली डिस्कट प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया । फरवरी 1987 में रा.शै.अ.प्र.प. ने प्रत्येक 42 रु. पर, 1500 डिस्कटों की एक सीमित संख्या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार तथा तकनीकी विकास निगम लि. (इ.व्या.त.वि.नि. -भारत सरकार का एक उद्यम) से खरीदे । वे भी,

साफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्त नहीं किए गये थे, 1986-89 के दौरान फर्मों से 75425 की कुल संख्या के साफ्टवेयर खरीदे गये थे। इ.व्या.त.वि.नि. से खरीदे गये खाली डिस्कटों की लागत के संदर्भ में गिना गया साफ्टवेयर, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रभारित किये गये उच्च लागत की डिस्कटों के कारण रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा किया गया अतिरिक्त व्यय 7.79 लाख रु. निकाला गया।

रा.शै.अ.प्र.प. ने जुलाई 1990 तथा मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि फर्मों को डिस्कट आपूर्त नहीं किए जा सकते थे क्योंकि विभाग ने उसके आयात करने की अनुमति नहीं दी; उस समय बाजार कीमत 50 रु. से 55 रु. प्रति डिस्कट थी, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लगभग उतनी ही राशि की कीमत कटौती का प्रस्ताव किया गया था, तथा भंडारण स्थान और मानव शक्ति की अनुपलब्धता के कारण, फर्मों को आपूर्ति करने के लिए थोक डिस्कटों की खरीद की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि 1987 में डिस्कट की लागत केवल 42 रु. थी (इ.व्या.त.वि.नि. द्वारा आपूर्ति) तथा रा.शै.अ.प्र.प. में भंडारण की आवश्यकता दूर करने के लिए, डिस्कट साफ्टवेयर फर्मों को सीधे ही आपूर्ति किये जा सकते थे।

3.9.3 दोषपूर्ण साफ्टवेयर: (क) जनवरी 1986 में, रा.शै.अ.प्र.प. ने, 260 रु. प्रति पैकेज पर कैम्पस/क्लास पैकेज की 1000 प्रतियों की आपूर्ति हेतु फर्म "क" को एक आदेश भेजा। फर्म ने जून 1986 में

50 प्रतियों की आपूर्ति की जो दिसम्बर 1986 में 50 संसाधन केन्द्रों को परीक्षण आधार पर उपभोग के लिए भेजी गई थीं। अगस्त 1987 में संसाधन केन्द्रों से प्रतिकूल प्रतिवेदन कि प्रणाली बहुत ही जटिल, धीमी थी और डिस्कट्स में बहुत परिवर्तन की आवश्यकता थी, के बावजूद नवम्बर 1987 में, समिति ने निर्णय लिया कि अन्य 250 प्रतियाँ अधिप्राप्त की जायें तथा चुने हुए 250 विद्यालयों को वितरित की जायें। तदनुसार, मई 1988 में फर्म ने 250 प्रतियाँ आपूर्त की जिसमें से 151 प्रतियाँ विद्यालयों में वितरित की गई थी। साफ्टवेयर का प्रयोग नहीं किया गया था क्योंकि वह कार्य नहीं कर रहा था। इस प्रकार 0.78 लाख रु. का खर्च निष्फल सिद्ध हुआ।

जुलाई 1990 में, रा.शै.अ.प्र.प. ने बताया कि चूंकि संसाधन केन्द्रों से प्रत्युत्तर नगण्य था, समिति द्वारा यह विचार किया गया था कि साफ्टवेयर कुछ चुने हुए विद्यालयों में अध्यापकों से जिन्हें इसे प्रयोग करना था पुनर्निवेशन प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकता था।

(ख) अक्टूबर 1985 में, रा.शै.अ.प्र.प. ने स्प्रेड शीट पैकेज "स्प्रेडलार्ड" की 1000 प्रतियों के लिए बंगलौर की फर्म "ख" को एक लाख रु. की कुल लागत का आदेश दिया। फर्म ने अक्टूबर 1985 में एक मास्टर प्रति तथा जनवरी 1986 में 1000 प्रतियाँ आपूर्त की जो कि विद्यालयों को 1985-86 तथा 1986-87 में प्रेषित की गई थीं। इसी दौरान नवम्बर 1986 में, रा.शै.अ.प्र.प. के ध्यान में आया कि

साफ्टवेयर बहुत से मामलों में अपूर्ण, संचालन में कठिन तथा विनिर्दिष्ट क्षमता से कम था। फर्म पैकेज परिवर्तन की इच्छुक नहीं थी तथा वारंटी जनवरी 1987 में समाप्त हो गई थी। "स्प्रीडलार्ड" की खरीद के परिणामस्वरूप एक लाख रु. का निष्फल व्यय हुआ।

रा.शै.अ.प्र.प. ने जुलाई 1990 में बताया जैसे ही "स्प्रीडलार्ड" साफ्टवेयर के कीट विमुक्त न होने की सूचना प्राप्त की गई, यह निर्णय लिया गया कि और अधिक प्रतियां अधिप्राप्त न की जाये तथा वे पैकेज जिन्हें यह आपूर्ति किये गए थे उन विद्यालयों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे थे।

(ग) रा.शै.अ.प्र.प. ने मई 1988 में, 10 लाख रु. की लागत पर फर्म "ग" से प्रत्येक 11 साफ्टवेयर पैकेज की 1000 प्रतियों की खरीद की थी। अप्रैल 1989 में, 11 में से नौ साफ्टवेयर पैकेज दोषपूर्ण पाये गए थे। तब तक पैकेज की प्रतियां 462 विद्यालयों में प्रेषित की जा चुकी थीं।

यद्यपि फर्म ने कुछ साफ्टवेयर पैकेज संशोधित/परिवर्तित कर दिए थे, अक्टूबर 1989 में, क.अ.नि. द्वारा पुनः की गई जाँच से देखा गया कि उनमें से अधिकतर दोषपूर्ण थे तथा असफलता की दर में 15 से 70 प्रतिशत तक की विभिन्नता थी। इस प्रकार से 8.15 लाख रु. मूल्य के दोषपूर्ण साफ्टवेयर क.अ.नि. तथा विद्यालयों में पड़े हुए थे। फरवरी 1991 में मंत्रालय ने बताया कि रा.शै.अ.प्र.प. तथा आपूर्तिकर्ता के बीच हुये अनुबन्ध के अनुसार,

साफ्टवेयर की सभी त्रुटिपूर्ण प्रतियां आपूर्तिकर्ता द्वारा बदली जानी थी तथा ऐसा किया जा रहा था।

3.9.4 साफ्टवेयर विकास प्रभार: रा.शै.अ.प्र.प. ने, साफ्टवेयर पैकेज "भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला" की 1300 प्रतियां 412 रु. प्रति कापी की दर से (विकास प्रभार 100 रु., सामग्री की लागत 312 रु.) दिसम्बर 1987 में खरीदी तथा अन्य 1000 प्रतियां 395 रु. प्रति कापी की दर से (विकास प्रभार 75 रु., सामग्री की लागत 320 रु.) जुलाई 1988 में खरीदी थी। आपूर्तिकर्ताओं को अदा किया गया कुल विकास प्रभार 2.05 लाख रु. की राशि का था।

विकास प्रभार, साफ्टवेयर विकास के लिये प्रारम्भिक रूप से किये गये, एक ही समय की लागत हैं तथा पैकेज के इकट्ठे निर्माण से सम्बन्धित नहीं हैं। साफ्टवेयर की खरीद के अन्य सभी मामलों में रा.शै.अ.प्र.प. ने, विकास प्रभारों के रूप में 0.15 लाख रु. से 0.45 लाख रु. (अधिकतम) अदा किये थे। इसलिये विकास प्रभारों के रूप में 2.05 लाख रु. की अदायगी अधिक थी।

रा.शै.अ.प्र.प. ने जुलाई 1990 में तथा मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि, "भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला" अन्य साफ्टवेयर पैकेजों से जो कि केवल डिस्क आधारित थे, तथा जिसके लिये विकासक को विकास प्रभारों की एक मुश्त अदायगी की गई थी से कुछ भिन्न था; "भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला" के मामले में यह डिस्क आधारित था, साथ ही इसमें तीन बोर्ड, संघटक तथा बक्सों को मिलाया जाना था तथा इस

प्रकार पैक की अन्य पैकों से बराबरी करना सही नहीं था । उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि उपर्युक्त प्रक्रिया इकट्ठे निर्माण से सम्बन्धित थी तथा न कि विकास से ।

फर्म द्वारा आपूर्त की गई 2300 प्रतियों में से 983 अभी भी क.अ.नि. के पास भण्डार में पड़ी थी (अप्रैल 1990) । मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि ये वर्तमान साफ्टवेयर माँगों के प्रति उपयोग में लाए जा रहे थे ।

3.9.5 ब्रिटिश साफ्टवेयर की खरीद: तकनीकी खरीद समिति की सिफारिशों (मार्च 1986) पर रा.शै.अ.प्र.प. ने, फर्म "ड" को जुलाई 1986 में (1000 प्रतियाँ), मार्च 1987 में (400 प्रतियाँ) तथा मई 1988 (1000 प्रतियाँ) प्रत्येक प्रति, 117.50 रु. से 122.50 रु. भिन्नता रखने वाली दरों पर, ब्रिटिश फर्म की अनुमति अन्तर्गत विनिर्मित किये जाने वाले चार साफ्टवेयर के मदों की आपूर्ति हेतु आदेश जारी किये । साफ्टवेयरों की कुल लागत 11.52 लाख रु. थी । लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि मार्च 1986 में ही एक अन्य फर्म "ग" जो कि उसी विदेशी फर्म के साथ साफ्टवेयर के निर्माण लाईसेंस के लिये सहयोग प्राप्त कर चुकी थी ने, उक्त साफ्टवेयरों की हर प्रति 85 रु. पर आपूर्त करने का प्रस्ताव किया था । समिति द्वारा फर्म "ड." को जुलाई 1986 या मार्च 1987 में आदेश देने से पहले फर्म "ग" के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया था । यदि फर्म "ग" के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता तो लागत में 3.36 लाख रु. की बचत बनती थी ।

रा.शै.अ.प्र.प. ने जुलाई 1990 में तथा मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि समिति की बैठक मार्च 1986 को हुई थी, तथा रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा, फर्म "ग" की सूचना, समिति द्वारा चुनाव किये जाने के बाद प्राप्त हुई थी । तथापि, कोई कारण नहीं दिये गए कि फर्म "ड." को आदेश जारी करने से पहले फर्म "ग" के प्रस्ताव पर बाद में विचार क्यों नहीं किया गया था ।

3.9.6 प्रोग्रामिंग भाषाओं की खरीद: समिति द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं के पैकेज अक्टूबर 1988 में खरीदे गये थे :-

(क) लोगो रोम (चिप) तथा मैनुअल - 12.93 लाख रु. लागत की 2000 प्रतियाँ ।

(ख) लिम्प पैक 50 प्रतियाँ

(ग) लोगोपैक 50 प्रतियाँ ।

इन पैकेजों की खरीद करने के लिये औचित्य स्पष्ट नहीं था, विशेष तौर पर क्योंकि टीचिंग प्रोग्रामिंग परियोजना के उद्देश्यों में से नहीं था । फिर यह कि लोगो रोम कम्प्यूटर में फिट की जाने वाली एक "चिप" थी । ये क.अ.नि. के पास अप्रैल 1990 में भण्डार में पड़े हुए थे । पैकेजों की खरीद जो कि अपेक्षित न थी से इस प्रकार परिणामतः निधियों का परिहार्य अवरोधन हुआ । मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि लोगो रोम इसलिए खरीदा गया था क्योंकि यह विद्यालयों तथा संसाधन केन्द्रों के लिए अति लाभकारी पाया गया था । तथापि, प्रशासनिक कारणों से इसका विद्यालयों को प्रेषण का बन्धन लैन्गुएज रोम के प्रेषण के साथ किया गया था । आगे मंत्रालय ने

बताया कि क.अ.नि. को, विद्यालयों/ संसाधन केन्द्रों को भेजी जा रही/पहले ही भेजी गई प्रणालियों में से एक में रोम चिप को स्थित करने का सुझाव दिया गया था ।

3.9.7 विद्यालयों को सॉफ्टवेयरों की आपूर्ति: मंत्रालय के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय को 25 पैकेज (विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए) आपूर्त किये जाने थे । तथापि, अधिप्राप्त किये गये पैकेजों की तथा विद्यालयों को वितरित की गई संख्या में वर्षानुवर्ष भिन्नता थी। खरीदे गये 59 विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर पैकेजों में से खरीद की गई प्रतियों की संख्या 35 पैकेजों के लिये 2000 या इससे अधिक, 12 पैकेजों के लिये 1000 तथा 2000 प्रतियों के बीच, 7 पैकेजों के लिये 500 व 1000 प्रतियों के बीच तथा 5 पैकेजों के लिये 500 से कम प्रतियां थी ।

प्राप्त की गई प्रतियों की संख्या तथा चुने गये विद्यालय की संख्या की बीच कोई समन्वय नहीं था । 1987-88 वर्ष के लिये चार पैकेजों की 2300 प्रतियां, 23 पैकेजों की 1000 प्रतियां तथा चार पैकेजों की 750 प्रतियां खरीदी गई थी हालांकि चुने गये विद्यालयों की संख्या केवल 700 थी । 18 मदों के संबंध में अप्रैल 1990 में क.अ.नि. के पास खरीदी गई मात्रा का 25 से 50 प्रतिशत के बीच भण्डार बकाया में था । कई मामलों में, स्टॉक में प्रतियों की संख्या 1988-89 और 1989-90 में चुने गए विद्यालयों की संख्या से बढ़ गई थी । मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि इन पैकेजों की फालतू प्रतियां भविष्य में चुने जाने वाले

तथा क्लास-योजना के अन्तर्गत लाये जाने वाले विद्यालयों हेतु प्रयोग में लाई जायेंगी ।

सॉफ्टवेयर पैकेज की 938 संख्या में प्रतियां "अन्यों" (संसाधन केन्द्रों व विद्यालयों के अलावा) को जारी की गई थी; इससे निधियों का विपथन निरूपित हुआ ।

3.9.8 सॉफ्टवेयरों का उपयोग: नमूना जांच से प्रकट हुआ कि सॉफ्टवेयर की बहुत से मदें, (i) प्रशिक्षण के अभाव, (ii) प्रशिक्षित अध्यापकों के स्थानान्तरण, (iii) नए कार्यक्रम की मांग, (iv) सॉफ्टवेयर पाठ्यक्रम से बाहर होने या स्तर से अधिक होने (v) अंग्रेजी में होने के कारण पैकेज के समझने में कठिनाई तथा (vi) त्रुटि पूर्ण सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त, सिस्टम की स्थापना में विलम्ब के कारण अप्रयुक्त पड़ी रहीं ।

अंडेमान एवं निकोबार द्वीप समूह: एक विद्यालय में, वाणिज्य गुपसे सम्बन्धित 1986-87 में प्राप्त हुए तीन पैकेज उस विद्यालय में वाणिज्य गुप के अभाव में उपयोग नहीं किये जा सके । एक अन्य विद्यालय में, यद्यपि क्लास परियोजना लागू नहीं की गई थी परन्तु नवम्बर 1985 में आपूर्त किया गया सॉफ्टवेयर 1987-88 से चयनित विषय "कम्प्यूटर साइंस" के लिये उपयोग किया गया था ।

आन्ध्र प्रदेश: तीन विद्यालयों में 9,12 तथा 34 पैकेज उपयोग नहीं किये गये थे । सिवाय एक मामले के जहां अनुपयोग को कम्प्यूटर की स्थापना न होने पर आरोपित किया गया था, कोई कारण नहीं बताये गये थे ।

असम: एक विद्यालय में नवम्बर 1985 में प्राप्त हुए आठ पैकेज उपयोग नहीं किये गये थे, तथापि कोई कारण अभिलेखित नहीं थे ।

बिहार: चार विद्यालयों में 37,5,5 तथा 7 साफ्टवेयर पैकेज प्रयोग में नहीं लाये गए थे ।

दिल्ली: एक विद्यालय ने 45 पैकेज का उपयोग नहीं किया था चूंकि ये वि.अ.स.त.अ. के अधीन आवर्त नहीं होते थे, जबकि तीन विद्यालयों ने दोषों के कारण 23 पैकेजों का उपयोग नहीं किया । पांच अन्य विद्यालयों ने आवश्यक सूचनायें नहीं भेजी थी ।

गुजरात: एक विद्यालय में 37 पैकेजों का उपयोग नहीं किया गया चूंकि ये VIII तथा IX कक्षा के विद्यार्थियों पर लागू नहीं होते थे ।

हिमाचल प्रदेश: तीन विद्यालयों में सोफ्टवेयर पैकेज उपयोग नहीं किये गये थे चूंकि ये स्तर से ऊपर थे, प्रशिक्षित प्राध्यापक उपलब्ध नहीं थे, तथा विषय, पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते थे ।

कर्नाटक: 15 विद्यालयों में, 791 आपूर्त किये गये सोफ्टवेयर पैकेज में से 404 आपूर्ति तिथि से ही अप्रयुक्त पड़े थे क्योंकि (i) विषय संबद्ध नहीं थे (ii) पैकेज परिज्ञान के स्तर से ऊपर थे (iii) अध्यापक पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं थे तथा पैकेजों का संचालन नहीं कर सके थे, तथा (iv) पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं था ।

मध्य प्रदेश: एक विद्यालय ने त्रुटिपूर्ण होने के कारण 12 पैकेज वापिस कर दिये; बाकी 14 विद्यालयों ने 693 प्रतिवेदित पैकेजों में से 239 का

उपयोग नहीं किया क्योंकि ये स्तर से ऊपर तथा अग्रेजी में होने से विद्यार्थियों द्वारा सामान्यतः सहीतौर पर समझ में न आने वाले थे ।

महाराष्ट्र: 36 विद्यालयों से उपलब्ध सूचना ने दर्शाया कि सोफ्टवेयर के कुछ पैकेजों की 495 प्रतियां (i) कक्षाओं के लिये अव्यवहारिकता (10 विद्यालय) (ii) पाठ्यक्रम में न होने (दो विद्यालय) (iii) विद्यालय स्तर के लिये काफी उच्च स्तर होने (पांच विद्यालय) (iv) विद्यार्थियों की अभिरुची का न होना (एक विद्यालय) तथा (v) पैकेजों का त्रुटिपूर्ण होना (आठ विद्यालय), के कारणों से बिलकुल उपयोग नहीं किये गये थे । बाकी 10 विद्यालयों द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये गये थे ।

मिजोरम: दो विद्यालयों में, 18 पैकेज उपयोग नहीं किये गये थे चूंकि ये त्रुटिपूर्ण थे ।

पांडिचेरी: तीन विद्यालयों में सोफ्टवेयर पैकेज स्तर से उपर होने के कारण (एक विद्यालय, पांच पैकेज) अपर्याप्त समय के कारण (एक विद्यालय, 37 पैकेजों में से 31) तथा योजना के विलम्ब से लागू होने के कारण (एक विद्यालय, 41 पैकेज में से 33) उपयोग नहीं किए गए थे ।

पंजाब: 11 विद्यालयों में, 346 सोफ्टवेयर पैकेजों में से 126 का (i) अध्यापकों के स्थानान्तरण (35), (ii) अध्यापकों को प्रशिक्षण की कमी (23), (iii) अवधियों का अनाबंटन (45) (iv) पैकेज अकार्यरत होने के कारण (19) तथा (v) निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा अनावर्त (4) के कारण, उपयोग नहीं

किया जा सका।

राजस्थान: एक विद्यालय में, 40 सॉफ्टवेयर पैकेजों में 35 का उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि कम्प्यूटर कक्षाओं को उपलब्ध कराने के लिए समय-सूची समंजित नहीं की गई थी, चार विद्यालयों में 13 पैकेज, दुष्क्रिया के कारण उपयोग नहीं किये गये थे, तथा एक विद्यालय में तीन पैकेज समय के अभाव के कारण उपयोग नहीं किये गये थे।

उत्तर प्रदेश: दो विद्यालयों में सिस्टम बिल्कुल संचालित नहीं किये गये थे, यद्यपि ये क्रमशः फरवरी तथा जुलाई 1987 में प्राप्त हो चुके थे।

पश्चिम बंगाल: 13 विद्यालयों में, प्राप्त कुछ एक पैकेजों की 387 प्रतियों में से 85 प्रतियां सात विद्यालयों में समय के अभाव (दो विद्यालय-48 पैकेज) इच्छुक विद्यार्थियों के अभाव (एक विद्यालय-8 पैकेज) सामग्री के पाठ्यक्रम से बाहर होने (एक विद्यालय-8 पैकेज) तथा त्रुटिपूर्ण पैकेज (तीन विद्यालय-21 पैकेज) के कारण, उपयोग नहीं की गई थी।

जबकि यह मानते हुये कि छात्र तथा अध्यापकगण सॉफ्टवेयर के माध्यम के रूप में अंग्रेजी में कठिनाई महसूस कर रहे थे, मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि जहां तक सम्भव हो सके क्लास परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित अध्यापकों का स्थानान्तरण केवल उन विद्यालय में हो जहां क्लास योजना कार्यान्वित की जा रही थी।

3.9.9 भाषा रोमो का विकास: फरवरी 1988

में मंत्रालय द्वारा परियोजना के मूल्यांकन करने हेतु बनाये गये एक कार्यदल ने यह अवलोकित किया कि सॉफ्टवेयर के निर्देशन की भाषा से विद्यालयों में समस्याएं पैदा हो गई थी। पहले भी, जून 1987 में हुई बैठक में, यह सुझाव दिया गया था कि विद्यालयों को आपूर्त किये गये कम्प्यूटरों को, हिन्दी, अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा तीन भाषा-रोमो के साथ लगाया जाना चाहिये। क.अ.नि. ने बताया कि उसने भाषा रोमो का अधिकतर क्षेत्रीय भाषाओं में विकास कर लिया था। तथापि, भाषा रोमो की खरीद की प्रगति धीमी थी, तथा केवल जून 1989 में रा.शै.अ.प्र.प. ने क.अ.नि. को भाषा रोमो की 1000 प्रतियों की आपूर्ति का 9.50 लाख रु. की लागत पर आदेश जारी किया था। वे अभी तक आपूर्त नहीं की गई थी (अगस्त 1990)। मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि भाषा रोम की आपूर्ति के लिए क.अ.नि. के साथ सहमति योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए समय लगा।

3.10 संसाधन केन्द्र

एक संसाधन केन्द्र के मुख्य कार्य (क) स्कूलों से अध्यापकों का प्रशिक्षण, (ख) कठिनाईयों को दूर करने में अध्यापकों तथा विद्यालयों के साथ सम्पर्क तथा सहायता तथा इस उद्देश्य हेतु सम्बद्ध विद्यालयों का नियमित रूप से दौरा करना, (ग) विद्यालयों में उपयोग के लिये सॉफ्टवेयरों का विकास, (घ) कार्यक्रम का प्रबोधन करना, तथा (ड.) दुष्कार्यरत सेटों की समय से मरम्मत को सुनिश्चित करने हेतु क.अ.नि. के साथ

समन्वयन करना, थे।

प्रत्येक संसाधन केन्द्र में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रबोधन के लिए एक परियोजना समन्वयक नियुक्त किया गया था। प्रत्येक संसाधन केन्द्र को प्रशिक्षण इत्यादि पर व्यय पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 0.30 लाख रु. का एक अनुदान दिया जाता था। इसके अतिरिक्त, अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए तथा प्रोत्साहनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रति मास

1500 रु. पारिश्रमिक पर "परियोजना वृत्तिछात्र" के रूप में एक संकाय सदस्य नियुक्त किया गया था। मंत्रालय ने यह भी निर्धारित किया था कि एक संसाधन केन्द्र को परियोजना के लिए अपना 30 प्रतिशत समय समर्पित करना चाहिये।

निम्नलिखित सारिणी नामांकित संसाधन केन्द्रों तथा संलग्न विद्यालयों के वर्षवार ब्यौरे दर्शाती है:-

वर्ष	संसाधन केन्द्रों की संख्या	संलग्न विद्यालयों की संख्या	
		वर्ष के लिए	संचयी संख्या
1984-85	42	248	248
1985-86	50	496	744
1986-87	53	498	1242
1987-88	53	621	1863
1988-89	53	378	2241
1989-90	60	271	2512

(क) मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मार्गनिर्देशों के अनुसार, विद्यालय, 20 से 25 विद्यालयों के समूहों में होने चाहिये ताकि प्रत्येक विद्यालय किसी संसाधन केन्द्र की लगभग 100 किलोमीटर की परिधि के अन्दर हो। प्रत्येक संसाधन केन्द्र से संलग्न विद्यालयों की औसत संख्या 1984-85 में 6 से 1989-90 में 42 तक बढ़ गई, जो कि योजना में विचारे गये 20 से

25 विद्यालयों से काफी अधिक थी। 1988-89 के दौरान संसाधन केन्द्र से संलग्न विद्यालयों की औसत संख्या, आंध्र प्रदेश में 47, पश्चिम बंगाल में 60 तथा गुजरात में 64 तक ऊंची थी।

यह अपेक्षा कि विद्यालय संसाधन केन्द्र की लगभग 100 किलोमीटर की परिधि में स्थित होने चाहिये, भी पूरी नहीं हुई थी। महाराष्ट्र में तीन

संसाधन केन्द्रों से संलग्न 96 विद्यालयों के संबंध में, संसाधन केन्द्र से दूरी 36 विद्यालयों के संबंध में 101 से 200 कि.मी., 17 विद्यालयों के सम्बन्ध में 201 से 300 कि.मी., 16 विद्यालयों के संबंध में 301 से 400 कि.मी. तथा 22 विद्यालयों के सम्बन्ध में 401 से 500 कि.मी. थी जबकि 5 विद्यालय 500 कि.मी. से दूर थे। चंडीगढ़ में स्थित दो संसाधन केन्द्र हिमाचल प्रदेश में 28 विद्यालयों तथा पंजाब में 88 विद्यालयों का प्रबंध जुटाते थे।

किसी संसाधन केन्द्र से बड़ी संख्या में विद्यालयों की संलग्नता तथा संसाधन केन्द्रों द्वारा तय की जाने वाली लम्बी दूरी ने संसाधन केन्द्रों की कार्यप्रणाली तथा परियोजना के समन्वय तथा प्रबोधन पर विपरीत प्रभाव डाला।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि संसाधन

अवरोधों तथा तदर्थ आधार पर परियोजना को जारी रखने के कारण संसाधन केन्द्रों के नेटवर्क का विस्तार करना सम्भव नहीं था।

(ख) बड़ी संख्या में संसाधन केन्द्र जिनसे विद्यालय संलग्न थे, वास्तव में कार्य नहीं कर रहे थे। जिस संसाधन केन्द्र ने कार्य किया भी, तो अध्यापकों की लक्षित संख्या को प्रशिक्षण देने के लिए अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं चलाये। परिणामतः 1988-89 तक चयनित विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय तीन अध्यापकों की दर से प्रशिक्षित किये जाने वाले 6981 अध्यापकों के प्रति, मार्च 1990 तक केवल 5108 अध्यापक प्रशिक्षित किये गये थे, कमी 27 प्रतिशत थी।

निम्न सारिणी नामांकित संसाधन केन्द्रों तथा

प्रशिक्षित अध्यापकों के वर्षवार ब्यौरे दर्शाती हैं:-

वर्ष	संसाधन केन्द्र		अध्यापक	
	जिससे विद्यालय संलग्न थे	चालू	प्रशिक्षित किये जाने वाले	वास्तव में प्रशिक्षित
1984-85	42	17	744	700
1985-86	49	34	1503	1018
1986-87	50	47	1500	1462
1987-88	47	43	2100	200
1988-89	46	39	1134	1350
1989-90	60	46	813	378
जोड़			7794	5108

रा.शै.अ.प्र.प. ने अगस्त 1990 में बताया कि 1989-90 के दौरान 14 संसाधन केन्द्र नामांकित किये गये थे जिनमें से सात केन्द्र अतिरिक्त थे तथा सात केन्द्र अक्रियाशील केन्द्रों के बदले में थे। इन 14 केन्द्रों ने 1990 में ही संचालन प्रारम्भ किया।

(ग) 10 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 24 संसाधन केन्द्रों की नमूना जांच में निम्नलिखित प्रकट किया:-

आंध्र प्रदेश: मार्च 1989 तक तीन संसाधन केन्द्रों में 456 के प्रति केवल 343 अध्यापक प्रशिक्षित किये गये थे। 1988-89 में चुने गये 24 विद्यालयों के लिए मार्च 1990 तक कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये थे।

असम: एक संसाधन केन्द्र ने 1988-89 तक प्रशिक्षित किये जाने वाले 279 अध्यापकों के प्रति 169 अध्यापक प्रशिक्षित किये गये थे।

बिहार: 1988-89 तक दो संसाधन केन्द्रों में प्रशिक्षित किए जाने वाले 249 अध्यापकों के प्रति 209 अध्यापक प्रशिक्षित किए गए।

दिल्ली: दो संसाधन केन्द्र 1987-88 से अक्रियाशील थे।

गुजरात: दो संसाधन केन्द्रों में मार्च 1989 तक प्रशिक्षित किये जाने वाले 363 अध्यापकों के प्रति केवल 215 अध्यापक प्रशिक्षित किये गये थे।

केरल: केरल में, दो संसाधन केन्द्रों में प्रशिक्षण में कमी 32 (291 के प्रति 259) अध्यापक थी।

मध्य प्रदेश: चार संसाधन केन्द्रों में प्रशिक्षित किए जाने वाले 393 के प्रति केवल 336 अध्यापक प्रशिक्षित

किये गये थे।

महाराष्ट्र: पांच संसाधन केन्द्रों में मार्च 1989 तक प्रशिक्षित किये जाने वाले 627 के प्रति प्रशिक्षित किये गए अध्यापकों की संख्या 519 थी।

पांडिचेरी: 1987-88 के दो विद्यालयों के लिए मद्रास में एक संसाधन केन्द्र नामांकित किया गया तथा इन विद्यालयों के लिए 1988-89 में पांडिचेरी में एक विद्यालय ने प्रशिक्षण नहीं चलाया।

उत्तर प्रदेश: मार्च 1989 तक 259 अध्यापकों के प्रति दो केन्द्रों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या 201 थी।

(घ) नमूना जांच किये गये केन्द्रों में से किसी भी केन्द्र द्वारा 1985-86 में, उनमें से कुछ (अध्यापकों के प्रथम बैच में) को छोड़कर कोई भी पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम नहीं चलाये गये थे। प्रशिक्षित किये जाने वाले अध्यापकों की संख्या में कमी के कारण, अध्यापकों के विलम्बित नामांकन, संसाधन केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण की अनुसूचियों के निरस्तकरण इत्यादि पर, आरोपित किये गये थे।

(ड.) अध्यापकों को प्रशिक्षण देने तथा प्रोत्साहनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक संसाधन केन्द्र को एक परियोजना वृत्तिछात्र नियुक्त करना था। नमूना जांच किये गये 40 संसाधन केन्द्रों में से, तीन केन्द्रों में कोई "परियोजना वृत्तिछात्र" नियुक्त नहीं किया गया था, चार केन्द्रों में वृत्तिभोगियों के केन्द्र छोड़ देने के बाद जो रिक्तियां उत्पन्न हुई, एक वर्ष से अधिक से नहीं भरी गई थी तथा 10 केन्द्रों में 1984-89 के प्रत्येक वर्ष के दौरान "परियोजना वृत्तिछात्रों" ने औसतन छः

महीनों अथवा कम समय के लिए कार्य किया। "परियोजना वृतिछात्र" नियुक्त न किये जाने के लिए कारण, सामान्यतया कम पारिश्रमिक तथा योग्य व्यक्तियों का पदग्रहण करने में अनिच्छा पर, आरोपित किये गये थे।

(च) अध्यापकों के साथ निकट सम्पर्क तथा समर्थन प्रदान करने के लिए संसाधन के लोगों को संलग्न विद्यालयों के नियमित दौरे करना अपेक्षित था। नमूना जांच किये गये अधिकतर संसाधन केन्द्रों में, संसाधन के लोगों ने कम्प्यूटर की स्थापना के समय को छोड़कर, विद्यालयों के दौरे नहीं किये। चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा तथा पांडिचेरी के 14 संसाधन केन्द्रों में से सात के संसाधन केन्द्रों के लोगों ने विद्यालयों के दौरे नहीं किये। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में दौरों की संख्या प्रति वर्ष प्रति विद्यालय एक से कम थी। पश्चिम बंगाल में, 1984-89 के दौरान संसाधन केन्द्र के लोगों द्वारा 97 विद्यालयों में से 77 में दौरे किये सूचित किये गये थे। तथापि, 9 विद्यालयों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि संसाधन केन्द्र के लोगों ने दो विद्यालयों का केवल कम्प्यूटरों के संस्थापन से पूर्व दौरा किया था। इसी प्रकार से, वाराणसी में एक केन्द्र में संसाधन के लोगों ने विद्यालयों का कम्प्यूटरों के संस्थापन से पूर्व केवल एक बार ही दौरा किया था।

संसाधन केन्द्रों ने बताया कि मंत्रालय अथवा रा.श्री.अ.प्र.प. द्वारा किये गये दौरों की संख्या के

संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किये गये थे।

3.11 विद्यालयों में कार्यान्वयन

मंत्रालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार, परियोजना में भाग लेने के लिए प्रत्येक विद्यालय को 60 विद्यार्थी चुनने थे। परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित अध्यापकों को पाठ्यक्रम संचालित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिये। पाठ्यक्रम 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत विद्यालयों की कक्षा XI में तथा 11 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रणाली के अन्तर्गत विद्यालयों में कक्षा X आवृत की जानी थी। 1987-88 के बाद से कक्षा VIII, IX तथा X में आवृत किया जाने वाला पाठ्यक्रम 2 अथवा 3 आत्मनिर्भर एककों में बांटा गया था। अनुदेश हेतु प्रयाप्त समय पाने के लिए विद्यालय समय सारिणी की पुनर्व्यवस्था की जानी थी।

पाठ्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियां, प्रथम वर्ष में 30 सप्ताहों के समय में फैले तीन चरणों में, विभाजित की जानी थीं: तीन अथवा चार के एक वर्ग में, प्रत्येक विद्यार्थी को एक पूरे घंटे के लिए कम से कम सप्ताह में एक बार मशीन पर कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। वि.अ.स.त. अ. परियोजना के लिए पूरी अवधि, विद्यालयों के लगातार दो घंटों के रूप में मानी गयी थी। साफ्टवेयर के प्रभावी उपयोग के लिए अनुभव प्राप्त कर रहे हरेक व्यक्ति के लिए लगभग 60 घंटों की आवश्यकता होगी।

228 स्कूलों में वि.अ.स.त.अ. परियोजना के कार्य चालन की नमूना जांच ने दर्शाया कि बहुत से विद्यालय परियोजना में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे,

यद्यपि सिस्टमों को स्थापित किया गया था पर, कुछ विद्यालयों में कम्प्यूटर कक्षाएं बिल्कुल नहीं लगाई गई थी, निर्धारित पाठ्यचर्या अपनाई नहीं गई थी यहां तक कि नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, घंटों की संख्या में कमियां थी तथा कुछ विद्यालयों के कार्यक्रम छोड़कर जाने के मामले थे। नमूना जांच किये गये अधिकांश विद्यालयों ने कक्षाओं में आ रहे विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजिका नहीं बनाई, नामांकन, आयोजित की गई कक्षाओं, इत्यादि के विषय में उनके द्वारा भेजी गई सूचना सत्यापन योग्य नहीं थी।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह: 1988-89 तक परियोजना में भाग लेने के लिए चुने गये सात विद्यालयों में से, एक विद्यालय में शिक्षक के अभाव तथा तीन स्कूलों में कम्प्यूटरों की अस्थापना के कारण, चार स्कूलों में परियोजना लागू नहीं की गई थी। 15 प्रशिक्षित शिक्षकों में से, शिक्षकों की कमी के कारण परियोजना पर पांच का उपयोग नहीं किया जा सका था। 1989-90 के दौरान एक विद्यालय ने वि.अ.स.त.अ. के लिए कोई पीरिएड आबंटित नहीं किया था।

आन्ध्र प्रदेश: मार्च 1989 तक प्रशिक्षित किये गये 347 शिक्षकों के प्रति, (संसाधन केन्द्र मैसूर में प्रशिक्षित चार अध्यापकों सहित) 107 विद्यालयों में उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल 223 शिक्षक (वि.अ.स.त.अ. परियोजना के अन्तर्गत) विद्यालयों में कार्य कर रहे थे। मई 1986 से वारांगल स्थित एक विद्यालय में (कम्प्यूटर मार्च 1986 में स्थापित किया

गया) तथा 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान सिकंदराबाद में स्थित एक विद्यालय में, शिक्षकों के स्थानान्तरण के कारण कक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी। नामांकित विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित संख्या (60) से कम थी; मार्च 1989 तक कुल नामांकन 21090 विद्यार्थियों के प्रति 14513 विद्यार्थी था, यानिकी 69 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत छोड़कर जाने वालों सहित उपस्थिति 82 प्रतिशत थी। विभिन्न विद्यालयों में वि.अ.स.त.अ. के लिए आबंटित किए गये घंटों की संख्या प्रति सप्ताह 2 से 12 घंटे आंकी गई थी।

अरुणाचल प्रदेश: नमूना जांच किये गये एक विद्यालय में ली गई कक्षाओं, नामांकित किये गये विद्यार्थियों इत्यादि को दशति हुए कोई अभिलेख नहीं रखे गये थे। फरवरी 1985 में स्थापित कम्प्यूटर मार्च 1989 तक खराब पड़े रहे।

असम: एक सप्ताह में केवल दो से तीन घंटे आबंटित किये गये थे तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति 85 से 96 प्रतिशत के बीच थी।

बिहार: दो विद्यालयों में किसी अध्यापक को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था तथा छः अन्य विद्यालयों में प्रशिक्षित 17 अध्यापकों में से जून 1990 के अन्त तक केवल 11 अध्यापक कार्यरत थे। चार विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या 10 से 135 के बीच तथा उपस्थिति 62 से 100 प्रतिशत तक थी। तीन विद्यालयों में जिन्हें फरवरी-मार्च 1989 में कम्प्यूटर आपूर्त किए गए थे, विद्यार्थी पंजीकृत नहीं किए गए थे

तथा साफ्टवेयर की अनुपलब्धता, कम्प्यूटरों के असंस्थापन, अध्यापकों के प्रशिक्षित न होने इत्यादि के कारण कक्षाएं प्रारम्भ नहीं की गई थीं ।

चंडीगढ़: प्रशिक्षित किये गये 15 शिक्षकों में से, छः विद्यालयों में केवल 6 शिक्षक कार्य कर रहे थे ; आबंटित किये गये घंटे तीन से नौ प्रति सप्ताह के आसपास थे। दो विद्यालयों में जहां जनवरी 1987 तथा जनवरी 1989 में कम्प्यूटर स्थापित किये गये थे कक्षाएं नहीं ली गई थीं ।

दिल्ली: दो विद्यालयों में, जहां मार्च 1989 तथा सितम्बर 1989 में कम्प्यूटर स्थापित किये गये थे, क्रमशः केवल 14 तथा 20 विद्यार्थी ही नामांकित किये गये थे ।

गोवा: 1987-88 तक चुने गये छः विद्यालयों में, 1989-90 तक, प्रशिक्षित किये जाने वाले 1440 विद्यार्थियों के प्रति 1032 विद्यार्थी नामांकित किये गये थे। 1989-90 में नामांकित किये गये 360 विद्यार्थियों में से, 44 (13 प्रतिशत) छोड़ गये। नमूना जांच किये गये पांच विद्यालयों में अपेक्षित 15 शिक्षकों के प्रति, केवल 11 प्रशिक्षित किये गये थे तथा आठ वास्तव में कार्य कर रहे थे । तीन विद्यालयों में, निर्धारित 60 घंटों के प्रति केवल 12 से 17 घंटों का ही प्रशिक्षण दिया जा रहा था ।

गुजरात: आबंटित किये गये घंटों की संख्या एक समान नहीं थी; नमूना जांच किये गये छः विद्यालयों में कम्प्यूटर के उपयोग में प्रति सप्ताह 70 मिनटों से 12 घंटों तक विभिन्नता थी । नामांकित किये गये

विद्यार्थियों की संख्या में भी 35 से 300 तक विभिन्नता थी ।

हरियाणा: छः विद्यालयों में, प्रशिक्षित किये गये 18 शिक्षकों में से केवल 14 1988-89 में परियोजना पर कार्य कर रहे थे । कक्षाएं प्रति सप्ताह दो से चार घंटों के लिए ली गई थी । कम्प्यूटर के उपयोग में, प्रति सप्ताह साढ़े तीन घंटों से 12 घंटों तक का अंतर था । दिसम्बर 1985 में फरीदाबाद में स्थित एक विद्यालय में कम्प्यूटर स्थापित किये गये; परन्तु शिक्षक 1987-88 तक प्रशिक्षित नहीं किये गये थे ।

हिमाचल प्रदेश: आठ विद्यालयों में 22 प्रशिक्षित शिक्षकों में से केवल 17 परियोजना पर कार्य कर रहे थे । 1988-89 के दौरान तीन विद्यालयों में कम्प्यूटरों का उपयोग 4 से 72 घंटों के आसपास था । 1987-88 में तीन विद्यालयों में तथा 1988-89 में दो विद्यालयों में कोई विद्यार्थी नामांकित नहीं किया गया था। एक विद्यालय में, 1988-89 में केवल 20 विद्यार्थी नामांकित किये गये थे । आबंटित किये गये घंटों की संख्या में 6 से 19 प्रति सप्ताह की विभिन्नता थी ।

कर्नाटक: 1988-89 में विद्यार्थियों का नामांकन 30 से 120 के बीच रहा । एक महाविद्यालय में, 1988-89 में भारी कार्य-भार के कारण कक्षाएं नहीं ली गई थी; अन्य विद्यालय में 31 प्रतिशत उपस्थिति सहित नामांकन 1985-86 में 60 से, 1987-88 में 40 तक तथा 1988-89 में 10 तक कम हो गया था, क्योंकि माता-पिता बच्चों को विद्यालय समय के बाद कक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुमत नहीं कर रहे थे

14 महाविद्यालयों में, जिन्होंने उपस्थिति पंजिकाएं बनाई थी, विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति 50 से 98 प्रतिशत के बीच रही ।

केरल: सिवाए दो स्कूलों के, कक्षाएं केवल स्कूल समय के पश्चात ली गई थी । समय-सारिणी दोबारा नहीं बनाई गई थी तथा एक वर्ष में कम्प्यूटर कक्षाओं के लिए आबंटित घंटे (विद्यालय के समय के पश्चात) 26 से 170 के आसपास रहे । 1984-85 से 1989-90 तक 10 विद्यालयों में आयोजित किए गए 29 पाठ्यक्रमों के एक पुनरीक्षण ने दर्शाया कि 23 पाठ्यक्रमों में, प्रति पाठ्यक्रम, औसत अवधि 14 से 36 घंटे के आसपास रही, जबकि 6 पाठ्यक्रमों में, औसत अवधि 87 घंटे थी । विद्यालय अपेक्षित पाठ्यक्रम अवधि के बारे में अवगत नहीं थे ।

मध्य प्रदेश: नमूना जांच किए गए 15 विद्यालयों में प्रशिक्षित किए जाने वाले 3420 विद्यार्थियों के प्रति 1984-85 से 1988-89 के दौरान केवल 1874 विद्यार्थी (55 प्रतिशत) नामांकित हुए थे । एक विद्यालय में, यद्यपि कम्प्यूटर जून 1989 में स्थापित हुए थे, कोई कक्षाएं आयोजित नहीं हुई थी (मार्च 1990) ।

महाराष्ट्र: 20 विद्यालयों में, 33 अध्यापक परियोजना में कार्य नहीं कर रहे थे क्योंकि वे या तो स्थानान्तरित हो गए थे या इच्छुक नहीं थे । 1988-89 तक चयनित 184 विद्यालयों में से 133 में उपलब्ध सूचना से पता चलता था कि 1984-85 से 1988-89 के दौरान मानदण्ड के अनुसार प्रशिक्षित किए जाने वाले 21420 विद्यार्थियों के प्रति 15855

विद्यार्थी नामांकित हुए थे । नामांकित हुए विद्यार्थियों की संख्या 3 से 450 के बीच थी; 17 विद्यालयों में प्रतिवर्ष 60 विद्यार्थियों से भी कम थे । कमी, अध्यापकों के प्रशिक्षण में विलम्ब, कम्प्यूटरों इत्यादि की स्थापना में देरी पर, आरोपित की गयी थी ।

बम्बई में एक विद्यालय में कम्प्यूटर कक्षाएं डेढ़ वर्ष तक आयोजित नहीं हुई थीं । विद्यालय ने सूचित किया कि कक्षाएं अध्यापकों को समुचित मार्ग निर्देश के अभाव में आयोजित नहीं हो सकी थी क्योंकि मुख्याध्यापकों का बारम्बार परिवर्तन होता रहा । मिराज स्थित अन्य विद्यालय में सारा पाठ्यक्रम मार्च 1988 में एक महीने में ही समाप्त कर दिए जाने की सूचना थी, मई 1987 से दिसम्बर 1989 के दौरान अन्य महीनों में कोई कक्षाएं आयोजित नहीं हुई थीं ।

मणिपुर: नमूना जांच किए गए चार विद्यालयों में से, एक विद्यालय में यद्यपि कम्प्यूटर फरवरी 1986 में स्थापित हो गये थे, कक्षाएं केवल 1987-88 से आयोजित हुई थी, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान कम्प्यूटर क्रमशः 18 तथा 79 दिनों के लिये उपयोग में लाए गए थे । अन्य विद्यालय में, जुलाई 1986 में स्थापित किए गए कम्प्यूटर केवल अक्टूबर 1988 में संचालित हुए थे तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति 80 प्रतिशत थी ।

मेघालय: एक महाविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 1985-86 में 46 से 1986-87 में 29 तक गिरी थी; 1987-88 तथा 1988-89 में कोई विद्यार्थी नामांकित नहीं किया गया था । कम्प्यूटर,

1985-86 तथा 1986-87 में क्रमशः 60 तथा 65 दिन प्रयुक्त हुआ था तथा इस के पश्चात बेकार पड़ा रहा । एक अन्य महाविद्यालय में कम्प्यूटर 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 में क्रमशः 147, 76 तथा 56 दिन प्रयुक्त हुआ था ।

मिजोरम: नमूना जांच किए गए दो विद्यालयों में प्रति सप्ताह केवल दो अथवा तीन पीरियड आबंटित किए गए, 1987-88 तथा 1988-89 में नामांकित हुए विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 48 तथा 39 थी । चार विद्यालयों में, 12 प्रशिक्षित अध्यापकों के होते हुए कम्प्यूटरों की अस्थापना के कारण (तीन विद्यालय) तथा बिजली इत्यादि की अनुपलब्धता (एक विद्यालय) के कारण कक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी ।

नागालैंड: नमूना जांच किए गए दो विद्यालयों में से एक विद्यालय में 1987-88 में केवल 44 विद्यार्थियों हेतु कक्षाएं आयोजित की गई थी यद्यपि कम्प्यूटर जुलाई 1986 में स्थापित किए गए थे । 1988-89 में कम्प्यूटर को अन्य कमरे में स्थानान्तरित करने तथा बिजली के कनेक्शन के अभाव के कारण कोई भी कक्षा आयोजित नहीं हुई थी । अन्य विद्यालय में, 1988-89 में 75 से 80 प्रतिशत के बीच की उपस्थिति के साथ 60 विद्यार्थी नामांकित हुए थे ।

उड़ीसा: नमूना जांच हुए 10 विद्यालयों में से सात में सितम्बर 1986 तथा सितम्बर 1989 के बीच प्राप्त किए गए कम्प्यूटर आवास की कमी के कारण स्थापित अथवा देरी से स्थापित किए गए थे । शेष तीन विद्यालयों में, 1988-89 में एक विद्यालय में कक्षाएं 10

दिनों के लिए 10 विद्यार्थियों के साथ आयोजित हुई थीं, यद्यपि कम्प्यूटर जनवरी 1987 में स्थापित हुआ था, 1987-88 से पहले अन्य विद्यालय में कोई भी कक्षा आयोजित नहीं हुई थी यद्यपि कम्प्यूटर की स्थापना जुलाई 1985 में हुई थी, तथा तीसरे विद्यालय में 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 में नामांकित हुए विद्यार्थियों की संख्या, 70-75 औसत उपस्थिति के साथ, क्रमशः 48, 40, 48 थी । तीन विद्यालयों में, दस प्रशिक्षित अध्यापकों में से केवल छः, कार्यरत बने हुए थे (मार्च 1990) ।

पांडिचेरी: नमूना जांच किए गए चार विद्यालयों में से दो में अध्यापक कम्प्यूटर की स्थापना के 21 और 31 महीनों के बाद प्रशिक्षित किए गए थे तथा कक्षाएं कम्प्यूटर की स्थापना के एक तथा दो वर्ष बाद प्रारम्भ हुई थी, तीसरे विद्यालय में असावधानी के कारण कोई अध्यापक प्रशिक्षित हुआ सूचित नहीं किया गया था ।

पंजाब: नमूना जांच हुए 11 विद्यालयों में प्रशिक्षित 31 अध्यापकों में से छः अध्यापक स्थानान्तरित हो गए थे । 1988-89 के दौरान नामांकित हुए विद्यार्थियों की संख्या केवल 266 थी । वास्तविक उपस्थिति अभिलेखित नहीं थी । एक विद्यालय में, स्थापित किए गए पांच सिस्टम बेकार पड़े रहे तथा कोई भी कक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी क्योंकि प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त नहीं किए गए थे ।

राजस्थान: नमूना जांच किए गए नौ विद्यालयों में से एक विद्यालय में मार्च 1989 में स्थापित हुए

कम्प्यूटर का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि अध्यापक केवल जून 1989 में प्रशिक्षित हुए थे तथा विद्यालय समय-सारिणी में नियमित घण्टे आबंटित नहीं किए गए थे। एक अन्य विद्यालय में, यद्यपि 1988-89 में 60 विद्यार्थी नामांकित हुए थे, कक्षाएं केवल 25 घण्टे आयोजित हुई थी तथा केवल 10 विद्यार्थी उपस्थित हुए थे। एक विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 1986-87 में 108 से 1988-89 में 76 तक गिरी थी। एक अन्य विद्यालय में 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 में क्रमशः केवल 23, 23 तथा 18 विद्यार्थी नामांकित किए गए थे।

सिक्किम: नमूना जांच किए गए चार विद्यालयों में से दो विद्यालयों में कक्षाएं विद्यालयों के समय के पश्चात आयोजित हुई थीं। एक विद्यालय में नामांकन 1985-86, 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 में क्रमशः 97, 145, 98 तथा 196 दिखाया गया था। तथापि, आयोजित की गई कक्षाओं की संख्या 1985-86 में 52 से 1988-89 में 17 तक गिर गई थी, तथा वास्तविक उपस्थिति का अभिलेख उपलब्ध नहीं था। दूसरे विद्यालय में, केवल पांच विद्यार्थी नामांकित हुए थे जिन में से चार 1988-89 में कक्षाओं में उपस्थित हुए थे।

उत्तर प्रदेश: नमूना जांच किए गए 19 महाविद्यालयों में, प्रशिक्षित हुए 57 अध्यापकों में से 48 जारी रहे थे। 1988-89 में सात महाविद्यालयों ने कक्षाएं आयोजित नहीं की थीं, इनमें दो महाविद्यालयों ने 1985-86 तथा 1987-88 के उपरान्त परियोजना

को बन्द कर दिया था, एक विद्यालय जिसे जुलाई 1986 में कम्प्यूटर सिस्टम आपूर्त किया गया था, के पास बिजली नहीं थी तथा एक महाविद्यालय जिसमें फरवरी 1987 में सिस्टम स्थापित किया गया था बिल्कुल संचालित नहीं हुआ था। 15 से 120 औसत उपस्थिति के साथ नामांकित हुए विद्यार्थियों की संख्या 15 से 150 के बीच थी।

पश्चिम बंगाल: नमूना जांच किए गए 20 विद्यालयों में से, 10 विद्यालयों ने 1988-89 के दौरान कक्षाएं आयोजित नहीं की थी क्योंकि कम्प्यूटरों की स्थापना नहीं हुई थी (1987-88 में चयनित चार विद्यालय), हार्डवेयर त्रुटिपूर्ण था (दो विद्यालय), विद्यालय परियोजना में हिस्सा लेने के लिए अनिच्छुक था (एक विद्यालय) तथा उन कारणों से जो बताए नहीं गए थे (तीन विद्यालय)। एक विद्यालय में कोई नियमित कक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी यद्यपि विद्यार्थी नामांकित हुए थे तथा प्रत्येक अनुभाग के विद्यार्थी कम्प्यूटर कक्षा में एक माह में कम से कम एक बार उपस्थित हुए बताए गए थे। पांच विद्यालयों में, छोड़कर गए विद्यार्थियों की संख्या नामांकित विद्यार्थियों का 20 से 75 प्रतिशत थी। यहां तक कि एक अन्य स्कूल में, कम्प्यूटर का उपयोग एक वर्ष में केवल 15 दिन था।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई अभ्युक्तियां उपकारी कार्यवाही हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेशों की जानकारी में लाई गई थी।

3.12 प्रबोधन:

रा.शै.अ.प्र.प. ने प्रशिक्षित किए गए अध्यापकों की संख्या, नामांकित विद्यार्थी, नियमित रूप से उपस्थित होने वाले विद्यार्थी, वि.अ.स.त.अ. को समर्पित अवधियों की संख्या दशति हुए विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले द्विमासिक प्रतिवेदन निर्धारित किए थे। संसाधन केन्द्रों को विद्यालयों में संसाधन केन्द्रों द्वारा तथा अपने द्वारा केन्द्र में किए गए कार्यक्रमों को दशति हुए द्विमासिक रिपोर्ट भी भेजनी आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त, "परियोजना शिक्षावृत्तिभोगी" से भी एक मासिक रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी।

विद्यालयों द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण: उन स्कूलों की संख्या के बारे में जिन्होंने द्विमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, रा.शै.अ.प्र.प. लेखापरीक्षा को सूचना प्रस्तुत नहीं कर सकी थी। नमूना जांच से पता चलता था कि अंडेमान द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा,

मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश, में विद्यालयों द्वारा द्विमासिक रिपोर्टें कभी भी प्रस्तुत नहीं की गई थीं। आन्ध्रप्रदेश में, देय 1422 रिपोर्टों के प्रति केवल 188 रिपोर्ट भेजी गई थीं। उड़ीसा में, 1984-85 से 1988-89 के दौरान देय 894 द्वैमासिक रिपोर्टों के प्रति संसाधन केन्द्रों द्वारा केवल 19 रिपोर्टें प्राप्त की गई थी। दादरा व नगर हवेली, गुजरात, कर्नाटक पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में विद्यालयों के संबंध में रिपोर्टों के अप्रस्तुतीकरण/अनियमित प्रस्तुतीकरण का भी पता चला था।

संसाधन केन्द्रों द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण: 1984-85 से 1988-89 के दौरान संसाधन केन्द्रों द्वारा द्वैमासिक रिपोर्टों के प्रस्तुत करने संबंधी स्थिति निम्नप्रकार थी:

वर्ष	संसाधन केन्द्रों की संख्या	उन संसाधन केन्द्रों की संख्या जिन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की
1984-85	42	20
1985-86	50	21
1986-87	53	20
1987-88	53	15
1988-89	53	06

इस प्रकार, केवल 12 से 50 प्रतिशत संसाधन केन्द्रों ने द्वैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

रा.शै.अ.प्र.प. ने दोषी संसाधन केन्द्रों द्वारा रिपोर्टों को प्रस्तुत न करने के लिये मामले का अनुसरण नहीं किया । रा.शै.अ.प्र.प. ने अगस्त 1990 में बताया कि संसाधन केन्द्रों से रिपोर्टों के संग्रहण करने के प्रयास किये जा रहे थे ।

परियोजना शिक्षावृत्ति भोगियों द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुतिकरण: परियोजना शिक्षावृत्ति भोगियों से मासिक रिपोर्ट भी नियमित रूप से प्राप्त नहीं हुई थीं । लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना में, यह देखा गया था कि सात संसाधन केन्द्रों के संबंध में देय 392 मासिक रिपोर्टों के प्रति केवल 82 रिपोर्टें ही प्राप्त हुई थी ।

संचालन समिति: कार्यान्वयन की प्रगति की संवीक्षा करने हेतु जून 1984 में गठित की गई संचालन समिति की नवम्बर 1986 के बाद एक बार भी बैठक नहीं हुई थी ।

जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 3.7 में दर्शाया गया केवल 74387 विद्यार्थी ही वि.अ.स.त.अ. में नामांकित किये गये थे जो कि लक्ष्य तथा क्षमता से काफी कम थे । इस प्रकार से नामांकित, प्रशिक्षित किये गये विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या तथा वह संख्या जो प्रशिक्षित की जा सकती थी के संदर्भ में विद्यालयों द्वारा कार्यान्वयन की प्रगति, प्रभावित ढंग से प्रबोधन नहीं की गई थी । रा.शै.अ.प्र.प. ने अपनी सक्रियता को सिर्फ संसाधन केन्द्रों को अनुदानों के आबंटनों तक सीमित रखा था ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि संसाधन केन्द्रों से नियमित रूप से द्विमासिक रिपोर्टें भेजने का

अनुरोध किया गया था तथा रा.शै.अ.प्र.प. मामले का अनुसरण कर रहा था । 30अक्टूबर 1990 को संचालन समिति की बैठक भी आयोजित की गई थी ।

3.13 मूल्यांकन:

कम्प्यूटर साक्षरता कक्षाएं अनिवार्य नहीं थीं तथा शैक्षिक पाठ्यक्रम का भाग नहीं थी। यह चयनित विद्यार्थियों के लिये एक शौक बतौर थीं । संसाधन केन्द्रों तथा विद्यालयों से पुनर्निवेशन न केवल विरल, बल्कि अपर्याप्त भी था । इसलिये विद्यार्थियों पर परियोजना के प्रभाव तथा इसके उद्देश्यों की उपलब्धि का निर्धारण करना कठिन था । तथापि विद्यार्थियों के नामांकन की गिरती हुई प्रवृत्ति तथा संसाधन केन्द्रों का कार्य न करना भागीदारों के पक्ष से उत्साह की कमी का सूचक था । मंत्रालय तथा रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा अपर्याप्त प्रबोधन ने यह भी दर्शाया कि परियोजना के कार्यान्वयन में इन एजेंसियों की ओर से पर्याप्त सक्रियता की कमी थी । जून 1985 में, अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा 1984-85 में आयोजित छः विद्यालयों में कार्यान्वित परियोजना के एक मूल्यांकन से प्रतीत हुआ कि अध्यापकों के चयन के लिये किन्हीं मानदण्डों का अनुसरण नहीं किया गया था, संसाधन केन्द्र के कर्मचारियों की सक्रियता का अभाव था, अधिकतर अध्यापकों ने पाठ्यक्रम को गम्भीरता से नहीं लिया था, प्रशिक्षण पर लगे व्यक्तियों हेतु सुअवसर अपर्याप्त थे, तथा किसी भी विद्यालय के विद्यार्थी कम्प्यूटर के उपयोग की व्यापक एवं स्पष्ट समझ विकसित नहीं कर पाये थे । अध्ययन से यह भी

पता चला कि दो विद्यालयों में विद्यार्थी अपने आप कार्य करने में असमर्थ थे तथा किसी भी अध्यापक ने निर्देशनों की प्रभावोत्पादकता को उन्नत करने के लिये कम्प्यूटर का उपयोग करने हेतु सचेतन प्रयास नहीं किये थे । आगे, अधिकतर विद्यालयों में, विभिन्न प्रतिबंधों के कारण प्रत्यक्ष लक्ष्यों को पूर्णरूप से प्राप्त नहीं किया गया था तथा कार्यक्रम, प्रेरणा के अभाव तथा विद्यालय में धारणा परिवर्तन के कारण प्रत्याशित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका था । अध्ययन ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर प्रकाश डाला:

- अनुदेश की भाषा से समस्या उत्पन्न हुई ।
- नियमित तथा निरन्तर कक्षाओं का अभाव ।
- विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया गया कम्प्यूटरों का उपयोग तथा काम चलाऊ अनुभव असमान था ।
- प्रशिक्षण की पर्याप्तता की संवीक्षा किये जाने की आवश्यकता ।
- विद्यमान समय सूचि में कम्प्यूटर कक्षाओं का अनुसूचित किया जाना ।

मंत्रालय द्वारा, कम्प्यूटर शिक्षा के लिये कार्यक्रम उद्देश्यों को उल्लिखित करने के लिये बनाये गये एक कार्यसमूह ने अपनी रिपोर्ट (फरवरी 1988) में सिफारिश की कि यद्यपि कार्यक्रम में त्रुटियां तथा कमजोरियां रही थी पर यथासम्भव विद्यालयों की अधिकाधिक संख्या को शामिल करने के लिये इसका विस्तार किया जाना चाहिये क्योंकि कुल मिलाकर

कार्यक्रम पूर्णरूपेण लाभप्रद रहा था । मंत्रालय द्वारा परियोजना का आगे कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था । मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि कार्यक्रम ने आंशिक रूप से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया था ।

4. ब्याज की हानि

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अं.प्र.प.) ने सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि) के संचयन तथा पाठ्यपुस्तकों और प्रकाशनों की बिक्री की आय से उद्भूत अतिरिक्त नकदी, सरकारी प्रति-भूतियों तथा लघु अवधि जमा राशि में निवेश की थी। निम्नलिखित मामलों में रा.शै.अ.प्र.प., ब्याज जब वह देय था को वसूल करने में, अथवा राशिओं का पुनः विवेकपूर्ण प्रकार से निवेश करने में असफल रही थी, परिणामस्वरूप 24.17 लाख रुपये से अधिक के अतिरिक्त ब्याज की हानि हुई ।

(i) अप्रैल 1987 में, रा शै अ प्र प के प्रकाशन विभाग ने, भारतीय स्टेट बैंक के पास लघु अवधि जमा राशि में 150 लाख रुपये की राशि, - 50 लाख रुपये 90 दिनों की अवधि के लिए तथा 100 लाख रुपये छः मास की अवधि के लिए, निवेश की थी। इन राशिओं का अक्टूबर 1988 तक समय समय पर पुनः निवेश किया गया था। अप्रैल 1988 में प्रकाशन विभाग ने 100 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का निवेश किया था । निवेश ने प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की दर से ब्याज उपाजित किया था। निवेश, प्रकाशन विभाग द्वारा, वित्त

मंत्रालय से सलाह लिए बिना अपनी मर्जी से किए गए थे तथा निवेशों के लिए निर्धारित रजिस्टर में दर्ज नहीं किए गए थे। प्रकाशन विभाग अक्टूबर 1988 में निवेश की आय वसूल करने में असफल रहा था तथा जून 1989 में बैंक को आय को विलम्ब से इसके चालू खाते में जमा करने की सलाह दी। नवम्बर 1989 में, रा शै अ प्र प ने, बैंक को अप्रैल 1988 में किए गए 100 लाख रुपये के निवेश पर, अक्टूबर 1988 से आगे ब्याज के भुगतान के लिए निवेदन किया था। बैंक ने रा शै अ प्र प को अभी तक ब्याज अदा नहीं किया था (सितम्बर 1990)। रा शै अ प्र प ने अप्रैल 1987 में किए गए 150 लाख रुपये के निवेश पर ब्याज के भुगतान के लिए बैंक को नहीं कहा था। इसके कारण अभिलेख में नहीं थे।

निवेश की आय जब देय थी, की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप, नवम्बर 1988 से जून 1989 तक 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 13.33 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई। यह भी देखा गया था कि रा शै अ प्र प ने समय-समय पर अपनी नकदी की आवश्यकता का आकलन नहीं किया था तथा अतिरिक्त नकदी को केवल लघु अवधि जमा राशियों में ही निवेश किया था। यदि अतिरिक्त नकदी तीन तथा छः महीनों की लघु अवधि के स्थान पर लम्बी अवधि (एक वर्ष या अधिक) के लिए निवेश की जाती तो रा शै अ प्र प अतिरिक्त ब्याज उपार्जित कर सकती थी।

मंत्रालय ने सितम्बर 1990 में स्वीकार किया कि धन का अक्टूबर 1988 के पश्चात निवेश न करना

गलत था तथा बताया कि रा शै अ प्र प द्वारा, आंतरिक वित्त की सलाह के बिना निवेश करने के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि निवेश इस कारण से लम्बी अवधि के आधार पर नहीं किए जा सके थे कि उस समय जो राशि फालतू थी, प्रकाशन विभाग द्वारा उसकी किसी भी समय तत्काल आवश्यकता पड़ सकती थी। उत्तर युक्तिसंगत नहीं था क्योंकि समय-समय पर प्रकाशन विभाग द्वारा अपनी नकदी की आवश्यकता का उचित आकलन नहीं किया गया था।

(ii) रा शै अ प्र प की लेखा शाखा ने 9.45 लाख रुपये अवधि जमा राशि में 60 महीनों की अवधि के लिए निवेश किए थे जोकि दिसम्बर 1987 में प्राप्य हो गए थे। तथापि, रा शै अ प्र प ने अगस्त 1988 में राशि वसूल की थी। परिणामस्वरूप इस निवेश पर इसे 0.50 लाख रुपये की राशि के ब्याज की हानि हुई।

मंत्रालय ने सितम्बर 1990 में बताया कि उच्च अधिकारियों के पास संबंधित कागजातों के अवरुद्ध हो जाने से रा शै अ प्र प के पक्ष में राशि की वसूली में कुछ देरी हुई थी।

(iii) रा शै अ प्र प ने, सामान्य भविष्य निधि के संघनों में से, 116.27 लाख रुपये, मार्च 1982 से जून 1986 की अवधि के दौरान विभिन्न दिनों में डाकघर समय योजना में निवेश किए थे, परन्तु समय-समय पर देय तिथियों पर ब्याज वसूल करने में

असफल रही थी तथा इसे 2-5 वर्षों के अंतराल के पश्चात कुछ मामलों में जमा परिपक्वों सहित आहरित किया था। इस के परिणामस्वरूप 8.49 लाख रुपये की हानि हुई जो कि पुनः निवेश के द्वारा अर्जित की जा सकती थी।

मंत्रालय ने सितम्बर 1990 में बताया कि रा.शै.अ.प्र.प. को यह पता नहीं था कि चक्रवर्ती ब्याज देय नहीं था तथा चक्रवर्ती ब्याज की अनुमति के लिए मामला डाक प्राधिकारियों के साथ अगस्त 1988 में पहले ही लिया जा चुका था।

(iv) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के ऋणों में 41.78 लाख रुपये के निवेश पर अर्ध-वार्षिक आधार पर मई 1985 से नवम्बर 1988 की अवधि के दौरान विभिन्न तिथियों पर देय 12.91 लाख रुपये की राशि का ब्याज छः मामलों में, भारतीय रिजर्व बैंक के पास दस्तावेजों के पंजीकरण में देरी के कारण केवल जनवरी 1989 में आहरित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त ब्याज के रूप में 1.85 लाख रुपये की हानि हुई जिसे कि अर्जित किया जा सकता था।

मंत्रालय ने सितम्बर 1990 में बताया कि प्रतिभूतियों को एकत्र करने में देरी मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) ने, मामले को उनके साथ समय पर लिए जाने के बावजूद, प्रतिभूतियों को स्टाक में परिवर्तित करने में लिए गए समय के कारण थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यह देखा गया था कि रा.शै.अ.प्र.प. ने, स्टाक में परिवर्तन हेतु, जून 1985 तथा

नवम्बर 1986 में ब्याज के लिए देय प्रामिसरी नोट, भारि.बैं.को, अक्टूबर 1988 तक देरी से भेजे थे।

5. निधियों का अवरोधन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) ने जुलाई 1974 में, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा शिक्षण सहायता विभाग (1984 में मिला दिये गये तथा अब केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के.शै.प्रौ.सं.के नाम से ज्ञात), दोनों के लिये, इसके अहाते के भीतर ही एक अलग भवन के निर्माण का प्रस्ताव, सरकार को किया। यद्यपि कोई विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किये गये थे, मंत्रालय ने रा.शै.अ.प्र.प. को मार्च 1976 में 10 लाख रु. जारी किये जो रा.शै.अ.प्र.प. ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) के पास सितम्बर 1976 में जमा करा दिये। इसी बीच, अप्रैल 1975 में, रा.शै.अ.प्र.प. ने एक निजी वास्तुकार को इस विचार से प्रस्तावित भवन के ब्ल्यू प्रिंट तैयार करने को कहा कि भवन के लिये तकनीकी क्षेत्र, एक प्रमाणीय तथा प्रसरणशील आधार पर प्रस्तुत किया जाना था। भवन के निर्माण के व्यौरों के निपटान के लम्बित रहते हुए रा.शै.अ.प्र.प. ने सितम्बर 1977 में के.लो.नि.वि. के पास 15 लाख रु. की एक अन्य राशि जमा करा दी। निर्माण को शुरू करने में विलम्ब पर वर्ष 1978-79 के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अग्रिम रिपोर्ट, संघ सरकार (सिविल) के पैरा 32.7.3 में टिप्पणी की गई थी। अपनी 48वीं रिपोर्ट (सातवीं

लोक सभा) के 5.38 पैराग्राफ में लोक लेखासमिति (1980-81), ने यह अवलोकित किया कि मामले को बहुत लम्बे समय तक चलने दिया गया था तथा आवश्यक योजनाओं को, निर्माण कार्य एवं आवास मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके जल्दी से अन्तिम रूप दिया जाना चाहिये ।

चूँकि के.लो.नि.वि. निजी वास्तुकार के सहयोग से निर्माणकार्य करने के लिये अनिच्छुक था, रा.शै.अ.प्र.प. ने जुलाई 1981 में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को यह प्रस्तावित करते हुए सम्पर्क किया, कि निर्माण कार्य आकाशवाणी (आ.वा.) को सौंपा जाये । रा.शै.अ.प्र.प. ने अप्रैल 1983 में किन्हीं अनुमानों अथवा निर्माण के वगैर विवरणों के आकाशवाणी के पास भी 30 लाख रु. की राशि जमा कराई । चूँकि आ.वा. बाहरी निर्माण कार्य करने की क्षमता नहीं रखता था, मंत्रालय ने अक्टूबर 1983 में निर्णय किया कि भवन के निर्माण का दायित्व अन्तरिक्ष विभाग को सौंपा जाना चाहिये । 337.68 लाख रु. के लिये संस्वीकृति नवम्बर 1987 में मंत्रालय द्वारा प्रदान कर दी गई थी । नवम्बर 1987 में अन्तरिक्ष विभाग द्वारा लागत 452.29 लाख रु. संशोधित कर दी गई थी । भवन, अन्तरिक्ष विभाग द्वारा पूरा किया गया था तथा अगस्त 1989 में रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा अधिग्रहित किया गया था । 1989-90 तक रा.शै.अ.प्र.प. निर्माण कार्य के लिये 445.41 लाख रु. जारी कर चुकी थी । रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा के.लो.नि.वि. तथा आ.वा. के

पास क्रमशः सितम्बर 1977 तथा अप्रैल 1983 में जमा कराई गई 15 लाख रु. तथा 30 लाख रु. की राशियां क्रमशः फरवरी 1979 तथा नवम्बर 1983 में वापस कर दी गई थीं । के.लो.नि.वि. के पास सितम्बर 1976 में जमा कराई गई 10 लाख रु. की राशि केवल दिसम्बर 1990 में वापस की गई थी ।

इस प्रकार भवन के निर्माण हेतु एजेंसी चुनने में लगभग आठ वर्ष लगे । रा.शै.अ.प्र.प. ने, निर्माण के विवरण या लागत अनुमानों को अन्तिम रूप दिये बिना ही निर्माण एजेंसियों को राशि वितरण करने में असमय कार्य किया । के.लो.नि.वि. तथा आ.वा. के पास जमा कराई गई राशियां 14 वर्ष 3 महीने (10 लाख रु.) और 17 माह (15 लाख रु.) के.लो.नि.वि. के पास तथा 7 माह (30 लाख रु.) आ.वा. के पास अवरुद्ध रहीं । के.लो.नि.वि. के पास 25 लाख रु. तथा आ.वा. के पास 30 लाख रु. जमा कराई गई राशियों पर ब्याज (10 प्रतिशत की दर पर) लगभग 18.13 लाख रु. आकलित हुआ । संकायों के निर्माण में आठ वर्षों के विलम्ब से रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा शैक्षिक टेलीविजन (शै.टे.) कार्यक्रम की प्रगति पर विपरीत प्रभाव हुआ था ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि के.लो.नि.वि.की अनिच्छा के कारण भवन के निर्माण हेतु एजेंसी को नियत करने तथा आ.वा. के कार्य को प्रारंभ करने में काफी समय गंवाया जा चुका था । तथापि, मंत्रालय ने निर्माण एजेंसियों को, निर्माण के विवरण तथा लागत अनुमानों को अन्तिम रूप देने से

पूर्व, निधियों को जारी करने तथा उन्हें वापस प्राप्त करने में लम्बा समय लगाने के लिये कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये ।

6. कैसेट एवं टू-इन-वन सैटों की खरीद

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) का केन्द्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान (के.प्रौ.शि.सं.) 1979-86 के दौरान राजस्थान में रेडियो प्रसारण के माध्यम से, प्राथमिक स्तर पर प्रथम भाषा के रूप में, हिन्दी शिक्षण पर एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा था । यह परियोजना अप्रैल 1986 में बन्द हो गई थी चूंकि आकाशवाणी से प्रसारण समय उपलब्ध नहीं हुआ था । के.प्रौ.शि.सं. ने रेडियो परियोजना को ओडियो कैसेट प्रणाली में बदलने का निर्णय किया तथा 1986-89 के दौरान मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में 450 ग्रामीण स्कूलों में इसके प्रसार के लिये प्रस्तावित किया (अक्टूबर 1985) । परियोजना में, टू-इन-वन के 500 सैटों (रेडियो एवं कैसेट रिकार्डर) तथा ओडियो कैसेटों में रिकार्ड किये गये 308 कार्यक्रमों को, स्कूलों को आपूर्त करने पर विचार किया गया था ।

के.प्रौ.शि.सं. ने, नवम्बर 1986 में एक फर्म "क" को 7.56 लाख रु. की कुल लागत पर 77 कार्यक्रमों को ओडियो कैसेटों पर द्विगुणीकरण करने के लिये (प्रत्येक कार्यक्रम की 500 प्रतियां अर्थात् 38500 कैसेट) आदेश जारी किया । इनमें से 35 कार्यक्रम (17500 कैसेट) कक्षा I के विद्यार्थियों द्वारा उपयोग

करने के लिये अभिप्रेत थे तथा बाकी 42 कार्यक्रम (21000 कैसेट) कक्षा II तथा कक्षा III के विद्यार्थियों के लिये थे । यद्यपि 35000 कैसेटें मार्च 1987 से पहले तथा 3500 कैसेटें जून 1987 से पहले आपूर्त की जानी थीं, पर के.प्रौ.शि.सं. ने फर्म को सामग्री (कार्यक्रमों) की आपूर्ति करने में अक्टूबर 1987 तक विलम्ब किया तथा फलस्वरूप फर्म जून 1988 तक ही आपूर्तियां पूरी कर सकी । 38500 कैसेटों में से, 26700 कैसेटें (कक्षा-I-5700, कक्षा II व III-21000) त्रुटिपूर्ण पाई गई थी और फर्म द्वारा जनवरी/फरवरी 1989 (कक्षा I-4655 कैसेटें; कक्षा II व III- 19500 कैसेटें) तथा जनवरी 1990 (कक्षा I-1045 कैसेटें, कक्षा II व कक्षा III, 1500 कैसेटें), में बदली गई थी ।

कार्यक्रमों की आपूर्ति के कारण तथा त्रुटिपूर्ण कैसेटों के ठीक करने में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप, केवल 8100 रिकार्ड की गई कैसेटें कक्षा I के लिये 35 खण्डों में से केवल 18 ही अक्टूबर 1987-फरवरी 1988 में तथा अन्य 12 खण्ड केवल जनवरी 1989 में होशंगाबाद भेजी जा सकी थी । कक्षा II के लिये 25 खण्डों में से केवल 13 खण्ड ही सितम्बर 1989 में भेजे गये थे । कक्षा III के लिये खण्डों के साथ बाकी बचे कक्षा I तथा कक्षा II के खण्ड अगस्त 1990 में भेजे गये थे ।

के.प्रौ.शि. सं. ने नवम्बर 1986 में, 550 टू इन वन सैटों (लागत 4.08 लाख रु.) की, निदेशक शिक्षा, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को 30 नवम्बर 1986 से

पहले आपूर्ति करने के लिये फर्म "ख" को भी आदेश जारी किये। फर्म ने टू इन वन सैट फरवरी 1987 में आपूर्ति किये। होशंगाबाद जिले के 417 स्कूलों में के.प्रौ.शि.सं. द्वारा फरवरी 1990 में किये गये मूल्यांकन अध्ययन ने दर्शाया कि टू इन वन सैटों के 48 प्रतिशत कार्य करने की स्थिति में नहीं थे और अन्य 10 प्रतिशत स्कूलों में सैट बिजली की त्रुटिपूर्ण आपूर्ति के कारण कार्य नहीं कर रहे थे। असंचालित टू इन वन सैटों की लागत लगभग 2.05 लाख रु. थीं।

के.प्रौ.शि.सं. का आडियो कैसिटों के माध्यम से हिन्दी पढ़ाने का साहसिक कार्य, कैसिटों की देरी से आपूर्ति के कारण न केवल विलम्बित हुआ बल्कि टू-इन-वन सैटों की विफलता तथा 10 प्रतिशत स्कूलों में बिजली की कमी के कारण प्रतिकूल क्षति हुई।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1990 में बताया कि पुरोगामी प्रकृति की एक परियोजना में कुछ प्रारम्भिक समस्याएँ अपरिहार्य थीं तथा कि परियोजना का उपलब्धि स्तर केवल मार्च 1991 में परियोजना के पूरा होने के उपरान्त ही निर्धारित किया जा सकेगा।

7. भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद

7.1 प्रस्तावना

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद (परिषद) दिसम्बर 1968 में सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित की गई थी तथा समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में पहली अगस्त, 1969 को पंजीकृत की गई थी।

मुख्य उद्देश्य जिनके लिए परिषद स्थापित की गई थी, समाज विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ-साथ परियोजनाओं को प्रायोजित करना, संस्थाओं तथा व्यक्तिगतों को अनुदानों की व्यवस्था करना तथा विद्या संगठनों, स्तरीय जर्नलों इत्यादि को वित्तीय सहायता देना; समाज विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रमों को सूत्रबद्ध करने के लिए तकनीकी सहायता का प्रावधान तथा अनुसंधान प्रणाली विज्ञान में प्रशिक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन, प्रलेखन विज्ञान केन्द्रों का विकास, कार्यशाला, शिक्षा क्षेत्रों इत्यादि का आयोजन, अनुसंधान कार्य का प्रकाशन, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था इत्यादि शामिल थे।

7.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

परिषद के लेखों की लेखा परीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(i) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। प्रमाणीकृत लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रति वर्ष संसद के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। परिषद के प्रारंभ से 1977-78 तक इसके कार्यचालन पर एक पुनरीक्षण वर्ष 1977-78 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था। वर्तमान पुनरीक्षण में मुख्यतया 1985-86 से 1989-90 की अवधि शामिल है तथा परिषद के अभिलेखों की अप्रैल से नवम्बर 1990 के दौरान की गई नमूना जांच पर आधारित है।

7.3 संगठनात्मक ढांचा

परिषद 26 सदस्यों-एक सभापति, 18 समाजशात्रियों, छः केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित प्रतिनिधियों तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिषद द्वारा नियुक्त एक सदस्य सचिव, से बनी है।

नीति, योजना तथा प्रशासन समिति (नी.यो.प्र.स.) परिषद की नीतियों, योजनाओं तथा प्रशासकीय एवं वित्तीय मामलों को देखती है। अनुसंधान समिति (अ.सं), परिषद को प्रस्तुत अथवा स्वयं परिषद द्वारा प्रायोजित वित्तीय सहायता के लिए अनुसंधान परियोजनाओं अथवा अन्य अनुसंधान प्रस्तावों के लिए सहायक अनुदान की जांच तथा संस्वीकृति करती है। अनुसंधान संस्थाओं, प्रलेखन सेवाओं, प्रशिक्षण, आकडे अभिलेख तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अलग से स्थायी समितियां गठित की गई हैं।

7.4 विशिष्टताएं

- सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्वीकृत की जाने वाली 650 अनुसंधान परियोजनाओं के लक्ष्य के प्रति परिषद ने केवल 457 परियोजनाएं संस्वीकृत की थीं।
- 1985-86 से 1989-90 के दौरान किसी एक अथवा दूसरे कारण से परिषद के पास 50 से 71 प्रस्ताव लम्बित पड़े हुए थे, 1984-85 तथा 1989-90 के बीच विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या 37 प्रतिशत तक बढ़ गई थी।

परिषद की स्थापना के समय से संस्वीकृत की गई 1922 परियोजनाओं में से, 1987-88 तक संस्वीकृत 388 परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्टें, जो कि मार्च 1990 के अंत तक देय थीं, प्राप्त नहीं हुई थीं।

- मार्च 1988 तक जारी की गई 330.36 लाख रुपये के कुल अनुदान में से, 332 परियोजनाओं के संबंध में 77.53 लाख रुपये की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित थे। जिनमें से 54 लाख रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र 5 से 20 वर्षों से लम्बित थे।

- परिषद ने, 30 सितम्बर 1990 को देय आठ में से केवल दो राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियां रिपोर्टें प्राप्त की थीं। वरिष्ठ शिक्षा वृत्तियों तथा सामान्य शिक्षा वृत्तियों के 45 मामलों के संबंध में 21.92 लाख रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र 1976-77 से आगे प्रतीक्षित थे। परिषद ने, अल्पावधि डाक्टरीय शिक्षा वृत्तियों के लिए दिए गए 7.06 लाख रुपये तथा आकस्मिक अनुदान के रूप में दिए गए 15.95 लाख रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए थे।

- अनुसंधान सर्वेक्षणों को पूर्ण करने के लिए परिषद द्वारा कोई समय-अनुसूची निर्धारित नहीं की गई थी; 1981 में प्रारंभ किए गए

- सर्वेक्षण अभी तक पूरे नहीं हुए थे।
- 1985-86 से 1989-90 के दौरान डाटा सैटों की अधिप्राप्ति में 40 प्रतिशत की कमी थी। भण्डार में 158 डाटा सैटों में से, 1985-90 के दौरान केवल तीन डाटा सैट प्रयोग में लाये गये थे।
- परिषद द्वारा निधि प्रदत्त अनुसंधान संस्थानों ने उन द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले कार्यक्रम तथा गतिविधियों के विवरण नहीं भेजे। 58 चल रही परियोजनाओं को चल रही परियोजनाओं के रूप में नहीं दिखाया गया था तथा इन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में शामिल नहीं किया गया था।
- छः क्षेत्रीय केन्द्रों, जिन्हें परिषद ने 1985-86 से 1989-90 के दौरान 123.19 लाख रुपये की सहायता प्रदान की थी, के स्तर के संबंध में मामला अंतिम रूप दिए जाने के लिए अभी भी विलम्बित था।
- 66.48 लाख रुपये बिक्री मूल्य के प्रकाशनों का भारी भंडार इकट्ठा हो गया था; अनबिके प्रकाशनों का 55 प्रतिशत 1972-80 से संबंधित था। प्रकाशकों से रायल्टी की वसूली पर समुचित निगरानी नहीं रखी गई थी।
- ऊपर उल्लेख की गई बहुत से कमियों पर जुलाई 1986 में प्रस्तुत तृतीय पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट में टिप्पणियां की गई थी।

परिषद के पास उस भूमि की हकदारी नहीं थी, जिस पर भवन का निर्माण प्रारंभ किया गया था, जिसके लिए परिषद ने अक्टूबर 1990 तक राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (रा.भ.नि.नि.) को 303.19 लाख रुपये का भुगतान किया था। इसने मंत्रालय की सलाह के विपरीत निर्माण एक निजी वास्तुविद तथा रा.भ.नि.नि. को सौंपा था। इसने रा.भ.नि.नि. को 25.80 लाख रुपये की राशि के अनावश्यक तथा अतिरिक्त ठेके संबंधी वित्तीय लाभ अनुमत किए तथा वास्तुविद को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित लागत पर 3 प्रतिशत के प्रति 4 प्रतिशत की अधिक दर से शुल्क अदा किए। वास्तुविद द्वारा तैयार किए गए अनुमान त्रुटिपूर्ण थे तथा सामान के उपयोग के मानदंड निर्धारित नहीं किए गए थे। परिणामतः कोई प्रभावकारी लागत नियंत्रण संभव नहीं था। निर्माण कार्य में विलम्ब के परिणामस्वरूप परिषद को किराये के भवन पर व्यय करते रहना पड़ा (3.96 लाख रुपये प्रतिवर्ष), लागत में वृद्धि करना तथा उनके साथ अनुबंध की शर्तों में अंतर्निष्ठ वास्तुविद तथा रा.भ.नि.नि. को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

7.5 लेखों का सार

विस्तृत शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत वर्ष 1985-86 से 1989-90 के लिए परिषद की प्राप्तियों तथा

भुगतानों का सार नीचे दिया गया है:

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
(लाख रुपयों में)					
प्राप्तियां					
अथ शेष	4.24	4.00	5.34	5.40	15.00
सरकार से					
अनुदान	427.13	449.53	579.66	676.60	687.70
अन्य सरकारी					
अनुदान(संस्कृति					
विभाग, विदेश					
मंत्रालय, मंत्रीमंडल					
सचिवालय तथा					
महिला व बाल					
विकास विभाग					
सहित)	7.50	10.25	10.82	12.50	11.12
अन्य स्रोतों से					
प्राप्तियां	15.05	29.95	29.19	33.01	37.25
जोड़	453.92	493.73	625.01	727.51	751.07
भुगतान					
प्रशासन	30.78	38.01	34.64	38.98	39.37
विभिन्न गति-					
विधियों पर					
प्रत्यक्ष व्यय	65.88	102.33	89.61	106.52	107.50

अनुसंधान					
अनुदान*	58.47	51.51	79.48	80.09	77.45
अनुसंधान					
ह्रासवृत्ति*	32.11	34.57	51.01	60.28	66.33
प्रशिक्षण*	4.62	1.47	2.98	2.72	4.41
अध्ययन					
अनुदान*	0.50	0.73	0.53	0.25	0.32
क्षेत्रीय तथा					
राज्य केन्द्र*	21.46	20.39	23.02	27.00	31.32
अनुसंधान					
संस्थाओं को					
अनुरक्षण तथा					
विकासअनुदान*	172.12	163.82	274.48	252.00	315.78
पूँजीगत व्यय	10.06	24.93	4.02	2.71	2.06
भवन	50.00	22.00	43.94	110.79	59.12
ऋण, निक्षेप					
तथा पेशगियां	3.92	28.63	15.90	31.17	32.90
अंतःशेष	4.00	5.34	5.40	15.00	14.51
जोड़	453.92	493.73	625.01	727.51	751.07

* उन पर आकस्मिक व्यय सहित

7.6 बैठकें

संगठन के ज्ञापन तथा परिषद के नियमों के अनुसार दो समितियां अर्थात् नी यो प्र स एवं अ स को एक वर्ष में कम से कम तीन बैठकें, ऐसे अंतराल पर,

जैसा कि अध्यक्ष निर्णय ले, आयोजित करनी अपेक्षित थी। इन समितियों ने जैसा कि नीचे दिया गया है 1985-86 से 1989-90 के दौरान क्रमशः 7 तथा 14 बैठकें आयोजित की थी:-

वर्ष आयोजित बैठकों की संख्या
नी यो प्र स अ स

1985-86	2	4
1986-87	1	3
1987-88	1	2
1988-89	2	2
1989-90	1	3

जोड़ 7 14

नी यो प्र स ने किसी भी वर्ष में निर्धारित संख्या में बैठकें आयोजित नहीं की, अ स द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान निर्धारित संख्या से कम थी। मंत्रालय ने अप्रैल 1991 में बताया कि नी यो प्र स की बैठकें पर्याप्त कार्यसूची के अभाव के कारण आयोजित नहीं हो सकी तथा अपेक्षाओं को छोड़ने के लिए अब कदम उठाये जा रहे थे। अ स की बैठकें निधियों की कमी तथा विद्वानों से अच्छे प्रस्तावों के अभाव के कारण आयोजित नहीं की जा सकी थी। तथापि, पैरा 7.7.1 में दिए गए विवरणों से यह देखा जायेगा कि 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान क्रमशः 255 तथा 233 प्रस्तावों पर विचार किया गया था (तथा या तो संस्वीकृत या निरस्त)।

प्रस्तावों की कुल संख्या, जो कि या तो संस्वीकृत कर दिए गए थे अथवा निरस्त कर दिए गए थे, 1985-86 से 1989-90 के दौरान 190 तथा 313 के बीच थे।

7.7 अनुसंधान परियोजनाएं

परिषद ने, अनुसंधान विश्लेषण तथा सर्वेक्षण अनुसंधान के माध्यम से अथवा गौण आंकड़ों के आधार पर संग्रहीत मुख्य आंकड़ों/सामग्री की व्याख्या पर आधारित पुस्तकों/विनिबंधों के लेखन को शामिल करते हुए, अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी थी। परिषद के अनुदान सामान्यतया दो वर्षों से अधिक आवर्त न करने वाली परियोजनाओं के लिए दिए जाते थे तथा परियोजनाओं की अंतिम रिपोर्ट परिषद को, परियोजना अवधि के पूरा होने पर तथा उसके बाद तीन महीनों से पहले प्रस्तुत की जानी थी।

7.7.1 अनुसंधान परियोजनाओं की संस्वीकृति: 1985-86 से 1989-90 के दौरान, परिषद ने अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 1414 प्रस्ताव प्राप्त किए, जिनमें से 457 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी। इनमें से बाद में छः परियोजनाएं रद्द कर दी गई थी तथा शेष मामलों में 202.59 लाख रुपये के कुल अनुदान जारी कि गए थे। विचार की गई, रद्द की गई तथा संस्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति निम्नवत थी:

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त प्रस्ताव	जोड़	संस्वीकृत प्रस्ताव	रद्द की गई परियोजनाएं	विचारा-धीन प्रस्ताव	जारी की गई अनुदान की राशि
1985-86	347	290	637	77	236	324	38.59
1986-87	324	287	611	124	171	316	26.87
1987-88	316	268	584	102	153	329	48.48
1988-89	329	311	640	79	154	407	47.48
1989-90	407	258	665	75	115	475	41.17
जोड़		1414		457*	829		202.59

* इनमें से 6 परियोजनाएं अनुदान जारी करने से पहले ही निरस्त कर दी गई थी।

(i) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान संस्वीकृत की जाने वाली 650 परियोजनाओं के लक्ष्य के प्रति, परिषद ने केवल 457 परियोजनाएं संस्वीकृत की थीं। इस प्रकार से 193 (लगभग 30 प्रतिशत) की कमी थी। परिषद ने सितम्बर 1990 में बताया कि कमी निधियों के अभाव तथा वृत्ति छात्रों से अच्छे प्रस्तावों के अभाव के कारण थी। मंत्रालय ने अप्रैल 1991 में अवलोकित किया कि परिषद से मामले में विशिष्ट उत्तर भेजने के लिए पूछा जा रहा था।

(ii) परिषद द्वारा लगभग 11 से 20 प्रतिशत प्रस्ताव

संस्वीकृत किए गए थे जबकि 17 से 37 प्रतिशत प्रस्ताव रद्द कर दिए गए थे। 50 से 71 प्रतिशत के बीच प्रस्ताव किसी एक या अन्य कारण से 1985-86 से 1989-90 के दौरान परिषद के पास विचारार्थ पड़े हुए थे, विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या 1984-85 के अंत में 347 से 1989-90 के अंत में 475 तक 37 प्रतिशत बढ़ गई थी।

31 मार्च 1990 को विचाराधीन 263 अनुसंधान प्रस्तावों की नमूना जांच से पता चला था कि 130 प्रस्तावों के संबंध में, वृत्ति छात्रों को, प्रस्तावों, जो अभी तक प्रतीक्षित थे, को पुनः प्रतिपादित / संशोधित करने

की सलाह दी गई थी, सबसे पहले वर्ष 1983-84 से संबंधित थे, 78 प्रस्ताव सलाहकारों को प्रथम विचार हेतु (सबसे पहले 1986-87 में) संदर्भित किए गए थे, 37 प्रस्ताव सलाहकारों को द्वितीय विचार हेतु (सबसे पहले 1983 में) संदर्भित किए गए थे तथा 6 प्रस्ताव तृतीय विचार हेतु (सबसे पहले 1985-86 में सलाहकारों को संदर्भित किए गए थे। 4 मामलों में, वृत्ति छात्रों से पुनर्संशोधित प्रस्ताव प्रतीक्षित थे, 3 मामलों में, प्रस्तावों पर सलाहकारों की टिप्पणियों पर वृत्ति छात्रों की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी तथा 5 मामलों में प्रायोगिक परियोजनाएं प्रतीक्षित थीं।

सारी प्रक्रिया में अंतिम विचार के लिए परिषद को प्रस्ताव लौटाने में परामर्शदाताओं अथवा वृत्तिछात्रों की ओर से देरी निहित थी हालांकि प्रस्ताव वापिस करने के लिए परामर्श दाताओं तथा वृत्तिछात्रों को परिषद द्वारा एक महीने की साधारण समय सीमा अनुमत की जाती थी। परिषद द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं की प्रक्रिया के प्रबोधन हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे। परिषद ने तर्क दिया कि वह न तो चूककर्त्ता परामर्शदाता और न वृत्तिछात्र विशेष जोकि उसकी ओर से अध्ययन संचालन द्वारा परिषद को अनुग्रहीत कर रहे थे के विरुद्ध किसी प्रकार का अप्रिय कदम उठाने की स्थिति में था। मंत्रालय ने अप्रैल 1991 में अवलोकित किया कि परिषद को मामले में विशेष उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा था।

7.7.2 अपूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं: परिषद की स्थापना से मार्च 1990 तक संस्वीकृत की गई

अनुसंधान परियोजनाओं की कुल संख्या 1999 थी जिसमें से 77 परियोजनाएं रद्द कर दी गई थी। शेष 1922 परियोजनाओं में से, केवल 1383 परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त हुई थी तथा 1987-88 तक संस्वीकृत हुई 388 परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्टें जो मार्च 1990 के अंत तक देय थीं, प्राप्त नहीं हुई थीं। इनमें से, 89 परियोजनाएं 1987-88 में, 77, 1986-87 में, 34, 1985-86 में, 38, 1984-85 में स्वीकृत हुई थी, जबकि शेष 150 परियोजनाएं जिन के लिए 1973-74 से 1983-84 के दौरान कुल 51.06 लाख रुपये के अनुदान अदा किए गए थे, पांच से पंद्रह वर्षों के बाद भी लंबित थीं।

7.7.3 अनुसंधान परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब: परिषद ने परियोजनाओं के समापन में विलम्ब की सीमा से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की थी। अगस्त 1989, जनवरी तथा मई 1990 में अ स की तीन क्रमिक बैठकों के समक्ष प्रस्तुत किए गए अनुसंधान परियोजनाओं के 84 मामलों के विश्लेषण से पता चला कि केवल 33 परियोजनाओं (39 प्रतिशत) के संबंध में रिपोर्टें निर्धारित समयावधि में प्राप्त हुई थी, 10 में एक वर्ष से कम की देरी, 11 में एक से दो वर्षों तक की, 7 में दो से तीन वर्षों तक की, 2 में तीन से चार वर्षों की, 4 में चार से पांच वर्षों तक की, 6 में पांच से दस वर्षों तक की तथा 8 परियोजनाओं के संबंध में की दस वर्षों से अधिक देरी हुई थी। तीन परियोजनाओं के संबंध में सूचना निश्चित नहीं थी। मंत्रालय ने अप्रैल 1991 में बताया कि देरी, वृत्तिछात्रों

के एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरण, परियोजना निदेशक की अप्रत्याशित महत्वपूर्ण नियुक्तियों अथवा वेतन अनाकर्षण के कारण परियोजना के कर्मचारियों के काम छोड़ देने के कारण थी।

7.7.4 अपसर्जित/निरस्त परियोजनाएं: अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अपसर्जित तथा/ अथवा परिषद द्वारा निरस्त अनुसंधान परियोजनाओं की कुल संख्या मार्च 1990 तक 77 थी। इन में से 33 परियोजनाएं किसी अनुदान को जारी करने से पहले ही अपसर्जित/निरस्त कर दी गई थी। सात परियोजनाएं, परियोजना निदेशकों की मृत्यु के कारण अपसर्जित कर दी गई थी, एक मामले में, परियोजना निदेशक की रुचि नहीं थी तथा एक परियोजना का अनुसंधान अनुदान अन्य चालू परियोजना को अंतरित कर दिया गया था। शेष 35 मामलों में अपसर्जन के कारण दर्ज नहीं किए गए थे।

44 परियोजनाओं के संबंध में जारी किए गए कुल 3.34 लाख रुपये के अनुदानों में से 33 परियोजनाओं के संबंध में 1.58 लाख रुपये, विलम्ब के कारण बताए बिना ही 2 से 10 वर्षों के पश्चात वापिस कर दिए गए थे। आठ अपसर्जित परियोजनाओं पर वहन किया गया व्यय 1.18 लाख रुपये की राशि का था, शेष तीन परियोजनाओं के संबंध में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा 0.31 लाख रुपये की सारी राशि अभी लौटाई जानी थी। सभी विवरण तथा विभिन्न चरणों को दशनि वाले अनुदान रजिस्टर क्रमबद्ध अनुवर्तन हेतु अनुरक्षित किए जाने अपेक्षित थे,

परन्तु ये अपूर्ण छोड़ दिए गए थे जिससे प्रबोधन के अभाव का पता चलता था।

7.7.5 एक परियोजना से अधिक का आबंटन: परिषद के नियमों की शर्तों के अनुसार साधारणतया एक वृत्तिछात्र एक समय में केवल एक अनुसंधान कार्य को हाथ में लेने का हकदार होगा चाहे वह एक अध्यापक का अधिनिर्णय हो अथवा एक परियोजना का (अथवा कार्यक्रम जिसमें वह समन्वयक हो) हो। साधारणतया एक ही समय में एक संस्थान अथवा संगठन को एक से अधिक अनुसंधान कार्यक्रम स्वीकृत नहीं किया जाना था।

तथापि, परिषद ने छः मामलों में (17 परियोजनाएं) एक से अधिक परियोजना अभ्यर्पित की थी। 1971-72 से 1977-78 के दौरान परिषद द्वारा सात परियोजनाएं जिसमें 1.87 लाख रुपये के अनुदान निहित थे एक अनुसंधानकर्ता को अभ्यर्पित की गई थी; इन में से, 1971-72 तथा 1976-77 से संबंधित दो परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्टें परिषद द्वारा 1988 में (यानि कि 10 वर्षों से अधिक के अंतराल के पश्चात) प्राप्त की गई थीं तथा 1973-74 से 1979-80 के दौरान अभ्यर्पित शेष पांच अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्टें अभी तक प्रतीक्षित थी (मई 1990)। परिषद ने 1979-80 तक प्रत्येक 5 वृत्तिछात्रों (10 परियोजनाएं) को दो अनुसंधान परियोजनाएं भी अभ्यर्पित की थीं। इन परियोजनाओं के संबंध में किसी से भी परियोजना की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (मई 1990)।

मंत्रालय ने अप्रैल 1991 में बताया कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों वाले प्राथमिकता के क्षेत्रों हेतु प्रायोजित कार्यक्रमों के मामले में, परिषद ने वृत्तिछात्रों तथा संस्थानों के पास अपनी ओर से अध्ययन प्रारंभ करने के निवेदन के साथ पहुंच की थी। ऐसे मामलों में, ख्यातिप्राप्त सामाजिक वैज्ञानिकों तथा सक्षम शिक्षाविदों को एक से अधिक अनुसंधान परियोजनाएं अनुमत की गई थीं। तथापि, जैसे कि उपरोक्त से देखा जा सकता है कुछ अनुसंधानकर्ताओं जिन्हें एक से अधिक परियोजनाएं आबंटित की गई थीं, उनके समापन में देरी की थी तथा एक परियोजना से अधिक का आबंटन उनके समय पर समाप्त करने के हित में नहीं था।

7.7.6 उपयोगिता प्रमाणपत्र: अनुदान दो वर्षों के अंदर या परियोजना की समाप्ति पर जो भी पहले हो,

उपयोग में लाए जाने थे। मार्च 1988 तक जारी किए गए 330.36 लाख रुपए के कुल अनुदानों में से, 332 परियोजनाओं के संबंध में 77.53 लाख रुपये की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित थे।

332 परियोजनाओं में से, 1982-83 तक 260 परियोजनाओं के संबंध में 54 लाख रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र 5 से 20 वर्षों तक लंबित थे।

451 परियोजनाएं, जिन के लिए 1985-86 से 1989-90 के दौरान 202.59 लाख रुपये जारी किए गए थे, में से 100 परियोजनाएं जिनमें 37.94 लाख रुपये की राशि निहित थी, पूरी की गई थी। इन 100 पूरी हुई परियोजनाओं में से 15.89 लाख रुपये निहित वाली 41 परियोजनाओं के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र निम्नानुसार अभी तक प्रतीक्षित थे:

(राशि लाख रु. में)

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या		प्राप्त किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र		प्राप्त न किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि
1985-86	42	8.50	29	3.93	13	4.57
1986-87	42	24.67	25	15.22	17	9.45
1987-88	13	3.47	5	2.63	8	0.84
1988-89	3	1.30	-	0.27	3	1.03
1989-90	-	-	-	-	-	-
	100	37.94	59	22.05	41	15.89

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय अथवा संस्थान वार बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति दर्शाने के लिए अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

परिषद ने सितम्बर 1990 में बताया कि कठिनाई यह थी कि अधिकतर अनुदान विश्वविद्यालयों को स्वीकृत किए गए थे तथा लगातार कई वर्षों से परिषद चूककर्ता विश्वविद्यालयों को सफलता प्राप्त किए बिना, लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए स्मरण करा रही थी, यहां तक लेखों की जांच करने के लिए तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को इन विश्वविद्यालयों में भेजा गया था। मंत्रालय ने अप्रैल 1991 में बताया कि कम से कम दिल्ली स्थित संस्थाओं तथा परिषद द्वारा निधिक संस्थाओं से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयत्न जारी थे।

7.7.7 परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन: 1985-86 से 1989-90 के दौरान परिषद ने 383 परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टें प्राप्त की थी। परिषद ने मूल्यांकनकर्ता द्वारा इन रिपोर्टों के मूल्यांकन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी। परिषद ने फरवरी 1991 में बताया कि सामान्यतः मूल्यांकनकर्ता को एक महीने की समय सीमा दी जाती थी। यह देखा गया था कि 24 रिपोर्टें अभी तक सलाहकारों के पास थीं जिन्हें वे 1987-88 से 2 रिपोर्टें, 1988-89 : 7 रिपोर्टें तथा 1989-90: 15 रिपोर्टें मूल्यांकन हेतु भेजी गई थीं। रिपोर्टों के मूल्यांकन में लिए गए असाधारण लम्बे समय के लिए कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

सलाहकारों द्वारा मूल्यांकित 359 रिपोर्टों में से

केवल एक रिपोर्ट उत्कृष्ट मूल्यांकित की गई थी, छः रिपोर्टों पर प्रकाशन अनुदान हेतु विचार किया गया था तथा शेष रिपोर्टें जो लगभग 98 प्रतिशत बनती थी, सिर्फ सम्पूरित दर्ज की गई थी।

परिषद ने सितम्बर 1990 में बताया कि उसने अपने द्वारा संस्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं की विविध अंतिम रिपोर्टों की उपयोगिता का कोई निर्धारण नहीं किया था क्योंकि ये किसी वृत्तिछात्र को जारी नहीं की गई थीं परन्तु पुस्तकालय में संदर्भ पुस्तक के रूप में रखी गई थीं तथा यह ठीक तरह से बताना संभव नहीं था कि वृत्तिछात्रों द्वारा ये रिपोर्टें कितनी बार उपयोग में लाई गई थीं।

7.8 अनुसंधान शिक्षावृत्ति

7.8.1 सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से परिषद के पास शिक्षा वृत्तियों की अलग अलग योजनाएं थी: अनुसंधान शिक्षावृत्ति (राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति, वरिष्ठ शिक्षा वृत्ति, सामान्य शिक्षावृत्ति), डाक्टर उपाधि शिक्षावृत्ति (संस्थागत शिक्षावृत्ति, केन्द्रीय संचालित शिक्षावृत्ति, विदेशी नागरिकों हेतु शिक्षावृत्ति, लघु-अवधि शिक्षावृत्ति) तथा आकस्मिक अनुदान।

7.8.2 राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति: परिषद ने, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों इत्यादि से सामाजिक विज्ञान में उन के अंशदान तथा विभिन्न क्षेत्रों में वृत्तिछात्र के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर प्राप्त हुए नामांकनों से, इस संबंध में समिति द्वारा चयनित वृत्तिछात्रों को प्रत्येक वर्ष एक वर्ष की अवधि के

लिए (जो विशेष मामलों में दो वर्षों तक बढ़ाई जा सकती थी), नियत संख्या में राष्ट्रीय शिक्षावृतियां प्रदान की थी। 1985-86 से 1989-90 के दौरान 16 राष्ट्रीय शिक्षावृतियां प्रदान की गई थीं तथा 16.27 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

प्रदान की गई 16 राष्ट्रीय शिक्षावृतियों में से, दो वृत्तिछात्रों को दो वर्षों से भी ज्यादा की वृद्धि अनुमत की गई थी। 30 सितम्बर 1990 को आठ शिक्षावृत्ति भोगियों से समापन रिपोर्टें देय थी, जिनमें से केवल दो प्राप्त हुई तथा छः बकाया थीं। परिषद के पास एक बार शिक्षावृत्ति अनुमत करने के बाद, शिक्षावृत्ति भोगियों के अनुसंधान कार्य के अनुवर्तन/ प्रबोधन की कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

7.8.3 वरिष्ठ शिक्षावृत्ति तथा सामान्य शिक्षावृत्ति: वरिष्ठ शिक्षावृत्ति तथा सामान्य शिक्षावृतियां इत्यादि वृत्तिछात्रों को उनके निवेदन पर, मूल्यांकन के क्षेत्र में विशेषज्ञ अथवा परामर्शदाता द्वारा उनके अनुसंधान प्रस्तावों की जांच पड़ताल तथा, शिक्षावृत्ति विशेष वर्ग को प्रदान करने के उनके औचित्य के बारे में सलाह प्राप्त करने के पश्चात प्रदान की जाती थी। शिक्षावृतियां दो वर्ष के लिए प्रदान की जाती थीं। वृत्तिछात्र जिन्हें शिक्षा वृतियां प्रदान की जाती थीं उन्हें एक संस्थान के साथ सम्बद्ध होना पड़ना था जिस के माध्यम से परिषद शिक्षावृत्ति का संचालन करेगी।

1985-86 से 1989-90 के दौरान, परिषद ने 370 प्रस्ताव शिक्षावृतियां अनुमत करने हेतु प्राप्त किए थे। इनमें से 176 अस्वीकृत कर दिए गए थे, 105 स्वीकार कर लिए गए थे तथा 89 प्रस्ताव 1987-88 (13 प्रस्ताव), 1988-89 (29 प्रस्ताव) तथा 1989-90 (47 प्रस्ताव) से विचाराधीन थे। 1985-86 से 1989-90 के दौरान जारी की गई कुल राशि 61.94 लाख रुपये थी।

105 मामले जिनमें शिक्षावृतियां संस्वीकृत की गई थीं, में से 8 मामले अनुसंधान अनुदान में परिवर्तित कर दिए गए थे। चयन किए गए 105 वृत्तिछात्रों में से केवल 72 ने वास्तव में कार्य ग्रहण किया था; शेष 33 वृत्तिछात्रों के कार्य ग्रहण न करने के कारण परिषद के पास उपलब्ध नहीं थे। मंत्रालय ने अप्रैल 1991 में बताया कि बेरोजगार वृत्तिछात्र जो नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, नौकरी ग्रहण करने को अधिमान देते हैं तथा नौकरी कर रहे वृत्तिछात्रों को अपने नियोक्ता द्वारा कभी कभी अवकाश अस्वीकार कर दिया जाता था तथा शिक्षावृत्ति ग्रहण नहीं कर सकते थे।

7.8.4 45 मामलों (वरिष्ठ शिक्षावृत्ति के 32 तथा सामान्य शिक्षा वृत्ति के 13) के संबंध में मार्च 1990 तक देय 21.92 लाख रुपये की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक (जुलाई 1990) प्राप्त नहीं हुए थे। वर्ष वार ब्यौरे निम्नानुसार थे:-

(राशि लाख रु. में)

वर्ष	वरिष्ठ छात्रवृत्ति			सामान्य छात्रवृत्ति		
	मामलों की संख्या	जारी की गई राशि	राशि जिसके लिए उपयो- गिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित	मामलों की संख्या	जारी की गई राशि	राशि जिसके लिए उपयो- गिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित
1976-77	3	1.30	0.66	-	-	-
1978-79	3	2.06	2.06	-	-	-
1979-80	2	1.16	0.82	-	-	-
1980-81	4	2.62	1.46	-	-	-
1981-82	2	1.23	1.18	-	-	-
1982-83	3	2.39	2.25	1	0.32	0.32
1983-84	1	1.28	1.28	7	2.20	1.87
1984-85	1	0.78	0.21	1	0.66	0.17
1985-86	4	4.46	4.46	2	0.55	0.33
1986-87	5	4.94	3.57	-	-	-
1987-88	4	3.03	0.76	2	0.52	0.52
जोड़	32	25.25	18.71	13	4.25	3.21

इस प्रकार 26 मामलों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए थे जिसके लिए अनुदान 1984-85 से पहले जारी किए गए थे। परिषद ने मई

1990 में बताया कि अधिकतर मामलों में संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों ने अपने वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा नहीं करवाई थी, तथा इस कारण शिक्षावृत्ति के लेखों

की भी लेखापरीक्षा नहीं करवाई गई थी। तथापि, शिक्षावृत्ति के लेखे निरंतर प्राप्त हो रहे थे तथा यह एक तकनीकी चार्टर्ड एकाऊटेड प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपत्र था, जोकि बकाया था।

7.8.5 डाक्टरी शिक्षावृत्ति: परिषद ने 1984-85 से 1989-90 के दौरान 212 डाक्टरी शिक्षावृत्तियां प्रदान की थीं, तथा 88.62 लाख रुपये की संस्वीकृत राशि के प्रति 87.37 लाख रुपये जारी किए गए थे। केन्द्रीय रूप से संचालित शिक्षावृत्ति 105: संस्वीकृत 35 लाख रुपये के प्रति 33.76 लाख रुपये जारी किए गए थे, संस्थानिक शिक्षावृत्ति 107: संस्वीकृत 53.62 लाख रुपये के प्रति 53.61 लाख रुपये की जारी की गई थी।

212 मामले जिन में शिक्षावृत्ति प्रदान की गई थी, में से 19 वृत्तिधारक जिन्हें 2.91 लाख रुपये अदा किए गए थे, वे छोड़ कर चले गए थे। वृत्तिधारकों के अलग हो जाने के कारण छः मामलों में उपलब्ध नहीं थे, शेष 13 मामलों में कारण ये थे (i) वृत्तिधारकों को रोजगार प्राप्त होना (ii) वृत्तिधारकों का एम.फिल में असफल होना

(iii) वृत्तिधारकों को डाक्टरेट उपाधि हेतु पंजीकरण में कठिनाई का होना (iv) वृत्तिधारकों का खराब स्वास्थ्य/नियमों में, शिक्षावृत्ति का समापन सुनिश्चित करने के लिए प्राप्तकर्ताओं से किसी बंध पत्र प्राप्त करने हेतु प्रावधान नहीं था। परिषद द्वारा फरवरी 1991 में प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, 1985-90 के दौरान 195 वृत्तिधारकों ने अपनी शिक्षावृत्ति सम्पन्न की थीं, इनमें से 84 वृत्तिधारकों को डाक्टरी उपाधि प्रदान की गई थी। शेष मामलों में वृत्तिधारक डाक्टरी उपाधि प्राप्त क्यों नहीं कर सके थे के कारण परिषद से प्रतीक्षित थे (अप्रैल 1991)।

7.8.6 लघु अवधि की डाक्टरी शिक्षावृत्ति: परिषद ने 1985-86 से 1989-90 के दौरान 359 लघु अवधि की डाक्टरी शिक्षावृत्तियां प्रदान की थीं। इन शिक्षावृत्तियों पर जारी की गई 28.08 लाख रुपये की राशि में से 85 मामलों में 7.06 लाख रुपये के उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक प्रतीक्षित थे। वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार थे:-

वर्ष	मामलों की संख्या	राशि जिसके लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित (लाख रुपयों में)
1984-85 तक	48	2.90
1985-86	3	0.32
1986-87	14	1.51
1987-88	7	0.76
1988-89	7	0.71
1989-90	6	0.86
जोड़	85	7.06

परिषद ने सितम्बर 1990 में बताया कि डाक्टरी शिक्षावृत्ति से संबंधित अनुदान अधिकतर राज्य विश्वविद्यालयों को संस्वीकृत किए गए थे। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र इन राज्य विश्वविद्यालयों से थे जिन्हें निरंतर अनुस्मरण कराया गया था। मंत्रालय ने अप्रैल 1991 में बताया कि परिषद ने विश्वविद्यालयों के उपकुलाधिपतियों तथा संस्थान के अध्यक्षों के साथ मामला उठाने का निर्णय लिया था।

7.8.7 आकस्मिक अनुदान: प्रारंभ से ही, परिषद ने, 977 डाक्टर उपाधि अध्यक्षताओं को आकस्मिक अनुदान के भुगतान के प्रति 22.01 लाख रुपये जारी किए थे जिनमें से 31 मार्च 1990 को देय 15.95 लाख रुपये की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक प्रतीक्षित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्रों की वर्षवार स्थिति निम्नप्रकार थी:-

वर्ष	मामलों की संख्या	जारी किए गए आकस्मिक अनुदान की राशि	राशि जिसके लिए 31 मार्च 1990 को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित थे
(लाख रुपयों में)			
1984-85 तक	783	17.37	12.86
1985-86	61	1.61	0.99
1986-87	35	0.74	0.47
1987-88	45	0.91	0.52
1988-89	19	0.40	0.31
1989-90	34	0.98	0.80
जोड़	977	22.01	15.95

परिषद ने, बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने हेतु इसके द्वारा की गई कार्यवाही से लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया (फरवरी 1991)।

7.9 अनुसंधान सर्वेक्षण

7.9.1 परिषद ने साहित्य, अनुसंधानों एवं देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की प्रवृत्तियों पर दृष्टि रखने हेतु अनुसंधान सर्वेक्षण किया। यह अनुभव किया गया था कि पहले से किए गए अनुसंधानों के ये

सर्वेक्षण, अनुसंधान प्रोत्साहन नीतियों को सूत्रबद्ध करने तथा अनुसंधान के क्षेत्रों को प्राथमिकता की पहचान करने में परिषद की सहायता करेंगे। ऐसे सर्वेक्षण देश में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में भी सहायता करने के इरादे से थे।

एक संयोजक की देख रेख में प्रत्येक विषय के लिए अलग से सामाजिक वैज्ञानिकों की एक परामर्श समिति बनाई जानी थी। परामर्श समिति ने उन सहयोगियों को पहचानना था जिन्हें उस विषय पर साहित्य का सर्वेक्षण करने को कहा जाएगा जोकि श्रृंखला की निर्धारित अवधि के दौरान सामने आया था।

प्रथम सर्वेक्षण 1970 में प्रारंभ किया गया था तथा वर्ष 1969 तक मुख्य शास्त्रों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, प्रबंधन, जनसांख्यिकी, लेखाशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान में किए गए समस्त अनुसंधान कार्य को आवृत करने हेतु रूपांकित किया गया था।

श्रृंखला के अंतर्गत मार्च 1990 तक चौबीस खंड प्रकाशित किए गए थे। परिषद ने 1969 के बाद अर्थात् 1970-77, 1977-82 तथा 1982 के पश्चात की अवधि को आवृत करने हेतु अनुसंधान सर्वेक्षण की क्रमशः दूसरी, तीसरी तथा चौथी श्रृंखलाओं को हाथ में लिया था।

7.9.2 परिषद को सितम्बर 1990 में प्रत्येक सर्वेक्षण के संबंध में, आवृत किए जाने वाले प्रस्तावित संकायों की संख्या, वास्तव में आवृत किए गये की संख्या, संकाय वार सर्वेक्षण प्रारंभ होने की तिथि तथा सर्वेक्षण के समापन की तिथि की सूचना भेजने को कहा गया था। परिषद ने कोई सूचना नहीं भेजी। परिषद, प्रत्येक सर्वेक्षण पर अलग से बजट तथा व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने में भी समर्थ नहीं हुई थी। परिषद ने कुछ सर्वेक्षणों के लिए जारी की गई निधियों के केवल विवरण ही भेजे जो वहन किए गए व्यय के बराबर माने गए थे।

विभिन्न संकायों में चल रहे सर्वेक्षणों की वर्तमान

1969 तक की अवधि को आवृत करते हुए प्रथम स्थिति निम्नवत थी:-

विषय	वर्ष जिससे आरंभ किया गया	जारी की गई राशि (लाख रुपयों में)
अर्थशास्त्र	1981	1.00
राजनीति विज्ञान	1981	1.01
भूगोल	1983	0.49
समाज शास्त्र	1987	1.86
लोक प्रशासन	1987	1.34
		5.70

जब सर्वेक्षण प्रारंभ हुए थे, परामर्श समिति ने समापन के लिए कोई निश्चित समय सूची नियत नहीं की थी। परिषद ने जून 1990 में बताया कि चूंकि अधिकतर वृत्तिछात्र पूर्णतः नियुक्त थे, उनके लिए अनुबद्ध समय में सर्वेक्षणों को सम्पूर्ण कराने हेतु समय समर्पित करना संभव नहीं था। परिषद ने यह भी बताया कि उसके लिए एक सीमा रेखा स्थापित करना तथा इन वृत्तिछात्रों से कार्य ले पाना कठिन था, जोकि अन्यथा किसी अन्य स्थान पर पूर्णकालिक नियुक्ति पर थे।

सर्वेक्षण परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए कोई प्रभावकारी प्रबोधन की प्रणाली विद्यमान नहीं थी। सर्वेक्षणों की धीमी प्रगति तथा अपर्याप्त प्रबोधन को ध्यान में रखते हुए, सर्वेक्षण के उद्देश्य जैसे अनुसंधान कार्यक्रम नीतियों को सूत्रबद्ध करना, देश में समाज विज्ञान के अनुसंधान तथा शिक्षण के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना, प्राप्त नहीं किए गए थे।

7.10 आंकड़े पुरालेख

7.10.1 आंकड़े पुरालेख का उद्देश्य परिषद द्वारा, निधि बद्ध की गई परियोजनाओं द्वारा प्राथमिक रूप से उत्पन्न किए गए आंकड़ों को अधिग्रहण और संगठित करना था तथा इसका अभिरुचि रखने वाले विद्वानों तथा संस्थाओं के बीच प्रसार करना था। इसके अतिरिक्त परिषद ने, विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, सरकारी एजेंसियों तथा निजी संगठनों द्वारा एकत्रित किए गए संबद्ध आंकड़ों का भी अधिग्रहण किया। एक

विशिष्ट आंकड़े सैट को अधिग्रहण करने का निर्णय, इसके पुनः उपयोग क्षमता तथा संबंधित प्रलेखन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा इसमें प्राथमिकता उन आंकड़ा सैटों की दी जानी थी जो मशीनी पठनीय प्रपत्र में उपलब्ध थे। 1985-86 से 1989-90 के दौरान परिषद ने आंकड़े पुरालेख पर 41.49 लाख रुपये व्यय वहन किया।

7.10.2 आंकड़ों का अधिग्रहण तथा उपयोगिता:

1985-86 से 1989-90 के दौरान अधिग्रहित किए जाने वाले 58 आंकड़े सैटों के लक्ष्य के प्रति सफलता 35 थी। इस प्रकार कमी 40 प्रतिशत थी।

परिषद ने 1985-90 के दौरान 375 परियोजना निदेशकों से सम्पर्क किया जिनमें से 316 परियोजना निदेशकों ने प्रत्युत्तर दिया तथा आंकड़े सूची प्रोफ़ौर्मा वापिस किए। 316 मामलों में से, 58 (18 प्रतिशत) मामले अभी भी बातचीत के अंतर्गत थे। 1985-86 से 1989-90 के दौरान अधिग्रहित किए गए आंकड़ों के मामलों की संख्या, दिए गए प्रत्युत्तरों की संख्या के 7 से 20 प्रतिशत के बीच थी। परिषद द्वारा लगभग 80 से 93 प्रतिशत आंकड़े इन कारणों से अधिग्रहित नहीं किए जा सके यथा (i) आंकड़ों का परिमाण्य न होना (ii) हस्तचालित सारणीयन (iii) सूक्ष्म अध्ययन (iv) परोक्ष स्रोत तथा (v) आंशिक आंकड़े।

जहां तक कि अधिग्रहित आंकड़ों का संकलन रूप से कम प्रयोग किया गया था। भंडार में 158 आंकड़ा सैटों में से, वृत्तिछात्रों द्वारा 1985-86, 1987-88 तथा 1989-90 के प्रत्येक वर्षों के दौरान केवल एक

आंकड़ा सैट का प्रयोग किया गया था, जबकि 1986-87 के दौरान केवल दो आंकड़ा सैट प्रयोग किए गए थे। 1988-89 के दौरान कोई आंकड़ा सैट प्रयोग नहीं किया गया था।

सितम्बर 1990 में परिषद ने बताया कि पुरालेखीय आंकड़ों का उपयोग अधिकांश दो कारणों पर निर्भर करता था जैसे कि (i) विद्यमान आंकड़ों का गौण विश्लेषण करने में वृत्तिछात्रों की योग्यता (ii) वृत्तिछात्रों की तकनीकी के साथ सुविज्ञता की सीमा तथा अनुसंधान में कम्प्यूटर का प्रयोग। परिषद ने यह भी बताया कि सिवाए कुछ एक शास्त्रों के, वृत्तिछात्रों को अभी इसमें लम्बा मार्ग तय करना था। मंत्रालय ने अप्रैल 1991 में बताया कि प्राथमिक रूप से समाज विज्ञान अनुसंधान परिपेक्ष्य की प्रकृति के कारण आंकड़ों की अंतर्ग्राह्यता तथा उनका उपयोग, दोनों धीमी दर से बढ़ रहे थे तथा यह एक दीर्घावधि कार्यक्रम था।

7.10.3 राष्ट्रीय पंजिका: परिषद ने, 1976 में एक तदर्थ परियोजना के रूप में भारत में सामाजिक वैज्ञानिकों की राष्ट्रीय पंजिका का संकलन प्रारंभ किया। सामाजिक वैज्ञानिकों पर राष्ट्रीय पंजिका का प्रथम खंड, 1976-80 के दौरान विभिन्न सामाजिक विज्ञान संकायों के अनुसंधान तथा/अथवा शिक्षण में लगे हुए 7527 वृत्तिछात्रों के संक्षिप्त जीवन संबंधित रेखा चित्रों को समाविष्ट करते हुए, 1983 में प्रकाशित किया गया था। 1.02 लाख रुपये की लागत पर मुद्रित की गई 1100 प्रतियों में से, 103 प्रतियां निःशुल्क

वितरित की गई थीं, 406 प्रतियां बेची गई थी (बिक्री मूल्य 2.36 लाख रुपये) तथा 591 प्रतियां सितम्बर 1990 तक, परिषद के पास पड़ी रहीं। जनवरी 1984 में परिषद ने एक नियमित कार्यक्रम के रूप में पंजिका को अद्यतन रखने का निर्णय लिया। सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं में लगे हुए 12000 से अधिक वृत्तिछात्रों में से, जो पंजिका को अद्यतन रखने के लिए मार्च 1990 तक संबोधित किए गए थे, 3952 ने सितम्बर 1990 तक प्रत्युत्तर दिया। पंजिका को अद्यतन करने के लिए परिषद द्वारा, कोई लक्ष्य तिथि नियत नहीं की गई थी। परिणामतः समाज वैज्ञानिकों की एक अद्यतन डायरेक्टरी रखने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। मंत्रालय ने अप्रैल 1991 में स्वीकार किया कि सम्बद्ध सूचना के संग्रहण के लिए कोई विवेक पूर्ण लक्ष्य तिथि निर्धारित करना बड़ा कठिन था तथा इसका उन सूचनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था, जो कि समाज वैज्ञानिकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से दी जानी थी।

7.11. सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान कार्यप्रणाली में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

परिषद ने, डाक्टर उपाधि वाले विद्यार्थियों, अनुसंधान कार्यकर्ताओं तथा अनुसंधान कार्यप्रणाली के शिक्षकों के लिए दो से 45 दिनों तक की अवधि के सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान कार्यप्रणाली में पूर्ण कालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए।

प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या तथा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या हेतु कोई लक्ष्य

निर्धारित नहीं किए गए थे। 1985-90 के दौरान, लाख रुपये की राशि जारी की गई थी, 1985-86 तथा 1257 प्रशिक्षणार्थियों के लिए ऐसे 48 पाठ्यक्रम इसके बाद से लेखों की विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। आयोजित किए गए थे जिनके लिए 17.57 लाख रुपये छोड़ जाने वाले मामलों सहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों संस्वीकृत हुए थे तथा 15.47 लाख रुपये जारी किए के प्रारंभ तथा समापन के समय भाग लेने वालों की संख्या की स्थिति निम्नवत थी:

वर्ष	पाठ्यक्रमों की संख्या	पाठ्यक्रमों के प्रारंभ में भाग लेने वालों की संख्या	समापन के समय भाग लेने वालों की संख्या	छोड़कर जाने वालों की संख्या
1985-86	4	87	83	4
1986-87	14	388	346	42
1987-88	11	296	261	35
1988-89	8	235	198	37
1989-90	11	251	237	14

भाग लेने वालों के लगभग 5 से 16 प्रतिशत ने अवसरों के अभाव को, दर्शाया। परिषद ने इन प्रशिक्षण सम्पूर्ण नहीं किया। कारण घरों में कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए जो कदम उसने आपातस्थितियाँ, अपरिहार्य परिस्थितियाँ, बीमारी, उठाये थे, की सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी। दुर्घटनाएँ इत्यादि बताए गए थे।

7.12. अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान

उद्देश्य के लिए विशेषरूप से प्रतिनियुक्त किए गए परिषद के अधिकारियों की उपस्थिति में पाठ्यक्रमों के समापन पर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन ने, कई कमियों जैसे पर्याप्त पाठ्य सामग्री तथा भाषणों के सारांश की गैर आपूर्ति तथा आँकड़ा प्रक्रिया में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए परिषद ने समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए तथा सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र, जोकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर थे, में कार्यरत अखिल भारतीय स्वरूप तथा महत्व के अनुसंधान संस्थानों को रख रखाव तथा विकास अनुदान उपलब्ध कराये। अनिवार्य अवसरचना

के लिए अनावर्ती अनुदानों के मामले में, जहां सरकार की पूर्व स्वीकृति से परिषद द्वारा अनुरूपी अंशदान की आवश्यकता को अलग किया जा सकता था, के सिवाय संस्थानों को, स्वयं अपने संसाधनों से अथवा अन्य स्रोतों से एक बराबर की राशि जुटानी अपेक्षित थी। आवर्ती अनुदान की राशि एक वर्ष में 20 लाख रुपये की सीमा के अधीन थी। भूमि, भवनों तथा उपस्करों

(पुस्तकालय विकास सहित) के लिए अनावर्ती अनुदान की कुल राशि 60 लाख रुपये से आगे नहीं बढ़नी थी।

1985-86 से 1989-90 के दौरान परिषद ने 21 से 25 अनुसंधान संस्थानों को 1178.20 लाख रुपये सहायता अनुदान के रूप में जारी किए थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	अनुसंधान संस्थानों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1985-86	20	172.12
1986-87	21	163.82
1987-88	24	274.48
1988-89	24	252.00
1989-90	25	315.78
		1178.20

अनुसंधान संस्थानों से अपने अनुसंधान अध्ययनों का प्रचार, प्रकाशित पुस्तकों तथा अनुलेखों एवं विनिबंधों इत्यादि के रूप में किया जाना अपेक्षित था। अनुसंधान संस्थानों को सहायक अनुदान के भुगतान के लिए परिषद द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार, अनुदान, अन्य बातों के साथ साथ पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्टों तथा वर्तमान वर्ष की कार्यक्रम

गतिविधियों के साथ साथ परियोजना/योजना का विस्तृत विवरण, जिसके लिए सहायता मांगी गई है, की प्राप्ति तथा जांच के बाद, संस्वीकृत किए जाने थे। संस्थानों से प्रतिवर्ष उपलब्धि एवं निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना भी अपेक्षित था। अनुसंधान संस्थानों से प्राप्त सहायक अनुदानों के लिए प्रस्तावों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि गतिविधियों के

विवरण सामान्यतया प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अनुसंधान संस्थानों ने केवल स्थापन, पुस्तकालय, कार्यक्रम, प्रकाशन, यात्रा भत्ता इत्यादि जैसे व्यय के शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत बजट अनुमान प्रस्तुत किए थे। वार्षिक रिपोर्टों में, उनको गतिविधियों के वार्षिक कार्यक्रम में सम्बद्ध किए बिना, पिछले वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई गतिविधियों को ही उल्लिखित किया गया था। इस प्रकार से, रिपोर्टों ने उपलब्धि व निष्पादन रिपोर्टों का स्वरूप खो दिया।

परिणामतः यद्यपि उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा लेखों के लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त हो गये थे, संस्थानों द्वारा प्रारंभ किए गए परिषद के कार्यक्रम का प्रभावकारी प्रबोधन करने की कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी। संस्थानों द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध कराये गये आंकड़ों को परिषद की वार्षिक रिपोर्टों में शामिल करने से पूर्व कभी भी परखा/जांचा नहीं गया था। इस प्रकार क्रमशः 4,2 तथा 5 संस्थानों के संबंध में 1984-85 के अंत में चल रही 16 परियोजनाएं, 1986-87 के अंत में चल रही 6 परियोजनाएं तथा 1987-88 के अंत में चल रही 36 परियोजनाएं बाद के वर्षों में चल रही अथवा सम्पूर्ण हुई परियोजनाओं के रूप में नहीं दिखाई गई थी तथा इन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों से निकाल दी गई थी। परिषद ने आगामी वर्षों की रिपोर्टों से अनुसंधान संस्थानों द्वारा इन परियोजनाओं निकाल दिए जाने की स्थिति अथवा कारणों की जांच पड़ताल नहीं की थी। वर्गीकृत विवरणों अथवा अन्य सूचनाओं के अभाव में,

उसमें शामिल वित्तीय उलझावों को सुनिश्चित करना संभव नहीं था। मंत्रालय ने अप्रैल 1991 में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा बनाए गये तथ्यों को नोट कर लिया गया है तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी चल रही तथा पूर्ण हो गई परियोजनायें परिषद की रिपोर्टों में शामिल कर ली जाती हैं।

7.13 क्षेत्रीय केन्द्र

7.13.1 परिषद ने, विभिन्न क्षेत्रों तथा राज्यों जहां क्षेत्र पर अनुसंधान हेतु स्रोत सामग्री (अथवा क्षेत्रीय भाषाओं में) एकत्रित की जा सके तथा भारत के सभी भागों से सामाजिक वैज्ञानिकों को उपलब्ध करायी जा सके, में अपने सेवा के रूप में कार्य करने तथा केन्द्रों को सहायता करने हेतु, 1973-74 तथा 1977-78 के बीच मुम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद तथा शिलांग में छः क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए थे। क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा क्षेत्र के सामाजिक वैज्ञानिकों को पुस्तकालय, प्रलेखन तथा अन्य अनुसंधान सुविधाएं, स्टाक, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सामग्री मुहैया कराना सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में पत्रिकाओं का अंशदान देना, आवश्यक ग्रन्थविज्ञानात्मक तथा प्रलेखन सेवाओं का अनुरक्षण करना, क्षेत्रीय भाषाओं में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सामग्री एकत्र करना, छात्रावासों की स्थापना करना जहां अध्यापक तथा छात्र न्यूनतम लागत पर रह सकें तथा सामाजिक वैज्ञानिकों जो क्षेत्रों में स्थापित पुस्तकालयों में उपलब्ध अनुसंधान सामग्री से सलाह लेने के इच्छुक थे, की यात्रा तथा स्थानीय निर्वाह व्ययों को पूरा करने हेतु अध्ययन

अनुदान की योजना का प्रचालन करना था।

वर्तमान कार्यसंचालन व्यवस्थाओं के अधीन, प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र, उद्देश्य हेतु चयनित परिषद तथा मेजबान संस्थान के बीच सहयोगात्मक प्रबंध के रूप में प्रबंधित था। मेजबान विश्वविद्यालय के उप कुलपति अथवा अनुसंधान संस्थान के प्रधान ने संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तथा इसके प्रशासन तथा कार्यक्रमों का विस्तारपूर्वक पर्यवेक्षण किया। अध्यक्ष की सलाह पर परिषद द्वारा गठित सलाहकार समिति ने क्षेत्रीय केन्द्रों के नियोजन तथा विकास पर उन्हें सलाह दी।

7.13.2 1985-86 से 1989-90 के दौरान परिषद ने छः क्षेत्रीय केन्द्रों को कुल 123.19 लाख रुपये की सहायता मुहैया करायी।

महाराष्ट्र एवं गोवा, आंध्रप्रदेश, व पंजाब तथा हरियाणा की राज्य सरकारों ने भी क्रमशः पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र मुम्बई, दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र हैदराबाद तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र चण्डीगढ़ को सहायता मुहैया करायी। अनावर्ती अनुदान विश्वविद्यालय के जरिए दिए गए थे जबकि आवर्ती अनुदान क्षेत्रीय केन्द्रों को सीधे अदा किए गए थे।

परिषद ने अभी तक (फरवरी 1991) छः क्षेत्रीय केन्द्रों को अनावर्ती अनुदान के रूप में 104.९३ लाख रुपये जारी किए थे। अतिथि गृह तथा छात्रावास भवन सभागारों, भोजन कक्ष विश्वविद्यालय पुस्तकालय के भवन के विस्तार इत्यादि के निर्माण हेतु 79.85 लाख रुपये, उपकरणों के लिए 17.56 लाख रुपये तथा

फर्नीचर एवं परिवहन के लिए 6.62 लाख रुपये। इसमें से 1975-76 से 1984-85 के दौरान यह बताते हुए कि उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र दिल्ली हेतु, उसके पास कोई अतिरिक्त स्थान न था जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को भुगतान किए गए 25.50 लाख रुपये इसके द्वारा मार्च 1987 (10 लाख रुपये) तथा जनवरी 1988 (15.50 लाख रुपये) के दौरान वापस कर दिए गए थे।

7.13.3 यद्यपि, इस प्रकार का पहला केन्द्र 1973 में स्थापित किया गया था, केन्द्रों का वैधानिक स्तर तथा केन्द्रों के संबंध तथा स्थिति के विषय में औपचारिकताएं, परिषद तथा मेजबान संस्थानों की तुलना में तय नहीं की गई थीं। केन्द्र के लेखों के प्रकार में समानता नहीं थी। केन्द्र के लेखे मेजबान संस्थानों के सांविधिक लेखापरीक्षकों/चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा लेखापरीक्षित किए गए थे तथा परिषद के लेखों में सम्मिलित नहीं किए गए थे। इसलिए इसके सहायता सेवा केन्द्रों सहित परिषद की सही समेकित वित्तीय स्थिति कभी भी वार्षिक लेखों में नहीं दर्शायी गयी थी तथा इस प्रकार 1972-73 से 1989-90 के दौरान कुल 303.95 लाख रुपये के अनुदान लेखापरीक्षा के क्षेत्र से बाहर रहे।

परिषद से सितम्बर 1990 में यह सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया कि क्या इसने अपने कथित लक्ष्यों की तुलना में केन्द्रों द्वारा किए गए कार्यों का कोई मूल्यांकन किया था। परिषद द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था। मंत्रालय ने अप्रैल 1991 में बताया

कि परिषद ने क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु, समिति गठित करने का निर्णय किया था।

7.14. प्रकाशन

7.14.1 परिषद ने (i) उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय/संस्थानों द्वारा अनुमोदित आचार्य शोध प्रबंध (ii) विचार गोष्ठियों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि के चयनित शोधपत्रों/ अनुसंधान परियोजनाओं/शिक्षावृत्ति के प्रतिवेदन चाहे परिषद द्वारा वित्तपोषित की गयी अथवा नहीं (iii) ग्रंथ-विज्ञानीय अथवा प्रलेखन कार्य के प्रकाशन हेतु सहायक अनुदान मुहैया कराये। अनुदानों की राशि प्रत्येक मामले में 10,000/- रुपये की सीमा के अधीन भुगतान विषय के लिए 30 रुपये प्रति पृष्ठ सारणीय विषय के लिए 50 रुपये प्रति पृष्ठ तक प्रतिबंधित था। प्रकाशनों को परिषद द्वारा अनुमोदित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया जाना अपेक्षित था। प्रकाशक को वास्तविक व्यय के लेखे को प्रस्तुत करने पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित मुद्रित प्रकाशन की शुल्क रहित 25 प्रतिशत प्रदान करने पर सहायक अनुदान की राशि शीघ्र ही दी गयी थी।

प्रकाशक से लेखक/परियोजना निदेशक आदि को बिक्री मूल्य के 10 प्रतिशत की दर पर रायल्टी का

भुगतान करना अपेक्षित था। कार्य संस्वीकृत की तिथि से दो वर्षों के भीतर प्रकाशित होने अपेक्षित थे, जिसकी विफलता पर सहायक अनुदान का प्रस्ताव अपने आप समाप्त हो जायेगा जब तक कि विशेष अनुरोध पर आगे नहीं बढ़ाया जाता।

इसके अतिरिक्त, परिषद ने अपने त्रैमासिक प्रकाशन "न्यूज लैटर" तथा अन्य मूल्यांकित प्रकाशन प्रकाशित किए।

1985-86 से 1989-90 के दौरान परिषद ने प्रकाशनों पर 43.37 लाख रुपये व्यय किए जिसमें अनुसंधान प्रतिवेदनों के प्रकाशनों हेतु सहायक अनुदानों के रूप में 16.31 लाख रुपये, मूल्यांकित प्रकाशनों पर 20.47 लाख रुपये तथा बिना मूल्यांकित प्रकाशनों पर 6.59 लाख रुपये समाविष्ट थे।

उसी अवधि के दौरान प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्तियाँ तथा प्रकाशकों से प्राप्त रायल्टियों की राशि 13.53 लाख रुपये थी।

7.14.2 प्रकाशन अनुदान: 99 प्रतिवेदनों तथा 273 आचार्य शोध प्रबंधों जिनके लिए परिषद ने 1985-86 से 1989-90 के दौरान 16.31 लाख रुपये के प्रकाशन अनुदान प्रदान किए थे में से, केवल 45 प्रतिवेदन (45.4 प्रतिशत) तथा 139 आचार्य शोध प्रबंध (50.9 प्रतिशत) प्रकाशित किए गये थे जैसा नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	प्रदान की गई संख्या		प्रकाशित संख्या		अप्रकाशित संख्या	
	प्रतिवेदन	आचार्य शोधप्रबंध	प्रतिवेदन	आचार्य शोधप्रबंध	प्रतिवेदन	आचार्य शोधप्रबंध
1985-86	18	28	7	9	11	19
1986-87	17	34	6	14	11	20
1987-88	29	74	8	34	21	40
1988-89	17	63	16	38	1	25
1989-90	18	74	8	44	10	30
जोड़	99	273	45	139	54	134

प्रकाशित न किए गए प्रतिवेदनों की प्रतिशतता 1988-89 को छोड़कर संस्वीकृत संख्या की 56 से 72 के बीच रही। प्रकाशित न किए गए आचार्य शोध प्रबंध की प्रतिशतता 1985-86 से 1989-90 के दौरान प्रत्येक वर्ष में कुल संस्वीकृत संख्या के 30 से 68 के बीच रही।

मार्च 1990 तक प्रकाशन के लिए अपेक्षित तैतालीस प्रतिवेदन तथा 79 आचार्य शोध प्रबंध प्रकाशित नहीं किए गए थे।

नियमानुसार, यदि कार्य प्रदान किए जाने से दो वर्षों के भीतर प्रकाशित नहीं होता तो अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा। परिषद ने इस मामले में कोई

कार्यवाही नहीं की थी।

मंत्रालय ने अप्रैल 1991 में बताया कि अनुसंधान प्रतिवेदन/शोध प्रबंध जो प्रकाशित नहीं किए गए थे के मामलों का परिषद द्वारा पुनरीक्षण किया गया था तथा लेखक/प्रकाशकों से प्रकाशनों की प्रगति को सूचित करने हेतु अनुरोध किया गया था, तथा उत्तरों की प्राप्ति पर प्रकाशन की अवधि गुण-दोष पर कुछ मामलों में बढ़ा दी गई थी। जहां या तो लेखकों अथवा प्रकाशकों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे, प्रकाशन अनुदान के प्रस्ताव की वापसी के बारे में उन्हें सूचित करने के पश्चात, संबंधित फाइल बंद कर दी गई थी। ऐसे मामलों की एक सूची तैयार की जायेगी तथा

परिषद की उचित समिति को प्रस्तुत की जायेगी।

7.14.3 मूल्यांकित प्रकाशन: परिषद ने 1985-86 से 1989-90 के दौरान 5.01 लाख रुपये की लागत पर अपने 18 मूल्यांकित प्रकाशनों की 17883 प्रतियां स्वयं ही प्रकाशित की। इनमें से 13827 प्रतियों (लागत 3.65 लाख रुपये) के शेष को छोड़ते हुए 843 (5 प्रतिशत) प्रतियां निःशुल्क वितरित की गई थीं तथा 3213 प्रतियां (17 प्रतिशत) बेची गई थीं। परिषद के पास मार्च 1990 के अंत में 66.48 लाख रुपये बिक्री मूल्य की 81247 प्रतियों के प्रकाशनों का बड़े स्टॉक का जमा कर लिया गया था; बिना बिके हुए 55 प्रतिशत प्रकाशन 1972-1980 वर्षों से संबंधित थे तथा 23 प्रतिशत 1981 से 1985 से स्टॉक में पड़े हुए थे। मंत्रालय ने अप्रैल 1991 में यह स्वीकार किया कि पुस्तकों की बिना बिक्री प्रतियां एक बड़ी संख्या परिषद अथवा प्रकाशकों के पास पड़ी हुई थी तथा बताया कि इस उद्देश्य हेतु जून 1988 में नियुक्त प्रकाशन समिति ने अक्टूबर 1988 में कुछ सिफारिशें की थीं तथा जैसा कि प्रकाशन समिति की रिपोर्ट पर विचार होता है और परिषद द्वारा ठोस निर्णय लिए जाते हैं, कार्यवाही की जायेगी।

7.14.4 रायल्टी: परिषद ने पुस्तक के मुद्रित मूल्य के 40 से 50 प्रतिशत की दर पर रायल्टी प्राप्त की थी। 31 मार्च 1990 को रायल्टी की मद में 0.84 लाख रुपये की एक राशि बकाया थी।

प्रकाशक से पहले वर्ष के अंत तक कार्य की कम से कम 300 प्रतियों की बिक्री पर देय रायल्टी का

भुगतान अपेक्षित था तथा कार्य प्रकाशित होने के पश्चात दो वर्षों के भीतर परिषद द्वारा वहन की गई प्रकाशन की लागत को पूरा करना था। कुछ मामलों में, प्रतिवेदनों/आचार्य शोध प्रबंधों के प्रकाशन हेतु संस्वीकृत प्रकाशन अनुदान, प्रकाशकों से देय रायल्टी की राशि के प्रति समायोजित किया गया था तथा यह देखने के लिए कि एक प्रकाशन के संबंध में वहन की गई प्रकाशन की लागत इसके प्रकाशन से दो वर्षों के भीतर वसूल की गयी थी अथवा नहीं कोई प्रक्रिया या प्रणाली नहीं थी। मंत्रालय ने अप्रैल 1991 में बताया कि मामला प्रकाशकों के साथ प्रारंभ किया गया है तथा रायल्टी के रूप में कुछ वसूलियां उनसे की गयी थीं।

7.15. परिषद का पुनरीक्षण

7.15.1 परिषद के संस्था ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार सरकार परिषद के कार्य तथा प्रगति के पुनरीक्षण के लिए एक अथवा अधिक व्यक्ति नियुक्त कर सकती है। दिसम्बर 1978 तक सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई समिति गठित नहीं की गई थी। इस पर वर्ष 1977-78 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (सिविल) के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 57.1.2 में भी टिप्पणी की गयी थी।

परिषद की प्रक्रिया के पुनरीक्षण हेतु कोई बाह्य पुनरीक्षण समिति अभी तक नियुक्त नहीं की गई थी।

7.15.2 तथापि, परिषद की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण इसके द्वारा समय समय पर नियुक्त आंतरिक पुनरीक्षण समितियों द्वारा किया गया था।

पहली पुनरीक्षण समिति जनवरी 1973 में, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के स्तर के पुनरीक्षण कार्य के साथ, तथा दिशा जिस पर इसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकसित होना चाहिए को इंगित करते हुए, नियुक्त की गयी थी। अगस्त 1977 में, परिषद ने अगले 10 वर्षों के दौरान विशेष रूप से छठी पंचवर्षीय योजना में कार्य तथा कार्यक्रम के विकास के प्रस्ताव बनाने के विचार से दूसरी पुनरीक्षण समिति गठित की थी।

तीसरी तथा अंतिम पुनरीक्षण समिति अंतिम 16 वर्षों तथा विशेष रूप से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिषद के कार्य के पुनरीक्षण हेतु 1985 में गठित की गई थी।

पुनरीक्षण समिति ने जुलाई 1986 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश कि सामाजिक विज्ञान समुदाय की दृष्टि में परिषद, नेतृत्व कार्य का निष्पादन कर रही, तथा देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को उन्नत बनाने हेतु विशिष्ट सहयोग प्रदान कर रही, तथा घोषित जनमत तथा सार्वजनिक नीति के प्रतिपादन हेतु सामाजिक विज्ञान निवेश मुहैया करा रही उद्देश्यपूर्ण एजेंसी के रूप में देखी जानी चाहिए।

पुनरीक्षण समिति ने अन्य बातों के साथ टिप्पणी की थी।

- (i) अनुसंधान अनुदानों हेतु व्यक्तिगत वृत्तिछात्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के प्रति उत्तर देने में परिषद की ओर से विलम्ब;
- (ii) संस्वीकृत योजनाओं के समापन में विलम्ब

तथा अनुदानों के प्रबोधन हेतु तंत्र में कमजोरी;

- (iii) छात्रवृत्ति प्रदत्त वृत्तिछात्रों द्वारा प्रतिवेदनों का प्रस्तुत न किया जाना;
- (iv) अनुसंधान सर्वेक्षणों की तैयारी तथा प्रकाशन में लम्बे विलम्ब;
- (v) आंकड़े अभिलेखों का कम उपयोग;
- (vi) परिषद के प्रकाशनों की बिक्री की कम मात्रा तथा
- (vii) परिषद द्वारा सहायता किए गए अनुसंधानों के संस्थानों के संबंध में इसके द्वारा अधिक सक्रिय भूमिका की आवश्यकता।

मंत्रालय ने अप्रैल 1991 में बताया कि परिषद प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु समयावृद्धि को कम करने के लिए सर्वोत्तम कार्य कर रही थी, इसके द्वारा संस्वीकृत योजनाओं/शिक्षावृत्तियों के प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु कदम उठाये जा रहे थे, सर्वेक्षण समिति के अध्यक्ष से सर्वेक्षण प्रतिवेदनों की प्रगति के प्रबोधन हेतु अनुरोध किया गया था, और अच्छे उपयोग को उन्नत करने हेतु आंकड़े अभिलेखों के प्रचार को बढ़ावा दिया गया था। तथापि, पिछले पैराग्राफों में जो कहा गया है से देखा जा सकता है कि जुलाई 1986 में पुनरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियां अभी भी बनी हुई थी।

7.16. भवन निर्माण

परिषद ने फरवरी 1986 में, नई दिल्ली में, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबंधित 10 एकड़ भूमि (बाद में 4.3 एकड़ तक कम कर दी गई)

पर अपने भवन के निर्माण का निर्णय किया। परिषद ने विश्वविद्यालय की भूमि पर अपने भवन के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय के साथ औपचारिक अनुबंध नहीं किया। परिषद ने विनिर्माण कार्य हेतु मार्च 1986 में एक निजी वास्तुकार मैसर्स राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा भ नि नि- एक भारत सरकार का उपक्रम) लगाने का निर्णय लिया। मंत्रालय जिसकी यह मामला मार्च 1986 में प्रेषित किया गया था ने विशेष वास्तुकार तथा रा भ नि नि के साथ अपने अनुभव पर आधारित विश्वविद्यालय के विचारों को जून 1986 में सूचित किया कि निर्माण कार्य को के लो नि वि द्वारा निष्पादित कराया जाना उनके सर्वोत्तम हित में होगा। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि शहरी विकास मंत्रालय की सलाह के अनुसार (जून 1986) निर्माण कार्य के लो नि वि द्वारा निष्पादित कराया जाना चाहिए। तथापि, परिषद ने पूर्वतः नियत एजेंसियों के साथ आगे बातचीत की; सम्पन्न कार्य प्रस्तुत होने पर मंत्रालय ने परिषद को मामले में कार्योत्तर अनुमोदन मई 1987 (रा भ नि नि) तथा अप्रैल 1989 (वास्तुकार) में प्रेषित किया।

परिषद ने वास्तुकार को उसकी व्यवसायिक फीस के रूप में निर्माण कार्य की कुल लागत का 4 प्रतिशत अदा किया जो कि अप्रैल 1989 में मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 3 प्रतिशत की दर से अधिक था। परिषद ने इसे, इस आधार पर तर्क संगत ठहराया कि वास्तुकार को स्थल पर निर्माण कार्यों के सूक्ष्म पर्यवेक्षण का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया था

तथा स्थल पर परिषद के पास ठेकेदार के निर्माण कार्य के दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण में सक्षम, योग्य इंजीनियरिंग स्टाफ सहित अपना इंजीनियरिंग विंग नहीं था। मंत्रालय जिसे यह मामला लेखापरीक्षा द्वारा मई 1990 में भेजा गया था, ने परिषद द्वारा दिये गये औचित्य पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की।

वास्तुकार ने कार्यालय ब्लॉक (केन्द्रीय वातानुकूलन सहित) अतिथि गृह (25 खिड़की टाइप वातानुकूलन सहित), 10 टाइप-I स्टाफ क्वार्टर, 20 टाइप-II स्टाफ क्वार्टर, 24 टाइप-III स्टाफ क्वार्टर 5 टाइप -IV स्टाफ क्वार्टर, 3 टाइप-V स्टाफ क्वार्टर तथा सदस्य सचिव के आवास के निर्माण हेतु फेज I के निर्माण कार्य हेतु 2.44 करोड़ रुपये के अनुमान अप्रैल 1986 में प्रस्तुत किए। वास्तुकार ने पुनः अगस्त 1987 में 2.42 करोड़ रुपये के अनुमान प्रस्तुत किए इन अनुमानों में छात्रावास ब्लॉक (11.75 लाख रुपये) का निर्माण भी शामिल था लेकिन आवासीय क्वार्टरों की संख्या टाइप I, II, III, तथा IV में क्रमशः 10 से 2, 20 से 5, 24 से 3 तथा 5 से 2 तक कम कर दी थी, तथा वातानुकूलन हेतु भी व्यवस्था नहीं की थी। अनुमानों की छानबीन ने दर्शाया कि ये 1 अक्टूबर 1976 को के लो नि वि के कुर्सी क्षेत्र दरों (कु क्षेत्र) जिन्हें चालू लागत सूचकांक तक उपयुक्त रूप से बढ़ाया गया था, पर आधारित बताये गये थे। अनुमान, बढ़ाये गये कु क्षेत्र पर आधारित अनुमानित लागत पर 4 प्रतिशत की दर पर परामर्शदायी प्रभारों हेतु मुहैया कराये गये थे तथा ठेकेदार के उपरी खर्च तथा लाभ

(12.5 प्रतिशत जो बाद में उल्लिखित किया गया) जो अतिरिक्त होना था, को छोड़कर थे। क्योंकि के लो नि वि ने कु क्षे द में परामर्शदायी प्रभार तथा ठेकेदार के ऊपरी खर्च तथा लाभ सम्मिलित थे, वास्तुकार द्वारा तैयार किए गए अनुमान बढ़े हुए थे। अनुमान परिषद द्वारा अगस्त 1988 में अनुमोदित किए गए थे। निर्माण कार्य हेतु विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किए गए थे।

अगस्त 1988 में अनुमानों के अनुमोदित होने के पूर्व ही, परिषद ने भवन के निर्माण हेतु सितम्बर 1986 में रा भ नि नि के साथ एक अनुबंध किया था। अनुबंध में रा भ नि नि को वास्तविक लागत तथा मुख्य कार्यालय के ऊपरी खर्च तथा लाभ के अंतर को पूरा करने हेतु उस पर 12.5 प्रतिशत के भुगतान का प्रावधान था। लागत जमा आधार पर निर्माण कार्य का प्रदान किया जाना सरकारी वित्तीय नियमों तथा आदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन था। परिषद ने रा भ नि नि के साथ अन्य संगठनों द्वारा निष्पादित "ठेके के समरूप पैटर्न" के आधार पर इसे उचित ठहराया तथा लागत जमा ठेका के कारण "ठेकेदार बाद में मूल्यों में किसी वृद्धि का दावा जिससे विवाद उठे, नहीं कर सकता है"। मंत्रालय जिसे यह मामला मई 1990 में लेखापरीक्षा द्वारा प्रेषित किया गया था ने परिषद द्वारा दी गई तर्कसंगति पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की।

परिषद ने रा भ नि नि को मार्च 1986 में ब्याज रहित संग्रहण अग्रिम के रूप में 50 लाख रुपये का भुगतान किया। अग्रिम न केवल सितम्बर 1986 में रा भ नि नि के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किए जाने से पहले

अदा किया गया था बल्कि सरकार के जुलाई 1983 के आदेशों के अतिक्रमण में भी था जिसके अनुसार इस शर्त के अधीन कि राशि ठेकेदार से ब्याज सहित वसूल की जायेगी संग्रहण अग्रिम, विशिष्ट प्रकृति के कार्य हेतु ठेकेदार के कार्य की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत की सीमा तक संस्वीकृत किया जायेगा। इस प्रकार रा भ नि नि को बिना किसी ब्याज देयता के 25.80 लाख रुपये की अधिक सहायता मुहैया करायी गयी थी। परिषद ने अक्टूबर 1990 तक रा भ नि नि को कुल 303.19 लाख रुपये का कुल भुगतान कर चुकी थी। यद्यपि रा भ नि नि ने मार्च 1989 तक 136 लाख रुपये के चालू खाते बिल प्रस्तुत किए थे, परिषद ने उस तिथि तक संग्रहण बंदी अग्रिम के रूप में मार्च 1986 में 50 लाख रुपये के भुगतान सहित 222 लाख रुपये का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप रा भ नि नि को और अनाधिकृत सहायता मिली। मार्च 1989 तक प्रस्तुत बिलों में से कोई भी परिषद अथवा वास्तुकार द्वारा जांचा नहीं गया था।

निर्माण कार्य जो अक्टूबर 1988 तक पूरा होना अपेक्षित था अभी तक प्रगति पर था (जनवरी 1991)। परिषद ने विलम्ब को, क्षेत्र की ऊंची नीची प्रकृति, नक्शों को तैयारी में लिए गए समय तथा उसके वास्तविक स्थल स्थितियों पर आधारित परिवर्तन पर आरोपित किया। ये तथ्य पूर्वानुमानित किए जा सकते थे। वास्तुकार तथा रा भ नि नि के साथ अनुबंध में उनकी ओर से विलम्ब के लिए अर्थदंड लगाने के लिए प्रावधान नहीं था। दूसरी ओर निर्माण कार्य में

विलम्ब के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि तथा वास्तुकार तथा रा भ नि नि को उनके साथ अनुबंध की प्रकृति की दृष्टि से अतिरिक्त भुगतान होगा। निर्माण कार्य के समापन में विलम्ब के कारण परिषद ने किराये पर लिए गए भवनों पर 3.96 लाख रुपये प्रतिवर्ष का व्यय वहन करना जारी रखा।

रा भ नि नि को सामग्री के सैद्धांतिक तथा वास्तुविक उपयोग के त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने आवश्यक थे। तथापि, न तो सामग्री के उपभोग के मानदंड निर्धारित किए गए थे तथा न ही रा भ नि नि ने यथा निर्धारित के विवरण प्रस्तुत किए। परिणामस्वरूप कोई प्रभावी लागत नियंत्रण संभव नहीं था।

परिषद ने भवन के निर्माण में अनियमितताओं को स्वीकार किया था। इसके पास उस भूमि का जिस पर भवन का निर्माण प्रारंभ किया गया था, स्वामित्व नहीं था। परिषद ने मंत्रालय की सलाह के प्रतिकूल एक वास्तुकार तथा रा भ नि नि को निर्माण का कार्य सौंपा। इसने रा भ नि नि को अदेय तथा अतिरिक्त संविदात्मक वित्तीय लाभ अनुमत किये। वास्तुकार को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 3 प्रतिशत की दर के प्रति निर्माण कार्य की लागत के 4 प्रतिशत की दर पर शुल्क का भुगतान किया था। वास्तुकार द्वारा तैयार किए गए अनुमान त्रुटिपूर्ण थे, सामग्री के उपभोग के मानदंड निर्धारित नहीं किए गए थे तथा इस लिए कोई प्रभावी लागत नियंत्रण संभव नहीं था। निर्माण कार्य के समापन में विलम्ब के परिणामस्वरूप परिषद ने किराये पर लिए गए भवनों पर, व्यय वहन करना जारी रखा,

उनके साथ अनुबंध की शर्तों में लागत वृद्धि तथा वास्तुकार तथा रा भ नि नि को अतिरिक्त भुगतान निहित था।

8. हैदराबाद विश्वविद्यालय

8.1 प्रस्तावना

हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 1974 (अधिनियम) के प्रावधानों के अधीन 2 अक्टूबर 1974 को अस्तित्व में आया। विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्य जैसे कि अधिनियम में विचारे गये हैं: यंत्रीय एवं अनुसंधान सुविधायें मुहैया कराके ज्ञान का प्रसार एवं प्रदान करना; मानविकी तथा विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिये विशेष व्यवस्था करना; तथा विश्वविद्यालय में अन्तर-अनुशासनिक अध्ययनों एवं अनुसंधान को उन्नत बनाने हेतु उचित उपाय करना है।

सातवीं योजना के अंत तक स्थापित किये जाने के लिये आयोजित आठ विद्यालयों तथा तीन केन्द्रों में से, विश्वविद्यालय ने भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, गणित तथा कम्प्यूटर सूचना विज्ञान तथा अभिनय कलायें, उत्कृष्ट कलाएं तथा संचार के उच्चतर अध्ययन हेतु सात विद्यालय तथा क्षेत्रीय अध्ययनों, व्यावहारिक भाषाविज्ञान तथा अनुवाद अध्ययनों तथा तुलनात्मक अध्ययनों हेतु तीन केन्द्र स्थापित किये। ये विद्यालय प्रौद्योगिकी आचार्य, विज्ञान आचार्य, कला आचार्य, दर्शन (शास्त्र) आचार्य, अभिनय कला आचार्य, उत्कृष्ट कला आचार्य,

कम्प्यूटर ज्ञान आचार्य, तथा कम्प्यूटर उपयोग में डिप्लोमा जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा पी.एच.डी. के लिए विद्यार्थियों को गाइड उपलब्ध कराता है। विश्वविद्यालय में 1989-90 के अंत में 1454 विद्यार्थी तथा 194 अध्यापन स्टाफ था।

8.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के अनुच्छेद 19(2) के अधीन की जाती है तथा लेखापरीक्षित लेखे, उन पर रिपोर्ट सहित संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं। विश्वविद्यालय की कार्यविधि की 1980-81 हेतु रिपोर्ट में इसके पहले समीक्षा की गई थी। वर्तमान पुनरीक्षण 1985-86 से 1989-90 की अवधि शामिल करता है तथा अप्रैल से जुलाई 1990 के दौरान किया गया था।

8.3 संगठनात्मक ढांचा

कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी तथा शैक्षिक अधिकारी है। विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यकारी समिति, कुलपति, उपकुलपति, अध्ययन विद्यालय के चार संकायाध्यक्ष, एक प्रोफेसर (संकायाध्यक्ष अथवा मुख्य के अलावा) एक रीडर, एक प्रवक्ता, सरकार के दो सदस्य, शैक्षिक एवं सार्वजनिक जीवन में विशिष्टताप्राप्त चार सदस्यों को समाविष्ट करने वाली कार्यकारी परिषद है। कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय की आय एवं सम्पत्ति का प्रबन्ध एवं प्रशासन करती है तथा विश्वविद्यालय के कार्यों को

संचालित करती है। यह अध्यापन एवं शैक्षिक पदों के सृजन, वित्तव्यवस्था, लेखे, निवेश, सम्पत्ति, व्यापार, तथा विश्वविद्यालय के अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों के प्रबन्ध तथा नियमन करने का अधिकार रखती है। विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों में न्यायालय, योजना बोर्ड, शैक्षिक परिषद तथा विद्यालय बोर्ड शामिल हैं।

8.4 विशिष्टताएं

- 1989-90 में मास्टर आफ दर्शनशास्त्र में छात्रों की संख्या 23 प्रतिशत तक घट गई। 1987-88 में पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में 9 प्रतिशत की कमी 1989-90 में 20 प्रतिशत तक बढ़ गई।
- अध्यापक छात्रों का अनुपात, 1:10 के अनुशासित अनुपात के प्रति 1985-86 से 1989-90 के दौरान 1:7 से 1:8 के बीच रहा।
- छात्रों को छात्रवृत्तियों तथा शिक्षावृत्तियों के भुगतान पर किया गया 2.20 लाख रु. का व्यय अभ्यर्थियों द्वारा, उन्हें सौंपे गये कार्य के पूर्ण होने से पूर्व ही छोड़ दिये जाने के कारण निष्फल हो गया।
- जुलाई 1980 में 15.64 लाख रु. की लागत पर लिक्विड हेल्पियम संयंत्र, लगभग एक दशक के विलम्ब के पश्चात जनवरी 1989 में चालू किया गया था।
- 1976 से 1978 के दौरान 24.16 लाख रु.

की लागत पर आयातित तथा 1979-80 में संस्थापित, सहायक उपस्करों सहित मासस्पेक्ट्रोमीटर फलदायी प्रयोग हेतु व्यवहार में नहीं लाया गया ।

- 65 लाख रुपये की लागत पर संस्थापित कम्प्यूटर केन्द्र में 1989-90 में औसत उपयोगिता अवधि 76 प्रतिशत थी ।
- विद्युत उत्पादन हेतु 33.98 लाख रु. की राशि के अनुदान वाले ऊर्जा संयंत्रन कार्यक्रम के उत्पादन के चालू होने की तिथि अनिश्चित थी ।
- अन्य अनुदानों के अव्ययित शेषों से पांच योजनाओं पर किया गया 10.32 लाख रु. का व्यय चार से अधिक वर्षों से अनावर्तित रहा ।

8.5 वित्त एवं लेखे

विश्वविद्यालय मुख्यतः, केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.वि.अ.आ.) द्वारा भुगतान किये गये अनुदानों से वित्तपोषित होता है । यह विशेष रूपसे उल्लिखित कुछ कार्यकलापों को चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार, आन्ध्रदेश, तमिलनाडू पाडिचेरी, राजस्थान, त्रिपुरा तथा अण्डमान एवं निकोबार की राज्य सरकारों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद जैसी संस्थाओं से भी सीधे अनुदान प्राप्त करता है । विश्वविद्यालय की अपनी प्राप्तियां, शिक्षा तथा परीक्षा शुल्क छात्रावास का किराया, सेवा प्रभारों, प्रकाशनों की बिक्री तथा निवेशों पर ब्याज आदि से आती है । विश्वविद्यालय के 1985-86 से 1989-90 की प्राप्तियों एवं भुगतानों का सारांश नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपयों में)

प्राप्तियां	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
(i) अथ शेष	38.85	91.56	157.58	143.09	89.85
(ii) वि. अ. आ. से अनुदान					
अनुरक्षण (योजनेत्तर)	271.15	387.25	396.00	471.76	612.20
राजस्व लेखा					
(योजनागत)	6.94	15.11	25.92	2.05	120.11

(iii) निम्न से विशिष्ट उद्देश्यों

हेतु अनुदानें

i) वि. अ. आ.

क) पूंजी एवं

विकास 302.57 170.81 212.03 135.86 228.49

ख) अन्य विशिष्ट

उद्देश्य 27.34 19.70 88.85 63.79 94.34

ii) केन्द्रीय

सरकार 12.19 24.20 65.44 78.59 42.72

iii) क) आन्ध्र

प्रदेश सरकार 3.34 9.08 4.38 11.92 6.08

ख) अन्य

राज्य सरकारें 0.09 0.19 0.13 0.14 0.15

iv) अन्य 16.24 15.78 34.75 44.51 61.31

(iv) अपनी आय 13.64 14.43 22.67 27.83 32.80

(v) अन्य ऋण-जमा तथा

उच्चत लेनदेन 88.77 112.40 138.96 177.19 206.33

जोड़: 781.12 860.51 1146.71 1156.73 1494.38

भुगतान

(i) राजस्व लेखे पर व्यय

योजनेत्तर	309.82	356.09	463.87	499.27	595.71
योजनागत	7.03	15.47	44.27	48.15	71.46

(ii) पूंजी लेखे

पर व्यय	259.54	178.39	209.39	163.39	189.99
---------	--------	--------	--------	--------	--------

(iii) विशेष उद्देश्य

अनुदान से व्यय	37.69	52.51	141.95	180.43	194.96
----------------	-------	-------	--------	--------	--------

(iv) अन्य ऋण, जमा तथा

उचन्त लेनदेन	75.48	100.47	144.14	175.64	212.62
--------------	-------	--------	--------	--------	--------

(v) अन्त शेष

जोड़:	781.12	860.51	1146.71	1156.73	1494.38
-------	--------	--------	---------	---------	---------

8.6 अनुदानों का उपयोग

8.6.1 अनुरक्षण अनुदान

वर्ष 1985-86 से 1989-90 के दौरान

वि.अ.आ. से प्राप्त अनुरक्षण अनुदानों तथा

विश्वविद्यालय की कुल प्राप्तियों का तुलनात्मक विवरण

नीचे दिया गया है:

(लाख रुपयों में)

वर्ष	आन्तरिक प्राप्तियां	कुल प्राप्तिओं से प्रतिशतता	प्राप्त अनुदान	कुल प्राप्तिओं से प्रतिशतता	कुल प्राप्तियां
1985-86	13.64	4.79	271.15	95.21	284.79
1986-87	14.43	3.85	387.25		
				96.15	375.23
			(-) 26.45*		
1987-88	22.67	5.09	396.00		
				94.91	445.12
			(+) 26.45		
1988-89	27.83	5.57	471.76	94.43	499.59
1989-90	32.80	5.51	612.20		
				94.49	595.00
			(-) 50.00*		

*1987-88 तथा 1990-91 हेतु अग्रिम अनुदान क्रमशः 1986-87 तथा 1989-90 में प्राप्त किये गये थे ।

1988-89 की तुलना में 1989-90 के दौरान को पूरा करने के लिए निधियों का प्रावधान: तथा प्राप्त अनुदानों में भारी वृद्धि निम्न के कारण थी: (iv) 1989-90 में (i) रेडक्रास नेशनल स्कूल तथा (i) 1990-91 के लिए 50 लाख रु. के अग्रिम (ii) विश्वविद्यालय के हैदराबाद सेकेण्डरी स्कूल को अनुदान की प्राप्ति । विलय व उन्नयन द्वारा सृजित, हैदराबाद विश्वविद्यालय के कैम्पस स्कूल के स्टाफ के वेतन के (ii) जुलाई 1988, जनवरी 1989, तथा जुलाई 1989 से तीन महंगाई भत्ते की किश्तों के भुगतान के अधीन निधियों का प्रावधान । लिये निधियों का प्रावधान, 8.6.2 विशिष्ट उद्देश्य अनुदान (iii) विद्युत प्रभारों, टेलीफोन किराये की दरों में वृद्धि विशेष उद्देश्यों के लिए वि.अ.आ. से प्राप्त

अनुदान केवल विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग की जानी होती है तथा अन्य उद्देश्यों हेतु उनका विपथन अनुज्ञेय नहीं है । तथापि, यह देखा गया कि नीचे इंगित पांच मामलों में व्यय, मार्च 1990 के अन्त में अन्य अनुदानों के अव्ययित शेषों की 10.32 लाख रु. राशि से वहन की गयी तथा चार से अधिक वर्षों से अनुदानों से पूरा हुए बिना पड़ा रहा ।

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	परियोजना/ योजना	1985-86 के अन्त में शेष	1986-87 के दौरान व्यय	1987-88 के दौरान व्यय	1988-89 के दौरान व्यय	1989-90 के दौरान व्यय	1989-90 के अन्त में शेष
1.	अनाबंटित अनुदान	0.09	0.37	1.11	0.46	2.37	4.40
2.	खुले प्रेक्षागृह का निर्माण	0.12	0.57	0.63 (+)	0.03	-	1.29
3.	सुरक्षा गार्ड गृह आदि सहित सामने के प्रवेश द्वार का निर्माण	1.69	-	-	-	-	1.69
4.	व्याख्यान कक्ष परिसर का निर्माण	1.18	0.04	-	0.01	0.07	1.30
5.	सेवा क्षेत्र में मार्ग जोड़	1.22	-	0.42	-	-	1.64
		4.30	0.98	2.16	0.44	2.44	10.32

विश्वविद्यालय ने बताया क्योंकि योजनायें अपेक्षित नहीं थीं तथा निधियों पर आहरण द्वारा वि.अ.आ. द्वारा संस्वीकृत की गई थीं तथा व्यय, अस्थायी अर्थोपाय अग्रिम योजनाओं की संस्कृति तथा वि.अ.आ. से अनुदानों की आगे की किश्तों की प्राप्ति निधियों के जारी होने में समय विलम्ब के कारण से पूरा किया जायेगा, वि.अ.आ. की पूर्व अनुमति कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विलम्ब से बचने के लिए

सहारा लिया गया था ।

द्वारा जारी किये गये अनुदानों तथा विश्वविद्यालय द्वारा

8.7 सातवीं योजना के कार्यक्रम

व्यय की गयी राशियां निम्न प्रकार थी:

सातवीं योजना के कार्यक्रम के लिए वि.अ.आ.

(लाख रुपयों में)

कार्यक्रम	भवन	परिसर विकास	पुस्तकालय	उपकरण	अन्य मदें	योग
			की पुस्तकें एवं फर्नीचर			
जारी किये गये अनुदान	609.21	44.91	121.50	135.50	73.95	985.07
व्यय की गई राशि	581.97	50.00	127.55	90.62	70.17	920.31
कमी (+)	(+) 27.24	(-) 5.09	(-) 6.05	(+) 44.88	(+) 3.78	(+) 64.76
आधिक्य (-)						
प्रतिशतता	4.5	11.3	5.0	33.1	5.1	6.6

व्यय में कमी/ आधिक्य के कारणों को निम्न पैराग्राफों में विश्लेषित किया गया है:-

8.7.1 भवन हेतु अनुदान

विश्वविद्यालय ने "विज्ञान स्कूल परिसर" के निर्माण हेतु 1984-85 से 1988-89 के दौरान कुल 210 लाख रु. का एक अनुदान प्राप्त किया । 1989-90 के अन्त तक किया गया व्यय केवल 183.10 लाख रु. था । निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 238 लाख रु. थी । 152 लाख रु. की अनुमानित लागत का निर्माण कार्य अनुमानित मूल्य (120 लाख रु.) से 26.5% अधिक पर एक ठेकेदार को सौंपा गया था । यद्यपि निर्माण कार्य अप्रैल 1985

में प्रारंभ किया गया था, यह अप्रैल 1987 तक जैसा कि अनुबंध के अधीन अपेक्षित था पूरा नहीं हुआ था, तथा धीमी प्रगति के लिए ठेका जनवरी 1990 में अवसेय हुआ । तथापि, भवन समिति के निर्णय पर आधारित अवधारण आदेश, पुरानी अनुबंध दरों पर उसी ठेकेदार द्वारा जून 1990 तक शेष निर्माण कार्य के समापन हेतु अप्रैल 1990 में, संशोधित किया गया था। तथापि, निर्माण कार्य जून 1990 तक पूरा नहीं हुआ था । ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य की कुछ मदों को सितम्बर 1990 के बाद भी किया जाना था । यद्यपि भवन समिति ने, निर्माण कार्य के समापन में विलम्ब के लिए ठेकेदार से क्षतिपूर्ति-एवं क्षतियों को वसूल करने

हेतु विश्वविद्यालय के अधिकारों को सुरक्षित रखा तथा जून 1990 में ठेका निरस्त हो गया था, विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति तथा क्षतियों के लिए कोई राशि अभी तक (फरवरी 1991) ठेकेदार से उद्ग्रहीत तथा वसूल नहीं की गई है।

8.7.2 उपकरण हेतु अनुदान

सातवीं योजना के दौरान उपकरण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा 156.20 लाख रु. की अनुमानित आवश्यकता प्रस्तावित की गई थी। वि.अ.आ. ने केवल 125 लाख रु. संस्वीकृत किये, जिसमें से जनवरी 1990 में अन्तिम किस्त के रूप में 45 लाख रु. जारी किया गया था। किया गया व्यय 83.12 लाख रु. था। विश्वविद्यालय ने 41.88 लाख रु. के व्यय में कमी अनुदान केजारी करने के विलम्ब पर आरोपित की (सितम्बर 1990)।

8.7.3 अन्य मदों हेतु अनुदान

विश्वविद्यालय ने "योजनागत" के अधीन अव्ययित

अनुदानों से निधियां विपथित कीं तथा 1988-90 के दौरान "क्रीड़ा कम्प्लैक्स के निर्माण" पर 1.41 लाख रु. का व्यय किया यद्यपि इस निर्माण कार्य के लिए कोई अनुदान प्राप्त नहीं किये गये थे। विशिष्ट उद्देश्यों हेतु अनुदान केवल इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिए उपयोग की जानी होती है। वि.अ.आ. की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। विश्वविद्यालय सितम्बर 1990 में ने उत्तर दिया कि निर्माण कार्य वि.अ.आ. द्वारा अगस्त 1988 में अनुमोदित किया गया था तथा अनुमान के.लो.नि.वि. द्वारा पारित किये गये तथा वि.अ.आ. को संस्वीकृति हेतु भेज दिये गये थे। विश्वविद्यालय ने यह भी बताया कि अनुदानों की प्राप्ति के लंबित रहते, वि.अ.आ. द्वारा पूर्व अनुमोदित यह एक अस्थायी अर्थोपाय अग्रिम समायोजन है।

8.7.4 यह देखा गया कि 43 पूर्ण हुए निर्माण कार्यों के संबंध में जहां अनुदान का उपयोग नहीं किया गया था अथवा व्यय आबंटन से अधिक हो चुका था, 5.85 लाख रु. के निवल अप्रयुक्त अनुदान को अर्तविष्ट करते हुए 20 निर्माण कार्यों के मामले में समापन रिपोर्ट भेजी जानी थी। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(लाख रु. में)

योजना	अप्रयुक्त रही	पूर्ण हुए	निर्माण	निर्माण कार्यों की संख्या	निर्माण कार्यों की संख्या जिनके लिए समापन
राशि(+)/				जिनके लिए	लिए
आबंटन से अधिक				स.रि.भेजी	रिपोर्टें भेजी
व्यय की राशि(-)				गई थीं	जानी थी
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
भवन	(+)20.08	13	4 (+)0.73	9 (+)14.94	
	(-)22.79	22	17(-)11.14	5 (-)5.29	
कैम्पस	(+)1.48	3	- -	3 (+)1.48	
विकास	(-)5.31	5	2 (-)0.06	3 (-)5.28	
जोड़		43		20 (+)5.85	

विश्वविद्यालय ने बताया कि ऋः निर्माण कार्य पंचाट निर्णय के अधीन थे, एक निर्माण कार्य के संबंध में अंतिम बिल का भुगतान होना था तथा शेष निर्माण कार्यों के लिए समापन रिपोर्टें तैयारी में थीं (सितम्बर 1990)।

8.8 ऊर्जा संयंत्रन प्रदर्शन कार्यक्रम हेतु अनुदान

फरवरी 1986 में विश्वविद्यालय के प्रस्तावों पर आधारित, ऊर्जा मंत्रालय के गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत (गै.प.स्रो.) विभाग ने ऊर्जा संयंत्रन प्रदर्शन कार्यक्रम फेज I को कार्यान्वित करने हेतु चार वर्षों से अधिक अवधि के लिए 12 लाख रु. की लागत पर 120 हैक्टेयर भूमि को विकसित करने हेतु मार्च 1986 से फरवरी 1990 तक 9.98 लाख रु. विश्वविद्यालय को

जारी किये। परियोजना के मुख्य उद्देश्य थे:

- संयंत्र को स्थापित करते हुए गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के प्रदर्शन हेतु एक केन्द्र का विकास करना।
- गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को श्रमिक विद्यापीठ के जरिये इच्छुक व्यक्तियों को तैयार/शिक्षित तथा प्रशिक्षित करना तथा
- बनाये गये संयंत्रन से बायोमास उत्पन्न करना।

विश्वविद्यालय परिसर में विद्युत उत्पादन हेतु 400 हैक्टेयर भूमि (फेजा।) पर ऊर्जा संयंत्रन के प्रदर्शन हेतु अगस्त 1986 में विश्वविद्यालय के अन्य प्रस्ताव पर आधारित, गै.ऊ.स्रो.वि. ने चार वर्षों (मार्च 1987 से

मार्च 1991) की अवधि के भीतर कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 1986-87 के दौरान 24 लाख रु. का अतिरिक्त अनुदान जारी किया ।

फेज I में, मार्च 1987 में लक्षित तिथि के प्रति दिसम्बर 1988 तक 140 हैक्टेयर भूमि पर संयंत्र लगाया गया था । फेज I पर मार्च 1990 तक किया गया व्यय 11.74 लाख रु. था । तथापि, फेज II में संयंत्र हेतु लक्षित 400 हैक्टेयर के प्रति 3.90 लाख रु. का व्यय करके मार्च 1990 तक केवल 40 हैक्टेयर पर संयंत्रण किया गया था । विश्वविद्यालय ने नवम्बर 1988 में गै.ऊ.स्रो.वि. को सूचित किया कि यह जनवरी 1989 से तीन वर्षों से अधिक में चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ करेगी । तथापि, इस प्रस्ताव हेतु गै.ऊ.स्रो.वि. की विशेष संस्वीकृति प्राप्ति नहीं की गई थी ।

फेज I के अधीन दिसम्बर 1986 तक 140 हैक्टेयर संयंत्रित भूमि से कोई बायोमास (मौजूदा संयंत्रों को छोड़ते हुए) प्राप्त नहीं किया गया था तथा विश्वविद्यालय ने गै.ऊ.स्रो. पर इच्छुक व्यक्तियों के प्रदर्शन/शिक्षा हेतु किसी कार्यक्रम का किया जाना सूचित नहीं किया था (सितम्बर 1990) । विद्युत उत्पादन हेतु संयंत्र सामग्री के प्रयोग हेतु गैसीफायर की स्थापना हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी । विश्वविद्यालय, के अनुसार, उसका उत्तरदायित्व संयंत्र बनाने तथा इसके दस वर्षों के अनुरक्षण तक के लिए सीमित था तथा अन्त प्रयोग गै.ऊ.स्रो.वि. द्वारा निर्धारित किया जाना था । अतः बायोमास से विद्युत

उत्पादन का मुख्य लक्ष्य प्राप्त करने तथा प्रदर्शन/शिक्षा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु विशेष तिथि निर्धारित नहीं की गई थी । इसके कारण, तिथि, जिससे 33.98 लाख रु. के निवेश की योजना परिणाम देना आरंभ करेगी अनिश्चित थी ।

प्रदर्शन कार्यक्रम के सम्बन्ध में नवम्बर 1990 में विश्वविद्यालय ने बताया कि इसके पास, किसी भी स्थानीय संस्था अथवा व्यक्ति से ऐसे प्रदर्शन हेतु पूछताछ के लिए कोई अभिलेख नहीं थे । इसके लिये विशेष कारण तथा कार्यक्रम में रुचि पैदा करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही को इंगित नहीं किया गया था ।

यह भी देखा गया था कि विश्वविद्यालय ने अनुदान के साथ संलग्न शर्तों के विपरीत फेज I में 1.55 लाख रु. मूल्य के तथा फेज II में 2.37 लाख रु. मूल्य के पूंजीगत उपकरण खरीदे । जबकि गै.ऊ.स्रो.वि. ने जून 1988 में 31 दिसम्बर 1987 को समाप्त तिमाही के लिए योजना पर रिपोर्ट के संदर्भ में बताया कि अनुदान का उपयोग पूंजीगत उपकरण के लिए नहीं होना चाहिए, विश्वविद्यालय ने खरीद को इस आधार पर न्यायसंगत ठहराया कि गै.ऊ.स्रो.वि. ने की गई खरीद पर बाद में कोई आपत्ति नहीं की । पूंजीगत उपकरण की खरीद को प्राधिकृत करने के गै.ऊ.स्रो.वि. के विशेष आदेश प्राप्त नहीं किये गये थे ।

8.9 मूल्यहास आरक्षित निधि का सृजन

विश्वविद्यालय प्राप्त अनुरक्षण अनुदानों से मूल्यहास प्रभारित कर रहा थी तथा मूल्य हास हेतु

आरक्षित का सृजन कर रहा था । 1985-86 से 1989-90 के वर्षों के लिए इस प्रकार प्रभारित मूल्य हास का प्रावधान 42 लाख रु. था । 1989-90 के अन्त में मूल्य हास आरक्षण निधि 10.88 लाख रु. थी। विश्वविद्यालय ने जून 1990 में बताया कि मूल्यहास आरक्षण निधि का सृजन सितम्बर 1984 में वि.अ.आ. द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार था जो कि घिसे-पिटे उपकरण के प्रतिस्थापन हेतु वार्षिक प्रावधान के जरिये आवर्तित निधि के सृजन हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की समिति के सुझावों (जून 1984) पर आधारित था । तथापि, इस तथ्य के मध्यनजर कि विश्वविद्यालय मुख्यतः वि.अ.आ. से प्राप्त अनुदानों द्वारा विलतपोषित होता है, तथा सातवीं योजना के दौरान उपकरण हेतु वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित अनुदान का बेकार उपकरण की प्रतिस्थापना के विचार से उपयोग किया जाना चाहिए अनुरक्षण अनुदान के विपथन द्वारा आरक्षित निधि के सृजन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के पास अनुदानों का संचय हुआ ।

8.10 शैक्षिक कार्यक्रम

पाठ्यक्रम	1987-88		1988-89		1989-90		प्रवेश क्षमता	वास्तविक क्षमता	कमी प्रतिशतता			
	प्रवेश क्षमता	वास्तविक क्षमता	प्रवेश क्षमता	वास्तविक क्षमता	प्रवेश क्षमता	वास्तविक क्षमता						
1. एम. फिल	152	160	-	-	178	167	11	6	219	168	51	23
2. पी. एच. डी.	304	277	27	9	375	344	31	8	490	392	98	20

8.10.1 छात्रों की संख्या में कमी

विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी समूह ने छठी योजना के अन्त में 6000 की छात्र संख्या पर विचार किया । कार्यकारी समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ 1974 में अगले 10 वर्षों में कुल 28 लाख वर्ग फुट के आच्छादित कुरसी क्षेत्र सहित भवनों के निर्माण की सिफारिश की । तथापि, अब तक (सितम्बर 1990) संस्वीकृत कुरसी क्षेत्र व निर्मित केवल 7.65 वर्ग फुट परिकल्पित किया गया था । इसके कारण विश्वविद्यालय के पास केवल 1884 छात्रों (जापानी तथा चीनी भाषा में तीन प्रमाणित पाठ्यक्रम, हेतु 85 छात्र, जो कि बाद में निरस्त किये गये क्योंकि इन पाठ्यक्रमों हेतु केवल 7 छात्र उपलब्ध थे, सहित) की प्रवेश क्षमता थी । 1884 की प्रवेश क्षमता के प्रति 23 प्रतिशत की कमी को दशति हुए 1989-90 में वास्तविक संख्या केवल 1454 थी । 1987-88 से 1989-90 तक एम. फिल तथा पी. एच. डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता तथा वास्तविक संख्या निम्नानुसार थी:-

एम.फिल पाठ्यक्रमों के मामले में 1988-89 में 6% की कमी, 1989-90 में 23% तक बढ़ गई तथा पी.एच.डी. के पाठ्यक्रम के मामले में 1988-89 में 8% की कमी 1989-90 में 20% तक बढ़ गई । विश्वविद्यालय ने 1989-90 में कमी को जून 1990 में प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों में अहर्ता की कमी पर आरोपित किया ।

8.10.2 अध्यापक-छात्र अनुपात

विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी समूह ने अध्यापक-छात्र का 1:10 का अनुपात अनुशंसित किया । वि.अ.आ. की निरीक्षण समिति ने सुझाव दिया कि पहले कुछ वर्षों में केवल एम.ए., एम.एस.सी., एम.फिल., पी.एच.डी. जैसे स्नातकोत्तर अध्ययनों को विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सुव्यवस्थित हो जाने के पश्चात विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर के +3 स्टेज हेतु अध्यापन के

सुव्यवस्थित पूर्व स्नातक कार्यक्रम आरंभ कर सकती है । विश्वविद्यालय के अनुसार 10 वर्षों के अंत में कार्यकारी समूह द्वारा अनुशंसित 28 लाख वर्ग फिट के प्रति अभी तक (सितम्बर 1990) संस्वीकृत भवन केवल 7.65 लाख वर्ग फिट (वर्ग फिट) के लिए था तथा इसलिए 1989-90 में प्रवेश क्षमता केवल 1884 थी तथा कोई पूर्वस्नातक पाठ्यक्रम आरंभ नहीं किये गये थे।

विश्वविद्यालय ने फरवरी 1991 में यह भी बताया कि 1:10 का अनुपात तब लागू होगा यदि पूर्वस्नातक पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किये जायें तथा वि.अ.आ. की निरीक्षण समिति ने विश्वविद्यालय की आवश्यकता के आधार पर अध्यापकों के पदों की संस्वीकृति की सिफारिश की तथा कोई अध्यापक-छात्र अनुपात वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था ।

तथापि, 1985-86 से 1989-90 के दौरान अध्यापक छात्र अनुपात 1:7 से 1:8 के बीच रहा जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:-

वर्ष	अध्यापकों की संस्वीकृत संख्या	अध्यापकों की वास्तविक संख्या	विद्यार्थी	अनुपात
1985-86	190	138	928	1:7
1986-87	190	156	1084	1:7
1987-88	251	182	1425	1:8
1988-89	251	182	1425	1:8
1989-90	251	194	1454	1:8

8.10.3 छोड़कर जाने वाले

स्नातकोत्तर छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां हैं जो कि ग्राह्य छात्रों को अदा की जा रही हैं। शिक्षावृत्तियां अनुसंधान छात्रों को अदा की जाती हैं। तथापि, विश्वविद्यालय, छात्रों से यह सुनिश्चित करने हेतु कि वे अपने पाठ्यक्रमों को पूरा करें तथा अनुसंधान छात्र पांच वर्षों की निर्धारित अवधि के भीतर अपनी अभिधारणा प्रस्तुत करें, कोई उचित बाण्ड प्राप्त करने हेतु कोई प्रणाली नहीं अपना रही थी। जून 1990 में लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 57 छात्रों जिन्होंने 1985-90 के दौरान 0.93 लाख रु. की राशि की छात्रवृत्ति प्राप्त की थी पाठ्यक्रम पूरा किये बिना छोड़ गये। यद्यपि विश्वविद्यालय ने जून 1990 में बताया कि 57 की संख्या में पुनः प्रवेश प्राप्त छात्र, सम्मिलित थे, उनके ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये गये। इसी प्रकार आठ

अनुसंधान छात्रों, जिन्होंने 1985 से 1990 के दौरान 1.27 लाख रु. की राशि की छात्रवृत्तियां प्राप्त की थी अनुसंधान छोड़ दिया। कार्यप्रणाली में दबावपूर्ण प्रावधान के अभाव में, छात्रों द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को पूरा होने से पहले छोड़ दिये जाने के कारण छात्रवृत्तियों/शिक्षावृत्तियों के भुगतान पर 1985-86 से 1989-90 के दौरान हुआ 2.20 लाख रु. का व्यय निष्फल हो गया।

8.11 स्टाक सत्यापन

विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने अक्टूबर 1985 में पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन

कराना निश्चित किया। विश्वविद्यालय के अनुसार पांच वर्षों की अवधि में प्रत्यक्ष सत्यापन का एक चक्र किया जाना आयोजित था। 1985 में स्टाक सत्यापन के पश्चात लगभग 70,000 पुस्तकों को शामिल करते हुए सत्यापन का प्रथम फेज 1989 में तथा 40,000 पुस्तकों को शामिल करते हुए दूसरा फेज 1990 में किया गया था। पहले फेज में 2000 खोई हुई पुस्तकों में से 400 का पता लगाया गया तथा दूसरे फेज में 1400 पुस्तकें खोयी हुई पायी गई। विश्वविद्यालय के अनुसार (सितम्बर 1990) खोई हुई पुस्तकें यथासमय तलाश कर ली जायेंगी तथा वास्तविक हानि एक चक्र अर्थात् 1993 के समापन के पश्चात निर्धारित हो सकेगी। सत्यापन द्वारा आवृत संख्या के संदर्भ में प्रथम फेज में सत्यापित 23 पुस्तकें प्रति 1000 पुस्तकों तथा दूसरे फेज में 35 पुस्तकें प्रति 1000 पुस्तकों की हानि उचित नहीं मानी जानी चाहिये तथा सम्पूर्ण सत्यापन के आदेश दिये जाने चाहिये थे।

8.12 निष्क्रिय मशीनरी एवं उपकरण

8.12.1 लिक्विड हेलियम संयंत्र

संयंत्र को रखने हेतु भवन का निर्माण पूरा न होने के कारण जुलाई 1980 में 15.64 लाख रु. की लागत पर उपार्जित लिक्विड हेलियम संयंत्र के न लगाये जाने पर 1980-81 के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई थी। संयंत्र को रखने हेतु भवन जो 1981 में प्रारंभ किया गया था तथा फरवरी 1982 तक पूरा होना अपेक्षित था वास्तव में मई 1983 तक पूरा हुआ था। यू.के.आधारित फर्म जिस पर आपूर्ति

आदेश दिया गया था से सिविल निर्माण कार्य हेतु इकाई के हैदराबाद पहुंचने से पहले ऐसे निर्माण कार्यों को तैयार करने हेतु खरीददार को समर्थ बनाने के लिये काफी पहले ब्लूप्रिंट, आरेखण तथा अन्य आवश्यकताओं की आपूर्ति अपेक्षित थी। यू.के. फर्म के स्थानीय एजेंट द्वारा प्रारंभ में दिये गए कच्चे नक्शे/ब्लूप्रिंट में कुछ खराबियां देखी गईं। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी। अन्तिम रूप से मार्च 1982 में स्थानीय एजेंट ने नक्शे/ब्लूप्रिंट सौंप दिये तथा तब निर्माण पूरा हुआ। यद्यपि संयंत्र सितम्बर 1983 में लगाया गया था, मार्ग के दौरान हुई क्षतियों के कारण यह चालू नहीं किया जा सका तथा क्षतियों 1984 तक उचित रूप से आंकी नहीं जा सकीं। संयंत्र, अन्तिम रूप से जनवरी 1989 में चालू किया गया। इस प्रकार संयंत्र को रखने हेतु भवन के निर्माण में विलम्ब तथा मार्ग में संयंत्र में हुई क्षतियों के कारण 15.64 लाख रु. की लागत पर अधिप्राप्त संयंत्र के चालू करने में लगभग दस वर्षों का विलम्ब हुआ। यू.के. फर्म को देय 1.70 लाख रु. तथा भारतीय एजेंट को देय 1.42 लाख रु. विश्वविद्यालय द्वारा रोक लिये गये थे तथा विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (फरवरी 1991), यह संयंत्र लगाने तथा चालू करने से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है तथा इन राशि के भुगतान पर निर्णय समय पर लिया जायेगा। जनवरी 1989 में संयंत्र के चालू हो जाने के बाद भी लिक्विड हेलियम के प्रयोग के साथ कोई भी परीक्षण नहीं किया गया था।

इस प्रकार, 15.64 लाख रु. का निवेश, चालू होने में विलम्ब के कारण 1989 तक अवरुद्ध रहा तथा अभी तक निष्फल रहा है (फरवरी 1991)।

8.12.2 मास स्पेक्ट्रोमीटर

डेटा प्रोसेसिंग यूनिट डी.एस.50 सहित एक मास स्पेक्ट्रोमीटर (मा.स्पे.-50) एक ब्रिटिश फर्म से 24.16 लाख रु.की लागत पर 1976 में खरीदा गया था। स्पेक्ट्रोमीटर तथा इसके सहायक उपकरण अक्टूबर 1976 से सितम्बर 1978 के मध्य प्राप्त किये गये थे। स्थल की तैयारी तथा अपेक्षित भवन के निर्माण में विलम्ब के कारण मास स्पेक्ट्रोमीटर अक्टूबर 1979 में लगाया गया था तथा डी.एस.- 50 डेटा प्रणाली नवम्बर 1979 में लगायी गई थी।

स्पेक्ट्रोमीटर के लिए लॉग बुक के अनुरक्षण के अभाव में उपकरण के कार्यकलाप का सत्यापन नहीं किया जा सका। विश्वविद्यालय ने नवम्बर 1987 में बताया कि उपकरण प्रारंभ से मामूली इलेक्ट्रॉनिक तथा वैकुम गड़बड़ी कर रहा था तथा मार्च 1981 से ये बार-बार और तेज हो गई, उस समय से नमूनों के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया गया था। स्पेक्ट्रोमीटर के लिए तकनीकी अधिकारी जनवरी 1987 में नियुक्त किया गया था।

मास स्पेक्ट्रोमीटर के कार्य न करने की जांच हेतु दिसम्बर 1987 में कुलपति द्वारा, गठित एक समिति ने नवम्बर 1988 में बताया कि उपकरण के कार्य न करने के कारणों में निम्न थे:

(i) पूर्णतया अहर्ताप्राप्त तथा प्रशिक्षित कर्मचारी का

अभाव तथा

(ii) निर्बाध एवं स्थिर विद्युत आपूर्ति ।

समिति ने अवलोकन किया कि 1980-86 के दौरान, सम्बन्धित प्रोफेसर द्वारा बार-बार अनुरोधों के बावजूद एक भी तकनीकी व्यक्ति भरती करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था तथा फर्म के भारतीय एजेंट का व्यवहार तथा सुविज्ञता असंतोषजनक थी तथा जिसने उपकरण को चालू रखना और कठिन बना दिया । भारतीय एजेंट की योग्यता को पूर्ण रूप से सुनिश्चित किये बिना स्पेक्ट्रोमीटर की खरीद, भवन के निर्माण में विलम्ब तथा आवश्यक तकनीकी कर्मचारी की अव्यवस्था के कारण 24.16 लाख रु. की लागत पर अधिप्राप्त उपकरण किसी लाभकारी प्रयोग के लिए नहीं लगाया गया । मशीन को ठीक करने में विलम्ब के संबंध में विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (फरवरी 1991) कि विदेशी आपूर्तिकर्ता तथा भारतीय एजेंट के साथ वारंटी अवधि समाप्त हो चुकी थी तथा दोनों के पास इस विशेष मॉडल जिसे वे अब निर्मित नहीं करते थे, पर प्रशिक्षित सेवा अभियंता नहीं थे । तथापि, वे मशीन की सर्विस मैनुअल मुहैया कराने पर सहमत हो गये थे । विश्वविद्यालय ने यह भी बताया कि कुछ इकाईयों की मरम्मत उपलब्ध स्टाफ द्वारा करायी गयी थी तथा कमजोर वैक्यूम की समस्या, उच्च वैक्यूम पहलू पर कार्य कर रही निजी संस्थानों की सहायता से सुलझायी जानी प्रस्तावित थी ।

8.12.3 कम्प्यूटर केन्द्र

वि.अ.आ. के अनुदानों से निम्न प्रणालियों सहित

विश्वविद्यालय में 65 लाख रु. की लागत पर 1985 में एक कम्प्यूटर केन्द्र संस्थापित किया गया था:

(i) 12 टर्मिनलों सहित इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स आफ इण्डिया मेग्नेटम 6060 (आई.सी.आई.एम.) (लागत 39.80 लाख रु., दिसम्बर 1985 में स्थापित) ।

(ii) 5 टर्मिनलों सहित ओमेगा 58000 (लागत 17.70 लाख रु. दिसम्बर 1985 में स्थापित) ।

(iii) एच.सी.एल. मेग्नेम । (लागत 7.50 लाख रु. मार्च 1990 में स्थापित) ।

ओमेगा 58000 तथा आई.सी.आई.एम. 6060 कम्प्यूटर प्रणालियां मुख्यतः विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्टाफ तथा विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग में लायी गयी थी । अप्रैल 1983 में कम्प्यूटर केन्द्र हेतु वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय को कम्प्यूटर सुविधा तथा सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए था तथा उपलब्ध कोई खाली समय बाहरी उपयोगकर्ताओं को बेच दिया जाना चाहिये था । वि.अ.आ. से उपलब्ध अनुदानों के अतिरिक्त, संचालनात्मक लागत के आवर्ती व्यय के लिए दायित्व को पूरा करने के पश्चात रहे शेष को, कम्प्यूटर की आवश्यकताओं के लिए प्रयोग होने वाली आरक्षित निधि के रूप में रखा जाना था तथा इसे विश्वविद्यालय की सामान्य आय के रूप में नहीं माना जाना था । तथापि, यह अवलोकित किया गया कि आई.सी.आई.एम. 6060 के मामले में 1989-90 के दौरान उपलब्ध अनुमानित फालतू समय, प्रतिमाह

4320 घंटे के कुल उपलब्ध समय (78 प्रतिशत) में से 3375 घण्टे था तथा ओमेगा 58,000 के मामले में प्रतिदिन के लिये गये 12 घंटे के समय पर आधारित यह लगभग 1800 घण्टे प्रति माह (72 प्रतिशत) में से लगभग 1301 घण्टे था । इस प्रकार 1989-90 के दौरान यद्यपि कम्प्यूटर केन्द्र का अप्रयुक्त फालतू समय औसत तौर पर 76 प्रतिशत था, कम्प्यूटर केन्द्र 1989-90 में केवल एक बाहरी कार्य "नवोदय विद्यालय समिति के लिए भरती प्रक्रिया के अन्तिम रूप दिया जाना" के लिए प्रयोग किया गया था ।

कम्प्यूटर केन्द्र के लिये अलग लेखे अनुरक्षित नहीं किये गये थे तथा बाहरी एजेंसियों, शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों तथा वि.अ.आ. के अलावा अन्य एजेंसियों द्वारा दी गई निधियों से वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाओं के प्रयोगकर्ताओं से वसूली के लिए कोई दरें निश्चित नहीं की गई थीं । विश्वविद्यालय ने कम उपयोग को, नये परिसर में कम्प्यूटर केन्द्र के अन्तरण, विद्युत की कमी तथा अबाधित विद्युत आपूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोत के अभाव पर, आरोपित किया । तथापि, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया, (जून 1990)

कम्प्यूटर समय का नुकसान केवल लगभग एक माह (360 कम्प्यूटर घण्टे) था । विद्युत कटौती केवल नवम्बर 1989 से आगे लागू थी तथा क्योंकि विद्युत कटौती एक वार्षिक रवैया था वैकल्पिक अबाधित विद्युत आपूर्ति हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए थी । यद्यपि विश्वविद्यालय ने अनुमान लगाया कि इस प्रकार की व्यवस्था की लागत लगभग 20 लाख रु. होगी, इसके लिए सातवीं योजना में कोई प्रावधान नहीं किया गया था । यद्यपि विश्वविद्यालय द्वारा यह बताया गया था कि प्रणालियों का पूर्णतया उपयोग किया गया था उनके 1987 से पहले के पूर्ण ब्यौरे इस आधार पर तैयार नहीं किये गये थे कि कुछ लॉग बुक खो गई थी । यह भी दावा किया गया था कि क्योंकि तकनीक सुधारी जा रही थी इन प्रणालियों के लिए प्रयोगकर्ता कम से कम होते जा रहे थे ।

8.12.4 अन्य निष्क्रिय मशीनरी एवं उपकरण

यह देखा गया था कि 8.99 लाख रु. की लागत पर अधिप्राप्त उपकरण एवं मशीनरी की आठ मंदा निष्क्रिय पड़ी हुई थी जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:-

उपकरण का नाम	खरीद का वर्ष/महीना (लाख रु. में)	मूल्य	वर्ष/माह जब से निष्क्रिय	विश्वविद्यालय द्वारा टिप्पणी
1. लेसर सहित लेसर रोमन स्पेक्ट्रोमीटर	1978	5.35	1984	एक नयी लेसर ट्यूब खरीदी गयी थी तथा

लगायी जानी थी ।

2. मैट्रोलोजिक लेसर 1982 1.10 जनवरी 1987 लेसर अपनी उप-
योगिता अबधि पूरी
कर चुका था ।
3. विद्युत आपूर्ति सहित
ही-नी लेजर 1979 0.08 नवम्बर 1984 इसके निपटान के
लिए कार्यवाही की
जायेगी ।
4. तोशीबा प्लेन
पेपर कॉपियर अक्टू. 1982 0.95 दिसम्बर 1985 -तदैव-
5. डी. सी. एम.
डेटामेटिक
स्पेक्ट्रम (पुराना
कम्प्यूटर) 1979-80 0.77 अगस्त 1987 -तदैव-
6. इम्पाला इंटर
काम फैसिलिटी 1982-83 0.27 जनवरी 1986 मामला जॉचाधीन
था ।
7. कोरेस्टेट
कापिअर अप्रैल 1977 0.25 अप्रैल 1985 इसे कार्यान्वित करने
के प्रयास किये जा
रहे थे ।
8. इलैक्ट्रानिक
टाइपराइटर मार्च 1981 0.22 नवम्बर 1987 इसको कार्ययोग्य
बनाने के लिए
प्रयास किये जायेगे

8.13. स्टोर एवं स्टॉक लेखे

विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय में निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु 1974 में अपने प्रारंभ से ही अपने इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की थी । विश्वविद्यालय की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए सुरक्षित स्टॉक सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु वि.अ.आ. ने दिसम्बर 1984 में 10 लाख रु. का एक अनुदान जारी किया । यद्यपि सितम्बर 1985 में विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विंग ने सुरक्षित स्टॉक लेखा के अनुरक्षण का निर्णय लिया था परन्तु स्थल पर सामग्री लेखे के अधीन शेषों के अंतरण न होने के कारण प्रणाली कार्यान्वित नहीं हुई थी (जून 1990) । केवल पूर्ण हुए कार्यों की कुछ फालतू मदें सुरक्षित स्टॉक को अन्तरित की गई थी तथा मार्च 1990 के अन्त में इस लेखे के अधीन शेष विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किये गये 10 लाख रु. के अनुदान के प्रति 5.69 लाख रु. था ।

रखे गये सुरक्षित स्टॉक में अप्रैल 1986 से पूर्व अधिप्राप्त (अधिप्राप्ति की वास्तविक निधियाँ विश्वविद्यालय द्वारा नहीं बतायी गई थीं) 0.85 लाख रु. मूल्य के एम.एस.एगल्स, प्लेटें, आर.सी.सी. पाइपें तथा ए.सी. शीटें जैसे अन्य भण्डारों से अलावा 0.53 लाख रु. मूल्य के 223 डामर के ड्रम नवम्बर 1978 से स्टॉक में पड़े हुए थे । विश्वविद्यालय ने डामर के ड्रमों को स्टॉक में एक दशक से अधिक के लिए रखने के कारणों तथा क्या सामग्री प्रयोग के लिए अभी उपयुक्त थी, नहीं बताया ।

विश्वविद्यालय ने सितम्बर 1990 में बताया कि

निर्माण कार्यों के "स्थल पर सामग्री" लेखे के अन्तर्गत शेषों को 1990-91 के लिए लेखे में सुरक्षित स्टॉक में अन्तरित कर दिया था तथा 1986 से पूर्व उपाजित सामग्री के उपयोग/निपटान के लिए कार्यवाही की जा रही थी । डामर ड्रमों से संबंधित मामला जाँच अधीन था ।

8.14 खुला प्रेक्षागृह

एक दीक्षान्त समारोह की उस समय की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने हेतु मार्च 1985 में खुले प्रेक्षागृह के एक भाग के रूप में 1.29 लाख रु. की लागत पर जिसके लिए वि.अ.आ. से 5.78 लाख रु. अनुमानित लागत का अनुमोदन अप्रैल 1986 में प्राप्त कर लिया गया था, एक प्लेट फार्म का निर्माण कराया गया था । तथापि, क्योंकि प्रेक्षागृह के डिजाइन को 1988 तक अन्तिम रूपन ही दिया गया था, इस कार्य हेतु सितम्बर 1986 व नवम्बर 1986 में आमंत्रित निविदाएं अस्वीकार कर दी गई थीं तथा वि.अ.आ. द्वारा अनुदान जारी नहीं किया गया था क्योंकि अपेक्षित निविदा सूचना विश्वविद्यालय द्वारा जून 1990 तक नहीं भेजी गई थी । इसलिए 1.29 लाख रु. का व्यय अन्य अनुदानों से निधियों के विपथन द्वारा किया गया था । प्रेक्षागृह के निर्माण के लिए प्रगस्ताव भी 1987-88 में अभिनयकला के विद्यालय के प्रारंभ होने के परिणामस्वरूप नवम्बर 1989 में स्थगित कर दिया गया था । इस प्रकार यद्यपि वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदन अप्रैल 1986 में कर दिया गया था, विश्वविद्यालय खुले प्रेक्षागृह से सज्जित नहीं था तथा 1.29 लाख रु. की

लागत के प्लेटफार्म के निर्माण के व्यय को वि.अ.आ. द्वारा विनियमित किया जाना शेष था ।

8.15 विद्युत प्रभारों की गैरवसूली के कारण हानि

विश्वविद्यालय ने अपने प्रयोग के लिए तथा अपने परिसर में रह रहे व्यक्तियों तथा निजी पार्टियों के प्रयोग के लिए थोक में विद्युत आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (आं.प्र.रा.वि.बो.) से खरीदी । स्टाफ क्वार्टरों तथा वाणिज्यिक संस्थानों द्वारा अधिकार में लिये गये भवनों को विद्युत इसके उप-स्टेशन से अन्तरिम वितरण लाइनों के जरिये आपूर्त की जाती है । जबकि जुलाई 1987 से मार्च 1990 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा आं.प्र.रा.वि.बो. को विद्युत उपयोग प्रभारों के लिए भुगतान की गई दरें उच्च प्रतिबल उपभोक्ता के रूप में 0.80 रु. से 1.17 रु. प्रति यूनिट के बीच थी, घरेलू उपभोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा वसूली हेतु नियत दरें उसी अवधि के दौरान 0.48 रु. से 0.53 रु. प्रति यूनिट थी । जून 1990 में विश्वविद्यालय द्वारा यह बताया गया था कि यदि उच्च प्रतिबल दरें घरेलू उपभोक्ताओं से वसूल की गयी होती तो स्टाफ, स्टाफ क्वार्टर के लिये न्यूनप्रतिबल (न्यू.प्र.) कनेक्शनों के लिए मांग करता तथा स्टाफ क्वार्टरों के लिए अलग न्यू.प्र. कनेक्शन लेना विश्वविद्यालय के लिए मितव्ययी न होगा । तथापि, विश्वविद्यालय द्वारा नियत दरें, उसी प्रकार के (न्यू.प्र.) उपभोक्ताओं के लिए आं.प्र.रा.वि.बो. के टैरिफ की अपेक्षा कम थी जो इस अवधि के दौरान 0.55 रु. से 0.65 रु. प्रति यूनिट के आस-पास थीं । आगे, यह देखा गया कि यद्यपि

क्वार्टरों में मीटर लगा दिये गये थे, मीटर रीडिंग के आधार पर वास्तविक उपभोग के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा घरेलू आपूर्ति हेतु विद्युत प्रभार नहीं लगाये जा रहे थे । लेकिन वसूलियां दिसम्बर 1988 तक 25/- प्रति माह तथा जनवरी 1989 से आगे ग.घ तथा ड. क्वार्टरों के लिये 30/- रु. प्रति माह तथा क और ख क्वार्टरों हेतु 60/- रु. प्रतिमाह की स्लैब दर पर की जा रही थीं । विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया कि मीटर रीडर की नियुक्त विचाराधीन थी तथा वसूलियां वास्तविक उपभोग पर आधारित की जायेगी ।

सभी स्टाफ क्वार्टरों के संबंध में प्रतिमाह अनुमानित उपभोग 23,400 यूनिट प्रतिमाह था । जबकि विश्वविद्यालय ने आ.प्र.रा.वि.बो. को जुलाई 1987 से मार्च 1990 के दौरान 7.38 लाख रु. (समायोजन प्रभारों, शास्ति ब्याज आदि को छोड़कर) का भुगतान किया, विश्वविद्यालय द्वारा नियत दरों पर कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि केवल 3.88 लाख रु. होगी । यदि दरें आ.प्र.रा.वि.बो. के टैरिफ के न्यू प्रति पर नियत होती तो वसूली योग्य राशि 4.48 लाख रु. होती तथा हानि कम की जा सकती थी ।

8.16 बस सेवायें

विश्वविद्यालय ने इस आधार पर कि रो.प.नि. द्वारा विश्वविद्यालय परिसर तक कुछ चक्कर विश्वविद्यालय की पूरी आवश्यकताओं के पूरा करने में पर्याप्त नहीं होंगे अपने छात्रों तथा लगभग 2665 के स्टाफ को आने-जाने की सुविधाएं प्रदान करने हेतु

रो.प.नि. बसों को किराये पर लेने के अतिरिक्त, 18.11 लाख रु. के एक निवेश को अंतग्रस्त करते हुए छः बसों के एक बेड़े को अनुरक्षित किया। 1985-86 से 1989-90 के दौरान 23.64 लाख रु. इनकी अपनी बसों के अनुरक्षण पर तथा 23.12 लाख रु. रो.प.नि. को किराया प्रभारों पर व्यय किये गये। बस सेवाओं के प्रावधान पर किये गये 46.76 लाख रु. के प्रति इस अवधि के दौरान बस सेवाओं से प्राप्त राजस्व 10.30 लाख रु. था। 36.46 लाख रु. का शेष व्यय विश्वविद्यालय द्वारा आर्थिक सहायता रूप में दिया गया था लेकिन यह वि.अ.आ. से विशेष अनुमोदन द्वारा आवृत नहीं था। विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों (जो विश्वविद्यालय परिवहन सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे थे) द्वारा लिये गये रो.प.नि. बस प्रभारों के भाग के रूप में नवम्बर 1988 तक 39 रु. से 56 रु. के बीच प्रति माह तथा दिसम्बर 1988 से 66 रु. से 88 रु. प्रतिमाह का भुगतान किया। 1985-86 से 1989-90 के दौरान इस लेखे पर इसके कर्मचारियों को 9.74 लाख रु. की राशि का भुगतान किया गया। यह भुगतान भी वि.अ.आ. से विशेष संस्वीकृति द्वारा नहीं था। विश्वविद्यालय इस बात पर दृढ़ था कि कार्यकारी परिषद ने यह सुविधा एक अस्थायी रियायत के रूप में प्रदान की थी। तथापि समिति द्वारा, अगस्त 1988 में जारी वि.अ.आ. के परिपत्र में वर्णित मार्ग निर्देशी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यकारी समिति के इस निर्णय के लिए वि.अ.आ. का विशेष अनुमोदन अपेक्षित था।

8.17 भूमि विकास

आं.प्र. राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को 2300 एकड़ भूमि इस शर्त के अधीन कि भूमि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लक्ष्य हेतु प्रयोग की जानी चाहिए, फरवरी 1975 में आबंटित की। 15 वर्षों के बाद भी केवल 600 एकड़ (26 प्रतिशत) भूमि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई थी। विश्वविद्यालय के अनुसार 2300 एकड़ भूमि के लिए बड़ी मात्रा में निधियों की आवश्यकता थी तथा निधियों की कमी के कारण वि.अ.आ., विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी समूह द्वारा चौथी योजना के अन्त तक अनुशंसित 28.00 लाख वर्ग फुट के प्रति केवल लगभग 7.65 लाख वर्ग फुट कुर्सी क्षेत्र वाले भवन का निर्माण संस्वीकृत कर सका, तथा इसलिए 2300 एकड़ का विकास केवल फेजों में हुआ। विश्वविद्यालय ने यह भी बताया कि (सितम्बर 1990) कि 120 एकड़ भूमि आं.प्र. राज्य सरकार को जिला मुख्यालय परिसर, विद्युत सब-स्टेशन, रो.प.नि. डिपो आदि की स्थापना हेतु आबंटित की गई थी तथा 1382 एकड़ सामाजिक वानिकी हेतु फेजों में विकसित की जा रही थी। विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तथा व्यवसाय प्रबंधन प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना हेतु भी प्रस्ताव किया। विश्वविद्यालय के अनुसार, उन्होंने 10-15 वर्षों के लिए एक संदर्श योजना बनायी थी, जिसमें अन्य कार्यक्रमों के साथ विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग तथा तकनीकी विद्यालय

तथा एक शिक्षा विद्यालय प्रारंभ करना प्रस्तावित किया।

मामला मंत्रालय को अगस्त 1990 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 1991)।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

9. माल गोदाम तथा कार्यालय खंडों का निर्माण

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) को अपने परिसर की स्थापना हेतु 720 बीघे के माप की भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गांव मैदान गढ़ी में सितम्बर 1985 तथा दिसम्बर 1987 में आबंटित की गई थी। दिसम्बर 1985 में व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) के निर्णय के अनुसार, परिसर के सभी निर्माण कार्यों का निष्पादन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) के माध्यम से किया जाना था। अप्रैल 1986 में, विश्वविद्यालय ने निर्णय किया कि निर्माण कार्य दिल्ली प्रशासन के लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) के माध्यम से इस तर्क पर करा लिया जाए कि वह एक स्थानीय एजेंसी होने के नाते स्थानीय प्राधिकारियों से परियोजना की निकासी शीघ्र करवाने के लिए सक्षम होगी। लो.नि.वि. ने, जून 1986 में अर्ध स्थाई भवन - 12 खंडों के निर्माण हेतु 180.33 लाख रुपए के प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत किये। जुलाई 1987 में, भूमि का "कृषि हरित पट्टी" से सांस्थानिक प्रयोग के लिए परिवर्तन अनुमत करते हुए, सरकारी अधिसूचना के जारी होने के बाद, विश्वविद्यालय ने सितम्बर 1987 में

जैसे कि उसके द्वारा मांग की गई थी अनुमानित लागत के 40 प्रतिशत के प्रति लो.नि.वि. के पास 72 लाख रु. जमा करवाए थे। निर्माण कार्य सपुर्दगी तिथि से 16 महीनों के अन्दर समाप्त किया जाना था।

जनवरी 1988 में, विश्वविद्यालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मंत्रालय) से जैसे भी व्यवहार्य समझा जाए, के.लो.नि.वि. सहित किसी भी एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य करवाए जाने के लिए खुली छूट दिये जाने हेतु सम्पर्क किया। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय ने न तो, लो.नि.वि. को कार्य सपुर्द करने के अपने अप्रैल 1986 के पूर्व निर्णय तथा उसके द्वारा अनुमानों की तैयारी का हवाला दिया था और न ही उसके पास कार्य हेतु 72 लाख रु. की जमा राशि के बारे में बताया था। मार्च 1988 में मंत्रालय ने, व्य.वि.स. द्वारा निर्धारित शर्तों के शिथिलन में निर्माण कार्य हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (हि.प्री.लि.) को सौंपने हेतु, सरकार का अनुमोदन सम्प्रेषित किया। विश्वविद्यालय ने मई 1988 में हि.प्री.लि. के साथ "लागत जमा आधार पर" अस्थाई सरचना (छः कार्यालय खंडों) तथा माल गोदाम (तीन खंडों) के निर्माण के लिए एक समझौता किया। मई 1988 में हि.प्री.लि. द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुमानों के अनुसार, निर्माण कार्य की लागत का अनुमान 189.23 लाख रु. लगाया गया था। निर्माण कार्य जून 1988 में प्रारम्भ किया गया था तथा नौ मास के अन्दर अर्थात् फरवरी 1989 तक समाप्त किया जाना निर्धारित किया गया था।

विश्वविद्यालय ने मार्च 1988 में लो.नि.वि. से सितम्बर 1987 में अदा की गई 72 लाख रु. की अग्रिम जमा राशि की वापसी के लिए सम्पर्क किया । लो.नि.वि. ने उसके द्वारा बनाई जाने वाली अहाता दिवार के निर्माण से सम्बद्ध 1.45 लाख रु. सहित विभागीय प्रभारों के प्रति 5.89 लाख रु. काट लेने के पश्चात मई 1988 में 66.11 लाख रु. वापिस कर दिए थे । इस प्रकार 66.11 लाख रु. राशि की निधियां छः महीनों से ज्यादा लो.नि.वि. के पास अवरुद्ध रही थीं । किसी निर्माण कार्य के निष्पादन के बिना विभागीय प्रभारों के प्रति लो.नि.वि. द्वारा रोक लिया गया 4.44 लाख रु. का व्यय भी निष्फल हुआ था । विश्वविद्यालय ने मार्च 1990 में बताया कि 4.44 लाख रु. के व्यय को निष्फल परिभाषित नहीं किया जा सकता था क्योंकि लो.नि.वि. द्वारा तैयार किए गए अनुमानों का विश्वविद्यालय द्वारा, हि.प्री.लि. द्वारा बाद में निष्पादित निर्माण कार्यों की लागत पर नियंत्रण रखने में प्रयोग किया गया था । विश्वविद्यालय का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि हि.प्री.लि. के साथ किए गए समझौते के अनुसार उस एजेंसी ने अपने स्वयं के अभिकल्पों (पूर्वनिर्मित ढांचों) पर आधारित नए अनुमान तैयार किये थे ।

विश्वविद्यालय ने, 20 मई 1988 को हि.प्री.लि. के पास 28.38 लाख रु. की प्रारम्भिक जमा राशि तथा 189.23 लाख रु. के निर्माण की अनुमानित लागत के 15 तथा 10 प्रतिशत (दो किशतें) से गणना करते हुए 20 जुलाई तथा 16 अगस्त 1988 को प्रत्येक

18.92 लाख रु. की दो अन्य राशियाँ जमा कराई थीं । विश्वविद्यालय ने निर्धारित समापन तिथि अर्थात् फरवरी 1989 तक हि.प्री.लि. को 66.23 लाख रु. तथा जून 1990 तक 178.69 लाख रु. का कुल भुगतान किया था । अभी तक कार्य भी सम्पन्न नहीं किया गया था (जून 1990) । विश्वविद्यालय ने जून 1990 में बताया कि अगस्त 1989 तथा जनवरी 1990 के बीच छः संरचनाएं अधिप्राप्त कर ली गई थीं । समापन में देरी के कारण विश्वविद्यालय ने मार्च 1990 तक अपने कार्यालयों हेतु किराए पर 39.21 लाख रु. का व्यय वहन किया था तथा इस मद पर प्रति मास 0.86 लाख रु. का अतिरिक्त खर्च वहन किया जाना अभी तक जारी था । विश्वविद्यालय ने मार्च 1990 में बताया कि देरी के कारणों, की यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच की जानी थी कि क्या देरी ठेकेदार की ओर से गलती के कारण थी अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भिक योजना में परिवर्तन/रद्दोबदल, यदि कोई था, के कारण थी । मंत्रालय ने दिसम्बर 1990 में बताया कि समझौते की शर्तों के अनुसार, हि.प्री.लि. अपने ठेकेदारों से देरी हेतु क्षतिपूर्ति वसूल करने के लिए हकदार थी जो कि विश्वविद्यालय को आगे दी जानी थी तथा कि विश्वविद्यालय ने मामले में अन्तिम निर्णय के लम्बित रहते हि.प्री.लि. के अन्तिम बिल से कुल लागत का 5 प्रतिशत अनन्तिम रूप से रोक लिया था ।

विश्वविद्यालय ने जैसा कि ठेके में प्रावधान था, भुगतान करने से पहले हि.प्री.लि. के लेखा वाउचरों,

बीजकों इत्यादि की किसी प्रकार की जांच नहीं की। मंत्रालय ने दिसम्बर 1990 में बताया कि हि.प्री.लि. द्वारा कार्य के निष्पादन की विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अपेक्षित जांच पड़ताल विधिवत की गयी थी परन्तु लेखा परीक्षा को जाँच हेतु कोई जांच पड़ताल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये थे। मंत्रालय ने यह भी बताया था कि हि.प्री.लि. का अन्तिम बिल प्राप्त हो गया था तथा लेखों का निरीक्षण प्रगति में था।

इस तरह, मामले से पता चलता था कि विश्वविद्यालय ने निष्पादन एजेसी परिवर्तित कर दी थी जिसके परिणामस्वरूप देरी तथा लागत वृद्धि हुई थी। लो.नि.वि. द्वारा विभागीय प्रभारों के प्रति रोका गया 4.44 लाख रु. का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ था। लो.नि.वि. से निर्माण कार्य की वापसी तथा इसे हि.प्री.लि को देने के कारण कार्य का शीघ्र निष्पादन नहीं हुआ था। निर्माण कार्य के समापन में देरी हुई थी जिस से विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत निजी भवनों के किराए के रूप में 39.21 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय आवश्यक हुआ था। विश्वविद्यालय ने विलम्ब के कारणों की जाँच नहीं की थी।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

10. भूमि का अधिग्रहण तथा भवनों का निर्माण

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (संस्थान), देश में संस्कृत ज्ञान के विकास तथा प्रोत्साहन के लिए समिति

पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में 1970 में संस्थापित किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य संस्कृत सीखने तथा अनुसंधान को प्रचारित, विकसित तथा प्रोत्साहित करना है तथा यह सभी केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों के प्रबंध के लिए एक केन्द्रीय प्रशासनिक एवं समन्वय तंत्र के रूप में कार्य करता है।

(i) जयपुर में भूमि का अधिग्रहण

संस्थान को, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ जयपुर हेतु कार्यालय भवन, रिहायशी आवास तथा छात्रावास के निर्माण हेतु 15.48 लाख रुपये की लागत पर जयपुर विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) द्वारा जून 1986 में पट्टे पर जयपुर में 7.27 एकड़ भूमि आबंटित की गयी थी। यह स्थल मंत्रालय तथा संस्थान द्वारा विद्यापीठ के संस्थापन हेतु उपयुक्त होने वाला विचारा गया था तथा संस्थान ने मार्च 1986 में प्राधिकरण को भूमि की लागत के रूप में 15.48 लाख रुपये का भुगतान किया।

तथापि, संस्थान ने जून 1986 में भूमि पर कब्जा नहीं लिया क्योंकि (i) आबंटित भूमि का 7.27 एकड़ क्षेत्र इसकी 15 एकड़ की आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त था तथा (ii) भूमि एक गहरे नाले के निकट थी और निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं थी। संस्थान ने राजस्थान सरकार से फरवरी 1987, फरवरी 1988, मार्च 1988 तथा दिसम्बर 1989 में स्थल बदलने तथा पट्टा प्रभारों के भुगतान से छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध किया। राजस्थान सरकार पट्टा प्रभारों की छूट से सहमत नहीं हुई तथा संस्थान ने अंत में फरवरी

1990 में प्लाट का कब्जा ले लिया।

इससे भवन के निर्माण आरंभ होने में विलम्ब हुआ तथा मार्च 1986 में भूमि की लागत के रूप में भुगतान की गयी 15.48 लाख रुपये की राशि अवरुद्ध रही। संस्थान, जयपुर में केवल अपने वर्तमान कार्यालय परिसर के लिए ही किराये पर 1.82 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च कर रहा था।

(ii) कलकत्ता में भूमि का अधिग्रहण

जुलाई 1986 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मंत्रालय) ने संस्थान द्वारा एक केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित करने हेतु कलकत्ता में 1.79 एकड़ भूमि का अधिग्रहण अनुमोदित किया। तथापि, आवर्ती तथा अनावर्ती लागत को इंगित करते हुए विद्यापीठ की स्थापना हेतु विस्तृत योजना तैयार नहीं की गई थी तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं कराई गई थी। संस्थान ने भूमि के आबंटन हेतु कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण कलकत्ता (क म वि प्रा) को अक्टूबर 1986 तथा मार्च 1988 के बीच किशतों में 27.08 लाख रुपये का भुगतान किया। क म वि प्रा ने जनवरी 1988 में संस्थान को 1.79 एकड़ भूमि आबंटित की। संस्थान ने भूमि पर अभी तक कब्जा नहीं लिया था (जून 1990)।

दिसम्बर 1987 में, संस्थान द्वारा संसाधित कलकत्ता में एक विद्यापीठ की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव, वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई 1988 में इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था कि पहले से स्थित इस प्रकार के आठ संस्थानों की पूर्ण क्षमता का

उपयोग पहले आवश्यक था।

संस्थान ने जून 1990 में बताया कि भूमि पर कब्जा नहीं लिया गया था क्योंकि विद्यापीठ खोलने के प्रस्ताव को मंत्रालय से सहमति नहीं हुई थी तथा मामला आगे बढ़ाया जा रहा था। इस प्रकार विद्यापीठ खोलने के लिए सरकार का पहले अनुमोदन प्राप्त किए बिना कलकत्ता में भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप 27.08 लाख रुपये की निधियों का परिहार्य अवरोधन तथा दस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से राशि पर परिकलित जून 1990 तक 6.99 लाख रुपये के ब्याज की राशि की हानि हुई।

इस प्रकार 42.56 लाख रुपये की कुल राशि अवरुद्ध रही और जयपुर तथा कलकत्ता में खरीदी गयी भूमि अप्रयुक्त रही। इसके अतिरिक्त, संस्थान का जयपुर में किराये पर लिए गए परिसर के किराये पर 1.82 लाख रुपये प्रतिवर्ष का व्यय वहन करना जारी रहा।

मामला जुलाई 1990 में मंत्रालय को भेजा गया था। मंत्रालय ने तथ्यों की नवम्बर 1990 व मार्च 1991 में पुष्टि की।

दिल्ली विश्वविद्यालय

11. अनियमित भुगतान

अप्रैल 1985 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि अ आ) ने, जनवरी 1973 से दिल्ली विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) के वरिष्ठ

प्रयोगशाला सहायकों (व प्र स) का वेतन मान 380-560 रुपये से 425-640 रुपये संशोधित करने का अपना अनुमोदन इस शर्त पर कि इस संबंध में कोई बकाया अदा नहीं किया जाएगा तथा यह परिकल्पित संशोधन के रूप में माना जाएगा, प्रेषित किया । तदनुसार, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (परिषद) ने अक्टूबर 1985 में, वि अ आ द्वारा सहमत शर्तों पर व प्र स का वेतन मान 425-640 रुपये संशोधित करने का संकल्प पारित किया । परिषद ने यह भी संकल्प किया कि वि अ आ को संशोधन को परिकल्पित रूप में मानने का ही अनुरोध न किया जाए बल्कि जनवरी 1973 से संबंधित पदस्थों को वेतन बकाया दिया जाए ।

तथापि, वि अ आ जनवरी 1973 से पदस्थ व प्र स को बकायों के भुगतान के लिए दिसम्बर 1985 से तथा पुनः नवम्बर 1988 में किए गए विश्वविद्यालय के प्रस्तावों से सहमत नहीं हुआ (फरवरी 1989) । फिर भी , विश्वविद्यालय ने जून 1989 में, सभी प्राचार्यों /विभागाध्यक्षों को, अप्रैल 1985 तक 425-640 रुपये के संशोधित वेतन मान में रखे गये व प्र स को बकायों के भुगतान करने के लिए, परिपत्र जारी किया । इसके साथ साथ, जून 1989 में विश्वविद्यालय ने वि अ आ से जनवरी 1973 से अप्रैल 1985 की अवधि तक के लिए बकायों के भुगतान हेतु विश्वविद्यालय तथा इसके महाविद्यालयों को निधियां जारी करने के लिए आवश्यक अनुदेश देने के लिए अनुरोध किया । वि अ आ ने सितम्बर 1989 में

विश्वविद्यालय का अनुरोध स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि इससे अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए समस्या उठ खड़ी होगी । इस प्रकार से, वि अ आ के अनुदेशों के उल्लंघन में, व प्र स के वेतनमान के संशोधन के कारण बकायों के भुगतान के परिणामस्वरूप 26.17 लाख रुपये का अनियमित व्यय हुआ ।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1989 तथा अक्टूबर 1990 के दौरान बताया कि इसने न तो अपने बजट में बकायों के भुगतान के लिए निधियों की आवश्यकता को शामिल किया था न ही इस उद्देश्य के लिए वि अ आ से कोई अनुदान प्राप्त किया था । विश्वविद्यालय ने यह भी बताया कि परिषद के पास प्रशासकीय, शासकीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करने तथा ऐसे पदों की उपलब्धियां सुनिश्चित करने की शक्तियां थीं तथा वि अ आ को संदर्भ केवल व्यय पूरा करने हेतु अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए था ।

विश्वविद्यालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था, चूंकि, विश्वविद्यालय के पास यद्यपि प्रशासकीय, शासकीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करने की शक्तियां थीं, वेतन के विद्यमान मानों के संशोधन के लिए वि अ आ का पूर्व अनुमोदन आवश्यक था (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदानों के भुगतान के लिए वि अ आ के मार्गनिर्देशों के अनुसार) तथा वि अ आ, व प्र स के वेतनमानों के संशोधन पर इस शर्त के अंतर्गत सहमत हो गया था कि संशोधन के लिए कोई बकायों का भुगतान नहीं किया जाएगा, पुनः

विश्वविद्यालय, वि अ आ द्वारा पूर्णतः निधि प्रदत्त था तथा वि अ आ ने अनुमोदित वेतनमानों के आधार पर सहायता की मात्रा सुनिश्चित की थी ।

अगस्त 1990 में, मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था ; अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मई 1991) ।

नवोदय विद्यालय समिति

12. ठेकेदार को अग्रिम भुगतान

नवोदय विद्यालय, गालीबीडू, कोडागू जिला कर्नाटक, नवोदय विद्यालय समिति (समिति) का एक स्कूल, जनवरी 1987 से उनके अपने भवनों का निर्माण लम्बित होने के कारण राज्य सरकार जूनियर महाविद्यालय, माडीकिरी द्वारा दिए हुए भवन में, जनवरी 1987 से कार्य कर रहा था । सितम्बर 1987 में राज्य सरकार ने कालीकरी नीडूगानि में स्कूल भवन के निर्माण के लिए 20 एकड़ भूमि प्रारम्भिक रूप से उद्दिष्ट की । मार्च 1988 में समिति को गालीबीडू में भवन निर्माण करने के लिए एक वैकल्पिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । जुलाई 1988 में, समिति को विल्लिगेरी में भूमि के आबंटन का एक अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । अंततः नवम्बर 1988 में विद्यालय को गालीबीडू में स्थापित करने का निर्णय लिया गया जहाँ अक्टूबर 1989 में 35.5 एकड़ भूमि समिति को सुपुर्द कर दी गई । अक्टूबर 1989 की निर्धारित तिथि तथा जून 1990 में संशोधित तिथि के प्रति, मार्च 1990 में योजना खाके/अनुमान इत्यादि केन्द्रीय भवन अनुसंधान

संस्थान (के.भ.अ.सं.) जो सभी नवोदय विद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु नोडल ऐजेन्सी थी, द्वारा तैयार किये गये थे । जुलाई 1990 में, समिति ने विद्यालय के कुछ भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन तथा 64.90 लाख रु. की व्यय संस्वीकृति प्रदान की ।

इसी बीच नवम्बर 1987 में, समिति ने राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (रा.प.नि.नि.) नई दिल्ली के साथ कुर्ग जिले में, लागत जमा आधार पर विद्यालय भवन के निर्माण के लिए एक समझौता किया । समझौते की शर्तों के अनुसार समिति ने मार्च 1988 में रा.प.नि.नि. को 10 लाख रु. का अग्रिम संग्रहण भी अदा किया था । जुलाई 1990 में प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय की संस्वीकृति प्रदान करते समय समिति ने रा.प.नि.नि. को निर्माण कार्य दिसम्बर 1990 तक समाप्त कर देने के लिए कहा था । समिति के अनुसार (अक्टूबर 1990) कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया था ।

समिति ने, रा.प.नि.नि. को स्थल के अन्तिम निर्णय किये जाने तथा निर्माण कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन दिये जाने से भी पहले 10 लाख रु. का अग्रिम भुगतान कर दिया था । इसलिए अग्रिम का भुगतान समय पूर्व था तथा परिणामस्वरूप मार्च 1988 से निधियों का परिहार्य अवरोधन हुआ । इसके अतिरिक्त जुलाई 1983 के भारत सरकार के आदेशों के अनुसार, 10 प्रतिशत का संग्रहण अग्रिम कुछ विशिष्ट तथा पूंजीगत निर्माण कार्य जिनकी लागत एक करोड़ रु. से कम न हो के सम्बन्ध में ही अदा किया

जा सकता था । इसलिये अग्रिम की अदायगी न केवल असामयिक बल्कि अनियमित भी हुई थी । इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को, जून 1990 तक प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की साधारण दर से ब्याज के तौर पर निकाली गई 2.70 लाख रु. की राशि की अवैध वित्तीय सहायता हुई थी ।

मंत्रालय को मामला जुलाई 1990 में सूचित किया गया था । मंत्रालय ने मामले के संबंध में अपना स्वयं का उत्तर नहीं दिया था वरन सितम्बर 1990 में केवल समिति के उत्तर को अंग्रेषित कर दिया था । समिति के अनुसार रा.प.नि.नि. को 10 लाख रु. की अग्रिम अदायगी 34.09 लाख रु. की कुल सम्भाव्य निर्माण लागत के प्रति की गई थी क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सहित निर्माण एजेंसियाँ जमा राशि आधार पर निर्माण कार्य करती थीं, जिसमें यह अन्तर्विहित था कि निर्माणकी सम्पूर्ण लागत अग्रिम में जमा की जानी चाहिए । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि रा.प.नि.नि., सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल्य अधिमान को छोड़ कर अन्य निजी ठेकेदारों से भिन्न व्यवहार का पात्र नहीं था । इस प्रकार मार्च 1988 में समिति द्वारा रा.प.नि.नि. को 10 लाख रु. के अग्रिम के भुगतान के परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनाधिकृत सहायता हुई थी ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर

13. अपर्याप्त रोकड़ प्रबंध

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर (भा प्रौ

सं) ने, जनवरी 1982 से मार्च 1989 के दौरान, तत्काल संवितरण के लिए अनावश्यक अपनी अतिरिक्त निधियां, पन्द्रह दिनों से सात वर्षों की अवधियों के लिए तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों, एक निजी बैंक तथा एक डाक घर में आवधिक जमा में निवेश कर दीं । परिपक्व होने पर, मूलधन राशि के साथ उस पर उपाजित ब्याज, मार्च 1987 से मार्च 1989 तक विभिन्न तारीखों को आहरण/ भुनाने के लिए उपलब्ध हो गया था ।

परिपक्वता की संबंधित तारीखों से छः से एक सौ बारह दिनों के विलम्बों के बाद निवेश, पुर्ननिवेश अथवा संबंधित लेखों में क्रेडिट करने के लिए भुनाये गये थे । इन विलम्बों के कारण भा प्रौ सं ने मार्च 1989 तक दो वर्ष की अवधि के दौरान 3.01 लाख रुपये की राशि के ब्याज की हानि उठाई ।

मंत्रालय ने जून 1990 में बताया कि भा प्रौ सं ने डाक प्राधिकारियों को परिपक्वता की अवधि से 15 दिन पहले सम्पर्क किया था । परन्तु डाक प्राधिकारी, मूलधन तथा ब्याज की राशि के लिए बैंक परिपक्वता की तारीख से 10-12 दिनों के बाद भेज रहे थे । मंत्रालय ने पुनः बताया कि मामला समय समय पर डाक प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया था तथा यह आशा की गई थी कि डाक प्राधिकारी परिपक्वता पर भुगतान को शीघ्रता से करवाने के लिए समुचित कार्यवाही करेंगे ।

मंत्रालय की टिप्पणियां डाकघर में किए गए केवल 4 निवेशों के संबंध में विलम्ब से संबंधित थीं तथा बैंकों

के पास 32 निवेशों के भुनाने में विलम्ब को शामिल नहीं करती थी। डाकघर निवेशों में विलम्ब 27 से 55 दिनों के बीच थे। इस प्रकार से तथ्य यह रहा कि यदि ये विलम्ब न हुए होते, तो भा प्रौ सं 3.01 लाख रुपये तक का अधिक ब्याज अर्जित कर सकता था।

क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालय, सिल्चर

14. निष्क्रिय परिव्यय

क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालय (महाविद्यालय) सिल्चर ने नवम्बर 1984 में एक बम्बई की फर्म से 2.07 लाख रु. की लागत पर एक बायॅलर अधिप्राप्त किया था। फर्म ने बायॅलर के प्रतिष्ठापन तथा प्रारम्भ करने के लिए इस शर्त पर अपनी सेवाएँ भी प्रस्तुत कीं कि महाविद्यालय उद्देश्य हेतु वर्णित फर्म के इंजीनियर के सेवा प्रभारों के अतिरिक्त पुर्जों तथा उपस्करों की लागत वहन करने के लिए सहमत हो। चूँकि फर्म द्वारा प्रस्तावित दरें सन्तोषजनक नहीं पाई गई थीं, प्रतिष्ठापन तथा प्रारम्भ करने का कार्य इसे नहीं सौंपा गया था। दरों के सन्तोषजनक न पाए जाने के कारणों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था (अक्तूबर 1990)।

बायॅलर गृह का निर्माण 0.57 लाख रु. की लागत पर, बायॅलर की प्राप्ति के 17 मास पश्चात अप्रैल 1986 में विभागीय रूप से पूरा किया गया था। महाविद्यालय के प्राचार्य ने मार्च 1991 में बताया कि बायॅलर गृह के निर्माण में देरी, इस के लिए उपयुक्त

स्थान के चयन हेतु लिए गए समय के कारण थी। बायॅलर के प्रतिष्ठापन तथा प्रारम्भ करने का कार्य बायॅलर गृह के समापन के ढाई वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात दिसम्बर 1988 में गोहाटी की एक फर्म को उनकी 1.48 लाख रुपये की प्रस्तावित दर पर सौंपा गया था। फर्म ने समापन की अनुबन्धन तिथि (फरवरी 1989) से 1 वर्ष 2 मास के विलम्ब के पश्चात अप्रैल 1990 में प्रतिष्ठापन पूर्ण किया था। तथापि, बायॅलर अगस्त 1990 में चालू किया गया था तथा फर्म को मार्च 1991 तक 1.03 लाख रु. की कुल राशि अदा की गई थी।

इस प्रकार, नवम्बर 1984 में खरीदा गया बायॅलर जुलाई 1990 तक अप्रयुक्त पड़ा रहा जिसके परिणामस्वरूप अवधि के दौरान महाविद्यालय को बायॅलर के प्रयोग के लाभ से वंचित करने के अलावा; पाँच वर्षों से अधिक समय तक 2.07 लाख रु. का अवरोधन हुआ।

मामला मंत्रालय को दिसम्बर 1989 तथा जुलाई 1990 में सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मई 1991)।

योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली

15. लेवी सीमेंट की गैर अधिप्राप्ति के कारण हानि योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (विद्यालय), ने "कम्पैक्ट बोर्ड अन्डर रीम फाइल फाउंडेशन" निर्माण कार्य ठेकेदार को मई 1987 में प्रदान किया। ठेकेदार

के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार, यदि विद्यालय, सीमेंट या तो खुले बाजार अथवा परमिट के जरिये 65 रु. प्रति बोरी से कम की दर पर खरीदने की स्थिति में हो तो लेवी तथा गैर लेवी सीमेंट की दर में अन्तर जमा 15 प्रतिशत (ठेकेदार का लाभ तथा उपरी खर्च) ठेकेदार के बिलों से घटाया जाना था ।

सितम्बर 1987 में विकास आयुक्त सीमेंट उद्योग द्वारा 400 मीट्रिक टन सीमेंट स्कूल को आबंटित किया गया था । आबंटन 6 जनवरी 1988 तक चार माह के लिए वैध था । उसे आबंटित 400 मीट्रिक टन लेवी सीमेंट की कुल लागत के लिए सीमेंट निर्माता के पास विद्यालय ने अक्टूबर 1987 में उसके साथ समझौता किये बिना 3.88 लाख रु. जमा किये । सीमेंट की सम्पूर्ण मात्रा उक्त उल्लिखित निर्माणकार्य हेतु उपयोग की जानी थी । विद्यालय ने निर्माता से सीमेंट की आपूर्ति अक्टूबर से दिसम्बर 1987 के बीच 100 मी.ट. की चार किस्तों में करने के लिए अनुरोध किया था । तथापि निर्माता ने कुछ भी लेवी सीमेंट आपूर्ति नहीं किया । स्तम्भ नींव का कार्य ठेकेदार प्रबन्धित सीमेंट की आपूर्ति द्वारा दिसम्बर 1988 में पूरा किया गया था । स्कूल ने लेवी सीमेंट के अप्रापण के कारण 9.18 रु. प्रति बोरी की दर पर 8000 सीमेंट बोरियों (400 मी.ट.) के लिए 0.73 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय किया ।

सीमेंट जनवरी 1989 में विनियंत्रित माल हो गया तथा विद्यालय ने 3.86 लाख रु. की कुल लागत पर 1330 रु. प्रति मी.ट. की दर पर उसी निर्माता से

फरवरी से मई 1989 के बीच 285.95 मी.ट. सीमेंट की अधिप्राप्ति की जो प्रगति के अंतर्गत उत्तम प्रकार के निर्माण कार्य हेतु, दूसरे ठेकेदार को आपूर्ति किया गया था । शेष 0.02 लाख रु. की राशि निर्माता द्वारा जुलाई 1989 में वापस कर दी गई थी ।

विद्यालय ने, निरूपित अनुसूची के अनुसार आपूर्ति करने में विफलता के लिए जुर्माना/क्षतिपूर्ती के प्रावधान के साथ निरूपित सुपुर्दगी अनुसूची से बचनबद्ध कराते हुए, निर्माता को लेवी सीमेंट की आपूर्ति हेत उचित क्रय आदेश नहीं दिये थे । परिणामस्वरूप विद्यालय के पास, 3.88 लाख रु. के अग्रिम भुगतान के बावजूद निर्माता द्वारा बलपूर्वक आपूर्ति हेतु कोई वैधानिक उपाय उपलब्ध नहीं थे । यथा संशोधित, सीमेंट नियंत्रण आदेश 1967 की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सरकार, यह सुनिश्चित करने के विचार से कि लेवी सीमेंट की आपूर्ति पूरी कर दी गई, लेवी सीमेंट के लाने-ले जाने को प्रतिबन्धित करने हेतु अधिकृत थी । तथापि, विद्यालय ने, आबंटन अधिकारी अर्थात् सीमेंट उद्योग आयुक्त को लेवी सीमेंट की आपूर्ति प्रमाणित करने के लिए निर्माता की विफलता को बहुत देर से जुलाई 1990 में सूचित किया । लेवी सीमेंट के प्रापण में विफलता के कारण विद्यालय ने 0.73 लाख रु. के अतिरिक्त व्यय वहन किया । विद्यालय ने 3.88 लाख रु. की राशि जो निर्माता के पास अक्टूबर 1987 से मई 1989 तक पड़ी रही, पर 16.5 प्रतिशत की बैंक ओवर ड्राफ्ट दर पर 0.91 लाख रु. के ब्याज की हानि उठायी । विद्यालय ने निर्माता से ब्याज वसूल

करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

मामला मंत्रालय को जुलाई 1990 में भेजा गया था। मंत्रालय ने अक्टूबर 1990 में बताया कि निर्माता को किये गये अग्रिम भुगतान पर ब्याज की वसूली हेतु मामला जुलाई 1990 में क्षेत्रीय सीमेंट विकास आयुक्त के साथ लिया गया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि विद्यालय को कोई हानि नहीं थी क्योंकि निर्माता को भुगतान किये गये 1330 रु. प्रति मी.ट. के प्रति सीमेंट की लागत 1400 रुपये प्रति मी.ट. की दर पर वसूल की गई थी। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निर्माण कार्य जिसके लिए सीमेंट की आपूर्ति हेतु 1400 रु. प्रति मी.ट. की दर पर वसूली की गई थी वह दूसरा निर्माण कार्य था।

(सांस्कृतिक विभाग)

16. एशियाई समिति

16.1 प्रस्तावना

एशियाई समिति, (समिति) की स्थापना 1784 में की गई थी तथा 1860 के समिति पंजीकरण अधिनियम XXI के अंतर्गत पंजीकृत हुई थी। पश्चिमी बंगाल समिति पंजीकरण अधिनियम (अधिनियम XXVI) 1961 के अधिनियम तथा पिछले अधिनियम के निरसन से समिति को नये अधिनियम के अधीन पंजीकृत समझा गया था। इसे जनवरी 1984 में, जून 1984 से प्रभावित संसद के एक अधिनियम (एशियाई समिति अधिनियम 1984) के माध्यम से "राष्ट्रीय महत्व के

संस्थान" के रूप में घोषित किया गया था। समिति के मुख्य उद्देश्य थे (i) एशिया में मानविकी तथा विज्ञान में अनुसंधान को संगठित, प्रारंभ तथा उन्नत करना (ii) अनुसंधान संस्थान, वाचनालयों, संग्रहालयों, कलाभवनों, नाट्यशालाओं तथा व्याख्यान कक्षाओं को चलाना, संस्थापन तथा अनुरक्षण (iii) व्याख्यानों, सेमिनारों, विचार गोष्ठियों, विचार विमर्श सभाओं का आयोजन करना तथा पदक पुरस्कार तथा छात्रवृत्तियां प्रदान करना (iv) वित्त अर्जित करना अथवा किन्हीं पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य साहित्यों को प्रकाशित करना जिन्हें समिति, अपने लक्ष्यों को उन्नत करने हेतु ठीक समझती है (v) धन, प्रतिभूतियों, चल या अचल सम्पत्तियां जो समिति के लक्ष्य हेतु व्यक्ति या व्यक्तियों, फर्म, निगम या कम्पनी या सरकार द्वारा समिति के लिए समय समय पर बनायी गयी हो को स्वीकार करना तथा (vi) समिति के उद्देश्यों को उन्नत बनाने हेतु न्यास निधियों के सावधि बीमों का सृजन करना।

16.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

समिति के लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के साथ पठित एशियाई समिति अधिनियम 1984 की धारा 5(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए जाते हैं। यह पुनरीक्षण मई-जून 1990 में किया गया था तथा 1985-86 से 1989-90 तक की अवधि को सम्मिलित करता है।

16.3 संगठनात्मक ढांचा

समिति के कार्यों का निर्देशन प्रशासन तथा प्रबंध न्यूनतम 18 सदस्यों तथा अधिकतम 26 सदस्यों वाली एक परिषद में निहित है। 26 सदस्यों में से, 20 वार्षिक महा सभा में चुने जाते हैं, चार भारत सरकार द्वारा, एक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तथा एक कर्मचारी यूनियन द्वारा नामित किए जाते हैं। परिषद के एक चयनित निकाय की कार्यालय अवधि एक वर्ष के लिए है।

वर्ष 1987-88 के लिए परिषद के लिए सदस्यों का चुनाव, परिषद के चुनाव में डाले गए मतपत्रों की संख्या में आरोपित अनियमितता को एक मामले में चयनित निकाय के अध्यक्ष द्वारा रद्द कर दिया गया था। परिणामस्वरूप कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक दावा दायर किया गया था तथा मई 1988 में उच्च न्यायालय ने परिषद तथा पदाधिकारियों के सभी कार्यों के निष्पादन तथा उनके समस्त कर्तव्यों तथा शक्तियों के प्रयोग के लिए एक अनन्य प्रशासक नियुक्त किया। प्रशासन तथा अन्य क्रियाकलापों के मामलों पर आवश्यक सलाह लेने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत एक सलाहकार समिति भी गठित की गई थी।

विकास कार्यों के नियोजन तथा कार्यान्वयन तथा समिति से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में समिति को सलाह देने के उद्देश्य से एशियाई समिति अधिनियम 1984 की धारा 8(i) के अधीन प्रावधानों के आधार पर एक योजना बोर्ड का भी गठन किया

गया था।

16.4 विशिष्टताएं

- सातवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए आठ संस्थानों/केन्द्रों तथा चार अनुसंधान योजनाओं में से सात संस्थानों तथा चार परियोजना केन्द्रों ने 20.18 लाख रुपये (सात संस्थानों के लिए 15.18 लाख रुपये तथा चार अनुसंधान योजनाओं के लिए 5.00 लाख रुपये) व्यय करने के पश्चात 1988 के बीच कार्य करना बंद कर दिया गया।
- 1985-86 से 1987-88 के दौरान अध्यापन केन्द्रों तथा अनुसंधान योजनाओं हेतु नियुक्त 33 में से 12 वृत्तिछात्रों ने अपनी अवधि पूरी होने से पहले ही समिति छोड़ दी थी। उनको भुगतान की गई 2.70 लाख रुपये राशि बसूल नहीं की जा सकी क्योंकि समय से पूर्व छोड़ देने के प्रति कोई सुरक्षा बांड प्राप्त नहीं किए गए थे।
- अगस्त 1985 तथा अप्रैल 1987 के बीच उच्चतर, संस्कृत अध्ययन अनुसंधान संस्थान के लिए 3.95 लाख रुपये की सीमा तक निधियों का अनियमित रूप से विपथन किया गया था तथा संस्थान को हानि उठानी पड़ी।
- मार्च 1986 में समिति द्वारा प्रारंभ किए गए पुराने भवन के नवीकरण तथा मरम्मत कार्य पूरे नहीं किए जा सके थे। यद्यपि,

1988-89 तक फर्म को 26.10 लाख रुपये की राशि का भगतान किया गया था, उसमें बेकार श्रम के कारण 2.13 लाख रुपये की राशि सम्मिलित थी।
 प्रोफेसर, रजिस्ट्रार तथा सहायक पुस्तकालयध्यक्ष के पद पर अनियमित नियुक्तियां करने में भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा समिति के अपने नियमों का उल्लंघन हुआ था।

16.5 वित्त एवं लेखे

16.5.1 एशियाई समिति अधिनियम 1984 की धारा 4 के अधीन भारत सरकार, अनुदान के रूप में समिति के निधिकरण के लिए उत्तरदायित्व लेती है। समिति अपने स्रोतों से, सदस्यता अंशदान, किरायों, लाइसेंस शुल्क तथा छात्रावास प्रभारों, प्रकाशनों की बिक्री तथा माइक्रोफिल्म बनाने तथा जैरोक्स के लिए सेवा प्रभारों के माध्यम से अपनी आय प्राप्त करती है।
 16.5.2 1985-86 से 1989-90 के लिए समिति की प्राप्तियां तथा व्यय निम्न प्रकार थे:-

(लाख रुपयों में)

प्राप्तियां

भारत सरकार

वर्ष	प्रारंभिक शेष	योजनागत अनुदान	योजनेतर अनुदान	अपने स्रोतों से अन्य अनुदान	कुल तथा आय
1985-86	18.39	40.65	33.57	6.00	98.61
1986-87	14.26	65.00	43.07	4.92	127.25
1987-88	25.45	28.43	35.55	3.57	93.00
1988-89	23.78	46.43	41.78	5.87	117.86
1989-90	29.60	50.25	39.16	9.47	128.48

व्यय

वर्ष	योजनागत	योजनेत्तर	जोड़	शेष
1985-86	44.39	39.96	84.35	14.26
1986-87	56.71	45.09	101.80	25.45
1987-88	36.37	32.85	69.22	23.78
1988-89	40.56	47.70	88.26	29.60
1989-90	46.73	49.59	96.32	32.16

1985-86 के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष में, छठी 0.29 लाख रुपये की राशि शामिल थी। इसके योजना के अंत में अव्ययित योजनागत अनुदान की अतिरिक्त सातवीं योजनावधि के दौरान समिति में 17.89 लाख रुपये की राशि, अव्ययित योजनेतर विशेष उद्देश्य हेतु पश्चिम बंगाल सरकार, भारत अनुदान की 0.11 लाख रुपये की राशि तथा पश्चिम सरकार तथा अन्य संस्थानों से अनावर्ती अनुदान प्राप्त बंगाल सरकार से प्राप्त अनुदान के अव्ययित शेष की किए। स्थिति नीचे दी गई है:-

(लाख रुपयों में)

वर्ष	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	जोड़
भारत						
सरकार	-	0.50	1.63	-	-	2.13
पश्चिम						
बंगाल						
सरकार	0.36	0.89	-	-	-	1.25
अन्य						
संस्थाएं	-	0.36	0.87	0.24	0.90	2.37
धर्मार्थ						
निधि	-	-	0.20	-	-	0.20
						5.95

अखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलन हेतु भारत सरकार से प्राप्त 5.95 लाख रुपये के कुल योग में से 2.13 लाख रुपये; उन उद्देश्यों जिनके लिए ये संस्वीकृत किए गए थे, के लिए पूर्ण रूप में व्यय कर दिए गए थे। 3.82 लाख रुपये की शेष राशि में से 0.65 लाख रुपये की कुल राशि (पश्चिम बंगाल सरकार के अनुदान में से 0.25 लाख रुपये, अन्य संस्थान से प्राप्त अनुदानों में से 0.20 लाख रुपये, धर्मार्थ निधि के सृजन हेतु 0.20 लाख रुपये) उन उद्देश्यों जिनके लिए ये संस्वीकृत किए गए थे, के लिए मार्च 1990 तक उपयोग नहीं किए जा सके।

16.5.3 समिति पर 35 मि मी के 20 मिनट के एक वृत्तचित्र तैयार करने के लिए 0.94 लाख रुपये की अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत अर्थात् 0.47 लाख रुपये के अग्रिम का मार्च 1986 में फर्म को भुगतान किया गया था। फर्म के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार, फिल्म का कार्य 30 जून 1986 तक पूरा किया जाना चाहिए था। समिति ने फर्म से फिल्म पूरी नहीं करायी थी (जनवरी 1991)। तथापि, समिति द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार अग्रिम तथा उस पर अर्जित ब्याज (1989-90 तक 5 प्रतिशत की दर पर 0.12 लाख रुपये) को वापस प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी। समिति के वित्तीय हित को सुरक्षित रखने हेतु फर्म से कोई क्षतिपूर्ति बांड अथवा बैंक प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि मामले का अनुनय किया जा रहा है (जनवरी 1991)।

16.5.4 समिति अखबारों तथा पत्रिकाओं के लिए अग्रिम अंशदान देती है। 31 मार्च 1990 को अदा किए गए अग्रिमों तथा बकाया राशियों का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:-

(लाख रु. में)

वर्ष	वर्ष के दौरान दिए गए अग्रिम	बकाया राशि
1985-86	1.56	0.25
1986-87	0.55	0.04
1987-88	-	-
1988-89	1.20	0.09
1989-90	2.38	1.29
जोड़	5.69	1.67

बकाया अग्रिम की राशि में से एक आपूर्तिकर्ता से 0.22 लाख रुपये 1985-86 से तथा एक अन्य आपूर्तिकर्ता से 0.28 लाख रुपये (1988-89 से 0.09 लाख रुपये तथा 1989-90 से 0.19 लाख रुपये) बकाया थे। चूककर्ता आपूर्तिकर्ताओं से वसूलियां अभी तक नहीं की गई थी (जनवरी 1991)।

मंत्रालय ने जनवरी 1991 में बताया कि अब 0.66 लाख रुपये की वसूलियां कर ली गई थी। लेकिन ये वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 से संबंधित थी तथा पुरानी वसूलियां बकाया ही हैं।

16.5.5 समिति के अधिनियम 31 में अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान भी था कि एक सदस्य का नाम, यदि वह आठ लगातार तिमाहियों के लिए अंशदान के भुगतान में असमर्थ रहता है तो एक नोटिस देने के बाद काट दिया जायेगा। तथापि यह देखा गया

था कि 2,50,707 रुपये की राशि 31 मार्च 1990 को सदस्यों से देय थी। 31 मार्च 1990 को समाप्त हो रहे पिछले पांच वर्षों के दौरान की स्थिति निम्नानुसार थी:-

वर्ष	सदस्यों की संख्या	चूककर्ताओं की संख्या	अवधि जिसके लिए अंशदान देय होता है	वर्ष के अंत में देय राशि
1985-86	1549	457	दूसरी से 41 वीं तिमाही	रु.82,639.20
1986-87	1546	490	दूसरी से 44 वीं तिमाही	रु.86,714.20
1987-88	1543	552	दूसरी से 48 वीं तिमाही	रु.177,434.95
1988-89	1540	548	दूसरी से 52 वीं तिमाही	रु.199,974.00
1989-90	1536	604	पहली से 56 वीं तिमाही	रु.250,707.00

सदस्यों से बकाया अंशदान की उगाही के संबंध में समिति ने जून 1990 में बताया कि जब सदस्यों की उनके बकाया देय के भुगतान के संबंध में सामान्य रूप में बिल तथा पंजीकृत पत्र भेजे गये थे। किसी भी चूककर्ता का नाम नहीं काटा जा सका क्योंकि इस संबंध में समिति द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि समिति की मासिक महा सभा नहीं की जा चुकी। तथापि, पहले दो वर्षों में चूककर्ताओं के प्रति कार्यवाही न करने के कोई कारण नहीं थे क्योंकि महा सभाएं हो रही थीं। इसके अलावा प्रशासन में मई 1988 में इसकी नियुक्ति से परिषद के सभी अधिकार निहित थे।

16.6 बकाया पट्टा किराया-4.09 लाख रुपये

समिति ने अपने भवन का कुल 12,000 वर्गफुट का क्षेत्र (अपने एक पुराने भवन के साथ साथ नये भवन के भू तल पर) विभिन्न पार्टियों को पट्टा करारों में किराये की सामयिक बढ़ोतरी के लिए बिना किसी प्रावधान किए दीर्घकालीन पट्टे किराए पर दे दिया।

31 मार्च 1990 को पांच किरायेदारों से 4.09 लाख रुपये की किराया राशि देय थी, सबसे पुराना मार्च 1983 से बकाया था। बकाया राशि में से 3.05 लाख रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक से जनवरी 1986 से 0.85 लाख रुपये अन्य किरायेदार से मार्च 1983 से बकाया थे, राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ पट्टा जनवरी

1986 से समाप्त हो गया था।

समिति परिषद ने दिसम्बर 1985 में सभी किरायेदारों को निकालने का निर्णय किया। तथापि, समिति ने सितम्बर 1989 में बताया कि दो किरायेदारों के प्रति, उनके साथ किए गए पट्टा करारों की समाप्ति के बाद निष्कासन मुकद्दमे दायर किए गए थे। मुकद्दमे लम्बित हैं। अन्य किरायेदारों को निकालने की अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (जनवरी 1991)।

16.7 योजना कार्यक्रम

1985-86 में सातवीं योजनावधि के लिए समिति द्वारा तैयार की गई विकास योजना में शैक्षिक कार्यक्रम, अनुसंधान गतिविधियों की वृद्धि, पुस्तकालय सेवाओं के सुधार, संग्रहालय वस्तुओं के परिक्षण, फर्नीचर-जैसी सुविधाओं की अवस्थापना तथा उन्हें मजबूत करना, वाहनों आदि की मरम्मत तथा नवीकरण जैसे क्षेत्र शामिल थे। योजना अवधि के दौरान 1985-90 के दौरान जारी किए गए 230.76 लाख रुपये के योजना अनुदानों में से इन योजनाओं पर 224.76 लाख रुपये की राशि व्यय की गई थी।

16.7.1 समिति ने 1985-86 में दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन, संस्कृत अध्ययन, इस्लामिक संस्कृति, लोकवार्ता एवं संस्कृति का अध्ययन, विज्ञान के इतिहास का अध्ययन, भारतीय औषध के इतिहास का अध्ययन, प्राकृतिक तथा अध्यात्मिक मूल्यों का अध्ययन, तथा भाषाओं साहित्य और भाषाई अध्ययन के क्षेत्रों में आठ अनुसंधान केन्द्र/संस्थान शुरू किए।

तथापि, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। समिति की परिषद ने संस्थानों में प्रोफेसर तथा अतिथि अध्येताओं के पदों हेतु अपवादिक मामलों में 65 वर्ष की आयु से ऊपर भी विशिष्ट योग्यता के विद्वानों को नियुक्त करने का निर्णय किया। सरकारी निर्णय के अनुसरण में जून 1987 में बंद किए गए एक संस्थान के अपवाद के साथ, सभी सात संस्थानों ने अगस्त 1988 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निदेशों का अनुसरण करते हुए सेवा निवृत्त प्रोफेसरों की सेवाओं के निलम्बन के साथ अगस्त 1988 में कार्य करना बंद कर दिया। इन संस्थानों से सम्बद्ध सात प्रोफेसरों और चार अतिथि अध्येताओं में से तीन प्रोफेसरों की सेवाएं निलम्बित कर दी गई थीं तथा केवल तीन प्रोफेसर समिति के साथ अन्य कार्यों पर कार्य कर रहे थे (जून 1990)। अन्य पांच छोड़ गए या त्यागपत्र दे गये थे। संस्थानों के अनुसंधान कार्यों में लगे 14 छात्रों में से चार ने अपनी अवधि पूरी कर ली थी, चार बीच में छोड़ गए थे तथा छः कार्य कर रहे थे। किसी भी छात्र को कोई डिग्री या डिप्लोमा या परियोजना अनुसंधान को सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था। इस तरह इन सात संस्थानों के चलाने में, इनके बंद होने की तिथि तक किया गया 15.18 लाख रुपये का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ। मंत्रालय ने बताया जनवरी 1991 में बताया कि ये बातें सच भी थीं तथा यह सतर्कता बरती जायेगी कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताएं न हो।

16.7.2 1985 और 1986 में, समाज का इतिहास, विचारधारा पर विश्वकोष, पूर्वी अध्ययन तथा रविन्द्रनाथ टैगोर और शास्त्रीय भारतीय परम्परा पर शुरु की गई चार शोध परियोजनाएं 1988 में बंद कर दी गई थीं चूंकि दो प्रोफेसर और परियोजनाओं के प्रभारी, दो अतिथि प्रोफेसर तथा कुल दस छात्रों में से आठ संस्थान छोड़ गए थे। इन अपूर्ण परियोजनाओं पर 5 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

16.7.3 समिति द्वारा 1985-86 से 1987-88 के दौरान 1000 रुपये प्रति माह वृत्ति पर (शोध छात्रों के लिए 5000 रुपये आकस्मिक अनुदान सहित नियुक्त किए गए 33 शोध छात्रों, शोध अध्येताओं छात्र सूचिकारों में से 12 छात्र उनकी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही समिति छोड़ गए थे। वृत्तिका/आकस्मिक अनुदानों के रूप में उन्हें अदा की गई 2.70 लाख रुपये की राशि उनसे वसूल नहीं की जा सकी चूंकि बंद कर देने के मामलों में प्राप्त की गई राशियों की पुनर्अदायगी हेतु कोई सुरक्षा बांड प्राप्त नहीं किए गए थे। मंत्रालय ने बताया कि इस प्रकार के बांड प्राप्त करने के लिए अब कदम उठाये गये हैं (जनवरी 1991)।

16.8 उच्च संस्कृत अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान

संस्कृत अध्ययन समिति की विविधता कार्यक्रम का एक भाग है। उच्च संस्कृत अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान, समिति द्वारा 1985-86 के दौरान स्थापित किए गए संस्थानों में से एक, ने अगस्त 1985 में कार्य करना प्रारंभ किया। इनमें शास्त्री तथा आचार्य क्रमशः तीन वर्षों तथा दो वर्षों की अवधि के लिए दो

पाठ्यक्रमों का प्रावधान था। प्रत्येक छात्र को संस्कृत पाठ्यक्रम के लिए 100 रुपये तथा आचार्य पाठ्यक्रम के लिए 150 रुपये प्रति माह वृत्तिका अदा की जाती थी। इन पाठ्यक्रमों को, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा उनकी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार 1985-86 के शैक्षिक सत्र से बिल्कुल अस्थाई तथा तदर्थ आधार पर संबंधन प्रदान किए गए थे।

इस संस्थान की स्थापना के लिए प्रस्ताव न तो समिति के योजना बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया था और न ही भारत सरकार को विचार करने हेतु संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के संशोधित मसौदे में शामिल किया गया था। तथापि, समिति की स्थाई वित्त समिति ने, इस शर्त के साथ कि निधियां या तो शिक्षा विभाग से या फिर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से प्राप्त की जानी चाहिए। इस संस्थान हेतु व्यय करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया (जुलाई 1985) जबकि शिक्षा विभाग ने 1985-86 के दौरान संस्थान के लिए पुस्तकें, फर्नीचर तथा उपस्कर खरीदने के संबंध में 0.65 लाख रुपये की तदर्थ अनुदान अदा की थी, उसने समिति को संस्थान चलाने हेतु निधियों के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को सिफारिश करने की सलाह दी। न तो संस्थान और न ही संस्कृति विभाग, संस्थान को चलाने के लिए निधियां देने के लिए सहमत हुए।

परिणामतः पाठ्यक्रम मई 1987 से बंद कर दिए गए थे। अप्रैल 1987 के अंत तक, संस्थान को चलाने के लिए 4.60 लाख रुपये का व्यय किया गया था

जिसमें से 0.65 लाख रुपये पहले बताए गए अनुसार शिक्षा विभाग से तदर्थ अनुदान के रूप में प्राप्त किए गए थे तथा शेष 1985-86 से 1987-88 की अवधियों के दौरान संस्कृति विभाग द्वारा वित्तपोषित, समिति के सामान्य योजना अनुदानों से, संस्कृति विभाग के स्पष्ट निर्णय (अगस्त 1986) कि वे संस्थान को निधीयन हेतु व्यय की अनुमति नहीं देंगे, की अवहेलना करते हुए पूरा किया गया था। संस्कृति विभाग के अनुमोदन के बिना तथा अन्य शीर्षों से निधि के विपथन द्वारा पूरा किया गया व्यय न केवल अनियमित था बल्कि अप्राधिकृत भी था।

संस्कृत अध्ययन का संपूर्ण मामला सलाहकार समिति (कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित) के समक्ष, जुलाई 1988 में आयोजित उसकी पहली बैठक में रखा गया जिसमें अध्ययन को समाप्त करने, लेकिन पहले से उपस्थित छात्रों के लिए पढ़ाई पूरी करने का निर्णय किया गया था। तदनुसार संस्कृति विभाग, भारत सरकार को पहले से दाखिल हुए छात्रों के संबंध में शास्त्री व आचार्य के पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए 1.62 लाख रुपये के तदर्थ अनुदान की संस्वीकृति हेतु सिफारिश की गई थी। सरकार ने एक विशेष मामले के रूप में नवम्बर 1988 में संस्वीकृति प्रदान कर दी। पाठ्यक्रम दिसम्बर 1988 में पुनः शुरू किए गए थे तथा छात्रों के पिछले बैच के पास करने के साथ मई 1990 में पूर्ण किए जाने निर्धारित थे।

1985-86 से 1987-88 की अवधि के दौरान शास्त्री पाठ्यक्रम के लिए दाखिल हुए 33 छात्रों तथा

आचार्य पाठ्यक्रम के लिए 61 छात्रों में से, शास्त्री पाठ्यक्रम में से 25 छात्र तथा आचार्य पाठ्यक्रम में से 37 छात्र पाठ्यक्रमों के पूरा होने से पूर्व ही चले गए थे। वर्ष 1987-88 तक केवल एक छात्र ने शास्त्री पाठ्यक्रम तथा दस छात्रों ने आचार्य पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया था। बाकी 21 छात्रों में से (शास्त्री में सात तथा आचार्य में 14) तीन छात्रों ने शास्त्री पाठ्यक्रम तथा छः छात्रों ने आचार्य पाठ्यक्रम 1988-89 तक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए थे। बाकी बारह छात्र (शास्त्री में चार और आचार्य में आठ) मई 1990 में समाप्त होने वाले पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे थे। 1988-89 और 1989-90 के दौरान 1.62 लाख रुपये के तदर्थ अनुदान के प्रति पाठ्यक्रमों पर 1.56 लाख रुपये की एक और राशि व्यय की गयी थी। मई 1990 में पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1990 में 0.20 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि संस्वीकृत की गयी थी। संस्थान को बिना उपयुक्त योजना तथा इसे चलाने के लिए निधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना आरंभ करने के कारण निधियों का अनियमित विपथन हुआ तथा अंत में संस्थान वर्ष 1988-89 तक शास्त्री पाठ्यक्रम में तथा आचार्य पाठ्यक्रम में 16 छात्रों द्वारा अभी तक (जून 1990) सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के साथ ही बंद हो गया।

16.9 पुराने भवन का नवीकरण

समिति ने मार्च 1986 में अपने एक पुराने भवन (1805 में निर्मित) के नवीकरण तथा अनुरक्षण कार्य

को भारत के उपक्रम को (उनकी निपुणता को ध्यान में रखकर) आकस्मिक आधार पर बिना निविदाएं आमंत्रित किए सौंपा चूँकि यह विचार किया गया था कि इस प्रकार के विशिष्ट कार्य के लिए खुली निविदाएं अनावश्यक होंगी। सौंपा गया कार्य केवल पलंस्तर कार्य के लिए मंद दर के साथ "लागत जमा" आधार (जैसा श्रम और सामग्री लागत, परिवहन लागत, निर्माण कार्य को समर्थ करने के लिए श्रम की लागत संयंत्र तथा उपस्करों के किराये प्रभार जमा, ऊपरी खर्चों और लाभ को पूरा करने की प्रतिशतता) पर, कार्य को पूरा करने के लिए बिना कोई समय निर्धारित किए सौंपा गया था जिसको पुराने भवन की गिराने क्षति की सीमा का पता न होने के कारण करार में व्यवस्था नहीं कराया जा सका था।

कार्य लेने तथा पलंस्तर हटाने के बाद उक्त फर्म ने क्षतियों का पता लगाया तथा मरम्मत की लागत लगभग 30.00 लाख रुपये निर्धारित की। लागत अनुमानों को अंतरिम मानते हुए स्थाई वित्त समिति ने अगस्त 1986 में 25 लाख रुपये से अनाधिक व्यय अनुमोदित कर दिया। भारत सरकार भी इस उद्देश्य हेतु 25.00 लाख रुपये से अधिक व्यय करने के लिए अगस्त 1986 में सहमत हो गई थी। ठेकेदार ने कार्य अप्रैल 1986 में शुरू कर दिया तथा 1988-89 के अंत तक 26.10 लाख रुपये की राशि अदा की जा चुकी थी।

तथापि, ठेकेदार द्वारा सितम्बर 1987 से मार्च 1988 की अवधि के दौरान कोई कार्य नहीं किया गया

चूँकि इस अवधि के दौरान समिति के कारोबार अव्यस्थित थे। इस अवधि के दौरान ठेकेदार को स्थापना तथा ऊपरी प्रभारों के रूप में 2.13 लाख रुपये की राशि अदा की गई थी। व्यर्थ श्रम तथा मशीनरी के लिए यह अदायगी टाली जा सकती थी यदि ठेकेदार को सितम्बर 1987 में अपनी स्थापना हटाने के लिए निर्देशित कर दिया गया होता। ठेकेदार ने कार्य अधूरा छोड़ते हुए कार्य स्थल पर सामग्री को बिना समिति के सुपुर्द किए ही अपना स्थल कार्यालय मार्च 1988 में बंद कर दिया था। इस प्रकार के व्यर्थ श्रम को दर्शाती हुई 0.60 लाख रुपये की और राशि अदायगी समिति के पास लम्बित पड़ी थी (जून 1990)।

भारत सरकार द्वारा, एशियाई समिति अधिनियम 1984 की धारा 10(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुराने भवन के नवीकरण के कार्य की जांच पड़ताल करने के लिए जून 1988 में एक तथ्यान्वेषण समिति स्थापित की गई थी। समिति ने जुलाई 1988 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ पता लगाया कि ठेकेदार के साथ ठेका उपयुक्त ढंग से नहीं किया गया क्योंकि उसमें प्रतिभूति जमा, कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा, अनुबंध के अपालन हेतु जुर्माना लगाने के लिए जुर्माना क्लाज के कोई प्रावधान नहीं रखे गये थे। समिति ने यह भी बताया कि श्रम तथा यातायात प्रभारों (जहां सम्भव हो) के लिए कोई दरें उद्धृत नहीं की गई थी तथा कई दरें जैसे उपस्कर हेतु मासिक किराया प्रभार, स्थल ऊपरी प्रभार तथा स्थल स्थापना प्रभार अधिक

उद्धृत की गई थी। उच्च लागत होने के बावजूद तथा ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए समिति ने सिफारिश की कि पुनः पलस्तर करने का कार्य उसी ठेकेदार को सौंपा जाए। अगस्त 1989 में भारत सरकार ने अवशिष्ट पुनः पलस्तर के कार्य हेतु 2.44 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की थी। समिति ने जनवरी 1991 में बताया कि अब यह कार्य पूरा हो गया था।

मंत्रालय तथा समिति ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि बाकी कार्य अब लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया था (जनवरी 1991)।

16.10 अनियमित नियुक्तियां

16.10.1 अक्टूबर 1984 में जारी वित्त मंत्रालय के निर्देशों में ये आदेश भी थे कि स्वायत्त निकायों के संबंधित नियमों/उप नियमों/विनियमों में एक क्लाज शामिल किया गया कि निर्धारित वेतन स्तर (1100-1600 रुपये असंशोधित) से ऊपर वेतन संरचना तथा पदों के सृजन से संबंधित प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सलाह से भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तथापि, यह पता चला था कि 1985-86 के दौरान समिति ने तीन नये स्थापित किए गए संस्थानों/केन्द्रों, जैसा कि स्थाई वित्त समिति द्वारा अप्रैल 1985 में अनुमोदित किया था, के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह के समेकित मानदेय पर प्रोफेसर के आठ पदों के सृजन के प्रति नौ प्रोफेसर (1500-2500 रुपये असंशोधित) तथा पांच अतिथि अध्येता (1200-1900 रुपये

अंशोधित) नियुक्त किए। स्थाई वित्त समिति ने अक्टूबर 1985 में फिर 4000 रुपये समेकित वेतन पर या 1500-2500 रुपये के वेतनमान जमा केन्द्रीय सरकार की दरों पर अन्य भत्ते पर प्रोफेसर के तीन और पदों तथा 2000 रुपये समेकित वेतन या 1200-1900 रुपये के वेतनमान जमा केन्द्रीय सरकार की दरों पर अन्य भत्ते पर तीन अतिथि अध्येताओं के पदों के सृजन के लिए सिफारिश की। तथापि स्थाई वित्त समिति की सिफारिशें संबंधित मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी। भारत सरकार के अनुमोदन के बिना समिति द्वारा नियुक्त किए गए कुल 14 प्रोफेसरों तथा अतिथि अध्येताओं में से नौ की आयु उनकी नियुक्ति की तिथि को 61 वर्ष और 81 वर्ष के बीच थी (दो, 60 से ऊपर लेकिन 65 वर्ष से नीचे, पांच, 65 से ऊपर लेकिन 70 वर्ष से कम, एक 79 वर्ष तथा एक 81 वर्ष का)। सभी अतिथि अध्येताओं का वेतन अधिकतम 1900 रुपये प्रतिमाह पर तथा एक प्रोफेसर का वेतन अधिकतम 2500 रुपये प्रतिमाह पर नियत किया गया था। तथापि, प्रोफेसरों तथा अतिथि अध्येताओं की नियुक्ति शर्तें, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

16.10.2 समिति के कर्मचारियों की सामान्य निवृत्ति तिथि 60 वर्ष होने के कारण, परिषद ने अगस्त 1986 में निर्णय किया कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जानी चाहिए। परिषद ने सितम्बर 1987 में यह भी निर्णय किया कि किसी भी स्टाफ का, जो सेवानिवृत्त आयु पार कर चुके थे, सेवा काल नहीं

बढ़ाया जाएगा। तथापि, यह पता चला था कि सितम्बर 1987 से पूर्व अध्यापक वर्ग के सदस्यों के लिए तब महासचिव के आदेशों के अंतर्गत, समिति की परिषद द्वारा अगस्त 1986 में लिए गए निर्णय की अवहेलना करते हुए सेवा बढ़ोतरी प्रदान की गई थी। ऊपर दर्शाए गए सभी मामलों में संबंधित पदधारी या तो त्यागपत्र दे गये या सेवानिवृत्त हो गये या उनकी सेवाएं अगस्त 1987 और अगस्त 1988 के बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत समाप्त कर दी गई थी। मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी तथा बताया कि इस प्रकार की अनियमितताएं दोहराई नहीं जायेंगी (जनवरी 1991)।

16.10.3 स्थाई वित्त समिति ने अप्रैल 1984 में 700-1300 रुपये के वेतन मान में प्रशासकीय अधिकारी के एक पद के सृजन का अनुमोदन किया जिसका मई 1984 में परिषद द्वारा भी अनुमोदन कर दिया गया था। पुलिस के एक सेवानिवृत्त महा-निरीक्षक की सितम्बर 1984 में 1200-1600 रुपये के वेतनमान में समिति में प्रशासकीय अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई थी तथा उसका वेतन 1074 रुपये प्रतिमाह निश्चित किया गया था। समिति यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को 1200-1600 रुपये का वेतनमान अनुमत क्यों किया गया था, जब परिषद ने केवल 700-1300 रुपये का वेतनमान अनुमोदित किया था।

दिसम्बर 1984 में परिषद ने स्थायी वित्तीय समिति के अनुमोदन के अध्यक्षीय वरिष्ठ प्रशासकीय

अधिकारी के पद को 1500-2500 रुपये के वेतनमान वाले रजिस्ट्रार के पद में परिवर्तन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। स्थायी वित्त समिति ने फरवरी 1985 में निर्णय किया कि रजिस्ट्रार का वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान के समतुल्य होना चाहिए। समिति यह दिखाने के लिए कि प्रशासकीय अधिकारी का पद कब वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी के रूप में परिवर्तित किया गया था, कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सकी। समिति रजिस्ट्रार के पद के सृजन के पीछे किसी कारण को भी आरोपित नहीं कर सकी जबकि इसने "माने गये विश्वविद्यालय" का स्तर प्राप्त नहीं किया था तथा यह भी नहीं बता सकी कि क्या प्रशासकीय अधिकारी, रजिस्ट्रार के पद के लिए अपेक्षित मानदंड/आवश्यक योग्यताएं पूरी करता था। वास्तव में प्रशासकीय अधिकारी ने दिसम्बर 1984 में पद के वेतनमान के अधिकतम, 2500 रुपये पर केन्द्रीय सरकार की दरों पर भत्तों के साथ रजिस्ट्रार के रूप में अपना वेतन आहरित किया था। उसकी सेवाएं 10 सितम्बर 1985 से पुनः एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थीं तथा उसने 31 अक्टूबर 1987 से अपने त्यागपत्र की तिथि तक अपना वेतन रजिस्ट्रार के पद में आहरित करना जारी रखा। तथापि, 10 सितम्बर 1986 से 31 अक्टूबर 1987 तक की अवधि के लिए अधिकारी की सेवा अवधि बढ़ाने के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेज नहीं दिखाया गया था।

भारत सरकार, संस्कृति विभाग ने समिति को

अप्रैल 1987 में निम्नलिखित मद्दे स्थायी वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के अनुदेश दिए:-

- (i) रजिस्ट्रार के पद के लिए आवश्यकता;
- (ii) वेतनमान, जो यथोचित समझा जाए; तथा
- (iii) योग्यता तथा भर्ती प्रणाली।

तथापि, ये स्थायी वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जैसा कि संस्कृति विभाग द्वारा अनुदेश दिया गया था। समिति द्वारा रजिस्ट्रार के पद का सृजनप तथा एक प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति (1200-1600 रुपये से 1500-2500 रुपये में प्रशासकीय अधिकारी के पद को परिवर्तन करते हुए) जिसमें वेतन तथा भत्तों के रूप में 1.23 लाख रुपये तक का व्यय अंतर्ग्रस्त था अनियमित थी क्योंकि रजिस्ट्रार का पद न तो समिति के विनियमों के अनुसार सृजित किया गया था, न ही यह भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। मंत्रालय ने इन तथ्यों की जनवरी 1991 में पुष्टि की।

16.11 संग्रहालय

16.11.1 समिति के संग्रहालय में संस्कृत पारसी, अरबी, तिब्बती, बर्मी तथा अन्य एशियाई भाषाओं में लिखी गई लगभग 41,219 पांडुलिपियां (सितम्बर 1989 तक) थी। आगे, 1989-90 के दौरान 51 पांडुलिपियां तथा दो आंशिक पांडुलिपियों की माइक्रो फिल्म प्रतियों को भी शामिल किया गया था। वास्तव में जब तक सभी पांडुलिपियों के अभिलेख का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया, स्टॉक में पांडुलिपियों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकी। समिति के समस्त

पांडुलिपि अभिलेख को सूचीबद्ध करने तथा वर्गीकृत करने का कार्य 1984-85 में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1989-90 तक अवधारित पांडुलिपियों में से 13,589 को सत्यापित तथा प्राप्त किया गया था तथा 4397 को सूचीबद्ध किया गया था।

16.11.2 समिति के अपने संग्रहालय में निम्नलिखित सामान भी था:

- (क) खोस्ती, नागरी तथा बंगाली लिपि में लिखित 42 अभिलेख (कापर प्लेट);
- (ख) सम्राट अशोक के ब्राह्मी में बैरात शिला राजपत्र सहित 29 प्रतिमाएं, आवक्ष मूर्तियां इत्यादि, (तिथि 250 ई पू);
- (ग) 76 तैल चित्र तथा सिक्के (स्वर्ण, रजत तथा ताम्र के 23983), तथा
- (घ) प्रिंट: फोटोग्राफ (सं.4), उत्कीर्णन प्रिंट (सं. 40), फोटोग्राफ: पत्र (60) तथा विडियो कैसेट (सं. 13);

तथापि, समिति ने जून 1990 में बताया कि सिक्कों तथा अभिलेखों की वास्तविक संख्या की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि उन्हें मुहरबंद पेटिका में रखा गया था।

16.12 गुम कलावस्तुएं

समिति के अधिपत्य में 42 अभिलेखन में से, एक अर्थात् साहा गोरा ताम्रपत्र समिति के संग्रहण से गुम पाया गया था तथा सात स्वर्ण मुद्राएं समिति के मुद्रा संग्रहण से गुम थी। तथापि, तिथियां, जिनको ऐसे गुम होने के तथ्य पहली बार समिति के ध्यान में आये,

समिति द्वारा इंगित नहीं की जा सकी।

कलकत्ता पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (के अं ब्यू) के पास मामला ले जाने के अतिरिक्त समिति ने सात स्वर्ण मुद्राओं की जांच करने तथा साहा गोरा ताम्रपत्र अभिलेख के गुम होने के मामले की छानबीन करने के लिए मार्च 1986 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता के अंतर्गत एक उच्चाधिकार जांच समिति भी गठित की।

समिति ने नवम्बर 1987 में बताया कि जांच समिति के परामर्श के अनुसार, जांच अधिनियम आयोग, 1952 के अंतर्गत एक जांच समिति गठित करने के लिए भारत सरकार से सम्पर्क किया गया था, परन्तु भारत सरकार ने दिसम्बर 1988 में यह कहते हुए प्रस्ताव निरस्त कर दिया था कि इतनी देर से, विशेषकर जब पुलिस और के अ ब्यू द्वारा बिना किसी ठोस निष्कर्ष के सम्यक जांच की जा चुकी थी: जांच समिति नियुक्त करने से कोई लाभकारी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मामला समिति की सलाहकार समिति को भेजा गया था तथा जनवरी 1989 में हुई बैठक में मामले को समाप्त करने का निर्णय किया गया था। तथापि, समिति ने अभी तक मूल्यवान कला वस्तुओं/मुद्रा संग्रहणों के आवधिक सत्यापन की कोई प्रणाली प्रारंभ नहीं की थी, क्योंकि ये मुहरबंद अलमारी/पेटिका में रखी गई बताई गई थी।

16.13 प्रकाशन

सातवीं योजना अवधि के दौरान, समिति ने प्रकाशन पर 31.88 लाख रुपये के प्रावधान के प्रति

15.24 लाख रुपये का व्यय किया। व्यय में अंशधारकों को पारिश्रमिक, मुद्रण की लागत, आकस्मिकता इत्यादि शामिल थे। निधि उपयोग 47 प्रतिशत था।

समिति ने 1985-90 के दौरान 14,525 प्रकाशनों की बिक्री की तथा 4.27 लाख रुपये प्राप्त किए। 33.06 लाख रुपये मूल्य के 1,21,941 अनबिकी पुस्तकों तथा 6.69 लाख रुपये मूल्य के जर्नल, संस्मरण तथा कार्यविवरण के अनबिके प्रकाशनों की 57,343 प्रतियां भंडार में पड़ी थी। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 1990 को, समिति के पास वार्षिक-पुस्तिकाओं की 8,956 प्रतियां भी पड़ी थी, जिनका मूल्य भंडार रजिस्टर में दर्ज नहीं था। 1989-90 तक भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन भी नहीं किया गया था। यह कार्य मई 1990 में प्रारंभ किया गया था।

समिति ने प्रकाशनों की बिक्री बढ़ाने अथवा एक ओर वास्तविक रूप से मांग का निर्धारण करने तथा उनकी प्रतियां छापने से पहले पण्यता का समुचित ढंग से निर्धारण न करने पर कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाये। इसके अतिरिक्त, कुछ लाख रुपयों के मूल्य के (मूल्य 50 रुपये तथा 250 रुपये के बीच) समिति के मूल्यवान प्रकाशनों की सैकड़ों प्रतियां, उनको समिति के पुराने भवन के अंधेरे कमरे में रखे जाने के कारण नष्ट होने के कगार पर थी। मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1991) कि स्थान की कमी मुख्य अभिभव था तथा अतिरिक्त स्थान के प्रावधान, जिसके लिए कार्यवाही की गई थी, के साथ पुस्तकों की समस्त गणना प्रारंभ

की जायेगी तथा समस्त क्रिया एक वर्ष के समय में पूरी कर ली जायेगी।

16.14 वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन

सामान्य वित्तीय नियमावली में यह प्रावधान है कि पुस्तकालय के अधिग्रहण में पुस्तकों तथा पांडुलिपियों के समस्त संग्रहण का प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार सत्यापन किया जाना चाहिए, अर्थात्, प्रति वर्ष 20 प्रतिशत पुस्तकों के प्रत्यक्ष सत्यापन की आवश्यकता थी। परन्तु सत्यापन कार्य 1986-87 से प्रारंभ किया गया था तथा 31 मार्च 1990 को प्राप्ति रजिस्टर के अनुसार 101731 पुस्तकों की कुल संख्या में से, चार वर्षों की अवधि के दौरान केवल 6680 पुस्तकें ही सत्यापित की जा सकीं, वर्ष वार अनुवृत्ति 20 प्रतिशत की अपेक्षा प्रति पांच तथा 11 प्रतिशत के बीच थी। मंत्रालय ने बताया कि कार्य अध्ययन दल की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के साथ कर्मचारियों की अवस्थिति स्थिर थी तथा दो वर्षों के समय में, सत्यापन कार्य में सुधार होगा (जनवरी 1991)।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

17. अस्थायी नाट्यशाला की कार्यशाला का निर्माण

रा ना वि ने मार्च 1979 में, 4 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर अस्थायी नाट्यशाला के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव, संस्कृति विभाग को प्रस्तुत किया, तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के लो नि वि) से नवम्बर 1979 में, प्रस्तावित नाट्यशाला के लिए

आवश्यक नक्शे तथा अनुमान तैयार करने के लिए अनुरोध किया। के लो नि वि ने अक्टूबर 1982 में निर्माण कार्य के लिए प्रारंभिक अनुमान प्रस्तुत किए, तथा रा ना वि ने अग्रिम भुगतान के रूप में जनवरी 1983 में के लो नि वि के पास 8.09 लाख रुपये की राशि जमा की। जब कार्य प्रगति पर था, रा ना वि ने जुलाई 1984 में निर्णय किया कि प्रेक्षागृह में वातानुकूलन/वायुशीतलन तथा ध्वनि व्यवस्था सहित कुछ परिवर्तन आवश्यक होंगे तथा के लो नि वि को नाट्यशालाओं के लिए इन्हें शामिल करने के पश्चात् संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने के लिए कहा। अतिरिक्त मदन भवन के नक्शे के वास्तविक रूप को बदल देंगी तथा परियोजना में अत्यधिक विलम्ब कर देंगी, अतः के लो नि वि ने दिसम्बर 1984 में रा ना वि द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त मदन की व्यवस्था किए बिना 22.01 लाख रुपये के अनुमानों के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए जो, रा ना वि द्वारा मई 1985 में अनुमोदित किए गए थे। संशोधन लागत में वृद्धि, लागत सूची (4.25 लाख रुपये) में वृद्धि, अधिक ऊंची कुर्सी/अधिक गहरी नींव (1 लाख रुपये) तथा क्षेत्र में वृद्धि (0.57 लाख रुपये) के कारण था। निर्माण कार्य संशोधित अनुमान के आधार पर अनुमोदन की तिथि (मई 1985) से दस माह की भीतर पूरा होना था। इससे आगे रा ना वि ने के लो नि वि के पास मार्च 1985 व मार्च 1986 में क्रमशः 5.83 लाख रुपये व 8.10 लाख रुपये जमा किए। सिविल निर्माण कार्य वास्तव में मई 1989 में पूरे हुए बताये गये थे।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने जुलाई 1984 में इसमें आगे कुछ अतिरिक्त निर्माण कार्य जैसे शौचालय में चमकदार टाइलें तथा, संगमरमर कार्य, प्रेक्षाग्रह में कुर्सियों आदि के लिए कहा जिसके लिए के लो नि वि ने जून 1985 में 6.61 लाख रुपये के अनुमान प्रस्तुत किए जो रा ना वि द्वारा सितम्बर 1985 में अनुमोदित किए गए थे। रा ना वि ने के लो नि के पास मार्च 1986 में इन मदों के लिए 6.61 लाख रुपये की अन्य राशि जमा की। निर्माण कार्य जो दो माह के भीतर समाप्त होना था अभी तक (दिसम्बर 1990) पूरा नहीं हुआ था।

जनवरी 1983 तथा मार्च 1986 के बीच रा ना वि द्वारा जमा करायी गयी कुल 28.63 लाख रुपये की राशि के प्रति के लो नि वि ने मई 1990 तक 17 लाख रुपये व्यय किए थे।

के लो नि वि द्वारा मई 1985 में मंत्रालय से किया गया अस्थायी नाट्यशाला के वातानुकूलन हेतु रा ना वि का अनुरोध जून 1985 में इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि यह एक अस्थायी नाट्यशाला थी। अस्थायी नाट्यशाला के वातानुकूलन/शीतलन हेतु आवश्यकता पर लगभग एक वर्ष के पत्राचार के पश्चात मंत्रालय ने केन्द्रीय वायुशीतलन तथा ध्वनि व्यवस्था, लकड़ी के फर्श जैसी अतिरिक्त मदों के लिए मार्च 1986 में अपना अनुमोदन सम्प्रेषित किया।

तथापि, के लो नि वि की सलाह से रा ना वि ने मार्च 1987 में मुख्य फर्शों से वातानुकूलन कार्य (तथा न कि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वायुशीतलन) हेतु

निविदाएं आमंत्रित कीं। क्योंकि के लो नि वि तीन फर्मों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यवाही करने की इच्छुक नहीं था; अतः 0.14 लाख रुपये की लागत पर मैसर्स मैकन, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रस्तावों पर विशेषज्ञ की सलाह ली गई। तथापि, इस मामले में कोई भी निर्णय नहीं किया जा सका तथा नवम्बर 1987 में के लो नि वि द्वारा वातानुकूलन कार्य हेतु 34.15 लाख रुपये के अनुमानों को फरवरी 1988 में रा ना वि द्वारा अनुमोदित किया गया था। रा ना वि ने मार्च 1989 तक के लो नि वि के पास 34 लाख रुपये (मार्च 1988 में 12 लाख रुपये, सितम्बर 1988 में 6 लाख रुपये, जनवरी 1989 में 6 लाख रुपये तथा मार्च 1989 में 10 लाख रुपये) जमा किए। निर्माण कार्य जो मार्च 1988 से एक वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त होना था अभी तक समाप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1990)।

मार्च 1986 में मंत्रालय निर्माण कार्य की अतिरिक्त मदों की व्यवस्था से सहमत हो गया था लेकिन इन निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने हेतु रा ना वि द्वारा कोई उचित कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। अप्रैल 1988 में केवल एक प्रकाश व्यवस्था विशेषज्ञ (मंच प्रकाश व्यवस्था) ध्वनि व्यवस्था हेतु विशेषज्ञ अक्टूबर 1989 में रखा गया था। ध्वनि व्यवस्था विशेषज्ञ द्वारा दिसम्बर 1989 में प्रस्तुत ध्वनि व्यवस्था योजना रा ना वि द्वारा अभी तक (अगस्त 1990) सुनिश्चित नहीं की गयी थी। वातानुकूलन हेतु योजना तथा नक्शे जनवरी 1989 में न दि न नि को प्रस्तुत

किए गए थे, जो न दि न नि द्वारा मई 1989 में अनुमोदित किए गए थे। दिल्ली दमकल सेवा से निर्बाधता अप्रैल 1990 में प्राप्त की गई थी। इसी बीच, रा ना वि ने मार्च 1990 में के लो नि वि को 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की। रा ना वि ने जून 1990 में बताया कि वातानुकूलन का कार्य के लो नि वि द्वारा दिया जा रहा था तथा के लो नि वि के अनुबंध के आधार पर समापन की निश्चित तिथि बाद में सूचित की जायेगी। इसके आगे रा ना वि ने बताया कि नाट्यशाला वित्तीय वर्ष 1990-91 के अंत तक पूरी होगी।

इस प्रकार मामले से निम्न प्रकट हुआ:-

- (i) नाट्यशाला की आवश्यकता सुनियोजित धीरे धीरे थी; विचार जिसके कारण 4 लाख रुपये की लगभग अनुमानित लागत वाली नाट्यशाला आरंभ हुई पूर्णतया वातानुकूलित नाट्यशाला के रूप में बढ़ गई जिसके लिए पहले ही के लो नि वि को 72.63 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका था।
- (ii) कार्य की गति धीमी थी; ध्वनि व्यवस्था हेतु योजना अभी तक अनुमोदित नहीं की गई थी।
- (iii) रा ना वि ने के लो नि वि को इसके द्वारा जारी की गयी निधियों की उचित संवीक्षा व नियंत्रण नहीं किया गया था। नाट्यशाला भवन के निर्माण हेतु भुगतान किए गए 22.01 लाख रुपये की राशि के प्रति केवल 17 लाख रुपये का व्यय, किया गया था। चमकदार टाइलें इत्यादि लगाने के लिए मार्च 1986 में भुगतान किए गए 6.61 लाख रुपये के प्रति कोई व्यय

नहीं किया गया था। 34.19 लाख रुपये के अनुमोदित अनुमानों के प्रति रा ना वि ने भवन के वातानुकूलन हेतु 44 लाख रुपये का भुगतान किया था।

(iv) रा ना वि द्वारा योजना का खंडशः सहारा लेने के परिणामस्वरूप केवल निधियों के अवरोधन व लागतों में वृद्धि ही नहीं हुई बल्कि योजना के समापन में विलम्ब होने से छात्रों को प्रत्याशित लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

मंत्रालय ने नवम्बर 1990 में बताया कि प्रारंभ में कल्पित अस्थायी नाट्यशाला की कार्यशाला के निर्माण के नक्शे रा ना वि में प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन स्थल की अत्यधिक कमी को देखते हुए संशोधित किए गए थे, निधियां के लो नि वि को जब भी आवश्यक हो के आधार पर जारी की गई थी तथा समापन में विलम्ब मुख्यतः मंत्रालय द्वारा वातानुकूलन योजना के अनुमोदन में विलम्ब, स्थानीय अधिकारियों द्वारा संशोधित नक्शों के अनुमोदन में विलम्ब तथा के लो नि वि द्वारा निर्माण कार्य में धीमी गति के कारण थी। तथापि तथ्य यह रहता है कि नाट्यशाला की आवश्यकता नियोजित थोड़ा थोड़ा करके की गई थी रा ना वि ने इसके द्वारा के लो नि वि को जारी निधियों पर उचित संवीक्षा तथा नियंत्रण नहीं किया तथा योजना के समापन में अत्यधिक विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन तथा छात्रों को अभिप्रेत लाभ से वंचित होना पड़ा।

18. निधियों का परिहार्य अवरोधन

ललित कला अकादमी (अकादमी) शहरी विकास मंत्रालय के स्वामित्व वाले भवन रबीन्द्र भवन में स्थित है । जून 1985 में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय संस्कृति विभाग (मंत्रालय) कला की कृतियों तथा ऐसी गैलरियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर को पूरा करने के लिए तापमान तथा आद्रता नियंत्रण को बनाये रखने के उद्देश्य से सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कला गैलरी को वातानुकूलित करने के लिए अकादमी के प्रस्ताव पर, सहमत हो गया । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के लो नि वि) ने वातानुकूलित तथा सम्बद्ध विद्युतीय या नि कार्यों (परन्तु सिविल निर्माण कार्यों को छोड़कर) के लिए अक्टूबर 1985 में 36.04 लाख रुपये के आरंभिक अनुमान, तथा काफी बाद, अकादमी द्वारा बारम्बर अनुस्मारक भेजने के पश्चात मई 1987 में सम्पूर्ण निर्माण कार्य के लिए 60.20 लाख रुपये के ब्यौरेवार अनुमान प्रस्तुत किए । इसी दौरान, मार्च 1987 में, अकादमी ने के लो नि वि के पास 8 लाख रुपये जमा किए जैसा कि उसके द्वारा सुझाव दिया गया था । निर्माण कार्य के के लो नि वि को भवन सुपुर्द किए जाने की तारीख से 14 महीने के अंदर पूरा किया जाना था । के लो नि वि के अनुसार (अक्टूबर 1987) अकादमी द्वारा 1988-89 में 40 लाख रुपये तथा 1989-90 में 12 लाख रुपये तक की निधियां उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित थी ।

अकादमी ने प्रशासकीय अनुमोदन तथा व्यय की संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए, मंत्रालय को जून 1987 में ब्यौरेवार अनुमान अग्रेषित किए तथा इसी दौरान मार्च 1988 में के लो नि वि को पुनः 12 लाख रुपये की राशि प्रदान की । मंत्रालय ने जुलाई 1988 में अकादमी को सूचित किया कि चूंकि अकादमी पहले ही के लो नि वि को 20 लाख रुपये प्रदान कर चुकी थी, व्यय की दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बशर्ते की बकाया राशि अकादमी के अनुमोदित बजट से पूरी की जाए । अकादमी ने जनवरी तथा मार्च 1989 में 20 लाख रुपये तथा 8 लाख रुपये रु. तथा जनवरी 1991 में 12 लाख रुपये की राशियां और के लो नि वि के पास जमा कराई ।

के लो नि वि ने दिसम्बर 1989 तथा जनवरी 1990 में वातानुकूलित योजना में भूतल के एक भाग को शामिल करने, उससे संबंधित सिविल निर्माण कार्य तथा मूल्य वृद्धि के कारण 75 लाख रुपये की संशोधित लागत की सूचना दी ।

लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया था कि अकादमी के पास रबीन्द्र भवन का स्वामित्व अधिकार नहीं था; परिणामतः भवन के स्पष्ट स्वामित्व के बिना इसका 60.2 लाख रुपये का पूंजीगत व्यय अविवेकपूर्ण था । अकादमी ने ब्यौरेवार अनुमानों की प्राप्ति से पहले ही मार्च 1987 में के लो नि वि को 8 लाख रुपये प्रदान किए तथा पुनः मार्च 1988 में 12 लाख रुपये दिए, यद्यपि, अक्टूबर 1987 में के लो नि वि द्वारा सूचित किए गए चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार

1987-88 के दौरान कोई भुगतान अपेक्षित नहीं था। अकादमी के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि ये भुगतान उपलब्ध बजट प्रावधानों को प्रयुक्त करने के लिए किए गए थे।

अकादमी ने के लो नि वि को परिसर मई 1990 में ही सुपुर्द किया।

इस प्रकार से, के लो नि वि को भवन सुपुर्द किए जाने से पहले ही मार्च 1990 तक 60 लाख रुपये के भुगतान की परिणति निधियों के परिहार्य अवरोधन में हुई (मार्च 1987 से 8 लाख रुपये, मार्च 1988 से 12 लाख रुपये, जनवरी 1989 से 20 लाख रुपये मार्च 1989 से 8 लाख रुपये तथा जनवरी 1990 से 12 लाख रुपये)। परियोजना जो कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में विवादास्पद थी, योजना अवधि के दौरान भी प्रारंभ नहीं की जा सकी तथा कला की कृतियों के लिए तापमान तथा आद्रता नियंत्रण को सुनिश्चित करने का उद्देश्य अप्राप्त रह गया। विलम्ब की परिणति लागत वृद्धि में होनी भी संभावित है।

अकादमी ने मई 1990 में बताया कि 1986 से बड़ी संख्या में आयोजित प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों के कारण के लोनिवि को चरणबद्ध तरीके से गैलरियां सुपुर्द नहीं की जा सकी। इस उत्तर से केवल यही पुष्टि हुई कि के लो नि वि को आवश्यकता से कहीं अधिक निधियां जारी की गई थीं तथा निधियों का अवरोधन परिहार्य था। अकादमी ने यह भी बताया कि के लो नि वि के पास जमा कराने के लिए एक समय पर किसी वर्ष में

पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं थी ताकि के लो नि वि से निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सम्पर्क किया जा सके। यह तर्क भी युक्तिसंगत नहीं था चूंकि के लो नि वि ने पहले ही संकेत दिया था कि व्यय चरणबद्ध किया जाना था तथा गैलरियां प्रदर्शनियों के कारण उपलब्ध नहीं बताई गई थीं।

मामले की सूचना मई 1990 में मंत्रालय को दी गई थी; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मई 1991)।

साहित्य अकादमी

19. निधियों का अवरोधन

साहित्य अकादमी अकादमी शहरी विकास मंत्रालय के स्वामित्व वाली रवीन्द्र भवन ईमारत में 10,404/-रु. के मासिक किराये पर अवस्थित है। 10 लाख रु. की एक अनुमानित लागत पर एक केन्द्रीय वातानुकूलन यूनिट की स्थापना करते हुए, अकादमी के पुस्तकालय खंड को वातानुकूलित करने का प्रस्ताव, अकादमी की वित्त समिति तथा कार्यकारी मंडल द्वारा अगस्त 1987 में आयोजित की गई उनकी बैठकों में सिद्धान्त रूप में अनुमोदित किया गया था। व्यय, अकादमी की अन्य बजट बचतों में से पूरा किया जाना प्रस्तावित किया गया था बशर्ते कि यह किसी अन्य महत्वपूर्ण योजना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे। अकादमी ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) को, कार्य प्रारंभ करने हेतु जनवरी 1989 में सम्पर्क किया। के.लो.नि.वि. ने मार्च 1989

में 25.48 लाख रु. के लिए प्रस्तावित कार्य (सिविल कार्यों को छोड़कर) के प्रारंभिक अनुमान प्रस्तुत किये, जो कि अकादमी की वित्त समिति/कार्यकारी मंडल द्वारा जुलाई/अगस्त 1989 में अनुमोदित किये गये थे । निर्माण कार्य, संस्वीकृति के पश्चात 8 से 10 माह में सम्पूर्ण किया जाना था । सिविल निर्माण कार्य के लिए अनुमान, अभी तक प्रतिक्षित बताए गये थे (अक्टूबर 1990)। अकादमी ने 14.50 लाख रु. के.लो.नि.वि. के पास मार्च 1989 (9 लाख रु.) तथा मार्च 1990 में (5.50 लाख रु.) जमा कराये । कार्य, के.लो.नि.वि. द्वारा अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया था (अक्टूबर 1990)।

यह देखा गया था कि अकादमी का रबिन्द्र भवन पर स्वामित्व अधिकार नहीं था; परिणामस्वरूप, भवन के स्पष्ट अधिकार के बिना वातानुकूलन पर इसका पूंजीगत व्यय अनियमित था । अकादमी ने के.लो.नि.वि. से प्रारंभिक अनुमानों (सिविल निर्माण कार्यों को छोड़कर) को मांगने के लिए डेढ़ वर्ष लिया । अकादमी ने न तो आनुषंगिक सिविल निर्माण कार्यों से संबंधित अनुमानों को, न ही इसके द्वारा अधिकृत भवन को वातानुकूलित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया । इसने के.लो.नि.वि. को 14.5 लाख रु. का भुगतान जारी किया यद्यपि उसकी ओर से कोई मांग नहीं थी । के.लो.नि.वि. को 5.5 लाख रु. की दूसरी किस्त मार्च 1990 में जारी की गई थी, यद्यपि के.लो.नि.वि. ने, मार्च 1989 में इसे पहले से भुगतान किये गये 9 लाख रु. की राशि में से कोई व्यय

नहीं किया था ।

जून 1990 में, अकादमी ने बताया, कि के.लो.नि.वि. के पास जमा किये जाने हेतु किसी भी वर्ष में पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं थीं तथा के.लो.नि.वि. को कार्य प्रारंभ करने हेतु सम्पर्क तभी किया जा सकता था, यदि समस्त राशि एक मुश्त में जमा कर दी गई होती । तथापि, अभिलेख में यह दशनि के लिए कुछ भी नहीं था कि के.लो.नि.वि. ने अनुमानित लागत की समस्त राशि अग्रिम में मांगी थीं । 9 लाख रु. तथा 5.50 लाख रु. की राशियां के.लो.नि.वि. के पास दूसरे लेखा-शीर्षों के अन्तर्गत बचतों की उपलब्धता के कारण ही जमा कराई गई थीं ।

इस प्रकार 14.50 लाख रु. अवरुद्ध रहे (9 लाख रु. मार्च 1989 से तथा 5.50 लाख रु. मार्च 1990 से) तथा उद्देश्य जिसके लिए वातानुकूलन अभिप्रेत था, अभी तक भी प्राप्त नहीं हो सका था (अक्टूबर 1990)।

मामला जुलाई 1990 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मई 1991)।

बाल भवन समिति, नई दिल्ली

20. निधियों का अग्रिम जमा कराया जाना

अपनी पेय जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाल भवन समिति, नई दिल्ली (समिति) ने मार्च

1983 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के लो नि वि) को, 2.56 लाख रुपये तक की अनुमानित लागत की एक 50,000 लीटर वाली क्षमता की ऊपरी जल टंकी के निर्माण का कार्य सौंपा। समिति ने मार्च 1983 में के लो नि वि के पास, 2.56 लाख रुपये की समस्त अनुमानित लागत भी जमा कराई। कार्य में वितरण लाइनें, वास्तुशिल्पीय विशिष्टताएं जैसे, टंकी के ऊपर माडल रोशनी घर तथा बच्चों के लिए सीढ़ी मार्ग आदि सम्मिलित थे।

पांच वर्षों की एक अवधि के उपरांत भी के लो नि वि दिल्ली अरबन आर्ट कमीशन द्वारा पारित किए जाने हेतु, संबंधित दस्तावेज/मॉडल तैयार कराने में विफल रहा। इसी दौरान मार्च 1988 में के लो नि वि द्वारा अनुमान, 8.16 लाख रुपये तक संशोधित किए गए थे। समिति ने मार्च 1988 में के लो नि वि से कार्य वापिस ले लिया तथा मार्च 1983 में जमा कराये गये 2.56 लाख रुपये की राशि उसे लौटाने को कहा। के लो नि वि ने राशि दिसम्बर 1988 में लौटा दी।

इस प्रकार 2.56 लाख रुपये की राशि के लो नि वि के पास पांच वर्षों से अधिक के लिए अवरुद्ध रही तथा लाभ-भोगियों को वांछित लाभ उपलब्ध नहीं कराये जा सके थे। समिति ने जून 1990 में बताया, कि के लो नि वि ने एक अथवा दूसरे कारण से कार्य को लटकाये रखा था तथा विलम्ब, के लो नि वि के कारण था। समिति ने यह भी बताया कि अक्टूबर 1989 में, हाल में निर्मित किए गए संग्रहालय भवन में, दो भूमिगत हौज निर्मित किए गए थे तथा जल की

आवश्यकता, पेय जल के लिए बनाए गए हौजों से पूरी की जा रही थी।

मामला जुलाई 1990 में मंत्रालय के प्रेषित किया गया था। मंत्रालय ने जनवरी 1991 में बताया कि, निधियों का अवरोधन, मुख्य रूप से के लो नि वि के निर्माण कार्य के निष्पादन करने में असमर्थता पर आरोप्य था, तथा वास्तुशिल्पीय आरेखणों की तैयारी एवं आरेखणों को अंतिम रूप देने में काफी समय लिया तथा के लो नि वि के लिए दिल्ली शहरी कला आयोग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था।

लागत में वृद्धि, लागत सूचकांक में सामान्य वृद्धि तथा भूमिगत हौज एवं पम्प गृह हेतु अतिरिक्त प्रावधान पर आरोपित था।

मंत्रालय ने निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व देखी जाने वाली मूल औपचारिकताओं की अनुपालना सुनिश्चित किए बिना, के लो नि वि के पास धन जमा कराने हेतु कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए। इसके फलस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ।

21. ठेकेदार को अनभिप्रेत लाभ

बाल भवन समिति (समिति) ने लागत जमा आधार पर नई दिल्ली स्थित अपने भवन के निर्माण के लिए मार्च 1985 में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (रा.भ.नि.नि.) के साथ एक समझौता किया। रा.भ.नि.नि. को वास्तविक लागत (जैसा कि उसमें निरूपित किया गया था) जमा 12.5 प्रतिशत अदा की जानी थी तथा भुगतान प्रत्येक मास, किए गए

कार्य हेतु किया जाना था । सीमेंट तथा इस्पात की खरीद के मामले में रा.भ.नि.नि. को भुगतान, आपूर्तिकर्ता से प्रोफार्मा बीजक के प्रस्तुतीकरण पर किया जाना अपेक्षित था ।

समिति ने फरवरी 1989 में रा.भ.नि.नि. को, सितम्बर 1989 तक समाप्त किए जाने वाले 59.10 लाख रु. की अनुमानित लागत पर, राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र तथा पुस्तकालय खंड के निर्माण का कार्य सौंपा था ।

समिति ने मार्च 1989 में रा.भ.नि.नि. को 30 लाख रु. की पहली किश्त अग्रिम में अदा की थी जिसमें से 6 लाख रु., यथानुपात आधार पर चालू बिलों से वसूलीयोग्य ब्याज रहित संग्रहण अग्रिम के रूप में माने जाने थे । 24 लाख रु. की शेष राशि तथा इसमें और कोई जोड़ी गई राशि पर, निष्पादित कार्य के मूल्य को कम करने के पश्चात अवकारक शेष प्रणाली से 10 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाना था । समिति ने अगस्त 1989 से मार्च 1990 के दौरान रा.भ.नि.नि. को, जैसी कि रा.भ.नि.नि. द्वारा माँग की गई थी, 27 लाख रु. की कुल और राशि अदा की थी, जो कि मार्च 1990 में निष्पादित कार्य के प्रति समायोजित की गई थी ।

भारत सरकार के जुलाई 1983 के आदेशों के अनुसार, एक करोड़ रु. की सीमा तक 10 प्रतिशत का संग्रहण अग्रिम केवल कुछ विशिष्ट तथा पुंजीगत गहन निर्माणकार्यों जिन की लागत एक करोड़ रु. से कम न हो, के सम्बन्ध में स्वीकृत किया जा सकता था । इस

प्रकार रा.भ.नि.नि. को 6 लाख रु. का ब्याज मुक्त संग्रहण अग्रिम भुगतान अनियमित था तथा परिणामस्वरूप ठेकेदार को एक अनुचित सहायता हुई थी । कुल 57 लाख रु. के अग्रिम भुगतान मार्च 1985 के समझौते की शर्तों से परे भी थे । इन राशियों पर 10 प्रतिशत की रियायती दर से भी संगणित ब्याज 1.09 लाख रु. बनता था । इसके प्रति समिति ने जुलाई 1990 में केवल 0.60 लाख रु. के तदर्थ ब्याज/छूट को ही समायोजित किया था ।

समिति ने सितम्बर 1989 में बताया कि रा.भ.नि.नि. ने अग्रिम भुगतान पर जोर दिया था क्योंकि निर्माण-कार्य समय - बद्ध था तथा भण्डार इकट्ठी मात्रा में खरीदा जाना था । निर्माण-कार्य जो सितम्बर 1989 तक पूरा किया जाना था अभी तक पूरा नहीं किया गया था (दिसम्बर 1990) । निर्माण कार्य जो कि रा.भ.नि.नि. को लागत जमा आधार पर सौंपा गया था, के समापन में देरी के फलस्वरूप अन्य-बातों के साथ-साथ अक्टूबर 1990 में लागत अनुमानों में 59.10 लाख रु. से 84.47 लाख रु. तक की वृद्धि तथा संशोधन हुआ था । मार्च 1985 में, समिति द्वारा रा.भ.नि.नि. के साथ किए गए समझौते में, कार्य समापन में देरी के लिए शास्ति /प्रतिपूर्ति को वसूलने हेतु कोई प्रावधान नहीं था ।

इस प्रकार, मार्च 1989 से मार्च 1990 के दौरान रा.भ.नि.नि. को किए गए 57 लाख रु. के भुगतान (ब्याज मुक्त संग्रहण अग्रिम के रूप में 6 लाख रु. सहित), जो कि निष्पादित निर्माण कार्य की लागत के

प्रति अन्ततः मार्च 1990 में समायोजित किए गए थे, के परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनभिप्रेत लाभ हुआ था। निर्माण कार्य के समापन में देरी के फलस्वरूप भी 25.37 लाख रु. तक की लागत वृद्धि हुई थी।

मामला अगस्त 1990 में मंत्रालय को सूचित किया गया था: उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (मई 1991)।

महिला एवं बाल विकास विभाग

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

22. विद्युत प्रभारों पर अतिरिक्त व्यय

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दि.वि.प्र.सं.) ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (संस्थान) के कार्यालय परिसर (40 कर्मचारी क्वार्टरों सहित) में, वाणिज्यिक श्रेणी के लिए लागू थोक आपूर्ति दरों पर विद्युत की खपत को दर्ज करने के लिए संयुक्त मीटर सहित, 188.76 कि.वा. की क्षमता (148 कि.वा. शक्ति जमा 40.76 कि.वा. प्रकाश) का एक सब-स्टेशन उपलब्ध कराया, जो कि सितम्बर 1980 में क्रियाशील हुआ।

दि.वि.प्र.सं. की शुल्क दर सूची के अनुसार संस्थान को समय-समय पर निर्धारित दरों पर ऊर्जा प्रभारों सहित बिल की मांग के भाग पर 40 रु. प्रति माह प्रति के.वी.ए. की दर से मांग प्रभारों (मार्च 1985 तक 20 रु. प्रति माह) का दि.वि.प्र.सं. को भुगतान करना अपेक्षित था।

अभिलेखों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि संस्थान की विद्युत की वास्तविक खपत, जिसके आधार पर संस्थान द्वारा भुगतान किया जा रहा था, बिल मांग से हमेशा ही बहुत कम थी। इसके परिणामस्वरूप मई 1983 से फरवरी 1984 और जनवरी 1985 से मार्च 1990 के दौरान 1.36 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। मार्च 1984 से दिसम्बर 1984 (सिवाए मई 1984) अवधि के लिये अभिलेख, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। संस्थान ने किसी भी समय अपनी विद्युत की थोक आपूर्ति की मांग की समीक्षा नहीं की थी।

मंत्रालय ने जून 1991 में बताया कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली ने परिसर में लाइट तथा पावर पाइंटों की व्यवस्था पर आधारित 188.76 कि.वा. के उ.प्र. विद्युत ऋण का आंकलन तथा सिफारिश की थी। इसने आगे बताया कि 1.36 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय दि.वि.प्र.सं. के साथ हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों के मध्यनजर अपरिहार्य था।

भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन शाखा)

23. विशाखापट्टनम पत्तन न्यास

23.1 प्रस्तावना

विशाखा पट्टनम पत्तन 1933 में यातायात के लिए खोला गया था। पत्तन का प्रशासकीय नियंत्रण, जो कि आरंभ में रेलवे बोर्ड के पास था, 1956 में

जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आया था तथा विशाखापटनम पत्तन न्यास (वि.सप.न्या.) भारत सरकार द्वारा प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत 29 फरवरी, 1964 को गठित किया गया था। तब से, प्राथमिक रूप से जापान को लौह अयस्क निर्यात को संचालित करने के लिए 110.00 करोड़ रुपये की लागत से 1976 में प्रारंभ एक बाह्य बंदरगाह, कच्चा तेल अवतारण के एक भाग के रूप में दिसम्बर 1985 में 2595.15 लाख रुपये की लागत से एक तेल गोदी तथा 4311 लाख रुपये की अनुमानित लागत से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से निष्पादित परिवहन प्रणाली, तथा मार्च 1990 में 1811.53 लाख रुपये की लागत से एक मछुवाही बंदरगाह जैसी अतिरिक्त सुविधाओं को सृजित करते हुए बहुत सी विकासात्मक परियोजनाएं कार्यान्वित की गई थी। बाह्य बंदरगाह पर सुविधा क्रमशः 213.38 लाख रुपये तथा 952.60 लाख रुपये की लागत से 1983 में एक नौबंद बंदरगाह तथा बड़े हुए लौह अयस्क यातायात को संचालित करने के लिए तीसरे वैगन टिपलर तथा 1013.29 लाख रुपये की लागत से मार्च 1985 में एक सामान्य नौभार व भारी नौ गोदी का प्रावधान करके विस्तार किया गया था।

23.2 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

पत्तन न्यास (वि.प.न्या.) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से, सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तुलन पत्र सहित अपने लेखे अनुरक्षित करता है तथा लेखे का वार्षिक विवरण तैयार

करता है। लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत की जाती है। विद्यमान पुनरीक्षण 1984-85 से 1989-90 तक की अवधि को शामिल करता है तथा जनवरी 1990 से जुलाई 1990 के दौरान की गई नमूना जांच पर आधारित है।

23.3 संगठनात्मक ढांचा:

पत्तन का प्रबंध एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सत्रह व्यक्तियों तक से बने एक न्यासी-बोर्ड में निहित है।

23.4 विशिष्टताएं

- यद्यपि पत्तन न्यास के पास पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व आधिक्य था, इसने 1989-90 के अन्त में 11,325.27 लाख रु. की राशि के बाह्य बन्दरगाह के सम्बन्ध में भारत सरकार को अपने ऋण आभारों पर चूक की।
- 1986-87 से 1988-89 के दौरान नौभार संचालन उपस्करों का 65 से 100 प्रतिशत तक अनुपयोग रहा।
- 1984-85 से 1989-90 के दौरान अतिरिक्त प्रतिवर्ष संचालित लौह अयस्क यातायात 5 मिलियन टन के लक्ष्य के प्रति केवल 0 से 1.5 मिलियन टन था तथा इस प्रकार अयस्क संचालन काम्प्लैक्स तथा

- वाह्य बन्दरगाह पर 110.00 करोड़ रु. का अतिरिक्त पूंजी निवेश अधिकतर अनुत्पादक रहा ।
- लौह अयस्क के लिए संचालन प्रभार 6.3 मिलियन टन कल्पित भार पर नियत किए गए थे। पत्तन न्यास के अनुसार 0.5 मिलियन टन की भार में भिन्नता के संबंध में हानि दो करोड़ रुपये प्रतिवर्ष थी ।
 - पत्तन न्यास को वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के लिए अयस्क संचालन काम्पलैक्स में यांत्रिकी विफलता के कारण 220.00 लाख रु. के विलम्बन प्रभार उठाने पड़े । लौह अयस्क ले जा रहे रैकों की टिपलिंग में विलम्ब के कारण वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान 71.38 लाख रु. की अतिरिक्त राशि रेलवे को अदा करनी पड़ी थी ।
 - लौह अयस्क ले जा रहे जहाजों के लिए जलयान आधारित प्रभार तथा संचालन प्रभारों की संशोधित दरों के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान 463.05 लाख रु. के राजस्व की हानि हुई ।
 - 11.50 लाख रु. मूल्य के अप्रयुक्त भंडारों का नीलामी द्वारा निपटान किया जा रहा था
 - आपूर्तिकर्ताओं से अधिप्राप्त 22.73 लाख रु. के भंडार त्रुटिपूर्ण पाये गये थे तथा उनकी लागत की वसूली नहीं की जा सकी ।
 - यांत्रिकी तथा मानवीय विफलता के कारण क्षतिग्रस्त अयस्क संचालन कापलैक्स की कन्वेयर बैल्ट 143.16 लाख रु. की लागत से बदली गयी थी ।
 - प्रदूषण से बचाव के लिए 81.02 लाख रु. की लागत से संस्थापित धूल नियंत्रण प्रणाली ने प्रारम्भ से कार्य नहीं किया था ।
 - आ.प्र.श.वि.बो.को मांग के अनुसार अनुपालना में विलम्ब के कारण आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को शास्ति प्रभारों के लिए 100.19 लाख रु. अदा किये गये थे ।
 - 223.79 लाख रुपये की लागत पर अधिप्राप्त दो क्रेनों में निर्माण संबंधी त्रुटियों के परिणामस्वरूप वार्षिक राजस्व की आवर्ती हानि हुई थी ।
 - एक ठेका लेने वाली एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन में आठ वर्षों के विलम्ब से पत्तन न्यास को 8.91 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।
- 23.5 वित्त तथा लेखे
- वर्ष 1984-85 से 1989-90 के लिए पत्तन न्यास के पूंजीगत तथा राजस्व लेखे का सार नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपयों में)

1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90

क. वर्ष के अंत में

परिसंपत्तियां

1. लागत पर पूंजीगत

परिसंपत्तियां 18,238-93 19,912-68 23,106-55 24,529-08 26,387-35 28,281-26

घटा: मूल्यहास 4,398-26 4,921-59 5,499-78 6,127-26 6,689-90 7,287-52

मूल्यहास मूल्य पर

परिसंपत्तियां 13,840-67 14,991-09 17,606-77 18,401-82 19,697-45 20,993-74

2. निर्माण कार्य-प्रगति

पर 3,617-55 3,303-68 1,373-37 400-74 648.35 978-88

3. निवेश 1,629-61 1,702-98 1,701-75 2,179-33 2,294-45 2,754-47

4. वर्तमान परिसंपत्तियां 6,990-25 8,308-81 10,645-43 11,446-56 15,593-65 18,112-73

5. कार्य प्रणाली में

घाटा 2,604-51 1,746-47 933-95 236-43 - -

कुल परिसंपत्तियां 28,682-59 30,053-03 32,261-27 32,664-88 38,233-90 42,839-82

ख. वर्ष के अंत में

देयताएं

1. पूंजीगत ऋण

(i)सरकार से 16,671-64 16,789-88 16,976-61 16,884-51 17,078-72 16,387-88

(ii)अन्य स्रोतों से 495-00 495-00 519-41 516-97 514-53 512-09

17,166-64 17,284-88 17,496-02 17,401-48 17,593-25 16,899-97

2. वर्तमान देयताएं	6,568-34	7,604-32	9,413-10	9,482-11	10,864-91	11,501-39
3. रिजर्व आधिक्य, पेंशन, भविष्य निधि आदि	4,930-63	5,130-64	5,329-70	5,727-35	9,706-44	14,423-74
4. सरकार से अनुदान	16-98	33-19	22-45	53-94	69-30	14-72

कुल देयताएं: 28,682-59 30,053-03 32,261-27 32,664-88 38,233-90 42,839-82

ग. वर्ष के लिए

राजस्व तथा व्यय:

1. राजस्व आय 6,262-18 7,172-84 8,270-64 9,278-66 13,545-90 13,020-63

2. राजस्व व्यय:

(i) की गई सेवाओं

की लागत 3,298-60 3,810-11 4,450-87 5,050-12 5,454-15 5,560-86

(ii) प्रबंध तथा सामान्य

प्रशासन 758-16 793-78 987-10 1,172-51 1,827-87 1,418-99

(iii) वित्त तथा

विविध व्यय 1,413-32 1,704-67 2,010-92 2,271-40 2,474-97 2,074-34

जोड़ (मद सं. 2) 5,470-08 6,308-56 7,448-89 8,494-03 9,756-99 9,054-19

3. आधिक्य(+)/घाटा(-) 792-10 864-28 821-75 784-63 3,788-91 3,966-44

4. संचालन लेखे पर

आधिक्य

(अलग से लेखाबद्ध

किए गए) 19-32 78-45 213-49 220-79 519-62 791-25

23.6 रोकड़, लेखाविधि तथा वित्तीय प्रबंध तथा संबंधित अनियमित लेनदेन तथा भुगतान

धोखा घड़ी/गबन के जोखिम को कम करने और सही लेखा तैयार करने के लिए बैंक समाधान अनिवार्य

23.6.1 बैंक समाधान और पुरानी समाधान न की गई मदों का निपटान न किया जाना।

है।

जनवरी 1990 के अंत तक रोकड़ शेषों का बैंकों के साथ समाधान केवल जून 1990 में ही किया गया था। 97.95 लाख रुपए को शामिल करते हुए एक से अधिक वर्ष से लम्बित 543 समाधान न की गई मदों, 5 वर्षों से अधिक पुरानी 8.78 लाख रुपए की राशि की 148 मदों और वर्षों से अधिक पुरानी 28.89 लाख रुपए की राशि की 219 मदों के निपटान के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

23.6.2 विभिन्न देनदारों से न उगाही गई राशियां

मार्च 1990 तक 3157.64 लाख रुपए की राशियां विभिन्न देनदारों से उगाही के लिए लंबित थी जिनमें से 183.78 लाख रुपए की प्राइवेट पार्टियों से तथा 2973.86 लाख रुपए की राशियां सरकारी एजेंसियों से संबंधित देनदारों के लिए वर्ष वार बकाया राशियां निम्न लिखित तालिका में दी गई हैं:-

31-3-90 को बकाया विभिन्न देनदारों की वर्षवार स्थिति :

(लाख रुपयों में)

वर्ष	सरकारी पार्टियां	निजि पार्टियां	कुल
1969-70 से			
1979-80	4.36	3.04	7.40
1980-81	12.95	0.19	13.14
1981-82	1.13	1.57	2.70
1982-83	13.26	1.26	14.52
1983-84	8.72	2.63	11.35
1984-85	28.76	13.22	41.98
1985-86	167.55	14.76	182.31
1986-87	117.79	2.11	119.90
1987-88	480.22	12.13	492.35
1988-89	922.62	34.05	956.67
1989-90	1216.50	98.82	1315.32
जोड़	2973.86	183.78	3157.64

5 वर्षों से अधिक (1969-70 तथा उस से आगे) की उगाही के लिए लम्बित राशि 91.09 लाख रुपए थी । रेलवे से वसूली योग्य सात्रिक प्रभारों (2150.26 लाख रुपए), प्राइवेट पार्टियों (165.96 लाख रुपए) तथा सरकारी पार्टियों (199.00 लाख रुपए) से वसूली योग्य सम्पदा किराये, भारी लम्बित बकाया बनते हैं । ऋण की वसूली के लिए पत्तन न्यास की ओर से उठाये गए अपर्याप्त प्रयासों से न केवल निधियों का अवरोधन हुआ अपितु इस प्रकार अवरोधित निधियों पर ब्याज की भी हानि हुई । 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष के लिए काल्पनिक हानि 315.76 लाख रुपए की राशि की है ।

23.6.3 ठेकेदारों तथा फर्मों आदि को किए गए अग्रिम भुगतान

मार्च 1990 के अन्त में पत्तन न्यास के लेखों में 2904.49 लाख रुपए की राशि, फर्मों, ठेकेदारों और पत्तन न्यास के कर्मचारियों को दिये गए अग्रिम भुगतानों के कारण बकाया थी । इसमें से 1175.50 लाख रुपए की राशि भण्डार की अधिप्राप्ति के लिए दिये गए अग्रिम भुगतानों, 528.42 लाख रुपए की राशि सीमेन्ट तथा इस्पात की अधिप्राप्ति, 16.60 लाख रु. ठेकेदारों, 37.50 लाख रुपए विभिन्न लोक निर्माण कार्य अग्रिमों तथा शेष 1146.47 लाख रुपए की राशि कर्मचारियों को दिये गए अग्रिमों से सम्बन्धित थी । भण्डार की अधिप्राप्ति के लिए दिये गए अग्रिमों के सम्बन्ध में 144.44 लाख रु. राशि 10 वर्षों से (1975-76 तथा उस से आगे) लम्बित थी । वार्षिक

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा समय-समय पर इंगित किये जाने के बावजूद भी पत्तन न्यास बकाया अग्रिमों के भुगतानों को चुकाने के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका था । पत्तन न्यास ने 1987 से जर्नल लेजर के शेषों का सहायक रजिस्ट्रों के साथ समाधान नहीं किया है ।

एक दशक से अधिक समय से बकाया अग्रिम भुगतानों के निपटान न किए जाने के कारण, सामग्री की प्राप्ति न किए जाने के मामले, यदि कोई हो, बिना पता लगे रह जायेंगे ।

23.7 ऋण सेवाई

23.7.1 प्रारंभिक पूंजीगत ऋण

यद्यपि, पत्तन न्यास का गठन फरवरी 1964 में किया गया था, प्रारंभिक पूंजीगत ऋण तथा उस पर प्रभार्य ब्याज की दर सहित इसकी अदायगी की शर्तें अंततः मई 1988 में निर्धारित की गई थी । सरकार ने प्रारंभिक पूंजीगत ऋण 1190.69 लाख रु. निश्चित किया तथा प्रारंभिक पूंजीगत ऋण का 50 प्रतिशत (595.345 लाख रु.) को 1964-65 तथा इसके बाद से 5.25 प्रतिशत का वार्षिक ब्याज लगाते हुए ऋण पूंजी के रूप में माना तथा यह भी निदेश दिये कि इसकी वर्ष 1988-89 से प्रारम्भ होने वाली 10 बराबर किस्तों में पुनर्अदायगी की जाए । प्रारंभिक पूंजीगत ऋण का शेष 50 प्रतिशत (595.345 लाख रु.) बिना ब्याज वाली आस्थगित विमोच्य पूंजी मानी गई थी । अधिक आस्थगित विमोच्य पूंजी के इस भाग की पुनर्अदायगी की शर्तें अभी भी सुनिश्चित की जानी हैं । मंत्रालय ने

फरवरी 1991 में बताया कि प्रारंभिक पूंजी तथा इसकी पुनर्दायगी की शर्तों को सुनिश्चित करने से सम्बन्धित मामला विचाराधीन था तथा अंतिम निर्णय शीघ्र लिया जायेगा ।

मई 1988 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत, 1964-65 से 1987-88 तक ऋणपत्र पूंजी के रूप में माने गये भाग पर पत्तन न्यास का ब्याज आभार, पत्तन न्यास के अनुसार, 750.13 लाख रु. बनता था । 1987-88 के अन्त में ब्याज के रूप में अधिक अदा किये गये 308.82 लाख रु. के समायोजन के बाद, ऋण पत्र पूंजी के रूप में माने गये प्रारंभिक पूंजीगत ऋण का शेष 50 प्रतिशत, जिसकी अभी पुनर्दायगी की जानी थी, 31 मार्च 1988 को 286.52 लाख रु. बनता था । सरकार द्वारा ऋण भुगतान अनुसूची की पुष्टि लम्बित होने के कारण पत्तन न्यास ने वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के लिए सरकार को 1190.69 लाख रु. की कुल प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज के रूप में 44.06 लाख रु. की राशि अदा की ।

23.7.2 लौह अयस्क संचालन सुविधाओं के सम्बन्ध में ऋण आभारों का न चुकाया जाना:

बेलादिया खानों में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (रा.ख.वि.नि.) द्वारा खनन किये गये तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम (ख.धा.व्या.नि.) द्वारा जापान को निर्यात किये गये लौह अयस्क के निर्यात के लिए लौह अयस्क संचालन सुविधाओं का सृजन करने के लिए 1988-89 के अन्त में पत्तन न्यास (वाह्य बन्दरगाह) ने सरकार से 11,041.23 लाख रु. के कुल कर्जे

प्राप्त किये ।

1988-89 के अन्त तक, पत्तन न्यास ने, लौह अयस्क संचालन सुविधाओं के सृजन के लिए प्राप्त किये गये कर्जों के सम्बन्ध में सरकार को सामान्य दरों पर 6855.65 लाख रु. के ब्याज तथा 4469.62 लाख रु. के मूलधन को समाविष्ट करते हुए 11,325.27 लाख रु. तक के ऋण आभारों के भुगतान में चूक की थी । तथापि, पत्तन न्यास ने वर्ष 1989-90 के लिए देय कर्जें जमा ब्याज की किस्तें अदा की ।

अलाभकारी स्तरों पर लौह अयस्क के संचालन प्रभारों को स्थिर रखने के उद्देश्य से ऋण आभारों का अधित्याग करने के लिए पत्तन न्यास का तर्क सरकार द्वारा अगस्त 1989 में इस आधार पर अमान्य कर दिया गया था कि प्रमुख पत्तनों के सभी बकाया कर्जों को सातत्व में कर्जों के रूप में मानने को लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन था । इस विषय पर अंतिम निर्णय लम्बित होने से अगस्त 1989 में पत्तन न्यास को अपने ऋण आभारों का भुगतान जारी रखने का निदेश दिया गया था । पत्तन न्यास ने सूचित किया (जुलाई 1990) कि मामला अभी मंत्रालय के साथ पत्राचाराधीन है । तथापि, मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि ऋण आभारों के अधित्याग के लिए पत्तन न्यास का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

23.8 कार्यप्रणाली परिणाम

23.8.1 वर्ष 1988-89 के दौरान (i) 1-4-1984 तथा 1-4-1986 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लौह अयस्क प्रभारों में, (ii) 23-6-1988 से नौभार संचालन के

लिए प्रभारों तथा जलयानों पर प्रभारों में, (iii) 15-7-88 से संचालन प्रभारों में तथा (iv) 28-7-88 से 26 प्रतिशत तक रेलवे प्रभारों में ऊपर की ओर संशोधन हुआ था । संचालित यातायात 1984-85 में 128.73 लाख टन से 1989-90 में 211.17 लाख टन तक बढ़ गये थे । व्यय पक्ष में, 1-1-1988 से मजदूरों में सामान्य वृद्धि हुई थी ।

प्रमुख पत्तनों पर आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, पत्तनों को लगाई गई पूंजी पर 12 प्रतिशत से अधिक की प्रतिलाभ की दर प्राप्त करनी चाहिये । 1984-85 से 1988-89 तक की अवधि के दौरान पत्तन न्यास द्वारा प्राप्त की गई प्रतिलाभ की दर, जैसा कि वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्टों में दर्शाया गया है, निम्नवत् थी:

23.8.2 पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	नियोजित पूंजी	संचालित आधिक्य	प्रतिफल की दर
(लाख रु. में)			
1984-85	12,331	1,908	15.47
1985-86	14,523	2,305	15.87
1986-87	17,851	2,365	13.25
1987-88	19,359	1,872	9.67
1988-89	20,912	3,447	16.48
1989-90	22,244	5,265	23.67

पिछले वर्षों की तुलना में 1987-88 में प्रतिफल की दर में कमी पत्तन न्यास द्वारा नियोजित पूंजी में वृद्धि तथा अक्टूबर 1987 में कर्मचारियों को 329.25 लाख रु. की राशि की अन्तरिम राहत के भुगतान के लिए संचालन आधिक्य में कमी के कारण आरोपित की गई थी ।

23.8.3 पूंजीगत व्यय का निधिकरण:

वर्ष 1984-85 से 1988-89 के दौरान

6908.23 लाख रु. के कुल पूंजीगत व्यय में से 4554.23 लाख रु. की राशि आंतरिक स्रोतों से पूरी की गई बताई गई थी । तथापि, वर्ष 1989-90 के दौरान पत्तन न्यास ने 1961.24 लाख रु. का समस्त पूंजीगत व्यय आंतरिक स्रोतों से पूरा किया था ।

23.8.4 1984-85 से 1989-90 के दौरान संचालित यातायात

वर्ष 1984-85 से 1989-90 के दौरान पत्तन

द्वारा प्रत्याशित यातायात का पूर्वानुमान तथा संचालित वास्तविक यातायात निम्नवत था:

(लाख टनों में)

वर्ष	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
निर्यात						
पूर्वानुमान	68.70	73.05	79.67	79.10	84.50	87.50
वास्तविक	63.30	69.71	78.41	78.10	100.31	107.07
आयात						
पूर्वानुमान	46.20	64.10	76.52	69.00	71.00	76.00
वास्तविक	47.52	64.43	70.16	69.65	86.00	93.38
यानांतरण						
यातायात						
पूर्वानुमान	16.00	19.05	1.87	2.00	12.00	12.00
वास्तविक	17.91	24.98	1.79	5.96	17.40	10.72
कुल						
यातायात						
पूर्वानुमान	130.90	156.20	158.06	150.10	167.50	175.50
वास्तविक	128.73	159.12	150.36	153.71	203.71	211.17

लौह अयस्क के निर्यात में निर्यात यातायात का दो था। आयातित नौभार की महत्वपूर्ण मदों में उर्वरक, तिहाई भाग समाविष्ट था तथा वर्ष 1984-85 से उर्वरकों के लिए कच्चा माल तथा कुकिंग कोयला 1989-90 के दौरान निर्यात संचालनों पर पत्तन शामिल थे।

न्यास द्वारा जारी किए गए राजस्व का 70 से 90 प्रतिशत तथा कुल राजस्व का 25 से 33 प्रतिशत लेखाबद्ध हुआ। निर्यात यातायात के विपरीत आयात यातायात नौभार की किसी एकमात्र मद का प्रभुत्व नहीं

23.8.5 जहाजों का वापिस समय

विशाखापटनम पत्तन पर बुलाये गये जहाजों को वापिस लौटने में औसत समय 1984-85 में 7.50 दिनों से 1988-89 में 5.09 दिन तक घट गया परन्तु

1989-90 में 5.61 दिन तक बढ़ गया। 1984-85 से 1988-89 के दौरान, लंगरगाह में गोदी पूर्व ठहराव में समय 2.49 दिनों से घटकर 1.13 दिन तथा गोदी में ठहरने का समय 5.51 दिन से घट कर 4.04 दिन हो गया। 1989-90 के दौरान, लंगरगाह में गोदी पूर्व ठहराव का औसत समय 4.54 दिन था। तथापि, वर्ष 1986-87 से 1989-90 के दौरान गोदी पूर्व ठहराव के समय के विश्लेषण ने इंगित किया कि जबकि जहाजों द्वारा विलम्बों के कारण गोदी पूर्व ठहराव का समय घटा था, पत्तन के कारण गोदी पूर्व ठहराव का समय इस तथ्य के बावजूद बढ़ा था कि औसत गोदी अभियोग केवल 50 से 60 प्रतिशत के बीच था। गोदी पर ठहराव के सम्बन्ध में, गोदी पर व्यतीत किया गया व्यर्थ समय 1986-87 में 1.88 दिन, 1987-88 में 1.84 दिन, 1988-89 में 1.47 दिन तथा 1989-90 में 1.26 दिन था। इसमें से, जहाजों द्वारा विलम्ब के कारण व्यर्थ समय, वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान केवल 30 प्रतिशत था।

23.8.6 नौभार संचालन उपस्कर का अवउपयोग

पत्तन न्यास के पास उपलब्ध महत्वपूर्ण नौभार संचालन उपकरणों में विद्युतीय घाट क्रेन, टांचाक्रेन, चल क्रेन, स्वरित्र उत्पाक ट्रक, ट्रेक्टर तथा फ्रंट एंड लोडरस इत्यादि शामिल थे। 1984-85 से 1989-90 के दौरान अधिकतर पुराने उपस्कर 5.58 करोड़ रुपये की लागत से उच्च क्षमता वाले नवीनतम

उपकरणों से बदले गये थे। नौभार संचालन उपकरणों के उपयोग की प्रतिशतता यातायात में वृद्धि के बावजूद 1984-85 से 1989-90 के दौरान नीची रही। 1986-87 से 1988-89 के दौरान, मांग की कमी के कारण उपलब्ध समय का अव-उपयोग 65 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत के बीच रहा था। यह इंगित करेगा कि पत्तन ने यातायात संचालन के लिए तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक उपस्कर अधिप्राप्त किये थे।

वर्ष 1988-89 के दौरान क्रेनों के वास्तविक कार्यचालन के विस्तृत विश्लेषण ने इंगित किया कि विद्युतीय घाट क्रेनों के लिए निर्धारित न्यूनतम 3000 कार्य घंटों के लिए वास्तव में 21 क्रेनों में से केवल तीन प्रयोग में लाई गई थी (1989-90 में मानदंड पर 4 क्रेन पहुंची थी)। चल क्रेनों के साथ भी ऐसी ही स्थिति थी। वर्ष 1988-89 के दौरान किसी भी चल क्रेन ने निश्चित न्यूनतम 2500 घंटों के लिए कार्य नहीं किया। 1989-90 में 2 क्रेन अधिकतम पर पहुंची। विशेषकर घाट क्रेन तथा पोकलेम उत्खनक व्यावहारिक रूप से अप्रयुक्त रहे। फोर्क लिफ्ट ट्रकों के मामले में 3000 घंटे प्रतिवर्ष का न्यूनतम मानदंड 1988-89 के दौरान एक ट्रक के सम्बन्ध में तथा 1989-90 में दो ट्रकों के सम्बन्ध में पूरा किया गया था। नीचे दी गई तालिका वर्ष 1986-87 से 1989-90 के दौरान फोर्क लिफ्ट ट्रकों के अव-उपयोग की मात्रा दिखाती है:-

वर्ष	फोर्क लिफ्ट ट्रकों की सं.	कुल उपलब्ध कार्य घंटे	मांग की कमी घंटों में
1986-87	39	1,75,374	1,16,749
1987-88	30	1,58,959	1,08,967
1988-89	34	1,95,005	1,91,498
1989-90	37	1,65,874	1,14,382

23.9. लौह संचालन काम्पलैक्स

23.9.1 लौह अयस्क सुविधाएं

1976 तक आन्तरिक बन्दरगाह में 9.00 करोड़ रु. के पूंजी निवेश के साथ लगभग 5 मिलियन टन के लौह अयस्क की थोपुट संचालित की जा रही थी। 1988 तक 10 मिलियन टन से अधिक थोपुट प्रक्षेपण के सन्दर्भ में तथा 1,00,000 डी. डब्ल्यू.टी. जलयानों के संचालन के लिए भी वाह्य बन्दरगाह के निर्माण पर विचार किया गया था। वाह्य बन्दरगाह के लिए कुल निवेश, जो कि 1976 में चालू किया गया था, 104.00 करोड़ रु. था। आगे लगभग 19.00 करोड़ रु. लागत के एक और बकेट बील रिकलेयर, तीसरा टिपलर तथा अतिरिक्त लोकोमोटिव की संस्थापना जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई थी। 3.20 करोड़ रु. की लागत से टिवन वेगन टिपलर का पुनःस्थापन प्रगति पर है। पत्तन न्यास के अनुसार, ऑफ-शोर टैंकर टर्मिनल तथा सामान्य नौभार गोदी की सामान्य व्यवस्था करने के बाद भी लौह अयस्क सुविधाओं के

लिए किया गया अनन्य निवेश 110 करोड़ रु. के लगभग होगा। तथापि, 1977-78 से 1987-88 तक वास्तविक औसत थोपुट केवल 5.8 मिलियन टन हुआ है तथा अर्जित राजस्व प्रत्याशित से काफी कम था। भारी निवेश तर्कसंगत नहीं ठहराया गया है तथा पत्तन पर यथेष्ट ऋण भार डाला गया है।

23.9.2 लौह अयस्क संचालन प्रभारों का अलाभकारी नियतन:

प्रमुख पत्तन न्यास, अधिनियम, 1963 की धारा 49 तथा 52 के अन्तर्गत, पत्तन न्यास बोर्ड, पत्तन द्वारा अर्पित सेवाओं के लिए प्रभारित की जाने वाली दरें, सरकार के अनुमोदन के अध्यक्षीन, अन्तर्ग्रस्त लागत के आधार पर, निश्चित करेगा। तथापि, लौह अयस्क के संचालन के लिए पत्तन न्यास द्वारा समय-समय पर परिकल्पित लागत आधारित दरें सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी। सचिवों की समिति, जिसने पत्तन के माध्यम से लौह अयस्क निर्यात में अन्तर्ग्रस्त सहभागी चार सार्वजनिक एजेंसियों

(जैसे: एन.एम.डी.सी., एम.एम.टी.सी., रेलवे तथा वि.प.न्या.) के बीच आयातकर्ताओं से प्रापण के आबंटन के प्रश्न पर विचार किया था, ने अप्रैल 1984 से प्रभारित किये जाने के लिए संशोधित दरों की अनुशंसा की (अप्रैल 1988)। दरों की अनुशंसा करते समय, सचिव समिति ने अवलोकित किया कि आयातकर्ताओं से प्रापण खनन, परिवहन तथा पत्तन

संचालन की लागत से मुक्त थे तथा अन्तर्राष्ट्रीय विपणन शर्तों द्वारा अधिदेशित थे तथा चार सहभागी सार्वजनिक एजेंसियों की लागत आधारित दरों को पूरा करने के आधार पर नहीं हो सकती। निम्नलिखित तालिका वर्ष 1984-85 से 1987-88 के लिए पत्तन न्यास द्वारा परिकल्पित दरों तथा सचिव समिति द्वारा अनुशंसित दरों को दर्शाती है।

वर्ष	वि.प.न्या.द्वारा 12/86 में सचिव-समिति को अपनी प्रस्तुति में परिकल्पित दरें	4/88 में सचिव-समिति द्वारा अनुशंसित दरें (प्रति टन)
1984-85	47.00	40.31
1985-86	51.00	40.70
1986-87	51.00	40.94
1987-88	51.00	40.94

दरों का परिकल्पन करते समय पत्तन न्यास ने वास्तविक होने के नाते 5.7 से 5.8 मिलियन टन का थोपुट माना, जबकि सचिव-समिति ने बेलाडिला में प्रत्याशित उत्पादन पर आधारित 6.3 मिलियन टन थोपुट माना तथा पत्तन न्यास के अनुसार इसके परिणामस्वरूप न्यूनतर दरें नियत की गईं।

पत्तन न्यास द्वारा संगणित भार के 0.5 मिलियन टन (6.3(-)5.8) की भिन्नता का प्रभाव 3.50 रुपये प्रति टन था दो करोड़ रुपये प्रति वर्ष था। मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि लौह अयस्क संचालन

दरों के संशोधन के लिए प्रस्ताव वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के लिए संस्वीकृत किये गये थे तथा उदग्रह्य प्रभार संचयी आधार पर प्रति वर्ष साढ़ेसात प्रतिशत तक वहन किए जाएंगे।

23.9.3 अयस्क संचालन काम्प्लैक्स द्वारा वहन किये गए विलम्बन प्रभार

लौह अयस्क के निर्यात में शामिल चार सार्वजनिक एजेंसियां जैसे एन.एम.डी.सी., ख.घा.व्या.नि., रेलवे और विशाखापत्तनम पत्तन

न्यास, के निर्यात की वसूली में से देय लागत पर हुई सचिव-समिति की रिपोर्ट से पता चला कि 1984-85 से 1985-86 की विलम्ब शुल्क की घटनाएं मुख्यतया विशाखापट्टनम पत्तन के अयस्क संचालन काम्पलैक्स की यान्त्रिकी खराबी के कारण थी। इस आधार पर सचिव समिति ने सिफारिश की 1984-85 और 1985-86 के वर्षों में विलम्बन प्रभारों का 50 प्रतिशत, 220.00 लाख रुपए की राशि को पत्तन न्यास द्वारा वहन किया जाना चाहिए। आगे समिति ने निर्देश दिये

कि ख.घा.व्या.नि. तथा पत्तन न्यास को अनुवर्ती वर्षों में विलम्बन शुल्क की हिस्सेदारी के लिए संगणना का प्रबन्ध करना चाहिए। तदनुसार 1987-88 से ख.घा.व्या.नि. विलम्बन प्रभारों को वहन कर रहा है।

यात्रिकी लौह अयस्क संचालन में उत्पादकता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 1986-87 में पत्तन ने एक प्रेरक योजना आरम्भ की। निम्नलिखित तालिका योजना के आरम्भ होने के पश्चात संचालन परिणामों को विस्तार से दर्शाती है।

वर्ष	लादे गए जलपोतों की संख्या	लादे गए अयस्क (लाखटनों में)	विलम्बन अधीन जलपोतों की संख्या	समय के बारे में औसत (दिन)
1986-87	57	58.81	43	5.71
1987-88	53	55.68	33	4.71
1988-89	66	69.47	26	3.33
1989-90	69	67.66	21	3.39

यद्यपि, लौह अयस्क जलपोतों, जो विलम्ब से खाना हुये, की संख्या में प्रगामी कमी थी, वर्षों के दौरान लौह अयस्क जलपोतों द्वारा गोदी पर लिए गए विस्तृत विश्लेषण ने संकेत दिया कि, गोदी पर यांत्रिकी खराबी व्यर्थ समय के 30 से 80 प्रतिशत तक जारी रही। यह देखा गया है कि वर्ष 1988-89 में लादे गये 66 जहाजों में से 50,000 टन प्रति दिन प्रति गोदी का मानदण्ड केवल 19 मामलों में ही प्राप्त किया गया था

1989-90 में (दिसम्बर 1989 तक) लादे गए 45 जहाजों में से मानदण्ड केवल 14 मामलों में प्राप्त किया गया था। वर्ष 1988-89 के लिए, अयस्क संचालन काम्पलैक्स के सम्बन्ध में निष्पादन रिपोर्ट के विश्लेषण ने संकेत दिया कि अयस्क लाने वाले रेंकों के न आने के कारण अयस्क प्राप्ति छोर पर अयस्क संचालन परिमाण 1462.40 घण्टों के लिए निष्क्रिय रहा। निष्पादन रिपोर्टों ने दर्शाया कि मानदण्डों को

पूरा न करने का कारण यात्रिक खराबियां थीं। रैकों की टिपलिंग के लिए अनुमत निःशुल्क समय से अधिक समय लिए जाने के कारण पत्तन न्यास को 1988-89 में भाड़ा प्रभारों के लिए रेलवे को 26.37 लाख रुपयों का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। तथापि, वर्ष के दौरान कर्मचारियों को 33.89 लाख रुपए का प्रेरक भुगतान किया गया। वर्ष 1989-90 के दौरान भी टिपलिंग के लिए निर्धारित किये गए मानदण्डों को वर्ष के दौरान किसी भी माह में प्राप्त नहीं किया जा सका तथा पत्तन ने 45.01 लाख रुपए का भुगतान रेलवे को अतिरिक्त भाड़ा प्रभारों के रूप में तथा 46.47 लाख रुपए का भुगतान प्रेरक के रूप में कर्मचारियों को किया।

1988-89 और 1989-90 के दौरान कर्मचारियों को प्रेरकों का भुगतान करके भी, यात्रिक लौह अयस्क संचालन की उत्पादकता के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में, बताया कि कर्मचारियों को प्रेरक का भुगतान केवल तभी किया जाता था जब वे टिपलिंग के घण्टों तथा लौह अयस्क प्रभार के भार से बढ़ जाते थे। इसी प्रकार के प्रेरक अन्य पत्तनों जैसे मद्रास पत्तन न्यास तथा मरमगोवा पत्तन न्यास द्वारा भी दिये जा रहे थे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 1989-90 में 1986-87 की तुलना में जल पोतों पर विलम्ब भी अनुपात में तत्त्वतः कम हुआ था यद्यपि यातायात में लगभग एक मिलियन टन की वृद्धि हुई थी और प्रेरक योजनाओं को लागू करना

विलम्ब में कमियों की उपलब्धियों के मुख्य कारणों में से एक था। मंत्रालय का यह विचार था कि रैकों के समूह, मौसम की हालत, बिजली की खराबियां जो कि पत्तन न्यास के नियंत्रण के बाहर हैं, के कारण विलम्बन प्रभारों का बिलकुल निष्कासन नहीं किया जा सकता।

23.9.4 संशोधित जलपोत प्रभारों तथा संचालन प्रभारों को स्वीकार न किया जाना:

(i) यद्यपि जलपोतों पर पत्तनप्रभार जून 1988, से बढ़ गए थे, लौह अयस्क ढोने वाले जल पोतों पर प्रभारों की 1980 में निर्धारित दरें, लौह धातु संचालन प्रभारों पर 1988-89 तक सरकार के सामान्य निर्णय के तहत, मार्च 1989 तक जारी रहीं।

संशोधित टैरिफ को कार्यान्वित न करने के परिणामस्वरूप वर्ष 1988-89 में 150.15 लाख रु. तथा 1989-90 में 169.30 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

(ii) 6 जुलाई 1988 से संचालन प्रभारों में उर्ध्वगामी संशोधन हुआ था। तथापि, वाहय बन्दरगाहों के लिए पहले निर्धारित दरें पूरे 1988-89 में और 1989-90 में (जून 1989 तक) लौह अयस्क ढोने वाले पोतों पर भी लागू रहीं, परिणामस्वरूप इन अवधियों में क्रमशः 124.27 लाख रुपए तथा 19.33 लाख रुपए की हानि हुई।

23.10 पत्तन रेलवे की कार्यविधि

23.10.1 पत्तन रेलवे के वर्ष 1984-85 से 1988-89 के प्रोफोर्मा लेखों ने वर्ष 1985-86 में

460.18 लाख रुपए से वर्ष 1988-89 में 140.48 लाख रुपए में निवल घाटे में कमी को दर्शाया। पूंजी पर ब्याज और पूंजी पर वापसी के सम्बन्ध में निर्धारित लागत प्रभारित करने से पहले संचालन परिणाम, जिन्होंने 1984-85 में 155.14 लाख रुपए और 1985-86 में 261.31 लाख रुपए में घाटे का संकेत दिया, ने 1988-89 में समाप्त होने वाले तीन वर्षों में 224.06 लाख रुपए के अधिक्त्य के साथ सुधार को दर्शाया। यह 1984-85 में 84.6 लाख टन से 1989-90 में 143.6 लाख टन तक यातायात संचालन में वृद्धि के कारण था। इस अवधि के दौरान पत्तन रेलवे द्वारा प्रभारित उर्ध्वगामी संशोधित दरों ने भी इसकी वित्तीय स्थिति के सुधार में वृद्धि की, आय 1986-87 में 943.49 लाख रुपए से 1988-89 में 1530.76 लाख रुपए तक बढ़ गई थी।

तथापि पिछले वर्ष में 143.6 लाख टन से 162.2 लाख टन तक यातायात में वृद्धि के होते हुये भी प्रचालन अधिक्त्यों में 163.35 लाख रुपए की कमी को दर्ज करते हुये वर्ष 1989-90 के दौरान निवल घाटा 328.75 लाख रु. तक बढ़ गया।

23.10.2 लोको की सर्विसिंग पर परिहार्य व्यय

द.पू. रेलवे, विशाखापत्तनम के डीजल लोको शैड पर उनके दस लोकोमोटिव की वार्षिक सर्विसिंग करवाने के लिए, पत्तन न्यास प्रत्येक वर्ष दक्षिणी-पूर्वी रेलवे के साथ वार्षिक अनुबन्ध करता है। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार पत्तन न्यास को दस लोकोमोटिवों की सर्विसिंग के लिए अपेक्षित कार्मिकों की लागत और

प्रयोग किये गए पुरजों की वास्तविक लागत को शामिल करते हुए सेवा प्रभारों का भुगतान करना पड़ा। यद्यपि, वर्ष के दौरान पत्तन न्यास संचालन के कारणों से सभी दस लोकोमोटिवों को सर्विसिंग के लिए नहीं भेज सका था फिर भी इसे दस लोकोमोटिवों को सर्विसिंग के लिए अपेक्षित लागत को वहन करना पड़ा। 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के वर्षों के दौरान पत्तन न्यास क्रमशः केवल 5, 3 और 6 लोकोमोटिव ही भेज सका था परन्तु आनुपातिक आधार पर इन वर्षों में कर्मचारियों की लागत का किया गया भुगतान उपलब्ध सेवाओं की तुलना में क्रमशः 7.62 लाख रुपए 13.67 लाख रुपए और 9.40 लाख रुपए संगणित किया गया। लेखा परीक्षा में सुझाव दिया गया (जनवरी 1990) कि यह विवेकपूर्ण होगा कि करार को लोकोमोटिवों की उस संख्या तक सीमित कर लेना चाहिए जितने वास्तव में सर्विसिंग के लिए भेजे जा सकें। पत्तन न्यास ने मई 1990 में बताया कि उसने अपने लोकोमोटिवों के बेडे को 12 तक बढ़ा दिया था और यह आठ लोकोमोटिवों को सर्विसिंग के लिए भेज सकेगा और इस सम्बन्ध में दक्षिण पूर्वी रेलवे से अनुबन्ध वर्ष 1990-91 के लिए अगस्त 1990 में किया गया था।

अंतिम भुगतानों का अनुबन्ध रेलवे को सर्विसिंग के लिए वास्तविक लोकोमोटिवों की संख्या के आधार पर नहीं किया गया था, अतः 1985-86 से 1987-88 के दौरान द.पू. रेलवे को कर्मचारियों की लागत के लिए काल्पनिक आधार पर किए गए

भुगतान के प्रति 30.69 लाखरूप का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया था ।

23.11 निकर्षण

पत्तन पर गारे की समस्या से निपटने के लिए पत्तन द्वारा निकर्षण अनुरक्षण किया जाता है । 1984-85 से 1988-89 की अवधि के दौरान पत्तन न्यास के पास उपलब्ध निकर्षणों ने, ऐंजिग के सम्बन्ध में लगातार खराबियों के कारण जिसने पत्तन न्यास को भारतीय निकर्षण निगम से वार्षिक निकर्षण अनुरक्षण हेतु सेवाये मांगने के लिए मजबूर किया, लक्षित निष्पादन को प्राप्त नहीं किया । जबकि वर्ष 1984-85 के आरम्भ में अनुरक्षण निकर्षण का कोई संचय नहीं था, 1989-90 के अन्त तक 393.58 टी एम -3 का संचय था ।

23.12 भण्डार

23.12.1 भण्डार तथा सामग्री प्रबन्ध

पत्तन न्यास का भण्डार विभाग भण्डार नियंत्रण की सामान्य देखभाल के अधीन दो भण्डार डिपुओं का अनुरक्षण करता है जैसे कि पत्तन न्यास के सभी विभागों के लिए सामान्य भण्डार डिपो तथा एकमात्र अयस्क संचालन काम्प्लैक्स के उद्देश्य से ओ.एच.सी. भण्डार डिपो । प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों 19 समूहों में विभाजित की गई है और पिछले तीन वर्षों के दौरान संचालित भण्डार मदों की औसत संख्या 27,800 थी । मार्च 1990 के अन्त तक स्टॉक में रखे गये भण्डारों का मूल्य 1129.00 लाख रूप था । 1987-88 से 1989-90 के वर्षों के दौरान कार्यरत

पूजी के लिए औसत भण्डार सूची की दरें 0.26:1 और औसत भण्डार सूची टर्न ओवर का अनुपात 1:0.67 था ।

लेखाविधि, भण्डार लेनदेनों की आन्तरिक लेखापरीक्षा और भण्डारों का प्रत्यक्ष सत्यापन पत्तन न्यास के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी में निहित है । भण्डार विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित विनियम, वर्ष 1970 में पत्तन न्यास द्वारा जारी की गई भण्डार नियम पुस्तक में दिए गए हैं, जिसे आधुनिक तकनीक तथा सामग्री प्रबन्ध के तरीकों को ध्यान में रखते हुये यद्यपि, आरम्भ से ही अद्यतन नहीं किया गया है ।

23.12.2 मांगकर्ता अधिकारियों द्वारा निकाले गए भण्डारों का उपयोग न किया जाना

मांगकर्ता विभाग द्वारा निकाली गई और सम्बन्धित निर्माण कार्य को डेविट की गई 11.50 लाख रूप की भण्डार की 7004 मदें, उचित सुरक्षा प्रबन्धों के अभाव में बाद में सामान्य भण्डार को वापिस की गई । इनमें से, 4369 मदों को नीलामी में निपटाया गया बताया गया तथा 2635 मदें 12-16 वर्षों से निपटान के लिए लम्बित पड़ी हैं । नीलामी द्वारा वसूल किया गया मदों का मूल्य तथा सामान्य भण्डार डिपों में व्यर्थ पड़ी इस प्रकार की मदों का मूल्य पत्तन न्यास प्राधिकारियों से प्रतीक्षित है ।

11.50 लाख रूप की राशि के अतिरिक्त भण्डार की प्राप्ति के परिणामस्वरूप उस सीमा तक निधियों का अवरोध हुआ ।

23.12.3 त्रुटिपूर्ण या क्षतिग्रस्त मशीनों तथा भण्डारों की अधिप्राप्ति

22.73 लाख रुपए की लागत की वस्तुएँ, क्योंकि वे त्रुटिपूर्ण या क्षतिग्रस्त थी, मांगकर्ता अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत किए जाने के पश्चात पत्तन न्यास के सामान्य भण्डार डिपों में 1971-72 से व्यर्थ पड़ी थी। पत्तन न्यास न तो त्रुटिपूर्ण सामग्री को बदलवा सका और न ही आपूर्तिकर्ता फर्म को किये गए अग्रिम भुगतान की वसूली कर सका। मंत्रालय ने प्रणाली में कमियों और भण्डार तथा सामग्री प्रबन्ध में त्रुटियों को स्वीकार करते हुए, पत्तन न्यास को अपनी नियम पुस्तक को अद्यतन करने, निरीक्षण करने और क्षतिग्रस्त मशीनरी को वापिस करने और भण्डारों के अधिक अधिप्रापण से बचने के लिए प्राप्त हुये मांगपत्रों की पूरी तरह छानबीन करने का सुझाव दिया।

23.12.4 आपूर्तिकर्ताओं/परिवहन एजेंसियों/बीमा एजेंटों के प्रति लम्बित दावे:

पत्तन न्यास ने 40 मामलों के सम्बन्ध में आपूर्तिकर्ताओं/परिवहन एजेंसियों तथा बीमा कम्पनियों से वस्तुओं की क्षति और कम प्राप्ति के लिए 3.72 लाख रुपए की राशि वसूल करनी थी। क्षतिपूर्ण वस्तुओं के 13 अन्य मामलों में, वसूल की जाने वाली राशि अभी पत्तन न्यास द्वारा निर्धारित की जानी थी।

23.12.5 आइडलरों का अधिक अधिप्रापण

200 आइडलरों की आपूर्ति के लिए निविदाये आमंत्रित की गई थी (अक्टूबर 1979)। पहली आठ

निविदाये अन्य बातों के साथ इस आधार पर, कि आरेखन विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं थे, अस्वीकार कर दिये गये थे। नवीं न्यूनतम निविदा 3.97 लाख रुपए के मूल्य पर स्वीकार कर ली गई थी, यद्यपि निविदाकार फर्म के आरेखन पूरे तौर पर विनिर्देशनों से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे तथा फर्म ने विशेष तौर पर, पत्तन द्वारा मांगे गये आइडलरों की आपूर्ति में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। तथापि फर्म को क्रय आदेश, फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गए आरेखनों के आधार पर बिना नमूना जांच के, जैसा कि प्रथम न्यूनतम निविदादाता के मामले में किया गया था, दे दिये थे (जुलाई 1980)। आइडलरों का परेषण स्वीकार कर लिया गया था परन्तु आइडलर प्रयोग में नहीं लाये गए क्योंकि वे अयस्क संचालन काम्प्लैक्स की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते थे। वर्ष 1984 के दौरान स्टॉक सत्यापन कर्ता ने आइडलरों के अनावश्यक अधिप्रापण और अनुपयोग की सूचना दी। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने पत्तन न्यास को दोषी अधिकारियों का संकेत दिया तथा उन के विरुद्ध बड़ी शास्ति कार्यवाही प्रारम्भ करने का परामर्श दिया। यद्यपि शास्ति कार्यवाहियां दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रारम्भ कर दी गई थी, वे बाद में दोष मुक्त करदिये गये थे (मार्च 1990) और उनके पेंशन संबंधी लाभ निपटा दिये गए थे। 3.97 लाख रुपए की लागत पर आइडलरों की खरीद निष्फल साबित हुई और परिणामतः 10 वर्षों से भी अधिक अवधि के लिए निधियों का अवरोधन हुआ।

23.12.6 मशीनरी का अधिक अधिप्रापण

पत्तन ने अप्रैल 1987 में सामान्य एवं माल नौभार गोदी पर स्थापना के लिए 7.24 लाख रुपए की लागत पर 40 टन का एक विद्युत कांटा खरीदा। क्योंकि सम्बन्धित सिविल तथा विद्युतीय कार्य गोदी पर पूरे नहीं हुये थे, कांटा एक वर्ष और सात माह की अवधि के लिए अनुपयुक्त पड़ा रहा। नवम्बर 1988 में मशीनरी के अन्तिम रूपसे प्रतिष्ठापित किए जाने के पश्चात इसे किसी अवसर पर भी प्रयोग में नहीं लाया गया तथा पत्तन ने स्थानान्तरण पर 1.55 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय करके सितम्बर 1989 में एक अन्य गोदी पर स्थानान्तरित कर दिया। तथापि, मशीनरी अभी तक निष्क्रिय पड़ी थी (जुलाई 1990)।

23.12.7 परिहार्य व्यय:

38 एम.एस.पाइपों की अधिप्राप्ति हेतु निविदाएं नवम्बर 1988 में आमंत्रित की गई थी तथा जनवरी 1989 में निविदाएं खोलने पर, आदेश देने की तिथि से 12 सप्ताह के अन्दर पाइपों की सुपुर्दगी सम्पन्न करने की समय-सारणी के साथ 11.53 लाख रु. का एक फर्म का निम्नतम प्रस्ताव मार्च 1989 में स्वीकार किया गया था। इस आधार पर कि फर्म की प्रबन्ध समिति में परिवर्तन हो गया था जिसका अभिलेख में कोई प्रमाण नहीं था, पत्तन न्यास ने निम्नतम निविदादाता को आधी मात्रा (19 पाइप) 6 सप्ताह के अन्दर आपूर्त करने के लिए कहा था। निम्नतम निविदादाता ने जनवरी 1989 में बताया कि वह कार्य-आदेश की तिथि से 12 सप्ताह के अन्दर 19 पाइप की आपूर्ति

कर सकता था। तथापि, पत्तन न्यास ने जून 1989 में, 19 पाइप छः सप्ताह के अन्दर तथा शेष अगले छः सप्ताहों के अन्दर आपूर्त करने हेतु 14.82 लाख रु. पर दूसरे निम्नतम निविदादाता को कार्य आदेश दिया। तथापि, फर्म ने 13 पाइप जुलाई 1989 में, 12 पाइप सितम्बर 1989 में तथा शेष 13 पाइप केवल अक्टूबर 1989 में आपूर्त किये थे। चूंकि पाइप वार्षिक आधार पर बदली जानी अपेक्षित थी, अधिप्राप्ति की योजना पहले ही बनाई जा सकती थी तथा 3.29 लाख रु. का किया गया अतिरिक्त व्यय बचाया जा सकता था।

23.12.8 क्रय आदेश देने में विलम्ब के कारण आपूर्तिकर्त्ता फर्मों को 3.37 लाख रु. का परिहार्य भुगतान

वर्ष 1987-88 के लिए आइडलरो की वार्षिक आवश्यकता की अधिप्राप्ति के लिए पत्तन न्यास ने जुलाई 1987 में निविदाएं आमंत्रित की। निविदा समिति ने अक्टूबर 1987 में फर्म "क" से 19.03 लाख रु. की कीमत पर 6 आइडलरो (फर्म के प्रस्तावकी वैधता 31 दिसम्बर 1987 तक थी) तथा फर्म "ख" से 16.11 लाख रु. की कीमत पर 4 आइडलरो (फर्म के प्रस्तावकी वैधता 10 जनवरी 1988 तक थी) की अधिप्राप्ति की सिफारिश की थी। बोर्ड की स्वीकृति 20 दिसम्बर 1987 में प्राप्त की गई थी तथा क्रय-आदेश 28 जनवरी 1988 में, दोनों ही मामलों में वैधता की समाप्ति के पश्चात, दिये गए थे। विलम्ब के कारण, दोनों आपूर्तिकर्त्ता फर्मों ने क्रमशः

1.93 लाख रु. तथा 1.44 लाख रु. तक कीमत की वृद्धि की माँग की तथा पत्तन ने 3.37 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय वहन किया । पत्तन न्यास के अनुसार संग्रहीत की जाने वाली प्रतिभूति जमा की राशि का निर्णय लंबित रहने के कारण विलम्ब हुआ था । तथापि, यह देखा गया था कि वास्तव में दोनों आपूर्तिकर्ताओं से कोई भी जमानत जमा राशि संग्रहीत नहीं की गई थी ।

23.12.9 उपकरणों की खरीद पर परिहार्य व्यय:

12 टन क्षमता के एक फोर्क लिफ्ट ट्रक (अनुमानित लागत 23.20 लाख रु.) की आपूर्ति हेतु तकनीकी रूप से सक्षम पाई गई दो प्रसिद्ध फर्मों ने एक निविदा जांचके प्रत्युत्तर में अपनी कीमतें क्रमशः 27.94 लाख रु. तथा 25.24 लाख रु. उद्धृत की थी । पत्तनन्यास द्वारा 27.94 लाख रु. की उच्चतर बोली वाली फर्म की निविदा को स्वीकार करने का प्रस्ताव इस आधार पर किया गया था कि निम्नतम बोली दाता अतिरिक्त पुर्जें तथा बिक्री उपरान्त सेवा उपलब्ध कराने के योग्य नहीं होगा । निम्नतर बोलीदाता फर्म ने इस का विरोध किया (जून 1989) तथा देश में विभिन्न अन्य न्यासों को इसी प्रकार के आपूर्त उपकरणों के सन्तोषजनक निष्पादनका प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत किया । उच्चतर निविदादाता को आपूर्ति आदेश देने के लिए निविदा समिति के सदस्यों के बीच विचारों की विसम्मति भी थी । मामले का पुनरीक्षण करने पर, पत्तनन्यास, के अध्यक्ष ने अक्टूबर 1989 में निम्नतम निविदादाता को इस शर्त पर खरीद आदेश देन का

आदेश दिया कि यह 0.25 लाख रु. की एक मुश्त राशि तक कीमत में और कमी कर दे । निम्नतम निविदादाता कीमत में वाञ्छित कमी करने के लिए मान गया । उच्चतर निविदादाता फर्म, जिससे नवम्बर 1989 में सम्पर्क भी किया गया था, ने बदले में अनुरूप कमी करने का प्रस्तावकिया था तथा आदेश प्राप्तकर लिया था । निम्नतम बोलीदाता ने यह कहते हुए विरोध दायर किया कि उन्होंने और भी कीमत में कमी कर दी होती यदि पत्तन न्यास निर्धारित राशि तक कमी करने के लिए कहता । गतिरोध से बचने के लिए, पत्तनन्यास के अध्यक्ष ने दिसम्बर 1989 में आदेश दिया कि दोनों फर्मों को एक बार फिर अपनीनिम्नतम कीमतों के प्रस्तावके लिए एक समानअवसर दिया जाना चाहिए । प्रत्युत्तर में उच्चतर बोलीदाता ने 24.97 लाख रु. की कीमत तथा निम्नतर बोलीदाता ने 22.94 लाख रु. की कीमत प्रस्तावित की । तथापि, अन्तिम रूप से, पत्तन न्यास ने उच्चतर बोलीदाता से 24.97 लाख रु. की कीमत पर उपकरण की खरीद फरवरी 1990 में इस आधार पर की कि आपूर्तिकर्ता बिक्री उपरांत अच्छी सेवाएं मुहैया करने तथा अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति करने में सक्षम था, इस प्रकार 2.03 लाख रु. का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया । जब पत्तनन्यास ने प्रारम्भिक रूप से निम्नतम बोलीदाता के प्रस्ताव पर विधिवत विचार किया था तथा इसे कीमते कम करने के लिए दो अवसर भी मुहैया कराए थे, उच्चतर बोलीदाता को आपूर्ति आदेश के दिए जाने में औचित्य का पर्याप्त अभाव था । इसके

अतिरिक्त यह भी देखा गया था कि उच्चतर बोलीदाता द्वारा आपूर्त किये गए ट्रक में कई तकनीकी कठिनाइयाँ तथा खराबियाँ विकसित हुई थी जिन्होंने इसके निष्पादनको प्रभावित किया ।

23.12.10 भंडार लेखा पद्धति

मूल्य भंडार खाता (मू.भं.खा.) जिसमें प्राप्त जारी किए गए भंडार तथा इनकी मात्रा तथा कीमत सहित अन्त शेष होते हैं, भंडार विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रक्रिया(इ.आं.प्र.) प्रणाली के बाद तैयार किया जाता है मूल्य भंडार खाते में दिखाए गए शेषों का सहायक रजिस्ट्रों तथा संख्यात्मक खातों में दिखाए गए शेषों के साथ मिलान नहीं किया गया था । वर्ष 1988-89 के मूल्य भंडार खाते की प्रविष्टियों की नमूना जांच से पता चला कि 73 भंडार मदों के सम्बन्ध में अन्त शेषों के संख्यात्मक तथा मूल्य दोनों ही लेखों में ऋणात्मक शेष थे, तथा 12 मामलों में अथ शेष ठीक ढंग से नहीं लिए गए थे जिसके फलस्वरूप भंडारों का मूल्यांकन 27.55 लाख रु. अधिक हुआ था । मू.भं.खा. के मार्च 1990 के मासिक लेखे में 70,735.00 रु. कीमत की एक भंडार मद 69,23,750.00 रु. मूल्य की दिखाई गई थी । जिससे भंडार का मूल्यांकन 68,53,015.00 रु. अधिक दिखाया गया था । इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया मू.भं.खा. भंडार की लेखा पद्धति की सही स्थिति नहीं दर्शाता था ।

23.13 अन्य रुचिकर बातें

23.13.1 अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण हानि:

एक भारी झक्कड़ में, जो कि मार्च 1987 में आया था, तीन विद्युतीय जहाज घाट क्रेनें जो लगभग 150 लाख रु. का वार्षिक संचालन वाहन राजस्व अर्जित करती थीं (इस प्रकार की नई क्रेन की अनुमानित लागत 220 लाख रु. है) समुद्र में बह गई थीं क्योंकि वे ठीक ढंग से रेलिंग के साथ स्थिर नहीं की गई थी तथा पथ अवरोधक मुहैया नहीं कराए गए थे । जब उन्हें निकाला गया तो एक क्रेन लाभकारी मरम्मत से बाहर पाई गई थी तथा निराकृत कर दी गई थी । अन्य दो क्रेनों की 31.09 लाख रु. की लागत पर मरम्मत कराई गई थी तथा दिसम्बर 1988 में पुनः प्रारम्भ की गई थीं । बाद में क्रेनों को 0.17 लाख रु. की लागत पर अतिरिक्त रेल तथा लंगर यन्त्र उपलब्ध कराये गये थे जिससे उन्होंने मई 1990 में आए तीव्र चक्रवात का कुशलता से सामना किया था । इस प्रकार पत्तन न्यास की और से पर्याप्त एहतियाती पग उठाने की असफलता के फलस्वरूप पूंजीगत तथा राजस्व की भारी हानियां हुई थी ।

23.13.2 अयस्क संचालन परिसर में वाहक इस्पात रज्जू पट्टे की क्षति के कारण हानि

अगस्त 1988 में पत्तन न्यास के अयस्क संचालन परिसर के 1686 मीटर माप तथा 133.06 लाख रु. की लागत वाला वाहक इस्पात रज्जू पट्टा अनुलम्बीय कट गया था तथा चरखी की असामयिक असफलता तथा काम कर रहे प्रचालन कर्मचारियों द्वारा गतिमान वाहक पट्टे को एक दम न रोकने के कारण क्षतिग्रस्त

हो गया था । जब चरखी की असामयिक असफलता का मामला अपूर्तिकर्ता फर्म के साथ उठाया गया तो उसने चरखी की बिना लागत मरम्मत कर दी थी । पत्तन न्यास द्वारा कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए प्रचालकों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की गई थी । 1418 मीटर का क्षतिग्रस्त पट्टा 141.54 लाख रु की लागत पर 1445 मीटर की लम्बाई के एक नए पट्टे के साथ बदल दिया गया था तथा 268 मीटर माप के पट्टे का शेष भाग की 1.62 लाख रु. की लागत पर मरम्मत करायी गई थी । इसके अतिरिक्त, नौ-भार कार्य 6 दिनों के लिए प्रभावित हुए थे । दुर्घटना के दिन क्षतिग्रस्त पट्टे का मूल्यहास मूल्य 102.97 लाख रु. था । अतिरिक्त 2.64 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय भी प्रतिस्थापन हेतु अपेक्षित पट्टे (27 मीटर) की अतिरिक्त अधिप्राप्ति के कारण था ।

23.13.3 निष्फल व्यय

संयंत्र के प्रचालन के दौरान अयस्क प्रचालन परिसर पर उत्पन्न हुई धूल से श्रमिकों के स्वास्थ्य के संरक्षण तथा पर्यावरण सम्बन्धी प्रदूषण से बचाव के लिए, पत्तन न्यास ने नवम्बर 1978 में 97.00 लाख रु. की अनुमानित लागत पर परिसर में एक धूल नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की तथा दिसम्बर 1978 में 79.76 लाख रु. की लागत पर कार्य एक फर्म को सुपुर्द किया । धूल नियंत्रण उपकरण 10 आंकाक्षा वाले स्थानों पर प्रतिष्ठापित किया जाना था, यद्यपि कार्य नवम्बर 1979 में सम्पन्न किया जाना था, प्रतिष्ठापन 1983 में केवल

3 आंकाक्षा वाले स्थानों, 1984 में एक स्थान तथा 1985 में पाँच स्थानों पर सम्पन्न किया गया था । दसवें वांछित स्थान पर उपकरण का प्रतिष्ठापन नहीं किया गया था (जून 1990) । पत्तन न्यास ने मार्च 1990 तक 81.02 लाख रु. खर्च किए तथा शेष कार्य की लागत 17.05 लाख रु. अनुमानित की गई । पत्तन न्यास द्वारा कार्य के समापन में लगभग 10 वर्षों का विलम्ब (i) तीसरे वैगन टिप्पर की स्थापना के कारण रेलवे लाईनों का पुनः संरक्षण (ii) उपकरण की स्थापना तथा उसे चालू करने के लिए एक अभियन्ता की नियुक्ति करने में ठेकेदार की असफलता तथा (iii) दसवें आंकाक्षा वाले स्थान के सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ करने में उसकी असफलता, पर आरोपित किया गया था ।

नौवें स्थान पर प्रचालनात्मक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए उपकरण की जांच केवल दिसम्बर 1986 में की गई थी । उपकरण के प्रचालन तथा रखरखाव के लिए अनुदेश यह निर्देश करते हुए केवल अप्रैल 1988 में जारी किए गए थे कि संयंत्र के जहाज लदान तथा प्राप्ति प्रक्रिया के दौरान प्रणाली के सभी 9 वांछित स्थानों पर उपकरण को "नियमित रूप से कार्यात्मक तथा प्रचालित करना चाहिए" । सम्बन्धित प्रचालन अभिलेखों की लेखापरीक्षा में जांच से पता चला कि 1984-85 तथा 1985-86 वर्षों के दौरान उपयोगिता "शून्य" थी तथा अयस्क प्रचालन संयंत्र द्वारा किए गए कार्य के घंटों की संख्या के संदर्भ में 1982-83, 1983-84, 1986-87 तथा 1988-89

वर्षों में 3 प्रतिशत से भी कम थी ।

इस प्रकार धूल नियंत्रण प्रणाली ने पर्यावरण प्रदूषण से बचाव का उद्देश्य तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया था तथा परियोजना पर वहन किया गया 81.02 लाख रु. का व्यय निष्फल रहा ।

23.13.4 आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को 100.19 लाख रु. की राशि के दण्डात्मक प्रभारों का भुगतान:

आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (आ.प्र.रा.बि.बो.) ने 11 के.वी.ए. विद्युत आपूर्ति का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को फरवरी 1982 से पहले 132 के.वी.ए. तक भारी परिवर्तन करने के लिए अधिसूचित किया (जुलाई 1981) जिस में असफल रहने पर मार्च 1982 से प्रारम्भ महीनों के दौरान के बिलों में "माँग जमा ऊर्जा प्रभार" पर 10 प्रतिशत की दर से दण्डात्मक प्रभार उद्ग्रहीत किए जाएंगे । पत्तन न्यास ने 73.00 लाख रु. की अनुमानित लागत पर विभागीय रूप से कार्य के निष्पादन का निर्णय लिया (जून 1982) । पुनः विचार करने पर इसमें आवश्यक सुविज्ञता का अभाव था, पत्तन न्यास ने निर्माण कार्य आ.प्र.रा.बि.बो. को निक्षेप कार्य के रूप में ऊपरी खर्चों सहित 194.13 लाख रु. की अनुमानित लागत पर सुपुर्द कर दिया (नवम्बर 1983) जो कि दिसम्बर 1986 से पहले समाप्त कर दिया जाना था ।

यद्यपि पत्तन न्यास ने निर्माण कार्य के लिए पत्तन

की भूमि का आबंटन जून 1985 में स्वीकृत किया, स्थल आ.प्र.रा.बि.बो. को जनवरी 1986 तक सुपुर्द नहीं किया गया था । इस्पात, सीमेंट तथा स्विच गीयर इत्यादि की अनुपलब्धता के कारण आ.प्र.रा.बि.बो. द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन में और भी देरी की गई थी तथा इसे 251.51 लाख रु. की बढ़ी हुई लागत पर दिसम्बर 1987 में अन्तिम रूप से समाप्त किया गया था ।

जुलाई 1981 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, आ.प्र.रा.बि.बो. ने पत्तन न्यास से मार्च 1982 से दिसम्बर 1986 की अवधि के लिए 100.19 लाख रु. के दण्डात्मक प्रभारों का दावा किया था । पत्तन न्यास ने सभी दण्डात्मक प्रभार अदा कर दिए थे, इस में जनवरी 1987 से दिसम्बर 1987 की अवधि भी शामिल थी जिस के दौरान आ.प्र.रा.बि.बो. द्वारा इसके अपने ही कारणों से कार्य में विलम्ब किया गया था । भारत सरकार, भूतल परिवहन मंत्रालय के माध्यम से दण्डात्मक प्रभारों की माफी का पत्तनन्यास का निवेदन आ.प्र.रा.बि.बो. द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था ।

तथापि, पत्तनन्यास ने कहा कि उसने जुलाई 1981 से अक्टूबर 1983 की अवधि के दौरान आ.प्र.रा.बि.बो. के 132 के.वी.ए. तक भारी परिवर्तन करने की अधिसूचना के मनमाने निर्णय के विरुद्ध अन्य औद्योगिक संस्थाओं द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों पर उच्च न्यायालय के अनुकूल निर्णय की प्रतीक्षा के कारण, निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया था तथा उच्च

न्यायालय का निर्णय आ.प्र.रा.बि.बो. के पक्ष में गया था ।

23.13.5 ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य का परित्याग करने के कारण हानि:

क्वार्टरों के निर्माण का कार्य 5.99 लाख रु. की करार राशि पर फरवरी 1987 से पहले निर्माण कार्य को समाप्त कर देने की समय अनुसूची के साथ मई 1986 में एक ठेकेदार को सौंपा गया था । निर्माण कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी तथा कार्य समापन करने के लिए पत्तन न्यास द्वारा जारी की गई सूचनाओं के बारे में ठेकेदार से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी । केवल 58 प्रतिशत निर्माण कार्य समाप्त किया गया था जब ठेकेदार की लागत तथा जोखिम पर ठेका नवम्बर 1987 में अन्तिम रूप से रद्द किया गया था । सम्पूर्ण न किया गया कार्य 1.55 लाख रु. के अतिरिक्त व्यय पर एक अन्य एजेसी द्वारा निष्पादित करवाया गया था । अपनी प्रतिभूति जमा ज्वल हो जाने के पश्चात ठेका करने वाली प्रथम एजेसी को करार की शर्तों के अनुसार 1.15 लाख रु. अदा करने पड़े थे । तथापि, राशि की वसूली नहीं की जा सकी । पत्तन ने बताया कि ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही विचाराधीन थी ।

23.13.6 विद्युतीय घाट क्रेनों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय:

भारत सरकार ने पत्तन में प्रयोग हेतु 192.99 लाख रु. की अनुमानित लागत पर 10 टन क्षमता की दो विद्युत घाट क्रेनों की अधिप्राप्ति की स्वीकृति दी थी

(जून 1982) । पत्तन न्यास ने क्रेनों के निर्माण तथा स्थापना का कार्य, दिसम्बर 1983 से पूर्व कार्य समाप्त कर देने की समय-अनुसूची के साथ 164.26 लाख रु. के करार मूल्य पर एक फर्म को सुपुर्द किया था (अगस्त 1982) । फर्म कार्य का सन्तोषजनक ढंग से निष्पादन नहीं कर सकी थी तथा कई डिजाईन और निर्माण की त्रुटियों के कारण क्रेन ने अनुकूल निष्पादन नहीं दिया था तथा 1988-89 के दौरान प्रतिवर्ष निम्नतम 3000 कार्य घंटों की प्राप्ति भी नहीं की जा सकी थी तथा 1989-90 के दौरान इसने एक मामले में प्रतिमान को भी पार किया था । फर्म बाद में भी निर्माण त्रुटियों को ठीक नहीं कर सकी थी । असन्तोषजनक कार्य के अलावा, फर्म ने निर्माण कार्य सितम्बर 1986 तक विलम्बित किया था तथा पत्तन ने देरी, आपूर्तिकर्ता फर्म में औद्योगिक असन्तोष, क्रेन की स्थापना के स्थल में परिवर्तन तथा डिजाईनों में परिवर्तन इत्यादि जैसे विभिन्न कारणों पर आरोपित की । कार्य के निष्पादन में विलम्ब के परिणामस्वरूप 192.99 लाख रु. से 223.79 लाख रु. तक अनुमानतः 30.80 लाख रु. तक ऊर्ध्वगामी संशोधन हुआ था । निर्माण कार्य के निष्पादन में विलम्ब के रूप में परिसमापन क्षति के प्रति फर्म से 8.19 लाख रु. की राशि वसूल की गई थी, परन्तु पत्तन को निवेश की गई पूंजी पर आवर्ती वार्षिक आय की हानि हुई थी ।

23.13.7 एक ठेकेदार को अनभिप्रेत वित्तीय सहायता:

पत्तन न्यास ने वर्ष 1980 में 13.86 लाख रु. के

करार मूल्य पर दो फाईबर ग्लास लॉचों के निर्माण का कार्य एक फर्म को सौंपा था । पत्तन न्यास ने लॉचों के लिए ईजन मुफ्त आपूर्त किए थे । करार में प्रथम लॉच की सुपुर्दगी जुलाई 1980 तक तथा दूसरे की जुलाई 1981 तक कर देने का प्रावधान था । मार्च 1983 तक 80 प्रतिशत कार्य निष्पादन कर देने के पश्चात फर्म ने कार्य समाप्त करने के लिए मूल्य करार मूल्य से अधिक 9.55 लाख रु. का अतिरिक्त भुगतान इस तर्क पर करने का निवेदन किया (अप्रैल 1983) कि वह वित्तीय कठिनाई में थी तथा सामग्री की कीमतें बढ़ गई थी । यद्यपि करार की शर्तों में अपेक्षित नहीं था, पत्तन न्यास ने, अगस्त 1984 में इस शर्त के साथ कि फर्म मार्च 1985 तक लॉच सुपुर्द कर देगी अर्थात् अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की लागत सीधे वहन करने तथा मजदूरों को मजदूरी अदा करने का निर्णय लिया । इसे अतिरिक्त सहायता मुहैया कराने के बावजूद फर्म ने एक लॉचपर निर्माण कार्य केवल जनवरी 1987 तक पूरा किया । सामग्री तथा मजदूरों पर प्रत्यक्ष रूप से खर्च करके पत्तन न्यास ने 4.65 लाख रु. का अधिक व्यय वहन किया था । पत्तन न्यास ने फर्म की जोखिम एवं लागत पर करार रद्द कर दिया (अगस्त 1987) तथा 4.26 लाख रु. का और खर्च करने के पश्चात दूसरी लॉच सितम्बर 1988 में विभागीय रूप से सम्पन्न कराई थी ।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया था कि (i) पत्तन न्यास सामग्री तथा श्रम की लागत व 8.91 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय सीधे वहन करने के स्थान पर

फर्म की वित्तीय कठिनाईयों का पता लग जाने पर स्वयं ही करार को अगस्त 1984 में रद्द कर सकता था ।

(ii) चूंकि फर्म के पास कोई भी परिसम्पत्तियां नहीं थी, पत्तन न्यास के लिए, जैसा कि अनुबन्ध को रद्द करते समय अपेक्षित था, अतिरिक्त व्यय को वसूल करना सम्भव नहीं था ।

(iii) पत्तन न्यास जुलाई 1984 से दिसम्बर 1989 की अवधि के लिए 1.65 लाख रु. का भू-किराया तथा उस पर शास्ति ब्याज और विद्युत व जल प्रभारों से सम्बन्धित देयों को वसूल करने में भी समर्थ नहीं था ।

(iv) लॉच सात से आठ वर्षों से भी अधिक अवधि हेतु प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं हुई थी जिसके परिणामस्वरूप 31.89 लाख रु. की सीमा तक निधियों का अवरोधन हुआ था ।

23.13.8 राजस्व की हानि

पत्तन न्यास ने टंग "नागार्जुना" को शीघ्रतिशीघ्र जुलाई 1986 में बन्द कर दिया था तथा इसकी खराब हालत के कारण इसके निपटान के लिए प्रस्ताव प्रारम्भ कर दिए गए थे (मई 1988) । टंग के ईजन कमरे तथा बॉयलर में रिसाव के कारण टंग की दशा में और बिगाड़ की सूचना नौसैनिक फोरमैन द्वारा जुलाई 1988 में दी गई थी । तथापि, बाद में पत्तन न्यास ने पोर्त को बेकार घोषित कर दिया था तथा केवल मार्च 1989 में इसके निपटान का निर्णय लिया था । 31.00 लाख रु. की आरक्षित कीमत निर्धारित की गई थी

(मई 1989) । निविदाएं आमंत्रित करने पर (जून 1989) 16.27 लाख रु. का उच्चतम प्रस्ताव आरक्षित कीमत से कम पाया गया था तथा इसलिए अस्वीकार कर दिया गया था। टग के डूबने की संभावना को दृष्टिगत रखकर इसे रद्दी माल मानते हुए इसकी आरक्षित कीमत 18.00 लाख रु. तक कम कर दी गई थी (सितम्बर 1989) । नई निविदाएं आमंत्रित की गई थीं तथा 17.79 लाख रु. का एक फर्म का उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार किया गया था (अक्टूबर 1989)। जब बिक्री प्रक्रिया प्रगति पर थी टग ने डूबना प्रारम्भ कर दिया था तथा फर्म अपने प्रस्ताव से पीछे हट गई थी । फरवरी 1990 में "जहाँ है जैसे है" के आधार पर टग के निपटान हेतु नई निविदाएं पुनः आमंत्रित की गई थी तथा उच्चतम प्रस्ताव केवल 10.86 लाख रु. का प्राप्त हुआ । इस प्रकार टग के निपटान में अनुचित विलम्ब के फलस्वरूप पत्तन न्यास को 6.93 लाख रु. के राजस्व की हानि में हुई।

बम्बई पत्तन न्यास

24. दो गोदी कर्षनावों का चालू न किया जाना

बम्बई पत्तन न्यास (व.प.न्या.) के न्यासी-मंडल ने " उड़ान" तथा " नावाह" कर्षनावों, जो 1982 तक अपनी उपयोगी अवधि से अधिक समय तक टिके हुए थे, को बदलने में 395.00 लाख रु. की अनुमानित लागत पर दो उच्च युक्ति चालनीय 10 टन के जहाजी खूटे को खींचने वाली डीजल से चलने वाली गोदी

कर्षनावों के निर्माण, आपूर्ति तथा बम्बई बंदरगाह में प्रवाहित सुपुर्दगी का जुलाई 1982 में अनुमोदन किया । निविदाएं मई 1983 में आमंत्रित की गई थी । जनवरी 1984 में 205.76 लाख रु. घटा डेढ़ प्रतिशत कटौती, जमा कर तथा शुल्कों, के लिए बम्बई की फर्म "क" से न्यूनतम निविदा स्वीकार कर ली गई थी । पूरा होने तथा सुपुर्दगी अवधि, उनके यार्ड में सुपुर्दगी की नियत तिथि से पांच महीने पूर्व वाइथ प्रौपॉलेशन यूनिटों (फर्म द्वारा आयात की जानी थी) की प्राप्ति के अध्याधीन, (फरवरी 1984) जारी विस्तृत स्वीकृति पत्र की प्राप्ति की तिथि से, पहली कर्षनाव के लिए 15 महीने तथा दूसरी कर्षनाव के लिए 18 महीने थी ।

वाइथ यूनिटें, जो पश्चिम जर्मनी से जनवरी 1985 तथा अप्रैल 1985 में बम्बई में पहुंची थी, की निकासी सीमाशुल्क प्राधिकरियों द्वारा खुले आम लाइसेंसके अन्तर्गत नहीं की गई थी । तथापि, एक यूनिट की किसी जर्मने/ शास्ति के भुगतान के बिना नवम्बर 1985 में निकासी कर दी गई थी तथा प्रथम कर्षनाव डी.टी. राजीव में संस्थापित कर दी गई थी । जुलाई 1986 में कर्षनाव परीक्षण हेतु बम्बई बन्दरगाह लाई गई थी तथापि, कर्षनाव ने डिजाइन किये गये जहाजी खूटे का खिंचाव प्राप्त नहीं किया था । त्रुटियों में सुधार कर दिया गया था तथा अन्ततः इंजन में समंजन करने के बाद वाइथ यूनिट को संलग्न कर दिया गया था, कर्षनाव स्वीकार्य मानको को निष्पादित करने वाला पाया गया था तथा मार्च 1987 में डी.टी. राजीव का अधिग्रहण कर लिया गया था तथा पत्तन ने कर्षनाव के

निर्माण कर्त्ताओं को सभी कर्षनाव की सुरक्षा तथा संचालन संबंधित आगामी सभी उत्तरदायित्वों से उन्मुक्त कर दिया। यद्यपि, कर्षनाव मार्च 1987 में ली गई थी, जहाज पर स्थान तथा अन्य विविध मामलों के सम्बन्ध में शिकायतें दिसम्बर 1986 में बम्बई पत्तन न्यास बेड़ा मजदूर संघ से प्राप्त हुई थी कर्मिंदल ने इसमें परिवर्तन किए जाने तक इसका संचालन करने से इन्कार कर दिया। अगस्त 1987 से जनवरी 1988 के दौरान बांछित परिष्करण किये जाने तथा कर्षनाव पर कर्मिंदल का नया सैट नियुक्त करने के बाद भी जनवरी 1988 में यह पता चला था कि इसे स्टारबोर्ड इंजिन के विफल हो जाने के कारण संचालित नहीं किया जा सका, जो कि सभी सिलेडरों में समुद्री जल के आ जाने के कारण जाम हो गया था तथा परिणामतः इंजिन को क्षति हुई। आंतरिक कूलर सहित सभी क्षतिग्रस्त पुरजों में बदलाव अपेक्षित था। यद्यपि, त्रुटियों का गारंटी अवधि के दौरान पता चला था, जहाज निर्माता ने इस आधार पर क्षतियों की मरम्मत से इन्कार कर दिया कि बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारियों द्वारा इंजिन की नैत्यक रूप से जांच भी नहीं की गई थी तथा क्षति मात्र सिलेडरों में समुद्री जल के प्रवेश तथा इंजिन को उस स्थिति में काफी समय के लिए रखने पर आरोपणीय थी। अध्यक्ष, ब.प.न्या. द्वारा नियुक्त एक कार्य दल ने भी सितम्बर 1988 में क्षतिग्रस्त स्टार बोर्ड इंजिन के लिए जहाज निर्माता को उत्तरदायित्व मुक्त कर दिया था।

ब.प.न्या द्वारा नियुक्त अधिकारियों की

समिति द्वारा समस्त मामले की जांच के लिए नवम्बर 1990 में यह भी सूचित किया गया कि निष्क्रिय/कार्यरत जलयानों के कर्मियों की सहायता से सुधार करने के लिए राव स्तर की जांच करने के लिए एक एक कर खाली गोदी पर 5 अगस्त 1987 से आगे कर्षनावों को संचालित किया गया परन्तु "राजीव" जब उसे स्थित किया गयापर कौन सा कर्मिंदल नियुक्त किया गया था, के नाम को दशति हुए स्थित खंड में कोई हाजिरी पुस्तक नहीं खोजी जा सकी थी। यह भी जानकारी में नहीं आ सका कि इंजन को क्षति पहुंचाते हुए कूलर में रिसाव कब पहुंचा तथा इस प्रकार व्यक्तिगत उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारी को नियत करना संभव नहीं था। बम्बई पत्तन न्यास को इंजन की मरम्मत के पश्चात कर्षनाव को चालू करने के लिए 12.57 लाख रुपये का व्यय करना पड़ा।

मार्च 1987 में चालू करने के समय से कर्षनाव "राजीव" 7 जुलाई 1987 से 4 अगस्त 1987 तक एक महीने के लिए संचालन में रही तथा अप्रैल 1990 तक की शेष अवधि के लिए निष्क्रिय रही।

वाहथ यूनिट तथा अनुषंगियों का दूसरा सैट अप्रैल 1987 में जारी किया गया था तथा अन्य कर्षनाव "रघु" में संस्थापित किया गया था, जिसे कि जनवरी 1988 में चालू किया जाना था। तथापि, इसे जून 1989 में लिया गया था। 18 महीनों का विलम्ब इस कारण से था कि जहाज निर्माताओं को अपने शिपयार्ड में हड़ताल तथा वाइथ यूनिटों के निपटान के प्रति उन द्वारा दिये गये विलम्ब शुल्क के कारण भी वित्तीय

कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। ब.प.न्या. ने उन द्वारा अपेक्षित कर्षनाव "रघु" के परिष्करण पर 1.55 लाख रु. का व्यय भी वहन किया था। तथापि, विलम्ब के लिए जहाज निर्माताओं से परिसमाप्त क्षतियों के लिए 8.38 लाख रु. की राशि वसूली गई थी।

मामला जून 1989 में ब.प.न्या. के ध्यान में लाया गया था तथा ब.प.न्या. द्वारा तथ्यों की पुष्टि की गई थी। भूतल परिवहन मंत्रालय ने मई 1990 में बताया कि जबकि दो कर्षनावों के सम्बन्ध में तकनीकी तथा मानवीय समस्याओं को दूँदा जा रहा था, कार्य व्यापारिक, बेड़ा विभाग से विद्यमान कर्षनाव के सर्वेक्षण का विस्तार प्राप्त किये जाने के बाद चलाया जा रहा था तथा इस प्रकार इस कारण से ब.प.न्या. का कार्य प्रभावित नहीं होता था।

मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि अगस्त 1984 में कर्षनावों की अधिप्राप्ति पर 308.58 लाख रुपये के व्यय से वह उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था जिसके लिए ये वहन किए गए थे। इसके अलावा, उस अवधि के दौरान जब यह कार्य में नहीं था, नियमित जांच के अभाव के कारण एक कर्षनाव की मरम्मत पर 12.57 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा था।

25. निरर्थक निवेश

सितम्बर 1980 में मोगल लाइन्स लिमिटेड (मो.ला.लि.) ने भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर जाफराबाद, मुम्बई, मोरमुगाओं और मंगलौर के मध्य

एक "रोल ऑन रोल आफ" (आर.ओ.आर.ओ.) यात्री एवं नौभार सेवा आरंभ करने का सुझाव दिया। मार्च 1981 में, भूतल परिवहन मंत्रालय (मंत्रालय) द्वारा गठित तकनीकी कमेटी ने इन पत्तनों पर आर.ओ.-आर.ओ. सेवाओं के प्रचालन के लिए कुछ अवसरचनात्मक सुविधाओं की सिफारिश की।

बम्बई पत्तन न्यास (ब.प.न्या.) ने सितम्बर 1981 में आर.ओ. आर.ओ. सेवाओं के लिए, फैरी वार्फ, बम्बई में एक सम्पर्क पुल के निर्माण हेतु 202.44 लाख रुपयों के अनुमान तैयार किए। फरवरी 1983 में यह अनुमान 168.92 लाख रुपए तक संशोधित किया गया था। 1982 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ते.ए.प्रा.गै.आ.) ने बम्बई से नावा तक उनकी सामग्री, ड्रिलिंग उपकरण के परिवहन हेतु आर.ओ. आर.ओ. सुविधाओं का उपयोग करने के लिए फैरी सेवाओं को रखने में, अपनी रुचि व्यक्त की। मार्च 1985 में, संशोधित अनुमानों की संस्वीकृति मांगते हुए ब.प.न्या. ने मंत्रालय को सूचित किया कि केवल ते.प्र.गै.आ. ही इस योजना का निश्चित उपभोक्ता था और वे सेवा को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए दवाब डाल रहे थे।

फैरी वार्फ में आर.ओ.आर.ओ. सेवाओं के लिए अवसरचनात्मक सुविधाओं के प्रावधान के लिए सरकार ने सितम्बर 1985 में 162.42 लाख रुपए की संस्वीकृति प्रदान की। सम्पर्क पुल के निर्माण का कार्य स्वीडन की फर्म को दिया गया और यह 152 लाख रुपए की लागत से मार्च 1987 में पूरा हुआ।

तथापि, फैरी वार्फ पर बने सम्पर्क पुल का

उपयोग, ते.प्रा.गै.आ. द्वारा उनके द्वारा नामा छोर पर उसी प्रकार का सम्पर्क पुल का निर्माण पूरा होने तक, नहीं किया जा सका। अगस्त 1987 से सितम्बर 1987 तक बम्बई पत्तन न्यास और ते.प्रा.गै.आ. के प्रतिनिधियों के मध्य कई बहसों के बाद सितम्बर 1987 में यह सहमति हुई कि, प्रा. गै आ बम्बई पत्तन न्यास द्वारा निर्मित अवसंरचना के उपयोग के लिए अनन्तिम रूप से कम से कम 35 लाख रुपए की राशि प्रतिवर्ष देनी चाहिए। तदनुसार, अक्टूबर 1987 में 8.70 लाख रुपए का भुगतान किया गया और ते. प्रा. गै आ. ने अपने प्रचालन के लिए सम्पर्क पुल का उपयोग आरंभ किया। तथापि, जनवरी 1988 में ते. प्रा. गै. आ. ने यह कहते हुए कि यह सेवा आर्थिक रूप में व्यवहार्य नहीं है, सेवा का उपयोग करना समाप्त कर दिया। यद्यपि ते. प्रा.गै.आ. आर.ओ आर.ओ सेवा शीघ्र प्रारंभ करने पर दबाव डाल रहा था, परन्तु बम्बई पत्तन न्यास और ते. प्रा. गै. आ. के बीच सुविधा के निरंतर उपभोग या भुगतान की शर्तों के संबंध में कोई समझौता नहीं था। यद्यपि ब.प.न्या. ने आग्रह किया कि ते.प्रा.गै.आ. को अन्य वैकल्पिक उपभोक्ता मिलने तक सम्पर्क पुल के संबंध में अपने हिस्से के दायित्व को वहन करना चाहिए, ते.प्रा.गै.आ. ने यह तर्क देते हुए, कि यह सुविधा एक जन सुविधा के रूप में सृजित गई थी और वे सुविधा का उपभोग, अन्य उपभोक्ता की तरह, केवल आवश्यकता के समय ही करेंगे, ऐसा करने से इंकार कर दिया। मंत्रालय ने फरवरी 1988 में यह मामला पेट्रोलियम मंत्रालय के

साथ उठाया। अगस्त 1988 में मंत्रालय ने भारतीय नौ पत्तन निगम (भा. नौ. नि) को भी आर ओ आर ओ सुविधा के उपयोग की संभावना की जांच का सुझाव दिया। इस संबंध में अब तक (अक्टूबर 1990) कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और ब.प.न्या. द्वारा 152 लाख रुपए की लागत से सृजित सुविधा, उपभोक्ता के अभाव के कारण अप्रैल 1987 से लगातार बेकार पड़ी रही। सुविधा का उपभोग केवल ते.प्रा.गै.आ. द्वारा और वह भी अक्टूबर 1987 से जनवरी 1988 तक तीन माह की अल्प अवधि के लिए किया गया था जिसके लिए ते.प्रा.गै.आ. ने 8.70 लाख रुपए का भुगतान किया। ब.प.न्या. हानि, जिसके लिए ते.प्रा.गै.आ. ने 8.70 लाख रुपये अदा किए थे, निरंतर उठाता रहा, ब.प.न्या. मूल्यहास, मरम्मत तथा रख रखाव और 12 प्रतिशत की दर पर पूंजी की वापसी के रूप में, 29.39 लाख रुपए प्रतिवर्ष की हानि उठाती रही। इसके अतिरिक्त अप्रैल 1987 से चौकी दरारों के रूप में दो अकुशल मजदूरों को नौकरी पर रखा गया। जून 1990 तक उनको भुगतान की गई वेतन एवं भत्तों की राशि 8.57 लाख रुपए थी।

उपरोक्त बताए तथ्यों का ब.प.न्या. ने अगस्त 1989 में पुष्टि कर दी। मंत्रालय ने अक्टूबर 1990 में बताया कि भारतीय जहाजरानी निगम का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चार आर ओ आर ओ जल यान प्राप्त करने का विचार है। इसके अतिरिक्त, अहमदाबाद की एक फर्म ने भी आर ओ आर ओ सुविधा का उपयोग करते हुए, ट्रक फैरी सेवा के

आरंभ करने में रुचि दिखाई है, तथा इस प्रकार ब.प.न्या. द्वारा निर्मित रो रो सेवा का आखिरकार लाभदायक उपयोग किया जायेगा। तथापि. ब.प.न्या. द्वारा 152 लाख रुपये की लागत से तैयार सुविधा अप्रैल 1987 से निरंतर बेकार पड़ी थी इससे 152 लाख रुपए के अवरोधन, और मरम्मत रख रखाव और मूल्यहास आदि के कारण 29.39 लाख रुपए प्रतिवर्ष का दायित्व हुआ। तथा निगरानी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते की मद में (जून 1990 तक) 8.57 लाख रुपए की अतिरिक्त देयता हुई। इसके साथ ही आरंभ करने की तिथि से अक्टूबर 1990 तक आर ओ आर ओ सेवा पर वहन की गई राशि (152 लाख रुपए) पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की गणना से 86 लाख रुपए के परिकल्पित ब्याज की हानि भी हुई थी।

कलकत्ता पत्तन न्यास

26. निकर्षण पर निष्फल व्यय

कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा (क प न्या) फरवरी 1988 में, अनुरक्षण अपसर्पण योजना के अंतर्गत जिगरखाली दलदल (दलदल) में निकर्षण के लिए भारतीय निकर्षण निगम (भा नि नि) से किराये पर लिए गए निकर्षण की तैनाती के संबंध में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (1989 की संख्या 9)-संघ सरकार (अन्य स्वायत्त निकाय) के 31 मार्च 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 15 के उप पैरा 9 में, उल्लेख किया गया था। 212.51 लाख

रुपये की कुल लागत पर केवल 0.8 मिलियन घन मीटर (मि घ मी) मिट्टी के निकर्षण के बाद, खराब मौसम की परिस्थितियों के कारण, अप्रैल 1988 में निकर्षण बंद कर दिया गया था।

जनवरी 1989 में, क प न्या ने, दलदल के उपर से बाढ़ मार्ग खोलने के उद्देश्य से जो कि 380.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर हल्दिया तेल घाट (ह ते घा) के आस पास गाद की संभावनाओं को कम कर सकता था, जनवरी से मार्च 1989 की साफ मौसम अवधि के दौरान क्षेत्र में निकर्षण हेतु भा नि नि के निकर्षक ढांचे की पुनः तैनाती का निर्णय किया। कार्य में, पूर्व निर्धारित समय ढांचे अर्थात जनवरी 1989 से मार्च 1989 के दौरान आधार के नीचे 3.5 मीटर की गहराई तथा दक्षिण से उत्तर को लगभग 80 मीटर की तल चौड़ाई के साथ दलदल पर लम्बाई में लगभग 4.5 किलोमीटर का जल निकास मार्ग काटते हुए 0.80 मि घ मी गाद को उठाना शामिल था। क्योंकि निकर्षण प्रयत्न ह ते घा के काफी निकट सानिध्य में किए जाने थे, यह प्रावधान किया गया था कि निकर्षित सामग्री निपटाने के बाद प्लवमान पाइपलाइन के माध्यम से लगभग 300/400 मीटर की दूरी पर फेंक दी जाएगी ताकि पाटने की प्रक्रिया के कारण ह ते घा की गहराई तथा हल्दिया बांध प्रवेश मार्ग में विपरीत प्रभाव न पड़े।

क प न्या ने जनवरी 1989 में यह शर्त लगाते हुए एक उद्देश्य पत्र प्रस्तुत किया कि पाइपलाइन की लम्बाई 400 मीटर होगी तथा जनवरी 1988 में भा नि

नि के साथ एक अनुबंध पूरा किया। भा नि नि ने जनवरी 1989 में केवल 160 मीटर पाइप लाइन, जो कि पहले ही स्थल पर थी, के साथ निकर्षण कार्य प्रारंभ किया। फरवरी 1989 में भा नि नि ने 200 मीटर की एक अतिरिक्त पाइपलाइन तैयार की, परन्तु नदी में तीव्र ज्वार भाटे के कारण वे इसे विद्यमान 160 मीटर पाइप लाइन से जोड़ने में असफल रहे। क प न्या ने फरवरी 1989 से कार्य बंद कर दिया, क्योंकि भा नि नि वास्तव में अतिरिक्त प्लवमान पाइपलाइन तैयार नहीं कर सका जैसा कि विनिर्दिष्ट था।

जनवरी से फरवरी 1989 तक भा नि नि निकर्षक ने केवल 72 घंटे के लिए काम किया तथा 0.08 मि घ मी ही गाद उठाई। अनुबंध में अनुबद्ध प्रति घंटा की दर से गणना करने पर इसके लागत 38.68 लाख रुपये बनती थी। इसमें से, मार्च 1989 में 18.68 लाख रुपये पहले ही अदा कर दिये गये थे तथा 20.00 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान विवादाधीन पड़ा रहा था (नवम्बर 1990)। किया गया निकर्षण, दलदल के ऊपर बाढ़ मार्ग खोलने के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हुआ तथा इस प्रकार से, निकर्षण में 18.68 लाख रुपये का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ, इसके अतिरिक्त 20 लाख रुपये की बकाया राशि जो कि वर्तमान में भा नि नि के साथ विवादाधीन थी, अदा करने की संभावित देयता भी रही।

क प न्या ने अगस्त 1990 में बताया कि नदी पर क्षण प्रतिक्षण मौसम तथा जल विज्ञान में परिवर्तन होते रहते हैं तथा यह आशा की कि परिस्थिति एक

तर्कसंगत अवधि के अंदर सुधर जायेगी, कार्यान्वित नहीं हुई तथा इसलिए, निकर्षण संचालन पर किया गया व्यय अपरिहार्य था। सितम्बर 1990 में मंत्रालय ने भी क प न्या के विचार पृष्ठांकित किए थे।

तथापि, मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि क प न्या कर्मचारियों ने जनवरी 1989 में एक बैठक में इस बात पर जोर दिया था कि निकर्षण का असली उद्देश्य अनावश्यक बन जाएगा, यदि कम से कम 300 मीटर की सपाट दूरी वाली कम से कम 350 मीटर पाइपलाइन का संस्थापन तथा अनुरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जाता। इसलिए ज्वार भाटे की स्थिति के सुधार में कोई सकारात्मक संकेत के बिना, किसी तारीख से उसके केवल एक दिन बाद, निकर्षण के कार्य का पुनरारंभ तर्कसंगत नहीं था।

27. पूरी मरम्मत पर परिहार्य व्यय

पत्तन क्षेत्र के अंदर रेलवे संचालनों के लिए, 1952 से 1954 के दौरान कलकत्ता पत्तन न्यास (क प न्या) ने विदेशी फर्मों से 33 भाप के इंजन अधिप्राप्त किये। ये इंजन, अहाता अभिन्यास तथा यातायात अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, पत्तन की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल निर्मित किये गये थे। विदेशों में बने होने के कारण वाल्व चेस्ट, बायलर तथा इंजन के मुख्य ढांचे सहित वाष्प सिलेंडर, बदलने योग्य नहीं थे, क्योंकि ये तो देशज, अथवा विदेशी निर्माताओं से तत्काल उपलब्ध नहीं थे। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क प न्या ने सितम्बर 1978 में 18 वाष्प

इंजनों को बदलने का निर्णय लिया, जोकि पहले ही 24 वर्षों से अधिक सेवा कर चुके थे तथा किफायती मरम्मत से बाहर थे। बाद में, नवम्बर 1979 में क प न्या ने निर्णय लिया कि सभी 33 वाष्प इंजन एक से ही पुराने तथा स्थिति में होने के नाते उनके चरणों में बदले जाने की आवश्यकता थी। तथापि, क प न्या ने वाष्प इंजनों को बदलने के लिए चरबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया।

सितम्बर 1980 से दिसम्बर 1985 तक क प न्या ने 13.67 लाख रुपये की लागत पर एक वाष्प इंजन तथा चार अतिरिक्त बायलरों की पूरी मरम्मत की। इन्हें पूरी मरम्मत के बाद प्रयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि अप्रैल 1986 से आगे क प न्या रेलवे से भाप इंजन पूर्णतया हटा लिए गए थे। क प न्या ने फरवरी 1985 में 1.66 लाख रुपये की लागत पर वाष्प इंजनों में प्रयोग के लिए 56 मुख्य बियरिंग स्प्रिंग भी अधिप्राप्त किये। इसमें से, 1.51 लाख रुपये लागत के 51 स्प्रिंग इंजनों को प्रयोग से हटा लिये जाने तक इस्तेमाल में नहीं लाये जा सके थे। जबकि पूरी मरम्मत किये हुए भाप बायलरों, जो कि उपयोग में नहीं लाये जा सके थे, का सितम्बर 1988 में नीलामी के माध्यम से निपटान कर दिया गया था, पूरी मरम्मत किया हुआ भाप इंजन अब तक (दिसम्बर 1990) बेकार पड़ा रहा। शेष 32 वाष्प इंजनों का अगस्त 1980 से नवम्बर 1989 के दौरान नीलामी के माध्यम से निपटान कर दिया गया था। अप्रयुक्त 51 मुख्य बियरिंग स्प्रिंग अभी भी निराकरण तथा निपटान

की प्रतीक्षा में थे (दिसम्बर 1990)।

क प न्या ने अगस्त 1990 में बताया कि वाष्प इंजनों की संख्या को घटाने की प्रक्रिया के दौरान उनके बायलरों सहित कुछ इंजनों की यातायात संचालन हेतु उन्हें प्रयोग में लाने के लिए मरम्मत/पूरी मरम्मत करनी पड़ी थी। इसलिए, भाप तथा बायलरों की पूरी मरम्मत करनी पड़ी थी तथा इस पर होने वाला व्यय वहन करना पड़ा था। परन्तु तथ्य यह रहा कि क प न्या, इंजनों तथा बायलरों के संबंध में क.प.न्या. रेलवे से भाप इंजनों के प्रयोग की पूर्ण वापसी की तारीख के साथ, पूरी मरम्मत के कार्यक्रम का, जो जोड़ने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 15.18 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

मंत्रालय ने जनवरी 1991 में बताया कि इंजनों के आहरण, उपयोग तथा उनके बियरिंग स्प्रिंग की भी अधिप्राप्ति तथा उनकी अधिक मात्रा के निपटान में भी उपयोगिता से संबंधित समन्वयन की कमी थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि क.प.न्या. की अध्यक्ष से जांच पड़ताल करने तथा उत्तरदायित्व नियत करने के लिए निवेदन किया गया था।

28. चूककर्त्ता ठेकेदारों से प्राप्यों की गैर वसूली

कलकत्ता पत्तन न्यास (क प न्या), ने जून 1970 में कर व शुल्क सहित 3.43 लाख रुपये (इ ओ ट्रे के 0.78 लाख रुपये, च उ म शे 2.60 लाख रुपये तथा अनंतिम राशि 0.05 लाख रुपये) की लागत पर एक 10 टनी इलेक्ट्रिक ओवरहैड ट्रेवलिंग क्रेन (इ

ओ ट्रे के) की आपूर्ति, संरचना तथा स्थापना और कलकत्ता गोदी प्रणाली की नेताजी सुभाष गोदी पर चल उपकरण मरम्मत शेड (च उ म शे) के निर्माण के लिए भी, फर्म "क" को आदेश प्रस्तुत किया। करार की शर्तों के अनुसार, कार्य के लिए आवश्यक सामग्रियां फर्म "क" से उनकी लागत की वसूली के अध्याधीन क प न्या द्वारा आपूर्त की जानी थी। कार्य, कार्य आदेश प्राप्त होने पर तत्काल प्रारंभ किया जाना था तथा 10 से 12 महीनों के भीतर पूरा किया जाना था।

जून 1970 में कार्य आदेश प्रस्तुत किए जाने के समय, क प न्या के पास इस्पात का कोई भंडार नहीं था। इसने, मार्च 1973 से जनवरी 1976 के दौरान 154.613 मिट्टिक टन (मि ट) इस्पात सामग्रियों की आवश्यक मात्रा जब कभी मंगाई गई खेपों में आपूर्त की।

जुलाई 1974 में, आवश्यक इस्पात की प्राप्ति पर ही फर्म "क" ने च उ म शे का संरचनात्मक कार्य प्रारंभ किया। इसी दौरान मूल्यों में वृद्धि के कारण फर्म ने जुलाई 1974 में मजदूरों और सामग्री दोनों के लिए वृद्धि का दावा किया। क प न्या ने अप्रैल 1977 में, जनवरी 1976 को समाप्त हुई अवधि के लिए वृद्धि का दावा स्वीकार किया उस तारीख तक क प न्या ने फर्म इस्पात सामग्रियों की आपूर्ति पूरी कर दी थी।

अप्रैल 1978 में, फर्म "क" ने च उ म शे पर कार्य निलम्बित कर दिया था, जबकि इ ओ ट्रे के के संबंध में कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ था। फर्म ने कार्य पुनः आरंभ नहीं किया। उस तारीख तक फर्म द्वारा पूरे किए गए

कार्य का वृद्धि सहित मूल्य 1.89 लाख रुपये बनता था, जिसमें से फर्म द्वारा प्रयुक्त 110.709 मि ट की इस्पात सामग्रियों की लागत के द्योतक 1.13 लाख रुपये काटने के बाद फर्म को, जनवरी तथा अप्रैल 1978 के दौरान 1.84 लाख रुपये दिये थे।

जुलाई 1981 में, क प न्या ने करार की सामान्य शर्तों की धारा 23 के अंतर्गत फर्म की जोखिम, लागत व व्यय पर फर्म के साथ करार समाप्त कर दिया। करार को समाप्त करने में विलम्ब, मामले के प्रशासकीय तथा कानूनी पहलुओं पर विचार के लिए, लिए गए समय, पर आरोपित किया गया था। तथापि, 1.10 लाख रुपये मूल्य की 43.904 मि ट इस्पात सामग्रियों के बकाया की फर्म से वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसके कारण अभिलेखों में नहीं थे।

क प न्या ने जुलाई 1983 में, मार्च 1984 तक पूरा किए जाने के लिए 4.72 लाख रुपये की कुल लागत पर च उ म शे का अपूर्ण कार्य अन्य फर्म "ख" को प्रदान कर दिया था। तथापि, समयवृद्धि नवम्बर 1984 तक प्रदान कर दी गई थी तथा कार्य नियत तारीख तक पूरा हो गया था। नवम्बर 1983 से नवम्बर 1987 के दौरान शेष बचे कार्य की लागत तथा 0.53 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि सहित 5.25 लाख रुपये की राशि फर्म को पूर्ण निपटान में दे दी गई थी। क प न्या ने दिसम्बर 1990 तक किसी अन्य ठेकेदार द्वारा इ ओ ट्रे के के संबंध में कार्य निष्पादित नहीं करवाया जिसके कारण अभिलेख में नहीं थे।

च उ म शे के संबंध में चूककर्ता फर्म द्वारा छोड़े गए कार्य की मदों के लिए बढ़ी हुई दरों तथा वे जो कार्य के अंतिम निष्पादन के लिए फर्म "ख" को अदा किए गए थे, के बीच अंतर पर आधारित 3.97 लाख रुपये का अधिक व्यय (0.05 लाख रुपए की राशि का समायोजन करने के पश्चात जो फर्म "क" के बिना अदायगी के रही) था। इस प्रकार से, कार्य के परित्याग के लिए फर्म "क" से 43.904 मि ट इस्पात की लागत (1.10 लाख रुपये) सहित 5.07 लाख रुपये की राशि वसूली योग्य थी। तथापि, क प न्या ने अक्टूबर 1990 तक राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी जिसके कारण अभिलेख में नहीं थे। जून 1979 तक वैध जमानत जमा राशि के लिए, नवम्बर 1974 में फर्म "क" द्वारा दी गई 0.08 लाख रुपये की प्रतिभूति भी क प न्या की विलम्बित कार्यवाही के कारण वापस नहीं की जा सकी।

इस प्रकार से, क प न्या की ओर से समुचित तथा समय पर कार्यवाही के अभाव के परिणामस्वरूप फर्म "क" से नौ वर्षों से अधिक से 1.10 लाख रुपये की राशि तथा लगभग तीन वर्षों से 3.97 लाख रुपये की राशि बिना वसूली के रही।

क.प.न्या. ने अक्टूबर 1990 में बताया कि वसूली करने की कार्यवाही पहले ही की जा चुकी थी। मंत्रालय ने जनवरी 1991 में इसकी पुष्टि भी की कि ठेकेदारों से दावे प्रस्तुत करने में विलम्ब था तथा बताया कि चूककर्ता ठेकेदारों से देय की वसूली हेतु क.प.न्या. द्वारा अब तक एक दावा दायर किया गया

था।

कोचीन पत्तन न्यास

29. परिहार्य अतिरिक्त व्यय

मट्टान चेरी हाल्ट पम्प हाउस से घाट में भूमिगत जलाशय तक 200 मि मी अर्धव्यास की एच डी पी ई पाइपलाईन मुहैया करने के कार्य (अनुमान 17.50 लाख रुपये) के लिए जनवरी 1987 में निविदा मांगी गई थी तथा 20.36 लाख रुपये का प्राप्त न्यूनतम प्रस्ताव 11 अप्रैल 1987 तक वैध था, परन्तु फर्म द्वारा वैधता पुनः 10 जून 1987 तक बढ़ा दी गई थी। तथापि, पत्तन की ओर से संसाधन में विलम्ब के कारण, पत्तन न्यास बोर्ड का अनुमोदन 30 मई 1987 में ही प्राप्त किया जा सका तथा फर्म को स्वीकृति की सूचना 11 जून 1987 अर्थात् वैधता अवधि की समाप्ति के बाद ही भेजी जा सकी थी। परिणामतः निविदादाता ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। निर्माण कार्य के लिए पुनः अक्टूबर 1987 में निविदा मांगी गई तथा मार्च 1988 में 23.56 लाख रुपये का न्यूनतम प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। कार्य मार्च 1989 में संतोषजनक रूप से पूरा हो गया था। इस प्रकार से, वैधता अवधि को बढ़ाने के बावजूद, न्यूनतम प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना भेजने में विलम्ब के परिणामस्वरूप पहले के न्यूनतम प्रस्ताव की तुलना में पत्तन न्यास को 3.20 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। पत्तन न्यास ने फरवरी 1989

में बताया कि मामले पर इस तरह से विचार किया गया था, मानो ठेकेदार वैधता अवधि के दौरान मुकर गया था तथा तदनुसार कार्यवाही की गई थी। इस प्रकार से पत्तन न्यास प्रथम निविदा के प्रति प्राप्त प्रस्ताव के संसाधित करने में विलम्ब को तर्कसंगत सिद्ध करने में विफल रहा। इसने यह भी इंगित नहीं किया कि विलम्ब, जिसके परिणामस्वरूप 3.20 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ, के लिए क्या कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था।

मंत्रालय ने जनवरी 1991 में उत्तर दिया कि फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि ने अपने दिनांक 12 मई 1987 के पत्र में उनके प्रस्ताव की वैधता 30 जून 1987 तक बढ़ा दी है। तथापि फर्म ने अपनी तार दिनांक 11 तथा 23 जून 1987 में बताया कि उनके प्रस्ताव की वैधता 10 जून 1987 को समाप्त हो गई थी तथा कि उनके स्थानिक प्रतिनिधि द्वारा दी गई समय वृद्धि उनके अनुमोदन के बिना थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि पत्तन न्यास ने फर्म की पेशगी जमा राशि जब्त कर ली थी।

जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास

30. पत्तन शुल्कों की गैर वसूली

जवाहरलाल नेहरू पत्तन परियोजना के मुख्य सिविल निर्माण कार्य हेतु एक ठेका 110 करोड़ रूपए की कुल लागत पर जुलाई 1985 में एक विदेशी ठेकेदार को प्रदान किया गया था। ठेके की शर्तों के

अनुसार निर्माण उद्देश्यों के लिए आयातित उपस्कर को उतारने हेतु ठेकेदार को निःशुल्क घाट अवतरण सुविधाएं अनुमत की गई थीं। मार्च 1989 में पर्याप्त निर्माण कार्य पूरा होने पर ठेकेदार ने मार्च 1989 में, नौभार ट्रक, संरकवां क्रेन इत्यादि, जैसे निर्माण उपस्कर, जो निर्माण उद्देश्य हेतु ठेकेदार द्वारा आयातित किए थे, के पुनः निर्यात के लिए, कन्टेनर गोदी सुविधाओं हेतु मांग की थी। अप्रैल 1990 में पत्तन प्राधिकारियों ने ठेकेदार को सुविधाओं के उपयोग हेतु 15-4-1989 से 20-4-89 की अवधि के लिए 41.86 लाख रुपये राशि के पत्तन प्रभारों को बिना वसूल किए ही उपस्कर के पुनः निर्यात हेतु लदान के लिए निम्न आधार पर अनुमत कर दिया था:-

(1) संविदा खण्ड. III विशेष विनियोग की धारा 1.6.4 के अनुसार अवतरण घाट विश्व के ठेकेदारों को संयंत्र, उपस्कर तथा सामग्री को निःशुल्क उतारने की सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया था तथा वही सुविधा, उपस्कर और सामग्रियों के पुनः निर्यात के लिए लागू समझी जानी थी (ii) संविदा भाग-1 की सामान्य शर्तों की धारा 30(4) मामले से संबंधित थी, जिसके अनुसार जलमार्गों तथा गोदियों का उपयोग, बिना अतिरिक्त लागत पर सड़क द्वारा स्थल के लिए अभिगमन से तुलनायोग्य है तथा (iii) पत्तन पोतों के प्रवेश के लिए औपचारिक रूप से खुला घोषित नहीं किया गया था तथा गोदियों की क्षमता की जांच के लिए परीक्षण के रूप में लंगर डाला गया था और संचालन

पहली बार परीक्षण आधार पर किया गया था।

पत्तन न्यास द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण न्यायसंगत नहीं है क्योंकि (i) संविदा खण्ड-III के विशेष विनियोग की धारा 1.6.4 निर्माण अवधि के दौरान उपस्कर एवं संयंत्रों को उतारने की सुविधा हेतु अवतरण घाट के ही उपयोग के लिए है, जबकि ठेकेदार ने उपस्कर तथा संयंत्रों के पुनः निर्यात हेतु लदान के लिए भी गोदी तथा घाट की सुविधा का लाभ भी उठाया था (ii) विशिष्ट विनियोग की शर्तों की धारा 30(2) तथा (3) के साथ पठित संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 30(4) के अनुसार ठेकेदार, कार्य स्थल को ले जाये गये विशेष भार की दुलाई के कारण सड़कों, राजमार्गों, पुलों, जलमार्गों इत्यादि की क्षति के लिए उत्तरदायी था तथा निःशुल्क परिवहन के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं था और (iii) यद्यपि यह कहा गया था कि पत्तन के हित में लंगरगाह का प्रयोग परीक्षण आधार पर था, ठेकेदार को निःशुल्क लंगरगाह सुविधा के उपयोग करने को अनुमत करने के लिए कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

सरकारी विज्ञप्ति, दिनांक 9 फरवरी 1989 के अनुसार पत्तन प्रभार 12 अप्रैल 1988 से लगाये गये तथा ठेकेदार द्वारा लंगरगाह का लाभ इस तिथि के बाद उठाया गया था। यह देखा गया था कि पत्तन प्रभार, कन्टेनर ले जा रहे पहले परीक्षण पोत से लगाये गये थे जिसने पत्तन पर 29 अप्रैल 1989 को लंगर डाला था। वर्तमान मामले में चूंकि लंगरगाह का

लाभ विज्ञप्ति की तिथि के बाद उठाया गया था। ठेकेदार के मामले को अपवाद बनाने के लिए कोई मान्य आधार न था।

ज.ने.प.न्या. ने सितम्बर 1990 में पुनः बताया कि प्रभारों की राशि के संग्रहीत किये जाने पर ठेके की धारा 70(5) के अनुसार ठेकेदार को वापस की जानी थी चूंकि पत्तन शुल्क निर्माण कार्य हेतु निविदाओं के प्रस्तुतीकरण के लिए अंतिम तिथि से पूर्व 30 दिन के बाद जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार, उद्ग्रहणयोग्य थे। तथापि, यह तर्क न्यायसंगत नहीं है चूंकि स्थल से संयंत्र और उपस्कर हटाने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था तथा वह संयंत्रों और उपस्करों को महसूल/प्रभारों से मुक्त ले जाने का हकदार नहीं था।

इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा ठेके की धाराओं की गलत व्याख्या के परिणामस्वरूप ठेकेदार से 41.86 लाख रुपये राशि के पत्तन प्रभारों की गैर वसूली हुई।

मामला मंत्रालय को अगस्त 1990 में भेजा गया था उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मई 1991)।

31. एक ठेकेदार को अदेय लाभ

जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (ज.ने.प.न्या.) के मुख्य सिविल निर्माण कार्य का ठेका 110 करोड़ रुपये के संविदा मूल्य पर जुलाई 1985 में एक विदेशी कम्पनी को दिया गया था। कम्पनी के साथ हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य हेतु आयातित माल

पर देय सीमा शुल्क एवं अन्य आयात शुल्कों के भुगतान का उत्तरदायित्व कम्पनी का था। स्थायी निर्माण कार्यों के लिए आयात व उपयोग किए जाने वाले माल व उपकरणों का कम्पनी द्वारा आयात हेतु विदेशी विनिमय की आवश्यकता को दशति हुए, निविदा की अनुसूची -छ में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। इस अनुसूची छ के मदों के सीमाशुल्क वर्गीकरण को एक सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता सहित निविदा दाताओं, तथा विभिन्न अधिकारियों की उपस्थिति में एक पूर्व निवेदित वर्गीकरण के दौरान मार्च 1984 में कम्पनी को स्पष्ट कर दिया गया था। तदनुसार, अनुसूची छ की मदें अपने आयात पर सीमा शुल्क टैरिफ के विभिन्न शीर्षों के अधीन सामान्य सीमा शुल्कों के लिये दायी थी तथा अनुसूची छ, की केवल दो मदें जो सीमाशुल्क टैरिफ के मद 84.66 (98.01 यथासंशोधित) पर भी उल्लिखित थी तथा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 157 के अन्तर्गत निर्दिष्ट विनियमों द्वारा निर्धारित रूप में भी दर्ज की गई थी, सीमाशुल्क शीर्ष 84.66 के अन्तर्गत वर्गीकरण हेतु ग्राह्य थीं। तथापि, कम्पनी की भ्रातिपूर्ण शिकायत की पूर्वनिवेदित वर्गीकरण के अनुसार कम्पनी सम्पूर्ण अनुसूची छ की मदों की रियायती निकासी के लिए ग्राह्य थी तथा इसके बावजूद सीमाशुल्क अधिकारियों ने ऐसे योजना पंजीकरण को, तथा अनुसूची मदों को सीमा शुल्क शीर्ष 84.66 के अन्तर्गत वर्गीकरण के लिए मना कर दिया, ज.ने.प.न्या. ने जुलाई 1986 में भारत सरकार से सम्पूर्ण अनुसूची छ की मदों के लिये

आवश्यक सीमाशुल्क छूटों को जारी करने के लिए निवेदन किया। भारत सरकार ने सार्वजनिक हित में अक्टूबर 1986 में, उक्त अनुसूची छ के माल व उपकरणों को सीमाशुल्क से अंशतः छूट प्रदान करते हुए एक आदेश जारी किया। तदनुसार अनुसूची छ में सम्मिलित माल व उपकरणों को उनके वर्गीकरण पर ध्यान दिये बिना 55 प्रतिशत यथामूल्य के सीमाशुल्क की समान दर पर मूल्यांकित किया गया था।

समझौता शर्तों की धारा 70 (5) के अधीन निर्माण कार्यों हेतु निविदा प्रस्तुतीकरण के लिये अंतिम तिथि से तीस दिन पूर्व, तिथि के पश्चात प्रख्यापित बाद के नियमों से उद्भूत अतिरिक्त अथवा घटी लागत को, अभियंता (सलाहकार) द्वारा प्रमाणित किया जायेगा तथा नियोक्ता द्वारा अदा अथवा उसे क्रेडिट किया जायेगा तथा संविदा तदनुसार समायोजित कर दिया जायेगा।

चूंकि तदर्थ छूट जुलाई 1986 में निविदा स्वीकृति के पश्चात अक्टूबर 1986 में प्रदान की गई थी, छूट से होने वाले किसी भी लाभ को ज.ने.प.न्या. को अर्जित किया जाना चाहिए था। इसलिए ज.ने.प.न्या. के द्वारा निविदा मूल्य को सामान्य दरों तथा रियायती दरों पर कम्पनी द्वारा वास्तव में भुगतान किये गए सीमाशुल्क के अन्तर तक समायोजित करना अपेक्षित था। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान की गई ग्यारह मदों की नमूना जांच में यह पाया गया कि परिकलित 8.74 करोड़ रु. की राशि समायोज्य थी जिसके लिए जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ने निविदा मूल्य में

कोई समायोजन नहीं किया था ।

मंत्रालय ने फरवरी 1991 में बताया कि प्रारंभ में कम्पनी ने स्थायी परियोजना निर्माण कार्यों में सम्मिलित किये जाने वाले सभी माल के लिए सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 84.66 के अन्तर्गत 65% यथामूल्य पर सीमाशुल्क की रियायती दर पर भुगतान करना मान लिया था तथा सलाहकार के नवम्बर 1984 के पत्र के साथ पठनीय अनुबंध की धारा 53 (ii) से पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जायेगा कि सीमाशुल्क के संबंध में कम्पनी का उत्तरदायित्व टैरिफ के 84.66 शीर्ष के अधीन मुहैया करायी गयी दर तक प्रतिबंधित होगा । एक मद "फैण्डर" के संदर्भ में यह बताया गया था कि कम्पनी द्वारा मानी गई उद्धरण हेतु उक्त मद की दर 65% थी । तथापि मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अनुबंध की धारा 53(ii) में यह शर्त थी कि सीमाशुल्क के भुगतान का उत्तरदायित्व कम्पनी का था तथा यह मार्च 1984 में पूर्वनिवेदित बैठक के दौरान स्पष्ट भी कर दिया गया था, कि सीमाशुल्क भुगतान नियमानुसार होना था । इसलिए ठेके के अधीन आयात होने वाले माल पर सीमाशुल्क नियमों ने अधीन अनुज्ञेय के अलावा अन्य अतिरिक्त सीमाशुल्क छूट लागू नहीं होती थी , जिसके अनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 157 के अन्तर्गत पंजीकृत तथा सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 84.66 (फरवरी 1986 से पुनः संशोधित संख्या 98-01) में शामिल उपस्कर जैसे मद, से परियोजना आयातों के रूप में रियायती निकासी के पात्र थे । "फैण्डर्स" के संदर्भ में संबंधित

प्रविष्टि बिल से प्रकट हुआ कि कम्पनी ने ग्राह्य मदों के बारे में भी उचित कार्यविधि नहीं अपनायी थी तथा इसलिए अक्टूबर 1986 की तदर्थ छूट न हो पर उनपर सीमाशुल्क टैरिफ की सम्बन्धित मद के अधीन सामान्य शुल्क लगे होते । कम्पनी ने मार्च 1984 में पूर्वनिवेदित स्पष्टीकरण मांगते हुए स्वयं आयातित माल की लागत के 200% तक देय सीमाशुल्क निर्धारित किया था । नवम्बर 1984 में कम्पनी को सम्बोधित सलाहकार के पत्र में रियायती देय सीमाशुल्क के सम्बन्ध में बचनबद्धता का वर्णन नहीं था तथा केवल पूर्वनिवेदित सम्मेलन के दौरान कम्पनी को दिये गये स्पष्टीकरण तथा अनुबद्ध की धाराओं को दोहराया गया था । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार राशि के समायोजन न किये जाने के परिणामस्वरूप परियोजना के लागत व कम्पनी के अप्रत्याशित लाभ में काफी वृद्धि हुई । नमूना जांच की गई ग्यारह मदों के लिए यह 8.74 करोड़ रु. परिकल्पित किया गया था; सभी मदों के लिए कुल राशि काफी अधिक हो सकती थी जिसके लिये जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा परिमाणन की आवश्यकता थी ।

नया मंगलौर पत्तन न्यास

32. घाट शुल्क दरों का कम उद्ग्रहण

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (1988 की सं. 11)-संघ सरकार (अन्य स्वायत्त निकाय) के

प्रतिवेदन के पैराग्राफ 3.10 में, नया मंगलौर पत्तन न्यास (पत्तन न्यास) द्वारा ग्रेनाइट पत्थर, भारी ईस्पात टांचों तथा मशीनरी, ईस्पात कॉइल, इत्यादि के संबंध में "भारी उत्पादनों" के अंतर्गत निर्धारित उच्चतर घाट शुल्क दरों के लागू न करने के परिणामस्वरूप फरवरी 1983 से दिसम्बर 1984 के दौरान 41.60 लाख रुपये की सीमा तक के घाट शुल्क के कम हुए संग्रहण का उल्लेख किया गया था। मंत्रालय ने मई 1986 में लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया तथा पत्तन न्यास को सरकार के आदेशों को कार्यान्वित करने के निदेश दिए। तथापि, पत्तन न्यास ने सरकार के आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया था तथा कोई वसूली प्रभावित नहीं की थी।

1986-87 से 1989-90 (जनवरी 1990) के दौरान पत्तन न्यास द्वारा सागौन की लकड़ी के लिए 21 रुपये प्रति टन तथा "प्लाईवुड सहित इमारती लकड़ी तथा इमारती लकड़ी के उत्पादों" हेतु निर्धारित, अन्यो के लिए 18 रुपये प्रति टन की दर से घाट शुल्क संग्रहीत करते हुए पत्तन न्यास द्वारा 2.51 लाख टन इमारती लकड़ी का निपटान किया गया था। क्योंकि दायर किए गए आयात आवेदन पत्रों के अनुसार, ये इमारती लकड़ी के लट्टे के प्रत्येक औसतन 5/10 टन से अधिक वजन पर तोले गए थे, अतः भारी उत्पादनों के लिए निर्धारित प्रति टन 60/70 रुपये की दर से घाट शुल्क प्रभारों का संग्रहण किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार से, 1986-87 से 1989-90 (जनवरी 1990 तक) के दौरान पत्तन न्यास द्वारा

निपटाई गई 2.51 लाख टन इमारती लकड़ी पर घाट शुल्क दरों की लागत गलत लागू करने से 105.25 लाख रुपये का कम उद्ग्रहण हुआ।

पत्तन न्यास ने फरवरी 1990 से 24 मई 1990 तक लकड़ी के गट्टों पर घाट शुल्क प्रभारों का सही ढंग से संग्रहण किया था, जब कि घाट शुल्क दरों का सामान्य संशोधन किया गया था तथा "घाट शुल्क देयों की अनुसूची" से "भारी उत्पादन" मद का विलोपन कर दिया गया था।

मंत्रालय ने अगस्त 1990 में सूचित किया कि अक्टूबर 1989 में उनके द्वारा जारी किए गए निदेशों की अनुपालना में, पत्तन न्यास ने 5 टन तथा ऊपर के लकड़ी के गट्टों को भारी उत्पादन मानते हुए घाट शुल्क प्रभारों का निर्धारण प्रारंभ कर दिया था तथा कम उद्ग्रहीत राशि को वसूल करने के लिए आवश्यक बिलों को प्रस्तुत करने के लिए कार्यवाही की जा रही थी।

पत्तन न्यास द्वारा 105.25 लाख रुपये की कम उद्ग्रहीत राशि की वसूली करने के लिए आवश्यक बिल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जून 1991 में उठाये जा चुके हैं। अभी तक कोई भी राशि वसूल नहीं की गई है (जून 1991)।

वाणिज्य मंत्रालय

33. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

33.1 प्रस्तावना

प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मई 1963

में, वाणिज्य मंत्रालय (वा.मं.) के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (भा.वि.व्या.सं.) एक पंजीकृत समिति की स्थापना की गई थी। भा.वि.व्या.सं. के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की तकनीक में कार्मिकों का प्रशिक्षण,
- (ii) विदेश व्यापार की समस्याओं में अनुसंधान प्रारम्भ करना,
- (iii) बाजार अनुसंधान, क्षेत्र व बाजार सर्वेक्षण, माल सर्वेक्षण करना तथा परामर्श सेवाएं प्रदान करना तथा
- (iv) अनुसंधान तथा बाजार अध्ययनों से सम्बन्धित इसकी गतिविधियों से उद्भूत सूचना का प्रचार करना

33.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

भा.वि.व्या.सं. के लेखे संस्थान द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त, योग्य लेखापरीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों द्वारा इसके नियमों तथा विनियमों के अनुसार वार्षिक रूप से लेखापरीक्षित किए जाते हैं।

1982-83 से 1989-90 की अवधि के लिए भा.वि.व्या.सं. की गतिविधियों का पुनरीक्षण, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार व सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14(i) के अन्तर्गत अप्रैल 1988 से जुलाई 1988 के दौरान किया गया तथा नवम्बर 1990 में अद्यतन किया गया था।

33.3 संगठनात्मक ढांचा

भा.वि.व्या.सं. के कार्यों का प्रबंध अध्यक्ष के रूप में सचिव, वा.मं. सहित तथा अधिकतम 20 सदस्यों से बने एक अधिशासी निकाय को सौंपा गया है। सरकार द्वारा नियुक्त संस्थान का महा-निदेशक भी अधिशासी निकाय का सदस्य है तथा प्रधान कार्यकारी अधिकारी है। अधिशासी निकाय के अन्य सदस्यों में, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित पांच व्यक्ति, वार्षिक महा सभा में संस्थान द्वारा चुने गये नौ व्यक्ति तथा विशिष्ट उपलब्धि/उत्कृष्टता वाले व्यक्तियों से सहयोजित अधिकाधिक पांच व्यक्ति शामिल हैं। संस्थान में चार श्रेणियों के सदस्य अर्थात् स्थायी, साधारण, सहयोगी तथा वृत्तिछात्र सदस्य, हैं। संस्थान की गतिविधियां प्रशिक्षण, विपणन तथा कार्यात्मक अनुसंधान, प्रकाशन तथा प्रशासकीय प्रभाग, में संचालित की जाती हैं।

33.4 विशिष्टताएं

- भा.वि.व्या.सं. सहायता के अनुमोदित तरीके के अनुसार 1986-87 तक के अपने हिस्से के व्यय के अंशदान हेतु आंतरिक स्रोतों का सृजन नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप 58.28 लाख रु. का संचयी घाटा हुआ।
- विकासशील देशों के लिए कार्यक्रमों की संख्या 1982-83 में पांच से 1989-90 में घटकर एक हो गई। विकसित बारह नियमित कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं हो सके। विकसित किये गये 37 नियमित कार्यक्रमों में

- से, अपर्याप्त प्रत्युत्तर के कारण अंततः आठ कार्यक्रम छोड़ दिये गये थे तथा छः कार्यक्रम आस्थगित कर दिये गये थे। 1985-86 से 1989-90 के दौरान केवल दस विषय अध्ययन विकसित किये गये थे।
- स्टाफ के गैर-संकाय सदस्यों से संकाय सदस्यों के अनुपात में, 1:1 के अनुशासित अनुपात के प्रति 1983-84 में 1:3 से 1989-90 में 1:2.7 तक का मामूली सुधार हुआ।
 - प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली में सकेन्द्रित चलते रहे (इन सम्बद्ध वर्षों में आयोजित कुल कार्यक्रमों का 1982-83 में 64 प्रतिशत तथा 1989-90 में 85 प्रतिशत)। छोटे पैमाने की इकाईयों इत्यादि की सहभागिता हेतु अवसर देने के लिए अन्य महत्वपूर्ण नगरों में ऐसे कार्यक्रमों का फैलाव पर्याप्त नहीं था।
 - 1982-83 से 1989-90 के दौरान अध्ययन तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दीर्घाविधि कार्यवाही योजना तैयार नहीं की गई थी। संस्थान ने मुख्यतः 1986-87 से आगे वा.मं. की आवश्यकताओं का प्रबंध किया था तथा कार्यात्मक क्षेत्रों में इसके अपने अध्ययन प्रतिवर्ष एक से तीन के बीच थे।
 - 1982-83 से 1989-90 के दौरान अनुसंधान तथा सर्वेक्षण से सम्बन्धित पूरे किये गये 135 अध्ययनों में से 50 अध्ययनों के अभिलेखों ने प्रकट किया कि (i) चार मामलों में रिपोर्ट की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई थी (ii) चार अध्ययनों ने पूरा होने के लिए 24 से 35 महीने लिए तथा 9 मामलों में पूर्ण होने में विलम्ब की अवधि 6 से 14 महीनों के बीच थी।
 - अध्ययनों/सर्वेक्षणों में निहित स्वीकृत अनुशासकों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए कोई कार्यबल गठित नहीं किया गया था।
 - 1982-83 से 1989-90 के दौरान मूल्यांकित प्रकाशनों के रूप में प्रकाशित की गई प्रकाशित रिपोर्टों की 6866 प्रतियों में से, मार्च 1990 के अन्त में हस्त शेष के रूप में 2551 प्रतियां उपलब्ध थीं, जिनमें से 1686 प्रतियां तीन वर्षों से अधिक पुरानी थीं।
 - अव-स्तरीय कार्यों, ठेकेदारों को अधिक भुगतान तथा अन्य अनियमितताओं को इंगित करते हुए संस्थान के भवन कॉम्प्लैक्स के निरीक्षण पर मुख्य तकनीकी परीक्षक की अभ्युक्तियां बिना निपटान के पड़ी थी।
 - भूमि के लिए 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान सरकार से प्राप्त 9.24 लाख रुपये के भवन अनुदानों तथा 1979-80 से 1988-89 के दौरान भवन निर्माण के लिए 515.75 लाख रु. के सम्बन्ध में उपयोगिता

प्रमाण पत्र, भवन के मई 1985 से प्रयोग में रहने के बावजूद, संस्थान द्वारा नहीं भेजे गये थे ।

- कर्मचारियों को औषधियों की लागत की प्रतिपूर्ति की प्रणाली सुनिश्चित नहीं करती थी कि प्रतिपूर्ति केवल आवश्यक रूप से अपेक्षित औषधियों के सम्बन्ध में ही की गई थी, जैसा कि पंजीकृत चिकित्सा कर्त्ता द्वारा प्रमाणित किया गया था ।

33.5 वित्तीय स्थिति

भा.वि.व्या.सं. की गतिविधियां निम्न द्वारा वित्तपोषित की जाती हैं:-

- (क) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा अथवा उनके माध्यम से दिये गये अनुदान,
- (ख) अन्य स्रोतों से दान तथा अंशदान ।
- (ग) सदस्यता शुल्क, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहभागिता प्रभारों, प्रकाशनों इत्यादि की बिक्री से प्राप्तियों इत्यादि सहित

भा.वि.व्या.सं. की अन्य आय व प्राप्तिया ।

1976-77 से पहले, संस्थान के सकल व्यय तथा सकल आय के बीच अन्तर को केन्द्रीय सरकार ने पूरा किया था । 1976-77 से 1986-87 तक, संस्थान ने सहायता के अनुमोदित तरीके के अनुसार पहचाने गये शीर्षों पर किये गये व्यय के 50 से 100 प्रतिशत के बीच वा.मं.द्वारा संचालित विपणन विकास सहायता (वि.वि.स.) निधि के अन्तर्गत सहायक अनुदान प्राप्त किये थे । 1987-88 से प्रभावी , सहायता का तरीका संशोधित कर दिया गया था तथा अभिज्ञात शीर्षों अर्थात् प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रकाशन प्रशासन पुस्तकालय, परिसर का अनुरक्षण तथा वा.मं. द्वारा नियत कार्य इत्यादि पर किये गये व्यय का 80 से 100 प्रतिशत सहायक अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है ।

वर्ष 1982-83 से 1989-90 के वर्षों के लिए संस्थान की गतिविधियों पर किया गया व्यय, उत्पन्न की गई आय तथा सरकार से प्राप्त अनुदान निम्नवत् थे:-

(लाख रुपयों में)

वर्ष	किया गया व्यय (मूल्य हास तथा उपदान के लिए प्रावधान को छोड़कर)	आय(सरकारी अनुदान के अलावा)	सरकारी अनुदान	घाटा (-) आधिक्य(+)
1982-83	84.71	25.78	59.01	+ 0.08
1983-84	83.13	21.94	56.53	- 4.66
1984-85	90.10	20.90	63.63	- 5.57
1985-86	119.74	29.35	79.59	- 10.80
1986-87	146.83	31.58	95.07	- 20.18
1987-88	164.04	52.09	132.52	+ 20.57
1988-89	172.46	43.17	145.70	+ 16.41
1989-90	लेखे अंतिम रूप दिये जाने की प्रतीक्षा में (नवम्बर 1990)			

मुख्यतः, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमित घाटा, जो कि संस्थान द्वारा सरकार को सूचित किया प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में मास्टर कार्यक्रम को प्रारम्भ गया था, की राशि 61.15 लाख रु. थी । 1986-87 करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शुल्कों का वृद्धि तक घाटा पूरा करने के लिए, सरकार ने मार्च 1988 की ओर संशोधन के कारण वर्ष 1986-87 तथा उससे में 61.15 लाख रु. का तदर्थ अनुदान जारी किया । आगे से आंतरिक स्रोतों से आय में यथेष्ट वृद्धि हुई । तथापि, वास्तविक घाटा 61.15 लाख रु. के प्रति 1988-89 में सृजित समग्र आंतरिक स्रोत में पिछले 58.28 लाख रु. था । 2.87 लाख रु. के अधिक वर्ष की तुलना में कमी, अनुसंधान गतिविधियों से कम जारी किये गये अनुदान में से, 1.22 लाख रु. की प्राप्ति के कारण थी । बकाया राशि मंत्रालय द्वारा दिसम्बर 1990 में, संस्थान

को आगे अनुदान जारी करते समय समायोजित की गई 1988-89 के दौरान जारी किये गये 145.70 लाख रु. के "लेखे पर" अनुदान सरकार द्वारा अंतिम थी । वर्ष 1986-87 तक घाटा, प्रशासकीय व्यय का रूप दिये जाने के लिए प्रतीक्षित थे (नवम्बर 1990) । 40 प्रतिशत तथा विपणन और कार्यात्मक अनुसंधान

वर्ष 1986-87 तक भा.वि.व्या.सं. का संचयी गतिविधियों पर व्यय का 25 प्रतिशत पूरा करने के

लिए वित्तपोषण के अनुमोदित तरीके के अनुसार आय अर्जित करने में संस्थान की असक्षता के कारण था ।

घाटे की ओर ले जाने वाले आंतरिक स्रोतों के कम सृजन के संबंध में मंत्रालय ने बताया (मार्च 1990) कि संस्थान ने मंत्रालय की ओर से उन परियोजनाओं के अध्ययन हाथ में लिए, जिनके संबंध में सरकारी अनुदान, संकाय लागत तथा ऊपरी खर्चों को छोड़कर, केवल प्रत्यक्ष लागत के आधार पर संस्वीकृत किया गया था । मंत्रालय ने यह भी बताया कि यदि वा.मं. की परियोजनाओं पर खर्च किया गया समय प्रायोजित परियोजनाओं पर प्रयुक्त किया गया होता, तो अधिक आय हुई होती । तथापि, उन विशिष्ट प्रायोजित परियोजनाओं को दशनि के लिए कोई अभिलोख नहीं था, जिन्हें छोड़ दिया गया था, जो घाटे को बचाने के लिए अपेक्षित राजस्व सृजित कर सकते थे ।

वित्तीय सहायता के तरीके में ढील देने से, 1987-88 में संस्थान के लेखे ने 20.57 लाख रु. का आधिक्य दिखाया । वर्ष 1988-89 के दौरान आधिक्य 16.41 लाख रु. था । संस्थान ने बताया (नवम्बर 1990) कि 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान वा.मं. ने संस्थान को कुछ समयबद्ध अध्ययन/परियोजनाएं सौपी, जिनमें अधिकतर संकाय अन्तर्गत था ।

33.6 सदस्यता

संस्थान के उद्देश्यों में इच्छुक किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी, को एकमुश्त जीवन भर के प्रभारों के भुगतान पर स्थायी सदस्य अथवा वार्षिक रूप से प्रभारों के भुगतान पर साधारण सदस्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । भा.वि.व्या.सं. के स्थायी तथा साधारण सदस्यता में वास्तव में फर्म, कम्पनियों अथवा संगठन शामिल थे । सह सदस्यता केवल विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक/अनुसंधान संस्थानों के लिए ही खुली है । वृत्ति छात्र सदस्यता संस्थान के स्नातकोत्तर छात्रों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले, अनुसंधान वृत्ति छात्रों तथा शोधकर्त्ताओं के लिए खुली है ।

केवल स्थायी तथा साधारण सदस्यों को मतदान का अधिकार है । स्थायी/साधारण/सह सदस्यों को विस्तारित सुविधाओं में, अनुसंधान, के लिए वरीयता, उन द्वारा प्रायोजित बाजार अथवा माल सर्वेक्षण परियोजनाएं उनके नामांकितों द्वारा भाग लिए गये प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क में छूट, जर्नलों आदि की निःशुल्क आपूर्ति तथा संस्थान के प्रकाशनों पर 50 प्रतिशत कटौती, शामिल हैं ।

वृत्ति छात्र सदस्य केवल जर्नलों इत्यादि की निःशुल्क आपूर्ति तथा संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री पर 50 प्रतिशत कटौती के हकदार हैं ।

प्रत्येक वर्ष मार्च के अन्त में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत सदस्यता निम्नवत् थी:

श्रेणी 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

स्थायी 105 108 110 111 112 115 118 120
 साधारण 147 141 138 125 110 110 114 127
 सहयोगी 11 13 11 12 11 11 13 14
 अधिसदस्य 177 231 240 216 261 327 332 342

जोड़ 440 493 499 464 494 563 577 603

मतदान के अधिकार वाले स्थायी तथा साधारण विकासशील देशों के लिए कार्यक्रम तथा सेमिनारों के श्रेणियों के अन्तर्गत कुल सदस्यता 1983 में 252 से अन्तर्गत, व्यापक रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया । घटकर 1987 में 222 हो गई; इसके बाद मार्च 1990 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रेणियों में ये शामिल हैं:- के अन्त में सदस्यता में 247 तक का मामूली सुधार (क) नियमित कार्यक्रम:- वे जो विश्वविद्यालयों के हुआ । मंत्रालय ने बताया (मार्च 1990 कि पारणक है अथवा जिन्हें सीमित कार्य अनुभव है के सदस्यता में सुधार के लिए कदम उठाये गये थे । लिए लक्षित आधारभूत कार्यक्रम है । संस्थान ने आगे सूचित किया (दिसम्बर 1990) कि (ख) नियमित/प्रायोजित कार्यक्रम:- (i) कार्यकारियों अप्रैल 1990 के बाद स्थायी तथा साधारण सदस्यता में जो उनके सम्बन्धित संगठनों द्वारा प्रायोजित हैं तथा 13 तक की वृद्धि हुई । प्रबंधन के मध्य/प्रवर स्तर तक पहुँच चुके हैं; के लिए लक्षित कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम: (ii) सरकार के

33.7 प्रशिक्षण गतिविधियाँ

संस्थान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक, अन्तर्राष्ट्रीय विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अथवा व्यापार के लिए उद्योग तथा वाणिज्य में नियोजित सार्वजनिक या निजी व्यापार व उद्योग की विशिष्ट विशेषज्ञ कार्मिकों के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आवश्यकता का प्रबंध जुटाना । प्रोत्साहित करने में लगे सरकारी तथा निजी रोजगार (ग) अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा में व्यक्तियों के लिए लघु अवधि तथा दीर्घावधि, दोनों (घ) सेमिनार, विशेष कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं प्रशिक्षण प्रदान करना है । संस्थान ने मोटे तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय विपणन प्रबंध में व्यावसायिक पेशों के पांच शीर्षों अर्थात्, नियमित, प्रायोजित, विशेष, लिए भाग लेने वालों को तैयार करने के उद्देश्य से

अभिप्रेत आधारभूत कार्यक्रमों में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (स्ना.डि.का.), निर्यात विपणन में प्रमाणपत्र कार्यक्रम तथा 1986-87 में प्रारंभ किया गया अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में दो वर्षीय मास्टर कार्यक्रम, (अ.व्या.मा.का.) शामिल हैं।

संस्थान के निष्पादन की संवीक्षा करने के लिए अतिरिक्त सचिव, वा.मं. की अध्यक्षता के अधीन 1983 में स्थापित एक समिति ने, अन्य बातों के साथ साथ अवलोकित किया कि:-

- (i) संस्थान अधिक नये कार्यक्रम विकसित कर सकता था,
- (ii) विषय अध्ययन अभिगम को बृहतर महत्व दिया

जाना चाहिये,

(iii) संकाय के सटाफ सदस्यों का गैर-संकाय सदस्यों से 1:3 का अनुपात अधिक था तथा 1:1 तक घटा देना चाहिये,

(iv) उन्हें दिल्ली तक सीमित रखने की बजाय मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास जैसे वाणिज्यिक केन्द्रों में अधिक कार्यक्रम संचालित करने की आवश्यकता है।

1982-83 से 1989-90 तक संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां, प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की संख्या तथा प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या नीचे सारिणी में दी गई है:-

वर्ष	नियमित कार्यक्रम	प्रायोजित कार्यक्रम	विशेष कार्यक्रम	विकासशील देशों के लिए कार्यक्रम	राष्ट्रीय कार्यक्रम	कार्यक्रमों की कुल संख्या
------	------------------	---------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------	---------------------------

1982-83	15	17	5	5	5	47
	(425)	(413)	(200)	(53)	(663)	(1754)
1983-84	14	12	3	2	10	41
	(403)	(332)	(94)	(4)	(768)	(1601)
1984-85	16	16	5	4	2	43
	(421)	(478)	(580)	(38)	(300)	(1817)
1985-86	15	13	1	2	4	35
	(523)	(314)	(25)	(34)	(290)	(1186)
1986-87	16	14	11	3	3	47
	(441)	(368)	(440)	(97)	(87)	(1433)

1987-88	16	19	1	2	1	39
	(445)	(507)	(100)	(7)	(85)	(1144)
1988-89	15	24	1	1	-	41
	(553)	(603)	(150)	(80)	(1386)	
1989-90	11	17	-	1	10	40
	(391)	(489)		(32)	(535)	(1447)

टिप्पणी: (क) भाग लेने वाल की संख्या कोष्ठकों के भीतर इंगित की गई है ।

(ख) विशेष कार्यक्रम में केवल एक दिन का व्याख्यान 1982-83 में 5 से घट कर 1989-90 में 1 हो गया । शामिल था जबकि राष्ट्रीय सेमिनार में सामान्यतः एक मंत्रालय ने बताया (मार्च 1990) कि दिवसीय की सेमिनार का सम्मलित थीं । विकासशील देशों के लिए कार्यक्रम, या तो अन्तर्राष्ट्रीय एजेसियों अथवा अन्य सरकारों के अनुरोध पर तथा

निम्नलिखित तथ्यों का पता चला था:-

(i) 1988-89में नियमित तथा प्रायोजित कार्यक्रमों की कुल संख्या 39 तक बढ़ गई थी । 1989-90 के दौरान केवल 28 कार्यक्रम आयोजित किये गये थे । संस्थान ने बताया (नवम्बर 1990) कि एक संकाय सदस्य की सेवानिवृत्ति के कारण 1989-90 में तीन नियमित कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जा सके । तथापि, संकाय की कुल संख्या में कोई कटौती नहीं की गई थी । नियमित कार्यक्रमों का छोड़ा जाना, स्थिति से निपटने के लिए भी जो स्पष्टतः पूर्वाभासित थी संकाय के विकास में अपर्याप्त नियोजन को इंगित करता था ।

निधि प्रदान करने पर आयोजित किये गये थे । ऐसे अनुरोध इस अवधि के दौरान घटे थे ।

(ii) विकासशील देशों के लिए कार्यक्रम

(iii) 1982-83 से 1989-90 के दौरान, पहले से तैयार किये गये 11 कार्यक्रमों के अतिरिक्त 26 नये नियमित कार्यक्रम तैयार किये गये थे, तथापि, तैयार किये गये कुल 37 कार्यक्रमों में से, औसतन पर 11 कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किये गये थे, आठ कार्यक्रम अन्ततः छोड़ दिये थे क्योंकि ये अब प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे, जबकि भाग लेने वालों से अपर्याप्त प्रतिक्रिया के कारण छः कार्यक्रम स्थगित कर दिये गये थे । 12 तैयार किये गये कार्यक्रमों का कार्यान्वयन बिल्कुल नहीं किया गया था ।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 1990) कि व्यापार व उद्योग से अपर्याप्त प्रतिक्रिया के कारण कुछ कार्यक्रमों को छोड़ देना पड़ा, अन्यथा कार्यक्रमों की परिणति घाटे में हुई होती। व्यक्तियों की संख्या, जिन्होंने छोड़े गये प्रत्येक कार्यक्रम में प्रत्याशित संख्या के प्रति वास्तव में भाग लेने के लिए प्रत्युत्तर दिया, संस्थान द्वारा नहीं भेजी गई थी। तथापि, तथ्य यह रहता है कि बड़ी संख्या में तैयार किये गये नियमित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।

(iv) क्योंकि विषय अनुसंधान, सक्रिय विषय अध्ययनों के रूप में विकासशील देशज प्रशिक्षण सामग्री के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वीकार किया गया था, मई 1985 में संस्थान के शासी निकाय ने लक्ष्य निर्धारित करते हुए कि, संकाय के प्रत्येक सदस्य को अपनी विशिष्टता के क्षेत्र में प्रति वर्ष कम से कम एक विषय अध्ययन लिखने का प्रयास करना चाहिये इस गतिविधि को, व्यवस्थित करने का निर्णय लिया।

1985-86 से 1989-90 के दौरान केवल दस विषय अध्ययन तैयार किये गये थे, यद्यपि प्रशिक्षण प्रभाग की संकाय संख्या, जो कि 1983-84 में 17 थी, बढ़कर 1987-88 में 25 हो गई, इसके अतिरिक्त, विपणन तथा कार्यात्मक अनुसंधान प्रभाग की संकाय संख्या 1982-83 में 29 से बढ़कर 1987-88 में 31 हो गई।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 1990) कि संकाय पर पहले ही विभिन्न प्रशिक्षण एवं अनुसंधान गतिविधियों का अत्यधिक भार था, विषय तैयार करने के कार्य के बल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, यद्यपि इसे एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में मान्यता दी गई थी। इस प्रकार से, प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर अनिवार्य प्रभाव रखने वाला शासी निकाय का निर्णय, पांच वर्षों के बाद भी अकार्यान्वित रहा।

(v) संस्थान द्वारा भेजे गये विवरणों के अनुसार समग्र स्टाफ स्थिति निम्नवत् थी:

	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
*संकाय	48	49	51	52	54	58	54	55
*और-								
संकाय	153	152	150	151	146	156	152	150

टिप्पणी: *1988-89 तथा 1989-90 में पुस्तकालय में (संख्या एक) तथा संस्थान द्वारा संकाय के रूप में माने गये संपादकीय अनुभाग में स्टाफ (एक से चार संख्या) शामिल हैं।

संस्थान के संकाय सदस्यों का गैर संकाय सदस्यों से अनुपात में 1983-84 में 1:3 से 1989-90 में 1:2.7 तक मामूली सुधार हुआ । मंत्रालय ने बताया (मार्च 1990) कि क्योंकि संकाय पुस्तकालय, प्रकाशन अनुभाग, कम्प्यूटर केन्द्र तथा अन्य प्रबंध/प्रशासकीय सहायता से अलगाव में तथा स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता, अतः तथाकथित संकाय और गैर-संकाय के बीच एक मूलभूत अन्तरापृष्ठ आवश्यक बन जाता है तथा यदि पारस्परिक सम्भरण प्रकार्य की यह अविभाज्यता कसौटी के रूप में ली जाती तब संकाय से गैर-संकाय का अनुपात 2.69:1 बनता था ।

1983 में मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति ने अनुशंसा की थी कि तब संकाय का गैर-संकाय सदस्यों का विद्यमान अनुपात अर्थात् 1:3 काफी ऊंचा था तथा यथासमय 1:1 तक लाया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में समिति की अनुशंसा कार्यान्वित की जानी शेष थी । (VI) 1982-83 से 1989-90 के दौरान, दिल्ली में संचालित कार्यक्रमों की संख्या 64 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक बढ़ गई (47 तथा 40 कुल कार्यक्रमों में से क्रमशः 30 तथा 34)। बम्बई में आयोजित कुल कार्यक्रमों की संख्या 1982-83 में छः से 1989-90 में घटकर एक हो गयी। बम्बई में वर्ष 1982-83, 1986-87 तथा 1988-89 प्रत्येक में केवल एक प्रायोजित कार्यक्रम था । 1983-84 से बम्बई में विकासशील देशों के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था, जबकि बम्बई अथवा कलकत्ता में

1984-85 से कोई राष्ट्रीय सेमिनार/कार्यशाला आयोजित नहीं की गई थी तथा 1988-89 में कोई सेमिनार/कार्यशाला आयोजित नहीं की गई थी ।

मंत्रालय ने दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के केन्द्रीयकरण को दिल्ली से बाहर अवसंरचनात्मक सुविधाओं की अनुपलब्धता, आर्थिक अव्यवहार्यता तथा कम आकर्षक वेतनमान के कारण संकाय आधार के विस्तार में अपनी असमर्थता पर, आरोपित किया था (मार्च 1990)। इस प्रकार से, छोटे पैमाने की इकाइयों इत्यादि की सक्रिय सहभागिता के लिए अवसर देने के उद्देश्य से समिति द्वारा देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रसार को प्राप्त नहीं किया गया था ।

(VII) अपने दो कार्यक्रमों अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मास्टर कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के सफल सहभागियों के स्थापन को सरल बनाने के लिए संस्थान के पास अक्टूबर 1986 से संचालित एक स्थापन प्रकोष्ठ है । अभिलेखों ने प्रकट किया कि सभी सफल सहभागियों ने उपयुक्त स्थापन सुनिश्चित किया ।

33.8 अध्ययन/अनुसंधान कार्यक्रम

संस्थान के विपणन तथा कार्यात्मक अनुसंधान प्रभाग (वि.का.अ.) ने, विदेश व्यापार के कार्यात्मक एवं नीति विषयों को शामिल करते हुए चुने हुए देशों में भारत के निर्यात हित के चयनित उत्पादों/उत्पाद समूहों के संबंध में सर्वेक्षण, डेस्क अनुसंधान तथा देश में विभिन्न राज्यों की निर्यात सम्भाव्यता के क्षेत्रीय

अन्वेषण एवं सर्वेक्षण संचालित किये । अध्ययनों तथा सर्वेक्षणों में न केवल वा.मं. तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रायोजित ही, अपितु संस्थान द्वारा प्रारम्भ की गई योजनाएं भी शामिल थीं ।

जो पिछले वर्षों से अग्रोषित किये गये थे तथा 1982-83 से 1989-90 के दौरान पूरे (पू) किये गये थे, (पू) को शामिल करते हुए, प्रारम्भ किये गये (प्रा) अध्ययनों/सर्वेक्षणों की संख्या निम्नवत् थी:-

एजेंसी	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
	प्रा पू	प्रा पू	प्रा पू	प्रा पू	प्रा पू	प्रा पू	प्रा पू	प्रा पू
वाणिज्य	7 5	4 -	9 7	8 4	25 18	13 11	8 5	10 6
मंत्रालय								
भा.वि.व्या.	2 1	2 2	2 1	1 1	1 1	3 3	3 3	3 3
सं. परियोजना								
प्रायोजित	4 3	10 5	13 9	6 5	7 6	12 11	3 3	3 2
परियोजना								
अन्य	12 7	9 5	6 3	5 2	3 3	- -	- -	- -
जोड़	25 16	25 12	30 20	20 12	36 28	28 25	14 11	16 11

भा.वि.व्या. सं. की कार्यप्रणाली की संवीक्षा करने के लिए मंत्रालय द्वारा 1983 में नियुक्त समिति ने अन्य के साथ-साथ अवलोकित किया कि:-

- (क) प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या नगण्य थी, बजटीय समस्याओं का निराकरण करने के लिये इन पर और अधिक बल दिया जाये ।
- (ख) अनुसंधान अध्ययनों की मुख्य उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाए तथा सस्वीकृत की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए संबंधित

एजेंसियों द्वारा एक कार्यदल की स्थापना की जाए । संस्थान के अभिलेखों से पता चला था कि:-

- (1) संस्थान के पास विषय सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कार्यकलापों (परियोजनाएं) के सम्बन्ध में पूर्व निर्धारित वार्षिक कार्य-योजना अथवा लम्बी अवधि की योजना को तैयार करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी वार्षिक योजना के संबंध में, संस्थान ने बताया था (मई 1988) कि राजस्व सृजित करने के लिये, इसने मंत्रालय द्वारा सौंपे गए प्रायोजित अनुसंधान तथा

अध्ययनों को हाथ में लेना पसन्द किया था, हालांकि यह उनकी परिप्रेक्ष्य योजना के अनुरूप नहीं रहे होंगे तथा संकाय के प्रायोगिक विचार से सही अर्थ में सम्बन्धित नहीं थे । मंत्रालय ने लम्बी अवधि की कार्ययोजना को तैयार न किए जाने का कारण अप्रत्याशित आर्थिक कठिनाईयों, ठीक समय पर आवश्यक मानव शक्ति की अनुपलब्धता तथा बाहरी कारकों के कारण प्राथमिकताओं में परिवर्तनों पर आरोपित किया था (मार्च 1990) । मंत्रालय द्वारा यह मान लिया गया था कि कुछ लम्बे समय के पश्चात योजना बनाना व्यवहार्य तथा शायद अधिक वांछनीय भी नहीं था और इसलिए प्रतिवर्ष केवल निर्देशात्मक वार्षिक अनुसंधान योजनाएं ही बनाई जा रही थीं । मंत्रालय ने आगे बताया था कि भा.वि.व्या.सं. में योजना प्रक्रिया पर लाभदायक संघात प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्थान ने, चयनित देशों तथा विवेचित नीति क्षेत्रों में विकास के निरन्तर प्रबोधन के लिए 1989 में एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया तथा संस्थान में अनुसंधान प्रस्तावों की प्राथमिकता, मूल्यांकन तथा उन्नयन हेतु एक अनुसंधान समिति भी गठित की गई थीं ।

इस प्रकार, तथ्य यह रहता है कि संस्थान ने अभी तक (दिसम्बर 1990) अग्रिम योजना की कोई प्रणाली नहीं निकाली थी ।

(ii) संस्थान ने, 1982-83 से 1989-90 के दौरान स्वयं अपनी पहल पर कोई बाजार सर्वेक्षण तथा पदार्थ अध्ययन नहीं किया था । कार्यात्मक क्षेत्रों में संस्थान द्वारा प्रारम्भ किए गए अध्ययन भी बहुत ही कम अर्थात्

प्रत्येक वर्ष केवल एक से तीन थे । जहाँ तक बाजार सर्वेक्षण का संबंध है, मंत्रालय ने बताया (मार्च 1990) कि इन अध्ययनों के लिए भारत तथा विदेश में क्षेत्रीय जाँचों हेतु व्यापक यात्रा की आवश्यकता थी जो कि उसके बजटीय संसाधनों के क्षेत्र से बाहर थी तथा ये केवल तब कार्यान्वित होती थीं जब विशेष रूप से वा.मं. प्रायोजित अथवा जब अन्य संगठनों द्वारा अनुबंधित की जाती थीं । कार्यात्मक क्षेत्रों में अध्ययनों के सम्बन्ध में मंत्रालय ने, बजटीय कठिनाईयों के अलावा इसे वा.मं. अथवा प्रायोजित एजेसियों के पक्ष में संकाय सदस्यों का, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान/सर्वेक्षण अध्ययन में अत्यधिक अविष्टन पर आरोपित किया था (मार्च 1990) । तथापि, तथ्य यह रहता है कि संस्थान द्वारा अपनाई जाने वाली योजना तथा बजट प्रणाली अपनी स्वयं की पहल पर कार्यात्मक क्षेत्रों में विपणन सर्वेक्षण तथा अध्ययन प्रारम्भ करने के लिए प्रेरक नहीं थीं ।

(iii) जैसा कि 1983 में गठित की गई समिति की सिफारिशों में विचार किया गया था, अध्ययन/सर्वेक्षण रिपोर्टों में अन्तर्विष्ट स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन के निरीक्षण करने के सम्बन्ध में कोई कार्यदल गठित नहीं किया गया था । मंत्रालय ने बताया (मार्च 1990) कि मामले की जांच की जा रही थी ।

(iv) अनुसंधान तथा सर्वेक्षण से संबंधित 1982-83 से 1989-90 के दौरान समाप्त हुए 135 अध्ययनों में से लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराए गए 50 अध्ययनों के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चलता था कि

(क) 22 मामलों में अध्ययनों के समापन तथा

प्रस्तुतिकरण में विलम्ब हुआ था। इनमें से चार मामलों में, लिया गया समय 24 से 35 मास के बीच था, यद्यपि ये शीघ्रताशीघ्र अथवा चार से पाँच महीने के समय में समाप्त किए जाने अनुबद्ध थे। नौ मामलों में 6 से 14 माह तक के बीच का विलम्ब था।

मंत्रालय ने देरी का कारण योग्यता प्राप्त अनुसंधानकर्त्ताओं की चिरकालिक कमी, वि.अ.आ.के वेतनमानों की तुलना में भा.वि.व्या.सं. के कर्मचारियों के नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने में असफल, कम वेतन मान, वा.म. की परियोजना की प्राथमिकताएं, प्रायोजकों द्वारा अपनी टिप्पणियाँ देने में लिया गया समय, पर्याप्त समय आकलन के बिना अध्ययनों की स्वीकृति, सलाहकारों की पहचान तथा आवश्यक विदेशी यात्रा के प्रबन्ध पर लिए गए समय, पर आरोपित किया था (मार्च 1990)।

(ख) संस्थान की कार्यक्रम समिति, जिसने अन्य बातों के साथ साथ, अध्ययनों की प्रगति का पुनरीक्षण किया था, की बैठक अप्रैल 1988 के पश्चात् आयोजित नहीं की गई थी। संस्थान द्वारा यह बताया गया था (नवम्बर 1990) कि वार्षिक कार्य योजना वा.म. के साथ-साथ एम.एफ.आर. मंडल में भी पुनरीक्षित, अद्यतन तथा चर्चित की गई थी। संस्थान में आयोजित की गई बैठकों के वार्तालाप इत्यादि से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा द्वारा मॉगि गए थे। संस्थान ने बताया (दिसम्बर 1990) कि संस्थान में आयोजित हुई बैठकों के पर्यालोचन से संबंधित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

(V) अभिलेखों से पता चला था कि, चार मामलों में प्राधिकारी जिन्हें अध्ययन/अनुसंधान परियोजनाएं सौंपी थीं, भा.वि.व्या.सं. की रिपोर्ट की गुणवत्ता से सन्तुष्ट नहीं थे।

मंत्रालय द्वारा, भा.वि.व्या.सं., भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण (भा.व्या.मे.प्रा.) तथा व्यापार विकास प्राधिकरण (व्या.वि.प्रा.) की कार्य प्रणाली के गहन अध्ययन हेतु फरवरी 1986 में गठित एक विशेषज्ञ दल ने सितम्बर 1986 की अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ अवलोकित किया था कि निर्यात समुदाय के बहुत ही कम प्रतिनिधि, संस्थान द्वारा किए गए बाजार सर्वेक्षण के आलोचक थे तथा महसूस करते थे कि ये अधिकतर डेस्क अनुसंधान में संकलित गौण आंकड़ों पर प्रायः अनद्यतन आधारित थे तथा निर्यात विपणन की जीवंत कठिनाईयों हेतु बहुत प्रासंगिक तथा लाभदायक नहीं थे। बाजार सर्वेक्षण की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से, दल ने सिफारिश की कि संस्थान को व्यापार विकास प्राधिकरण, निर्यात विकास परिषद अथवा निजी परामर्शीय फर्मों को उत्पाद/विपणन विशेषज्ञों के साथ सम्बद्ध करना चाहिए। जहाँ तक अनुसंधान की गुणवत्ता का सम्बन्ध है, दल ने आगे यह सिफारिश की थी कि भा.वि.व्या.सं. विशेषज्ञों तथा निर्यातकों के साथ सेमीनार/वार्तालाप आयोजित करे। बाजार सर्वेक्षण से सम्बन्धित सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में, मंत्रालय ने बताया (मार्च 1990) कि भा.वि.व्या.सं. में किए जा रहे अध्ययन अब अधिकतर नीतियों से सम्बन्धित

विषयों पर केन्द्रित थे। अनुसंधान की गुणवत्ता के उन्नयन हेतु सिफारिशों के बारे में, मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1990) कि भा.वि.व्या.सं. द्वारा प्रस्तुत "भारत में उपलब्ध विपणन अनुसंधान सुविधाओं के मूल्यांकन" पर कार्यशाला आयोजन करने का प्रस्ताव मार्च 1990 में त्याग दिया गया था। प्रस्ताव छोड़ दिया गया था क्योंकि संस्थान ने विभिन्न आयात संगठनों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात पाया कि इस प्रकार की कार्यशालाओं से कुछ और प्राप्त नहीं होगा। संस्थान ने सूचना दी थी (दिसम्बर 1990) कि कुछ मामलों में, रिपोर्टों के प्रारूप की विशेषज्ञों तथा निर्यातकों के साथ चर्चा की गई थी तथा रिपोर्टों को अन्तिम रूप देने समय उनके परामर्श को मध्यनजर रखा गया था।

बाजार सर्वेक्षण तथा अनुसंधान की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु समिति द्वारा अनुशंसित उपायों का कार्यान्वयन किया जाना था (नवम्बर 1990)। (Vi) 1986-87 से आगे संस्थान ने मुख्य रूपसे वा.मं. की आवश्यकताओं को पूरा किया था। मंत्रालय ने बताया (मार्च 1990) कि यदि ऐसा था भी तो भा.वि.व्या.सं. का दोष नहीं हो सकता था क्योंकि वा.मं. की आवश्यकताएं वर्तमान ढांचे में अन्य सभी से प्रमुखता रखती थी तथा संस्थान गैर वा.मं. एजेसियों द्वारा प्रायोजित अध्ययनों को हाथ में लेने का हर सम्भव प्रयत्न कर रहा है। तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि 1986-87 से आगे और अधिक प्रायोजित परियोजनाओं को हाथ में लेने के सम्बन्ध में 1983 में गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अनुकूल रूप

से कार्यान्वयन नहीं किया जा सका था।

(vii) पूछताछ करने पर कि क्या भा.वि.व्या.सं. ने लम्बी अवधि के आधार पर विपणन तथा कार्यात्मक नीति तैयार करने की आवश्यकता पर विचार किया था, संस्थान ने बताया (दिसम्बर 1990) कि 1989 में "भा.वि.व्या.सं. की 1990 में भूमिका" शीर्षक का पेपर तैयार किया गया था तथा महासभा सदस्यों को भेजा गया था। आगामी प्रगति लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराई गई थी।

33.9 व्यापार प्रकाशन

संस्थान ने नामतः (i) विदेश व्यापार बुलेटिन (मासिक) (ii) विदेश व्यापार पुनरीक्षण (त्रैमासिक) तथा (iii) अन्य अध्ययन रिपोर्टों तथा प्रकाशनों को प्रकाशित किया। 31 मार्च 1989 को समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान प्रकाशनों पर वार्षिक औसत व्यय 8.27 लाख रु. था। प्रकाशित बाजार सर्वेक्षण/अनुसंधान अध्ययनों (जनवरी 1990 तक) के मामले में, सम्मानार्थ वितरण प्रतियां (35 प्रतिशत), बेची गई प्रतियां (28 प्रतिशत) की संख्या से बढ़ गई थी। संस्थान ने 1983-84 से 1989-90 के दौरान 35 अध्ययनों की 6866 प्रतियां (मूल्य 1.19 लाख रु.) समूल्य प्रकाशन के रूप में प्रकाशित की। 2551 प्रतियां (37 प्रतिशत) 31 मार्च 1990 तक पास में शेष के रूप में उपलब्ध थीं, जिनमें से 1686 प्रतियां (खानि कि 65 प्रतिशत) तीन वर्षों से अधिक पुरानी थीं।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 1990) कि भा.वि.व्या.सं. अनिवार्य रूप से, एक सेवा संगठन है

तथा अनुसंधान रिपोर्टों को प्रकाशित करने का उद्देश्य मुख्यतः भारतीय उत्पादनों के लिए विदेशी बाजारों की खोज हेतु अपेक्षित सूचना से भारतीय व्यापार तथा उद्योग की सहायता करना है। यह अनुपूरक आधार पर एक बहुत बड़ी संख्या, महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा व्यापार एवं उद्योग के अग्रणियों, तथा नीति निर्धारक संगठनों को, वितरण के लिये प्रोत्साहित करता है। मंत्रालय ने, आगे बताया, कि रिपोर्टों की अनबिकी प्रतियों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से मुद्रित की गई प्रतियों की संख्या को सीमित करने के लिए अब प्रत्येक प्रयास किया जा रहा था।

33.10 अन्य रुचिकर बातें

(i) भा.वि.व्या.सं. भवन परिसर का निर्माण

संस्थान ने 1985 में अपने भवन परिसर का निर्माण किया। भूमि के अधिग्रहण के लिए निधियां, (1979-80 से 1980-81 के दौरान 9.24 लाख रु.) तथा भवन के निर्माण के लिए (1979-80 से 1987-88 के दौरान 515.75 लाख रु.) वा.मं. द्वारा पूंजीगत अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। निम्नलिखित बातें ध्यान में आई थीं:-

(क) यद्यपि भवन का अधिग्रहण जून 1985 में किया गया था, भवन के लिए समापन प्रमाण पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) से अभी प्राप्त किया जाना था (नवम्बर 1990) क्योंकि संस्थान ने दिल्ली दमकल सेवा से अपेक्षित अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था। संस्थान ने बताया कि दमकल परामर्श समिति की सिफारिशों के अनुपालन के लिए

अग्निशामक उपस्कर उपलब्ध कराने का कार्य, 8.62 लाख रु. की एक लागत पर मार्च 1988 में एक ठेकेदार को सौंपा गया था। कार्य मार्च 1989 में पूरा किया गया था। संस्थान ने, जून 1989 में, अपेक्षित प्रमाण पत्र हेतु दिल्ली दमकल सेवा के साथ मामला उठाया। संस्थान ने बताया (नवम्बर 1990) कि इसके परिसर दमकल अधिकारी द्वारा अभी निरीक्षित किये जाने थे।

दिसम्बर 1980 में 9.24 लाख रु. की लागत पर दि.वि.प्रा. द्वारा संस्थान को आबंटित की गई भूमि संस्थान के नाम से पंजीकृत नहीं कराई गई थी। संस्थान ने बताया (नवम्बर 1990) कि मामला दि.वि.प्रा. के साथ पत्राचार में था।

(ख) संस्थान द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ योजना की तैयारी रेखा चित्रों, डिजाईनों, विनिर्देशनों, अनुमानों इत्यादि, तथा आवधिक पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण के लिए भी वास्तुकारों की एक फर्म जनवरी 1982 में हस्ताक्षरित एक समझौते के अंतर्गत, कार्य में लगाई गई थी। वास्तुकार को देय फीस ठेके पर सौंपे गये निर्माण कार्य की लागत के 4 प्रतिशत पर नियत की गई थी। भवन परिसर के कुछ निर्माण कार्य जैसे कि सिविल निर्माणकार्य (280.30 लाख रु.), विद्युत निर्माणकार्य (43.70 लाख रु.), फर्नीचर (6.46 लाख रु.) तथा बागवानी (1.76 लाख रु.) का केन्द्रीय सर्तकता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन मु.त.प. द्वारा निरीक्षण किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ, मु.त.प. द्वारा यह अवलोकित किया गया

था कि:-

(i) अप्रैल 1984 में मु.त.प. द्वारा जब यह निरीक्षित किया गया था, केवल 40 प्रतिशत सिविल कार्य सम्पूर्ण किया गया था। परीक्षण को पूरा करने हेतु मु.त.प. द्वारा अपेक्षित सूचना नवम्बर 1990 तक भेजी नहीं गई थी। इसमें सामग्री की सैद्धान्तिक खपत पर आंकड़े, डिजाइन संकलन, विस्तृत रेखाचित्र, निर्माणकार्य की प्रतिस्थापित मदों के सम्बन्ध में घटी दरों के विश्लेषणों सहित वसूली के विवरण, कार्य की त्रुटिपूर्ण मदों के सम्बन्ध में लागत समायोजन सम्मिलित थे।

आगे, फर्श स्तर के विषय में करार की शर्तों के गलत अर्थ के कारण, ठेकेदार को किया गया अग्राह्य भुगतान, निर्धारित नहीं किया गया था। 1.12 लाख रु. तक की राशि की जमानत जमा, ठेकेदार को अगस्त 1986 में वापिस की गई थी। संस्थान ने बताया (जून 1988) कि 8.84 लाख रु. तक की राशि के सिविल कार्य हेतु ठेकेदार के अंतिम बिल में से, केवल 7.50 लाख रु. की एक राशि का भुगतान किया गया था तथा आगे बताया (नवम्बर 1990) कि फर्श स्तर के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय, वा.मं. के माध्यम से महानिदेशक (निर्माणकार्य), के.लो.नि.वि. का मत प्राप्त करने के पश्चात ही लिया जाएगा।

(ii) बागवानी कार्य के सम्बन्ध में अन्य बातों के साथ-साथ मु.त.प. द्वारा सितम्बर 1986 में 0.95 लाख रु. के अंतर को समाविष्ट करते हुए न्यायोचित दरों से उच्चतर 25 प्रतिशत दर को स्वीकार करने हेतु कारणों तथा मिट्टी की मात्रा के अनुमान तथा एक

अनुमोदित भू-दृश्य के बिना निविदाओं को आमंत्रित करने हेतु परिस्थितियां पूछी गई थीं। ये प्रस्तुत नहीं की गई थीं (नवम्बर 1990)।

(iii) विद्युत निर्माणकार्यों के सम्बन्ध में, प्राधिकृत व्यापारियों/विनिर्माताओं से संस्थान द्वारा ऐसी मदों की खरीद के स्थान पर, ठेकेदार द्वारा 11.41 लाख रु. तक की राशि की मूल्यवान फिटिंग तथा पंखों की आपूर्ति, समझौते में सम्मिलित थी। इस प्रकार संस्थान को, अक्टूबर 1987 में मु.त.प. द्वारा निर्धारित की गई दरों के अंतर के कारण लगभग एक लाख रु. की हानि उठानी पड़ी।

(iv) जैसा कि मु.त.प. द्वारा इंगित किया गया, अवमानक कुर्सियों की आपूर्ति हेतु ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान, वसूली के लिए निर्धारित नहीं किये गये थे। दर्शक कक्ष भवन के लिए पुशबैक कुर्सियों के संबंध में, ठेकेदार को भुगतान पहले ही निपटा दिया गया तथा मु.त.प. के निरीक्षण से पूर्व जमानत पहले ही वापिस कर दी गई थी।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 1990) कि उप-पैरा (i) से (iv) के अन्तर्गत उल्लिखित मु.त.प. की अभ्युक्तियां वास्तुकार को प्रेषित की गई थी। यह पुनः बताया गया था कि संस्थान के वास्तुकार ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि सम्पूर्ण किये गये निर्माण कार्य विभिन्न करारों के प्रावधानों के अनुसार थे।

तथापि, निर्माण में कमियों के सम्बन्ध में मु.त.प. की आपत्तियों का निपटान होना शेष था।

(ग) जैसा कि संस्थान द्वारा सूचित किया गया

(नवम्बर 1990), 1981-82 से 1988-89 तक पूंजीगत अनुदान के प्रति परिसम्पतियों के अधिग्रहण पर 525.06 लाख रु. का व्यय किया गया था। यद्यपि संस्थान ने भवन परिसर में मई 1985 में प्रवेश किया, प्राप्त किए गए अनुदानों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को प्रस्तुत नहीं किये गये थे। संस्थान ने बताया (नवम्बर 1990) कि प्रमाण पत्र को सांविधिक लेखापरीक्षकों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा था।

(ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति

1200/- रु. प्रति वर्ष की सीमा के अध्याधीन, बशर्ते कि व्यय, एक पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किये गये हों, कर्मचारी को अप्रैल 1981 से चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रभावी अनुमत की गई थी। जून 1982 में भा.वि.व्या.सं. नियम इस आशय से कर्मचारी संघ के साथ एक समझौते के अन्तर्गत संशोधित किये गये थे कि पंजीकृत चिकित्सक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित औषधियों इत्यादि की लागत शामिल करते हुए सभी चिकित्सा व्यय प्रतिपूरित किये जाएंगे तथा औषधियों की लागत के सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति दावों को, डाक्टर के नुस्खे पर जोर डाले बिना ही औषधि विक्रेता के कैश मेंमों के आधार पर निपटाया जाएगा। तथापि, औषधियों की लागत पंजीकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किये बिना ही औषधि विक्रेता के कैश मेंमों के आधार पर प्रतिपूरित कर दी गई थी। आगे, 1200 रु. की सीमा को, कर्मचारी संघ के साथ समझौते के अन्तर्गत,

दिसम्बर 1986 से 2000 रु. प्रति वर्ष तक भी बढ़ा दिया गया था। चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर व्यय 1980-81 में 0.64 लाख रु. से 1988-89 में 3.98 लाख रु. बढ़ गया।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 1990) कि समझौते को भा.वि. व्या.सं. की शासी निकाय तथा वा.मं. का विधिवत अनुमोदन प्राप्त था। तथापि, संस्थान द्वारा अनुपालित की गयी औषधियों की प्रतिपूर्ति की प्रणाली यह सुनिश्चित नहीं करती थी कि अनिवार्य रूप से आवश्यक औषधियों के सम्बन्ध में की गई प्रतिपूर्ति एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित थी।

(iii) पुस्तकालय पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन

वर्ष 1988-89 के लिए संस्थान की पुस्तकालय पुस्तकें लेखों में 7.62 लाख रु. के मूल मूल्य में दर्शाई गई थी तथा इस वर्ष तक मूल्य हास 5.66 लाख रु. की राशि तक बना था। इसमें 1983-84 के पश्चात अधिप्राप्त पुस्तकें सम्मिलित नहीं थी क्योंकि इसके कारण व्यय को, तदपश्चात् राजस्व व्यय के रूप में माना गया था।

पुस्तकालय पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन आंशिक रूप से मार्च 1983 में, प्रारंभ किया गया था तथा तदपश्चात् वित्तीय खातों के साथ विधिवत समाधान के पश्चात् प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 1990) कि अधिशिष्ट की गई पुस्तकालय पुस्तकों का सम्पूर्ण सत्यापन प्रारंभ किया जाएगा।

33.11 भा.वि.व्या.सं. का मूल्यांकन

भारत सरकार, (वा.मं.) ने फरवरी 1986 में व्या.वि.प्रा., भा.वि.व्या.सं. तथा भा.व्या. में प्रा. की भूमिका, गतिविधियों तथा निष्पादन का एक गहन अध्ययन प्रारंभ करने तथा सुधार के लिए सलाह देने के लिए सभापति के रूप में विकास अध्ययन संस्थान मद्रास के एक प्रोफेसर तथा सदस्य के रूप में

अतिरिक्त सचिव (वा.मं.) और अतिरिक्त सचिव एवं वि.स. (वा.मं.) तथा संयुक्त निदेशक (वा.मं.) के साथ एक ग्रुप का गठन किया। ग्रुप ने सितम्बर 1986 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

भा.वि.व्या.सं. से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसायें, जो कार्यान्वयन हेतु प्रतीक्षित थीं (नवम्बर 1990) निम्नवत् हैं:-

अनुशंसाएं

टिप्पणियां

(i) भा.वि.व्या.सं. में आंकड़ा विश्लेषण एकक की स्थापना (रिपोर्ट का पैरा 40)

इस सम्बन्ध में भा.वि.व्या.सं. के प्रस्ताव की मंत्रालय में जांच की गई थी, जिसने निर्णय लिया कि इसे राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र की स्थापना के समय (अक्टूबर 1989) तक लम्बित रखा जाये।

(ii) भा.वि.व्या.सं. अन्य शहरों में उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के विस्तार हेतु सम्भाव्य-ताओं का अन्वेषण करें (रिपोर्ट का पैरा 52)

प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था (जुलाई 1988) जैसा कि पैरा 7 (v) में उल्लेख किया गया, देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रसार करने को प्राप्त नहीं किया गया था।

(iii) भा.वि.व्या.सं. को, अनुसंधान की गुणवत्ता को ऊपर उठाने के लिए विशेषज्ञों तथा निर्यातकों के साथ अनुसंधान अध्ययनों पर अपनी प्रारूप रिपोर्टों को पूरा करते समय सेमिनार/विचार विमर्श, करने चाहियें (रिपोर्ट का पैरा 59 (iii))

अनुशंसा का कार्यान्वयन प्रतीक्षित था (नवम्बर 1990)। पैरा 8 (vi) के अन्तर्गत अभ्युक्तियां भी देखें।

- (iv) भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिनों की लाईन पर एक उच्च गुणवत्ता वाले दस्तावेज के लिए भा. वि. व्या. सं. के प्रकाशन विदेश व्यापार संवीक्षा को उच्चस्तरीय बनाना (रिपोर्ट का पैरा 60)
- भा. वि. व्या. सं., व्या. वि. प्रा. तथा भा. व्या. मे. प्रा. द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों के एकीकरण के प्रश्न पर विचार करते समय, यह निर्णय लिया गया था कि भा. वि. व्या. सं. / व्या. वि. प्रा. / भा. व्या. मे. प्रा. जरा से आशोधनों के साथ अपने प्रकाशनों का प्रकाशन जारी रख सकते थे। मंत्रालय द्वारा भा. वि. व्या. सं. से मामले को अपने शासी निकाय के सामने रखने को कहा गया। शासी निकाय का निर्णय प्रतीक्षित था।
- (v) प्रति अभिवेदन उपलब्ध कराने तथा व्यापार निकायों से अधिक अभिवेदन शामिल करने के लिए भा. वि. व्या. सं. के शासी निकाय का पुनर्गठन
- समिति की अनुशंसाओं की अनुपालना में, मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार को, शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित किया गया था (जुलाई 1988)। आगामी पुनर्गठन के सम्बन्ध में विधि मंत्रालय की सलाह, वाणिज्य मंत्रालय के विचाराधीन थी।
- (vi) बाजार सर्वेक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया किया जाना चाहिये (उत्पादनों के साहचर्य तथा अथवा व्या. वि. प्रा., ई. पी. सी. अथवा निजी सलाहकार फर्मों से विपणन विशेषज्ञ प्राप्त करके)। भा. वि. व्या. सं. तथा व्या. वि. प्रा. के बीच सहयोगी सर्वेक्षणों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये (रिपोर्ट का पैरा 56)।
- बाजार सर्वेक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुशंसा के सम्बन्ध में मंत्रालय ने बताया (मार्च 1990) कि भा. वि. व्या. सं. में प्रारम्भ किये गये अध्ययन अब नीतियों से सम्बन्ध रखते हैं। यह भी बताया गया था कि कुछ सह-परियोजनाओं का विकास करने के लिए व्या. वि. प्रा. के साथ चर्चाएं हुई थीं।

रबर बोर्ड कोट्टायम

34. निष्फल व्यय

रबर बोर्ड कोट्टायम ने अपने मुख्यालय भवन के निर्माण हेतु कोट्टायम में 40 एकड़ भू-क्षेत्र सितम्बर 1983 में अधिग्रहीत किया। अधिग्रहण की कुल लागत 32.02 लाख रुपये थी। 286 लाख रुपये की लागत के भवन के निर्माण के लिए संस्वीकृति भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1988 में प्रदान की गई थी। भूमि के अधिग्रहण के छः वर्षों के बाद भी, बोर्ड ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया था तथा मुख्यालय भवन निरंतर एक किराये के भवन में रहा; 1984-85 से 1989-90 के दौरान अदा किया गया किराया 22.53 लाख रुपये था। बोर्ड ने विलम्ब को निधियों की कमी पर आरोपित किया था (अक्टूबर 1989)। बोर्ड ने यह भी बताया (अगस्त 1990) कि भारत सरकार ने भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये संस्वीकृत किये थे तथा आवास विकास वित्त निगम जिसे इस उद्देश्य हेतु वित्तपोषित करने के लिए सम्पर्क किया गया को भी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित योजना के प्रस्तुतिकरण के अघ्याधीन, एक करोड़ रुपये के ऋण की संस्वीकृति करनी थी।

भूमि, उद्देश्य हेतु 1981 में बोर्ड द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार अधिग्रहीत की गई थी। भूमि का एक सिरा दक्षिणी रेलवे की सम्पत्तियों द्वारा घिरा हुआ है। अधिग्रहण के बाद जनवरी 1989 में छः वर्षों के उपरान्त बोर्ड को पता चला था कि रेलवे लाईनों को दोहरा करने के लिए रेलवे की योजना को

ध्यान में रखते हुए रेलवे परिधि के 30 मीटर के भीतर पड़ने वाले क्षेत्र में कोई स्थाई निर्माण करना अनुमत नहीं था। नवम्बर 1989 में अधीक्षक अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ऊंचे भवन की मूल आवश्यकताओं की जानकारी को बोर्ड के ध्यान में लाया। उसके अनुसार चार मंजिल से ऊपर निर्माण के लिए लिफ्टों, अग्निशमन उपस्करों तथा साथ में जैनरेटरो के लिए भी प्रावधान किया जाना था, जिसके लिए लगभग 30 लाख रुपये के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी। तथापि, बोर्ड ने नवम्बर 1989 में अग्नि शमन तथा लिफ्ट के लिए अपेक्षित व्यवस्थाओं सहित एक छः मंजिला भवन निर्माण करने का निर्णय लिया। बोर्ड के अनुसार भवन का एक भाग रेलवे परिधि से 30 मीटर के भीतर होगा। बोर्ड ने जून 1990 में रेलवे के साथ, निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल में टांचे को, उस समय जब रेलवे को आवश्यकता होगी, गिरा दिए जाने की स्वीकृति करते हुए एक समझौता निष्पादित किया। बोर्ड ने नवम्बर 1990 में बताया कि केवल 12.8 एकड़ क्षेत्र (कुल क्षेत्र का 32 प्रतिशत) ही वास्तविक प्रतिबंधित क्षेत्र में आयेगा तथा निर्माण जनवरी 1991 में शुरू किए जाने की संभावना थी।

इस प्रकार, सितम्बर 1983 में 40 एकड़ भूमि के अधिग्रहण जिसमें से 30 प्रतिशत से अधिक की भूमि पर निर्माण स्वतंत्र रूप से अनुमत नहीं था तथा दक्षिणी रेलवे के साथ इस आशय के समझौते का निष्पादन कि भूमि पर निर्मित किसी भी टांचे को, जब भी रेलवे को आवश्यकता होगी, गिरा दिया जाएगा तथा ऐसी शर्तों

के बावजूद भी भूमि पर छः मंजिला भवन बनाने के लिए निर्णय पर्याप्त योजना के अभाव को प्रदर्शित करता है। कार्यालय भवन के निर्माण के विलम्ब के परिणामस्वरूप 32.02 लाख रुपये की पूंजी सात वर्षों से अधिक के लिए अवरुद्ध रही तथा मार्च 1990 तक 22.53 लाख रुपये के किराये की अदायगी की गई। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने अप्रैल 1990 से आगे किराये के संबंध में 0.50 लाख रुपये का मासिक व्यय करना जारी रखा।

मामला मंत्रालय को जुलाई 1990 में सूचित किया गया था: उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मई 1991)।

मसाला बोर्ड, कोची

35. भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान कम्पलैक्स का निर्माण

"माईलादमपारा-फेज II में भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान कम्पलैक्स का निर्माण" कार्य (लागत: 36.15 लाख रुपये) मार्च 1983 में ठेकेदारों की एक फर्म को दिया गया था। मैसर्स फैक्ट इंजीनियरिंग तथा डिजाइन आरगोनाइजेशन (फीडो) उक्त निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित परामर्श एवं स्थल प्रबंध सेवाएं मुहैया कराने हेतु परामर्श दाता थे। ठेके की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य, कार्य आदेश जारी होने के 12 महीने के भीतर अर्थात् मार्च 1984 तक पूरा होना था। निर्माण कार्य के अनुबंध की धारा 5 के अनुसार, ठेकेदार यदि निर्धारित अवधि के भीतर

निर्माण कार्य पूरा करने में असमर्थ रहता है तो निर्माण कार्य की कुल लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत के अध्याधीन, बोर्ड, प्रत्येक सप्ताह अथवा सप्ताह के अंश जिस तक समापन में विलम्ब हुआ था, हेतु निर्माण कार्य की निविदा मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर की राशि वसूल करने के लिए ग्राह्य था। ठेकेदार द्वारा भवन 12 माह 21 दिन के विलम्ब के पश्चात् अप्रैल 1985 में पूरा किया गया था। बोर्ड ने निर्माण कार्य के समापन हेतु आठ माह का समय विस्तार स्वीकृत किया था; समय विस्तार की अवधि से आगे विलम्ब की शेष अवधि के लिए (19 सप्ताह), बोर्ड ने 3.77 लाख रुपये (बढ़ाई गई परामर्शदायी सेवाओं के लिए फीडो को 2 लाख रुपये का भुगतान तथा श्रम वृद्धि लागत के लिए 1.77 लाख रुपये) की परिसमाप्त क्षतिपूर्तियां वसूल की। ठेकेदार ने वसूली के लिए, नवम्बर 1986 में बोर्ड द्वारा नियुक्त एक मध्यस्थ के सामने आपत्ति प्रकट की। मध्यस्थ ने परिसमाप्त क्षतिपूर्तियों के लिए बोर्ड के दावे को जुलाई 1987 में निरस्त कर दिया। मध्यस्थ ने निर्णय दिया कि निर्माण कार्य के समापन में विलम्ब केवल ठेकेदार पर आरोपित नहीं किया जा सकता था। उसने यह भी निर्णय दिया कि क्योंकि निर्माण कार्य के दौरान बोर्ड द्वारा अनुबंध की धारा 5(V) के अधीन कोई वैध नोटिस जारी नहीं किया गया था, अतः निर्माण कार्य के समापन की अवधि ठेके का सार नहीं रह गई थी, जैसा कि अनुबंध में मूल रूप से माना गया था तथा इस प्रकार परिसमाप्त क्षतिपूर्तियों का लगाया जाना न्यायोचित नहीं था।

अतिरिक्त अवर न्यायाधीश एरनाकुलम जिसको यह मामला अक्टूबर 1987 में भेजा गया था ने नवम्बर 1988 में निर्णय कायम रखा। बोर्ड ने अप्रैल 1989 में 0.14 लाख रुपये के ब्याज सहित ठेकेदार से वसूल की गई 3.77 लाख रुपये की राशि न्यायालय में प्रेषित कर दी। निर्माण के दौरान ठेके की धारा 5(V) के अधीन ठेकेदार को नोटिस जारी करने में बोर्ड की विफलता के परिणामस्वरूप 0.14 लाख रुपये के ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त, 3.77 लाख रुपये के की परिसमाप्त क्षतिपूर्तियों के लगाने की गैर वसूली हुई।

फीडो द्वारा अर्पित सेवाओं में, अन्य बातों के साथ साथ नित्य प्रति सिविल निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण तथा स्थल पर गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करना शामिल थे। भवन सौपने की तिथि से एक साल की अवधि के लिए फीडो को भी दोषपूर्ण डिजाइन तथा अप्रभावी पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदाई ठहराया जाना था। ग्रहण किए गए सिविल निर्माण कार्यों की कुल वास्तविक लागत के 10.55 प्रतिशत की दर पर सेवा शुल्क फीडो को देय था।

ठेकेदार के अंतिम बिल के निपटान करने से पूर्व भी, निर्माण में कुछ त्रुटियां जनवरी 1986 में देखी गई थी। बोर्ड ने ठेकेदार से कार्य में त्रुटियां ठीक करने के लिए 0.62 लाख रुपये की राशि रोक ली। बोर्ड ने निर्माण कार्य में त्रुटियों की जांच केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं द्वारा दिसम्बर 1988 में तथा फीडो द्वारा जनवरी 1989 में कराई गई थी। जांच में दोषपूर्ण डिजाइन, निम्नस्तर की सामग्री तथा अप्रभावी

पर्यवेक्षण के कारण, निर्माण कार्य में त्रुटियों का पता चला। ठेकेदार ने, अनुबंध की शर्तों के अनुसार नियुक्त मध्यस्थ के समक्ष वसूली पर आपत्ति की। मध्यस्थ ने निर्णय दिया कि बोर्ड, बताई गई त्रुटियां बिना उनको ठीक कराए हुए सुविधाओं का लाभ ले रहा था तथा ठीक कराने की लागत की गणना का आधार मनमाना था और किसी विश्लेषण/अनुमानों पर आधारित नहीं था। अप्रैल 1989 में बोर्ड ने राशि न्यायालय को प्रेषित कर दी। अधिनिर्णय दिए जाने के समय तक फीडो के साथ एक वर्ष की गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी थी अतः बोर्ड फीडो से कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सका।

समय से निर्माण कार्यों को ठीक करा लेने तथा मध्यस्थ के समक्ष प्रभावित वसूली के लिए समर्थन ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफलता तथा सलाहकारों से गारंटी अवधि में दावा प्रस्तुत करने में भी विफलता की परिणति बोर्ड को निर्माण कार्य अपनी लागत पर ठीक कराने में हुई। इसके अतिरिक्त ठीक कराए गए निर्माण कार्यों तथा उस पर किया गया व्यय प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1990)।

मामला मंत्रालय को जुलाई 1990 में भेजा गया था लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मई 1991)।

जल संसाधन मंत्रालय

36. ब्रह्मपुत्र बोर्ड गोहाटी

36.1 प्रस्तावना

ब्रह्मपुत्र बोर्ड (बोर्ड) एक सांविधिक निकाय है तथा बाढ़ व तट कटाव के नियंत्रण तथा सिंचाई, जल-विद्युत, नौ-संचालन और अन्य लाभदायक

उद्देश्यों के लिए घाटी के जल संसाधनों के विकास और उपयोग को ध्यान में रखते हुए असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में जल-निकास के सुधार के लिए, एक मास्टर योजना तैयार करने के उद्देश्य से ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (अधिनियम) के अन्तर्गत, भारत

सरकार द्वारा 31 दिसम्बर 1981 को स्थापित किया गया था। 1983-84 में बोर्ड का अधिकार-क्षेत्र असम की बैराक घाटी तथा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सभी राज्यों तक बढ़ा दिया गया था।

36.2 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

बोर्ड के लेखों की लेखे परीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत की जाती है तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिवर्ष संसद को प्रस्तुत किया जाता है। 1981-82 से 1987-88 की अवधि के लिए बोर्ड है कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण, लेखापरीक्षा द्वारा बोर्ड के मुख्यालय, मुख्य अभियंता तथा गोहाटी, उत्तरी गोहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़, तेजू तथा उत्तरी लखीमपुर में स्थित छः मंडलों के कार्यालयों में अभिलेखों के सन्दर्भ में किया गया था (अप्रैल-जून 1989)। पुनरीक्षण में उल्लिखित सूचनाएं 31 मार्च 1990 तक अद्यतन कर दी गई हैं।

36.3 संगठनात्मक ढांचा

बोर्ड में, उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सात राज्यों, उत्तर-पूर्वी परिषद तथा सम्बद्ध मंत्रालयों एवं केन्द्र

सरकार की केन्द्रीय एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, चार पूर्ण कालीन तथा 17 अंशकालीन सदस्य सम्मिलित हैं। बोर्ड के मुख्यालय ने 11 जनवरी 1982 से गोहाटी में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। बोर्ड का नई दिल्ली में एक सम्पर्क अधिकारी है।

घाटी में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करने और एक मास्टर योजना तैयार करने के लिए भी, बोर्ड ने 1982-83 में, ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग (ब्र.बा.नि.आ.) असम सरकार से "जहाँ है, जैसा है, के आधार पर" तीन सर्किल और मंडल हाथ में लिए।

अन्वेषण तथा आंकड़े संग्रहण कार्यक्रम के संचालन के लिए 1982-83 तथा 1983-84 में बोर्ड ने दो और सर्किल तथा आठ मंडलों की स्थापना की तथा बोर्ड की गतिविधियों को कम करने के कारण सितम्बर तथा दिसम्बर 1987 के बीच एक सर्किल और चार मंडल राज्य सरकार को अंतरित कर दिये।

36.4 विशिष्टताएं

- अप्रैल 1982 से मार्च 1990 तक, अरुणाचल प्रदेश सरकार के विरोध तथा भारत सरकार द्वारा परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत न किये जाने (जुलाई 1983 से) के बावजूद, बोर्ड ने दिहांग तथा सुवनसिरि बांध परियोजना के अन्वेषण के लिए क्रमशः 691 लाख रु. तथा 865.48 लाख रु. खर्च किये।
- केन्द्र सरकार से परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति की प्राप्ति के बिना ही, प्रस्तावित

- सुवनसिरि विद्युत घर स्थल के लिए प्रयोगात्मक संवहन सुरंग के निर्माण पर, बोर्ड द्वारा किया गया 23.99 लाख रु. का व्यय न्यायसंगत नहीं था ।
- समुचित आरेखण तथा पर्याप्त जांच के बिना निकास नदी पथ के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए बोर्ड द्वारा 10.96 लाख रु. का किया गया व्यय निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि नदी पथ निर्माण के 3 वर्षों बाद बाढ़ द्वारा गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था ।
 - 7.37 लाख रु. की कीमत के बेली ब्रिज अवयव दिसम्बर 1984 से सुवनसिरि बांध परियोजनाके अन्तर्गत बेकार पड़े थे ।
 - प्रस्तावित दिबांग बांध परियोजना का "व्यवहार्य परियोजना रिपोर्ट की तैयारी" पर कार्य, 43.11 लाख रु. का व्यय वहन करने के बाद, संचार समस्याओं के कारण, फरवरी 1986 में बंद कर दिया गया था ।
 - यद्यपि, बोर्ड की अंशदायी भविष्य निधि की प्रबंध व्यवस्था एक न्यासी बोर्ड द्वारा की जानी थी, फरवरी 1991 तक ऐसे किसी बोर्ड का गठन नहीं किया गया था ।

36.5 लक्ष्य एवं उपलब्धियां

ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड की मुख्य गतिविधियों में (i) ब्रह्मपुत्र घाटी में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण और बाढ़ व तटीय कटाव के नियंत्रण के लिए मास्टर योजना,

(ii) ब्रह्मपुत्र घाटी में जल निकासी में सुधार तथा (iii) जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था मास्टर योजना में प्रस्तावित बांधों तथा अन्य परियोजनाओं के सम्बंध में, विस्तृत रिपोर्टों व अनुमानों को तैयार करना शामिल है । बोर्ड की गतिविधियां भी 1983-84 में बैरक घाटी तक बढ़ा दी गई थी । मास्टर योजना तीन भागों में, अर्थात् भाग-I-ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य शाखा से सम्बन्धित, भाग-II- बैरक नदी से सम्बन्धित तथा तथा भाग-III- ब्रह्मपुत्र तथा बैरक नदी की सहायक नदियों से सम्बन्धित, तैयार की जानी थी । भाग-I तथा भाग-II लक्षित तारीखों की समाप्ति के क्रमशः 22 महीनों तथा 3 महीनों बाद पूरे हुए थे (भाग I: लक्षित तारीख - मार्च 1985, पूरा होने की तारीख- दिसम्बर 1986; भाग-II: लक्षित तारीख -मार्च 1988, पूरा होने की तारीख-जून 1988) । परन्तु, मास्टर प्लान का भाग III जो मार्च 1990 तक पूरा होना लक्षित था, अभी तक पूरा नहीं हुआ था (जनवरी 1991) । बोर्ड ने जुलाई 1990 में बताया कि मास्टर योजना भाग III, (i) सहायक नदियों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा आंकड़ों का संग्रहण तथा (ii) आंकड़ों का संसाधन तथा मास्टर प्लान की रिपोर्टों की तैयारी, से बने दो चरणों में तैयार की जानी थी तथा प्रथम चरण का 47 से 50 प्रतिशत और द्वितीय चरण का 15 प्रतिशत क्रमशः मार्च 1989 और मार्च 1990 तक पूरा हो गया था । बोर्ड ने जनवरी 1991 में पुनः बताया कि मास्टर प्लान भाग III, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा किया जाना

था।

36.6 बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं का अन्वेषण

36.6.1 दिहांग बांध परियोजना

निष्फल व्यय: 1974 से मार्च 1982 तक परियोजना, तत्कालीन ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग (ब्र.बा.नि.आ.) द्वारा अन्वेषण के अधीन थी। 494.32 लाख रु. की अनुमानित लागत के प्रति, ब्र.बा.नि.आ. ने मार्च 1982 तक, व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी (201.48 लाख रु.) तथा सड़कों व भवनों के निर्माण, स्थापना इत्यादि (231.71 लाख रु.) से सम्बन्धित सर्वेक्षण कार्यों की विभिन्न मदों पर 433.19 लाख रु. का कुल व्यय किया था। ब्र.बा.नि.आ. द्वारा व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए अन्वेषण के मुख्य भाग को पूरा करने के बाद, अप्रैल 1982 में परियोजना का बोर्ड द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। बोर्ड ने 1982-83 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि परियोजना के मुख्य भाग तथा आंकड़ों का संग्रहण ब्र बा नि आ द्वारा किया गया था। भू-वर्गीकरण, नदी-मार्ग सर्वेक्षण, भू-मार्ग सर्वेक्षण, जलाशय तथा सम्पत्ति सर्वेक्षण जैसी कुछ मदें अपूर्ण पड़ी थी। बोर्ड ने व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार को जुलाई 1983 में प्रस्तुत कर दी, परन्तु उनकी स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी (जनवरी 1991)।

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने, जहां परियोजना स्थल स्थित था, अप्रैल 1980 में प्रस्तावित परियोजना का विरोध किया तथा दोहराया (मार्च 1982 तथा

अक्टूबर 1987) कि ऊंचा बांध, परिस्थितिकी सम्बन्धी विधन उत्पन्न करने के अतिरिक्त बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित करेगा तथा उनकी सांस्कृतिक परम्परा को नष्ट कर देगा। केन्द्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) तथा सिंचाई मंत्रालय ने फरवरी 1984 में अवलोकित किया कि इस परियोजना के लिए मार्च 1985 के बाद तक की देयताओं के साथ नये कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं किये जाने चाहिये। ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) ने अक्टूबर 1984 में अवलोकित किया कि यद्यपि, परियोजना, जैसी कि सूत्रबद्ध की गई है, बड़े विद्युत लाभ प्रदान करेगी, मंत्रालय एक ऐसी परियोजना पर विद्युत आयोजन का आधार बनाने के पक्ष में नहीं था, जो कि बिल्कुल प्रारम्भ से ही स्थानीय आवासियों के विरोध का सामना कर रही थी। ऊर्जा मंत्रालय ने अक्टूबर 1984 में आगे बताया कि कृषि, रक्षा, गृह मंत्रालयों तथा पर्यावरण विभाग ने विभिन्न विपरीत प्रभावों को उजागर किया था तथा क्षेत्र में निर्मित सामरिक महत्व की सड़कों का काफी बड़ा भाग भी जलमग्न हो जायेगा।

विभिन्न क्षेत्रों से विपरीत मतों के तथा विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति प्राप्त न कर पाने के बावजूद, बोर्ड ने अप्रैल 1982 से मार्च 1990 तक परियोजना पर 691 लाख रु. का व्यय किया था। 691 लाख रु. में से, बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा को केवल 501.04 लाख रु. के मद-वार विवरण ही प्रस्तुत किये जा सके (फरवरी 1991) तथा शेष 189.96 लाख रु. के विवरण प्रस्तुत

नहीं किये जा सके । बोर्ड ने बताया (फरवरी 1991) कि इन्हें दो बंद मंडलों के अभिलेखों से खोजा जा रहा था । तथापि, उपलब्ध विवरणों से यह सिद्ध हुआ कि 501.04 लाख रु. का 81 प्रतिशत (403.75 लाख रु.) ब्र.बा.नि.आ. द्वारा की गई मदों के अनुरूप मदों पर व्यय किया गया था । बोर्ड द्वारा प्रस्तुत इस परियोजना पर ब्र.बा.नि.आ. तथा बोर्ड द्वारा किये गये व्यय के मदवार विवरण निम्नवत् है:-

कार्यों की मदें	मार्च 1982 तक ब्र. बा. नि. आ. द्वारा किया गया व्यय	अप्रैल 1982 से मार्च 1990 तक बोर्ड द्वारा किया गया व्यय
		(लाख रुपयों में)
प्रारम्भिक	0.85	0.09
भूमि	0.01	2.50
कार्य-		
स्थलाकृतिकीय	34.95	20.69
सर्वेक्षण		
हाइड्रोमीटिओ-	74.05	48.50
रोलोजिकल		
अवलोकन		
भूवैज्ञानिकीय	85.56	33.67
अवलोकन		
निर्माण सामग्रियों	6.06	0.06
का अन्वेषण		
मृदा सर्वेक्षण		0.96
विविध	4.59	49.65
भवन	98.75	57.60
संचार	26.51	4.92
स्थापना	39.74	75.15

उपकरण तथा संयंत्र	62.12	156.72
अनुरक्षण	...	15.21
विशेष उपकरण तथा	...	0.32
संयंत्र		
देयताएं	...	5.81
उचत	...	29.19
.....
	433.19	501.04

परियोजना पर कार्य वस्तुतः अप्रैल 1988 से बंद कर दिया गया है। बोर्ड ने जनवरी 1990 में बताया कि भारत सरकार द्वारा परियोजना पारित न किये जाने के कारण, केवल जल-विज्ञानीय आंकड़ों के संग्रहण के नैतिक कार्य तक गतिविधि को सीमित करते हुए, आगे विस्तृत अन्वेषण कार्यक्रम बंद कर दिये गये थे। बोर्ड ने जनवरी 1991 में पुनः बताया कि इसके द्वारा हाथ में लिया गया अन्वेषण कार्य मुख्यतया परियोजना रिपोर्ट के लिए आंकड़े अद्यतन करने के लिए था। जबकि, परियोजना अप्रैल 1980 से अरुणाचल प्रदेश सरकार के विरोध का सामना कर रही थी, व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति (जुलाई 1983) के बाद तथा इसकी भारत सरकार से मंजूरी प्राप्त किये बिना, आंकड़े अद्यतन करने के आधार पर इस परियोजना पर व्यय का किया जाना निष्फल सिद्ध हुआ। विस्तृत तथा पूरे लेखों के अभाव में, 1983 में रिपोर्ट की प्रस्तुति के समय से बोर्ड द्वारा अन्वेषण पर किये गये वास्तविक व्यय का लेखा परीक्षा

में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

36. 6.2 सुवनसिरि बांध परियोजना

(क) निष्फल व्यय

1973-74 से मार्च 1982 तक, परियोजना ब्र.बा.नि.आ. द्वारा अन्वेषण के अधीन रही थी। 419 लाख रु. के अनुमान के प्रति, ब्र.बा.नि.आ.ने मार्च 1982 तक, 390.37 लाख रु. का कुल व्यय किया, जब यह बोर्ड द्वारा अपने सृजन पर हाथ में लिया था। परन्तु बोर्ड, ब्र.बा.नि.आ. द्वारा निष्पादित कार्य का परिमाण, निर्धारित नहीं कर सका। इसके बाद, बोर्ड ने मार्च 1990 तक खर्च किये जाने के लिए 742.80 लाख रु. की कुल राशि के लिए दो अनुमान संस्वीकृत किये तथा मार्च 1990 तक उसके प्रति 865.48 लाख रु. व्यय किये परन्तु अन्वेषण कार्य के पूरा होने की लक्षित तिथि बोर्ड द्वारा बताई नहीं जा सकी। व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार को जुलाई 1983 में प्रस्तुत की गई थी, परन्तु उनकी स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी (जनवरी

1991) । मार्च 1990 तक बोर्ड द्वारा किये गये कुल जा सके थे (फरवरी 1991) । ब्र.बा.नि.आ. तथा खर्च (865.48 लाख रु.) में से, लेखा परीक्षा को बोर्ड द्वारा इस परियोजना पर किये गये व्यय के केवल 586.64 लाख रु. के विवरण ही प्रस्तुत किये विवरण निम्नानुसार है:-

कार्य की मर्दें	मार्च 1982 तक ब्र.बा.नि.आ. द्वारा किया गया व्यय	अप्रैल 1982 से मार्च 1990 तक बोर्ड द्वारा किया गया व्यय (लाख रु. में)
1	2	3
प्रारम्भिक	0.55
कार्य-		
स्थलाकृतिकीय सर्वेक्षण	10.88	11.76
हाईड्रोमैट अवलोकन	45.52
मीटिओरोलोजिकल अवलोकन	15.27
भूगर्भीय अन्वेषण	80.74	51.76
निर्माण सामग्रियों का अन्वेषण	3.49	31.15
मृदा सर्वेक्षण अध्ययन	0.46
आवाह-क्षेत्र सर्वेक्षण	2.51
विविध	4.87	98.13
अनुरक्षण	43.08
भवन	91.50	23.90
संचार	54.60	101.89
स्थापना	60.67	143.55

पौधरोपण	0.40
उपकरण तथा संयंत्र	67.34	14.74
विशेष उपकरण तथा संयंत्र	4.94
देयताएं	11.61
उचंत	1.70

	390.37	586.64

विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिकूल मत के बावजूद तथा विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति प्राप्त किये बिना, बोर्ड इस परियोजना पर व्यय करता रहा।

1983-84 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में, बोर्ड ने बताया कि इस परियोजना के अधिकतर सर्वेक्षण पूरे हो चुके थे। तथापि, पुनर्वास के लिए भू-सर्वेक्षण अरुणाचल प्रदेश सरकार से विरोध के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका। बोर्ड ने जनवरी 1991 में बताया कि यद्यपि, परियोजना रिपोर्ट जुलाई 1983 में प्रस्तुत की गई थी, यह भारत सरकार द्वारा न तो संस्वीकृत की गई थी, न ही निरस्त की गई थी तथा परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन करने के लिए परियोजना पर आगे अन्वेषण प्रारम्भ किया गया था। चूंकि परियोजना विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिकूल मत का सामना कर रही थी; जुलाई 1983 में व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद तथा इसकी भारत सरकार से सहमति प्राप्त किये बिना, इस परियोजना पर खर्च करना न्यायोचित नहीं था। विस्तृत तथा पूरे लेखों के अभाव

में, 1983 में रिपोर्ट की प्रस्तुति के समय से अन्वेषण पर बोर्ड द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का लेखा परीक्षा में सुनिश्चय नहीं किया जा सका।

(ख) प्रयोगात्मक संवहन सुरंग का निर्माण

मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग (के.ज.आ.), निदेशक, राष्ट्रीय जल-विद्युत ऊर्जा निगम (रा.ज.वि.ऊ.नि.), संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान स्टेशन (के.ज.वि.अ.स्टे.) तथा अन्य से बनी तकनीकी समिति ने अपनी बैठक (मई 1982) में विद्यमान संवहन सं.7 का 150 मीटर तक विस्तार करने का प्रस्ताव किया। परन्तु, मुख्य अभियंता, के.ज.आ. ने इसकी बजाय, सुबनसिरि बांध परियोजना के प्रस्तावित विद्युत घर स्थल के पास समाप्त होने वाली एक 220 मीटर लम्बी संवहन सुरंग के निर्माण के लिए आंकड़े तथा अन्य सूचना संग्रहित करने का सुझाव दिया (जून 1982) जो विनिर्देशन, आरेखण इत्यादि को पूरा करने तथा बाद में प्रारम्भ किये जाने वाले कार्य को प्रारंभ करने की अवधि को त्वरित करने में लाभदायक होगी। बोर्ड के अध्यक्ष ने,

बोर्ड के महा-प्रबंधक को उक्त सुझाव को अग्रेषित करते समय अगस्त 1982 में बताया कि रा.ज.वि.ऊ. नि. को बोर्ड की ओर से कार्य हाथ में लेने का अनुरोध किया गया था । तथापि, बोर्ड के मुख्य अभियंता ने दिसम्बर 1982 में निविदा आमंत्रित की यद्यपि, फरवरी 1985 तक कार्य तकनीकी रूप से संस्वीकृत नहीं किया गया था । कार्य आदेश के अनुसार 17.10 लाख रु. अनुमानित लागत का कार्य अक्तूबर 1983 में शिलांग की एक फर्म को प्रदान किया था तथा जनवरी व मार्च 1986 में फर्म को 23.99 लाख रु. की कुल राशि अदा की गई थी । निष्पादन के समय, सुरंग का निर्माण 300 मीटर के आगे (311 मीटर तक) जारी था, इसके कारण बोर्ड द्वारा नहीं बताये गये थे (जनवरी 1991)। संवहन सुरंग का कार्य, 25 मई 1985 को 306 तथा 311 मीटर के बीच छत के ढह जाने के बाद ही बंद किया गया था । बोर्ड ने जनवरी 1991 में बताया कि छत, पानी के भारी रिसाव तथा चट्टान संस्तर में कमजोर क्षेत्र के कारण ढह गई थी । इसने आगे बताया (अगस्त 1990 तथा जनवरी 1991) कि संवहन सुरंग के निर्माण का मुख्य उद्देश्य चट्टान समूह, दबाव प्रांचल के स्वभाव तथा विभिन्न व्यास की खुदाई की विस्फोटन प्रतिक्रिया इत्यादि को जानना था तथा यह इकाई को प्रारंभ करने की समयावधि को त्वरित करेगा, जब परियोजना निर्माण के लिए हाथ में ली जायेगी । छत के ढह जाने के कारण कार्य रोक दिया गया था तथा इस प्रकार से सुरंग के निर्माण में प्रयोग, वांछित उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा ।

चूंकि परियोजना विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिकूल मत का सामना कर रही थी तथा भारत सरकार को प्रस्तुत व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट (जुलाई 1983) अभी स्वीकृत नहीं हुई थी (जनवरी 1991), संवहन सुरंग पर 23.99 लाख रु. का व्यय न्यायोचित नहीं था ।

(ग) अपव्यय

दिरपई नदी पर 60 मीटर लम्बे निकासी नदी पथ के निर्माण के लिए अनुमान नवम्बर 1984 में तकनीकी रूप से 9.05 लाख रु. के लिये संस्वीकृत किये गये थे, परन्तु तदन्तर मई 1985 में 10.64 लाख रु. के लिए संशोधित कर दिये गये और मई 1985 में यह पूरा किया गया था । मार्च 1988 तक, नदी पथ के निर्माण (10.65 लाख रु.) तथा अनुरक्षण (0.31 लाख रु.) पर कुल 10.96 लाख रु. का कुल व्यय किया गया था तथा मार्च 1990 तक अन्य उप-पथ के निर्माण तथा अनुरक्षण पर 0.99 लाख रु. की अन्य राशि खर्च की गई थी ।

जुलाई 1988 में रात भर बाढ़ के कारण निकास नदी पथ आंशिक रूप से क्षति ग्रस्त हो गया था, जिसके कारण लट्ठों तथा मलवे का भारी ढेर लग गया था । यह पुनः सितम्बर 1988 में गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, जब 67 मीटर की ठोकर दिवार के साथ नदी पथ की 55 मीटर लम्बाई ढह गई थी । मुख्य अभियंता ने सितम्बर 1988 में अवलोकित किया कि निकास नदी पथ की, नदी में तेज बाढ़ के दौरान सामना किये जाने के लिए सम्भावित जल विज्ञानीय परिस्थितियों के लिए, सही ढंग से डिजाइन कार्य तथा

पर्याप्त जांच नहीं की गई थी । आगे, अधिशासी अभियंता ने जून 1990 में बताया कि नदी पथ अप्रयोज्य था । अपर्याप्त योजना के परिणामस्वरूप निकास नदी पथ पर सारा व्यय (10.96लाख रु.) अपव्यय हो गया । बोर्ड ने फरवरी 1991 में बताया कि निकास नदी पथ का बाढ़ के मौसम के दौरान सुबनसिरि बांध परियोजना के अन्वेषण के लिए कालोनी स्थल तक पहुंच के लिए तथा बांध स्थल तक भारी मशीनरी ले जाने के लिए निर्माण किया गया था । इसके अतिरिक्त, इसने अपना उद्देश्य पूरा किया था तथा इसका अनुरक्षण प्रारम्भ किया गया था क्योंकि इसने परियोजना स्थल के साथ संचार सम्पर्क प्रस्तुत किया था । बोर्ड का उत्तर युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि संचार सुविधाओं के लिए नदी पथ के ढह जाने के बाद एक सुरंग पथ का निर्माण करना पड़ा था ।

(घ) अप्रयुक्त परिच्यय

बोर्ड ने दिसम्बर 1984 में सुबनसिरि बांध परियोजना के लिए 22.14 लाख रु. लागत की बेलीब्रिज वितान की चार इकाइयां अधिप्राप्त की । इनमें से, तीन इकाइयों का उपयोग किया गया था तथा 7.37 लाख रु. मूल्य के अवयवों के साथ शेष एक अप्रयुक्त पड़ी रही (जनवरी 1991)। बोर्ड ने जनवरी 1991 में बताया कि शेष बेलीब्रिज का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया था क्योंकि परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई थी । जबकि सुबनसिरि बांध परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट भारत सरकार को जुलाई 1983 में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई थी,

परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति प्राप्त किये बिना दिसम्बर 1984 में बेलीब्रिज वितान की अधिप्राप्ति युक्ति संगत नहीं थी । इसके परिणामस्वरूप, छः वर्षों से अधिक के लिये 7.37 लाख रु. की निधियों का अवरोधन हुआ ।

36.6.3 देबंग बांध परियोजना/केमंग बांध परियोजना

निष्फल व्यय

"अरुणांचल प्रदेश में प्रस्तावित देबंग बांध परियोजना की "व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट की तैयारी" का कार्य 431.97लाख रु. के लिए दिसम्बर 1985 में संस्वीकृत किया गया था । परन्तु, इस परियोजना के लिए प्रारंभिक तथा अन्य विविध कार्यों के लिए जनवरी 1983 में सृजित देबंग अन्वेषण प्रभाग ने, परियोजना के प्रशासकीय अनुमोदन की प्रत्याशा में मार्च 1983 में पासीघाट में कार्य प्रारंभ कर दिया था । मंडलीय मुख्यालय अगस्त 1983 में डिब्रूगढ़ चला गया था । कार्य 43.11 लाख रु. का कुल व्यय करने के बाद फरवरी 1986 में रोक दिया था क्योंकि कार्य का स्थल किसी भी प्रकार पहुंच के बाहर था । परिणामस्वरूप समस्त व्यय निष्फल हो गया था । तथापि, बोर्ड ने अक्टूबर 1987 तक रोइंग में एक उप-मंडल बनाये रखा तथा नियमित व कार्यभारित कर्मचारियों के वेतन व भत्तो (8.39 लाख रु.) तथा जलविज्ञानीय अवलोकनों, भवनों/कैम्पों इत्यादि (2.64 लाख रु.) पर 11.03 लाख रु. का कुल व्यय किया । बोर्ड ने जनवरी 1991 में बताया कि अगम्य

स्थल परिस्थिति का टोह सर्वेक्षण के समय पर सामना नहीं किया गया था, यह स्थिति वास्तविक अन्वेषण के दौरान पाई गई थी तथा उप-मंडल बोर्ड की परिसम्पत्तियों को देखभाल तथा आंकड़ों के संग्रहण के लिए अस्थायी रूप से बनाये रखा जा रहा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि स्थल परिस्थितियों का किसी कार्य का प्रारम्भ करने से पहले सुनिश्चय किया जाना अपेक्षित था।

सितम्बर 1985 की बोर्ड की विज्ञप्ति के अनुसार देबंग अन्वेषण मंडल, "केमंग बांध परियोजना प्रारम्भिक अन्वेषण" कार्य के लिए, तेजपुर स्थानांतरित कर दिया गया था, तथा फरवरी 1986 में "केमंग अन्वेषण मंडल" के रूप में कार्य प्रारम्भ कर दिया। तथापि, केमंग बांध परियोजना के अन्वेषण के लिए अनुमान काफी समय बाद जनवरी 1987 में, प्रशासकीय रूप से 84.74 लाख रु. हेतु अनुमोदित किया गया था।

फरवरी 1986 से अप्रैल 1988 के बीच, मंडल ने 12.10 लाख रु. का व्यय किया। इसमें से, केवल 0.34 लाख रु. (कुल व्यय का 2.81 प्रतिशत) प्रारम्भिक कार्य तथा जल विज्ञानीय आंकड़ों के संग्रहण पर व्यय किया गया था तथा शेष राशि (i) स्थापना (9.90 लाख रु.), (ii) सड़कों/वाहनों का अनुरक्षण तथा मरम्मत (1.64 लाख रु.) तथा (iii) आकस्मिकता (0.22 लाख रु.) पर खर्च की गई थी।

उत्तर पूर्वी जलीय तथा विविध अनुसंधान संस्थान

के निर्माण को हाथ में लेने के लिए मई 1988 में मंडल पुनः गोहाटी ले जाया गया था। भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय को सम्बोधित अपने पत्र में बोर्ड के अध्यक्ष ने सितम्बर 1986 में बताया कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केमंग बांध परियोजना पर अन्वेषण कार्य को प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि असम सरकार के साथ कुछ सीमा विवाद था।

चूँकि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अन्वेषण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं दी थी, फरवरी 1986 से अप्रैल 1988 की अवधि के दौरान तेजपुर में मंडल को रखे जाने पर 12.10 लाख रु. का व्यय तर्क संगत नहीं था।

36.6.4 नव दिहांग बांध परियोजना

(क) निष्फल व्यय

नव दिहांग बांध परियोजना के अन्वेषण के अनुमोदित (फरवरी 1985) अनुमान (389 लाख रु.) के अनुसार, मंडलीय मुख्यालय मियाव, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाना था, परन्तु मंडलीय मुख्यालय ने मार्घेरीता (असम) में कार्य प्रारम्भ कर दिया (जनवरी 1983)। बोर्ड ने जनवरी 1991 में बताया कि अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव के कारण मंडल मियाव में कार्य नहीं कर रहा था। 1985-86 से 1987-88 तक बोर्ड ने मियाव में पूर्वनिर्मित इस्पात संरचना भवनों (2.78 लाख रु.) तथा अर्धस्थायी भवनों (10.44 लाख रु.) के निर्माण पर 13.22 लाख रु. का व्यय किया। बोर्ड ने कार्य के हित में, जनवरी 1984 में मंडलीय मुख्यालय को

मार्घेरिता से मियाव में ले जाने के आदेश जारी किये । चार वर्षों से भी अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी, मंडल मार्घेरिता में कार्य करता रहा (मई 1988) तथा इसके बाद फरवरी 1988 में बोर्ड की विज्ञप्ति के अनुसार, यह डिब्रूगढ़ में एक किराये के भवन में स्थानांतरित किया गया था (जून 1988)। इसके अतिरिक्त, नव दिहांग बांध परियोजना का कार्य, वस्तुतः अप्रैल 1987 से निलम्बित रहा था क्योंकि मुख्य वन्य जीवन रक्षक, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 1987 के बाद कार्य जारी रखने की अनुमति नहीं दी तथा भारत सरकार ने भी पर्यावरणीय स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया (अप्रैल 1987) । इस प्रकार से, इस परियोजना के अन्तर्गत, विशेषकर मियाव में, किसी भवन का निर्माण युक्तिसंगत नहीं था । बोर्ड ने जून 1990 में बताया कि पूर्व निर्मित इस्पात संरचना भवन, देबंग में मुख्यालय वाले कार्य भारित कर्मचारियों को आबटित किये गये थे तथा अर्ध-स्थायी भवन सर्वेक्षण कार्यबंदी के कारण कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण खाली पड़े थे । इस प्रकार से, मियाव में अर्धस्थायी भवनों पर किय गया 10.44 लाख रु. की राशि का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ ।

(ख) वास्तविक आवश्यकता से अधिक सामान की अधिप्राप्ति तथा उपयोग

परियोजना के अन्वेषण कार्य के लिए अनुमानमें 37,665 रु. प्रति 300 मीटर की दर से 2000 मीटर ड्रिलिंग कार्य के लिए 2.51 लाख रु. मूल्य का ड्रिलिंग सामान तथा अतिरिक्त पुरजों का प्रावधान था ।

परन्तु, बोर्ड ने 1985-86 से 1987-88 के दौरान भविष्य में मांग की प्रत्याशा में 5.36 लाख रु. मूल्य के ड्रिलिंग का सामान अधिप्राप्त किया । जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 6.4(क) में उल्लेख किया गया है, नाभा दिहांग बांध परियोजना का अन्वेषण कार्य, वस्तुतः अप्रैल 1987 से निलम्बित रहा । अप्रैल 1987 में अन्वेषण कार्य के निलम्बन तक 0.06 लाख रु. की अनुमानित लागत के केवल 51 मीटर का ड्रिलिंग कार्य, पूरा हुआ था । परन्तु अधिशासी अभियंता ने जून 1990 में बताया कि 1.19 लाख रु. मूल्य का ड्रिलिंग सामान उपयोग में लाय गया था । इस प्रकार से, बोर्ड ने अनुमानित मांग से 1.13 लाख रु. अधिक का ड्रिलिंग सामान उपयोग किया था । 4.17 लाख रु. मूल्य के शेष बचे सामन में से 1.55 लाख रु. मूल्य का सामान 1987-88 में (0.25 लाख रु.) तथा 1989-90 में (1.30 लाख रु.) अन्य मंडलों को हस्तांतरित कर दिया गया था तथा 2.62 लाख रु. का बकाया सामान अप्रयुक्त रहा (दिसम्बर 1990) । बोर्ड ने दिसम्बर 1990 में बताया कि अतिरिक्त अनुषंगी तिपाईमुख बांध परियोजना प्रयोग किया जायेगा ।

36.7 वित्तीय परिचय

36.7.1 बोर्ड मुख्यतः केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान द्वारा वित्त पोषित है । बोर्ड ने 1989-90 तक कुल 51.20 करोड़ रु. के अनुदान प्राप्त किये ।

36.7.2 ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियमावली, 1981 में प्रावधान है कि बोर्ड वार्षिक रूप से " प्राप्तियां व भुगतान लेखा" "आय व व्यय लेखा" तथा "तुलनपत्र तैयार करेगा ।

बोर्ड की वित्तीय स्थिति, जैसी की 31 मार्च 1990 को है:-

तुलन पत्र में प्रकट की गई है, नीचे संक्षेप में दी गई

देयताएं	परिसम्पत्तियां	
31 मार्च 1990 को	31 मार्च 1990 को	
(लाख रु. में)	(लाख रु. में)	
5120.00	भारत सरकार से अनुदान	
50.17	वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	
	स्थायी परिसम्पत्तियां	821.76
	प्रगति में पूंजीगत कार्य	35.03
	स्टोर तथा स्टॉक	73.26
	निक्षेप, कर्जे तथा पेशगियां, लम्बित उचंत राशि,	
	तथा समायोजन, इत्यादि	186.68
	रोकड़ तथा बैंक शेष और पारगमन	
	में प्रेषण	318.51
	आय पर व्यय का आधिक्य	3734.93
<hr/>	<hr/>	
5170.17	5170.17	
<hr/>	<hr/>	

36.7.3 बोर्ड ने, असम सरकार के कर्मचारियों, जो मंडलों के स्थानांतरण के साथ बोर्ड में आये थे, के "अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान" के बारे में, 31 मार्च 1990 को 96.17 लाख रु., बोर्ड के सामान्य रोकड़ शेष से बाहर अलग बैंक खाते में रखा था। यह राशि 22.15 लाख रु. के ब्याज सहित मार्च 1990 तक 118.32 लाख रु. (अंकिंत मूल्य) तक बढ़ गई थी यद्यपि 1981 तथा 1982 में असम सरकार से बोर्ड में आये व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति की शर्तों को 1987 में

अन्तिम रूप दिय गया था, इस संबंध में बोर्ड की वास्तविक देयताये अनिर्धारित पड़ी थी। बोर्ड ने जनवरी 1991 में बताया कि देयताये असम सरकार के संबंधित विभागों से पेंशन अंशदान की दरों की अप्राप्ति के कारण, निर्धारित नहीं की जा सकी।

36.7.4 31 मार्च 1988 को तुलनपत्र की परिसम्पत्ति की तरफ "ऋण तथा अग्रिम" के अधीन "दूरभाष लगाने के लिए सरकारी निकायों में जमा राशि" के रूप में दर्शायी गई 4.72 लाख रु की राशि,

दूरभाष न लगाये जाने के कारण 1984-85 से असमायोजित पड़ी थी । इसमें 31 मार्च 1990 को असमायोजित शेष 4.84 लाख रु. बढ़ाते हुए 0.12 लाख रु. की एक अन्य राशि 1988-89 (0.03 लाख रु.) तथा 1989-90 (0.09 लाख रु.) के दौरान बोर्ड के नलबारी अन्वेषण मंडल पर दूरभाष संस्थापित करने के लिए जोड़ दी गई थी । बोर्ड ने जनवरी 1991 में बताया कि दूरभाष नलबारी अन्वेषण मंडल पर तथा आंशिक रूप से उके मुख्यालय में संस्थापित किये गये थे ।

36.7.5 31 मार्च 1990 को तुलनपत्र में "ठेकेदारों को असमायोजित अग्रिम" के रूप में दर्शाये गये 8.86 लाख रु. से 1983-85 के दौरान अदा किये गये 2.35 लाख रु. दिहेंग अन्वेषण मंडल सं. 2 से सम्बन्धित थे जो मार्च 1986 में समाप्त कर दिया गया था । इस मंडल के कार्य सुबनसीरि अन्वेषण मंडल, उत्तरी लखीमपुर, के साथ अप्रैल 1987 में मिला दिये गये थे, लेकिन अग्रिम असमायोजित पड़े थे (जनवरी 1991) । बोर्ड ने जनवरी 1991 में बताया कि 2.35 लाख रु. के लम्बे बकाया अग्रिमों के समायोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी ।

36.7.6 यद्यपि, आठ वर्ष बीत गये हैं (जून 1990), बोर्ड ने, असम सरकार से उसके द्वारा ली गई परिसम्पत्तियां और देयतायें अपने लेखों में शामिल नहीं की हैं । मामला 1984-85 से 1989-90 के लिये लेखापरीक्षा रिपोर्टों में दर्शाया गया था । बोर्ड ने नवम्बर 1988 में बताया कि असम सरकार द्वारा

अनुमानित 2.85 करोड़ रु. की परिसम्पत्तियों के प्रति, बोर्ड के अनुमान के अनुसार सत्यापित परिसम्पत्तियां 2.74 करोड़ हुईं । बोर्ड ने पुनः अक्टूबर 1990 में बताया कि परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के समाधान को, बोर्ड के मुख्य अभियन्ता तथा असम सरकार के मुख्य अभियन्ता (बाढ़ नियंत्रण) से सन्निहित इस उद्देश्य हेतु बनाई गई संयुक्त समिति की अगली एक या दो बैठकों के दौरान, अन्तिम रूप दिया जाना सम्भावित था । अन्तिम स्थिति अभी तक निश्चित नहीं की गई है (जनवरी 1991) ।

36.8 अंशदायी भविष्य निधि

बोर्ड के कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि (अं.भ.नि.), जो नवम्बर 1982 से बोर्ड द्वारा व्यवस्थित की जानी जारी है, न तो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के अधीन आवृत है और न ही उसे कर्मचारी भविष्य निधि (और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अन्तर्गत छूट प्राप्त हुई है । 1983-84 से 1989-90 तक बोर्ड ने 20.07 लाख रु. बोर्ड के अंशदान के रूप में अं.भ.निधि को अदा किये । यद्यपि ब्रह्मपुत्र बोर्ड अं.भ.निधि नियमावली 1982 के अनुसार निधि, एक न्यासी बोर्ड द्वारा प्रबंधित की जानी थी, इस प्रकार का कोई न्यास गठित नहीं किया गया है । बोर्ड ने सितम्बर 1989 में बताया कि भारत सरकार से अपेक्षित विज्ञप्ति की गैर-प्राप्ति के कारण न्यासी बोर्ड गठित नहीं किया जा सका । बोर्ड ने पुनः फरवरी 1991 में बताया कि भारत सरकार द्वारा विज्ञप्ति नवम्बर 1990 में जारी

की गई थी तथा न्यासी बोर्ड के गठन करने के लिये कदम उठाये जा रहे थे ।

36.9 अन्य रुचि कर बॉने

परिहार्य अतिरिक्त व्यय अपने सृजन पर बोर्ड ने 1982-83 में, असम सरकार से जलवैज्ञानीय और मौसम वैज्ञानीय आंकड़ों के संग्रहण हेतु समी 603 हाइड्रोमेट्रोलोजिकल स्टेशनों को हाथ में ले लिया था । इसके बाद बोर्ड ने 89 नये स्टाल खोले । इन 692 स्थलों में से बोर्ड के गुवाहाटी अन्वेषण मंडल ने

अगस्त 1987 तक 58 स्थलों को कायम रखा ।

मंडल ने मई 1987 में एक समीक्षा की तथा विश्व मौसम वैज्ञानीय संगठन (वि.मौ.सं.) के निर्धारित मानकों के अनुसार स्थलों के कायम रखे जाने की आवश्यकताओं का निर्धारण किया तथा पाया गया कि इन स्थलों में से कुछ आवश्यकता से अधिक थे । कायम रखे गये स्थलों की संख्या, वि.मौ.सं. के मानकों के अनुसार उनकी आवश्यकताओं अधिक कायम रखे गये स्थलों की संख्या निम्नवत् थी:-

स्थल	कायम रखे गये स्थलों की संख्या	वि.मौ.सं. मानकों के अनुसार स्थलों की संख्या	स्थलों की अधिक संख्या
(i) गेज साइट	25	14	11
(ii) गेज डिस्चार्ज साइट	4	3	1
(iii) गेज डिस्चार्ज सिल्ट साइट	12	9	3
(iv) रेन गेज साइट	17	12	5

इन स्थलों के रखरखाव हेतु वहन की गई वास्तविक लागत, अभिलेखबद्ध नहीं की गई थी । तथापि, जैसा कि बोर्ड द्वारा 1985-90 के लिये जनवरी 1987 में प्रदानकी गई संस्वीकृति से देखा गया, स्थलों के रखरखाव के लिय अनुमानित प्रावधान निम्नवत था:-

प्रत्येक वर्ष के लिये

(i) गेज साइट	4.70 लाख रु.
(ii) गेज डिस्चार्ज साइट	5.93 लाख रु.
(iii) गेज डिस्चार्ज सिल्ट साइट	14.65 लाख रु.
(iv) रेन गेज साइट	2.41 लाख रु.

इस अनुमानित लागत के संदर्भ में परिकल्पित

अप्रैल 1986 से अगस्त 1987 तक इन आधिक स्थलों के अनुरक्षण पर व्यय 11.22 लाख रु. की राशि थी। यह व्यय टाला जा सकता था यदि वि.मौ.सं. मानकों के संदर्भ में समीक्षा और पहले कर ली गयी होती। बोर्ड ने अगस्त 1990 में बताया कि वि.मौ.सं. द्वारा निर्धारित किये गये मानक मास्टर प्लान की तैयारी, सर्वेक्षण तथा उच्च बांध स्थलों के संभाव्यता अध्ययनों के अन्वेषण के लिये विस्तृत अध्ययनों हेतु व्यवहार्य न थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वि.मौ.सं. के मानक पर बोर्ड द्वारा, मई 1987 में स्थलों की आवश्यकताओं का निर्धारण करते हुए विचार किया गया था। तथापि, बोर्ड की गतिविधियों को कम करने के कारण स्थल, सितम्बर 1987 से असम सरकार को सौंप दिये गये थे।

36.10 प्रबोधन एवं मूल्यांकन

बोर्ड के पास कार्य की प्रगति का प्रबोधन करने के लिये कोई कक्ष नहीं था इस प्रकार योजना के संघात को अंकित करने के लिये अभी तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था (जून 1990)। तथापि, विभिन्न गतिविधियों पर प्रगति की समीक्षा वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से प्रतिबिम्बित की जा रही थी।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 1989, जुलाई 1990 तथा मार्च 1991 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मई 1991)।

समाज कल्याण मंत्रालय

37. अस्थि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कलकत्ता

37.1 प्रस्तावना

37.1.1 अस्थि विकलांगों के लिये राष्ट्रीय संस्थान इससे आगे "संस्थान" के रूप में संदर्भित, समिति पंजीकरण अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत कलकत्ता में 1978 में स्थापित किया गया था तथा एक समिति के रूप में अप्रैल 1982 में पंजीकृत किया गया था।

37.1.2 संस्थान के उद्देश्यों में निम्नवत् सम्भावित थे:-

(क) अस्थि विकलांग जनसंख्या को, भौतिक चिकित्सकों, व्यावसायिक चिकित्सकों, आर्थेटिक तथा प्रोस्थेटिक्स तकनीशियनों, नियोजन तथा स्थापना अधिकारियों, व्यावसायिक सलाहकारों इत्यादि के प्रशिक्षण द्वारा सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु मानव शक्ति का विकास करना।

(ख) अस्थि विकलांगों के सम्पूर्ण पुनर्वास से सम्बन्धित सभी पहलुओं में अनुसंधान का संचालन तथा आयोजन करना।

(ग) अस्थि विकलांगों हेतु सहायक तथा उपकरणों का मानकीकृत करना और उनके निर्माण एवं आबंटन को प्रोत्साहित करना।

(घ) शारीरिक रूप से विकलांग जनसंख्या हेतु, पुष्टिकर शल्यचिकित्सा, सहायकों एवं उपकरणों, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि के क्षेत्रों में आदर्श सेवाओं का विकास करना।

(इ) अस्थि विकलांगों के क्षेत्र में शिखर प्रलेखन तथा सूचना केन्द्र के रूपमें कार्य करना।

(च) राज्य सरकार तथा स्वैच्छिक क्षेत्रों में परामर्शीय सेवाएं उपलब्ध कराना।

(छ) अस्थि विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं तथा विशेष सेवाएं उपलब्ध कराना।

37.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

संस्थान के लेखों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत की जाती है। 1985-86 से 1989-90 की अवधि को आवृत्त करते हुए यह पुनरीक्षण अप्रैल 1990 में किया गया था।

37.3 संगठनात्मक ढांचा

37.3.1 संस्थान के मामलों का संचालन शासी परिषद तथा कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है।

37.3.2 शासी परिषद में, सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय जोकि अधीक्षक के रूप में कार्य करता है, उसी मंत्रालय के दो कर्मचारी, श्रम मंत्रालय से एक कर्मचारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य मंत्रालय से एक-एक नामांकित, छः विशेषज्ञ अथवा स्वैच्छिक संगठनों से या सामाजिक कार्यकर्ता के प्रतिनिधि, पश्चिम बंगाल सरकार के दो नामांकित, अध्यक्ष, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम तथा सदस्य के रूप में संस्थान का निदेशक, सम्मिलित हैं।

37.3.3 कार्यकारी परिषद में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य से गठित है। संयुक्त सचिव, कल्याण मंत्रालय

परिषद का अध्यक्ष है तथा उसी मंत्रालय का एक कर्मचारी दो विशेषज्ञ अथवा स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि अथवा विकलांग विज्ञान में सामाजिक कार्यकर्ता तथा संस्थान के निदेशक अन्य सदस्य हैं।

37.3.4 शासी परिषद के सामान्य नियंत्रण तथा निर्देशन के अधीन कार्यकारी परिषद संस्थान के प्रबंधन तथा प्रशासन के लिए जिम्मेवार थी। कार्यकारी परिषद के कर्तव्य तथा जिम्मेदारियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित है:-

(i) संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विस्तृत नीति निर्धारण करना;

(ii) बजट अनुमानों की समीक्षा तथा संस्वीकृति;

(iii) वित्तीय उप नियमों के अनुसार व्यय संस्वीकृत करना;

(iv) निधियों का निवेश;

(v) ऋण प्राप्ति तथा

(vi) पदों का सर्जन तथा कर्मचारियों की भर्ती एवं नियुक्ति/ प्रत्येक दिन के प्रशासन की देखभाल निदेशक द्वारा की जाती है।

37.3.5 शासी परिषद को, वार्षिक रिपोर्टों, लेखापरीक्षित लेखे तथा तुलन पत्र, अनुवर्ती वर्ष हेतु बजट प्रस्ताव इत्यादि पर विचार करने के लिए, नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष बैठक करना अपेक्षित है। यथानिर्धारित ऐसी बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई थीं। कार्यकारी परिषद को तीन मास में एक बार बैठक करनी आवश्यक थी, परन्तु वास्तव में यह 1982-83 से केवल सतरह बार आयोजित की गई

थी।

निदेशक का पद मई 1985 से सितम्बर 1987 तक रिक्त रहा था। निदेशक, समाज कल्याण विभाग ने नवम्बर 1986 तथा सितम्बर 1987 के दौरान संस्थान का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था।

37.4 विशिष्टताएं

- 1978 में पश्चिम बंगाल सरकार से ली गई भूमि तथा भवन के मूल्यांकन को अंतिम रूप नहीं दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप लेखों की न्यूनांकित हुई थी।
- उपभोग्य तथा गैर उपभोग्य दोनों चल परिसम्पत्तियों के स्टाक का मूल्य तुलन-पत्र में नहीं दर्शाया गया था।
- संस्थान में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रारंभ नहीं की गई है हालांकि उप-नियम इस का प्रावधान कराते है।
- 1984-85 से 1989-90 के दौरान भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, आर्थोटिक्स तथा प्रोसथेटिक्स पर लम्बी अवधि के पाठ्य क्रमों हेतु 360 विद्यार्थियों की क्षमता के प्रति, संस्थान ने केवल 180 विद्यार्थी नामांकित किए थे। केवल 20 भौतिक चिकित्सक, 20 व्यावसायिक चिकित्सक, 14 आर्थोटिक तथा प्रोसथेटिक तकनीशियन अब तक सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए (मार्च 1990)।
- मार्च 1990 तक संस्थान द्वारा शुरू की गई

22 अनुसंधान कार्यक्रमों/परियोजनाओं में से 10 कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए अनुसंधान पेपर प्रस्तुत किए गए थे जिन में से 8 जनरलों में प्रकाशित हुए थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए 9 अनुसंधान कार्यक्रम/परियोजना में से चार बंद हो गई थी।

- संस्थान से परामर्श ले रहे संगठनों, सरकारी विभागों सहित, की संख्या 1986-87 से सात से घट कर 1989-90 में 1 रह गई थी।
- पश्चिम बंगाल सरकार से अधिग्रहित किया गया हाइड्रोथ्रापी पूल तथा एक सहायक की सेवाओं को कभी भी उपयोग में नहीं लाया गया था।

37.5 वित्त एवं लेखे

37.5.1 संस्थान मुख्यतः अनुदानों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। राजस्व के अन्य स्रोत में अर्पित की गई सेवाओं से आय तथा दान और अंशदान सम्मिलित थे। संस्थान के बजट को इसे मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजने से पहले कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित करवाया जाना अपेक्षित है। परन्तु पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यकारी परिषद का अनुमोदन मंत्रालय को बजट भेज दिए जाने के बहुत समय के पश्चात लिया गया था क्योंकि कार्यकारी परिषद की बैठक आयोजित नहीं हुई थी।

37.5.2 31 मार्च 1990 को समाप्त हुए पांच वर्षों का सारांश निम्नानुसार है:
के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में प्राप्ति तथा व्यय

प्राप्तियां (लाख रु. में)					
वर्ष	अथ शेष	योजनागत	योजनेत्तर	अन्यस्रोत	योग
(ग)					
1985-86	30.68	-	9.36	2.04	42.08
(ग)					
1986-87	1.52	-	38.45	8.90	48.87
1987-88	6.63	15	48.31	0.51	70.45
(क)					
1988-89	2.67	38	63.00	5.68	109.35
(क)					
1989-90	15.97	34.04	55.76	12.55	118.32

भुगतान (लाख रु. में)							
वर्ष	बजट			वास्तविक			अंत शेष
	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग	
1985-86	15	40	55	7.70	32.86	40.56	1.52
1986-87	52.60	51.19	103.99	-	42.24	42.24	6.63
1987-88	53.35	58.60	111.95	20	47.78	67.78	2.67
(ख)							
1988-89	45.25	67.97	113.22	28.54	64.84	93.38	15.97
(ख)							
1989-90	73.00	77.63	150.63	31.76	82.46	114.22	4.10

(क) 1988-89 तथा 1989-90 वर्ष हेतु क्रमशः 3.36 लाख रुपये तथा 5.04 लाख रुपये के स.रा. अनुदान सम्मिलित हैं।

(ख) 1988-89 तथा 1989-90 हेतु क्रमशः 1.39 लाख रुपये तथा 2.10 लाख रुपये के स.रा. अनुदानों में से किया गया व्यय सम्मिलित है।

(ग) योजनागत तथा योजनेत्तर के बीच ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

परिसम्पत्तियां (भूमि व भवन की लागत के अलावा) तथा देयताएं निम्नानुसार थीं:-

(लाख रुपयों में)

देयताएं		परिसम्पत्तियां	
1. पूजागत निधि	124.00	1. प्रगति में सिविल	
2. भविष्य निधि	10.00	निर्माण कार्य	16.00
3. बकाया देयताएं	1.00	2. विद्युत प्रतिष्ठापन	8.00
		3. फर्नीचर एवं उपस्कर	15.00
		4. वाहन	4.00
		5. अन्य परिसम्पत्तियां	56.00
		6. अग्रिम	21.00
		7. निवेश	11.00
		8. अंत शेष	4.00
कुल	135.00		135.00

37.5.4 मार्च 1990 के अंत का तुलन पत्र, अंतिम रूप नहीं दिया गया था तथा हस्तांतरण विलेख परिसम्पत्तियों का सही मूल्य नहीं दर्शाता था क्योंकि का निष्पादन अभी किया जाना था (मार्च 1990)। धारित भूमि व भवन के मूल्य अलग कर दिए गए थे। संस्थान ने नवम्बर 1990 में बताया कि केन्द्रीय लोक संस्थान के स्वामित्व में भूमि व भवन वर्ष 1978 में प. निर्माण विभाग ने मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी बंगाल से स्थानांतरित हुए थे। केन्द्रीय लोक तथा इसे अगले वर्ष के लेखों में दर्शाया जाएगा। भूमि व निर्माण विभाग को मार्च 1987 में मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था। भूमि व भवन के मूल्यांकन को लेखों में दिखाई गई परिसम्पत्तियां कम बताई गई थीं।

37.5.5 भारतीय कृत्रिम अंग

स्टाफ उपलब्ध हो।

निर्माण निगम से

37.5.7 जैसा कि संस्थान के नियमों, विनियमों व उप-नियमों में वांछित है चारटर्ड लेखाकारों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा अभी आरंभ की जानी थी (मार्च 1990)।

खरीदे गए उपभोज्य तथा अनुपभोज्य दोनों जैसे अंग और दवाईयां तथा एक्स-रे फिल्में इत्यादि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में स्टॉक में रह जाने पर, लेखों से बाहर रखा गया था। इस स्टॉक के मूल्य को लेखों में तुलन पत्र के परिसम्पत्तियों की तरफ नहीं लिया गया था। वर्ष 1989-90 के दौरान इस प्रकार अलग रखा गया अंत शेष 21.93 लाख रुपये था। संस्थान ने सितम्बर 1990 में बताया कि स्टोर कीपर का कोई सहायक नहीं था इस लिए मूल्यांकन नहीं किया जा सका और तथापि यह कार्य अब आरंभ कर दिया गया था।

37.6. शैक्षिक पाठ्यक्रम

37.6.1 अस्थि विकलांगों को सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु, मानव शक्ति के विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संस्थान को, अध्यापकों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं तथा इस प्रकार के अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण आरंभ करने थे। जबकि संस्थान ने अप्रैल 1982 से स्वायत्त सत्ता के रूप में कार्य आरंभ कर दिया था, शैक्षिक गतिविधियां केवल 1984-85 से ही शुरू हुई थीं। संस्थान ने बताया कि 1982-84 की अवधि निर्माणात्मक अवस्था से संबंधित थी और अपर्याप्त अवस्थापना के कारण इस अवधि के दौरान, गतिविधियां, मुख्यतः संस्थान के अस्पताल में रोगियों की चिकित्सा तक ही सीमित थी।

37.5.6 परिसम्पत्ति रजिस्टर और व्यय नियंत्रण रजिस्टर जैसों सहित कुछ जरूरी रजिस्टर संस्थान द्वारा, इसकी स्थापना से ही नहीं बनाये गए थे, जैसा कि उपनियमों के अंतर्गत बनाया जाना अनिवार्य था। यद्यपि गलती को लेखापरीक्षा द्वारा 1983-84 में इंगित किया गया था फिर भी लेखों में समायोजन की प्रविष्टियों के लिए 'जरनल' अभी बनाया जाना था। संस्थान ने बताया (सितम्बर 1990) कि रजिस्ट्रों को शुरू करने के लिए कदम उठाये गए हैं बशर्ते की

37.6.2 मार्च 1990 को समाप्त हुए पांच वर्षों के दौरान दिए गए पाठ्यक्रम, अवधि, प्रशिक्षित छात्रों की संख्या और पूर्ण रूप से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या इस प्रकार थी:-

लंबी अवधि के पाठ्यक्रम

अल्पावधि के पाठ्यक्रम

3 वर्षीय	3 वर्षीय	आर्थोटिक्स	भौतिक	व्यावसायिक	बहुउद्देश्यीय	अन्य
बी एस	बी एस	तथा प्रोस्थे-	चिकित्सा	चिकित्सा	पुनर्वास	
सी	सी	टिक्स में	पाठ्यक्रम में 2		सहायता में	
भौतिक	व्यावसा-	दो वर्षीय	में 2	वर्षीय	9 माह का	
चिकित्सा	यिक	डिप्लोमा	वर्षीय	डिप्लोमा	प्रमाणपत्र	
	चिकित्सा		डिप्लोमा			
प्रवेश पाने	प्रवेश पाने	प्रवेश पाने		प्रवेश पाने	प्रवेश पाने	
वाले	वाले	वाले		वाले एवं	वाले एवं	
छात्रों की	छात्रों की	छात्रों की		उत्तीर्ण	प्रशिक्षित	
संख्या	संख्या	संख्या		छात्रों की सं.	छात्रों की सं	
उत्तीर्ण	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण	प्रवेश पाने वाले			
छात्रों	छात्रों	छात्रों	छात्रों की			
की सं.	की सं.	की सं.	संख्या			

1984-85	20/20	20/20	20/14	-	20	-
1985-86	-	-	-	-	-	-
1986-87	-	-	-	-	-	-
1987-88	-	-	-	-	14	18
1988-89	-	-	20	20	20	-
1989-90	-	-	20	20	20	-

1985-86 से 1987-88 के दौरान पाठ्यक्रमों के साढ़ेतीनसाल के डिग्री व 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए कोई प्रवेश नहीं था क्योंकि जादवपुर कलकत्ता विश्वविद्यालय से 3 साल की अवधि के लिए विश्वविद्यालय, जिसने एक वर्ष के लिए पाठ्यक्रमों हेतु मान्यता प्राप्त करने में सफल हुआ था। वर्ष 1984-85 की मान्यता दी थी, ने मान्यता का नवीकरण नहीं किया में पहले प्रारम्भ किये गए और बाद में छोड़ दिये गए और संस्थान केवल 1990-91 के शैक्षिक सत्र के लिए आर्थोटिक्स तथा प्रोस्थेटिक्स के 2 वर्षीय डिप्लोमा को

पुनारंभ करनेके अतिरिक्त, संस्थान ने 1988-89 में डिग्री पाठ्यक्रमों की तरह ही उसी विषय में 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किये । यह बताया गया कि जिन छात्रों ने इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है को भारत सरकार के कल्याण विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के अपने प्रमाण पत्र प्रदान किए जायेंगे । यदि यह पाठ्यक्रम 1985-86 में आरंभ किए जाए अब तक (मार्च 1990) 120 और प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो जाते । इस प्रकार 360 व्यक्तियों, जिनके लिए संस्थान के पास लम्बी अवधि के पाठ्यक्रम की क्षमता थी में से वास्तव में केवल 180 प्रशिक्षणार्थी भर्ती किए गए थे । बताए गए उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य अल्प अवधि पाठ्यक्रम चलाए नहीं गए थे ।

37.6.3 संस्थान द्वारा 100 रुपए प्रति माह प्रति छात्र की छात्रवृत्ति वहन की गई थी और छात्रों से कोई अन्य फीस नहीं ली जा रही थी । इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो, चुने हुए अभ्यर्थियों को कम से कम तीन साल तक सरकारी सेवा करने का बंध पत्र भरना अपेक्षित होता था । संस्थान में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण

वर्ष प्रारंभ की गई प्रस्तुत किए प्रस्तुत न किए अनुसंधान गए अनुसंधान अनुसंधान योजनाओं की पेपरो की पेपरो की संख्या संख्या संख्या

31.3.85

से पहले

13

8

5

शून्य

शून्य

8

हुए 54 छात्रों में से केवल 6 को संस्थान ने नौकरी दी ।

37.7 अनुसंधान

37.7.1 संस्थान के उद्देश्यों से एक, अस्थिर विकलांगों के पुनर्वास और शिक्षा के सभी पहलुओं में अनुसंधान के संचालित/प्रायोजित, समन्वित करना या आर्थिक सहायता देना है । मार्च 1990 के अंत तक संस्थान द्वारा 22 अनुसंधान कार्यक्रम और योजनाएं-13 1985 से पहले और नौ 31 मार्च 1985 के बाद, प्रारंभ की गई थीं । इनमें अन्य बातों के साथ साथ, भारत में विकलांगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना सम्मिलित था । अनुसंधान योजना के लिए विषय निदेशक द्वारा चुने जाते हैं और निदेशक, उपनिदेशक (तकनीकी) और संस्थान के सम्बद्ध विभागों के मुख्यों से समाविष्ट अनुसंधान सलाहकार द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं ।

37.7.2 1985-90 की समीक्षा की अवधि के दौरान प्रारंभ की गई अनुसंधान योजनाओं की संख्या निम्न प्रकार थी:-

परित्यक्त मूल्यांकन	पत्रिकाओं
अनुसंधान समिति	में
योजनाओं द्वारा	प्रकाशित
की संवीक्षा	अनुसंधान
किए गए पेपर की सं. पेपरो की संख्या	

1985-86

से

1989-90 9 2 3 4 शून्य शून्य

31 मार्च 1985 से पहले प्रारंभ किए गए और बंद कर देने के कारण कर्मचारियों की कमी पर आरोपित तैरह पूर्ण हुए सूचित किए गए कार्यक्रमों में से केवल थे। संस्थान परित्यक्त कार्यक्रमों पर हुए व्यय को प्रस्तुत आठ अनुसंधान हेतु पेपर प्रस्तुत किए गए थे। तथापि नहीं कर सका क्योंकि योजनावार लेखे नहीं रखे गए थे।

1985-86 से आरंभ होने वाली सातवीं पंचवर्षीय 37.8 परामर्श

योजना के दौरान प्रारंभ की गई 9 योजनाओं में से 37.8.1 निम्नलिखित तालिका संगठनों/सरकारी चार परित्यक्त हो गई थीं और केवल दो पूर्ण हुई थीं। विभागों, जिन्होंने संस्थान से परामर्श सेवा मांगी, की

1985-86 और 1989-90 के बीच चार कार्यक्रमों संख्या प्रस्तुत करती है:-

वर्ष	स्वयं सेवी संगठन	सरकारी विभाग	विश्वविद्यालय/शिक्षा संस्थाएं
1985-86	2	-	1
1986-87	4	2	1
1987-88	3	1	1
1988-89	2	1	-
1989-90	1	-	-

परामर्श सेवाएं चाहने वाले संगठनों की संख्या थी।

वर्षानुवर्ष कम होती गई। संस्थान ने सितम्बर 1990 में 37.9 जलचिकित्सा तालाब

बताया कि अवस्थापना पूर्ण सज्जित थी और परामर्श 37.9.1 विशेष प्रकार की चिकित्सा के लिए सेवाओं में कमियों के कारणों की जांच की जा रही पश्चिम बंगाल सरकार से 1978 में प्राप्त किया जल

चिकित्सा तालाब अप्रयोज्य पड़ा रहा और बेकार हो गया था। एक जल चिकित्सा परिचारक भी भर्ती किया गया था और 31 मार्च 1990 को समाप्त हुए पांच वर्षों के दौरान उसके बेतन इत्यादि के लिए 0.68 लाख रुपए की राशि व्यय की गयी थी।

संस्थान ने सितम्बर 1990 में बताया कि तालाब को आरंभ करने के लिए पहले ही कदम उठाये जा चुके थे।

समीक्षा मंत्रालय को अगस्त, 1990 में भेजी गई थी; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मई 1991)।

श्रम मंत्रालय

(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

38. अस्पताल भवन का निर्माण

पश्चिमी बंगाल सरकार ने ठाकुरपुकुर में 116 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम (निगम) के अस्पताल की स्थापना के लिए फरवरी 1965 में 23.99 एकड़ माप की भूमि पर अधिकार प्राप्त किया, तथा तदनुसार अप्रैल 1965 में निगम को सूचित किया। फरवरी 1972 में निगम ने भूमि की लागत के लिए राज्य सरकार को 5.62 लाख रुपए का भुगतान किया।

(क) अस्पताल भवन: दिसम्बर 1969 में प्राप्त, 1.08 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 116 बिस्तरों वाले सामान्य अस्पताल के निर्माण हेतु राज्य सरकार का प्रस्ताव, निगम द्वारा वित्तीय प्रतिबंधों के

कारण अनुमोदित नहीं किया गया था (जनवरी 1970)। जुलाई 1970 में, राज्य सरकार ने 1.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कर्मचारी क्वार्टरों सहित 250 बिस्तरों वाले (क्ष रो) अस्पताल के निर्माण के लिए अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि मई 1973 में निगम द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। कार्य निष्पादन के लिए कोई समय सूची नहीं बनाई गई थी; तथापि निगम ने सितम्बर 1974 में निर्माण की लागत के प्रति 10 लाख रुपए प्रथम किस्त के रूप में जारी कर दिए। कार्य आरंभ नहीं किया गया और सितम्बर 1976 में 9.67 लाख रुपये की राशि मानिकटला अस्पताल के लिए अपवर्तित कर दी गई। 0.33 लाख रुपए के व्यय का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

मार्च 1976 में, निगम ने 24 परगना जिले में विभिन्न क रा वी अस्पतालों के उपयोग व क्षमता की विस्तृत समीक्षा की, तथा अन्य बातों के साथ-साथ यह निश्चय किया कि ठाकुरपुकुर के 250 बिस्तरों (क्ष रो) के प्रस्तावित अस्पताल को सामान्य अस्पताल में परिवर्तित कर दिया जाए, तदनुसार राज्य सरकार ने फरवरी 1978 में 250 बिस्तरों वाले अस्पताल और कर्मचारी क्वार्टरों के लिए 2.95 करोड़ रुपए के अनुमान दिए। ये अनुमान निगम द्वारा दिए गए मानदंडों के अनुरूप नहीं पाये गए और निगम द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए। अनुमान मई 1981 में 300 बिस्तरों वाले सामान्य अस्पताल, कर्मचारी क्वार्टरों और नर्सों के होस्टल हेतु 5.98 करोड़ रुपए के लिए संशोधित

किए गए जो कि निगम द्वारा मार्च 1982 में अनुमोदित कर दिए गए। कार्य लोक निर्माण (निर्माण बोर्ड) निदेशालय कलकत्ता द्वारा निष्पादित किया जाना था। कार्य अप्रैल 1983 में आरंभ किया गया था और अप्रैल 1987 तक पूरा किया जाना था। तथापि, मार्च 1990 तक केवल कार्य की केवल 58 प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रगति प्राप्त की गई थी। इसी दौरान दिसम्बर 1989 में अनुमान 12.74 करोड़ रुपये तक संशोधित किए गए थे और निगम द्वारा 12.63 करोड़ रुपए के लिए अनुमोदित किए गए थे। लागत में वृद्धि को अतिरिक्त/प्रतिस्थापित निर्माण कार्य (316 लाख रुपए) के प्रावधान और लागत वृद्धि (349.67 लाख रुपये) पर आरोपित किया गया था। अब कार्य के संशोधित अनुमानों की संस्वीकृति के 18 महीनों अर्थात् जून 1992 तक पूर्ण होने की संभावना थी।

(ख) भूमि भराव: फरवरी 1965 में अधिकार में ली गई भूमि का न तो निगम द्वारा सर्वेक्षण/अवलोकन किया गया था और न ही राज्य सरकार ने निगम को इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में सूचित किया था। मई 1973 में निगम द्वारा 250 बिस्तरों वाले सामान्य अस्पताल के निर्माण के लिए अनुमोदित अनुमानों में 1.2 मीटर भूमि की भराई लागत के प्रति 2.83 लाख रुपए की राशि भी सम्मिलित थी जो कि फरवरी 1978 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 250 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के अनुमानों में 8.76 लाख रुपए तक बढ़ गई थी। जून 1982 में, राज्य सरकार ने बताया कि क्योंकि भूमि का तल (अनुमानतः 1.6

मीटर) सड़क तल से नीचे होने के कारण इसको ऊपर उठाने की आवश्यकता थी और कार्य के लिए अलग से 37.78 लाख रुपये के अनुमान प्रस्तुत किए जो कि सितम्बर 1982 में अनुमोदित कर दिए गए। अनुमान जून 1983 में 41.72 लाख रुपए के लिए संशोधित किए गए थे जोकि निगम द्वारा अगस्त 1983 में संस्वीकृत कर दिए गए थे। निगम ने भराई की लागत में वृद्धि को औसत भराई की गहराई का मूलतः 1.2 मीटर से 1.6 मीटर बढ़ाना और भराई सामग्री का साधारण मिट्टी से राख, रेत और पत्थरों के मिश्रण के लिए विनिर्देशों में परिवर्तन पर आरोपित किया। नवम्बर 1989 तक निगम द्वारा 40 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी थी जिसके प्रति जून 1990 तक 39.71 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त अहाता दीवार के निर्माण के मामले में मिट्टी भराई पर 1.92 लाख रुपये का व्यय किया गया था। निगम ने दिसम्बर 1990 में बताया कि निर्माण की प्रगति के साथ ही साथ भूमि भराई भी की जा रही थी।

(ग) अहाता दीवार का निर्माण :- 250 बिस्तरों वाले क्षय रोग अस्पताल के लिए प्रस्तावित अप्रैल 1973 के मूल अनुमान में जोकि निगम द्वारा अनुमोदित कर दिए गए थे में निर्धारित स्थल पर अहाता दीवार के निर्माण के लिए 2.44 लाख रुपये का प्रावधान सम्मिलित था। यद्यपि सितम्बर 1974 में निगम ने 10 लाख रुपए जारी कर दिए थे, अहाता दीवार पर कोई कार्य आरंभ नहीं हुआ था। अहाता दीवार के लिए

फरवरी 1978 में अनुमान 2.86 लाख रुपए के लिए संशोधित किए गए थे। मार्च 1979 में, राज्य सरकार ने, भूमि का अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने से बचाने के लिए परिसर दीवार की बाहरी परिधि के साथ-साथ मिट्टी के तटबंध के प्रावधान सहित परिसर दीवार के निर्माण के लिए 4.58 लाख रुपए के अलग अनुमान प्रस्तुत किए। अनुमान निगम द्वारा मार्च 1979 में अनुमोदित किए गए थे और कार्य मार्च 1979 में आरंभ हुआ था। अनुमान 7.44 लाख रुपए के लिए सितम्बर 1980 में संशोधित किए गए थे जिनमें परिसर दीवार के लिए अतिरिक्त सहारे हेतु पुस्ता दीवार का प्रावधान सम्मिलित था। अगस्त 1981 में, यहां तक कि पुस्ता दीवार को छोड़ने के बाद, जोकि पहले अनिवार्य समझा गया था परन्तु अब अनिवार्य नहीं समझा गया था, अनुमानों को पुनः 9.48 लाख रुपये के लिए संशोधित किया गया था। परिसर दीवार के निर्माण का कार्य 9.50 लाख रुपए की लागत पर पूरा हुआ था जिसमें भूमि भराई के लिए 1.92 लाख रुपए भी सम्मिलित थे।

इस प्रकार परिसर दीवार निर्माण कार्य को, जो कि प्राथमिक मद थी के आरंभ करने में विलम्ब करने के कारण, मई 1973 में अनुमानित 2.44 लाख रुपये की निर्माण लागत की तुलना में 5.14 लाख रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ...

निम्नलिखित मुख्य प्रसंग प्रकट होते हैं:

(i) अस्पताल, जिसके लिए फरवरी 1965 में भूमि अधिग्रहित की गई थी, 25 वर्षों के बाद तक भी पूरा

नहीं हुआ था। राज्य सरकार/निगम ने फरवरी 1965 में अधिग्रहीत भूमि पर स्थापित किए जाने वाले अस्पताल के प्रकार के निर्णय लेने में 12 वर्ष से अधिक लिए। कार्य की प्रगति भी धीमी थी। निर्णय लेने में असाधारण विलम्ब के फलस्वरूप चहुंमुखी लागत वृद्धि हुई। मार्च 1982 में अनुमोदित किए गए अनुमान अपूर्ण और दोषपूर्ण थे और उसमें विभिन्न अनिवार्य मदों का प्रावधान नहीं था, कार्य की असाधारण देरी के कारण ये अनुमान भी 349.67 लाख रुपए तक बढ़ गए थे। प्रारंभिक संस्वीकृति के 17 वर्षों के अन्तराल के पश्चात् अभी कार्य पूरा होना था। इसके परिणामस्वरूप लाभ भोगियों को अभीष्ट चिकित्सा लाभों से वंचित होना पड़ा

(ii) निगम ने, भूमि का सर्वेक्षण/मिट्टी की स्थिति का पता नहीं लगाया; भूमि भराई के अनुमान, मूल रूप से विचारे गये 2.83 लाख रुपए के मूल अनुमानों की तुलना के प्रति (परिसर दीवार के निर्माण पर 1.92 लाख रुपये के व्यय को सम्मिलित करते हुए) अंतिम अनुमान 43.64 लाख रुपए के अनुमोदित किए गये थे।

(iii) समय पर कार्यवाही करने में विलम्ब के कारण परिसर दीवार के निर्माण पर निगम ने 5.14 लाख रुपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया।

मंत्रालय ने अक्टूबर 1990 में बताया, कि राज्य सरकार लगातार अस्पताल के प्रकार और इसके बिस्तारों की क्षमता के संबंध में अपने निश्चय को बदलती रही जिसके कारण देरी हुई और राज्य सरकार राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के

प्रावधानों को लागू करवाने के लिए संवैधानिक प्राधिकरण थी, और यह निगम के लिए अनिवार्य था कि वह जहां तक संभव हो सके राज्य सरकार के सुझावों/अनुरोधों को मान दे। मंत्रालय ने यह स्वीकार किया कि अस्पताल के निर्माण में 349.67 लाख रुपए की वृद्धि 1983-90 के बीच निर्माण अवधि में लागत वृद्धि के कारण थी। मंत्रालय के अनुसार मई 1973 में निगम द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना हेतु अनुमानों में सम्मिलित 2.83 लाख रुपए के भूमि भराई के प्रावधान अत्यंत अपर्याप्त थे और स्थल की स्थिति की वास्तविक मांग पर आधारित नहीं थे और अगस्त 1983 में अनुमोदित 41.72 लाख रुपए के अनुमान वास्तविक स्थल स्थिति के आधार पर थे। परिसर दीवार की निर्माण की लागत में वृद्धि के लिए प्राप्त/स्वीकृति निविदाओं की उच्च प्रतिशतता, विभाग द्वारा जारी की गई सामग्री की मूल दरों में वृद्धि और मूल अनुमानों में निर्माण कार्य के मूल्य के कम आंके जाने को जिम्मेवार ठहराया गया था।

39. अस्पताल को चालू करने में विलम्ब

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (निगम) ने 7.80 लाख रुपये की लागत से बड़ोदरा में 100 बिस्तरों वाले क्ष.रो. अस्पताल तथा कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण के लिए फरवरी 1982 में 5 एकड़ तथा 31 गंठा माप की भूमि का एक भूखंड अर्जित किया निगम द्वारा 32.72 लाख रुपये तथा 4.20 लाख रुपये के लिए अस्पताल भवन तथा अहाता दीवार के निर्माण के

लिए अनुमान क्रमशः मार्च तथा मई 1983 में अनुमोदित किए गए थे। निर्माण कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) द्वारा निष्पादित किए जाने थे। निगम ने मई 1984 से जून 1986 के दौरान राज्य लो नि वि को 34.20 लाख रुपये जारी किए, तथा निर्माण कार्य जो कि फरवरी तथा जुलाई 1984 में प्रारंभ किए थे, नवम्बर 1986 में पूरे किए गए थे।

अस्पताल के अहाते में एक गहरे ट्यूब वेल की संस्वीकृति दी गई थी तथा जून 1987 में राज्य लो नि वि को 1.47 लाख रुपये जारी किए थे, क्योंकि मार्च 1987 में यह अवलोकित किया गया था कि बड़ोदा नगर निगम से जलापूर्ति पर्याप्त नहीं थी।

मूल रूप से प्रावधान न किए गए 0.65 लाख रुपये के भंडार, रसोई, शौचालय तथा स्नानगृहों में कुछ आवश्यक मदों के लिए अनुमान अप्रैल 1987 में निगम के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, परन्तु निगम द्वारा सहमति नहीं दी गई थी। जुलाई 1988 में प्रस्ताव को पुनः लाया गया था तथा दिसम्बर 1988 में संस्वीकृत किया गया था तथा लो नि वि को 0.62 लाख रुपये फरवरी 1989 में दिए गए थे, क्योंकि राज्य सरकार ने अस्पताल को लेने से पूर्व इन मदों के प्रावधान पर जोर दिया था।

लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि यद्यपि, अस्पताल भवन का निर्माण नवम्बर 1986 में पूरा हो चुका था, निगम ने इसका कब्जा अक्टूबर 1988 में ही लिया था। चालू अस्पताल अगस्त 1989 में तथा संचालित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप

न केवल निवेश निष्क्रिय रहा अपितु औद्योगिक मजदूरों को तीन वर्षों के लिए अभिप्रेत सुविधाओं से वंचित भी रहना पड़ा था।

निगम ने नवम्बर 1989 में बताया कि नवम्बर 1986 में भवन पूरा हो जाने के बाद राज्य सरकार को जनवरी 1987 में अस्पताल चालू करने के लिए भवन के लेने के लिए अनुरोध किया गया, परन्तु राज्य सरकार ने समय लिया। उत्तर युक्ति संगत नहीं है क्योंकि यद्यपि भवन नवम्बर 1986 में पूरा हो गया था, जल आपूर्ति के लिए ट्यूब वेल मार्च 1987 में संस्वीकृत किया गया था तथा कतिपय महत्वपूर्ण मटे केवल दिसम्बर 1988 में ही संस्वीकृत की गई थी। मंत्रालय ने अक्टूबर 1990 में बताया कि 1987 गुजरात राज्य में सूखा वर्ष था तथा राज्य सरकार नये अस्पताल को चालू करने के लिए निधियों को बचा रखने की स्थिति में नहीं थी। राज्य सरकार ने का.रा.बी.नि को मई 1988 में सूचित किया था कि यथा संभव शीघ्र अस्पताल चाले करने के लिए, इसने 1987-88 के लिए राज्य बजट में अस्पताल के लिए बजट प्रावधान किया है तथा सितम्बर 1987 में आवश्यक अनुदेश भी जारी किए थे कि उपस्करों के पुर्जे खरीद लिए गये थे तथा शेष बचे हुए के लिए पूरे जोर से कार्यवाही की जा रही थी। राज्य सरकार ने यह भी अवलोकित किया कि था कि अस्पताल भवन अभी भी अपूर्ण था।

64.49 लाख रुपये की लागत से कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण के लिए अनुमान निगम द्वारा अप्रैल

1986 में अनुमोदित किए गए थे तथा लो.नि.वि.को अक्टूबर 1986 में (5 लाख रुपये) तथा मार्च 1989 में (10 लाख रुपये) 15 लाख रुपये दिए गए थे। जनवरी 1990 में निगम द्वारा घटी हुई मांग को ध्यान में रखते हुए क्वार्टरों की संख्या के संबंध में पुनः विचार करने के उद्देश्य से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। निगम ने अगस्त 1990 में बताया कि गुजरात राज्य में फालतू क्वार्टरों को ध्यान में रखते हुए अब कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव छोड़ दिया गया था तथा लो.नि.वि.से 15 लाख रुपये वापिस करने का अनुरोध किया जा रहा था।

15 लाख रुपये तक की निधियां अवरुद्ध रहीं (अक्टूबर 1986 से 5 लाख रुपये तथा मार्च 1989 से 10 लाख रुपये) तथा परिणामस्वरूप अक्टूबर 1986 से दिसम्बर 1990 की अवधि के दौरान 4.60 लाख रुपये की राशि के ब्याज की भी हानि हुई। मंत्रालय ने अक्टूबर 1990 में बताया कि लो.नि.वि.से 15 लाख रुपये वसूलने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद

40. भवन निर्माण

केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद नई दिल्ली (परिषद) की एक इकाई, केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान संस्थान (संस्थान), हैदराबाद, 1971 से कुल 3652 रुपये प्रति माह के कुल किराये

पर लिए गए तीन भवनों में अवस्थित थी। आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 1981/जुलाई 1982 में हैदराबाद में संस्थान के भवन के निर्माण हेतु, परिषद को पांच एकड़ भूमि आबंटित की गई थी।

परिषद ने सितम्बर 1982 में हैदराबाद में मुख्य भवन तथा 13 स्टाफ क्वार्टरों वाले भवन के चरण-1 का निर्माण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) को सौंपा। के.लो.नि.वि. ने अक्टूबर 1983 में 100.11 लाख रुपये के प्रारंभिक अनुमान प्रस्तुत किए, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेतृत्व वाली परिषद की शासी निकाय द्वारा फरवरी 1984 में अनुमोदित किए गए थे।

(i) स्टाफ क्वार्टर: सात स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण अगस्त 1984 में तथा शेष छः स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण सितम्बर 1984 में प्रारंभ किया गया था। ये क्वार्टर दिसम्बर 1985 तक पूरे हुए बताए गए थे, लेकिन जल एवं विद्युत आपूर्ति कनेक्शनों की अनुपलब्धता के कारण इन क्वार्टरों को ग्रहण करने में विलम्ब था। विद्युत कनेक्शन फरवरी 1987 में मुहैया कराया गया था तथा तीन क्वार्टर प्रत्येक अगस्त 1987, अक्टूबर 1988, तथा जुलाई 1987 में ग्रहण किए गए थे। शेष 10 क्वार्टर जनवरी 1990 में ही ग्रहण किए गए थे तथा अप्रैल-जून 1990 में परिषद ने कर्मचारियों को आबंटित किए गये थे। नियमित जलापूर्ति, जल आपूर्ति मण्डल हैदराबाद को मई 1987 में 2.22 लाख रुपये के भुगतान के बावजूद, अप्रैल 1990 तक संस्थान को मुहैया नहीं करायी गई थी।

(ii) मुख्य भवन: मुख्य भवन का निर्माण कार्य सितम्बर 1985 में प्रारंभ किया गया तथा मार्च 1987 तक पूरा होना था। भवन सितम्बर 1987 में पूरा हुआ लेकिन वास्तव में परिषद को मार्च 1990 में ही सौंपा गया था। विलम्ब मंत्रालय द्वारा अनुषंगी सुविधाएं जैसे पहुंच-मार्ग, जल आपूर्ति, विद्युत कनेक्शन, मलजल व्यवस्था आदि जो के.लो.नि.वि. द्वारा मुहैया करायी जानी थीं, की अनुपलब्धता पर आरोपित किया गया था (जनवरी 1991)।

मुख्य भवन तथा 13 स्टाफ क्वार्टर 143.96 लाख रुपये की अंतिम लागत पर पूर्ण हुए थे परिणामस्वरूप संस्वीकृत राशि से 43.85 लाख रुपये की कुल अतिरिक्त लागत हुई। इसमें से 31.83 लाख रुपये की वृद्धि कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन अर्थात्, 4201 वर्ग मीटर से 4580 वर्ग मीटर कुरसी क्षेत्र में वृद्धि, सामने की दीवार पर संगमरमर की परत लगाने, दिखावटी छत, चमकदार टाइलें, सिन्टेक्स पानी की टंकी, इत्यादि जैसी अतिरिक्त एवं बढ़िया मदों के निष्पादन के कारण थी। कार्य क्षेत्र में परिवर्तनों तथा अतिरिक्त व्यय जो अनियमित था के लिए सक्षम प्राधिकारी का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। लागतों में शेष वृद्धि बढ़े लागत सूचकांक तथा सामग्रियों तथा श्रम मूल्य में वृद्धि के लिए ठेकेदारों को भुगतान के कारण थी। यह 19 माह के निर्माण कार्य के प्रदान कार्य में विलम्ब पर आरोप्य था।

परिषद द्वारा किराये पर लिए गए तीन भवन सितम्बर 1989 (एक भवन) तथा मार्च 1990 (दो

भवन) में खाली किए गए थे। परिषद की निधियां स्टाफ क्वार्टर (कुल व्यय लगभग 12.66 लाख रुपये) के मामले में 19 से 48 माह तथा कार्यालय भवन (कुल व्यय लगभग 131.30 लाख रुपये) के मामले में 30 महीनों के लिए अवरुद्ध रही।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

41. लिथोट्रिप्टर मशीन की खरीद

लिथोट्रिप्टर एक अतिरिक्त-शारीरिक संघात तरंग उपकरण है, जो मूत्रीय मार्ग में पत्थरियों को स्फोट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ताकि पत्थरियां सामान्य मूत्रीय मार्ग के द्वारा बाहर निकल सकें। इस उपकरण से उपचार के मामले में अधिकतर रोगियों अर्थात् 90 प्रतिशत के मामले में हस्पताल में दाखिल होना आवश्यक नहीं है तथा केवल 10 प्रतिशत को दाखिल होने की आवश्यकता है।

लिथोट्रिप्टर उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (अ.भा.आ.सं.) ने मार्च 1988 में 2.03 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक लिथोट्रिप्टर मशीन की खरीद का अनुमोदन किया। अगस्त 1987 में आमंत्रित विश्व भर से निविदाओं के प्रत्युत्तर में, अ.भा.आ.सं. ने छः फर्मों से उद्धरण प्राप्त किये, जिनमें से "क" तथा "ख" दो विदेशी फर्मों के प्रस्ताव, तकनीकी रूपसे उपयुक्त पाये गये थे। अ.भा.आ.सं. ने अगस्त 1988 में विदेशी आपूर्तिकर्ता "क" के साथ एक अनुबंध

किया, जिसका प्रस्ताव मशीन की आपूर्ति के लिए दो में से न्यूनतम आंका गया था तथा मशीन 192.76 लाख रु. (निशुल्क विदेशी मुद्रा में 172.25 लाख रु. तथा भारतीय एजेंट के कमीशन के रूप में 18.97 लाख रु.) की कुल लागत में सितम्बर 1988 में प्राप्त की गई थी।

भारतीय एजेंट का कमीशन उपकरण के पो.प. नि. मूल्य का 11 प्रतिशत बनता था। अन्य तकनीकी रूपसे स्वीकार्य निविदादाता "ख" द्वारा उद्धृत एजेंसी कमीशन उपकरण के पो.प. नि. मूल्य का केवल 5.2 प्रतिशत (9.92 लाख रु.) बनता था। इस प्रकार से, अ.भा.आ.सं. द्वारा आपूर्तिकर्ता को दिया गया कमीशन प्रत्यक्षतः अत्यधिक था। अ.भा.आ.सं. ने कटौती प्राप्त करने के उद्देश्य से एजेंसी कमीशन के लिए बातचीत नहीं की थी। मंत्रालय ने दिसम्बर 1990 में बताया कि प्रदान किया गया एजेंसी कमीशन गो.ब.पन्त अस्पताल, नई दिल्ली के लिए उपस्कर की खरीद के लिए (मार्च 1989 में जारी नि.स्वी.) महा-निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान द्वारा उसी फर्म को दिये गये कमीशन के समतुल्य था तथा मई 1988 में अधिप्राप्त उसी उपस्कर के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा दिये गये कमीशन से कम था। तथापि, यह अवलोकित किया गया था कि महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान द्वारा लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली (नि./स्वी.को जून 1989 में जारी किया गया) के लिए उसी फर्म से उसी उपस्कर की खरीद

के लिए दिया गया एजेंसी कमीशन उपस्कर के पो.प. नि. मूल्य का केवल 7.5 प्रतिशत बना था ।

मशीन के संस्थापन के लिए सिविल निर्माण कार्यों के लिए कार्य आदेश विदेशी आपूर्तिकर्ता के भारतीय एजेंट को सितम्बर 1988 में जारी किया गया था तथा निर्माण कार्य जो कि अक्टूबर 1988 में प्रारम्भ हुए थे, 3.04 लाख रु. की लागत से, दिसम्बर 1988 में पूरा होने की निर्धारित तारीख के प्रति मार्च 1989 में पूरे हुए थे । मंत्रालय ने दिसम्बर 1990 में बताया कि ठेकेदार के अंतिम बिल का अभी भुगतान नहीं किया गया था तथा पूरा करने में विलम्ब के लिए समय की वृद्धि के लिए ठेकेदार के मामले की जांच की जायेगी तथा बिल को अंतिम रूप दिये जाने से पहले गुण-दोष के आधार पर उस पर निर्णय किया जायेगा ।

मशीन के संचालन के लिए आवश्यक अतिरिक्त वातानुकूलन कार्य अप्रैल से जुलाई 1989 के दौरान 2.70 लाख रु. की लागत पर प्रारम्भ किया गया था । अन्ततः मशीन, जुलाई 1989 में ही चालू की गई थी । इस प्रकार से, अग्रिम प्रारम्भिक कार्यवाही सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप मशीन सात महीने बेकार पड़ी रही । अगस्त 1989 से मार्च 1990 तक, अनुग्रहपूर्वक उपचार किये जाने वाले 42 रोगियों के प्रति उपचार किये गये रोगियों की औसत संख्या 12 प्रति मास थी । अ.भा.आ.सं. ने उपचार प्रदान किये गये रोगियों की संख्या में कमी कर्मचारियों की अनुपलब्धता पर आरोपित की थी । लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया था कि अतिरिक्त कर्मचारियों के

लिए विस्तृत प्रस्ताव सितम्बर 1987 में प्रारम्भ किये गये थे, परन्तु अतिरिक्त कर्मचारी अभी तक संस्वीकृत नहीं हुए थे (दिसम्बर 1990) । मंत्रालय ने दिसम्बर 1990 में बताया कि अतिरिक्त आवश्यक कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव जांच के अधीन था ।

अ.भा.आ.सं. ने अक्टूबर 1989 में प्रति मामला 7,000 रु. की दर से लिथोट्रिप्सी के प्रभार के उद्ग्रहण का अनुमोदन किया, जिसमें संघात तरंगों की लागत तथा इसके अनुरक्षण, प्रत्येक के लिए 3,500 रु. समाविष्ट थे । अ.भा.आ.सं. मशीन के कम उपयोग के कारण प्रति माह 1.05 लाख रु. के राजस्व की हानि उठाता रहा (दिसम्बर 1990) ।

इस प्रकार से, मशीन के संस्थापन, आवास के वातानुकूलन तथा स्टाफ की तैनाती के लिए अग्रिम प्रारम्भिक कार्यवाही करने में अ.भा.आ.सं. की ओर से विफलता के परिणामस्वरूप अति आवश्यक सुविधा के लाभों से रोगी वंचित रहे तथा सात महीनों के लिए निधियों का परिहार्य विपथन हुआ और 1.05 लाख रु. प्रतिमाह के राजस्व की निरंतर हानि होती रही ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय/

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

चिकित्सा शास्त्र विश्वविद्यालय, कॉलेज

42. चलते फिरते वाहनों का उपयोग न किया जाना

1982-83 वर्ष के लिए भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ सरकार (सिविल) के

प्रतिवेदन में, चिकित्सा प्रभाग को सुविज्ञता तथा मार्गदर्शन के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के तीव्रीकरण के लिए चिकित्सा शिक्षा के पुनः विन्यास (चि.शि.पु.) की योजना के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आबंटित चलते फिरते वाहनों के कम उपयोग के विषय में जिक्र किया गया था। मंत्रालय ने जून 1985 में बताया कि वाहनों के यथा संभव उपयोग को बढ़ाने के लिए कार्यवाही अग्रसर थी।

लेखापरीक्षा की आगे जांच ने दर्शाया कि जुलाई से नवम्बर 1980 के दौरान चिकित्सा शास्त्र विश्वविद्यालय के महाविद्यालय नई दिल्ली (महाविद्यालय) द्वारा प्राप्त किए गए तीन वाहन (लागत 38.85 लाख रुपये) महाविद्यालय द्वारा लम्बे समय से प्रयोग नहीं किए गए थे (सितम्बर 1990)। सितम्बर 1990 तक इन वाहनों के रखरखाव तथा बीमें पर 1.03 लाख रुपये का व्यय भी किया गया था।

महाविद्यालय ने जुलाई 1989 में तथा दोबारा सितम्बर 1990 में बताया कि प्रत्येक वाहन को, रोजाना एक दौरे के लक्ष्य सहित दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पांच स्वास्थ्य केन्द्रों की सेवा करनी होती थी लेकिन निधियों की अनुपलब्धता एवं योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार से अन्य आवश्यकताओं के कारण कोई दौरा नहीं किया जा सका था।

चूँकि वाहन जो योजना के लिए विशेष रूप से सज्जित किए थे, उनकी प्राप्ति के बाद से ही अप्रयुक्त पड़े रहे, अतः योजना का उद्देश्य अपूर्ण रहा था।

मामला सितम्बर 1990 में, मंत्रालय को भेजा गया था: उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मई 1991)।

ग्रह मंत्रालय

उत्तरी पूर्वी परिषद

43. सौर तापीय जल प्रणाली चालू करने में विलम्ब उत्तरी पूर्वी परिषद, शिलांग (उ.पू.प.) ने जनवरी 1985 में, 1.46 लाख रुपये अनुमानित लागत पर उ.पू.प. के ऊर्जा कार्यक्रम के नवीकरण योग्य संसाधनों के अधीन क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज (क्षे.ई.का) सिलचर के होस्टल में कलकत्ता की एक फर्म द्वारा 1000 लिटर क्षमता की सौर तापीय जल प्रणाली को स्थापित करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया। फर्म को प्रणाली के स्थापना कार्य को प्रदान करने का निर्णय उ.पू.प. के सचिव तथा फर्म के प्रतिनिधियों के बीच अगस्त 1984 में हुई बैठक में लिया गया। प्रणाली के लिए अनुमान उ.पू.प. द्वारा फर्म द्वारा प्रस्तावित (नवम्बर 1984) दरों के आधार पर तैयार किए गए थे। फर्म को प्रणाली की आपूर्ति तथा स्थापना के लिए आदेश उ.पू.प. द्वारा दिसम्बर 1984 में जारी किया गया था लेकिन फर्म के साथ कोई औपचारिक करार निष्पादित नहीं किया गया था। प्रणाली की स्थापना तथा चालू करने की तिथि, उ.पू.प. के आपूर्ति आदेश में अनुबद्ध नहीं की गई थी।

1.46 लाख रुपये की अनुमानित लागत के प्रति, उ.पू.प. ने प्रणाली के लिए अदायगी की पहली किस्त के रूप में क्षे.ई.का. को 1.31 लाख रुपये जारी किए (मार्च

1985)। कालेज ने फर्म को संग्रहण अग्रिम के रूप में 0.36 लाख रुपये अप्रैल 1985 में अदा कर दिए। फर्म को जून 1986 में 0.60 लाख रुपये की एक और अदायगी मार्च 1986 में, प्रणाली के कुछ संघटकों की प्राप्ति के बाद, की गई थी।

कालेज तथा फर्म के बीच जून 1986 से मार्च 1988 तक दीर्घकालीन पत्राचार के बाद, अप्रैल 1988 में फर्म, जून 1988 तक स्थापना पूरी करने की सहमत हो गई। यद्यपि प्रणाली की स्थापना फर्म ने अप्रैल 1990 में पूरी कर दी थी फर्म ने उ.पू.प. को मई 1990 में सूचित किया कि विद्युत आपूर्ति तथा ठंडे जल कनेक्शन की गैर उपलब्धता के कारण जांच नहीं की जा सकी थी।

उ पू प ने जनवरी 1991 में बताया कि पानी टैंक, विद्युत आपूर्ति इत्यादि जैसी अवस्थापना उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी प्रणाली अभी चालू की जानी थी और फर्म को प्रणाली चालू करने की शीघ्र व्यवस्था करने को कहा गया था। कालेज प्रधानाचार्य ने मार्च 1991 में बताया कि प्रणाली, फर्म को उनकी प्रार्थना के बावजूद भी, असंचालित पड़ी थी। फर्म के विरुद्ध, किसी करार के गैर-निष्पादन के कारण दण्डनीय कार्यवाही भी नहीं की जा सकती थी।

इस प्रकार कालेज 0.96 लाख रुपये (अप्रैल 1985: 0.36 लाख रुपये; जून 1986: 0.60 लाख रुपये) का व्यय करने के बाद भी चार वर्षों से भी अधिक के लिए गर्म जल प्रणाली के लाभों से वंचित रहा था।

मामला मंत्रालय को दिसम्बर 1989 तथा जुलाई 1990 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मई 1991)।

कपड़ा मंत्रालय

जूट निर्माण विकास परिषद, कलकत्ता

44. सीमेंट फैक्ट्रियों को दिया गया अनाभिप्रेत लाभ

जूट निर्माण विकास परिषद (जू नि वि प) कलकत्ता ने मई 1986 में, तकनीकी प्राचल तथा इन दोनों रेशों के लाभ को संघटित करते हुए व्यवहार्य बोरे को विकसित करने के विचार से सीमेंट भरने हेतु, जूट तथा संश्लेषित बोरो का समयबद्ध अध्ययन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। जू नि वि प ने अध्ययन राष्ट्रीय भवन निर्माण सामग्री परिषद (रा भ नि सा प) को दिसम्बर 1986 में सौंपा तथा अप्रैल 1987 में 1 लाख रुपये के शुल्क का भुगतान किया।

अप्रैल 1988 में जू नि वि प तथा रा भ नि सा प के बीच सम्बन्ध शर्तों में प्रावधान था कि रा भ नि प जूट तथा कृत्रिम सीमेंट बोरो की चयनित किस्मों का प्रयोगशाला मूल्यांकन करेगा तथा प्रयोगशाला मूल्यांकन में आशाजनक पाये गये बोरो पर अंतिम रूप से बड़े पैमाने की फैक्ट्रियों के स्तर पर जांच करेगा। यद्यपि रा भ नि सा प द्वारा बोरो की चयनित किस्मों का प्रयोगशाला मूल्यांकन किया गया था, जू नि वि प द्वारा बोरो के प्रयोगशाला मूल्यांकन पर कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थी (जनवरी 1991) यद्यपि इसके

लिए विशेष रूप से अनुरोध किया गया था। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के अभाव में जू नि वि प क्षेत्र जांच हेतु बोरो के चयन के लिए मानदंडों अथवा आधारों को नहीं जान सकी।

अध्ययन के दूसरे चरण में, फैक्ट्री स्तर पर बोरो की नयी विकसित किस्मों को बृहद परीक्षण का विषय बनाना शामिल था। इस उद्देश्य हेतु तीन प्रकार के वर्तमान बोरो सहित दो किस्म के नये विकसित प्लास्टिक बोरो, में प्रत्येक के 10,000 नग, तीन विभिन्न स्थानों पर तीन सीमेंट की फैक्ट्रियों में परीक्षण हेतु रखे जाने थे। जू नि वि प सीमेंट फैक्ट्रियों को कुल 60,000 नई किस्म के प्लास्टिक के बोरो की आपूर्ति हेतु अप्रैल 1988 में सहमत हो गई तथा प्रचलित किस्म के 90,000 बोरो की आवश्यकता फैक्ट्रियों द्वारा पूरी की जानी थी।

कलकत्ता में एक जूट मिल जिसको जू नि वि प ने सितम्बर 1988 में आपूर्ति आदेश दिया, नवम्बर 1988 से अगस्त 1989 तक जू नि वि प द्वारा किए गए 4.03 लाख रुपए के भुगतान के प्रति जुलाई 1989 में सीमेंट फैक्ट्रियों को सीधे 60,000 प्लास्टिक के बोरो भेजे। सितम्बर-अक्तूबर 1989 के दौरान संबंधित सीमेंट फैक्ट्रियों में रा भ नि सा प द्वारा किए

गए परीक्षण में छीजन व बिखराव जांचों के लिए बोरो की दो किस्मों में से प्रत्येक के 30 बोरो का यो ही चयन किया जाना समाविष्ट था। इस परीक्षण के लिए लक्षित प्लास्टिक बोरो की संख्या तीन सीमेंट फैक्ट्रियों में केवल 180 थीं। शेष 59,820 प्लास्टिक बोरो का प्रयोग, लादने तथा परिवहन के दौरान नये बोरो के निष्पादन पर पुनर्निवेशन इक्कठे करने हेतु सड़क/रेल द्वारा व्यापारियों को सीमेंट के परिवहन लिए सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा किया जाना था।

नवम्बर 1989 में रा भ नि सा प द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में यो ही चयन किए गए 180 प्लास्टिक बोरो पर किए गए परीक्षण के परिणामों को लेते हुए छीजन तथा फट जाने के संबंध में प्लास्टिक बोरो का निष्पादन ही समाविष्ट था। लादने उतारने के दौरान शेष 59,820 प्लास्टिक बोरो के निष्पादन पर कोई रिपोर्ट नहीं थी। फैक्ट्री स्तर पर बृहद परीक्षण जिसके लिए 59,820 प्लास्टिक बोरो प्रयोग में लाये गये थे का लक्ष्य विफल हो गया। सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा प्रयोग किए गए 59,820 प्लास्टिक के बोरो की 4.03 लाख रुपये राशि की लागत वसूल नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप तीन सीमेंट फैक्ट्रियों ने जू नि वि प से 4.03 लाख रुपए का लाभ प्राप्त किया।

जू नि वि प ने फरवरी 1990 में बताया कि अध्ययन, इसके अनुसंधान एवं विकास प्रयास के एक भाग के रूप में किया गया था, जो अंशतः सफल माना जाना चाहिए था तथा कोई नया अनुसंधान तथा विकास कार्य अंतिम सफलता को पूर्वतः नहीं ले सकता था। स्पष्टीकरण मान्य नहीं है क्योंकि योजना में फैक्ट्री

स्तर पर बृहद् परीक्षण पर विचार था जिसके बिना सीमेंट उद्योग द्वारा प्रयोग के लिए प्लास्टिक बोरो की उपयोगिता को सत्यापित नहीं किया जा सकता था।

मामला मंत्रालय को अप्रैल 1990 को सूचित किया गया था ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मई 1991)।

चमि वीर
(धर्मवीर)

नई दिल्ली :
दिनांक :

महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व-1

28 अगस्त 1991
AUG

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

(सि. जि. सोमैया)

नई दिल्ली :

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक : 28 अगस्त 1991
AUG

परिशिष्ट ।
देखिये उप-पैराग्राफ 1.3

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (सितम्बर 1988 तक)	मार्च 1990 के अंत में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (लाख रु. में)
1.	2.	3.	4.
कृषि और सहकारिता मंत्रालय	1976-77	20	12.45
	1977-78	23	35.07
	1978-79	69	396.07
	1979-80	20	210.97
	1980-81	22	208.47
	1981-82	32	455.97
	1982-83	46	390.92
	1983-84	60	949.26
	1984-85	81	574.39
	1985-86	70	268.58
	1986-87	60	536.96
	1987-88	147	1541.09
	1988-89	54	10666.76
		जोड़	704

अंडमान व निकोबार प्रशासन

प्राप्त नहीं हुए

नागरिक उड्डयन और पर्यटन		प्राप्त नहीं हुए	
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर	1986-87	3	.007
बोर्ड	1987-88	19	1.78
	1988-89	7	0.54
		—	—
	जोड़	29	2.327
		—	—
चंडीगढ़ प्रशासन		प्राप्त नहीं हुए	
वाणिज्य	1976-77	3	5.00
	1977-78	3	2.90
	1983-84	8	942.68
	1984-85	30	631.71
	1985-86	6	864.00
	1986-87	21	2412.90
	1987-88	44	1928.98
	1988-89	49	3199.07
		—	—
		164	9987.24
		—	—
दिल्ली प्रशासन		प्राप्त नहीं हुए	
विदेश		प्राप्त नहीं हुए	
ऊर्जा मंत्रालय	1979-80	2	3.27
(विद्युत विभाग)	1980-81	4	9.45
	1981-82	10	60.56
	1982-83	6	16.22
	1983-84	3	4.00
	1984-85	8	296.31

1985-86	26	538.22
1986-87	23	235.98
1987-88	4	18.52
1988-89	8	262.50

जोड़	94	1445.03
------	----	---------

वित्त मंत्रालय प्राप्त नहीं हुए

(राजस्व)

आय एवं नागरिक

आपूर्ति

(i)	1977-78	1	0.02
	1980-81	2	1.60
	1984-85	1	0.96
	1987-88	2	0.09

जोड़	6	2.67
------	---	------

नागरिक आपूर्ति प्राप्त नहीं हुए

गृह	1983-84	1	0.02
	1985-86	2	0.01
	1986-87	9	1.53
	1987-88	7	1.14
	1988-89	17	1.32

जोड़	36	4.02
------	----	------

स्वास्थ्य एवं परिवार

कल्याण

(i) परिवार कल्याण	1976-77	22	8.95
	1977-78	15	26.66
	1978-79	12	25.47
	1979-80	18	64.15
	1980-81	32	102.36
	1981-82	42	197.67
	1982-83	42	84.74
	1983-84	78	350.89
	1984-85	123	623.16
	1985-86	85	714.45
	1986-87	47	1204.70
	1987-88	99	266.50
	1988-89	37	663.72
		<hr/>	<hr/>
		652	4333.42
		<hr/>	<hr/>
(ii) स्वास्थ्य	1976-77	96	104.36
	1977-78	87	186.55
	1978-79	81	900.47
	1979-80	133	234.47
	1980-81	74	285.17
	1981-82	125	154.04
	1982-83	143	828.27
	1983-84	276	3567.64
	1984-85	311	5347.33
	1985-86	242	7911.14
	1986-87	256	5383.91

1987-88	237	3590.25
1988-89	93	5848.05

2156	34341.65
------	----------

मानव संसाधन विकास

(i) संस्कृति

प्राप्त नहीं हुए

(ii) शिक्षा

1976-77	253	266.56
1977-78	241	491.48
1978-89	505	534.57
1979-80	398	590.68
1980-81	257	419.93
1981-82	257	1227.49
1982-83	601	1531.43
1983-84	574	6204.71
1984-85	2532	20800.23
1985-86	2774	19030.56
1986-87	2628	19555.50
1987-88	2395	17241.53
1988-89	399	4561.82

13814	92456.49
-------	----------

(iii) युवा मामले एवं खेल

प्राप्त नहीं हुए

(iv) महिला एवं बाल विकास

प्राप्त नहीं हुए

सूचना एवं प्रसारण

1976-77	2	40.00
1977-78	2	50.00
1978-89	1	22.18

	1982-83	1	4.22
	1983-84	2	3.37
	1984-85	2	65.00
	1985-86	1	32.95
	1986-87	4	54.49
	1987-88	9	167.87
	1988-89	2	15.60
		<hr/>	<hr/>
		26	455.68
		<hr/>	<hr/>
उद्योग			
(i) लघु उद्योग	1987-88	8	46.00
	1988-89	13	154.75
		<hr/>	<hr/>
		21	200.75
		<hr/>	<hr/>
(ii) उद्योगिक विकास	1987-88	4	22.00
	1988-89	2	6.00
		<hr/>	<hr/>
		6	28.00
		<hr/>	<hr/>
(iii) सार्वजनिक उद्यम	1988-89	2	111.00
		<hr/>	<hr/>
		2	111.00
		<hr/>	<hr/>
विधि व न्याय			
	1982-83	7	2.41
	1983-84	14	5.61
	1984-85	11	5.69
	1985-86	18	10.54

1986-87	11	4.52
1987-88	3	0.20
1988-89	3	4.65

67	33.62
----	-------

श्रम

प्राप्त नहीं हुए

कार्मिक लोक शिकायते	1986-87	7	4.88
तथा पेशन	1987-88	14	7.18
कार्मिक तथा प्रशिक्षण	1988-89	11	24.37

32	36.43
----	-------

योजना

(i) योजना आयोग

प्राप्त नहीं हुए

(ii) सांख्यिकी

प्राप्त नहीं हुए

भूतल परिवहन

प्राप्त नहीं हुए

ईस्पात व खान

प्राप्त नहीं हुए


कपड़ा	1977-78	3	11.55
	1978-79	36	133.59
	1979-80	35	83.87
	1980-81	18	29.47
	1981-82	4	0.51
	1982-83	26	23.60
	1983-84	28	29.09
	1984-85	25	22.99
	1985-86	34	35.30
	1986-87	25	25.40

1987-88	42	91.07
1988-89	6	15.56
	<hr/>	<hr/>
	282	502.00
	<hr/>	<hr/>

शहरी विकास	1981-82	23	16.23
	1982-83	36	21.12
	1983-84	34	30.94
	1984-85	29	39.29
	1985-86	33	27.91
	1986-87	16	39.15
	1987-88	16	19.02
	1988-89	20	45.64
		<hr/>	<hr/>
	जोड़	207	235.30
		<hr/>	<hr/>

जल संसाधन	प्राप्त नहीं हुए		
कल्याण	1977-78	52	164.28
	1978-79	41	74.24
	1979-80	88	98.84
	1980-81	83	59.53
	1981-82	206	239.75
	1982-83	8	17.50

1983-84	128	158.08
1984-85	132	339.87
1985-86	1051	1725.49
1986-87	753	1262.29
1987-88	779	612.87
1988-89	753	1453.10
	<hr/>	<hr/>
सकल जोड़	4074	6205.84
	<hr/>	<hr/>



शुद्धि पत्र

पृष्ठ	कालम्	परिचित	अशुद्ध	शुद्ध
52	2	नौवीं तथा दसवीं	40 से 70 प्रतिशत अथवा अधिक बनती थी	40 से 70 प्रतिशत बनती थी
57	1	नीचे से नौवीं	240 लाख	240 लाख रुपये
60	2	नीचे से छठी	प्रभार वहन किया था।	प्रभारित किए थे।
61	1	नौवीं	1988-89	1989-90
129	1	सोलहवीं	दिसम्बर 1986	दिसम्बर 1988
130	2	आठवीं	7.65 वर्ग फुट	7.65 लाख वर्ग फुट
151	तालिका का कालम् 4	नीचे से छठी	वोल्जेन्तर अन्दान तथा आय	वोल्जेन्तर अन्दान
151	तालिका का कालम् 5	"	अन्य स्रोतों से अन्य अन्दान	अन्य स्रोतों से अन्य अन्दान तथा आय
166	2	बारहवीं	1991 में	1990 में
174 तथा 175		इन पृष्ठों की तालिका की राशियों में दशार्ध गर - के स्थान पर दशप्रत्येक चिह्न को पढ़ा जाए		
181	1	दूसरी	1988-89	1989-90
183	1	पाँचवीं	(अप्रैल 988)	(अप्रैल 1988)
207	2	सत्रहवीं	जुलाई 1986	जुलाई 1985
217	तालिका का कालम् 6	चौथी पाँचवीं	- (1386)	-
217	तालिका का कालम् 7	वही	41	41 (1386)
251	2	नीचे से चौथी	मार्च 1990	31 मार्च 1990
252	तालिका का कालम् 6	1987-88 के सामने	14	-
252	तालिका का कालम् 7	"	18	14
252	तालिका का कालम् 8	"	-	18
260	1	सत्रहवीं	जुलाई 1987	जुलाई 1989
270	तालिका का कालम् 3	नीचे से पाँचवीं	143	145
274	तालिका का कालम् 4	नीचे से दसवीं	45.64	41.64

